Drishti IAS

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

जनवरी (भाग-2)

2025

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- लोकपाल स्थापना दिवस 5
- चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से दान में वृद्धि 8
- मनरेगा भुगतान में विलंब 17
- क्रॉसपैथी 22
- लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियाँ 24
- 'एक राष्ट्र, एक समय' 25
- भारत का जनांकिकीय संक्रमण 31
- केंद्र-राज्य राजस्व की स्थिति 35
- भारत के रबड़ उद्योग को बढ़ावा देना 38
- केरल में अपतटीय रेत खनन 44
- स्टार्टअप इंडिया पहल की 9वीं वर्षगाँठ 46
- भारत का राजकोषीय समेकन 51
- भारत के लिये संप्रभु संपदा निधि की आवश्यकता 57
- नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 59
- भारत-यूरोपीय संघ संबंध 66
- सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद 74
- भारत-इंडोनेशिया संबंध 81

जैव विविधता और पर्यावरण 84

- 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा 84
- सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन: FAO 89
- रैट-होल माइनिंग 94
- KMGBF 2022 लक्ष्य प्राप्त करने हेतु OECMs 97

सामाजिक न्याय 103

- भारत में किशोर गर्भावस्था की रोकथाम 103
- ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु सुधार 105
- वैश्विक असमानता में वृद्धि 111
- वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित चुनौतियाँ 114
- भारत में सुगम्यता उपायों को सुदृढ़ बनाना 118

सामाजिक न्याय 121

- किशोरों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल का प्रभाव 121
- ASER 2024 और प्रारंभिक शिक्षा 125
- भारत में सर्पदंश और प्रतिजीवविष 128

भूगोल 134

- दक्कन ज्वालामुखी और भारतीय प्लेट का संचलन 134

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

कृषि 139

- भारत में अनुबंध कृषि 139

भारतीय समाज 141

- भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट 141

भारतीय इतिहास 143

- सुभाष चंद्र बोस की विरासत 143
- 76वाँ गणतंत्र दिवस 147
- लौह युग और नगरीकरण 152

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 156

- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ सहभागिता 156
- स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स का विकास 161
- ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी आउटलुक 2025 165

भारतीय विरासत और संस्कृति 169

- बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत 169

प्रारंभिक परीक्षा 173

- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 173
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 175
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 176
- राज्य संप्रतीक 178
- सेमी-डिराक फर्मियन और मूलभूत कण 179
- गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण 182
- ट्विगस्टेट्स 184
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 186
- QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 188
- कैलिफोर्निया में वनाग्नि 191
- 38वें राष्ट्रीय खेल और कलारीपयट्टू 194
- RBI ने सीमा पार लेनदेन के लिये FEMA नियमों को उदार बनाया 196
- अदन की खाड़ी और लाल सागर 199
- संत नरहरि तीर्थ 201
- न्यूरोनल विकास में व्यायाम की भूमिका 202
- सीप (ऑयस्टर) के रोगाणुरोधी गुण 204
- दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ और लोधा जनजाति 207
- खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति 210
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप गणना 211
- पार्टी व्हिप 218
- ऑलिव रिडले कछुओं की मास नेस्टिंग 222
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्धियाँ 224
- अपराध में फिंगरप्रिंट साक्ष्य का उपयोग 226
- फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 227
- निकोबारी जनजाति 230
- पौधों पर कोल डस्ट का प्रभाव 233

रैपिड फायर 235

- न्यूरालिंक द्वारा मानव मस्तिष्क का प्रत्यारोपण 235
- डेटा एंबेसी 235
- नाग मार्क-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 235
- गंगासागर मेला 236

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- मधुमक्खियों को खतरा 237
- गद्दी कुत्ता 238
- मोटापे के मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन 239
- इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस' 239
- कोकबोरोक भाषा 241
- ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी 241
- PPI धारकों को UPI लेनदेन की सुविधा 243
- ब्लड मनी और प्ली बार्गेनिंग 243
- मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप 244
- फोनियो मिलेट 245
- नगालैंड के सीमांत क्षेत्र की मांग 246
- ISRO का तीसरा लॉन्च पैड 247
- माउंट इबू में ज्वालामुखी विस्फोट 250
- मिशन एससीओटी 251
- कोलंबिया में बढ़ता संघर्ष 252
- मेक्सिको की खाड़ी और डेनाली के नाम में परिवर्तन 253
- रेल की पटरियों के किनारे विंड टर्बाइन 255
- भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) 256
- प्लूटो और चारोन की ब्रह्मांडीय कहानी 257
- साइपरमेथ्रिन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 257
- H5N1 बर्ड फ्लू और डेमोइसेल क्रेन 259
- बोरियल वन 259
- 8वाँ वेतन आयोग 260
- एंटिटी लॉकर 261
- इंडियन ग्रे वुल्फ 262
- नॉन मीट प्रोडेक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन 262
- डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली 263
- खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता 264
- 15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 266
- मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण 268
- राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 269
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 269
- भारत और केपटाउन कन्वेंशन 270
- LID 568 ब्लैक होल 271
- कुलीनतंत्र 272
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस 273
- पीएम यशस्वी योजना 275
- आवश्यक धार्मिक आचरण 276
- एक्सोप्लैनेट WASP-127b 276
- अरोमा मिशन 277
- कैलाश मानसरोवर यात्रा 277
- चिनार के पेड़ों के लिये आधार 278
- नामदफा टाइगर रिज़र्व 279
- SDSC से ISRO का 100 वाँ प्रक्षेपण 281
- मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 282
- लाला लाजपत राय की जयंती 282
- कम सोडियम युक्त नमक का उपयोग: WHO 282
- आयुध वस्त्र का पहला रक्षा निर्यात 283
- महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 284
- पोस्ट-क्वांटम एन्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी 285

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

लोकपाल स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी 2025 को **लोकपाल स्थापना दिवस** के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्त्ता **अन्ना हजारे, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन. संतोष हेगड़े** और **अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी** को सम्मानित किया जाएगा।

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013**, **16 जनवरी 2014** को प्रभावी हुआ।

नोट: पहला **लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट** में मनाया जाएगा, जिसमें **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** मुख्य अतिथि होंगे।

लोकपाल क्या है?

- **परिचय:** लोकपाल एक **स्वतंत्र सांविधिक निकाय** है जिसकी स्थापना **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत सार्वजनिक कार्यालयों में **भ्रष्टाचार की रोकथाम करने** और लोक पदाधिकारियों की **जवाबदेही सुनिश्चित करने** के लिये की गई है।
  - वे **"लोकपाल"** का कार्य करते हैं और विशिष्ट लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध **भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जाँच** करते हैं।
  - अधिनियम में राज्यों के लिये लोकायुक्त की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।
- **उत्पत्ति: लोकपाल/लोकायुक्त** की अवधारणा **स्कैंडिनेवियाई देशों की लोकपाल प्रणाली** से उत्पन्न हुई है।
  - भारत में, **प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)** ने केंद्रीय स्तर पर **लोकपाल** और राज्यों में **लोकायुक्तों** की स्थापना की अनुशंसा की थी।
  - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के अधिनियमित होने से पहले, कई राज्यों ने राज्य कानूनों के माध्यम से लोकायुक्त संस्था का गठन कर लिया था।
    - महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम था, जहाँ **1971 में लोकायुक्त निकाय की स्थापना** की गई थी।
- **वेतन और भत्ते: अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश** के समान होते हैं, जबकि सदस्यों को भारत के **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के समान लाभ मिलते हैं।
- **लोकपाल की कार्यवाही:**
  - शिकायत मिलने पर, लोकपाल अपनी अन्वेषण शाखा के माध्यम से प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकता है या मामलों को **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** या **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** जैसे अभिकरणों को अग्रेषित कर सकता है।
  - CVC समूह A और B के अधिकारियों के संबंध में लोकपाल को रिपोर्ट करता है, जबकि यह CVC अधिनियम, 2003 के तहत समूह C और D के संबंध में स्वतंत्र कार्रवाई करता है।

लोकायुक्त

- **परिचय:** यह भारत में एक राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार **विरोधी प्राधिकरण** है, जिसे लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की जाँच के लिये स्थापित किया गया है।
- **नियुक्ति:** राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श के बाद लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नियुक्ति करता है।
- **कार्यकाल:** अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
  - पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है।
- **पदच्युति;** एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तथा उसे केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लोकपाल

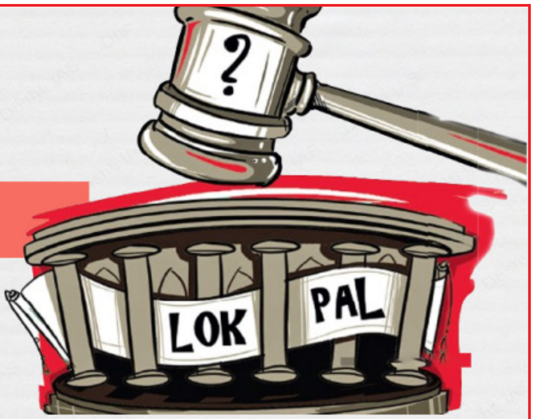

यह एक विधिक निकाय है, जो विशिष्ट लोक अधिकारियों और संबंधित मुद्दों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिये "लोकपाल" के रूप में कार्य करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व

- **वर्ष 1809:** लोकपाल यानी Ombudsman संस्था की आधिकारिक शुरुआत स्वीडन में हुई।

भारत

- **वर्ष 1963:** लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया।
- **वर्ष 1971:** महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना।
- **वर्ष 2011:** लोकपाल के लिये अन्ना हज़ारे का आंदोलन।
- **वर्ष 2013:** लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित हुआ।
- **वर्ष 2014:** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लागू हुआ, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया।
- **वर्ष 2019:** न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए।

विधिक प्रावधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013)

केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रयास

क्षेत्राधिकार

- इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और समूह A, B, C और D के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाएँ।
- FCRA के तहत विदेशी दान में सालाना 10 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।

शक्ति

- सरकार या संबंधित प्राधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।
- लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिये CBI सहित किसी भी जाँच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति।
- इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी, भ्रष्ट तरीकों से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं।

सज़ा

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान है।

नियुक्ति

- चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, CJI या CJI द्वारा नामित मौजूदा उच्चतम न्यायालय के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्)।
- खोज समिति (Search Committee), चयन प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करती है।

संरचना

- अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जिसमें
  - 50% न्यायिक सदस्य।
  - 50% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक एवं महिलाएँ।

कार्यकाल

- 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

लोकपाल संस्था का क्या महत्त्व है?

- **भ्रष्टाचार का मुकाबला:** लोकपाल और लोकायुक्तों का उद्देश्य **सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच के लिये एक समर्पित मंच प्रदान करके प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दूर करना है,** जिससे भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके तथा नैतिक शासन को बढ़ावा मिले।
- **जवाबदेही बढ़ाना: ये संस्थाएँ सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये ज़िम्मेदार ठहराकर जवाबदेही बढ़ाती हैं,** जिससे सरकार में जनता का विश्वास बहाल करने में सहायता मिलती है।
- **नागरिकों को सशक्त बनाना:** यह अधिनियम **नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है** तथा उन्हें शक्तिशाली अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **सुशासन को बढ़ावा देना:** लोकपाल और लोकायुक्तों द्वारा स्वतंत्र निगरानी **सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती है** और अधिकारियों को जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करती है।

अन्य देशों में समान वैश्विक प्रथाएँ

- **लोकपाल (स्कैंडिनेवियाई देश):** स्वतंत्र प्राधिकारी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करते हैं तथा निष्पक्ष व्यवहार और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं
- **भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर):** ICAC (हॉन्गकॉन्ग) एवं CPIB (सिंगापुर) जैसी एजेंसियाँ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जाँच और मुकदमा चलाती हैं।
- **पब्लिक प्रोटेक्टर (दक्षिण अफ्रीका):** सार्वजनिक अधिकारियों के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार की जाँच करता है तथा उन्हें जवाबदेह ठहराता है।
- **संघीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ब्राज़ील):** उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रष्टाचार जाँच की देखरेख करना।

लोकपाल से संबंधित सीमाएँ क्या हैं?

- **शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कथित भ्रष्टाचार के 7 वर्ष के भीतर या जब शिकायतकर्त्ता को इसकी जानकारी हो, तब दर्ज की जानी चाहिये।
    - इस समय-बद्ध प्रतिबंध के कारण **भ्रष्टाचार के पुराने मामले, विशेषकर वे मामले जो बहुत बाद में पता चले,** छूट सकते हैं।
- **झूठी शिकायतों के लिये कठोर दंड:** झूठी शिकायतें दर्ज करने पर कठोर दंड का प्रावधान, उचित होने पर भी, व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित कर सकता है।
- **स्वतंत्रता के मुद्दे:** लोकपाल और लोकायुक्तों को अपनी **स्वतंत्रता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,** क्योंकि राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी निष्पक्ष रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
- **भ्रष्टाचार से निपटने में अप्रभावीता:** वर्ष 2019-20 और 2023 के बीच, लोकपाल को 8,703 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5,981 का समाधान किया गया, जो भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने में इसकी अक्षमता को दर्शाता है।
    - हालाँकि, इसने **भ्रष्टाचार के लिये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं किया है, जैसा कि अप्रैल, 2023 की संसदीय समिति की रिपोर्ट** में उल्लेख किया गया है।
- **अपवाद:** प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन **अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे इससे बाहर रखे गए हैं,** जिससे संवेदनशील मामलों पर इसका अधिकार सीमित हो गया है।
- **कोई निरीक्षण तंत्र नहीं:** लोकपाल की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये कोई व्यापक तंत्र नहीं है, जिससे इसकी जवाबदेही को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह:

- **समीक्षा सीमा अवधि:** विलंबित मामलों को समायोजित करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिये शिकायत दर्ज करने की 7 वर्ष की अवधि को बढ़ाना या उसमें लचीलापन प्रदान करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संतुलित दंड:** दुरुपयोग को रोकने के लिये **झूठी शिकायतों के लिये आनुपातिक दंड** लागू तथा वैध शिकायतों को प्रोत्साहित करना।
- **स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** राजनीतिक प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मज़बूत, चयन प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा स्वायत्तता बनाए रखने के लिये संस्थागत समर्थन प्रदान करना।
  - सरकार को **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना चाहिये,** जो लोकपाल की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने, **प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित** करने तथा इसकी समग्र परिचालन दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है।
- **अन्य एजेंसियों के साथ स्पष्ट संबंध:** CBI पर लोकपाल की पर्यवेक्षी शक्तियों का स्पष्ट चित्रण, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय और CVC जैसी एजेंसियों के साथ सुपरिभाषित समन्वय तंत्र, **क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों से बचने तथा अंतर-एजेंसी सहयोग** को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:** भारत को **भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCAC)** के अनुरूप **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से मज़बूत व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानूनों** वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना चाहिये।
- **इससे नागरिकों को प्रतिशोध के भय के बिना भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने** के लिये प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में लोकपाल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। इसके समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं तथा इसकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? चर्चा कीजिये।

चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से दान में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिये जारी **चुनावी ट्रस्ट योगदान रिपोर्ट, चुनावी ट्रस्टों** के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले दान में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है।

- यह वृद्धि ***एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले, 2024*** के बाद हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने **चुनावी बॉण्ड योजना** को असंवैधानिक घोषित किया और बैंकों को तुरंत बॉण्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया।

ECI की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और उसके निहितार्थ क्या हैं?

- **रिपोर्ट की मुख्य बातें:**
  - **दान में वृद्धि: प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (PET)** में योगदान वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक लगभग तीन गुना बढ़ गया।
    - PET भारत का सबसे बड़ा चुनावी ट्रस्ट है, जिसे वित्त वर्ष 24 में **1,075.71 करोड़ रुपए** मिले। यह एक ही ट्रस्ट के भीतर कॉर्पोरेट दान का एक महत्त्वपूर्ण संकेंद्रण दर्शाता है।
  - **प्रमुख लाभार्थी:** केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) सबसे बड़ी लाभार्थी रही, उसके बाद कॉन्ग्रेस, भारत राष्ट्र समिति (BRS) तथा YSR कॉन्ग्रेस का स्थान रहा।
  - **चुनावी ट्रस्टों की स्थिति :** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त **15 से अधिक चुनावी ट्रस्टों में से**, इस अवधि के दौरान केवल पाँच ट्रस्टों को, जिनमें PET भी शामिल है, को दान प्राप्त हुआ।
- **निहितार्थ:**
  - **तुलनात्मक विश्लेषण:** चुनावी बॉण्ड के विपरीत, जिसने वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच गुमनाम दान में 12,000 करोड़ रुपए दिये, ***एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*** मामले वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने, उन्हें असंवैधानिक घोषित करते हुए राजनीतिक फंडिंग को चुनावी ट्रस्टों की ओर
    - इस बदलाव ने दानकर्त्ता की पहचान, राशि और प्राप्तकर्त्ता पक्षों का खुलासा करके पारदर्शिता में वृद्धि की है, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों को फैसले के बाद वित्त वर्ष 24 के उनके दान का 74% (1,075.7 करोड़ रुपए में से 797.1 करोड़ रुपए) प्राप्त हुए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **आर्थिक आयाम:** चुनावी ट्रस्ट बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फंड को राजनीतिक प्रणालियों में प्रवाहित करते हैं, जिससे पार्टी के वित्त पर कॉर्पोरेट प्रभाव मज़बूत होता है।
  - **प्रूडेंट एवं ट्रायम्फ** जैसे कुछ ट्रस्टों का प्रभुत्‍्व शीर्ष दानदाताओं के बीच राजनीतिक फंडिंग के केंद्रीकरण को उजागर करता है स्थानांतरित कर दिया है।

चुनावी ट्रस्ट क्या हैं?

- चुनावी ट्रस्ट के बारे में; **वर्ष** 2013 में शुरू किये गए चुनावी ट्रस्ट गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं जो दानदाताओं से धन एकत्र करने और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित करने के लिये स्थापित की गई हैं।
- **कानूनी ढाँचा:** इन ट्रस्टों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विनियमित किया जाता है । इस अधिनियम की **धारा 25 (वर्तमान में नए कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 8)** किसी भी कंपनी को इस योजना के तहत चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने की अनुमति देती है।
- **दान के लिये पात्रता:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17CA चुनावी ट्रस्टों को निम्नलिखित से दान की अनुमति देती है:
  - भारतीय नागरिक, भारत में पंजीकृत कंपनियाँ, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), या भारत में रहने वाले व्यक्तियों के संघ।
- दानदाताओं को अंशदान करते समय अपना **पैन (निवासियों के लिये) या पासपोर्ट नंबर (NRIs के लिये)** देना आवश्यक है।
- **राजनीतिक दलों को दान:** चुनावी ट्रस्टों को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का **कम से कम 95%** उन पात्र राजनीतिक दलों को दान करना होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत हैं।
- **पंजीकरण एवं नवीकरण:** चुनावी ट्रस्टों को अपना पंजीकरण और संचालन जारी रखने के लिये प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में नवीकरण के लिये आवेदन करना आवश्यक है।
- **चुनावी बॉण्ड तथा चुनावी ट्रस्ट के बीच मुख्य अंतर:**

विशेषता	चुनावी बॉण्ड	चुनावी ट्रस्ट
विनियमन	मुख्य रूप से RBI, SBI और चुनाव आयोग द्वारा विनियमित।	कंपनी अधिनियम द्वारा विनियमित, चुनाव आयोग एवं आयकर विभाग द्वारा निगरानी।
उद्देश्य	इसका उद्देश्य दानकर्त्ता की गुमनामी को बनाए रखते हुए दान को सुव्यवस्थित करना है।	दान को एकत्रित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।
कर लाभ	दानकर्ता **धारा 80 GGC** के अंतर्गत कटौती का लाभ उठा सकते हैं।	ट्रस्ट के माध्यम से दानदाताओं को कर में छूट मिलती है ।
परिचालन तंत्र	दान बॉण्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को दिया जाता है।	ट्रस्ट धन एकत्र करते हैं और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करते हैं।
दाता प्रकटीकरण	दानदाताओं की पहचान गुप्त रखी गयी है।	दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर की जाती है।
पारदर्शिता	दानदाताओं और प्राप्तकर्त्ताओं की गुमनामी; अघोषित कॉर्पोरेट प्रभाव की चिंता।	दानदाताओं और प्राप्तकर्त्ताओं के विवरण का जनता के समक्ष पूर्ण खुलासा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

चुनावी बॉण्ड योजना क्या है?

- **परिचय : 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना, वचन पत्र** के समान एक **धन साधन है, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** से व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा खरीद के लिये उपलब्ध है ।
  - बॉण्ड को केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा निर्दिष्ट खाते में ही भुनाया जा सकता है।
  - बॉण्ड खरीदने वाला व्यक्ति या तो अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
- **उद्देश्य** : प्राथमिक लक्ष्य **चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता** सुनिश्चित करना था, सरकार इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते राष्ट्र के लिये एक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही थी।
- **योजना में संशोधन:** वर्ष 2022 में योजना में संशोधन करके राज्य विधान सभा चुनावों के वर्षों के दौरान चुनावी बॉण्ड की खरीद के लिये **अतिरिक्त 15 दिन की अवधि** की शुरुआत की गई।
  - चुनावी बॉन्ड जारी होने के **15 दिन तक वैध** होते हैं। अगर उस समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर राजनीतिक दल वैधता अवधि के भीतर जमा कर देता है, तो बॉन्ड उसी दिन उनके खाते में जमा हो जाता है।
  - केवल **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA)** की धारा 29A के तहत **पंजीकृत राजनीतिक दल**, जिन्होंने पिछले आम चुनाव (या तो लोकसभा या राज्य विधानसभा) में **कम से कम 1% वोट** प्राप्त किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
- **असंवैधानिक घोषित:** *एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 2024* सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस योजना की अनुमत गुमनामी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत ज्ञान के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।

भारत में चुनावी वित्तपोषण से संबंधित सिफारिशें क्या हैं?

- **इंद्रजीत गुप्ता समिति, 1998:** कम वित्तीय संसाधनों वाले दलों के लिये समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य प्रायोजित चुनावों के विचार का समर्थन किया।
- **अनुशंसित सीमाएँ:**
  - राज्य निधि केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को आवंटित की जाएगी, जिन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह प्राप्त होंगे, **स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं।**
  - प्रारंभ में, राज्य द्वारा **वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिये, तथा** मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
  - आर्थिक बाधाओं को स्वीकार किया गया तथा **पूर्ण राज्य वित्त पोषण के स्थान पर आंशिक वित्त पोषण** की वकालत की गई।
- **विधि आयोग, 1999:** चुनावों के लिये संपूर्ण राज्य वित्तपोषण को वांछनीय बताया गया, बशर्ते कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध हो।
  - आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें राजनीतिक दलों के खातों के रखरखाव, लेखापरीक्षा एवं प्रकाशन के लिये धारा 78A को शामिल किया गया, तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया।
- **चुनाव आयोग की सिफारिशें:** चुनाव आयोग की वर्ष 2004 **की रिपोर्ट** में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **राजनीतिक दलों को अपने खातों को वार्षिक रूप से प्रकाशित करना आवश्यक** है, ताकि सामान्य जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा उनकी जाँच की जा सके।
  - सटीकता सुनिश्चित करते हुए लेखापरीक्षित खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिये, तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित फर्मों द्वारा की जानी चाहिये।

भारत में चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **पारदर्शिता का मुद्दा:** चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य **पारदर्शिता सुनिश्चित करना था**, लेकिन दानदाताओं की गुमनामी इसे कमज़ोर करती है, विशेष रूप से जनता और विपक्ष के लिये। चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता का मुद्दा सत्तारूढ़ पार्टी को दानदाताओं की जानकारी में हेरफेर करने की अनुमति देता है, जिससे चुनावों में समझौता होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- सत्तारूढ़ पार्टी SBI के माध्यम से दानदाताओं के विवरण तक पहुँच सकती है, जिससे गैर-सहायक कंपनियों को हानि पहुँच सकता है ।
- **लोकतंत्र पर प्रभाव:** मतदाता दान के स्रोतों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे सूचित विकल्प बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। चुनावी बॉण्ड नागरिकों के राजनीतिक दान के बारे में जानने के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे सहभागी लोकतंत्र प्रभावित होता है।
- **क्रोनी कैपिटलिज्म:** दान की सीमा (**पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5%**) को हटाने से राजनीति पर कॉर्पोरेट प्रभाव के लिये द्वार खुल जाते हैं, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है।
  - **क्रोनी कैपिटलिज्म** एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध होते हैं।
- **फंडिंग में असंतुलन: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) रिपोर्ट,** 2023 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय दल, विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल, चुनावी बॉण्ड दान पर हावी हैं, जिससे असमान फंडिंग परिदृश्य बनता है।
  - चुनावी बॉण्ड से पता चलता है कि **कॉर्पोरेट क्षेत्र से अनुपातहीन दान प्राप्त** हुआ है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी की शक्ति मज़बूत हुई है।

आगे की राह

- **पारदर्शिता एवं गुमनामी के बीच संतुलन:** सबसे प्रमुख प्रतिक्रियाओं में से एक पारदर्शिता एवं गुमनामी में वैध सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाना है। कई अधिकार क्षेत्र **छोटे दानदाताओं के लिये गुमनामी की अनुमति देकर इस संतुलन को बनाए रखते हैं, जबकि बड़े दान के लिये खुलासे की आवश्यकता** होती है।
  - **ब्रिटेन में,** किसी पार्टी को एक कैलेंडर वर्ष में एक ही स्रोत से प्राप्त कुल 7,500 पाउंड से अधिक दान की रिपोर्ट देनी होती है।
  - **जर्मनी** में यह सीमा 10,000 यूरो है।
- **दान का विनियमन:** देशों को बड़े **दानदाताओं के प्रभुत्व से बचने के लिये दान को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना** चाहिये । क्योंकि सीमाएँ चुनावों में वित्तीय हथियारों की होड़ को रोकती हैं।
  - चुनावी ट्रस्ट यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दान सीमा के भीतर रहे तथा उसका उचित आवंटन हो।
- **राजनीतिक दलों के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण:** सार्वजनिक **वित्तपोषण पार्टी के प्रदर्शन पर आधारित** होता है, जिसके प्रकटीकरण से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जबकि गुमनामी से छोटे दानदाताओं की सुरक्षा होती है।
- **राष्ट्रीय चुनाव कोष:** एक **राष्ट्रीय कोष सभी दाताओं से दान एकत्र** कर सकता है और उसे राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर वितरित कर सकता है।
  - इस दृष्टिकोण से दाताओं के विरुद्ध संभावित प्रतिशोध की चिंताओं का समाधान हो सकेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. इलेक्टोरल बॉण्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इलेक्टोरल ट्रस्टों की भूमिका की विवेचना कीजिये और निर्वाचकीय जवाबदेही और नियामक निगरानी बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिये।

BBBP और सुकन्या समृद्धि योजना की 10वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के शुभारंभ का **10वाँ वर्ष** मनाया गया।

- 22 जनवरी से 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) तक समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है और इसमें **मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल** का शुभारंभ भी शामिल है।
- BBBP योजना **22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा** में शुरू की गई थी और **SSY को BBBP योजना** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

BBBP क्या है?

- **परिचय:** BBBP एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसे घटते **बाल लिंगानुपात (CSR)** को संबोधित करने, लैंगिक-पक्षपातपूर्ण **लैंगिक-चयनात्मक उन्मूलन** को रोकने और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB)** में प्रतिवर्ष **दो अंकों** का सुधार करना।
  - **95% या उससे अधिक** की सतत् **संस्थागत प्रसव** दर हासिल करना।
  - **प्रथम तिमाही मेंं प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण** और **माध्यमिक शिक्षा नामांकन का प्रतिशत प्रतिवर्ष 1%** बढ़ाया जाएगा।
  - माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की **स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना।**
  - सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **लक्ष्य समूह:**
  - **प्राथमिक समूह: युवा दंपत्ति, भावी माता-पिता, किशोर**, परिवार और समुदाय।
  - **द्वितीयक समूह: स्कूल, आँगनवाड़ी केंद्र (AWC)**, चिकित्सा पेशेवर, स्थानीय सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन, मीडिया और धार्मिक नेता।
- **मिशन शक्ति के साथ एकीकरण:** BBBP योजना को अब **15 वें वित्त आयोग (2021-2026)** के दौरान कार्यान्वयन के लिये **महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण** के कार्यक्रम **मिशन शक्ति** के साथ एकीकृत किया गया है। मिशन शक्ति में **दो उप-योजनाएँ** शामिल हैं:
  - **संबल (सुरक्षा और संरक्षण): वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (181), BBBP** का राष्ट्रव्यापी विस्तार और शिकायत निवारण के लिये **नारी अदालत** जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **सामर्थ्य (सशक्तिकरण): शक्ति सदनों** (राहत और पुनर्वास गृह), **सखी निवास** (कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास) और **पालना** (क्रेच सुविधाएँ) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।
    - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** अब **दूसरी संतान, यदि वह लड़की हो,** के लिये सहायता प्रदान करती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
    - संकल्प: **HEW (महिला सशक्तिकरण केंद्र)** महिलाओं के लिये केंद्रीय और राज्य योजनाओं तक पहुँच के लिये **ज़िला स्तरीय एकल खिड़की तंत्र** के रूप में कार्य करता है।
- **वित्तपोषण:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं (BBBP) एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जो **मिशन शक्ति की संबल उप-योजना** के तहत देश के सभी ज़िलों में **केंद्र सरकार द्वारा 100%** वित्तपोषित है।
  - ज़िला स्तर पर वित्तीय सहायता SRB के अनुसार वितरित की जाती है, जिसमें 40 लाख रुपए (SRB≤918), 30 लाख रुपए (SRB 919-952) तथा 20 लाख रुपए (SRB>952) आवंटित किये जाते हैं।
- **प्रमुख हस्तक्षेप: यशस्विनी बाइक अभियान** जैसे ज़मीनी स्तर के अभियान, जो महिला सशक्तीकरण का प्रतीक थे, तथा **कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव**, जिसके **तहत स्कूल न जाने वाली 100,000 से अधिक लड़कियों** को पुन: नामांकित किया गया।
  - कार्यबल भागीदारी और कौशल को बढ़ावा देने वाले सम्मेलन और कार्यक्रम, जैसे "**बेटियाँ बनें कुशल।**"
- **10 वर्षों में उपलब्धियाँ:**
  - **SRB:** राष्ट्रीय SRB वित्त वर्ष **2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24** में 930 हो गया।
  - **शिक्षा:** माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का **सकल नामांकन अनुपात (GER) वर्ष 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2023-24 में 78%** हो गया।
  - **संस्थागत प्रसव:** संस्थागत प्रसव **वर्ष 2014-15 में 61% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 97.3% हो जाएगा।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जागरूकता अभियान: 'सेल्फी विद डॉटर्स' और 'बेटी जन्मोत्सव' जैसे राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से बालिकाओं के महत्त्व को दर्शाया गया।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** कौशल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग से लड़कियों और महिलाओं के लिये **कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी** को बढ़ावा मिला।

मिशन वात्सल्य:

- **मिशन वात्सल्:** इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप **बाल संरक्षण और विकास** करना है।
  - यह **बाल अधिकारों और जागरूकता के समर्थन पर ज़ोर** देता है, साथ ही **किशोर न्याय प्रणाली** को मज़बूत बनाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **"कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।"**
  - इसे शुरू में **एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS)** के नाम से जाना जाता था।
- **उप-योजना:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत **तीन योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं:**
  - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों **के लिये किशोर न्याय कार्यक्रम।**
  - सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिये **एकीकृत कार्यक्रम.**
  - बच्चों के लिये **गृह (शिशु गृह) सहायता योजना।**
- **ICPS के अंतर्गत समेकन (2009-2010):** उपरोक्त तीन योजनाओं को **ICPS** में **विलय** कर दिया गया तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उनका प्रबंधन किया गया।
  - **वर्ष 2017** में, ICPS का नाम बदलकर **बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना** कर दिया गया।
  - CPS को वर्ष 2021-22 से **मिशन वात्सल्य** में एकीकृत कर दिया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

- **PMMVY: PMMVY महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई एक **मातृत्व लाभ योजना** है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद **गर्भवती और स्तनपान** कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **वेतन हानि की भरपाई:** महिलाओं को **वेतन हानि के लिये आंशिक मुआवजा प्रदान करना** ताकि वे गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद पर्याप्त आराम कर सकें।
  - **स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करना:** माँ और बच्चे दोनों के लिये **सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण को बढ़ावा देना।**
  - **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना : संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल को प्रोत्साहित करना।**
- **मुख्य विशेषताएँ: तीन किस्तों में 5,000 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ** प्रदान किया जाता है।
  - **संस्थागत प्रसव** के लिये **जननी सुरक्षा योजना (JSY)** के अंतर्गत अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं, जिससे कुल लाभ **प्रति लाभार्थी 6,000 रुपए** हो जाता है।
- **पात्रता मानदंड:** यह योजना उन **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान** कराने वाली माताओं के लिये है जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हैं तथा जिनकी आयु **19 वर्ष** या उससे अधिक है।
  - इसमें नियमित सरकारी नौकरियों में कार्यरत या अन्य कानूनों के तहत **समान लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं** को शामिल नहीं किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) क्या है?

- **परिचय:** इसे BBBP योजना के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए **बैंक खाते खोलकर** बालिकाओं के भविष्य के लिये **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करना था।
- **खाता पात्रता:** कोई भी निवासी भारतीय बालिका इस कार्यक्रम में भाग ले सकती है, तथा जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है।
  - एक अभिभावक **प्रति बच्चे एक खाता खोल सकता है, तथा जुड़वाँ या तीन बच्चों** को छोड़कर प्रति परिवार अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं।
- **जमा और अंशदान:** न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि **250 रुपए है** तथा वार्षिक **जमा सीमा 1,50,000 रुपए है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसमें 15 **वर्ष** तक जमा किया जा सकता है तथा **कन्या के अठारह वर्ष की होने तक अभिभावक** खाते का प्रबंधन करेंगे।

- **खाता परिपक्वता:** सुकन्या समृद्धि खाता, खाता खोलने की तिथि से **21 वर्ष बाद परिपक्व होता है।** यदि खाताधारक **परिपक्वता से पहले विवाह करना चाहता है तो समय से पहले खाते का समापन किये जाने की अनुमति है।**
- **आहरण: अठारह वर्ष की आयु पूरी करने या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने** के पश्चात्, खाताधारक शिक्षा के लिये पिछले वित्तीय वर्ष की शेष राशि का **50% का आहरण कर सकता है।**
- **खाते का समय-पूर्व समापन:** खाताधारक की मृत्यु या गंभीर बीमारी या अभिभावक की मृत्यु जैसे अनुकंपा कारणों के मामले में, खाते को समयपूर्व बंद किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हालाँकि, खाता खोलने के **पहले पाँच वर्षों के भीतर इसे समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।**
- **10 वर्षों में उपलब्धियाँ: नवंबर 2024** तक, **4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते** खोले गए हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और लड़कियों की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिये दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में लैंगिक संकेतकों में प्रगति से संबंधित प्रमुख आँकड़े क्या हैं?

- **जन्म के समय लिंगानुपात:** प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (SRS) के अनुसार, वर्ष **2014 से 2016** की अवधि में जन्म के समय लिंगानुपात **प्रति 1,000 पुरुषों पर 898 महिला** था जो वर्ष **2018-2020 में बढ़कर 907** हो गया।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) में जन्म के समय लिंगानुपात में **919 (2015-16) से 929** (2019-21) की वृद्धि दर्ज की गई।
- **शैक्षिक लैंगिक अंतराल:** वर्ष 2015-16 में, उच्च शिक्षा में महिलाओं का **सकल नामांकन अनुपात (GER) 23.5% था, जो पुरुषों की तुलना में 1.9 प्रतिशत कम था।** हालाँकि, AISHE 2021-2022 **के अनुसार** वर्तमान में महिलाओं का **GER पुरुषों की अपेक्षा 0.2 प्रतिशत अधिक है।**
  - **माध्यमिक** और **उच्चतर माध्यमिक** शिक्षा स्तर पर, वर्ष 2015-16 के बाद से महिला नामांकन पुरुष नामांकन से **अधिक अथवा एकसमान** हो गया।
- **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर:** मातृ मृत्यु दर **घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गई,** जबकि शिशु मृत्यु दर **घटकर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28** हो गई।
- **संस्थागत प्रसव:** देश भर में **संस्थागत प्रसव** लगभग **शत प्रतिशत** हो चुका है।

निष्कर्ष

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना** ने भारत में **महिलाओं का सशक्तीकरण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई है। **लिंगानुपात, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और कन्याओं के लिये वित्तीय सुरक्षा में सुधार** के साथ, इन पहलों ने वैश्विक महिला-नेतृत्व वाले विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए एक **अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण** में योगदान दिया है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के जेंडर-संबंधी संकेतकों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के प्रभाव की विवेचना कीजिये।

मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण और विस्तार संबंधी परिस्थितियाँ

चर्चा में क्यों?

कोलकाता के एक न्यायालय ने **आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल** में एक डॉक्टर के **बलात्कार** और **हत्या** के मामले में दोषी व्यक्ति को **आजीवन कारावास** के लिये दण्डादेशित किया जबकि CBI ने उक्त व्यक्ति को **मृत्युदंड** दिये जाने के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिये थे।

- हालाँकि ***बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले, 1980*** में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने अभिपुष्ट किया कि इस मामले में मृत्युदंड **सांविधानिक** है **किंतु मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण और विस्तार संबंधी** परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इसे **"दुर्लभ से दुर्लभतम"** माना जाना चाहिये।

मृत्युदंड की गुरुतकारी और शमनकारी परिस्थितियाँ कौन-सी हैं?

- **मृत्युदंड: गुरुतकारी (दंड बढ़ाने वाली) और शमनकारी (घटाने वाली)** परिस्थितियां वे कारक हैं जिन पर न्यायालय, विशेष रूप से मृत्युदंड के मामले में, **दंड की गंभीरता तय करते समय विचार करते हैं,।**
  - गुरुतकारी परिस्थितियों की दशा में **न्यायालय मृत्युदंड दिये जाने की ओर अग्रसर होता है,** जबकि शमनकारी परिस्थितियों की दशा में **न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिये जाने की संभावना कम होती जाती है।**
- **मार्गदर्शक कारक:** सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड किस दशा में लागू किया जाना चाहिये, यह निर्धारित करने के लिये **विशिष्ट गुरुतकारी और शमनकारी परिस्थितियाँ** प्रदान **नहीं कीं, बल्कि** मार्गदर्शक कारकों की एक **अपूर्ण सूची प्रदान की।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गुरुतकारी परिस्थितियाँ:**
  - यदि हत्या **पूर्व नियोजित, सुनियोजित** और **अत्यधिक क्रूरतापूर्ण** हो।
  - यदि हत्या में "**असाधारण दुराचारिता**" शामिल है
  - यदि अभियुक्त, ड्यूटी पर रहते हुए या वैध कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी **लोक सेवक, पुलिस अधिकारी या सशस्त्र बल** के कर्मी की हत्या का दोषी है।
- **शमनकारी परिस्थितियाँ:**
  - क्या अपराध के समय अभियुक्त **अत्यधिक मानसिक या संवेगात्मक विक्षोभ** का अनुभव कर रहा था।
  - अभियुक्तों की आयु; यदि उनकी आयु **अत्यंत कम अथवा बहुत अधिक है तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।**
  - अभियुक्त द्वारा **समाज के लिये निरंतर खतरा उत्पन्न किये जाने की संभावना।**
  - अभियुक्त के **सुधार** की संभावना।
  - यदि अभियुक्त **किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर कार्य कर रहा था।**
  - यदि अभियुक्त को विश्वास हो कि उनके कार्य **नैतिक रूप से उचित** थे।
  - यदि अभियुक्त **मानसिक रूप से पीड़ित है** और अपने कृत्य की आपराधिकता को समझने में असमर्थ है।

बच्चन सिंह मामले के बाद किस प्रकार से उग्र और शमनकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं?

- **अभियुक्त की आयु:** ***रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला, 2012*** तथा ***रमेश बनाम राजस्थान राज्य मामला, 2011*** जैसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने **अभियुक्त की आयु (30 वर्ष से कम)** को एक मज़बूत निवारक कारक माना, तथा उनमें सुधार की संभावना पर विश्वास किया।
  - ***शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2013*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में अंतर करके सजा की **व्यक्तिपरक प्रकृति पर प्रकाश डाला जहाँ आयु एक कम** करने वाला कारक था।
  - **वर्ष 2015 में जारी 262वें विधि आयोग की रिपोर्ट** में कहा गया है कि अपराध को कम करने वाले कारक के रूप में आयु का प्रयोग **बहुत असंगत रूप** से किया गया है।
- **अपराध की प्रकृति:** उच्चतम न्यायालय ने **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले,** 1983 में निर्णय दिया था कि मृत्युदंड तब दिया जा सकता है जब समाज की "**सामूहिक अंतरात्मा (Collective Conscience)**" इतनी क्षुब्ध हो कि न्यायपालिका से इसे लागू करने की अपेक्षा की जाती है।
  - इसने अपराधी की **परिस्थितियों और सुधार की संभावना की तुलना में अपराध की प्रकृति** पर अधिक ज़ोर देने की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
- **सुधार की संभावना:** ***संतोष बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2009*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को **स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि दोषी सुधार या पुनर्वास के लिये अयोग्य** क्यों है।
  - **262वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, 2015 में बरियार मामले** में साक्ष्य की आवश्यकता को सजा सुनाने में **निष्पक्षता के लिये "आवश्यक"** बताया गया है।
- **मुकदमे का चरण:** बच्चन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अदालतों को **दोषसिद्धि के बाद एक अलग मुकदमा चलाना चाहिये** ताकि इस बात पर "**वास्तविक, प्रभावी और सार्थक सुनवाई" हो सके** कि मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिये।
  - ***दत्तात्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2020*** में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उचित सुनवाई का अभाव **मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने** का एक वैध कारण था।

मृत्युदंड क्या है?

- मृत्युदंड: मृत्युदंड (Capital punishment), भारतीय न्यायिक प्रणाली में सजा का **सबसे कठोर रूप है** क्योंकि इसमें अन्य प्रकार की सजाओं की तरह निष्पादन के बाद **परिवर्तन नही किया जा सकता है।**
  - इसमें **राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को** गंभीर अपराधों के लिये दंड स्वरूप मृत्युदंड दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कानूनी ढाँचा:** भारत में मृत्युदंड **भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** और अन्य विशेष कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
  - **BNS बलात्संग से मृत्यु (धारा 66), नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्संग (धारा 70(2)), बार बार बलात्संग (धारा 71)** और अन्य अपराधों के लिये मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
  - मृत्यु दंड योग्य अपराधों में **हत्या (धारा 302), आतंकवाद (UAPA, 1967) और NDPS अधिनियम, 1985** के तहत कुछ मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध शामिल हैं।

मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कौन से फैसले हैं?

- ***जगमोहन सिंह मामला, 1972:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **मृत्युदंड** की संवैधानिकता को **बरकरार रखा** तथा निर्णय दिया कि **यदि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए** तथा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए तो मृत्युदंड दिया जा सकता है।
- ***शत्रुघ्न चौहान मामला, 2014:*** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मृत्युदंड के **निष्पादन में अधिक विलंब, सजा को आजीवन कारावास** में बदलने का एक वैध आधार हो सकता है।
- ***मनोज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला, 2022:*** सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी की परिस्थितियों की **गहन जाँच** का आदेश दिया और **सज़ा सुनाने के लिये संतुलित दृष्टिकोण** पर प्रकाश डाला।
- **मृत्युदंड पर *स्वप्रेरणा रिट, 2022: स्वप्रेरणा*** रिट में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी की मृत्युदंड के खिलाफ बहस करने हेतु **"सार्थक अवसर"** देने के मुद्दे को निष्पक्ष सुनवाई के क्रम में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा।

मृत्युदंड पर विधि आयोग का क्या दृष्टिकोण है?

- **35वीं रिपोर्ट, 1967:** वर्ष 1967 में विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट में **मृत्युदंड का समर्थन** किया गया।
- **187वीं रिपोर्ट, 2003:** वर्ष 2003 में विधि आयोग की 187वीं रिपोर्ट में सज़ा सुनाने में **प्रक्रियागत खामियों** को स्वीकार किया गया, हालांकि इसमें इसे समाप्त करने की वकालत नहीं की गई।
- **262वीं रिपोर्ट, 2015:** वर्ष 2015 में विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट में **आतंकवाद** और संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों के लिये **मृत्युदंड को समाप्त** करने का आह्वान किया गया था।

विश्व भर में मृत्युदंड की स्थिति

- वर्ष 2022 के अनुसार **55 देशों में मृत्युदंड** का प्रावधान है जिनमें से **9 देशों ने** इसे सबसे गंभीर अपराधों जैसे **हत्याओं या युद्ध अपराधों** के संदर्भ में लागू करने का प्रावधान किया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **जापान ही ऐसे उन्नत औद्योगिक लोकतंत्र** हैं जहाँ अभी भी मृत्युदंड का प्रचलन है।
- वर्ष 2022 तक **112 देशों ने** मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है जबकि **वर्ष** 1991 में **यह संख्या** 48 थी।
  - **वर्ष 2022 में कज़ाखस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सिएरा लियोन** और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जबकि **इक्वेटोरियल गिनी** और जाम्बिया ने इसे सबसे गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया।
- इस तरह के **मामलों में** 91% हिस्सेदारी **पाँच देशों (चीन, ईरान, पाकिस्तान, सूडान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका) की रही**।

निष्कर्ष

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **अपराधों की गंभीरता तथा सुधार की संभावना** दोनों को शामिल करने के लिये विकसित हुए हैं जिसमें सज़ा में निष्पक्षता पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। न्यायालय ने **दोनों कारकों** पर विचार करते हुए एक **संतुलित दृष्टिकोण** पर बल दिया है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के विकास का विश्लेषण कीजिये।

मनरेगा भुगतान में विलंब

चर्चा में क्यों?

इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (आईजेएलई) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि केंद्र सरकार पर **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

(MGNREGA) योजना के श्रमिकों को विलंबित मज़दूरी के रूप में **39 करोड़ रुपए** बकाया हैं।

- अध्ययन में वर्ष **2021-22 में 31.36 मिलियन वेतन लेनदेन का विश्लेषण किया गया** और पाया गया कि **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)** तथा **जाति-आधारित वेतन वितरण** ने भुगतान की गति में सुधार करने के बजाय देरी का कारण बना है।

मनरेगा भुगतान से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **ABPS की अकुशलता:** जनवरी, 2024 में ABPS की अनिवार्यता के बाद केवल **43% मनरेगा श्रमिक** ही इसके लिये पात्र थे।
  - ABPS के कारण **देशभर में हुई अघोषित देरी की क्षतिपूर्ति राशि 400 करोड़ रुपए तक हो सकती है,** जो भुगतान को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता में सुधार लाने के सरकार के दावे के विपरीत है।
- **अपर्याप्त निधि:** भुगतान में देरी का कारण मुख्य रूप से **केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि का अपर्याप्त** होना है।
  - वित्त वर्ष 2021-22 में **केवल 29%** भुगतान ही अनिवार्य 7-दिवसीय अवधि के अंदर संसाधित किये गए।
- **बजट आवंटन में कमी:** अध्ययन में **मनरेगा के लिये वित्तपोषण की कमी** पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में बजट आवंटन **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का केवल **0.41%** (जो ग्रामीण रोज़गार की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक स्तर से काफी कम है) था।
  - कोविड-महामारी (**वर्ष 2020-21) के दौरान यह केवल 0.56%** था, जो **वित्त वर्ष 2023-24** एवं **वित्त वर्ष 2024-25 में** घटकर 0.2% रह गया।
  - शोधकर्त्ताओं का सुझाव है कि **पूर्ण कार्य मांग को पूरा करने के लिये** इसका बजट कम से कम 4 गुना (अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.2% से 1.5%) अधिक होना चाहिये।
- **जाति-आधारित मजदूरी भुगतान और असमानताएँ:** वर्ष 2021 में शुरू किये गए **जाति-आधारित मजदूरी पृथक्करण (जिसके तहत भुगतान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 'अन्य' श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया) के बाद यह देखा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की तुलना में 'अन्य' जाति के श्रमिकों के लिये भुगतान में देरी हुई।
  - **'अन्य' जाति** के केवल 33% भुगतान 7 दिनों के अंदर संसाधित किये गए, जबकि **अनुसूचित जनजातियों** के लिये यह **आँकड़ा 42%** तथा **अनुसूचित जातियों के लिये 47%** था।

मनरेगा अधिनियम क्या है?

- **परिचय:**
  - यह सामाजिक सुरक्षा के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।
  - इसे **वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय** के तहत अधिनियमित किया गया था।
- **उद्देश्य: अकुशल शारीरिक कार्य** करने के इच्छुक पंजीकृत वयस्क ग्रामीण परिवारों को **कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार** उपलब्ध कराना।
- **कवरेज:** यह योजना **100% शहरी आबादी वाले ज़िलों को छोड़कर** पूरे देश में लागू है।
- **मांग-आधारित ढाँचा: मांग के आधार पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है; यदि 15 दिनों के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है,** तो श्रमिक **बेरोज़गारी भत्ते के हकदार** होते हैं, जो पहले 30 दिनों के लिये **न्यूनतम पारिश्रमिक का एक-चौथाई** और उसके बाद न्यूनतम पारिश्रमिक का आधा होता है।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** इस योजना में **आधारिक स्तर पर नियोजन किये जाने पर ज़ोर दिया जाता है,** जिसमें कम से कम **50% कार्य** ग्रामसभा की सिफारिशों के आधार पर **ग्राम पंचायतों** द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- **निधि साझाकरण: केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का 100%** और सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि **राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% योगदान देती हैं,** जिससे कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पारिश्रमिक भुगतान तंत्र:** योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक, **राज्य-विशिष्ट न्यूनतम पारिश्रमिक दरों पर आधारित होती है** और पारदर्शिता के लिये प्रत्यक्ष रूप से **श्रमिकों के बैंक या आधार-लिंक्ड खातों में इसका भुगतान किया जाता है।**
    - विलंबित भुगतान के लिये **प्रतिदिन अवैतनिक पारिश्रमिक की 0.05% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती जाता है,** जो **उपस्थिति नामावली (Muster Roll) का समापन किये जाने के 16वें दिन से शुरू होता है।**
- **दुर्घटना प्रतिपूर्ति:** कार्यस्थल पर घायल हुए श्रमिक **प्रतिपूर्ति के पात्र होते हैं** तथा मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में परिवारों को **अनुग्रह (Ex-Gratia) राशि** प्रदान की जाती है।
    - MGNREGA लाभार्थियों में **एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है,** जिससे पारिश्रमिक और कार्य के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

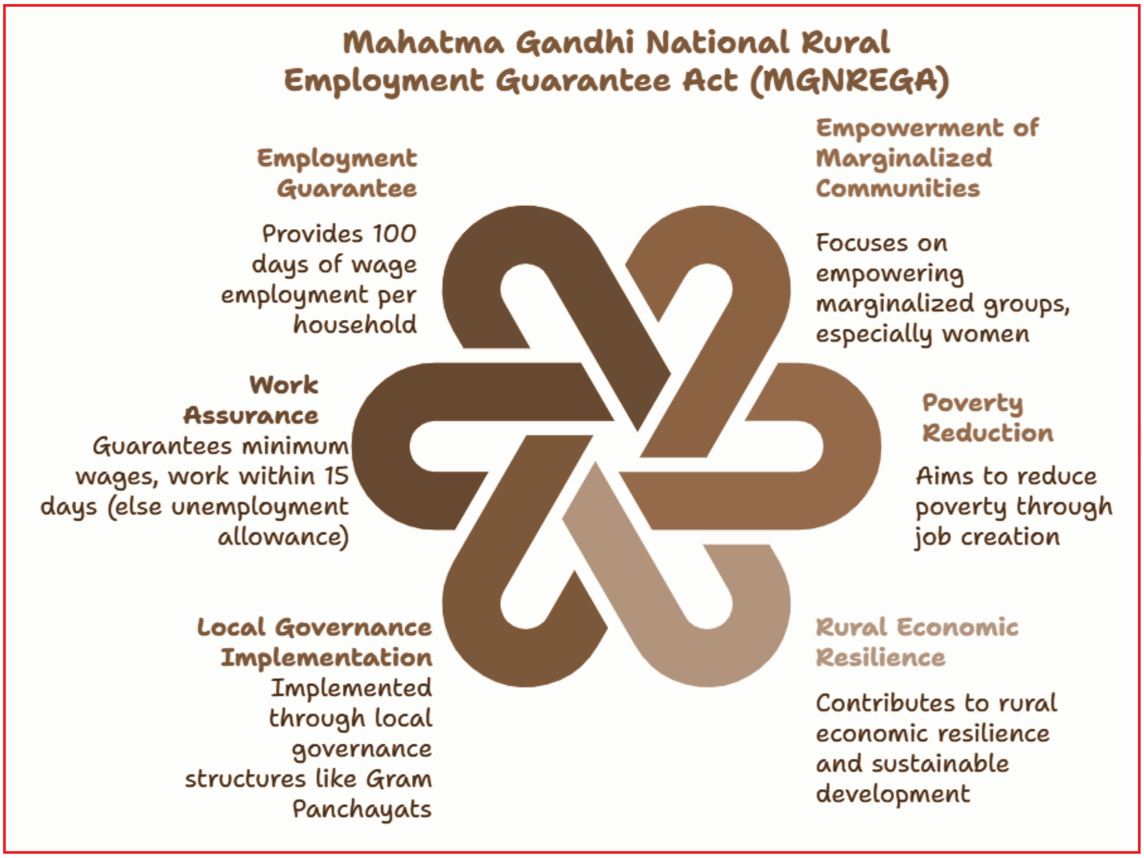

MGNREGA पर प्रमुख नवीनतम आँकड़े

- **बजट 2024-25:**
    - **मनरेगा आवंटन:** मनरेगा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए था जो **वित्त वर्ष 2024-25 में** बढ़कर **86,000 करोड़ रुपए हो गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पारिश्रमिक दर में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूनतम औसत पारिश्रमिक दर में **7% की वृद्धि हुई।**

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
  - **महिला भागीदारी:** मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 54.8% थी जो **वित्त वर्ष 2023-24 में** बढ़कर **58.9% हो गई।**
  - **जियोटैगिंग और पारदर्शिता:** मनरेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से परिसंपत्तियों की **जियोटैगिंग के साथ 99.9% भुगतान सटीकता** सुनिश्चित करता है।

मनरेगा योजना को प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **पर्याप्त बजट आवंटन:** सरकार को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, **ग्रामीण रोज़गार की बढ़ती मांग** को पूरा करने और **श्रमिकों की गरिमा और आजीविका की रक्षा** करने के लिये **मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धि** करनी चाहिये।
- **डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार:** सरकार को ABPS जैसी **डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार** करना चाहिये, तकनीकी बाधाओं को दूर करना चाहिये, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना चाहिये और विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिये **पहुँच और उपयोगकर्त्ता-मित्रता** सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना:** सरकार को **देरी के लिये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, मनरेगा प्रावधानों** के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिये, और समय पर मजदूरी संवितरण सुनिश्चित करने के लिये **रिपोर्टिंग, निगरानी और शिकायत निवारण प्रणालियों में सुधार** करना चाहिये।
- **भावी सुधार:** भावी सुधारों में **कुशल,** पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन वितरण **सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जाति-आधारित असमानताओं से बचना** चाहिये और सभी श्रमिकों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के उद्देश्यों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसकी चुनौतियों का समाधान करने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

BOCW अधिनियम, 1996 से संबंधित निधियों का सीमित उपयोग

चर्चा में क्यों?

सूचना के अधिकार (RTI) से पता चला है कि विभिन्न राज्यों के कल्याण बोर्ड **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम,** 1996 के तहत एकत्रित **70,744 करोड़ रुपए के कुल उपकर का उपयोग करने में विफल** रहे हैं।

BOCW अधिनियम, 1996 क्या है?

- **परिचय:** इसका उद्देश्य **भारत में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों** के अधिकारों, कल्याण एवं कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है।
  - **इसके तहत इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपायों पर ध्यान देने के साथ रोज़गार विनियमों को प्रबंधित करना शामिल है जिससे सबसे कमज़ोर श्रम क्षेत्रों में से एक के रूप में इसमें बेहतर कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित हो सकें।**
  - यह अधिनियम **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के सिद्धांतों के अनुसार तैयार (**विशेष रूप से विनिर्माण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या** 167 के अनुरूप) किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **कल्याणकारी उपाय:** सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों को **नियोक्ताओं से 1% से 2% तक उपकर एकत्र** करने का अधिकार दिया गया है।
  - एकत्रित धनराशि का **उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ** प्रदान करना है जिसमें अस्थायी आवास, पेयजल एवं शौचालय शामिल हैं।
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कल्याण बोर्डों को उपकर निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के क्रम में कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - **सुरक्षा प्रावधान:** इस अधिनियम के तहत 500 से अधिक कर्मकारों को रोज़गार देने वाली साइटों के लिये आपातकालीन **कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान** किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- प्रयोज्यता: यह अधिनियम **10 लाख रुपए** से कम लागत वाली निजी आवासीय विनिर्माण परियोजनाओं को छोड़कर, **10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।**
- **नियोक्ताओं को इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों** के भीतर अपने प्रतिष्ठानों को इसके अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- **प्रवर्तन तंत्र:** मुख्य **श्रम आयुक्त (केंद्रीय)** और उसके क्षेत्रीय कार्यालय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं तथा सुरक्षा और कल्याण उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये नियमित निरीक्षण करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश BOCW कल्याण बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और अधिनियम के तहत एकत्रित उपकर निधि का उपयोग करते हैं।

नोट: वर्ष 1988 में अपनाए गए **ILO कन्वेंशन संख्या 167 (भारत द्वारा अनुसमर्थित) का उद्देश्य निर्माण स्थलों पर कार्य स्थितियों में सुधार हेतु मानक स्थापित करके विनिर्माण उद्योग** में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

BOCW अधिनियम, 1996 के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **एकत्रित उपकर का न्यूनतम उपयोग:** एक प्रमुख चिंता एकत्रित उपकर में 70,744 करोड़ रुपए का न्यूनतम उपयोग है, जो **एकत्रित की गई धनराशि और श्रमिकों को आवंटित लाभ के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर को उज़ागर करता है।**
  - महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने उपकर से क्रमश: 13,683.18 करोड़ रुपए, 7,921.42 करोड़ रुपए और 7,826.66 करोड़ रुपए खर्च किये, जिससे क्रमश: 9,731.83 करोड़ रुपए, 7,547.23 करोड़ रुपए और 6,506.04 करोड़ रुपए शेष रह गए।
    - इन राज्यों में उपकर का अधिशेष, श्रमिकों के कल्याण के लिये निधियों का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
  - केरल को छोड़कर, अधिकांश राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनिक भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिक अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं।
- **उपकर चोरी और गलत रिपोर्टिंग: नियोक्ताओं और बिल्डरों द्वारा** बड़े पैमाने पर **उपकर चोरी** के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं, महाराष्ट्र का उपकर संग्रह **इसकी विनिर्माण गतिविधि के साथ असंगत प्रतीत होता है।**
  - **इसके अतिरिक्त, स्वीकृत विनिर्माण परियोजनाओं की वास्तविक लागत के विवरण में पारदर्शिता का अभाव है।**
- **विलंबित कल्याणकारी उपाय:** श्रमिकों के आवास, जल और स्वच्छता के लिये अधिनियम के प्रावधानों को अनुचित तरीके से लागू किया गया, विशेष रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, जिससे श्रमिकों को सहायता के बिना रहना पड़ा।
  - इसके अतिरिक्त, संकट के दौरान वित्तीय सहायता समेत वादा किये गए कल्याणकारी लाभ अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो अधिनियम की अप्रभावीता को उज़ागर करता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ:** केरल को छोड़कर, अधिकांश राज्य और केंद्रशासित प्रदेश BOCW अधिनियम, 1996 को लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे निर्धारित लाभ सीमित हो रहे हैं।
  - कई राज्य कल्याणकारी बोर्डों का पुनर्गठन करने से बच रहे हैं, जिससे ऐसी चिंताएँ बनी हैं कि कल्याणकारी योजनाओं की अप्रयुक्त धनराशि राज्य के खजाने में चली जाएगी।
- **सामाजिक सुरक्षा पर संहिता का प्रभाव:** प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता (CSS), 2020 उपकर संग्रह को कम कर सकती है, क्योंकि यह नियोक्ताओं को उपकर का स्व-मूल्यांकन करने की अनुमति देती है और उपकर की दर तथा ब्याज को कम करती है।
  - इससे श्रमिकों के अधिकार भी सीमित हो जाते हैं, तथा आवास जैसे आवश्यक लाभ गारंटीकृत होने के बजाय वैकल्पिक हो जाते हैं।

निर्माण श्रमिकों से संबंधित अन्य योजनाएँ

- **निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (NIPUN)**
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY)**
- **आयुष्मान भारत**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
- ई-श्रम

आगे की राह

- **उन्नत निगरानी:** उपकर निधि के उपयोग पर नज़र रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये **स्वतंत्र अंकेक्षण और पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र का क्रियान्वन** किया जाना चाहिये।
  - उपकर संग्रह, आवंटन और उपयोग पर नज़र रखने के लिये ई-श्रम जैसी पहलों **के माध्यम से श्रमिकों के लिये रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** विकसित किये जाने चाहिये।
- **राज्य सरकार की जवाबदेही:** BOCW अधिनियम, 1996 के उचित कार्यान्वयन और उपकर निधि के प्रभावी उपयोग के लिये राज्यों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - प्रभावी रूप से धन का उपयोग करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये अतिरिक्त धन आवंटन को अवधारित किये जाने के साथ **निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये।
- **CSS 2020 की समीक्षा:** प्रस्तावित **CSS, 2020 को** स्वास्थ्य कवरेज जैसे अनिवार्य श्रमिक अधिकारों को बनाए रखने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये।
- **श्रमिक शिक्षा और जागरूकता:** कॉर्पोरेट और निर्माण कंपनियों को BOCW अधिनियम के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर सुरक्षा और पारिश्रमिक के लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोज़गार तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये।

क्रॉसपैथी

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र **FDA के निर्देश** (जिसमें फार्माकोलॉजी प्रमाण-पत्र वाले होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति दी गई है) से "क्रॉसपैथी" के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- इस निर्णय की **भारतीय चिकित्सा संघ (IMA)** ने आलोचना की है, जिसके द्वारा चेतावनी दी गई है कि इससे "**क्रॉसपैथी**" उत्पन्न हो सकती है और मरीजों को नुकसान हो सकता है।

क्रॉसपैथी क्या है?

- **क्रॉसपैथी: क्रॉसपैथी का तात्पर्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के मान्यता प्राप्त दायरे से बाहर दवा** लिखने या अभ्यास करने से है।
  - विशेष रूप से, इसमें वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों (**जैसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)**) के चिकित्सक शामिल होते हैं, जो आमतौर पर एलोपैथिक (आधुनिक) चिकित्सा के लिये आरक्षित उपचार निर्धारित करते हैं।
- **चिंताएँ:** इस पद्धति की अक्सर आलोचना की जाती है, क्योंकि इससे **गलत निदान, अनुचित उपचार और रोगी की सुरक्षा** को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये चिकित्सक आधुनिक चिकित्सा की विधियों एवं प्रथाओं में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं।
- **विनियम और कानूनी मिसालें:**
  - **MCI आचार संहिता 2002 : भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,** 1956 के तहत **भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम,** 2002 की स्थापना की, जो अयोग्य व्यक्तियों को गर्भपात जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन करने या चिकित्सा क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से प्रतिबंधित करता है।
    - इसमें यह भी प्रावधान है कि योग्य चिकित्सक चिकित्सा कार्यों के लिये गैर-योग्य कर्मियों को नियुक्त नहीं कर सकते।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:** वर्ष 1996 के एक ऐतिहासिक मामले, ***पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल में,*** **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने एक होम्योपैथ को **एलोपैथिक दवाएँ लिखने में लापरवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया,** जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो गई।
  - न्यायालय ने फैसला दिया कि क्रॉस-सिस्टम प्रैक्टिस चिकित्सा लापरवाही का मामला है।
  - बाद के निर्णयों में इसे बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि **क्रॉसपैथी केवल तभी स्वीकार्य है जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत** किया गया हो।

क्रॉसपैथी को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

- **विशेषज्ञों की कमी:** भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता 2022-23 पर एक रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80% कमी पर प्रकाश डाला गया है,** जहाँ केवल 4,413 विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि **21,964** की आवश्यकता है।
- सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने** के लिये आयुष डॉक्टरों को बढ़ावा दे रही है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का विस्तार:** जून 2022 तक, भारत में **13 लाख से अधिक** एलोपैथिक डॉक्टर और 5.5 लाख से अधिक आयुष चिकित्सक थे।
  - भारत का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात **1:836** है, जो **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक 1:1000** से अधिक है, लेकिन अधिकांश डॉक्टर **शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच** सीमित हो जाती है।
  - क्रॉसपैथी उन दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार करती है जहाँ **एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी है,** तथा यह ग्रामीण मरीजों के लिये किफायती विकल्प उपलब्ध कराती है जो विशेषज्ञों या शहरी सुविधाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं।
  - **खराब कार्य परिस्थितियों और कम पारिश्रमिक** MBBS डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने से प्रतिबंधित करते हैं।

भारत में क्रॉसपैथी के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- **IMA की चिंताएँ:** IMA ने महाराष्ट्र FDA के नवीनतम निर्देश की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019** आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी का अभ्यास करने के लिये अधिकृत नहीं करता है।
  - महाराष्ट्र का निर्णय राष्ट्रीय नीतियों के विपरीत है, क्योंकि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद भी होम्योपैथों को एलोपैथी पद्धति से उपचार करने की अनुमति नहीं देती है।
  - IMA का कहना है कि इस तरह की प्रथाएँ **मरीजों की सुरक्षा के लिये हानिकारक** होंगी तथा इससे लापरवाही या **कदाचार** की संभावना बढ़ सकती है।
  - IMA का तर्क है कि यह "क्रॉसपैथी" को बढ़ावा देता है, तथा चिकित्सा योग्यताओं और विशेषज्ञताओं की अखंडता को कमज़ोर करता है।
- **देखभाल की गुणवत्ता:** इससे स्वास्थ्य सेवा के मानक से समझौता होता है, क्योंकि आयुष चिकित्सकों के पास आधुनिक चिकित्सा में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है।
- **अस्पताल की कार्यप्रणाली:** यह निर्देश आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक भूमिकाओं में नियुक्त करने को प्रोत्साहित करता है, जो चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन है और **बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS)** या आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों के लिये **रोज़गार के अवसरों को कम करने** में योगदान देता है।

भारतीय चिकित्सा संघ (IMA)

- वर्ष 1928 में स्थापित IMA भारत में डॉक्टरों के लिये सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा में सुधार और चिकित्सा पेशे की गरिमा की रक्षा पर केंद्रित है।
- IMA का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है, जो स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- **GP प्रणाली को मज़बूत करना:** वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सकों को एकीकृत करने के बजाय, ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रोत्साहन और कार्य स्थितियों** में सुधार करके, वंचित क्षेत्रों में **MBBS डॉक्टरों को आकर्षित करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - **मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये विशेषज्ञ प्रशिक्षण अनिवार्य** करके भारत की जनरल प्रैक्टिस (GP) प्रणाली को मज़बूत करना।
- **आयुष और एलोपैथी का विनियमन:** सरकार को आयुष चिकित्सकों के लिये एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ काम करने हेतु एक विनियमित ढाँचा बनाना चाहिये, जिसमें उनकी **भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित** हो।
  - उन्हें **चिकित्सा नियामक निकायों** की देखरेख में एलोपैथिक दवाओं को सुरक्षित रूप से निर्धारित करने के लिये **आधुनिक चिकित्सा,** विशेषकर फार्माकोलॉजी **में अतिरिक्त प्रशिक्षण** प्राप्त करना होगा।
- **टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना:** टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी) सुरक्षा से समझौता किये बिना प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके ग्रामीण रोगियों और शहरी विशेषज्ञों के बीच अंतर को कम कर सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. क्रॉसपैथी को परिभाषित कीजिये और रोगी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिये। भारत में क्रॉस-सिस्टम चिकित्सा को नियंत्रित करने वाले कानूनी उदाहरणों और विनियमों पर चर्चा कीजिये।

लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

निजी क्षेत्र के पेशेवरों को अनुबंध पर वरिष्ठ नौकरशाही में शामिल होने में सक्षम बनाने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES), विधिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विवाद का मुद्दा बनी हुई है।

- इसके तहत वर्ष 2019 से अब तक 63 **नियुक्तियाँ** की जा चुकी हैं लेकिन **वैधानिक ढाँचे की कमी** और हाशिये पर स्थित समुदायों के **आरक्षण** को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

नोट: इससे संबंधित कानूनी विवाद **फरवरी 2020** में शुरू हुआ जब IFS अधिकारी **संजीव चतुर्वेदी ने विधिक एवं प्रक्रियात्मक जटिलता** का हवाला देते हुए नैनीताल **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)** के समक्ष लेटरल एंट्री स्कीम को चुनौती दी।

लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक वैधता:** इसे संविधान के **अनुच्छेद 309** के साथ विरोधाभासी बताते हुए चुनौती दी गई थी, जो **उपयुक्त विधायिका (संसद, राज्य विधानसभा) को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित** करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है।
  - इसके अलावा, **भर्ती में आरक्षण को समाप्त करना सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदेशों** को कमज़ोर करता है।
- **लघु कार्यकाल:** लेटरल एंट्री के लिये 3 वर्ष का कार्यकाल **प्रभावी शासन अनुकूलन** और **जवाबदेही के लिये बहुत छोटा** माना जाता है।
- **आनंद का सिद्धांत और सामूहिक भर्ती:** सरकार अनुच्छेद 310 के तहत LES को उचित ठहराती है, जो **राष्ट्रपति को विशेषज्ञों की नियुक्ति** करने की अनुमति देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह वरिष्ठ, अस्थायी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती के लिये नहीं है।
  - अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए, इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि प्रत्येक रिक्ति के लिये 18 पैनलबद्ध अधिकारी हैं।
- **हितों का टकराव:** चिंताओं में **निजी क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की संभावित पूर्वाग्रहता** तथा **पृष्ठभूमि जाँच** और **सतर्कता मंज़ूरी** जैसी **सख्त जाँच का अभाव** शामिल है।
- **नौकरशाही मनोबल संबंधी चिंताएँ:** लेटरल एंट्री की संख्या में वृद्धि से **व्यावसायिक नौकरशाहों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है। वे **लेटरल एंट्री का विरोध** कर सकते हैं, उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं और पदानुक्रम और व्यवधान की चिंताओं के कारण संभावित रूप से शत्रुता को बढ़ावा दे सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

लेटरल एंट्री स्कीम (LES) से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- LES: **वर्ष 2018** में शुरू की गई **LES एक भर्ती प्रक्रिया** है जो **निजी क्षेत्र के पेशेवरों** को सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दरकिनार करते हुए **सीधे मध्य-स्तर या वरिष्ठ सरकारी पदों पर** नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करती है ।
  - उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, **जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष** तक बढ़ाई जा सकती है।
- **आरक्षण प्रावधान:** लेटरल एंट्री को **"एकल पद"** माना जाता है, इसलिये इन्हें **SC, ST, OBC और EWS** श्रेणियों के लिये आरक्षण प्रणाली के कोटा के अधीन नहीं रखा गया है।
- **भर्ती:** वर्ष 2018 से अब तक 63 लेटरल प्रवेशकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 57 अगस्त, 2023 तक सेवारत होंगे।
  - **आरक्षण अधिकारों** को लेकर प्रतिरोध के कारण, UPSC ने अगस्त, 2024 में LEC के तहत **45 वरिष्ठ पदों** पर भर्ती रोक दी।

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के क्या लाभ हैं?

- **विशिष्ट विशेषज्ञता:** लेटरल एंट्री प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में **विशेषज्ञों की भर्ती को सक्षम बनाता है, जिससे ज्ञान संबंधी अंतराल** को संबोधित किया जाता है, जिसकी पूर्ति सामान्य सिविल सेवक द्वारा नहीं की जा सकती है।
- **कुशल संचालन:** लेटरल एंट्री से लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने और सरकारी एजेंसियों के कुशल संचालन में मदद मिल सकती है।
- **कार्य संस्कृति में सुधार:** पार्श्व प्रवेशकर्त्ता **लालफीताशाही** से दूर होकर **अधिक गतिशील, परिणाम-उन्मुख** शासन की ओर बदलाव को बढ़ावा देते हुए नौकरशाही निष्क्रियता में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं।
- **समावेशी शासन:** पार्श्व प्रवेश से **निजी क्षेत्र और गैर-लाभकारी संस्थाओं सहित हितधारकों की अधिक भागीदारी संभव** होती है, जिससे सहभागी शासन और बहु-अभिनेता सहयोग में वृद्धि होती है।

आगे की राह

- **दोहरी प्रवेश प्रणाली:** भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर **डी. सुब्बाराव** ने एक दोहरी प्रवेश प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें **25 से 30 वर्षीय आयु वर्ग के लिये परंपरागत भर्ती** तथा संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने के उद्देश्य से **37 से 42 वर्षीय आयु वर्ग के लिये मध्य-करियर पार्श्व प्रवेश** की व्यवस्था थी।
  - **युवा, गतिशील प्रतिभा युक्त व्यक्तियों** को आकर्षित करने हेतु **संयुक्त सचिव पदों के लिये आयु सीमा में छूट दिये जाने का सुझाव दिया गया था।**
- **पार्श्व प्रवेशकर्त्ताओं के लिये प्रशिक्षण:** निजी क्षेत्र से सरकारी भूमिकाओं में **पार्श्व प्रवेशकर्त्ताओं के संक्रमण को सरल बनाने** के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **समर्पित प्रशासनिक विश्वविद्यालय** की स्थापना की जानी चाहिये।
- **निजी क्षेत्र का अनुभव: IAS और IPS अधिकारियों को निजी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति** देने से शासन में प्रतिस्पर्द्धा, नवाचार और क्षेत्रीय विशेषज्ञता बढ़ सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सरकार की लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री की योजना क्या है? इसके गुणागुण और निहितार्थ क्या हैं?

'एक राष्ट्र, एक समय'

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) और **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार **विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय (IST)) नियम, 2025** का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में **भारतीय मानक समय (IST)** के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना तथा "एक राष्ट्र, एक समय" के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है।

- सिद्धांत का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में **भारतीय मानक समय को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना, साथ ही "एक राष्ट्र, एक समय"** के दृष्टिकोण को समझना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विधिक माप विज्ञान (MST) नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **IST को अनिवार्य रूप से अपनाना:** CSIR-NPL द्वारा स्थापित IST, **भारत में अनिवार्य कानूनी रूप से प्राप्त समय मानक** होगा, जो **"एक राष्ट्र, एक समय"** को निर्दिष्ट करता है।
  - जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, विदेशी समय संदर्भों - **जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)** समय का उपयोग निषिद्ध होगा।
- **महत्त्वपूर्ण घटकों का समन्वय:** सभी **सरकारी बैंकों, वित्तीय शेयरधारकों, वित्तीय संस्थानों और डिजिटल परामर्शदाताओं** को अपने समूह को IST के साथ समन्वयित करना होगा।
- **संस्थागत संरचना: संरचना** की **निगरानी अवधिक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम** से की जाएगी और संरचना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- **विशेष प्रावधान:** वैकल्पिक समय संदर्भों का उपयोग **सरकार के पूर्व अनुमोदन** के साथ नौवहन अनुप्रयोगों, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा सकता है।
  - ये नियम **सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों** के लिये लचीलापन प्रदान करते हैं।

भारतीय मानक समय

- भारतीय मानक समय (IST) **82.5 डिग्री देशांतर** पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रता है।
- यह **ग्रीनविच मीन टाइम (GMT)** से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसे वर्तमान में **यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम (UTC)** कहते हैं।
  - IST की स्थापना वर्ष 1906 में ब्रिटिश काल के **तीन क्षेत्रीय टाइम ज़ोन (बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास समय)** को प्रतिस्थापित कर की गई थी।

एक राष्ट्र, एक समय क्या है?

- **परिचय:** *'एक राष्ट्र, एक समय' का* उद्देश्य सभी सरकारी, औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक संस्थानों के लिये एक **एकीकृत और सुव्यवस्थित समय-निर्माण संरचना** स्थापित करना है।
  - सरकार ने काल प्रसार में माइक्रोसेकंड स्तर की सटीकता लाने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाँच **विधिक मापविज्ञान प्रयोगशालाएँ** स्थापित किये जाने की योजना बनाई है।
- **आत्मनिर्भर टाइम-कीपिंग की आवश्यकता:**
- भारत इस संदर्भ में GPS उपग्रहों (अमेरिका द्वारा नियंत्रित) पर निर्भर है जिससे इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, इस निर्भरता के कारण ही दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने की भारत की क्षमता प्रभावित हुई थी।
  - इस दृष्टि से आत्मनिर्भर प्रणाली की सहायता से भारत की निर्भरता कम होगी और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- **प्रकार्य:** NPL, **भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन (Navigation with Indian Constellation-NavIC) के माध्यम से तुल्यकालित**, सटीक समय प्रदान करने हेतु **परमाणु घड़ियों** के उपयोग पर आधारित होगा।
  - NPL की उन्नत परमाणु घड़ियाँ, जिनमें लाखों वर्षों में केवल एक सेकंड का अंतराल (परिशुद्धता स्तर) आता है, IST के लिये संदर्भ की भूमिका निभाएंगी।
  - **नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP)** और **प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP)** जैसे सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोटोकॉल को सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा अपनाया जाएगा।
- **लाभ: 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन** और **पावर ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उच्च परिशुद्धता के साथ संचालन करेंगे।
  - **वित्तीय लेन-देन** अधिक धोखाधड़ी-रोधी हो जाएँगे और विनियामक अनुपालन अधिक सटीक होगा।
  - डिजिटल उपकरणों और **संचार नेटवर्क को तुल्यकालित किया जाएगा**, जिससे परिचालन दक्षता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा।
  - भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूती मिलने से यह **वैश्विक तकनीकी निवेश** के लिये एक आकर्षक केंद्र बनेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अंतर्राष्ट्रीय विमानन और दूरसंचार मानकों** जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वय बढ़ेगा।

नाविक (NavIC)

भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन, जिसे NavIC भी कहा जाता है, एक स्टैंड-अलोन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जो GPS के समान है।

निर्माण

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**इसरो**) द्वारा

उपग्रहों की संख्या और स्थिति

- 8 (केवल 7 सक्रिय): 3 भूस्थिर कक्षाओं में और 4 भू-समकालिक कक्षाओं में

जाना जाता था

- यह पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) नाम से जाना जाता था

NavIC को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन **(IMO)** द्वारा **2020** में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिये वर्ल्ड-वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम **(WWRNS)** के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी।

संभावित उपयोग

- **नेविगेशन:** स्थलीय, हवाई और समुद्री
- वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन
- सटीक समय (ए.टी.एम. और पावर ग्रिड के लिये);
- **संसाधन निगरानी:** सर्वेक्षण और भूगणित, वैज्ञानिक अनुसंधान
- जीवन की सुरक्षा संबंधी चेतावनी का प्रसार
- **मोबाइल फोन के साथ एकीकरण**

महत्त्व

- नागरिक और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिये **वास्तविक समय की जानकारी**
- **भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता** कम हुई
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी **उन्नति**
- **क्षेत्रीय एकीकरण** और भारत का कूटनीतिक सद्भावना संकेत

मुद्दे

- तारामंडल उपग्रहों की **परिचालन जीवन अवधि बढ़ रही है**
- मोबाइल फोन में NavIC के साथ **अनुकूलता का अभाव है**
- **NavIC का सीमित कवरेज** (भारत से परे केवल 1,500 किमी. तक फैला हुआ)

अन्य नेविगेशन सिस्टम

वैश्विक सिस्टम:

- अमेरिका का GPS, रूस का **ग्लोनास**, यूरोपीय संघ का **गैलीलियो**, चीन का **बाइडू**

क्षेत्रीय प्रणालियाँ:

- जापान से **QZSS-ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम (QZSS)**।

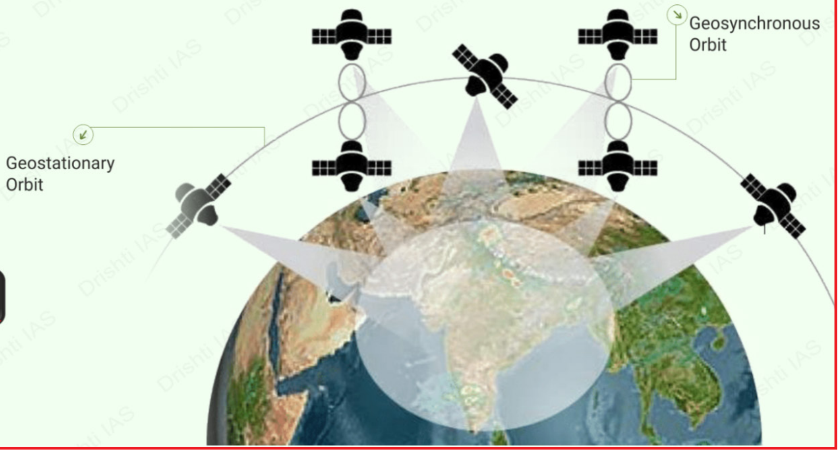

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

CSIR- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

- NPL भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है। इसकी आधारशिला **वर्ष 1947 में** **जवाहरलाल नेहरू** ने रखी थी और इसका औपचारिक उद्घाटन **वर्ष 1950 में** **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने किया था।
- **कार्य:** यह **मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पीयर और कैंडेला** सहित अंतर्राष्ट्रीय **प्रणाली (SI मात्रक)** पर आधारित भौतिक माप इकाइयों को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - NPL द्वारा उद्योगों को सटीक माप में सहायता प्रदान करने के साथ उत्सर्जन निगरानी उपकरणों को प्रमाणित किया जाता है।
- **प्रमुख योगदान:** उन्नत **परमाणु घड़ियों का विकास करना** तथा **सीज़ियम परमाणु घड़ियों (सीज़ियम परमाणुओं के उपयोग द्वारा संचालित होना)** और **हाइड्रोजन मेसर** (सटीक आवृत्ति प्रदान करने के लिये हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करना) का उपयोग करके **भारतीय मानक समय (IST)** को बनाए रखना।
  - यह **परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL)** का समर्थन करता है।

एक राष्ट्र एक समय को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **दूरसंचार और ISP द्वारा अपनाना:** इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) और दूरसंचार ऑपरेटर विदेशी समय स्रोतों पर निर्भर होते हैं, IST को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिये तकनीकी उन्नयन, नियामक प्रवर्तन एवं एक केंद्रीकृत निगरानी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
- **वैश्विक एकीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय बाज़ारों में लगे व्यवसायों को **वैश्विक समय मानकों (UTC, GMT आदि) के साथ समन्वय** की आवश्यकता होती है।
  - निर्बाध संक्रमण एवं दोहरे अनुपालन के लिये तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- **अवसंरचना विकास: सीमित कनेक्टिविटी** वाले क्षेत्रों सहित पूरे देश में निर्बाध समय समन्वय सुनिश्चित करने के क्रम में दूरदराज़ के क्षेत्रों में मौजूदा नेटवर्क तथा प्रणालियों के साथ एकीकरण में **तार्किक एवं तकनीकी बाधाओं** का सामना करना पड़ सकता है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** समय समन्वयन प्रणालियाँ साइबर हमलों के लिये संभावित लक्ष्य हैं। **सुरक्षित एन्क्रिप्शन** और वैकल्पिक समय प्रसार विधियों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **साइबर सुरक्षा उपाय:** साइबर हमलों से समय समन्वयन प्रणालियों की सुरक्षा के लिये मज़बूत एन्क्रिप्शन विधियों को लागू करना।
  - संभावित व्यवधानों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये समय प्रसार हेतु **बैकअप प्रणालियाँ** विकसित करना।
- **पर्यवेक्षक प्राधिकारी:** सभी क्षेत्रों में IST समन्वय के कार्य और घटक की व्याख्या के लिये एक समर्पित **केंद्र अधिकृत पर्यवेक्षण प्राधिकारी** की स्थापना करना।
- **जागरूकता को बढ़ावा देना:** निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के लिये वैश्विक मानकीकरण निकायों के साथ सहयोग करते हुए, उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं को **IST समन्वयन लाभों** के बारे में शिक्षित करना।
- **अनुसंधान एवं विकास: समय-निर्धारण प्रौद्योगिकियों और प्रोटोकॉल** में निरंतर सुधार के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत सटीक समय-निर्धारण में अग्रणी बना रहे।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. विश्लेषण कीजिये कि भारत की एक राष्ट्र एक समय समन्वय प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को किस प्रकार बढ़ा सकती है।

खुदरा मुद्रास्फीति में प्रमुख रुझान और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित **खुदरा मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति** में कमी के कारण, नवंबर 2024 में 5.48% से घटकर दिसंबर 2024 में 5.22% हो गई।

- खुदरा मुद्रास्फीति उस दर को मापती है **जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

साथ बढ़ती हैं, जो जीवन-यापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाती है।

खुदरा मुद्रास्फीति में कमी के क्या कारण हैं?

- **कम खाद्य मुद्रास्फीति:** उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) द्वारा मूल्यांकित खाद्य मुद्रास्फीति, नवंबर 2024 में 9.04% से घटकर दिसंबर 2024 में 8.39% हो गई।
- **सकारात्मक कृषि उत्पादन:** अच्छी खरीफ फसल, अनुकूल रबी बुवाई की स्थिति और पर्याप्त जलाशय स्तर ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम कर दिया।
- **ईंधन की कीमतों में गिरावट:** ईंधन की कीमतों में मुद्रास्फीति -1.39% पर संकुचन में रही, जबकि **परिवहन (2.64%) और शिक्षा (3.89%)** के लिये यह अपरिवर्तित रही, जिससे समग्र मुद्रास्फीति दबाव में कमी आई।
  - कोर मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन वस्तुएँ शामिल नहीं हैं, दिसंबर 2024 में घटकर 3.5% हो गई।
- **गैर-खाद्य श्रेणियों में स्थिरता:** आवास (2.71%), वस्त्र एवं जूते (2.74%) तथा घरेलू सामान (2.75%) में **मुद्रास्फीति मामूली परिवर्तन के साथ स्थिर रही।**

मुद्रास्फीति से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **RBI के लक्ष्य से अधिक मुद्रास्फीति:** सात राज्यों में RBI की **6% सीमा से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई,** जबकि दस राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई।
  - **छत्तीसगढ़** में सबसे अधिक **7.63% मुद्रास्फीति दर्ज की गई,** जिसके बाद **बिहार (7.4%) और ओडिशा (7%)** का स्थान रहा, जो **स्थानीय मुद्रास्फीति चुनौतियों को दर्शाता है।**
- **आयातित मुद्रास्फीति:** रुपए के मूल्यह्रास से **आयातित कच्चे तेल और वैश्विक वस्तुओं** की लागत बढ़ जाती है, जिससे **घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।**
  - खाद्य तेलों जैसी आयातित वस्तुओं पर निर्भरता के कारण भारत को वैश्विक मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
  - रुपए के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव से आयात की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि समान मात्रा में आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिये अधिक रुपए की आवश्यकता होती है।
- **उच्च वैश्विक ब्याज दरें:** उच्च वैश्विक ब्याज दरें भारत में विदेशी निवेश को बाधित कर सकती हैं, जिससे **वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी तथा मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति और खराब होगी।**
  - इससे निवेशक अपनी पूंजी **अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं,** जहाँ **उच्च प्रतिफल** मिलता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाज़ारों में विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

- **परिचय:** CPI 2012 को आधार वर्ष मानकर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के विविध समूह के आधार पर उपभोक्ता कीमतों में समग्र परिवर्तन को मापता है।
  - वस्तुओं की इस शृंखला में **भोजन, वस्त्र, परिवहन, चिकित्सा, विद्युत, शिक्षा** आदि शामिल हैं।
  - CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** CPI का उपयोग **मूल्य स्थिरता को लक्षित करने, महंगाई भत्ते को समायोजित करने तथा जीवन-यापन की लागत,** क्रय शक्ति और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत निर्धारित करने के लिये किया जाता है।
- **गणना:** CPI की गणना **एक चालू वर्ष में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को आधार वर्ष** की लागत से विभाजित करके फिर 100 से गुणा करके की जाती है।
- **प्रकार:** CPI माप के चार अलग-अलग प्रकार हैं।
  - **औद्योगिक श्रमिकों के लिये CPI (CPI-IW):** यह समय के साथ **औद्योगिक श्रमिकों** द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक विविध समूह में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है। **श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो CPI-IW संकलित करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कृषि मज़दूरों के लिये CPI (CPI-AL):** श्रम ब्यूरो विभिन्न राज्यों में कृषि मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़दूरी को संशोधित करने में सहायता के लिये **CPI-AL** संकलित करता है।
- **ग्रामीण मज़दूरों के लिये CPI (CPI-RL): यह कृषि और ग्रामीण मज़दूरों** द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है ।
  - श्रम **ब्यूरो CPI-RL** संकलित करता है।
- **शहरी गैर-शारीरिक कर्मचारियों के लिये CPI (CPI-UNME): CPI-UNME को NSO** द्वारा संकलित किया जाता है। एक शहरी गैर-शारीरिक कर्मचारी शहरी गैर-कृषि क्षेत्र में **गैर-शारीरिक कार्य** से अपनी आय का **50% या उससे अधिक कमाता है।**

- **घटक: CPI के प्राथमिक घटक** (उनके भार सहित) निम्नलिखित हैं।
  - **खाद्य एवं पेय (45.86%)**
  - आवास (10.07%)
  - ईंधन और प्रकाश (6.84%)
  - कपड़े और जूते (6.53%)
  - पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ (2.38%)
  - विविध (28.32%)

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **परिचय: उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI)** एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी निश्चित क्षेत्र में एक निर्धारित जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किये जाने वाले **खाद्य उत्पादों के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन** का एक माप है।
  - वर्तमान में प्रयुक्त **आधार वर्ष 2012 है।**
- **जारी करने वाली संस्था: NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई, 2014** से **अखिल भारतीय आधार** पर तीन श्रेणियों अर्थात **ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिये CFPI जारी** करना शुरू कर दिया।
  - CPI की तरह CFPI की गणना भी **मासिक आधार पर** की जाती है।

नोट: FAO खाद्य मूल्य सूचकांक: वैश्विक स्तर पर, **खाद्य मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र** के **खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मासिक आधार** पर जारी किया जाता है।

- खाद्य वस्तुओं की टोकरी में **5 वस्तु समूह** मूल्य सूचकांक **(अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी) का औसत शामिल है,** जिसे 2002-2004 के लिये प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्से के साथ भारित किया गया है।

निष्कर्ष:

- **दिसंबर, 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति** घटकर **5.22%** हो गई है, जिसका कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी और गैर-खाद्य श्रेणियों के स्थिर रहना है। हालाँकि, **स्थानीय मुद्रास्फीति, रुपए में गिरावट और उच्च वैश्विक ब्याज दरों के कारण चिंताएँ बनी हुई हैं,** जो **घरेलू मुद्रास्फीति नियंत्रण और विदेशी निवेश** को प्रभावित कर सकती हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. मौद्रिक नीति को आकार प्रदान करने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की भूमिका और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

भारत का जनांकिकीय संक्रमण

चर्चा में क्यों?

मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार **अन्य विकसित देशों की भाँति** ही भारत की अर्थव्यवस्था भी **वर्ष 2050 तक** एक **कालप्रभावित अर्थव्यवस्था (सिल्वर इकोनॉमी)** में परिणत हो जाएगी और अपने **जनांकिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने के लिये देश के पास 33 वर्ष शेष हैं।**

- इस रिपोर्ट में मंद संवृद्धि, बढ़ती निर्भरता और राजकोषीय दबाव पर भी प्रकाश डाला गया है, क्योंकि भारत की कार्यशील आयु वर्ग की संख्या में वृद्धजनों की तुलना में अधिक गिरावट आ रही है।

नोट: **संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड** के अनुसार, जनांकिकीय लाभांश का तात्पर्य उस **आर्थिक विकास क्षमता से है,** जब किसी देश के **कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) की जनसंख्या उस पर आश्रित जनसंख्या (बालक और वृद्धजन) से अधिक हो जाती है,** जिससे उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि के लिये **उपयुक्त अवसर** सर्जित होते हैं।

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19** के अनुसार, भारत 2005-06 से ही **जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है** और यह स्थिति **2055-56 तक बनी रहेगी।**

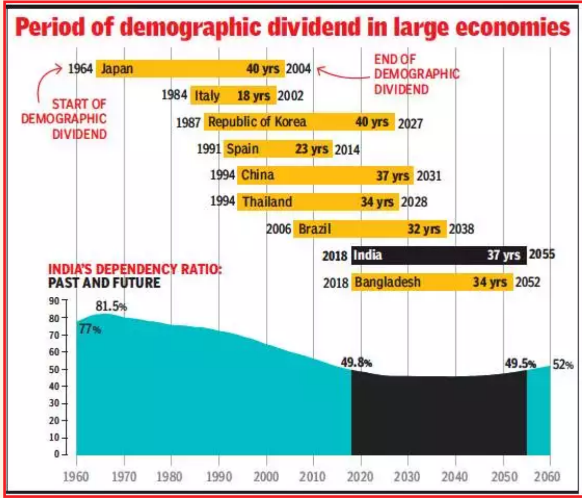

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के जनांकिकीय संक्रमण की रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **ह्रासमान समर्थन अनुपात:** भारत के पास वर्ष 2050 तक अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समान कालप्रभावित होने में 33 वर्ष शेष हैं।
    - भारत का समर्थन अनुपात (65 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक पर कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्ति) **1997 में 14:1 था जो वर्ष 2023 में घटकर 10:1 हो गया है** तथा अनुमानत: वर्ष **2050 तक यह और घटकर 4.6:1** तथा **2100 तक 1.9:1 हो जाएगा,** जो जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के स्तर के समान होगा।
- **लोक वित्त पर बढ़ता दबाव:** 2050 तक, वृद्धजनों की हिस्सेदारी **कुल खपत में 15% होगी, जो वर्तमान में 8% है।**
    - वृद्धजन की संख्याओं में निरंतर बढ़ोतरी से **पेंशन, लोक स्वास्थ्य सेवा और पारिवारिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा।**
    - वैश्विक उपभोग में भारत की हिस्सेदारी **वर्तमान में 9% है जो अनुमानत: वर्ष 2050 तक बढ़कर 16% हो जाएगी।**
- **निम्न उत्पादकता और श्रम बाज़ार:** भारत की श्रम शक्ति भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की, **निम्न बनी हुई है और यह सुधार का एक प्रमुख कारक है।**
    - भारत में श्रमिक उत्पादकता 9 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो उच्च आय वाले देशों में 60 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा की औसत उत्पादकता से काफी कम है।
- **जन्म दर में गिरावट:** जन्म दर में वैश्विक गिरावट की स्थिति गंभीर है, जिसका प्रभाव **भारत** जैसे उभरते देशों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों पर पड़ा है।
    - इस जनांकिकीय प्रवृत्ति का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि, श्रम बाज़ार, पेंशन प्रणाली और उपभोक्ता व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- **अनुशंसाएँ:** जनांकिकीय लाभांश को अधिकतम करने के लिये श्रम बल में, विशेष रूप से महिलाओं की, भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।
    - श्रमिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये, **भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने** तथा बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और कौशल विकास में रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
    - वृद्धजन की संख्याओं में निरंतर बढ़ोतरी से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **लोक वित्त और सामाजिक सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ कर जनांकिकीय संक्रमण** हेतु तत्पर रहने की आवश्यकता है।

जनांकिकीय संक्रमण क्या है?

- जनांकिकीय संक्रमण **एक ऐसा** मॉडल है जो जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन **के साथ-साथ जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव का वर्णन करता है** और यह परिवर्तन समाज में हुए आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण होता है। इसमें प्राय: निम्न चरण शामिल होते हैं।
    - **चरण 1: उच्च जन्म और मृत्यु दर** के परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है।
    - **चरण 2:** स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और खाद्य उत्पादन में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। इससे **जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है।**
    - **चरण 3:** जन्म दर में गिरावट शुरू होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। इसके कारकों में शहरीकरण, निम्न बाल मृत्यु दर, गर्भनिरोध की सुविधा और लघु परिवारों की ओर समाज का रुख शामिल हैं।
    - **चरण 4: जन्म और मृत्यु दर दोनों निम्न होती हैं,** जिससे जनसंख्या स्थिर अथवा वृद्ध होती है। यह चरण उच्च जीवन स्तर, **उन्नत प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को दर्शाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

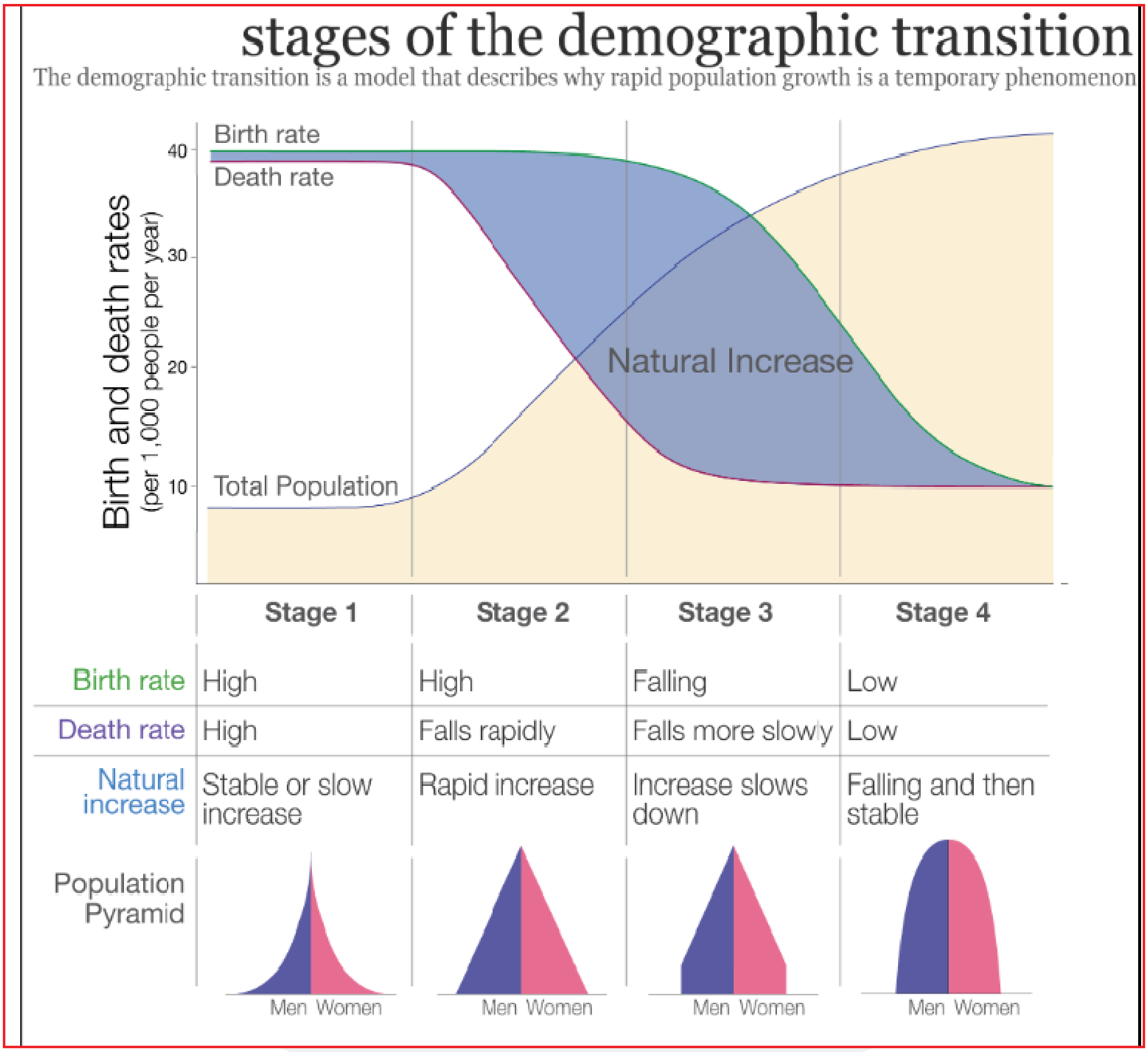

- **भारत की जनसांख्यिकी:** **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार, भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के चार चरण मॉडल के तीसरे चरण में है, जो उच्च से निम्न मृत्यु दर और प्रजनन दर की ओर बढ़ रहा है।
  - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21)** के अनुसार भारत की **कुल प्रजनन दर (TFR)** 2.0 है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है।
    - TFR एक महिला के प्रजनन वर्षों (15-49) के दौरान वर्तमान प्रजनन प्रारूप के आधार पर उसके **बच्चों की औसत संख्या** है।
    - प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर प्रति महिला बच्चों की वह औसत संख्या है जो प्रवास के अभाव में जनसंख्या को स्थिर रखने के लिये आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (DESA) की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि **भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में 1.7 अरब के शिखर पर पहुँच जाएगी** और उसके बाद इसमें **12% की गिरावट आएगी, फिर भी यह विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा।**

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत

- **वर्ष 1798 में अंग्रेज़ अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस** द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत बताता है कि **जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन गणितीय रूप से बढ़ता है।**
  - ❖ इस असंतुलन के कारण जनसंख्या अधिक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अकाल, बीमारी और मृत्यु दर बढ़ती है जिससे अंततः जनसंख्या कम हो जाती है।
  - ❖ माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के तरीकों के रूप में "कृत्रिम निरोध" (जैसे, विवाह में देरी) और "प्राकृतिक निरोध " (जैसे, अकाल और बीमारी) की पहचान की।
  - ❖ प्रभावशाली होने के बावजूद, इस सिद्धांत की आलोचना तकनीकी प्रगति और मानव अनुकूलनशीलता को कम आँकने के लिये की गई है।

भारत में वृद्धजनों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कार्यबल भागीदारी में गिरावट:** कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों के घटते अनुपात के कारण **भारत की आर्थिक वृद्धि काफी धीमी** हो सकती है।
  - ❖ उदाहरण के लिये, **जापान, जिसकी 27% आबादी 65 वर्ष से अधिक है,** को श्रम की कमी और तनावपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सुस्त विकास और स्थिर मज़दूरी के कारण घरेलू खर्च में कमी आई है।
- **स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव:** वृद्धजनों में आमतौर पर दीर्घकालिक बीमारियों की दर अधिक होती है, जिससे भारत की पहले से ही दबावग्रस्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
  - ❖ पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के बिना स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं में वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ बढ़ सकती हैं तथा वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
- **कम उत्पादकता और नवाचार:** वृद्ध होती जनसंख्या के कारण आर्थिक गतिविधि और नके **रता अनुपात** सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर और अधिक दबाव डाल सकता है।

आगे की राह:

- **वृद्धजनों के कार्यबल का कौशल विकास: वृद्धजनों के कार्यबल को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक कौशल,** जैसे डिजिटल साक्षरता, रचनात्मकता और नवाचार, तथा तकनीकी दक्षता से लैस करने के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना:** वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मज़बूत करना।
- **वित्तीय समावेशन: सुलभ और सस्ती पेंशन योजनाओं,** सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से वृद्धजनों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **नवप्रवर्तन और उत्पादकता वृद्धि:** अनुसंधान और विकास में निवेश करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं श्रम की कमी को दूर करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **अंतर-पीढ़ीगत समावेशन:** युवा और वृद्ध दोनों की चिंताओं को दूर करने के लिये अंतर-पीढ़ीगत संवाद एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।
- **जनांकिकीय लाभांश को संबोधित करना:** खराब शिक्षा, लैंगिक असमानता, कौशल में कमी और अनौपचारिक क्षेत्र से बेरोज़गारी में वृद्धि, ये सभी कारक भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को बाधित कर रहे हैं। **वर्ष 2023-24 मानव विकास सूचकांक** रैंकिंग में 134वें स्थान पर है।
  - ❖ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और **महिला कार्यबल की बढ़ी हुई भागीदारी** के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. पूर्ण आर्थिक विकास हासिल करने से पहले भारत के 'वृद्ध' अर्थव्यवस्था बन जाने के संभावित परिणाम क्या हैं?

केंद्र-राज्य राजस्व की स्थिति

चर्चा में क्यों?

पिछले दशक (वित्त वर्ष 2016 से 2025) में **केंद्रीय हस्तांतरण और अनुदान** से प्राप्त **राज्यों के राजस्व** का हिस्सा काफी बढ़ गया है, जो केंद्र पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

- **राज्यों के राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी** में उल्लेखनीय वृद्धि, तथा राज्यों के कर संग्रह प्रयासों की घटती दक्षता ने इस निर्भरता को और बढ़ा दिया है।

राज्यों की राजस्व संरचना में प्रमुख रुझान क्या हैं?

- **महामारी के बाद:** कल्याणकारी उपायों के कारण **कोविड महामारी** के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में **14% की वृद्धि** हुई है।
  - **बुनियादी ढाँचे के लिये पूंजीगत व्यय** में कमी आई है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ।

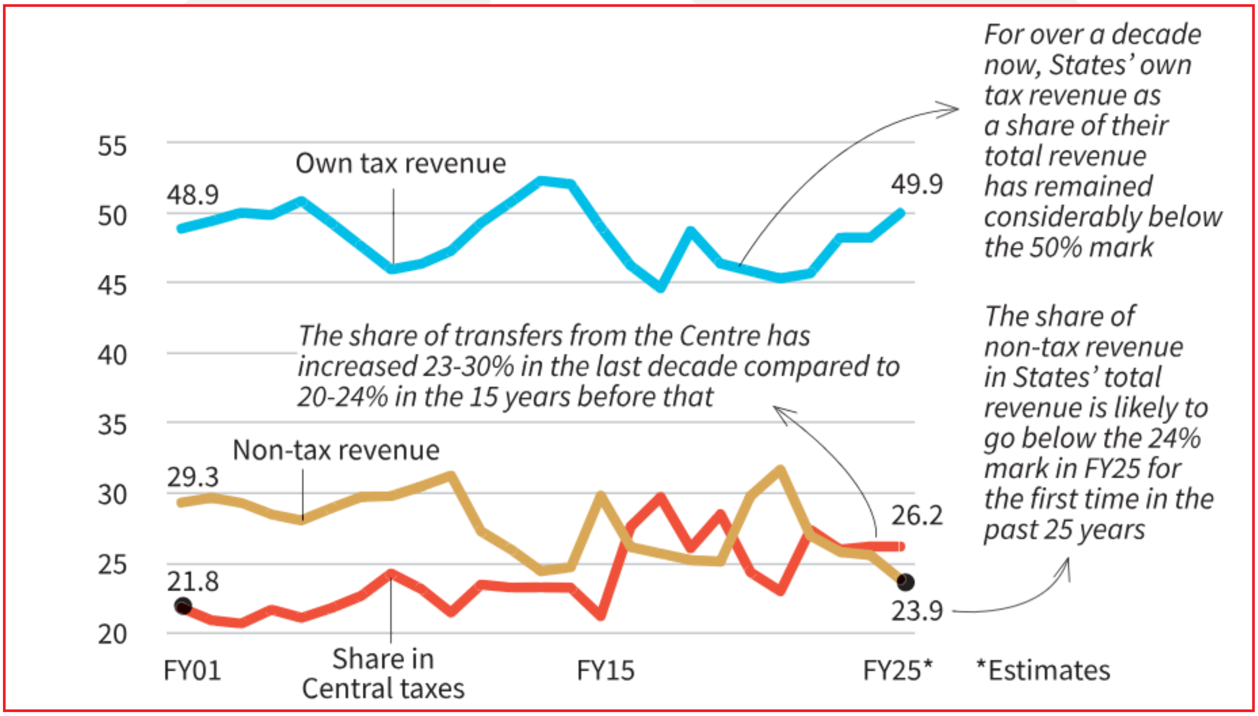

- **ऋण-GDP अनुपात रुझान:** जबकि **राज्यों का ऋण-GDP अनुपात** (आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण का सापेक्ष माप) मार्च, 2024 में **28.5%** पर है। जो राज्यों के राजकोषीय घाटा को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- राज्यों का ऋण स्तर, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटF प्रबंधन समिति द्वारा राज्यों के लिये अनुशंसित **ऋण-GDP अनुपात 20% से अधिक** है, जो **राज्यों द्वारा सामना किये जा रहे असह्य ऋण बोझ को दर्शाता** करता है।

- **केंद्रीय हस्तांतरण में वृद्धि:** पिछले दशक में केंद्रीय हस्तांतरण से राज्यों का राजस्व उनके **कुल राजस्व का 23-30%** तक बढ़ गया है, जबकि 2000 के दशक और 2010 के प्रारंभ में यह **20-24%** था।
  - केंद्र से प्राप्त अनुदान अब **राज्यों के गैर-कर राजस्व का 65-70%** है, जो पहले **55-60%** था।
- **राज्यों का अपना कर राजस्व:** पिछले दशक में यह कुल राजस्व के हिस्से के रूप में लगातार **50%** से कम रहा है, जबकि 2000 के दशक में यह 50% से अधिक था।
  - **वित्त वर्ष 2018 और 2025 के बीच राज्यों के कुल राजस्व में राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST)** का योगदान **15% से बढ़कर 22%** हो जाने के बावजूद, स्वयं के कर राजस्व (SGST) का हिस्सा **34% से गिरकर 28%** हो गया है।
- **गैर-कर राजस्व में कमी:** कुल राजस्व में गैर-कर राजस्व का हिस्सा **वित्त वर्ष 2025 में 24% से कम रहने का अनुमान** है, जो 25 वर्षों में सबसे कम है।
  - **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से ब्याज प्राप्तियाँ** और लाभांश जैसे प्रमुख घटक नगण्य (**1% से कम**) बने हुए हैं।
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य (सामाजिक सेवा) और विद्युत् (आर्थिक सेवा) जैसी प्रदान की गई सेवाओं** से होने वाली आय पिछले दशक में 30% का आँकड़ा पार नहीं कर पाई।
- **कर संग्रहण में अकुशलता: स्टाम्प ड्यूटी,** पंजीकरण शुल्क और **मोटर वाहन कर** जैसे स्रोतों से राजस्व, अनियमित और अकुशल संग्रहण प्रयासों के कारण अपर्याप्त रहा है।
  - तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** के अनुपात में स्वयं के **कर राजस्व में गिरावट आई है, जो कर संग्रहण में प्रणालीगत** समस्या का संकेत है।

केंद्र पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के क्या निहितार्थ हैं?

- **राजकोषीय स्वायत्तता खतरे में: राजस्व संग्रहण की शक्तियों के असमान वितरण** के कारण राज्य अक्सर वित्त पोषण के लिये केंद्र पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं ।
  - **केंद्र आयकर और GST जैसे गतिशील करों को नियंत्रित करता है, जबकि राज्य बिक्री कर और भूमि राजस्व** जैसे धीमी गति से बढ़ने वाले करों का प्रबंधन करते हैं।
  - यह असंतुलन राज्यों की राजकोषीय स्वतंत्रता को बाधित करता है, तथा **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाने की उनकी क्षमता** को सीमित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, SGST दरों जैसे कर निर्णय **GST परिषद द्वारा प्रभावित होते हैं,** जहाँ **राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति सीमित होती है,** जिससे उनकी स्वायत्तता और अधिक बाधित होती है।
- **विकास व्यय पर बाधाएँ:** कमज़ोर राजकोषीय स्थिति वाले राज्यों को अक्सर अपर्याप्त संसाधनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि **केंद्रीय आवंटन** आवश्यकता की तुलना में प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, जिससे अंतर-राज्यीय तथा क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ती हैं।
  - **अकुशल कर संग्रहण** राज्यों की बढ़ती विकासात्मक मांगों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालता है ।
  - केंद्र पर भारी निर्भरता राज्यों की **प्रति-चक्रीय राजकोषीय** उपायों के लिये क्षमता को भी सीमित करती है, जो समग्र मांग को प्रोत्साहित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **राजनीतिक तनाव:** कर नीतियों में केंद्रीकृत निर्णय लेने से केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए।
- **अत्यधिक बोझ से दबी केंद्र सरकार:** केंद्र पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता **देश के समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकती है,** जिससे आर्थिक मंदी या संकट के दौरान राज्यों को सहायता देने की केंद्र की क्षमता सीमित हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

राज्यों के लिये राजस्व के स्रोत:

- **राज्यों का स्वयं का कर राजस्व (OTR):** इसमें राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर शामिल हैं, जैसे राज्य जीएसटी (SGST) (केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित GST का एक हिस्सा), शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क, GST के दायरे में न आने वाली वस्तुओं पर **बिक्री** कर या **मूल्य वर्द्धित कर (VAT), संपत्ति लेनदेन पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क**, वाहन पंजीकरण कर, तथा फिल्म टिकटों पर मनोरंजन कर।
- **राज्यों का गैर-कर राजस्व: इसमें प्राकृतिक संसाधनों के पट्टे या बिक्री** से प्राप्त आय, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आर्थिक सेवाएँ, लॉटरी की बिक्री तथा **सार्वजनिक क्षेत्र** के उपक्रमों या स्थानीय निकायों को दिये गए ऋणों से प्राप्त ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं।
- **केंद्र सरकार से अनुदान:** ये अनुदान कल्याण, बुनियादी ढाँचे और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में राज्यों को महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- **केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा:** यह केंद्र सरकार द्वारा **एकत्रित** कर राजस्व का हिस्सा है, जिसे **भारतीय संविधान के अनुच्छेद** 270 के अनुसार राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

राज्य अपने राजस्व संग्रहण में कैसे सुधार कर सकते हैं?

- **राजकोषीय संघवाद को मज़बूत करना: वित्त आयोगों** द्वारा प्रगतिशील सिफारिशों के माध्यम से राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना, जैसा कि **14वें और 15वें वित्त आयोगों** में देखा गया, जिसने **कर हस्तांतरण हिस्सेदारी** को क्रमशः 42% और 41% तक बढ़ा दिया।
- राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने का अर्थ है आयोगों द्वारा की गई प्रगतिशील सिफारिशों के माध्यम से राज्यों के राजस्व हिस्से में वृद्धि करना। जैसा कि **14वें और 15वें वित्त आयोगों** ने कर हस्तांतरण का हिस्सा बढ़ाकर क्रमशः **42% और 41%** कर दिया है।
- **कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि: संपत्ति कर, मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क** के संग्रहण में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान लागू करना।
  - **कर चोरी को कम** करने और अनुपालन को बढ़ाने के लिये कर प्रशासन प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
  - प्रदर्शन-आधारित अनुदान के माध्यम से राज्यों को उनके कर संग्रह तंत्र और राजकोषीय अनुशासन में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **कर आधार का विस्तार:** प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल नए राजस्व स्रोतों पर विचार करना, जैसे कि कंजस्टेड चार्ज या पर्यावरण कर। राजस्व बढ़ाने के लिये कर छूट और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना।
- **गैर-कर राजस्व स्रोतों को मज़बूत करना:** परिचालन दक्षता में सुधार करके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आय में वृद्धि तथा कम उपयोग की गई राज्य परिसंपत्तियों और सेवाओं का मुद्रीकरण करना।
- **सहयोगात्मक नीति निर्माण: क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिये GST परिषद** के साथ सहभागिता तथा असमानताओं को कम करने के लिये राज्यों में कर नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य करना।
  - सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने के लिये अंतर-राज्यीय ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना।
- **केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाना:** आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने और बुनियादी ढाँचे के विकास को समर्थन देने के लिये **गति शक्ति** और पूंजी सहायता योजनाओं जैसे कार्यक्रमों का उपयोग करना।
- **सार्वजनिक ऋण में कमी लाना:** डेटा आधारित निर्णय लेने के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन को मज़बूत करना तथा स्वयं के स्रोत राजस्व (SOR) पर निर्भरता को प्राथमिकता देना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

राज्यों द्वारा राजस्व संग्रहण की प्रमुख पहल:

- **संपत्ति कर सुधार:** तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल ने राजस्व में वृद्धि हेतु संपत्ति करों में संशोधन किया।
  - विश्व बैंक के अनुसार, भारत का संपत्ति कर संग्रह **सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2% है, जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** देशों के औसत 1.1% से काफी कम है, जो सुधार की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है।
- **विद्युत शुल्क समायोजन:** तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अन्य राज्यों ने राजस्व बढ़ाने के लिये वित्त वर्ष 23 में विद्युत शुल्कों में संशोधन किया।
- **नई शराब नीतियाँ:** उत्तर प्रदेश ने नई शराब नीति पेश की, जिसमें लाइसेंस शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क में वृद्धि की गई।
- **निजीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण:** कई राज्यों ने अनुत्पादक परिसंपत्तियों में बंधी धनराशि को मुक्त करने के लिये वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान SPSE का निजीकरण तथा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया।

निष्कर्ष:

केंद्र पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता ने वित्तीय स्वायत्तता और विकास में चुनौतियों को जन्म दिया है। बेहतर कर संग्रह और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजस्व संग्रहण को मज़बूत करना आवश्यक है। राज्यों और केंद्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास सतत् विकास सुनिश्चित तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकते हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के राजकोषीय संघवाद के लिये केंद्रीय हस्तांतरण पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। राज्य अपने राजस्व संग्रहण में कैसे सुधार कर सकते हैं?

भारत के रबड़ उद्योग को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों?

रबर बोर्ड ने भारतीय रबर की वैश्विक प्रमुखता को बढ़ावा देने के साथ-साथ घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भारतीय सतत् प्राकृतिक रबड़ (iSNR) और INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म जैसी नई पहल शुरू की है।

- यह **राष्ट्रीय रबड़ नीति (NRP), 2019** के अनुरूप है जिसका उद्देश्य **पर्यावरणीय रूप से सतत्, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी** रबड़ उद्योग का निर्माण करना है।

भारत के रबर उद्योग में हाल ही में की गई पहल क्या हैं?

- **iSNR पहल:** **यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR)** मानकों को पूरा करने के लिये भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ (iSNR) पहल शुरू की गई ।
  - यह रबड़ उत्पादों की **उत्पत्ति और अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्रों के साथ पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है और यूरोपीय संघ के बाजारों को** लक्षित करने वाले हितधारकों के लिये अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाता है ।
  - यह **सतत् रबड़ उत्पादन को बढ़ावा** देता है, तथा भारतीय प्राकृतिक रबड़ को वैश्विक बाज़ार में एक **प्रतिस्पर्द्धी एवं उत्तरदायी विकल्प** के रूप में स्थापित करता है।
- **INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म:** यह एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य **अप्रयुक्त रबड़ उत्पादकों को** इच्छुकअपनाने वालों के साथ जोड़कर उत्पादकता बढ़ाना है।
  - यह भारत में अनुपस्थित जमींदारों द्वारा **अप्रयुक्त एवं उपेक्षित बागानों के 20-25% को लक्षित करता है** , ताकि कीमतों में गिरावट एवं उच्च लागत की समस्या का समाधान किया जा सके।
- **mRube:** mRube को प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र में **विपणन एवं व्यापार दक्षता** बढ़ाने के लिये रबड़ बोर्ड के **डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च** किया गया था।
- **सब्सिडी में वृद्धि:** सरकार रबड़ की खेती के लिये **चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी बढ़ाने की योजना** बना रही है ।

ध्यान दीजिये: अनुपस्थित मकान मालिकों के पास संपत्ति होती है, लेकिन वे उसमें रहते या उसका प्रबंधन नहीं करते हैं, तथा रखरखाव, किराया वसूली और अन्य कार्यों के लिये वे संपत्ति प्रबंधकों, किरायेदारों या स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

EUDR क्या है?

- **EUDR के बारे में:** EUDR यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित एक **विधायी ढाँचा** है, जिसका उद्देश्य वस्तु **आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े** वनों की कटाई एवं वन उन्मूलन के वैश्विक मुद्दे का समाधान करना है ।
    - विनियमन का उद्देश्य **वनों की कटाई** में यूरोपीय संघ की भूमिका को कम करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वनों की कटाई से जुड़े उत्पाद यूरोपीय बाज़ार में प्रवेश न करें।
- **तंत्र:** जब उनका माल निर्यात किया जाता है या यूरोपीय संघ के बाज़ार में लाया जाता है, तब व्यापारियों या संचालकों को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि वे नई साफ की गई भूमि से नहीं आ रहे हैं या वनों को हानि नहीं पहुँचा रहे हैं।
- **उद्देश्य:** प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:
    - **यह सुनिश्चित करके कि सूचीबद्ध उत्पाद** इसमें योगदान न करें,तथा वनों की कटाई को रोकना।
    - **कार्बन उत्सर्जन** को प्रतिवर्ष कम से कम 32 **मिलियन मीट्रिक टन तक कम** करना।
    - इन वस्तुओं के **कृषि विस्तार** से जुड़े वन उन्मूलन से निपटना।
- **कवर की गई वस्तुएँ:** यह मवेशी, लकड़ी, कोको, सोया, ताड़ का तेल, कॉफी, रबर और संबंधित उत्पादों (जैसे, चमड़ा, चॉकलेट, टायर, फर्नीचर) जैसी वस्तुओं पर केंद्रित है।

संबंधित चिंताएँ:

- **गैर-टैरिफ बाधा:** EUDR को इस बात का प्रमाणीकरण आवश्यक है कि मवेशी, सोया और पाम ऑयल जैसी वस्तुएँ वनों की कटाई वाली भूमि से नहीं हैं, जिसे भारत गैर-टैरिफ बाधा के रूप में देखता है।
- **अनुपालन का बोझ:** यह सिद्ध करना कि सामान वनों की कटाई से मुक्त है, अतिरिक्त प्रशासनिक एवं परिचालन बोझ डालता है, विशेष रूप से SMEs पर।
- **वैश्विक नीति प्रतिकृति:** इससे **वैश्विक प्रमाणन योजनाएँ** आदर्श बन सकती हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- **धीमी FTA वार्ता:** चल रही भारत-ईयू FTA वार्ता में EUDR विवादास्पद मुद्दा बन गया है।

रबड़ बोर्ड

- **रबड़ बोर्ड** देश में **रबड़ उद्योग** के समग्र विकास के लिये **रबड़ अधिनियम, 1947** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय है।**
- यह भारत सरकार के **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**
- बोर्ड का मुख्यालय **कोट्टायम, केरल में स्थित है।**
- **रबड़ अनुसंधान संस्थान** रबड़ बोर्ड के अधीन काम करता है।

रबड़ के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **रबड़ के बारे में:** रबड़ एक **लोचदार पदार्थ है** जो कुछ पौधों की प्रजातियों, मुख्य रूप से **रबड़ के वृक्ष(*Hevea brasiliensis*) के लेटेक्स या दूधिया रस** से प्राप्त होता है।
    - यह लेटेक्स मुख्य रूप से **पॉलीआइसोप्रीन नामक बहुलक** तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है।
    - रबड़ एक **उष्णकटिबंधीय वृक्ष** है तथा **अमेज़न वर्षावन का स्थानिक है।**
- **उत्पादन:** भारत विश्व में प्राकृतिक रबड़ का **तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा प्राकृतिक रबड़ एवं सिंथेटिक रबड़ दोनों का पांचवाँ सबसे बड़ा उपभोक्ता है।**
    - **केरल** भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है (90% से अधिक), इसके बाद **त्रिपुरा (लगभग 9%) का स्थान है।**
    - अन्य प्रमुख राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में **कर्नाटक, असम, तमिलनाडु**, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, गोवा तथा **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।**
- **आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ: इसके लिये** 20°-35°C के बीच तापमान तथा वार्षिक **200 सेमी. से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ यह **दोमट या लैटेराइट मृदा, ढलान वाली या उच्च भूमि में उगता है,** जिसकी खेती के लिये सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।
- **व्यापार परिदृश्य:** 2022-23 में भारत ने **3,700 टन प्राकृतिक रबड़ (NR) का निर्यात किया,** जिसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, UAE, यू.के. और बांग्लादेश** सबसे बड़े बाज़ार थे।
  - ❖ वर्ष 2022-23 में भारत ने **5,28,677 टन प्राकृतिक गैस का आयात किया, मुख्य रूप से इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान** से।

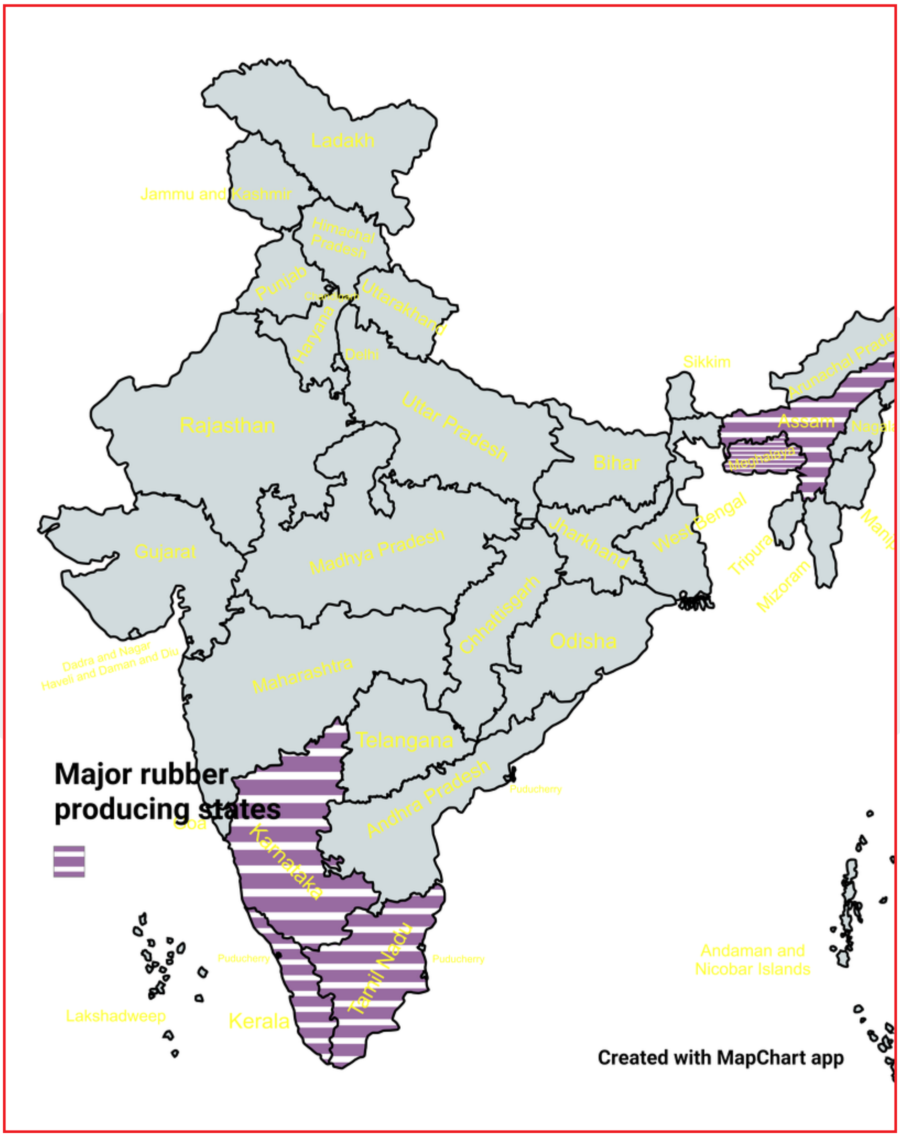

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

राष्ट्रीय रबड़ नीति (NRP) 2019 क्या है?

- **परिचय: यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रबड़ के उत्पादन, प्रसंस्करण, खपत** तथा **निर्यात को** समर्थन देने हेतु एक नीतिगत पहल है।
- **उद्देश्य:**
  - **मूल्य श्रृंखला विकास:** खेती से लेकर विनिर्माण तक संपूर्ण रबड़ उद्योग **मूल्य श्रृंखला का विकास करना।**
  - **रबड़ क्षेत्र का विस्तार :** पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचाए बिना **गैर-पारंपरिक क्षेत्रों** में प्राकृतिक रबड़ बागानों में वृद्धि करना।
  - **उत्पादकता वृद्धि:** बेहतर **कृषि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से रबड़ उत्पादकता में सुधार।**
  - **घरेलू कच्चे माल की आपूर्ति:** यह सुनिश्चित करना कि **घरेलू उत्पादन** कच्चे माल की मांग को पूरा करे।
  - **गुणवत्ता मानक:** यह सुनिश्चित करना कि संसाधित NR **अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।**
  - **रबड़ उत्पाद विनिर्माण:** रबड़ विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना तथा निर्यात को बढ़ावा देना।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - **राष्ट्रीय रबड़ का दर्जा:** आय वृद्धि के लिये मौजूदा नीतियों का लाभ उठाने हेतु NR को **कृषि उत्पाद के रूप में मान्यता देना।**
  - **उत्पादन लक्ष्य:** वर्ष **2030 तक 2 मिलियन टन प्राकृतिक गैस उत्पादन प्राप्त करना** तथा रोपण क्षेत्रों का विस्तार करना।
  - **मूल्य श्रृंखला समन्वयन:** घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिये प्राकृतिक संसाधन **उत्पादन, प्रसंस्करण तथा उत्पाद विनिर्माण में गतिविधियों को संरेखित करना।**

रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल

- **प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत् और समावेशी विकास (SIDNRS)**
- **रबड़ बागान विकास योजना**
- **रबड़ समूह रोपण योजना**
- **रबड़ के बागानों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति**
- **राष्ट्रीय रबड़ नीति- 2019**

भारत में रबड़ उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **फसल विविधीकरण: विशेष रूप से** अनुकूल जलवायु परिस्थितियों वाले **पूर्वोत्तर राज्यों** में **मिश्रित कृषि प्रणालियों** में रबड़ को अन्य फसलों के साथ एकीकृत करके किसानों को अपनी भूमि के उपयोग में विविधता लाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **वैज्ञानिक खेती: उच्च उपज देने वाली किस्मों** तथा **उन्नत रोपण तकनीकों** (जैसे **उच्च घनत्व रोपण**) को बढ़ावा देने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **अनुसंधान:** अधिक **रोग प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल** तथा **उच्च उपज देने वाली रबड़ किस्मों को विकसित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास** में किये जाने वाले निवेश में वृद्धि उत्पादन सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **कुशल टैपिंग:** रबड़ टैपिंग करने वालों को कुशल तरीकों, जैसे **पार्श्व टैपिंग और उचित कोण,** का प्रशिक्षण देकर **लेटेक्स की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।**
- **बाजार पहुँच:** भारतीय रबड़ तथा रबड़ आधारित उत्पादों (जैसे- **रबड़ आधारित टायर** और **औद्योगिक वस्तुओं**) के लिये वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच का विस्तार कर किसानों को अधिक रबड़ उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 के अनुरूप **iSNR, INR Konnect और mRube प्लेटफॉर्म** जैसी अभिनव पहलों के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

माध्यम से अपने रबड़ उद्योग को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य **घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना, धारणीयता में वृद्धि करना तथा EUDR के अनुपालन एवं बाज़ार पहुँच के विस्तार** जैसी चुनौतियों से निपटते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के रबड़ उद्योग को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने अपनी **"वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025" रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2024** में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही।

- इस रिपोर्ट में इसका कारण **मंद आर्थिक सुधार, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन** और श्रम बाज़ार को प्रभावित करने वाली **सामाजिक अनिश्चितताओं** जैसी चुनौतियों को बताया गया है।

WESO ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **स्थिर वैश्विक बेरोज़गारी:** वैश्विक बेरोज़गारी दर **वर्ष 2024 में 5% पर स्थिर रही,** जिसमें **युवा बेरोज़गारी दर 12.6% के उच्च स्तर** पर रही।
  - **युवा बेरोज़गारी उच्च-मध्यम आय वाले देशों में सर्वाधिक,** 16% है, तथा **निम्न आय वाले देशों में सबसे कम, 8% है,** जिसका कारण प्राय: **अल्प-रोज़गार** और अनौपचारिक कार्य है।
    - इस वर्ग को वयस्कों की अपेक्षा कहीं अधिक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है।
    - **निम्न आय वाले देशों (LIC)** को अच्छे रोज़गार सृजित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा अनौपचारिक रोज़गार महामारी-पूर्व स्तर जितना हो गया है।

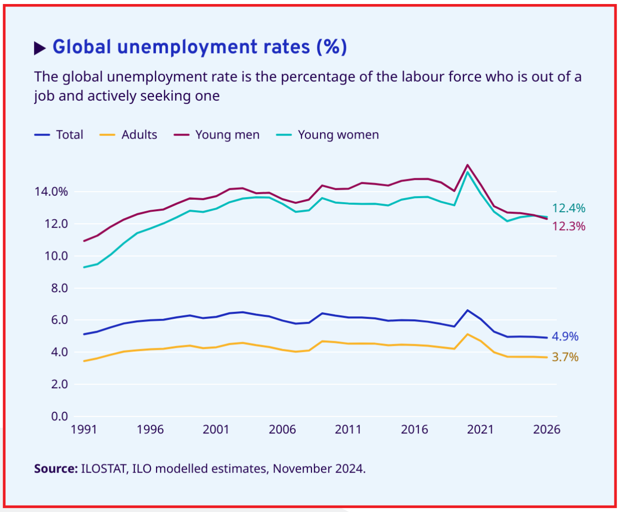

- **रोज़गार में क्षेत्रीय असमानताएँ: उप-सहारा अफ्रीका** में, रोज़गार वृद्धि मुख्यत: **अनौपचारिक क्षेत्र** में है, जहाँ श्रमिकों के पास स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, जहाँ लगभग **62.6% परिवार प्रतिदिन 3.65 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं।**
  - इसी प्रकार, अन्य **विकासशील देशों में,** जबकि **रोज़गार बढ़ रहा है,** अनेक **श्रमिक असुरक्षित,** कम वेतन वाले तथा अनौपचारिक रोज़गार में संलग्न हैं।
- **आर्थिक विकास के रुझान: वर्ष 2024 में आर्थिक वृद्धि** 3.2% दर्ज की गई, जो **वर्ष 2023 में 3.3%** और **वर्ष 2022 में 3.6%** से थोड़ी कम है।
  - रिपोर्ट में **वर्ष 2025 में इसी प्रकार के आर्थिक विस्तार का अनुमान** लगाया गया है, जिसके बाद मध्यम अवधि में धीरे-धीरे मंदी आएगी।
- **वैश्विक रोज़गार अंतराल: वैश्विक रोज़गार अंतराल** (अर्थात ऐसे लोगों की संख्या जो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे पाने में असमर्थ हैं) **वर्ष 2024 में 402 मिलियन** था।
  - इसमें 186 मिलियन बेरोज़गार व्यक्ति, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक तथा 79 मिलियन ऐसे लोग शामिल हैं जो देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों के कारण रोज़गार पाने में असमर्थ हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यद्यपि **कोविड-19 महामारी** के बाद से यह अंतर कम हो गया है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके स्थिर होने की उम्मीद है।

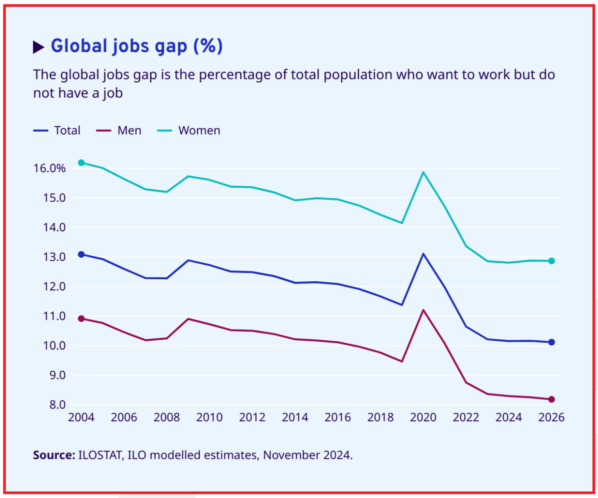

- **श्रम बल भागीदारी: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल भागीदारी बढ़ी है,** विशेष रूप से **वृद्ध श्रमिकों और महिलाओं** के बीच, **जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है,** जिससे वैश्विक स्तर पर रोज़गार वृद्धि धीमी हो गई है।
- **NEET सांख्यिकी: वर्ष** 2024 में, वैश्विक **NEET (शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण में नहीं)** आबादी **259.1 मिलियन** तक पहुँच गई, जिसमें 85.8 मिलियन **युवा पुरुष (13.1%)** और 173.3 मिलियन **युवा महिलाएँ (28.2%)** थीं।
  - युवा बेरोज़गारी की स्थिति निम्न होने के कारण, **LIC में उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई। युवा पुरुषों में NEET की दर महामारी-पूर्व स्तर से 4% अधिक बढ़ गई।
- **ऋण संकट: उच्च ब्याज दरों और आर्थिक चुनौतियों** के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से **विकासशील देशों** में, **सार्वजनिक ऋण असंतुलित** हो गया है।
  - लगभग **70 राष्ट्र ऋण संकट के जोखिम** में हैं, जिनमें से कई देश स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी **आवश्यक सेवाओं की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक व्यय** कर रहे हैं।
  - उदाहरण: **अफ्रीका में** औसत **सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का लगभग **65%** है।
- **श्रम गतिशीलता में बदलाव के बीच स्थिर वेतन:** महामारी के बाद **कम रोज़गार वृद्धि और नियोक्ताओं की ओर श्रम बाज़ार की शक्ति** में बदलाव के कारण **वास्तविक वेतन वृद्धि निम्न** बनी हुई है।
- **हरित परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र** में **वैश्विक रोज़गार वर्ष 2022 में 13.7 मिलियन** से बढ़कर **वर्ष 2023 में 16.2 मिलियन हो गया,** जो सौर और **हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश** से प्रेरित है, लेकिन **लाभ असमान रूप से वितरित हैं**, जिसमें **46% चीन में है।**
- **हरित परिवर्तन:** सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश के कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोज़गार में वर्ष 2022 में 13.7 मिलियन से वर्ष 2023 में 16.2 मिलियन तक की वृद्धि देखी गई। हालाँकि, लाभ समान रूप से वितरित नहीं हैं, 46% लाभ चीन का रहा है।
  - डिजिटल क्षेत्र में **रोज़गार की संभावनाएँ हैं,** हालाँकि कई देशों में इसका लाभ उठाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कुशल कार्यबल का अभाव है।

वर्ष 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिये ILO की सिफारिशें क्या हैं?

- **प्रेषण का लाभ उठाना:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने LIC को, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में स्थित LIC को, यह सलाह दी है कि वे प्रेषण को उपभोग से हटाकर लाभदायक निवेश की ओर लगाएँ।
  - **सरकारें निवेश निधि में धन प्रेषण को समेकित करने** के लिये तंत्र स्थापित कर सकती हैं, जिससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और **दीर्घकालिक विकास** को बढ़ावा मिलेगा।
- **संरचनात्मक परिवर्तन:** देशों को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार उत्पन्न करने, **बुनियादी ढाँचे, शिक्षा** और कौशल प्रशिक्षण में निवेश के माध्यम से **क्षेत्रीय असमानताओं** को कम करने के लिये आधुनिक सेवाओं और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके **संरचनात्मक बाधाओं** को दूर करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **युवा कौशल विकास: युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि वे आधुनिक श्रम बाज़ारों** में भागीदारी के लिये आवश्यक कौशल से लैस हों और **हरित ऊर्जा** एवं **प्रौद्योगिकी** जैसे उभरते उद्योगों का लाभ उठा सकें।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: वैश्विक सहयोग**, सतत् विकास और समावेशी राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को बढ़ावा देना जिससे सभी श्रमिकों को लाभ हो।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अनौपचारिक रोज़गार की वृद्धि स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्या औपचारिकता और एआई रीस्किलिंग को बढ़ावा देना स्थायी रोज़गार के लिये लाभदायक हो सकता है?

केरल में अपतटीय रेत खनन

चर्चा में क्यों?

राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों ने **पर्यावरण और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों** की चिंता के कारण **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023** (**OAMDR संशोधन अधिनियम**) के तहत केरल के तट पर अपतटीय रेत खनन शुरू करने की केंद्र सरकार की योजना का कड़ा विरोध किया है।

सरकार अपतटीय रेत खनन पर क्यों ज़ोर दे रही है?

- **आर्थिक संभावना:** निर्माण रेत के अपतटीय खनन की अनुमति देने का केंद्र का निर्णय **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** के एक अध्ययन पर आधारित है।
  - वर्ष 1985 से GSI सर्वेक्षणों ने **पोन्नानी, चावक्कड़, कोच्चि, अलप्पुझा और कोल्लम के तट** पर 22 से 45 मीटर की गहराई पर **कंस्ट्रक्शन-ग्रेड रेत संसाधनों** की पहचान की है।
  - ये भंडार **भारतीय जलक्षेत्र** (12 समुद्री मील तक) और **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में स्थित हैं, जिनमें **4%-20% मिट्टी की सांद्रता और 80%- 96% शुद्ध रेत** है।
    - यह रेत मूलतः **नदियों** से प्राप्त की जाती है, तथा **समुद्री प्रक्रियाओं** से गुजरने और **विलवणीकरण** के बाद निर्माण हेतु उपयुक्त हो जाती है।
  - **प्रति वर्ष 30 मिलियन मीट्रिक टन** की दर से, ये रेत भंडार, जिनमें **अनुमानित 750 मिलियन टन** का भंडार है, अगले 25 वर्षों तक केरल की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- **नीलामी योजना:** केंद्र ने **OAMDR संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत** केरल के तटीय क्षेत्रों के पाँच सेक्टरों में रेत ब्लॉकों की नीलामी करने की योजना बनाई है, जिनमें **पोन्नानी, चवक्कड़, अलप्पुझा, कोल्लम उत्तर और कोल्लम** दक्षिण शामिल हैं।
- **राजस्व सृजन:** अपतटीय रेत खनन से **शिपिंग, व्यापार और वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह के माध्यम** से महत्त्वपूर्ण आय प्राप्त होने की उम्मीद है।

रेत खनन

- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम)** के तहत रेत को **"लघु खनिज"** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा राज्य सरकारें इसके प्रशासन की देखरेख करती हैं।
- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC)** ने वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल रेत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये **"सतत् रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016"** जारी किये हैं।

अपतटीय खनन क्या है?

- **परिचय: अपतटीय खनन** में **समुद्र तल** से खनिज या बहुमूल्य हिल का निष्कर्षण किया जाना शामिल है।
- **भारत में अपतटीय खनन की संभावना:** भारत का **EEZ दो मिलियन वर्ग किलोमीटर** में विस्तृत है और GSI ने अपतटीय क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों के संसाधनों का सुस्पष्ट वर्णन किया है।
  - **चूना मिट्टी:** 153,996 मिलियन टन (गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से दूर)
  - **निर्माण-ग्रेड रेत:** 745 मिलियन टन (केरल तट से दूर)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारी खनिज प्लेसर:** 79 मिलियन टन (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तटों से दूर)
- **बहुधात्विक पिंड:** अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर।

- **अपतटीय महत्त्वपूर्ण खनिज की नीलामी:** भारत ने OAMDR अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2024 में अपनी पहली **अपतटीय महत्त्वपूर्ण खनिज नीलामी** शुरू की, जिसमें अरब सागर और अंडमान सागर में 13 ब्लॉकों की पेशकश की गई।
  - इसके अंतर्गत **लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ताँबा जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज की नीलामी की जाती है,** जो बुनियादी ढाँचे, **नवीकरणीय ऊर्जा** और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक हैं।
    - इस पहल के साथ, भारत का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना, संसाधन उपलब्धता बढ़ाना और वैश्विक खनिज बाज़ार में अपनी स्थिति का सुदृढ़ीकरण करना है।

अपतटीय खनन के विनियमन से संबंधित कानून और नियम कौन-से हैं?

- **OAMDR संशोधन अधिनियम 2023:** इस अधिनियम की सहायता से **अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR अधिनियम), 2002 में संशोधन किया गया,** जो भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा और EEZ में खनिज संसाधनों के अन्वेषण और निष्कर्षण को विनियमित करता है।
  - OAMDR संशोधन अधिनियम 2023 से **अपतटीय परिचालन अधिकारों** के लिये एक **पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू** करने, खनन प्रभावित लोगों के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना किये जाने और अन्वेषण को बढ़ावा दिये जाने का प्रावधान किया गया।
    - उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है तथा उत्पादन पट्टे की अवधि **50 वर्ष** निर्धारित की गई है।
  - OAMDR अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को लागू करने के लिये, खान मंत्रालय ने **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमान्यता) नियम, 2024** और **अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नियम, 2024** तैयार किये हैं।

- **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमान्यता) नियम, 2024:** ये नियम **खनिज तेलों, हाइड्रोकार्बन** के अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में सभी खनिजों पर क्रियान्वित हैं।
  - ये **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** या **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** की **प्रथम अनुसूची के भाग B** में निर्दिष्ट खनिजों से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।
  - **अन्वेषण के चरण:** नियम अन्वेषण के लिये चार चरण परिभाषित करते हैं।
    - **सर्वेक्षण सर्वेक्षण (G4):** खनिज भंडारों की पहचान के लिये प्रारंभिक चरण।
    - **प्रारंभिक अन्वेषण (G3):** G4 निष्कर्षों के आधार पर अधिक विस्तृत अन्वेषण।
    - **सामान्य अन्वेषण (G2):** आगे का विस्तृत अन्वेषण जिससे उत्पादन हो सकता है।
    - **विस्तृत अन्वेषण (G1):** संसाधनों की सटीक प्रकृति की पुष्टि करने वाला अंतिम चरण।
    - उत्पादन पट्टों के लिये ब्लॉकों की नीलामी के लिये न्यूनतम G2 स्तर का अन्वेषण आवश्यक है।

- **अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नियम, 2024: यदि संचालन अलाभकारी हो जाए तो** पट्टेदार 10 वर्ष के बाद अपना पट्टा त्याग सकते हैं।
  - **पट्टेधारकों को 60 दिनों** के भीतर की गई नई खनिज खोजों की सूचना देना अनिवार्य है तथा तदनुसार अपने पट्टा विलेखों को अद्यतन करना होगा।
  - **संचालन अधिकार सुरक्षित करने के लिये** सरकारी निकायों को आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों की प्राथमिकता से पहुँच प्राप्त है।

अपतटीय खनन के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **प्रदूषण जोखिम:** अपतटीय खनन से **तलछट का ढेर बनता हैं** और **भारी धातु युक्त विषाक्त अपशिष्ट जल** निकलता है, जिससे **समुद्री जीवन** और समुद्री संसाधनों पर निर्भर **पारिस्थितिकी तंत्र** के लिये दीर्घकालिक खतरा पैदा होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- केरल में पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अपतटीय रेत खनन से पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो सकता है, **सुनामी, चक्रवात, अपरदन के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है,** तथा तलछट गतिशीलता बाधित हो सकती है, जिससे जलीय पर्यावासों को खतरा हो सकता है।
- **राजस्व संग्रह: केरल** जैसे राज्यों का तर्क है कि OAMDR संशोधन अधिनियम, 2023 **राज्य के हितों की रक्षा नहीं** करता है।
  - खनन से प्राप्त **रॉयल्टी राजस्व पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंप** दिया जाता है, तथा राज्य प्राधिकारियों को उपेक्षित कर दिया जाता है।
  - वर्ष 2023 के संशोधनों द्वारा **निजी क्षेत्र की भागीदारी** की अनुमति दिये जाने से अनियंत्रित शोषण और पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **स्थानीय समुदाय का विरोध:** मछुआरे और समुद्र पर निर्भर अन्य समुदाय **आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र** के लिये खतरे का हवाला देते हुए खनन के लिये निविदा का विरोध कर रहे हैं।
- **वैश्विक संसाधन प्रतिस्पर्द्धा: नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों** द्वारा संचालित कोबाल्ट, निकल जैसी धातुओं की बढ़ती मांग , प्रतिस्पर्द्धा को तेज़ करती है, जिससे **संसाधनों का दोहन** होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्रतल के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन से **संग्रहित कार्बन मुक्त** हो सकता है, जिससे वायुमंडलीय **CO_2 का स्तर** बढ़ने से **जलवायु परिवर्तन** में तेज़ी आएगी, जिससे **ग्लोबल वार्मिंग** में वृद्धि होगी ।
- **सीमित ज्ञान:** भारत में अपतटीय खनन गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की सीमित समझ के कारण चिंता का विषय है।
  - यह सबसे कम अन्वेषित तथा अपर्याप्त रूप से समझे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिससे **खनन गतिविधियों के संपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव** का पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - यह अनिश्चितता समुद्री जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को अप्रत्याशित क्षति पहुँचा सकती है, विशेषकर तब जब भारत इन संसाधनों की खोज शुरू कर रहा है।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय आकलन:** परियोजनाएँ शुरू करने से पहले पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये **स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** को अनिवार्य बनाना।
  - नॉर्वे जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जहाँ समुद्री संसाधनों के निष्कर्षण से पहले **कठोर पर्यावरणीय योजना** बनाई जाती है।
- **सतत् खनन प्रथाएँ:** निष्कर्षण की मात्रा को सीमित करना, **महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों के पास खनन निषेध क्षेत्र निर्धारित करना,** तथा खनन को **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के साथ संरेखित करना, विशेष रूप से **जलवायु कार्यवाही (SDG 13)** और **जल के नीचे जीवन (SDG 14)**।
- **न्यायसंगत राजस्व साझाकरण :** राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों को राजस्व का उचित हिस्सा आवंटित करने के लिये रॉयल्टी ढाँचे को संशोधित करना। प्रभावित क्षेत्रों के लिये **सामुदायिक विकास निधि** की स्थापना करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. अपतटीय खनन के पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच कीजिये और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए जोखिम को कम करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।

स्टार्टअप इंडिया पहल की 9वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी 2025 को **स्टार्टअप इंडिया योजना** के **9 वर्ष पूर्ण** हुए जिसका शुभारंभ **16 जनवरी 2016** को किया गया था।

- यह दिवस **राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस** के रूप में मनाया जाता है। **स्टार्टअप इंडिया पहल** का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप का समर्थन करना और निवेश को प्रोत्साहित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है?

- **परिचय:**
  - **स्टार्टअप इंडिया पहल** का **शुभारंभ** 2016 में किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत **भारत** के **उद्यमियों** और **स्टार्टअप्स** को **सहायता** प्रदान की जाती है।

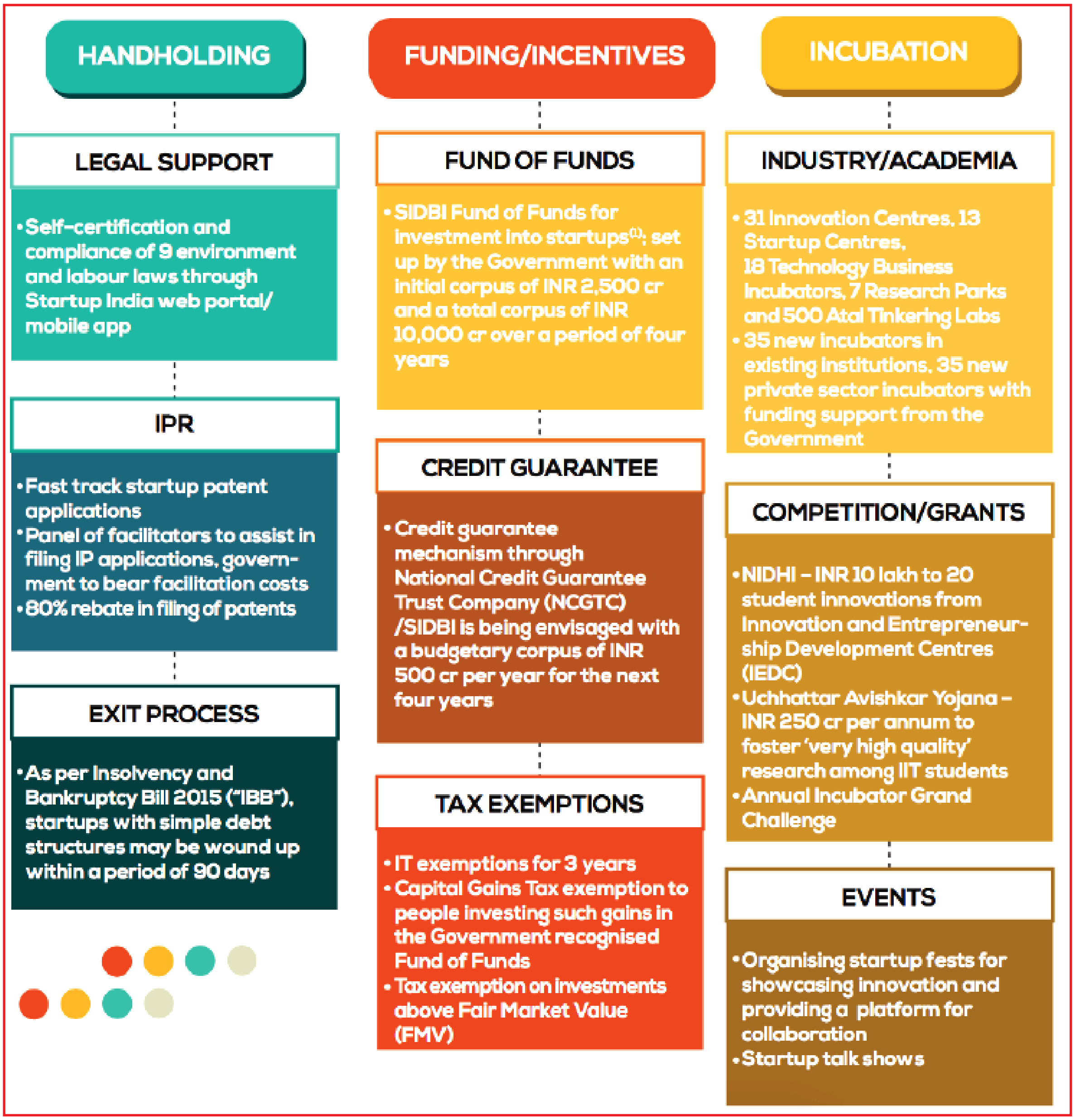

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस पहल का लक्ष्य **नवाचार और उद्यमशीलता के लिये एक ऐसा सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है** जो कर लाभ, सरल अनुपालन और वित्तपोषण के अभिगम जैसे उपायों के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता कर **आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा दे।**

- **स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ:**
  - **स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS):** इस योजना के अंतर्गत **प्रारंभिक चरण में वित्तपोषण सहायता** प्रदान करने के लिये **10,000 करोड़ रुपए का फंड** प्रदान किया जाता है।
  - **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** SISFS के तहत **स्टार्टअप्स को संकल्पना के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास** और **उत्पाद परीक्षण** के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - **स्टार्टअप्स के लिये ऋण गारंटी योजना (CGSS):** CGSS के अंतर्गत ऋण अभिगम सुनिश्चित करने के लिये स्टार्टअप्स को **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - **स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP):** SIPP के तहत **स्टार्टअप को कम लागत पर पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क पंजीकरण** और **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** संरक्षण में सहायता प्रदान की जाती है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **स्टार्टअप मान्यता:** सुव्यवस्थित पंजीकरण और पात्रता मानदंड।
  - **इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:** सरलीकृत **अनुपालन, स्व-प्रमाणन** और **एकस्थलीय स्वीकृति से** स्टार्टअप्स की नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम होती हैं।
  - **कर लाभ:** पात्र स्टार्टअप्स को **निरंतर 3 वित्तीय वर्षों के लिये लाभ पर कर छूट प्रदान की जाती है,** जिससे लाभप्रदता और विकास को बढ़ावा मिलता है।
  - **क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ:** **जैवप्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में लक्षित पहल केंद्रित विकास और नवाचार को बढ़ावा देती हैं।
  - **क्षमता निर्माण:** **स्टार्टअप इंडिया हब** एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है **जो स्टार्टअप्स को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से जोड़ता है,** जबकि **मेंटरशिप कार्यक्रम** उद्यमशीलता कौशल और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिये **मार्गदर्शन और प्रशिक्षण** प्रदान करते हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **स्टार्टअप्स में वृद्धि:** DPIIT- मान्यता प्राप्त **स्टार्टअप्स की संख्या 500 (2016)** से बढ़कर 1.59 लाख (2025) हो गई।

- **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** भारत अब **अमेरिका और चीन** के बाद विश्व स्तर पर **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप** इकोसिस्टम है, जिसमें **100 से अधिक यूनिकॉर्न (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप)** हैं।
- **रोज़गार सृजन:** अक्तूबर, 2024 तक, स्टार्टअप्स ने **IT सेवाओं** (2.04 लाख) और **हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज** (1.47 लाख) जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ **16.6 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न** किये हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

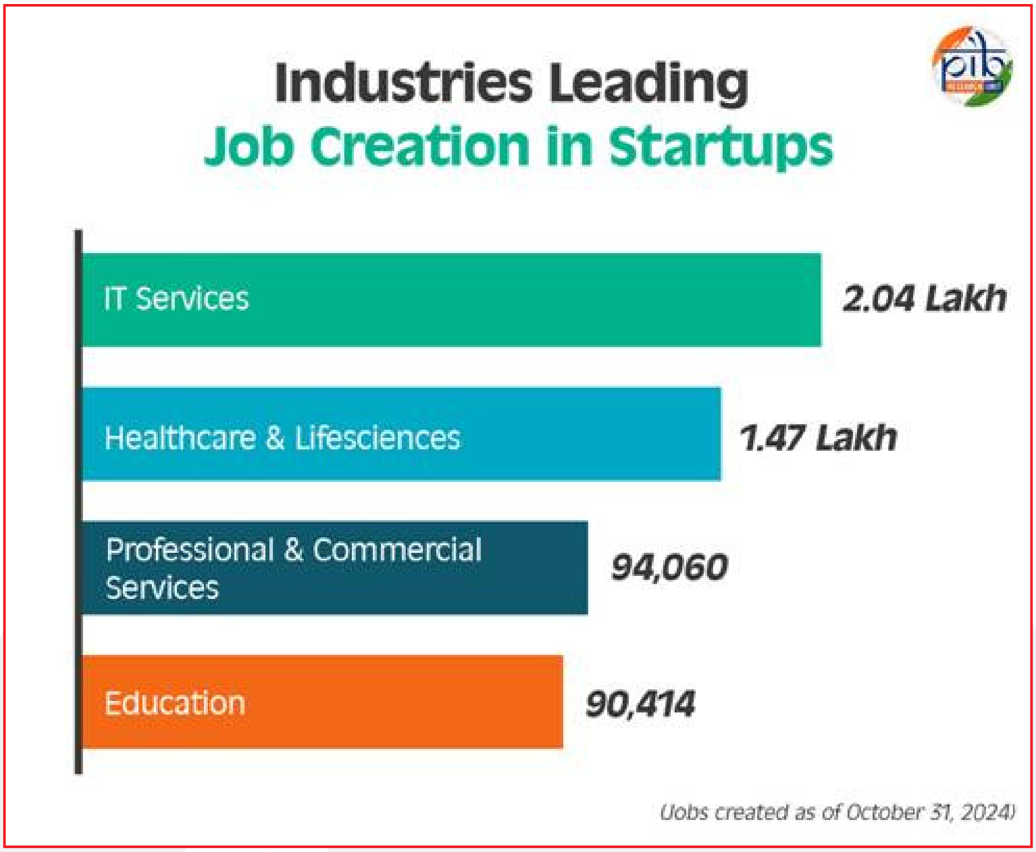

- **महिला उद्यमियों का उदय:** वर्ष 2024 तक, **73,151 स्टार्टअप्स में कम-से-कम एक महिला निदेशक** है, जो उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
- **गैर-मेट्रो शहरों पर ध्यान केंद्रित: राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग** और **क्षमता निर्माण कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रमों ने गैर-मेट्रो शहरों में स्टार्टअप** पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत किया है।

स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अन्य महत्त्वपूर्ण पहल क्या हैं?

- **पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रम: स्टार्टअप महाकुंभ** एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो **भारत की उद्यमशीलता की भावना और नवाचार** को प्रदर्शित करता है।
  - वर्ष 2024 में आयोजित पहले संस्करण में 48,000 से अधिक आगंतुक और 392 वक्ता शामिल हुए थे। दूसरा संस्करण (अप्रैल 2025) **"स्टार्टअप इंडिया @ 2047-भारत की कहानी को उजागर करना"** पर केंद्रित होगा, जिसमें वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत के भविष्य पर प्रकाश डाला जाएगा।
  - **ASCEND (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमशीलता अभियान में तेज़ी लाना) कार्यशालाएँ पूर्वोत्तर राज्यों** में उद्यमियों को समर्थन देती हैं, और **स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस** के दौरान उद्यमशीलता का जश्न मनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** भारत की **G-20 अध्यक्षता** ने वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये **स्टार्टअप-20 सहभागिता समूह** को संस्थागत रूप दिया।
- **भास्कर:** वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया **भास्कर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री)** एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ **निवेशक, सलाहकार, सेवा प्रदाता और सरकारी निकाय जैसे विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारक** सहजता से जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं।
  - यह स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिये **केंद्रीकृत संसाधन**, सुव्यवस्थित बातचीत के लिये **वैयक्तिक भास्कर ID** और अवसरों की **बेहतर खोज के लिये उन्नत खोज सुविधा** प्रदान करता है।
  - यह मंच **भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में बढ़ावा** देता है तथा **समावेशिता और क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देकर **गैर-मेट्रो क्षेत्रों के स्टार्टअप को सशक्त** बनाता है।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **पूंजी तक पहुँच:** पहल के बावजूद, कई **स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई** होती है, विशेष रूप से **टियर-II और टियर-III शहरों** में।
  - अगस्त 2024 में, टियर-II और टियर-III शहरों में वित्त पोषण **जुलाई 2024 में 2,202 करोड़ रुपए** से घटकर **630 करोड़ रुपए** हो गया, और अक्तूबर 2024 में 1,743 करोड़ रुपए से नवंबर 2024 में **202 करोड़ रुपए** हो गया, जो टियर-I शहरों के साथ असमानताओं को उजागर करता है।
- **विनियामक बाधाएँ:** भारत का जटिल और अस्पष्ट विनियामक वातावरण स्टार्टअप्स के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिये, ओला और उबर जैसी **ऐप-आधारित कैब सेवाओं को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत** वर्गीकृत करने पर बहस ने **परिचालन अनिश्चितताएँ** पैदा कर दी हैं।
  - इसके अतिरिक्त, नए **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2024,** के परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स को अधिक अनुपालन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही यह आवश्यक हो।
- **विस्तार संबंधी चुनौतियाँ:** अध्ययनों के अनुसार, मज़बूत वृद्धि के बावजूद, लगभग **90% स्टार्टअप** पहले 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण विस्तार संबंधी समस्याएँ, **परिचालन संबंधी अक्षमताएँ** और नए बाज़ारों में प्रवेश करने में आने वाली चुनौतियाँ हैं।
- **स्थिरता के मुद्दे:** भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एडटेक सहित कई क्षेत्रों में **प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है,** जिससे **बाज़ार संतृप्ति और लाभ मार्जिन** कम हो रहा है।
  - **एडटेक** में महामारी के बाद की मंदी ने **अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों** को उजागर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अस्थिर नकदी की हानि और बाजार समेकन देखने को मिलता है।

आगे की राह:

- **सुव्यवस्थित विनियामक सैंडबॉक्स: RBI के फिनटेक मॉडल** की सफलता के आधार पर, सभी क्षेत्रों में एक **व्यापक विनियामक सैंडबॉक्स** स्थापित करना।
  - इससे हेल्थटेक, एडटेक और क्लीनटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को नियंत्रित वातावरण में नवीन उत्पादों का परीक्षण करने में मदद मिलेगी, जिससे नियामक बोझ कम होगा।
- **लक्षित कौशल विकास: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन** और **IoT** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल पहलों को कौशल भारत कार्यक्रम के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है।
- **विकेंद्रीकृत स्टार्टअप हब:** बुनियादी ढाँचे में सुधार और प्रोत्साहन प्रदान करके, **टियर-2 और टियर-3** शहर स्टार्टअप हब बन सकते हैं।
  - **हब-एण्ड-स्पोक मॉडल** लागू करना, जहाँ प्रमुख शहर (हब) आसपास के छोटे शहरों (स्पोक) को सहयोग प्रदान करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बेहतर कर प्रोत्साहन:** तकनीकी कंपनियों के लिये इज़रायल की 12% **निगम कर** दर के आधार पर, स्टार्टअप के लिये कर लाभ को **तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष,** साथ ही **डीप-टेक उद्यमों और राष्ट्रीय चिंताओं** से निपटने वालों के लिये अतिरिक्त छूट प्रदान करना।
- **IP संरक्षण:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये **फास्ट-ट्रैक परीक्षाओं** के साथ पेटेंट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा एक आईपी जागरूकता कार्यक्रम लागू करना, जो **जापान द्वारा पेटेंट परीक्षा समय को घटाकर 14 महीने** करने से प्रेरित है।
- **सरकारी खरीद को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप को सरकारी खरीद का एक हिस्सा प्रदान करने की आवश्यकता है, जो कि अमेरिका के 23% छोटी कंपनी खरीद लक्ष्य के समान है। इससे भारतीय उद्यमियों को पर्याप्त बाज़ार अवसर प्राप्त होंगे।

निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 वर्ष के विकास ने भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, **नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।** 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ, भारत वैश्विक उद्यमिता के रूप में उभरने के लिये तैयार है। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिये, वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाना और समावेशिता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत वर्ष 2047 के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, फिर भी वित्तपोषण की कमी, विनियामक बाधाएँ और सीमित नवाचार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चर्चा कीजिये।

भारत का राजकोषीय समेकन

चर्चा में क्यों?

भारत ने अपने **राजकोषीय घाटे** को **वित्त वर्ष 2020-21** में महामारी काल के **सकल घरेलू उत्पाद के 9.2%** के उच्च स्तर से घटाकर वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित **5.6%** कर दिया है, जबकि **वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 4.9%** किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **लक्षित व्यय** और बढ़े हुए **राजस्व संग्रह** के माध्यम से, देश ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003** के अंतर्गत **राजकोषीय समेकन** में पर्याप्त प्रगति की है।

राजकोषीय समेकन क्या है?

- राजकोषीय समेकन का तात्पर्य **दीर्घकालिक** आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये **सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन** से है।
  - यह सरकारी **राजस्व (कर और गैर-कर प्राप्तियाँ) को व्यय के साथ** संतुलित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य **राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करना, लोक ऋण को नियंत्रित करना** और सतत् आर्थिक विकास में सहायता करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **विवेकपूर्ण व्यय:** बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे **आवश्यक, कुशल और उत्पादक क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **राजस्व अनुकूलन: कर संग्रह** को अधिकतम करना, **कर चोरी को कम करना और कर आधार को व्यापक बनाना।**
  - **घाटा नियंत्रण: अत्यधिक उधार लेने से बचने** के लिये राजकोषीय घाटे को सीमित किया जाता है।
  - **ऋण प्रबंधन:** आर्थिक संकटों से बचने के लिये **लोक ऋण को धारणीय** बनाए रखना।
  - **जवाबदेही: अंकेक्षण** और विनियमों के अनुपालन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **महत्त्व:**
  - **समष्टि आर्थिक स्थिरता:** इसके माध्यम से सरकारी उधारी में कमी ला कर **(मुद्रा का अल्प परिसंचरण)** मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, **मुद्रा विनिमय दरों** में स्थिरता आती है (विनिमय दरों की **अस्थिरता में कमी ला कर**) और स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।
  - **ऋण बोझ में कमी:** इससे **अधारणीय उधारी से बचा जा सकता है,** जिससे भावी पीढ़ियों पर बोझ कम हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निवेशक विश्वास:** घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करते हुए सुदृढ़ **आर्थिक प्रबंधन** होता है।
- **कुशल संसाधन उपयोग:** इससे व्यर्थ व्यय की रोकथाम होती है और यह सुनिश्चित होता है कि संसाधन विकास प्राथमिकताओं की ओर निर्देशित हों।

राजकोषीय समेकन से आर्थिक स्थिरता और विकास किस प्रकार प्रभावित होता है?

- **मुद्रास्फीति नियंत्रण: FRBM अधिनियम, 2003 के तहत,** सरकार की उधारी को कम करते हुए **वित्तीय वर्ष** 2018-19 में राजकोषीय घाटा **GDP का 3.4% हो गया** जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में **GDP का 4.5% था।**
  - **अत्यधिक उधारी और सरकारी खर्च पर अंकुश लगाकर,** राजकोषीय समेकन **कीमतों को स्थिर रखने** और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है।
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि: कोविड-19 महामारी** के दौरान, भारत ने **MSME और विस्थापित व्यक्तियों** जैसे क्षेत्रों पर वित्तीय राहत पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि **पूंजीगत व्यय** को प्राथमिकता दी, जो **वित्त वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गया।**
  - इससे सुभेद्य क्षेत्रों पर **नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद मिली और** महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में सुधार हुआ जिससे **दीर्घकालिक आर्थिक विकास** सुनिश्चित हुआ।
- **राजस्व संग्रहण: कर प्रणाली के डिजिटलीकरण** से कर संग्रह में अधिक दक्षता आई है, जिससे कर प्राप्तियाँ **वित्त वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 10% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 11.8% हो गई हैं।**
  - कर राजस्व में वृद्धि से सरकार की **लोक सेवाओं में निवेश करने की क्षमता का वर्द्धन हुआ।**
- **दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार:** भारत ने **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** देने के लिये **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की।
  - इससे **वैश्विक व्यापार व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों** के प्रभावों को **कम करने में मदद मिली** तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर विकास सुनिश्चित हुआ।
- **क्षमता निर्माण:** राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी के साथ, भारत निर्यात में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन गया, आयात पर इसकी निर्भरता कम हो गई तथा इसके व्यापार संतुलन में सुधार हुआ।
  - जैसे-जैसे राजकोषीय घाटा कम हुआ और अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर हुई, **निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार** हुआ।

FRBM अधिनियम, 2003 क्या है?

- **परिचय: राजकोषीय घाटे को कम करने** और **राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने** के लिये सरकार में वित्तीय समेकन स्थापित करने हेतु वर्ष 2003 में FRBM अधिनियम अधिनियमित किया गया था।
- **मुख्य विशेषताएँ:** संघ और राज्यों द्वारा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% (संघ) और GSDP (राज्य) के 3% तक कम करना तथा वर्ष 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना।
  - केंद्रीय बजट के साथ **मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, व्यापक आर्थिक ढाँचा और राजकोषीय नीति रणनीति विवरण** प्रस्तुत करना।
- **छूट संबंधी खंड: FRBM अधिनियम, 2003 की धारा 4(2)** के तहत सरकार **राष्ट्रीय सुरक्षा/युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा आदि** जैसी स्थितियों में गंभीर आर्थिक संकट के समय **अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5%** तक बढ़ा सकती है।
- **संशोधन: वर्ष 2012** में इसमें संशोधन करके **0% राजस्व घाटे** की आवश्यकता को हटा **दिया गया तथा इसके स्थान पर वर्ष 2015 तक 0% प्रभावी राजस्व घाटा** अनिवार्य कर दिया गया।
  - प्रभावी राजस्व घाटा का तात्पर्य **राजस्व घाटे में से उस धनराशि को घटाना है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये राज्यों** को दी गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2016 में इस अधिनियम के लक्ष्यों की कठोरता को देखते हुए इसमें सुधार का सुझाव देने के लिये एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था।

एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें:

- **विचलन:** केंद्र और राज्य दोनों सरकारें राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को **सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक** बढ़ा सकती हैं।
  - 0% का **प्राथमिक घाटा लक्ष्य वर्ष 2022-23 तक स्थानांतरित किया गया** (पहले के वर्ष 2020-21 से)।
    - प्राथमिक घाटा सरकार के **राजकोषीय घाटे** और मौजूदा सार्वजनिक ऋण पर **ब्याज भुगतान के बीच का अंतर** है।
- **प्राथमिक लक्ष्य के रूप में ऋण:** कठोर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के बजाय **ऋण में कमी पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **राजकोषीय परिषद:** राजकोषीय नीति की देखरेख के लिये स्वतंत्र सदस्यों वाली एक स्वायत्त **राजकोषीय परिषद का गठन।**
- **उधार:** RBI से **उधार लेने पर प्रतिबंध, केवल विशिष्ट मामलों में ही इसकी अनुमति जैसे:**
  - प्राप्तियों में **अस्थायी कमी को** पूरा करना।
  - लक्ष्य से विचलन के क्रम में RBI द्वारा **सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद**।
  - कुछ परिस्थितियों में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करना।

भारत के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कल्याण से समझौता:** आलोचकों का तर्क है कि राजकोषीय घाटे को कम करने पर **बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक विकास के लिये आवश्यक खर्च सीमित हो** सकता है तथा लोक कल्याण कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव (क्योंकि **3% GDP लक्ष्य बहुत महत्त्वाकांक्षी है**) पड़ सकता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव: जटिल विनियमन और टैरिफ** के साथ व्यापार की गतिशीलता में बदलाव से **राजकोषीय स्वास्थ्य** प्रभावित हो सकता है और घरेलू उद्योगों एवं आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के क्रम में सरकारी खर्च पर दबाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिये, ट्रंप की टैरिफ संबंधी धमकियाँ।
- **अस्थिर पूंजी प्रवाह:** विकसित अर्थव्यवस्थाओं में **ब्याज दरों** में वृद्धि के कारण भारत में पूंजी प्रवाह **अस्थिर** होता है। **अप्रत्याशित बहिर्वाह** से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है या मुद्रा स्थिरता पर दबाव पड़ सकता है।
- **राज्यों के घाटे में वृद्धि:** कई राज्य बढ़ते राजकोषीय घाटे (जो GSDP के अनुशंसित 3% से अधिक है) से ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिये, **हिमाचल प्रदेश (4.7%), आंध्र प्रदेश (4.2%)**।
  - इसके अलावा **कई राज्यों में ऋण-GDP अनुपात** में वृद्धि देखी जा रही है।
- **पूंजीगत व्यय को बनाए रखना:** राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना पूंजीगत निवेश का 3.2% बनाए रखना **उच्च उधार लागत**, कम कर अनुपालन एवं संग्रहण आदि के कारण एक **चुनौती** है।

आगे की राह

- **कर सुधार:** कर आधार में सुधार (**विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र** में **कर दरों में वृद्धि किये बिना अधिक कर संग्रह करके**) तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करके अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ डाले बिना राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - राज्य सरकारों को **अपनी विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप राजकोषीय सुधार लागू करने** तथा फिजूलखर्ची को कम करने की आवश्यकता है।
- **निवेश बनाम घाटा नियंत्रण: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण बनाए रखना** महत्त्वपूर्ण है, लेकिन भारत को इसे दीर्घकालिक विकास की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा, क्योंकि अत्यधिक सख्त उपाय से निवेश में बाधा आ सकती है।
  - उदाहरण के लिये, 14वें वित्त आयोग (2013-2014) ने दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संवृद्धि एवं विकास को समर्थन देने के क्रम में राजकोषीय प्रबंधन में अधिक लचीलेपन की सिफारिश की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **मौद्रिक एवं राजकोषीय समन्वय:** **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और सरकार को मुद्रा बाज़ारों में **अस्थिरता को प्रबंधित करने तथा मुद्रास्फीति** को नियंत्रण में रखने के लिये प्रभावी ढंग से समन्वय करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें कौन सी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं?

भारत की कराधान प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ और सुधार

चर्चा में क्यों?

वर्तमान कर प्रणाली (विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर ढाँचे के तहत) विकास को धीमा करने एवं व्यापार विकास तथा उपभोग में बाधक होने के साथ भारत की निवेश प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है।

भारत में कर प्रणाली किस प्रकार की है?

- **परिचय: कर, अनिवार्य** वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं एवं सरकारी कार्यों के वित्तपोषण के लिये **व्यक्तियों, व्यवसायों या संपत्ति** पर लगाए जाते हैं।
  - **करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण** के बीच **कोई लेन-देन** नहीं होता है।
  - भारत में कर प्रणाली में **प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अन्य करों** का मिश्रण शामिल है।
- **करों के प्रकार:**
  - **प्रत्यक्ष कर:** ये **कर व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा** सरकार को अदा किये जाते हैं तथा इन्हें दूसरों को **हस्तांतरित नहीं** किया जा सकता है।
  - **अप्रत्यक्ष कर:** ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और यह बिक्री पर **बिचौलियों द्वारा उपभोक्ताओं** से वसूले जाते हैं और सरकार को अदा किये जाते हैं।
  - **अन्य कर:** ये कर **विशिष्ट उद्देश्यों** के लिये लगाए जाते हैं (अक्सर **बुनियादी ढाँचे या कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये**)।
- **प्रत्यक्ष कर:**
  - **आयकर:** यह प्रगतिशील प्रकृति की **आय पर लगाया** जाता है, जिसमें **विभिन्न करदाता श्रेणियों** के लिये अलग-अलग स्लैब होते हैं।
  - **पूंजीगत लाभ कर:** यह **निवेश** से प्राप्त लाभ पर कर है, जिसकी दरें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक होल्डिंग्स के आधार पर अलग-अलग होती हैं।
  - **प्रतिभूति लेनदेन कर:** यह शेयर बाज़ार में **प्रतिभूतियों से जुड़े लेनदेन पर आरोपित** कर है।
  - **अनुलाभ कर: यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किये गए लाभों** पर कर (जैसे, आवास, कार) है।
  - **कॉर्पोरेट टैक्स:** यह कंपनियों द्वारा अपनी **कमाई पर दिया जाने वाला कर** है, जिसमें **विभिन्न आय स्तरों के लिये अलग-अलग स्लैब** होते हैं।
    - **न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT):** MAT से यह सुनिश्चित होता है कि कंपनियाँ न्यूनतम कर (जो **18.5% निर्धारित है**) का भुगतान करें।
    - **फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT):** यह नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किये गए **गैर-नकद लाभों पर कर** (वर्ष 2009 में समाप्त) है।
    - **लाभांश वितरण कर (DDT):** यह कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये **लाभांश** पर कर है।
    - **बैंकिंग नकद लेनदेन कर:** यह बैंकिंग लेनदेन पर कर (वर्ष 2009 में समाप्त) है।
- **अप्रत्यक्ष कर:**
  - **GST:** यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग आधारित मूल्यवर्द्धित कर (**मूल्यानुसार कर**) है, जो आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है।
    - यह **कर प्रतिगामी प्रकृति** का है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों पर **आय से परे** समान दर से लगाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मूल्यवर्द्धित कर (VAT):** यह बेची गई वस्तुओं पर कर है जो आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें **GST व्यवस्था से बाहर** (जैसे मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद आदि) रखा गया है।
- **सीमा शुल्क एवं चुंगी:** आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क तथा राज्य की सीमाओं को पार करने वाली वस्तुओं पर चुंगी कर लगता है।
- **उत्पाद शुल्क:** यह भारत के अंदर निर्मित वस्तुओं पर कर है।

- **अन्य शुल्क (उपकर):**
  - **शिक्षा उपकर:** यह शैक्षणिक पहलों (जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय विकसित करना, **छात्रवृत्ति प्रदान करना** आदि का वित्तपोषण) के लिये लिया जाने वाला **2% कर** है।
  - **स्वच्छ भारत उपकर:** यह **स्वच्छ भारत मिशन** जैसी **स्वच्छता पहलों** को वित्तपोषित करने के लिये **वर्ष 2015** में शुरू किया गया कर है।
  - **कृषि कल्याण उपकर:** यह **सिंचाई परियोजनाओं, सब्सिडी वाले बीज** आदि जैसे **कृषि कल्याण कार्यक्रमों** का समर्थन करने के लिये **वर्ष 2016** में शुरू किया गया कर है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- **परिचय:** यह एक **मूल्यवर्द्धित कर** है जो घरेलू उपभोग के लिये वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है।
  - यह एक **अप्रत्यक्ष कर** है तथा वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले **व्यवसायों द्वारा एकत्र** किया जाता है और सरकार को दिया जाता है।
- **विधायी आधार:** **101वें संशोधन अधिनियम, 2016** से विभिन्न करों को समाहित करके पूरे देश के लिये एकल **अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था शुरू करने के क्रम में GST प्रणाली** की शुरुआत की गई।
  - GST के अंतर्गत सम्मिलित **केंद्रीय करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं।**
  - GST के अंतर्गत सम्मिलित **राज्य कर हैं- राज्य वैट (मूल्य वर्द्धित कर), केंद्रीय बिक्री कर, लक्ज़री टैक्स आदि।**
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **आपूर्ति पक्ष:** GST विनिर्माण, बिक्री या प्रावधान पर पुराने कर के विपरीत, **वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति** पर लागू होता है।
  - **गंतव्य-आधारित कराधान:** GST **मूल-आधारित प्रणाली के विपरीत, गंतव्य-आधारित उपभोग** कराधान का अनुसरण करता है।
  - **दोहरा जीएसटी: केंद्र (सीजीएसटी) और राज्य (एसजीएसटी)** दोनों एक ही आधार पर कर लगाते हैं।
  - **आपूर्ति पक्ष:** विनिर्माण, बिक्री या प्रावधान पर पिछले कर के विपरीत, GST वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है।
  - **गंतव्य-आधारित कराधान:** मूल-आधारित प्रणाली के विपरीत, GST एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है।
  - **ड्यूल GST:** कराधान राज्यों (SGST) और केंद्र (CGST) द्वारा साझा आधार पर आरोपित किया जाता है।
    - वस्तुओं या सेवाओं के **आयात को अंतर-राज्यीय** आपूर्ति माना जाता है तथा वे लागू **सीमा शुल्क** के साथ **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)** के अधीन होते हैं।
  - **GST परिषद: GST परिषद** की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा **CGST, SGST और IGST दरें पारस्परिक** रूप से तय की जाती हैं।
  - **विभिन्न दरें:** GST पाँच दरों पर आरोपित किया जाता है, अर्थात **0% (शून्य दर), 5%, 12%, 18% और 28%,** जिनका वस्तु वर्गीकरण **GST परिषद** द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **GST परिषद: अनुच्छेद 279A** GST परिषद की स्थापना करता है, जिसका **अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री** होगा, **जिसमे राज्य द्वारा नामित मंत्री** शामिल होंगे।
  - केंद्र के पास **1/3 तथा राज्यों के पास 2/3 मतदान की शक्ति है,** तथा निर्णय 3/4 बहुमत से लिये जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वर्तमान कर प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पूर्वव्यापी कराधान:** 55वीं जीएसटी परिषद की **पूर्वव्यापी कर** संशोधन की सिफारिश एक **प्रतिगामी** कदम है, जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) के फैसलों की अवहेलना करता है।
  - **वोडाफोन मामले में फैसले को रद्द** करने के लिये गलत पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप **8000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय जुर्माना लगा,** जिसे भारत को अदा करना पड़ा।
    - वर्ष 2014 में पूर्व **वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पूर्वव्यापी कराधान को "कर आतंकवाद"** कहा था।
  - इससे **निवेशकों का विश्वास कम होता है** तथा दीर्घकालिक निवेश हतोत्साहित होता है, क्योंकि कंपनियाँ सुसंगत नियमों पर भरोसा नहीं कर सकतीं।
- **राजस्व अधिकतमीकरण: GST परिषद का राजस्व अधिकतमीकरण** पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप **मनमाना और अतिरंजित कर मांगें सामने आती हैं,** जिससे व्यवसाय में निराशा और अकुशलता उत्पन्न होती है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार:** व्यवसायों को **इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करना,** विशेष रूप से रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से हानिकारक है।
  - इससे उपभोक्ताओं के लिये **अंतिम कीमत बढ़ जाती है, बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा विकृत** हो जाती है, तथा वे क्षेत्र प्रभावित होते हैं जो विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
  - *केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम सफारी रिट्रीट्स केस, 2024* में **सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट क्षेत्र **किराये या पट्टे के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक भवनों** के निर्माण लागत पर **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)** का दावा कर सकता है, जिसकी पहले अनुमति नहीं थी।
- **जटिल कर संरचना:** अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों में विभिन्न कर दरें, जटिल कर अधिसूचनाएँ, **छूट और रियायतों** की जटिल प्रणाली, तथा परिपत्रों के कारण ऐसा वातावरण बनता है, जिससे व्यवसायों के बजाय **कर पेशेवरों** को लाभ होता है।
- **कम प्रत्यक्ष कर संग्रह:** निगम, विशेष रूप से **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, उच्च-कर वाले क्षेत्रों से कम-कर वाले क्षेत्रों में** मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिये **स्थानांतरण मूल्य निर्धारण** का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी कर देनदारियाँ कम हो जाती हैं।
  - कुछ निगम अपनी कर देयता को कम करने के लिये **अपनी आय को कम या अपने व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं।**
  - **प्रत्यक्ष कर संग्रह** इतना कम होने के कारण सरकार को **उच्च अप्रत्यक्ष कर दर, अधिभार और उपकर** जैसे अन्य स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।

जटिल कर संरचना के परिणाम क्या हैं?

- **आयात पर निर्भरता:** बोझिल कर प्रणाली आयातित वस्तुओं की तुलना में **घरेलू विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्द्धी बना देती है, जिससे विदेशी उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़** जाती है।
  - उदाहरण के लिये, चीन से आयात वर्ष **2018-19 में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।**
  - **इससे विपरीत शुल्क संरचना** को भी बढ़ावा मिलता है, जहाँ प्रयुक्त **इनपुट पर कर की दर तैयार वस्तु पर कर** की दर से अधिक होती है।
    - **भारत के सकल घरेलू उत्पाद** में विनिर्माण का हिस्सा **15% से** कम हो गया है।
- **मुद्रा अवमूल्यन:** चूँकि व्यवसायों को उच्च लागत, कम प्रतिस्पर्द्धा और दमित वृद्धि का सामना करना पड़ता है, इसलिये इससे **भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है** और व्यापार घाटा बढ़ता है।
  - जब किसी देश में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों हों तो इससे दोहरे खाता घाटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **निवेश में बाधा: अस्पष्ट संरचनाओं और पूर्वव्यापी संशोधनों** के साथ एक जटिल कर प्रणाली, निवेशकों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न करती है और सुकर व्यापार प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कम राजस्व संग्रहण:** व्यवसायों को जटिल कर प्रणाली से निपटने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप या तो **कर कम बताया जाता है या कर चोरी** होती है।
  - कम राजस्व संग्रह से सरकार राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिये **उच्च कर लगाने के लिये विवश होती है,** जिससे **गतिरोध का चक्र** शुरू हो जाता है।
- **अधोमुखी आर्थिक चक्र:** निम्न वृद्धि, कम निवेश और बढ़ते आयात से एक दुष्चक्र बनता है जो **दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है और अकुशलता को बनाए रखता है।**

आगे की राह

- **GST को सरल एवं कारगर बनाना:** व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में, अधिक **सरलीकृत और एकसमान कर दर संरचना शुरू की जानी चाहिये।**
  - भारत को दरों को तर्कसंगत बनाकर कर ढाँचे को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। उदाहरण के लिये, पॉपकॉर्न पर तीन GST दरें यानी, **अनलेबल (5%), लेबल्ड रेडी-टू-ईट (12%) और कैरामेलाइज़्ड (18%)।**
- **कर निश्चितता:** बार-बार संशोधन या **मनमाने कर मांगों का परिहार किया जाना चाहिये,** जो स्पष्ट और सुसंगत कर नियमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं।
  - **पूर्वव्यापी कराधान को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है** जो निवेशकों के विश्वास के लिये **हानिकारक रहा है।**
- **राजस्व संग्रह का अनुकूलन:** कर संग्रह दक्षता में सुधार और कर चोरी को रोकने के लिये **डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोग में लाया जाना चाहिये।**
  - प्रौद्योगिकी **कर विसंगतियों की पहचान करने,** व्यवसायों द्वारा सटीक रिपोर्ट सुनिश्चित करने तथा कम रिपोर्ट किये जाने का समाधान करने में मदद कर सकती है।
- **आर्थिक विकास की कार्यनीति:** कर प्रणाली में **राजस्व अधिकतमीकरण की तुलना में दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये,** क्योंकि विकासोन्मुख नीतियों से भविष्य में कर आधार का विस्तार होता है।
- **कॉर्पोरेट कर संग्रह में सुधार: संभावित कम रिपोर्टिंग, चोरी या धोखाधड़ी की पहचान करने** के लिये कॉर्पोरेट कर फाइलिंग का नियमित और गहन ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिये।
  - कंपनियों को समय पर कर का भुगतान करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर त्रुटियों अथवा लोप के बारे में शीघ्र स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिये **शीघ्र भुगतान पर छूट** या **कम दंड** जैसे प्रोत्साहन प्रदान किये जाने चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत की अर्थव्यवस्था की कार्य- पद्धति पर जटिल कराधान प्रणाली के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये और इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के सुधारों का सुझाव दीजिये।

भारत के लिये संप्रभु संपदा निधि की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

भारत अपनी अर्थव्यवस्था के निष्क्रिय **राष्ट्रीय धन/संपत्ति** का उपयोग करने के लिये **भारत संप्रभु संपदा निधि (Sovereign Wealth Fund- BSWF) अथवा भारत निधि (TBF)** का निर्माण करने पर विचार कर रहा है।

संप्रभु संपदा निधि (SWF) क्या है?

- **परिचय:** SWF **सरकारी स्वामित्व वाली निधियाँ** हैं जिनका स्रोत **राज्य के अधिशेष** हैं, जो प्राय: **प्राकृतिक संसाधनों, व्यापार अधिशेष या बजट आधिक्य** जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं।
  - **SWF सरकारों को रणनीतिक निवेश** के माध्यम से धन सृजन में मदद करते हैं, जिससे **वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास** सुनिश्चित होता है।
- **विशेषताएँ: सैंटियागो सिद्धांत 2008 के अनुसार** SWF को **3 प्रमुख अभिलक्षण के साथ परिभाषित किया गया है:**
  - इस पर **सार्व सरकार** का स्वामित्व होता है, जिसमें **केंद्रीय सरकार** और **उप-राष्ट्रीय** सरकारें दोनों शामिल हैं।
  - इसमें **विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों** में निवेश भी शामिल है।
  - **वित्तीय उद्देश्यों** के लिये इनका निवेश किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन प्रमुख कारकों में पॉलिसीधारकों के स्वामित्व वाली **लोक पेंशन निधियाँ**, तथा **केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं,** जिनमें **निवेश नहीं किया जाता है।**

- **प्रकार:**
  - **स्थिरीकरण निधि:** राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अस्थिर राजस्व से **होने वाली समस्याओं का समाधान करना।**
  - **भावी पीढ़ी निधि:** भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु राज्य के अधिशेष को **दीर्घकालिक धन के लिये निवेश करना।**
  - **सार्वजनिक लाभ पेंशन रिज़र्व निधि:** दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिये पेंशन प्रणालियों को वित्तपोषित करना।
  - **आरक्षित निवेश निधि:** मुद्रा को स्थिर करने के उद्देश्य से **विदेशी मुद्रा आरक्षित निधिका प्रबंधन और इसमें वृद्धि करना**
  - **रणनीतिक विकास SWF:** राष्ट्रीय विकास के लिये **प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करना।**
  - **विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्तियाँ: मुद्रा स्थिरता बनाए रखना** और वैश्विक व्यापार शक्ति का प्रबंधन करना।
- **उदाहरण: नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल** (1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, विश्व का सबसे बड़ा SWF), **चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन** (1.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर), **अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी** (993 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आदि।
- **भारत में SWF:**
  - **वर्ष 2007-08:** भारत में SWF का विचार वर्ष 2007-08 में पूंजी प्रवाह में वृद्धि (**एक वर्ष में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक**) के कारण लोकप्रिय हुआ लेकिन **वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट** के बाद इसकी गति कम हो गई।
  - **वर्ष 2010-11: योजना आयोग** ने **वर्ष 2010-11** में SWF संबंधी प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बजट आवंटन द्वारा वित्तपोषित **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष** का सुझाव दिया गया।
  - **वर्ष 2015: NIIF** की स्थापना की गई जो **भारत का प्रमुख संरचित निवेश कोष** बना हुआ है।

नोट: सैंटियागो सिद्धांत 24 **स्वैच्छिक दिशानिर्देशों** के एक समूह को संदर्भित करता है जो **सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWF)** के लिये पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विवेकपूर्ण निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- इन सिद्धांतों की स्थापना **वर्ष 2008 में सॉवरेन वेल्थ फंड्स के अंतर्राष्ट्रीय फोरम (IFSWF)** द्वारा की गई थी, जो **वैश्विक SWF** का एक स्वैच्छिक संगठन है।

भारत को SWF की आवश्यकता क्यों है?

- **सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्ति को अनलॉक करना:** SWF से राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं में निवेश करके और उनसे रिटर्न बढ़ाकर, **80 सूचीबद्ध उद्यमों** में अनुमानित **40 लाख करोड़ रुपए (450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर)** का प्रबंध हो सकता है।
- **राजकोषीय घाटे में कमी:** सरकारी इक्विटी से **2% विनिवेश** से प्रतिवर्ष **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** की प्राप्ति हो सकती है जिससे भारत का राजकोषीय घाटा **सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% से घटकर 4.6%** हो जाएगा।
- **निवेश में विविधता लाना: वर्ष 2007-09 के** संकट से **अमेरिकी ट्रेजरी जैसी 'सुरक्षित' प्रतिभूतियों** पर निर्भर रहने के जोखिमों पर प्रकाश पड़ा।
  - भारत के SWF से **निवेश में विविधता** आने के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकता है।
- **अतिरिक्त भंडार का लाभ उठाना:** भारत के अतिरिक्त **विदेशी मुद्रा भंडार** (जो नौ माह के आयात के बराबर है) का **राष्ट्रीय संपदा** को बढ़ाने के क्रम में बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
- **रणनीतिक क्षेत्रों के लिये समर्थन:** इसके तहत **इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ऊर्जा, अर्द्धचालक, जैव प्रौद्योगिकी और AI** जैसे क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से **दीर्घकालिक विकास और नवाचार** को बढ़ावा मिलने से भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित हो सकेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सामाजिक कल्याण:** **सामाजिक कल्याण कोष** के तहत सामाजिक क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं के लिये गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं जिससे **कल्याण कार्यक्रमों** एवं राष्ट्रीय विकास निवेशों के लिये राजकोषीय अनुकूलन बढ़ सकता है।
- **प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट पावर:** SWF से **उद्यमों** को विकसित करने एवं **आपदा राहत** प्रदान करने के साथ **नॉर्वे जैसे अन्य देशों के SWF** में निवेश किया जा सकता है जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा।

SWF से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- **चालू खाता घाटा:** SWF आमतौर पर **खनिज संपदा या व्यापार और बजट अधिशेष** वाले देशों के लिये होते हैं, लेकिन भारत को **लगातार चालू खाता घाटे** और महत्त्वपूर्ण **राजकोषीय घाटे** का सामना करना पड़ रहा है।
- **व्यापक आर्थिक जोखिम:** **वैश्विक विकास में मंदी,** बढ़ता संप्रभु ऋण, तथा वित्तीय स्थितियों में कठोरता, **निवेश प्रतिफल को कम करके,** राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव डालकर, तथा वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाकर SWF को प्रभावित कर सकती है ।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** भू-राजनीतिक तनाव और **वैश्वीकरण** से दूरी SWF **निवेश रणनीतियों** को बाधित कर सकती है, जिससे **सीमा पार निवेश,** आपूर्ति शृंखला और व्यापार नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** यदि पर्यावरण नीतियाँ विफल हो जाती हैं, विशेष रूप से **जीवाश्म ईंधन** के मामले में, तो SWF को **जलवायु-प्रभावित उद्योगों और फंसी हुई परिसंपत्तियों** से नुकसान का जोखिम उठाना पड़ सकता है।
- **प्रौद्योगिकीय कमज़ोरियाँ:** बबड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रबंधन करने वाले SWF को **धोखाधड़ी और डेटा चोरी के बढ़ते खतरों का सामना** करना पड़ता है।
  - प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति पारंपरिक निवेश मॉडल को बाधित कर सकती है।

आगे की राह

- **स्पष्ट शासन ढाँचा:** SWF शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये **पारदर्शिता, जवाबदेही और सैंटियागो सिद्धांतों** के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक स्पष्ट **कानूनी और नियामक ढाँचा** स्थापित करना।
- **रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन:** भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिये **AI, जैव प्रौद्योगिकी, EV और सेमीकंडक्टर** जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निवेश करना।
  - **विशेषज्ञता का लाभ उठाने** के लिये वैश्विक फंडों के साथ **सह-निवेश मॉडल** पर विचार करना।
- **राजकोषीय विवेक:** संसाधनों के **चरणबद्ध आवंटन** को लागू करना, **राजकोषीय घाटा प्रबंधन और निवेश लक्ष्यों** के बीच संतुलन सुनिश्चित करना।
- **जोखिम प्रबंधन:** बाज़ार में अस्थिरता और वित्तीय संकटों सहित **व्यापक आर्थिक जोखिमों को कम करने** के लिये रणनीति विकसित करना।
  - जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में **फंसी हुई परिसंपत्तियों से बचने** के लिये **ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) सिद्धांतों** को अपनाना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) क्या हैं? भारत में इसके संभावित लाभ और इससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिये?

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सात वर्षों के लिये 34,300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय** के साथ **नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM)** को मंज़ूरी दी है।

- इस मिशन का उद्देश्य **आत्मनिर्भर भारत** दृष्टिकोण के अनुरूप **क्रिटिकल मिनरल्स** में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) क्या है?

- **उद्देश्य:** NCMM का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा तथा **राष्ट्रीय रक्षा** के लिये आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ❖ इस मिशन में **खनिज अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादों की समाप्ति** से पुनर्प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे।
- ❖ यह मिशन **देश के अंदर तथा इसके अपतटीय क्षेत्रों में** क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को तीव्र करेगा।
- **दृष्टिकोण: NCMM के तहत** विभिन्न मंत्रालयों, **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)**, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है।
  - ❖ क्रिटिकल मिनरल्स के लिये खनन परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
- **खनिजों का भण्डारण: क्रिटिकल मिनरल्स के भण्डारण के लिये NCMS के प्रावधान** यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार मौजूद रहे।
- **अंतर्राष्ट्रीय रणनीति:** भारतीय कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स **परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने** और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुनियादी ढाँचा:** मिशन **खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा, तथा क्रिटिकल मिनरल्स के लिये उत्कृष्टता केंद्र** के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करेगा।
  - ❖ वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को **भारत में प्रसंस्करण इकाइयाँ** स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
  - ❖ क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में **स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को** वित्तपोषित करने के लिये **व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSE में नवाचारों को बढ़ावा देने (PRISM)** पहल का विस्तार किया गया।

NCMM की आवश्यकता क्या है?

- **क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका:**
  - ❖ **हरित ऊर्जा संक्रमण:** क्रिटिकल मिनरल्स **सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन** कोशिकाओं के लिये आवश्यक हैं।

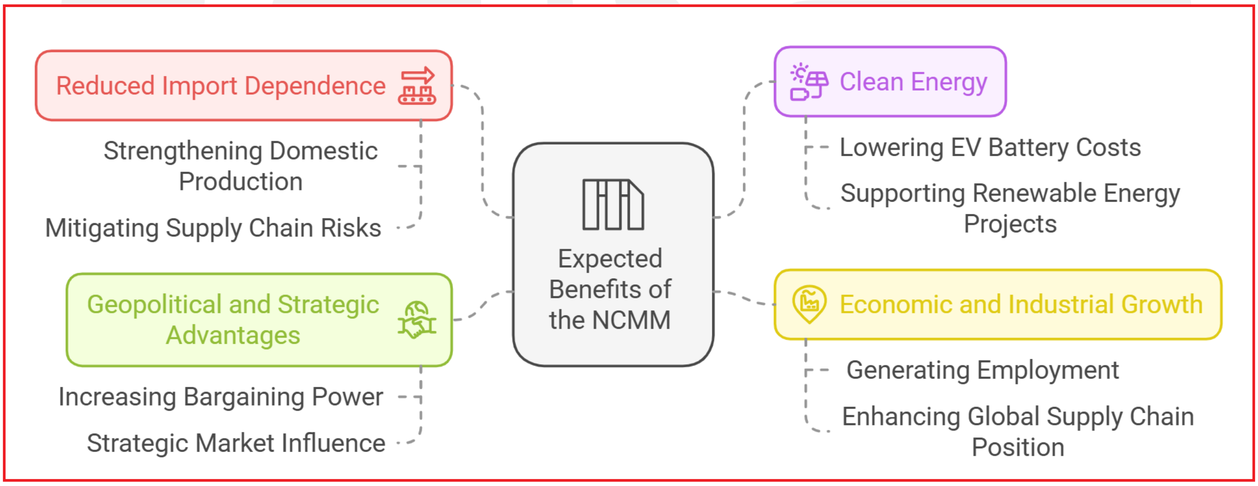

  - ❖ **इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार: अर्द्ध-चालक, फाइबर ऑप्टिक्स और सर्किट बोर्ड** में उपयोग किया जाता है।
  - ❖ **रक्षा एवं एयरोस्पेस: मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों, विमान और उपग्रह प्रौद्योगिकियों** में आवश्यक है।
  - ❖ **चिकित्सा उपकरण: चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) मशीनों, पेसमेकर और अन्य उन्नत** स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रमुख घटक।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **आयात पर भारत की निर्भरता:** भारत छह क्रिटिकल मिनरल्स (बिस्मथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टेल्यूरियम और ग्रेफाइट) के लिये चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो आपूर्ति व्यवधानों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रेरित **लिथियम-आयन बैटरी की मांग में 30% की वार्षिक वृद्धि**, इस वृद्धि को समर्थन देने के लिये NCMM को आवश्यक बनाती है।
- **वैश्विक संदर्भ:** लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की **वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर चीन का प्रभुत्त्व है,** तथा वह इनमें से **60% से अधिक खनिजों का निष्कर्षण** करता है।
  - अमेरिका, **यूरोपीय संघ** और जापान ने अपनी आपूर्ति सुरक्षित करने के लिये नीतियाँ लागू की हैं।
  - भारत को क्रिटिकल मिनरल्स तक दीर्घकालिक पहुँच के लिये एक मज़बूत रणनीति की आवश्यकता है, जिससे NCMM वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाएगा।

क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या हैं?

- **क्रिटिकल मिनरल्स सूची:** भारत ने **अपने लिये 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है।**
  - ये खनिज हैं - एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।
- **विधायी संशोधन:** क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण को कारगर बनाने के लिये **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई।
  - **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR), 2002** में वर्ष 2023 का संशोधन, अपतटीय खनिज अधिकारों के लिये एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करता है, तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिये समग्र लाइसेंस को अनिवार्य बनाता है।
- **अन्वेषण परियोजनाएँ: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** ने 368 क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण परियोजनाएँ पूरी की हैं, जिनमें से 195 वर्ष 2024-25 में चालू हैं और 227 वर्ष 2025-26 के लिये योजनाबद्ध हैं।
- **सीमा शुल्क समाप्ति:** वित्त वर्ष 25 के केंद्रीय बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिये क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिरोपित सीमा शुल्क हटा लिया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** खान मंत्रालय के संयुक्त उद्यम **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** ने लिथियम अन्वेषण और खनन के लिये **अर्जेंटीना के कैटामार्का** में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. क्रांतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने में भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के महत्त्व की चर्चा कीजिये?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: अर्थव्यवस्था की स्थिति

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने **संसद** में **आर्थिक सर्वेक्षण** 2024-25 प्रस्तुत किया। **इसमें सुधारों एवं विकास के लिये रोडमैप** निर्धारित किया गया, जो **केंद्रीय बजट 2025** का आधार है।

आर्थिक सर्वेक्षण

- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये **केंद्रीय बजट** से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है।
- **मुख्य आर्थिक सलाहकार की** देखरेख में **वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग** द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा **संसद के दोनों सदनों** में प्रस्तुत की जाती है।
  - इस सर्वेक्षण में आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार **वर्ष 1950-51** में बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: अर्थव्यवस्था की स्थिति

- **वैश्विक अर्थव्यवस्था: वर्ष 2024** में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यम लेकिन असमान वृद्धि देखी गई। **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने इस वर्ष के लिये **3.2% की वृद्धि का अनुमान** लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण **विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की** मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।
  - वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति कम रहने एवं **सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति स्थिर** रहने के कारण **केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ** अलग-अलग रहीं।
- **भारत की अर्थव्यवस्था:** भारत का **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** **वित्त वर्ष 26 (2025-26) में 6.3-6.8% तक** बढ़ने का अनुमान है।
  - वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारत की **वास्तविक GDP 6.4%** रहने का अनुमान है, जिसमें **कृषि और सेवाओं** की प्रमुख भूमिका के साथ **विनिर्माण क्षेत्र में चुनौतियाँ** बनी हुई हैं।
- **क्षेत्रवार प्रदर्शन:**
  - **कृषि: रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन** और **मज़बूत ग्रामीण मांग** के कारण वित्त वर्ष 2025 में **3.8% की वृद्धि** देखी गई।
  - **उद्योग और विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की** वृद्धि के साथ **कम वैश्विक मांग** के कारण **विनिर्माण की प्रगति धीमी** रही।
  - **सेवाएँ: यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर** के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें **सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा हॉस्पिटलिटी** की प्रमुख भूमिका रही।
  - **बाह्य क्षेत्र: निर्यात में 1.6%** तथा **आयात में 5.2% की वृद्धि** होने से **व्यापार घाटा** को बढ़ावा मिला।
  - भारत विश्व में **धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्त्ता** बना रहा, जिससे **चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% पर बनाए रखने में** मदद मिली।
  - कुल मिलाकर, **भारत का आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक** बना हुआ है, जो **घरेलू अनुकूलन और संरचनात्मक** सुधारों से प्रेरित है, हालाँकि इसमें **वैश्विक अनिश्चितताओं** का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास संघर्ष** ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है।
  - **स्वेज नहर में व्यवधान के** कारण जहाज़ों को **केप ऑफ गुड होप** के मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जिससे **माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी** का समय बढ़ जाता है।
  - प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में **व्यापार नीति जोखिम** और **संरक्षणवाद** भारत के निर्यात और आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित करते हैं।
- **मुद्रास्फीति और निवेश: वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी** आ रही है, फिर भी समकालिक **मूल्य वृद्धि** का जोखिम बना हुआ है।
- **मौसम संबंधी असंतुलन और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों** के कारण **खाद्य मुद्रास्फीति** चिंता का विषय बनी हुई है।
- **कमज़ोर वैश्विक विनिर्माण मांग से भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर** दबाव बढ़ा है, जिससे निजी निवेश में कमी आई है।
- **वित्तीय जोखिम: बढ़ती सब्सिडी**, कम कर संग्रह और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता के कारण राज्य के राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई है।

आगे की राह:

- **भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन:** संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये **व्यापार मार्गों और साझेदारों** में विविधता लाना।
  - **घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा** उत्पादन को बढ़ाकर और दीर्घकालिक आयात समझौते सुनिश्चित करके ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- द्विपक्षीय समझौतों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण में भागीदारी के माध्यम से **व्यापार में अनुकूलता सुनिश्चित** करना।
- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:** खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिये **खाद्य बफर स्टॉक का** विस्तार करना तथा आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना।
  - मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिये **जलवायु-लचीली कृषि** को बढ़ावा देना।
  - प्रोत्साहनों, **कर सुधारों** और **व्यापार को आसान बनाने संबंधी** पहलों के माध्यम से **निजी क्षेत्र** के निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **वित्तीय सुदृढ़ीकरण: राज्य के राजस्व** को बढ़ाने और केंद्रीय स्थानान्तरण पर निर्भरता कम करने के लिये **कर संग्रह** तंत्र में सुधार करना।
  - राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये **सब्सिडी** को युक्तिसंगत बनाना तथा लक्षित **कल्याणकारी योजनाओं** को लागू करना।
  - दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिये राज्यों को **राजकोषीय उत्तरदायित्व उपायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।**

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ

चर्चा में क्यों?

15 जनवरी 2025 को दक्षिण कोरिया के **राष्ट्रपति** यूं सुक-योल को **महाभियोग के तहत गिरफ़्तार किया गया।** दिसंबर 2024 में **मार्शल लॉ की उनकी घोषणा से देश में राजनीतिक उथल-पुथल** को और बढ़ावा मिला।

- यद्यपि एक दिन बाद मार्शल लॉ हटा लिया गया लेकिन **जन आक्रोश, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और त्वरित विधायी कार्रवाई के कारण उन पर महाभियोग** चलाया गया।

नोट: भारत के राष्ट्रपति पर **संविधान** का उल्लंघन करने के लिये महाभियोग लगाया जा सकता है जिसके लिये **संसद के दोनों सदनों** में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र का इतिहास

- **उपनिवेशवाद और कोरिया का विभाजन (1910-1945):**
  - **कोरिया ने वर्ष 1910 से 1945 तक जापान के अधीन** क्रूर औपनिवेशिक शासन का सामना किया।
  - **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद, प्रायद्वीप को सोवियत-नियंत्रित **उत्तर कोरिया** और अमेरिका-नियंत्रित **दक्षिण कोरिया के बीच 38वें समानांतर रेखा पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।**
- **री सिंगमैन की निरंकुशता (1948-1960):** री सिंगमैन, अमेरिका द्वारा समर्थित, वर्ष 1948 में दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने।
  - उनका **प्रशासन निरंकुशता और दमन से भरा हुआ था,** जब तक कि अप्रैल, 1960 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा।
- **सैन्य शासन:** कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से अब तक **16 बार मार्शल लॉ घोषित किया जा चुका है।** इसे आखिरी बार वर्ष 1980 में घोषित किया गया था।
- **लोकतांत्रिक परिवर्तन (1987 के बाद):** वर्ष 1987 में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप रोह ताए-वू राष्ट्रपति बने।
  - फरवरी, 1988 तक **दक्षिण कोरिया ने उदार लोकतंत्र** स्थापित करने पर बल दिया।

मार्शल लॉ में क्या शामिल है?

- मार्शल लॉ (सैन्य शासन) **से तात्पर्य ऐसी स्थिति** से है **जहाँ नागरिक प्रशासन, सैन्य अधिकारियों द्वारा** सामान्य कानून से इतर बनाए गए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित होता है।
  - इस प्रकार इसका **तात्पर्य सैन्य अधिकरणों द्वारा सामान्य कानून** एवं प्रशासन का निलंबित होना है।
  - यह सशस्त्र बलों पर लागू **सैन्य कानून** से अलग है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मार्शल लॉ लागू करना:** यह कानून तब लागू किया जाता है **जब सरकार को** व्यापक नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमण के खतरों का सामना करना पड़ता है।
- **कानून के तहत नियंत्रण का दायरा:** जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो सैन्य प्राधिकारी द्वारा सामान्य नागरिक कार्यों के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया जाता है।
  - इसमें **स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कर्फ्यू** और कानून प्रवर्तन एवं सार्वजनिक व्यवस्था में सैन्य भागीदारी भी शामिल है।

दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ भारत के मार्शल लॉ से किस प्रकार भिन्न है?

- **दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ:**
  - **घोषणा के लिये आवश्यक शर्तें: कोरिया गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 77** के अनुसार, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान, जब सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये सैन्य बलों की आवश्यकता होती है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है।
    - इससे सैन्य आवश्यकताओं से निपटने या राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **सैन्य बलों** एकत्रित करने की अनुमति मिलती है।
  - **शक्तियों का दायरा:** मार्शल लॉ वारंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ **जैसे अधिकारों के संबंध में** विशेष उपाय करने की अनुमति देता है।
    - संविधान मार्शल लॉ के तहत **नियमित न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के निलंबन या परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है।**
- **भारत में मार्शल लॉ:**
  - **अनुच्छेद 34 के विषय में:** भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
    - भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। हालाँकि, **संविधान में कहीं भी 'मार्शल लॉ'** शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
    - **अनुच्छेद 34** के तहत मार्शल लॉ की घोषणा **अनुच्छेद 352** के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है।
- **मार्शल लॉ के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिये क्षतिपूर्ति:**
  - अनुच्छेद 34 संसद को **किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को** किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ मार्शल लॉ लागू हो, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किये गए किसी कार्य के लिये क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है।
  - संसद ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत **पारित किसी भी सजा, दिये गए दंड, जब्ती के आदेश या किये गए अन्य कार्य** को भी वैध बना सकती है।
  - संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर **किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।**
- **लागू करने की शर्तें:**
  - **संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान** भी नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता हो।
  - मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, बगावत, विद्रोह या कानून के प्रति किसी भी हिंसक प्रतिरोध **जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है।**
- **शक्तियों का दायरा:**
  - मार्शल लॉ के दौरान, सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये असामान्य शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
  - **सर्वोच्च न्यायालय ने** माना कि मार्शल लॉ की घोषणा से ***स्वत: ही बंदी*** प्रत्यक्षीकरण **रिट निलंबित नहीं हो जाती** ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

मार्शल लॉ	राष्ट्रीय आपातकाल
• इसका प्रभाव केवल मूल अधिकारों पर पड़ता है।	• यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्र-राज्य संबंध , केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को भी प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है।
• यह सरकार और साधारण कानूनी अदालतों को निलंबित कर देता है।	• यह सरकार और साधारण कानून अदालतों को जारी रखता है।
• यह किसी भी कारण से कानून का उल्लंघन और व्यवस्था को बहाल करने के लिये लगाया जाता है।	• इसे **केवल तीन आधारों पर लगाया जा सकता है**– युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह।
• यह देश के **कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है**	• इसे या तो पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में लागू किया जाता है।
• संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह अंतर्निहित है।	• **संविधान में** इसके विशिष्ट एवं विस्तृत प्रावधान हैं। यह स्पष्ट है।

भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध कैसे रहे हैं?

- **राजनयिक संबंध:**
  - भारत-कोरिया गणराज्य (ROK) के बीच **राजनयिक संबंध वर्ष 1973 में स्थापित हुए** । साथ ही वाणिज्य दूतावास संबंध वर्ष 1962 में स्थापित हुए।
  - दोनों देशों ने **वर्ष 2010 में एक "रणनीतिक साझेदारी" का गठन किया**, जिसे वर्ष 2015 में "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में परिवर्तित कर दिया गया।
- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - 13 वीं शताब्दी के कोरियाई ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार **राजकुमारी सुरीरत्ना (अयोध्या) ने राजा किम-सुरो से विवाह किया** , जिससे कोरिया के साथ पैतृक संबंध स्थापित हुए।
  - नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने **'लैंप ऑफ द ईस्ट'** शीर्षक से एक लघु कविता की रचना की थी, जिसका कोरियाई लोग प्रेमपूर्वक स्मरण करते हैं और कोरिया के वियालयों की पाठ्यपुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है।
- **कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका:** 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के बाद भारत ने कोरियाई प्रायद्वीप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - पूर्व भारतीय राजनयिक श्री के.पी.एस. मेनन ने कोरिया में चुनावों की देखरेख के लिये 1947 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र (UN) **आयोग के अध्यक्ष** के रूप में कार्य किया।
  - युद्ध के समय, भारत ने संघर्ष के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये एक सेना चिकित्सा इकाई, **60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस** भेजी थी।
  - इसके अतिरिक्त, **दोनों युद्धरत पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को स्वीकार किया था**, जिसके परिणामस्वरूप 1953 में युद्ध विराम की घोषणा हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ❖ भारत ने **कोरिया में कस्टोडियन फोर्सेज़-इंडिया (CFI) नामक एक ब्रिगेड ग्रुप भेजा**, जिसने **युद्धबंदियों** के मुद्दे का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **आर्थिक संबंध:**
  - ❖ वर्ष 2010 में **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** के कार्यान्वयन के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेज़ी से सुधार हुआ।
  - ❖ वर्ष 2023 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार **24.4 बिलियन अमरीकी डॉलर** था।
    - भारत का आयात 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि निर्यात 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - ❖ जून 2023 तक भारत में कोरिया गणराज्य का कुल **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** 8.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - ❖ भारत और कोरिया गणराज्य ने भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिये **'कोरिया प्लस' पहल** की शुरुआत की।
- **रक्षा:**
  - ❖ दोनों देशों के बीच वर्ष 2019 में **रक्षा उद्योग सहयोग** के लिये एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - ❖ पहली बार **सियोल अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 (ADEX-2023) में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया**, जिसमें भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।
- **सांस्कृतिक:**
  - ❖ भारत की सांस्कृतिक शाखा के रूप में वर्ष 2011 में कोरिया में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र **(जिसे बाद में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) नाम दिया गया) की स्थापना की गई।**
  - ❖ **कोरिया में भारत का उत्सव SARANG** हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि कोरिया गणराज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विविध कला और संगीत को प्रदर्शित किया जा सके।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

चर्चा में क्यों?

चूँकि लोकतांत्रिक देशों के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ पर सत्तावादी शासनों का दबाव बढ़ता जा रहा है इसलिये भारत तथा संघ का एक दूसरे को सहयोग किया जाना महत्त्वपूर्ण हो गया है। यूरोपीय **संघ और भारत की सहभागिता** यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है एवं इसमें अपार संभावनाएँ तो हैं किंतु इसके निरंतर कार्यान्वन के समक्ष अनेक समस्याएँ हैं।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध को कौन-से कारक परिभाषित करते हैं?

- **साझा मूल्य:** भारत और यूरोपीय संघ दोनों **लोकतंत्र**, **बहुपक्षवाद** और **समृद्धि** पर ज़ोर देते हैं।
- **आर्थिक तालमेल:** भारत **यूरोपीय संघ को बढ़ते बाज़ार तक पहुँच प्रदान करता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में एक रणनीतिक साझेदार की भूमिका निभाता है जबकि यूरोपीय संघ भारत के आर्थिक विकास में सहायता करते हुए निवेश, प्रौद्योगिकी और बाज़ार पहुँच में योगदान देता है।
  - ❖ **इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और हरित प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में यूरोपीय संघ के निवेश और सहयोग करता है।**
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:**
  - ❖ **द्विपक्षीय व्यापार:** वर्ष 2023-24 में, यूरोपीय संघ के साथ भारत का माल व्यापार **137.41 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिससे यूरोपीय संघ भारत का माल व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बना। वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार 51.45 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
  - ❖ **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** यूरोपीय संघ भारत में एक प्रमुख निवेशक है, जिसका कुल **FDI** अंतर्वाह में 17% हिस्सा है तथा इससे रोज़गार के महत्त्वपूर्ण अवसर सर्जित होते हैं।
- **समुद्री सुरक्षा:** यूरोपीय संघ की **एशिया सुरक्षा सहयोग वर्द्धन (Enhancing Security Cooperation in**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

and with Asia- ESIWA) पहल से, समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने हेतु भारत सहित एशिया के साथ सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ होता है, क्योंकि **हिंद महासागर** यूरोपीय संघ के लिये एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है।

- ❖ **हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति** का मुकाबला करने के लिये भारत का नौसैनिक विस्तार, यूरोपीय संघ द्वारा अपनी सुरक्षा भूमिका को सुदृढ़ करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

- **सैन्य अभ्यास:** वर्ष 2023 में **गिनी की खाड़ी** में पहला **भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** आयोजित किया गया।

यूरोपीय संघ

- **स्थापना:** **द्वितीय विश्व युद्ध** (1939-45) के बाद वर्ष 1951 में छह देशों (बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा इसकी स्थापना की गई।

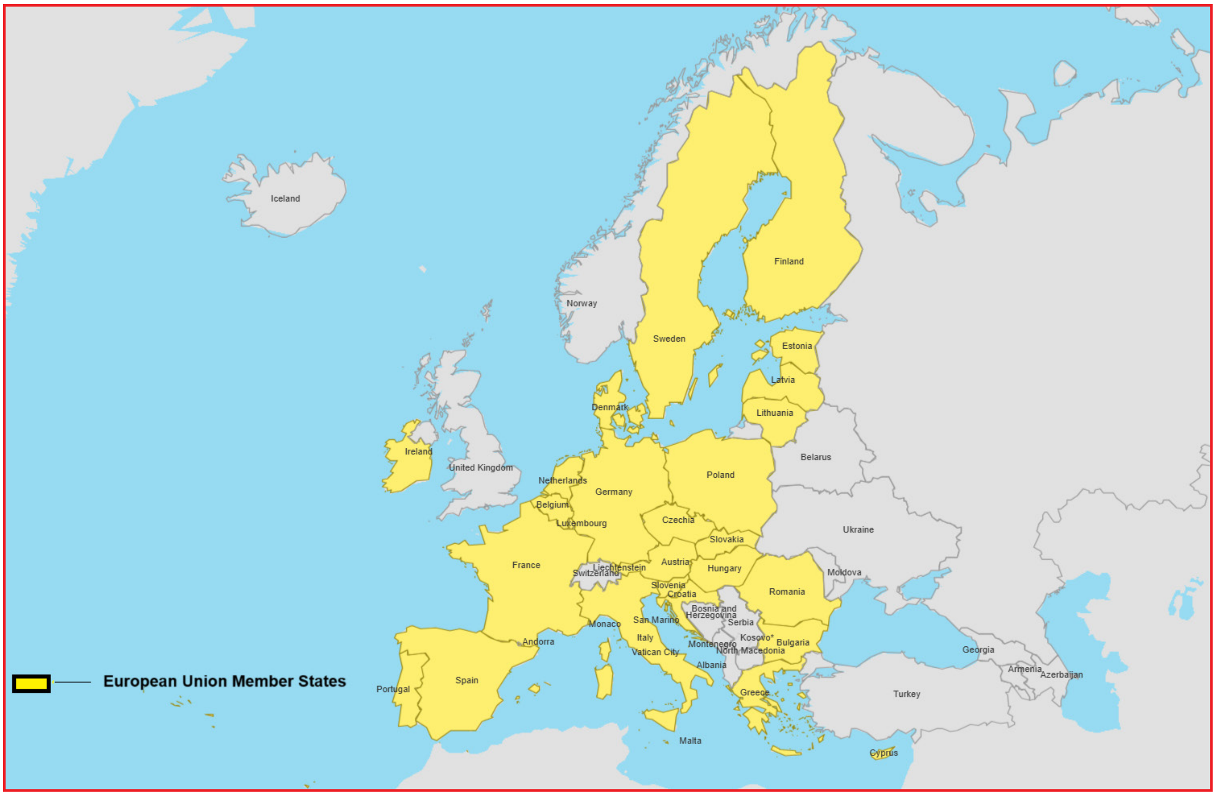

- **वर्तमान सदस्य देश:** वर्तमान में इसमें 27 देश (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन) शामिल हैं।
  - ❖ ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ और वर्ष 2020 में इससे अलग हो गया (**ब्रेक्सिट**)।
- **जनसांख्यिकी:** यूरोपीय संघ में, जर्मनी की जनसंख्या सबसे अधिक है और फ्राँस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जबकि सबसे छोटा देश माल्टा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **खुली सीमाएँ:** साइप्रस और आयरलैंड के अतिरिक्त **शेंगेन क्षेत्र** में यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों के मुक्त आवागमन की अनुमति है।
    - चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन) भी शेंगेन का हिस्सा हैं।
- **एकल बाज़ार:** यूरोपीय संघ के भीतर माल, सेवाओं, पूंजी और लोगों का स्वतंत्र आवागमन होता है।
- **जलवायु लक्ष्य: इसने वर्ष 2050 तक जलवायु-तटस्थ होने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 55% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।**

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भू-राजनीतिक मतभेद:** यूरोपीय संघ व्यापार, सुरक्षा और **मानवाधिकार सहयोग** सहित एक व्यापक साझेदारी की परिकल्पना करता है, जबकि भारत रणनीतिक **स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है और गहरे गठबंधन से बचता है।**
    - **यूक्रेन पर रूस के आक्रमण** के संबंध में भारत का तटस्थ रुख यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसने रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं तथा यूक्रेन पर रूस के हमलों तथा लोकतंत्र पर हमलों के कारण कठिन संबंधों का सामना किया है।
        - इससे विश्वास की कमी उत्पन्न होती है और भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच नीति-स्तरीय समन्वय में जटिलता आ जाती है।
    - भारत सीमा विवादों और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के कारण **चीन को एक रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धी** के रूप में देखता है, जबकि **यूरोप चीन** के मानवाधिकारों और आर्थिक प्रथाओं पर चिंताओं के बावजूद **उसके साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार जारी रखता है।**
        - **यह विरोधाभास हिंद-प्रशांत नीतियों पर एकीकृत दृष्टिकोण में बाधा डालता है।**
- **आर्थिक एवं व्यापार बाधाएँ:** भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2007 में शुरू हुई FTA वार्ता में मतभेदों के कारण देरी हुई है।
    - सख्त यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) मानदंड किफायती जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर भारत के फोकस के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं।
        - इसके अतिरिक्त, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे कठोर श्रम और पर्यावरण मानकों पर यूरोपीय संघ का ज़ोर भारत के घरेलू उद्योगों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- **रक्षा एवं सामरिक मतभेद:** रूसी रक्षा प्रणालियों पर भारत की निर्भरता उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर यूरोप के साथ गहन सहयोग को सीमित करती है।
    - फ्राँस फ्रांस के साथ पनडुब्बी सहयोग और स्पेन के साथ C-295 विमान जैसी परियोजनाओं के बावजूद, यूरोपीय संघ-भारत रक्षा संबंध अमेरिका या रूस के साथ संबंधों से पीछे हैं।
    - समर्पित रणनीतिक वार्ता का अभाव तथा ज्ञान साझा करने के प्रति यूरोपीय संघ का प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण सहयोग में और बाधा डालता है, जबकि रूस भारत के साथ संयुक्त विनिर्माण का समर्थन करता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार अंतराल:** भारत **किफायती प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देता है, जबकि यूरोप स्थिरता और उन्नत विनिर्माण** पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **क्वांटम कंप्यूटिंग** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में चीन का प्रभुत्व एक खतरा बन गया है, लेकिन समन्वित प्रतिक्रिया का अभाव संयुक्त प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **संरचनात्मक बाधाएँ:** यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच मतभेद भारत के प्रति एकीकृत विदेश नीति दृष्टिकोण को जटिल बनाते हैं। यह **विखंडन प्रभावी सहयोग में बाधा डालता है।**

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को मज़बूत करने की क्या आवश्यकता है?

- **सत्तावाद का मुकाबला:** लोकतंत्र के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से **भारत के लिये चीन और यूरोपीय संघ के लिये रूस** जैसे सत्तावादी शासनों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संबंधों को मज़बूत करने से दोनों पक्षों को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और निरंकुश विस्तारवाद का विरोध करने में एकजुट मोर्चा बनाने में मदद मिलेगी।**
- **आर्थिक विकास:** भारत और यूरोपीय संघ के बीच सफल FTA से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय संघ सबसे बड़ा आर्थिक समूह है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
  - वे एक-दूसरे को बाज़ार पहुँच, तकनीकी आदान-प्रदान, आर्थिक विकास प्रदान करते हैं तथा चीन पर निर्भरता कम करने के लिये वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाएँ बनाते हैं।
- **तकनीकी सहयोग:** तकनीकी नवाचार में भारत का उदय और यूरोपीय संघ की अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में संयुक्त पहल को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे चीन के प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सकता है।
  - यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के माध्यम से सहयोग को मज़बूत करने से उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने संबंधी रणनीतियों को संरेखित किया जा सकता है।
    - भारत के **उभरते क्षेत्र** यूरोप में विनिर्माण को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकते हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।
- **पर्यावरणीय कार्रवाई:** भारत और यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा, **कार्बन न्यूनीकरण** और सतत् विकास पर संयुक्त पहल के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, तथा **भारत की नवीकरणीय क्षमता** और यूरोपीय संघ के पर्यावरणीय नेतृत्व का लाभ उठा सकते हैं।
  - **भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सतत् कृषि जैसी हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा।**

आगे की राह

- **सत्तावाद के विरुद्ध एकता: लोकतंत्रों के लिये खतरे के रूप में बढ़ते सत्तावाद** की एक साझा समझ भारत, यूरोप और अमेरिका को एकजुट कर सकती है।
  - यह संरेखण **समिट फॉर डेमोक्रेसी** जैसी पहलों के माध्यम से अटलांटिक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है ।
- **TTC का लाभ उठाना:** यूरोपीय संघ-भारत TTC, **महत्त्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल** के समान, प्रौद्योगिकी एजेंडों को संरेखित करने का अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और उन्नति को बढ़ावा देने के लिये उच्च स्तरीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **सामरिक आर्थिक साझेदारी:** FTA से आगे, भारत और यूरोपीय संघ **फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण कच्चे माल** जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की संभावना तलाश सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)** के समान, यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये भारत के साथ एक समान समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- **रक्षा:** अमेरिका, रूस और **क्वाड सदस्यता** के साथ भारत की रक्षा साझेदारी को **भारत के रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ के निवेश** और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा पूरित किया जा सकता है।

भारतीय नागरिकता के लिये श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का संघर्ष

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने **केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के भारतीय नागरिकता आवेदन पर विचार करने का निर्देश** दिया है, जो वर्ष 1984 से भारत में रह रहा है।

- यह निर्देश भारतीय कानून के तहत श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के अधिकारों पर जोर देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, जिसका जन्म वर्ष 1975 में श्रीलंका में हुआ था, जातीय संघर्ष के कारण **वर्ष 1984 में भारत** आ गया। उस व्यक्ति ने **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(a)** के तहत **वर्ष 2022 में भारतीय नागरिकता** के लिये आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

- **भारत में 40 वर्षों से अधिक समय तक निवास करने** के बावजूद, वह व्यक्ति कानूनी मान्यता की उम्मीद में नागरिकता से वंचित रह जाता है।
- इस मान्यता से अन्य दीर्घकालिक शरणार्थियों, विशेषकर श्रीलंका में जातीय संघर्ष के दौरान पलायन करने वाले शरणार्थियों को नागरिकता मिलने में तेज़ी आ सकती है।

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्थिति क्या है?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारतीय मूल के तमिलों को औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा **बागानों में कार्य करने के लिये गिरमिटिया मज़दूरों** के रूप में श्रीलंका लाया गया था।
- **सामाजिक अलगाव:** इन तमिलों को **श्रीलंका के राजनीतिक और नागरिक जीवन** से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया था, तथा उन्हें **सिंहली** (श्रीलंका के लोग) और मूल तमिल समुदायों दोनों से हाशिये पर रखा गया था।
- **वर्ष 1948 के बाद के संघर्ष:** श्रीलंका की स्वतंत्रता (1948) के बाद, बढ़ते **सिंहली राष्ट्रवाद ने भारतीय मूल के तमिलों को और अधिक वंचित कर दिया,** उन्हें नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया गया और राज्यविहीन कर दिया गया (किसी व्यक्ति को किसी भी देश द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती)।
- **द्विपक्षीय समझौते: सिरीमावो-शास्त्री समझौता (1964)** और **सिरीमावो-इंदिरा गांधी समझौता (1974)** में रेखांकित किया गया था कि छह लाख तक **भारतीय मूल के तमिलों** और उनके वंशजों को **भारतीय नागरिकता प्रदान** की जा सकती है, लेकिन **श्रीलंकाई गृहयुद्ध** सहित विभिन्न कारकों के कारण यह प्रक्रिया रुक गई।
- **CAA 2003: वर्ष 1982 से पहले भारत लौटने वाले** भारतीय मूल के तमिलों को **नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन वर्ष 1983 के बाद** आने वालों को **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2003** के तहत '**अवैध प्रवासियों**' **के रूप में वर्गीकृत** किया गया।
  - भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, जो **वर्ष 1983 से वर्ष 2009 तक अलगाववादी तमिल शक्तियों (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE))** और **श्रीलंकाई सरकार के बीच लड़े गए गृहयुद्ध** से बचकर आए थे, **दशकों से भारत में रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता के लिये पात्र नहीं हैं।**
    - औपचारिक शरणार्थी कानून के अभाव के कारण शरणार्थियों को कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तथा उनके पास नागरिकता या स्थायी दर्जा पाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता।
- **न्यायालय के निर्णय:** ***पी. उलगानाथन बनाम भारत सरकार, 2019* मामले** में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि शरणार्थियों का बहिष्कार **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 21)** का उल्लंघन है, जिससे इस मामले का तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक हुआ।
  - ***अबिरामी एस बनाम भारत संघ (2022) मामले*** में, मद्रास उच्च न्यायालय ने **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019** के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता देने के लिये **मानवीय दृष्टिकोण का आह्वान किया,** जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं के लिये नागरिकता की शर्तों को आसान बनाता है।

भारत में शरणार्थी

- **शरणार्थी** वे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन, सुरक्षा या स्वतंत्रता के लिये गंभीर खतरों के कारण अपना देश छोड़ देते हैं, जिन्हें उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या सार्वजनिक अशांति से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता है।
- **भारत में शरणार्थियों को आश्रय देने का इतिहास:** भारत ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न शरणार्थी समूहों को आश्रय दिया है, जिनमें चीनी कब्जे से भागे **तिब्बती**, 1971 के युद्ध के बाद के **बांग्लादेशी शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल** और **रोहिंग्या शरणार्थी (म्याँमार)** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शरणार्थियों के प्रबंधन में भारत की चुनौतियाँ:**
  - **विधिक ढाँचे का अभाव:** भारत 1951 के **शरणार्थी अभिसमय** का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, जिसके कारण शरणार्थियों की कोई स्पष्ट विधिक परिभाषा नहीं है, जिससे **आर्थिक प्रवासियों और वास्तविक शरणार्थियों** के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।
    - भारतीय विधि के अंतर्गत **किसी भी अवैध आप्रवासी को शरणार्थी की मान्यता नहीं दी जाती है तथा शरणार्थियों से सम्प्रभुता को खतरा तथा संभावित सुरक्षा जोखिम** के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है।
  - **सरंध्र सीमाएँ:** भारत की सरंध्र/छिद्रिल सीमाओं के कारण **शरणार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करना** कठिन हो जाता है, जिसके कारण विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का आगमन बढ़ जाता है तथा स्थानीय संसाधन और बुनियादी ढाँचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - **सीमित संसाधन:** भारत के सीमित संसाधन और बुनियादी ढाँचे के कारण शरणार्थियों की सहायता करने और उन्हें एकीकृत करने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

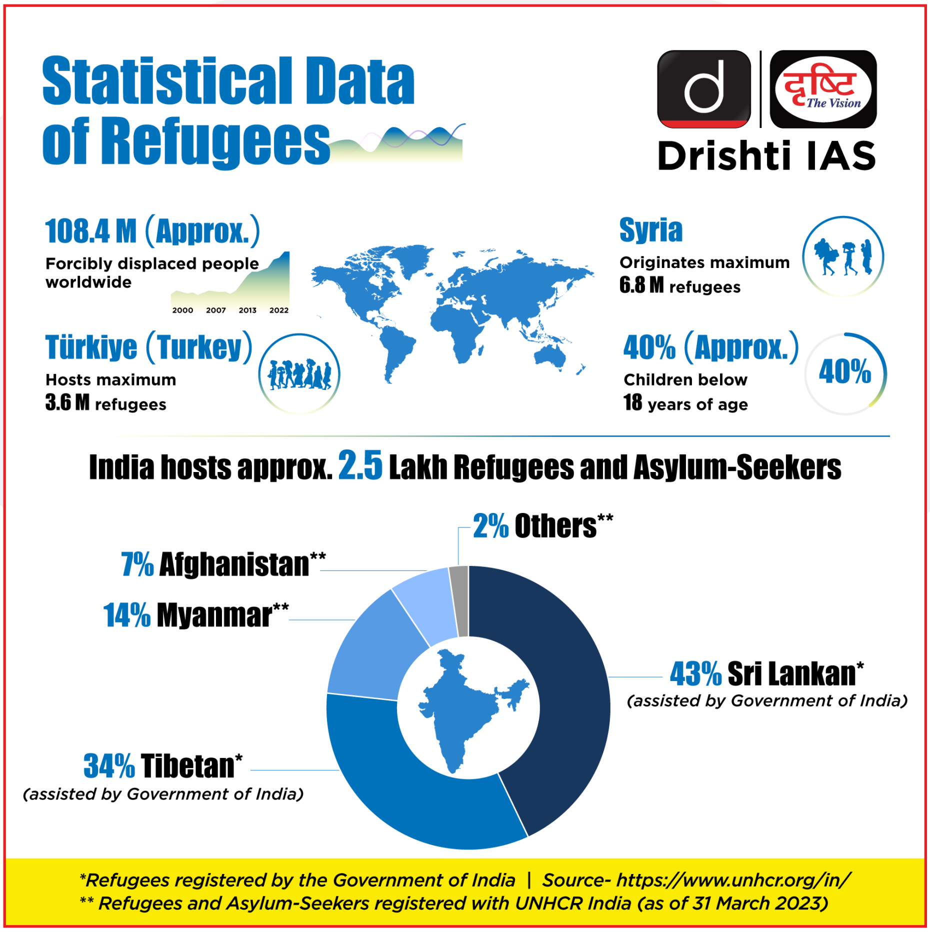

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नागरिकताहीन व्यक्तियों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- **मूल अधिकारों का अभाव:** नागरिकताहीन व्यक्तियों को प्राय: **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है,** क्योंकि वे मान्यता प्राप्त नागरिक नहीं होते हैं।
- **सीमित विधिक संरक्षण:** विधिक मान्यता के बिना, नागरिकताहीन शरणार्थी **शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसमें** **बलात् श्रम, मानव तस्करी** और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल हैं, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीयता और विधिक मान्यता द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का अभाव होता है।
- **आर्थिक बहिष्कार:** वे प्राय: **विधिक रूप से कार्य नहीं कर पाते,** बैंक खाते नहीं खोल पाते, या सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते, जिसके कारण **आर्थिक असुरक्षा** की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **सामाजिक हाशियाकरण:** नागरिकताहीन व्यक्तियों को राज्य प्राधिकारियों और समाज दोनों से **सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है,** जिसके परिणामस्वरूप अलगाव और एकीकरण की कमी होती है।
- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:** नागरिकताहीनता पीढ़ियों तक जारी रह सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **वंचना और अधिकारहीनता का चक्र चलता रहता है।**
  - नागरिकताहीन बच्चों को **संपत्ति विरासत, माता-पिता के समर्थन और विधिक सुरक्षा की कमी हो सकती है।** यह अनिश्चितता **चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।**

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

- भारत के नागरिकता कानून में **'जस सोली' और 'जस सैंग्विनिस' दोनों सिद्धांतों को शामिल किया गया है,** जिससे ढाँचे में जन्मसिद्ध अधिकार और वंशानुक्रम के बीच संतुलन स्थापित होता है।
  - *'jus soli'* के अंतर्गत जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि *'jus sanguinis'* के अंतर्गत रक्त संबंध द्वारा नागरिकता दी जाती है।
- भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि **नागरिकता अधिनियम, 1955 में उल्लिखित है।**
  - **जन्म द्वारा:** भारत में **26 जनवरी, 1950** को या उसके बाद लेकिन **1 जुलाई, 1987** से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
    - **1 जुलाई, 1987 और 2 फरवरी, 2004** के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक देश का नागरिक हो।
    - **3 दिसंबर, 2004** को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता-पिता दोनों भारतीय हों या जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
  - **पंजीकरण द्वारा:** कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि **जैसे कि भारत में कम से कम 7 साल का निवास होना। (धारा 5(1) (A))** ।
    - भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्यत: निवासी हैं।
    - भारतीय नागरिकों के जीवन-साथी जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहे हों।
    - भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे।
  - **वंशानुक्रम द्वारा : 26 जनवरी, 1950** को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म हुआ व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा नागरिक है, यदि उसके पिता जन्म से भारतीय नागरिक थे।
    - जिनका जन्म 10 दिसंबर, 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनके माता-पिता में से कोई एक जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिये।
    - **3 दिसंबर, 2004** के बाद, **माता-पिता** को यह घोषित करना होगा कि बच्चे के पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है, तथा जन्म को एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

❖ **प्राकृतिककरण द्वारा:** भारत में 12 वर्षों का निवास आवश्यक है, तथा नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित सभी योग्यताएँ पूरी करनी होंगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- CAA, 2019 **नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ अवैध प्रवासियों** को **भारत में नागरिकता** का मार्ग प्रदान करता है।
- **CAA, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता** के लिये पात्र व्यक्तियों में **अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति** शामिल है ।
  - **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो।
  - **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(c) के अंतर्गत या विदेशी विषयक अधिनियम, 1946** के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के आवेदन से छूट प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं।
    - ये कानून भारत में अवैध प्रवेश और निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने पर दंड का प्रावधान करते हैं।

आगे की राह:

- **विधायी कार्रवाई:** भारत सरकार को भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता देने के लिये सुधारात्मक विधायी कार्रवाई करनी चाहिये, **जिसमें वर्ष 1983 के बाद आए लोग** भी शामिल हैं। **इसके लिये राज्यविहीनता** को प्रबंधित करने के लिये पूर्वव्यापी उपायों की आवश्यकता हो सकती है।
  - **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR)** के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग **29,500 भारतीय मूल के तमिल रह रहे हैं,** और भारत का **नैतिक और कानूनी दायित्व** है कि वह उन्हें नागरिकता का मार्ग प्रदान करे।
- **प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया:** श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिये निवास (प्राकृतिकीकरण) और एकीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना।
- **मानवीय दृष्टिकोण:** सरकार को भारतीय मूल के तमिलों की गरिमा और अधिकारों को बहाल करने के लिये कानूनी तकनीकीताओं से परे जाकर **दयालु और मानवीय रुख अपनाना चाहिये।**
  - शरणार्थी शिविरों में **यौन और लिंग आधारित हिंसा को** रोकने के लिये कमज़ोर समूहों के लिये **इथियोपिया में UNHCR के "सेफ फ्रॉम द स्टार्ट" जैसे कार्यक्रमों** को लागू करने की आवश्यकता है।
- **सुलह:** सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने के लिये शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और शांति-निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देना।

सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने हाल ही में कहा है कि वह **सिंधु और उसकी सहायक नदियों** पर किशनगंगा तथा **रतले जलविद्युत परियोजना** के डिज़ाइन के संबंध में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल करने में सक्षम है।

सिंधु जल संधि (IWT) से संबंधित प्रमुख विवाद क्या हैं?

- **जल विभाजन संबंधी विवाद:**
  - **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना: किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (HEP)** जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा नदी (झेलम की सहायक नदी) से संबंधित है। पाकिस्तान ने इस पर दावा किया है कि विद्युत उत्पादन के लिये जल के बहाव पर नियंत्रण, IWT का उल्लंघन है।
  - **रतले जलविद्युत परियोजना:** यह जम्मू-कश्मीर में चेनाब नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है। इसके संदर्भ में पाकिस्तान ने चिंता जताई थी कि तटबंध का डिज़ाइन, भारत को नदी के प्रवाह पर काफी अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
- **विवाद समाधान प्रक्रिया:**
  - पाकिस्तान ने **किशनगंगा और रतले परियोजनाओं** पर आपत्ति जताई थी, तथा शुरू में वर्ष 2015 में **सिंधु जल संधि** के तहत एक तटस्थ विशेषज्ञ की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने PCA द्वारा निर्णय की मांग की थी।
  - भारत ने इसका विरोध किया और IWT के विवाद समाधान पदानुक्रम पर ज़ोर दिया, जो PCA पर तटस्थ विशेषज्ञ को प्राथमिकता देता है। **वर्ष 2022** में, विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ और PCA दोनों प्रक्रियाओं की शुरुआत की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ के साथ वार्ता करते हुए PCA का बहिष्कार किया तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल तटस्थ विशेषज्ञ को ही सिंधु जल संधि के अंतर्गत विवादों को सुलझाने का अधिकार है।

INDUS WATERS TREATY: POINTS OF DIFFERENCE

Here's what the Neutral Commissioner will now decide upon

- Whether the pondage provided in the two dams' designs meet restrictions imposed by the IWT.
- Whether outlets below the dead storage level are in accordance with the IWT.
- Whether the intakes for the turbines provided in the design are in accordance with the IWT.
- Whether the designs of the gated spillways of each plant are in accordance with the IWT.

सिंधु जल संधि क्या है?

- **परिचय:** यह **भारत और पाकिस्तान** के बीच **वर्ष 1960 में विश्व बैंक** के तत्वावधान में हस्ताक्षरित एक **जल-बंटवारा समझौता** है, जिसके तहत **सिंधु नदी** और इसकी 5 सहायक नदियों (**सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब**) के जल को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **जल बंटवारे की व्यवस्था:**
    - यह संधि **भारत को तीन पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज)** के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देती है तथा **तीन पश्चिमी नदियों (चिनाब, सिंधु, झेलम) को पाकिस्तान को आवंटित** करती है, साथ ही भारत को विशिष्ट परिस्थितियों में **घरेलू, गैर-उपभोग्य, कृषि और जलविद्युत प्रयोजनों** के लिये इन नदियों के जल का उपयोग करने की कुछ छूट भी देती है।
    - इस व्यवस्था के अनुसार, **पाकिस्तान को** सिंधु नदी प्रणाली से **लगभग 80% जल आवंटित** किया जाता है, जबकि **भारत को लगभग 20%** जल मिलता है।
  - **स्थायी सिंधु आयोग:** संधि ने **दोनों देशों के प्रतिनिधियों** के साथ एक **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** की स्थापना को अनिवार्य किया, जिसे संधि के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये **वार्षिक बैठक** करनी होती है।
- **विवाद समाधान तंत्र: IWT का अनुच्छेद IX 3-स्तरीय विवाद समाधान प्रक्रिया की** रूपरेखा प्रस्तुत करता है:
  - **PIC द्वारा समाधान:** संधि की व्याख्या या उल्लंघन से संबंधित प्रारंभिक विवादों या प्रश्नों का समाधान PIC द्वारा किया जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय निकाय है।
  - **निष्पक्ष विशेषज्ञ:** यदि **PIC समस्या** का समाधान करने में विफल रहती है, तो इसे किसी भी आयुक्त के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मध्यस्थता न्यायालय:** यदि मामला **विवाद के रूप में वर्गीकृत** है या निष्पक्ष विशेषज्ञ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तथा यदि **द्विपक्षीय वार्ता विफल** हो जाती है, तो कोई भी पक्ष **विश्व बैंक** द्वारा स्थापित **मध्यस्थता न्यायालय** का सहारा ले सकता है।

नोट: PCA की स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी। यह **हेग (नीदरलैंड) में स्थित है, यह राज्यों के बीच विवादों को का समाधान करता है, मध्यस्थता और अन्य तंत्र प्रदान** करता है। यह विकासशील देशों को मध्यस्थता लागतों को कवर करने में मदद करने के लिये एक **वित्तीय सहायता कोष** भी प्रदान करता है।

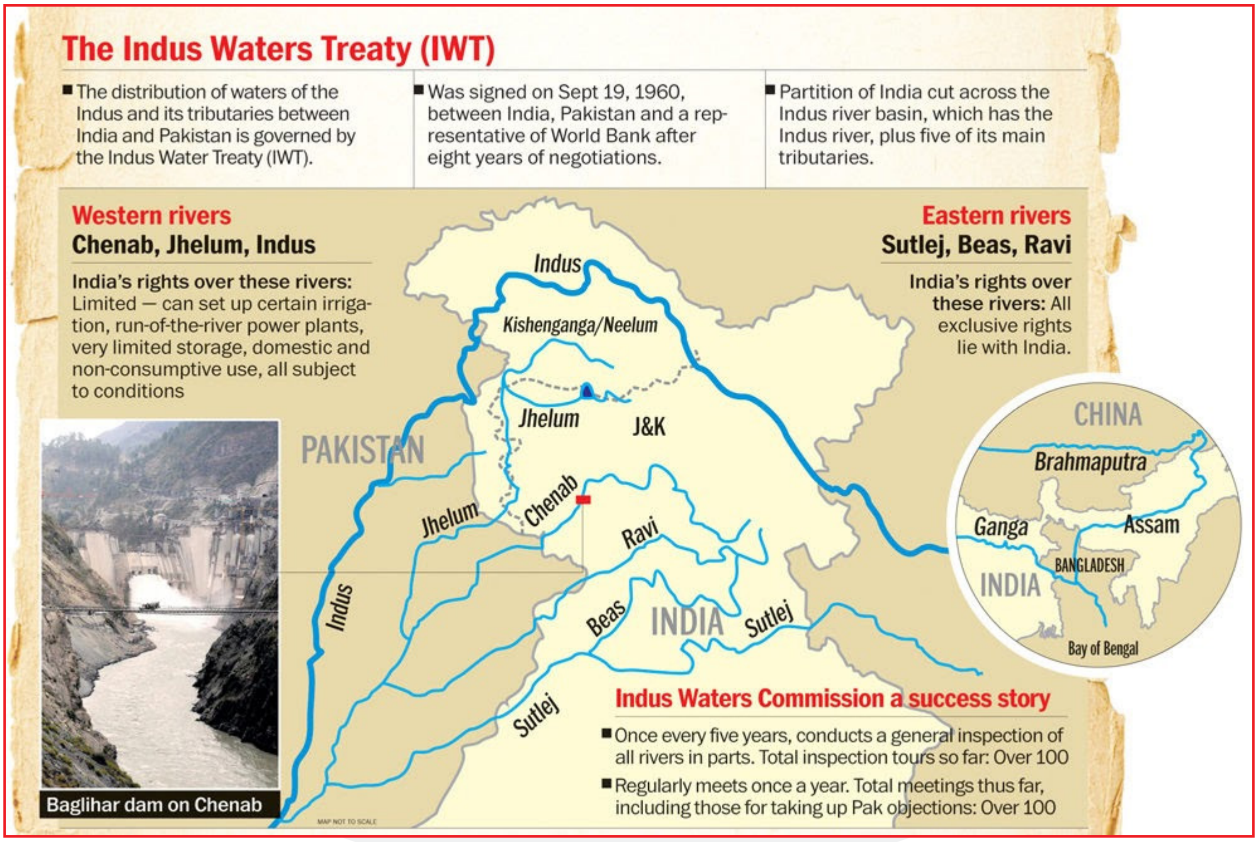

IWT से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पुराने प्रावधान:** IWT **जलवायु परिवर्तन** जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता है, जिसने सिंधु बेसिन में जल विज्ञान प्रारूप को बदल दिया है, जिससे पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
  - ऐतिहासिक **जल विज्ञान प्रवृत्तियों** के आधार पर स्थापित **IWT, जल आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से खतरे** में है, जिसमें **उच्च वाष्पीकरण, अप्रत्याशित वर्षा और हिमनदों का तेज़ी से पिघलना** शामिल है।
- **अनुकूलता का अभाव:** संधि के तहत **जल संसाधनों का असंगत आवंटन** बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल जल प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की क्षमता को सीमित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **PCA की अनियमितताएँ:** विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई समानांतर कार्यवाही **संधि के विवाद समाधान ढाँचे में अस्पष्टता को उजागर** करती है, तथा सुधार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता का संकेत देती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव: भारत और पाकिस्तान** के बीच व्यापक अविश्वास और शत्रुता संधि की प्रभावशीलता में बाधा डालती है, जिससे जल-आवंटन और प्रबंधन पर **सहयोग बाधित** हो जाता है।

आगे की राह

- **संधि पर पुन: वार्ता:** इसकी सीमाओं का निवारण करने तथा जलवायु लचीलेपन और सतत् जल प्रबंधन के प्रावधानों को इसमें शामिल करने के लिये IWT पर पुन: विचार किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- **बेहतर संवाद:** भारत और पाकिस्तान को विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निवारण करने हेतु संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसके संदर्भ में **स्थायी सिंधु आयोग** का पुनरुद्धार एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
- **तृतीय-पक्ष मध्यस्थता:** विश्व बैंक और अन्य तटस्थ पक्ष वार्ता को सुविधाजनक बनाने और संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
- **तकनीकी समाधान का विकल्प:** दोनों देशों को जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादों का समाधान करने हेतु तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा डेटा साझाकरण एवं संयुक्त अध्ययन पर ज़ोर देना चाहिये।

अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन का भारत पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई कार्यपालक आदेशों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें **जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करना, पेरिस समझौते** से हटना, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** से बाहर निकलना और **वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर (GCMT) समझौते** को खारिज़ करना शामिल है।

- इन निर्णयों का भारत, जलवायु नीति और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

जन्मसिद्ध नागरिकता के निरसन का क्या प्रभाव है?

- **अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता:** अमेरिका में दो प्रकार की जन्मसिद्ध नागरिकता है- **वंश-आधारित और जन्मस्थान-आधारित (*jus soli*) (*मातृभूमि का अधिकार*),** जिसके अंतर्गत **माता-पिता की राष्ट्रीयता को दृष्टिगत न रखते हुए** अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है।
- **कार्यपालक आदेश:** आदेश के अनुसार **गैर-नागरिक (अन्यदेशीय) माता-पिता से जन्म लेने वाले बच्चे अमेरिकी अधिकेर्ता के अध्यधीन नहीं हैं** और इसलिये **वे स्वत: नागरिकता के योग्य नहीं हैं।**
    - कार्यपालक आदेश का एक मुख्य उद्देश्य "**बर्थ टूरिज़्म**" को कम करना है, जहाँ महिलाएँ अपने बच्चों के लिये **स्वत: नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें जन्म देने हेतु अमेरिका की यात्रा करती हैं।**
    - यह नीति विशेष रूप से **भारत और मैक्सिको जैसे देशों के परिवारों को प्रभावित करेगी,** जहाँ बर्थ टूरिज़्म प्रचलित है।
- **प्रभाव:**
    - **H-1B वीज़ा धारकों पर प्रभाव:** भारतीय **H-1B वीज़ा धारकों** और **ग्रीन कार्ड आवेदकों** के **अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता स्वत: समाप्त हो सकती है,** जिससे परिवारों के लिये अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
        - मिश्रित नागरिकता वाले परिवारों को स्वजन से **अलगाव का सामना करना पड़ सकता है** या उन्हें अमेरिका में अपने भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिये विवश होना पड़ सकता है।
        - इस नीतिगत बदलाव से कुशल श्रमिकों द्वारा **दीर्घावधि का प्रवासन करने और परिवार नियोजन किये जाने को लेकर हतोत्साहित हो सकते हैं**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

Drishti IAS

- **भारतीय नागरिक कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड** जैसे देशों में प्रवास का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ आव्रजन नीतियाँ अधिक अनुकूल हैं।

- **निर्वासन में वृद्धि:** अमेरिका में लगभग **7.25 लाख** अवैध भारतीय नागरिकों को **निर्वासन का खतरा बढ़ गया है।**
- **कानूनी चुनौतियाँ:** जन्मसिद्ध नागरिकता का निरसन **अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के** विपरीत है, जो अमेरिकी धरती पर जन्मे सभी लोगों को नागरिकता की गारंटी प्रदान करता है। न्यायालय में चुनौती दिये जाने की संभावना है।
- **अमेरिका पर आर्थिक प्रभाव:** कुशल प्रवासी नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और **सूचना प्रौद्योगिकी (IT)** क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ऐसी नीतियों से **अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है** तथा भारतीय पेशेवरों पर निर्भर व्यवसायों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने के क्या निहितार्थ हैं?

- **पेरिस समझौता: वर्ष 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21)** में 196 देशों (भारत सहित) द्वारा अपनाया गया, यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है।
  - इसका उद्देश्य **वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक सीमित** रखना है, तथा **इसे 3.6°F (2°C)** से नीचे रखने का लक्ष्य है।
  - राष्ट्रों को **अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य निर्धारित** करने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - इसमें अमेरिका सहित विकसित देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे विकासशील देशों में **जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों** के लिये वित्त मुहैया कराने के लिये प्रतिबद्ध हों।
- **अमेरिकी वापसी के कारण:** ट्रंप ने कहा कि **पेरिस समझौता** अमेरिकी मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है और करदाताओं के वित्त को उन देशों की ओर पुनर्निर्देशित करता है जिन्हें **वित्तीय सहायता की "आवश्यकता नहीं है या वे इसके पात्र नहीं हैं।"**
- **निहितार्थ:** **ग्रीनहाउस गैसों** के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में अमेरिका, उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पेरिस समझौते से अलग होने से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, तथा भारत सहित विकासशील देशों में शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिये धन में कटौती होगी।
- निजी **जलवायु वित्तपोषण** में कटौती, जो कि अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित है, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं के लिये संसाधनों को सीमित कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त, **जीवाश्म ईंधन** पर अमेरिका के ध्यान और ऊर्जा विनियमनों को वापस लेने से चार वर्षों में 4 बिलियन टन अतिरिक्त उत्सर्जन हो सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु के समक्ष चुनौतियाँ और भी बढ़ जाएंगी।

WHO से अमेरिका के अलग होने का क्या प्रभाव होगा?

- **अमेरिका के पीछे हटने के कारण: ट्रंप ने कोविड-19 महामारी** से निपटने में **WHO की लापरवाही,** त्वरित सुधारों को लागू करने में विफलता और राजनीतिक प्रभाव, विशेष रूप से चीन के प्रति **संवेदनशीलता** को अमेरिका के पीछे हटने के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
- चीन की बड़ी जनसंख्या के बावजूद, **अमेरिका द्वारा चीन की तुलना में दिये जाने वाले असंगत वित्तीय योगदान** पर चिंता व्यक्त की गई।
- अमेरिका ने WHO के कुल वित्तपोषण में लगभग 20% का योगदान दिया, जो कि निर्धारित एवं स्वैच्छिक दोनों प्रकार से था।
- **प्रभाव:**
  - **WHO पर प्रभाव: अमेरिका** के हटने से **वित्तपोषण में कमी** आएगी, जो **पोलियो उन्मूलन** और **महामारी की तैयारी** सहित **वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों** को बाधित कर सकती है।
    - कार्यकारी आदेश में सभी अमेरिकी कर्मियों और ठेकेदारों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप **वैक्सीन अनुसंधान, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य नीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता का नुकसान** हुआ, जिससे विश्व स्तर पर WHO की सलाहकार भूमिका कमज़ोर हो गई।
  - **अमेरिका के लिये घरेलू निहितार्थ:** WHO से हटने से **अमेरिकियों की वैश्विक स्वास्थ्य खुफिया जानकारी तक पहुँच सीमित** हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है।
  - **भारत पर प्रभाव:** विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने से **भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम धीमे हो सकते है, जिसमें ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (HIV) और तपेदिक** जैसी बीमारियों पर किये जाने वाले प्रयास भी शामिल हैं।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण और विशेषज्ञता में कमी के कारण, **भारत और अन्य ग्लोबल साउथ** देशों से वैश्विक स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाने की

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उम्मीद की जा रही है, तथा **भारत विकासशील देशों के बीच अधिक सहयोग की वकालत करने वाले एक नेता के रूप में उभर रहा है।**

वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर समझौते को अमेरिका द्वारा अस्वीकार किये जाने का क्या प्रभाव होगा?

- **GCMT समझौता:** आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के ढाँचे के तहत किये गए इस समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये **ग्लोबई मॉडल नियमों** के तहत **वैश्विक न्यूनतम कर (GMT)** दर निर्धारित की गई।
  - यह सुनिश्चित करता है कि वे **प्रत्येक क्षेत्राधिकार में न्यूनतम कर का भुगतान करें,** लाभ स्थानांतरण को कम करें और कॉर्पोरेट कर दरों में **"रेस टू द बॉटम" को समाप्त करें,** जिसका उद्देश्य देशों को **व्यापार को आकर्षित करने के लिये कर दरों में कटौती करने** से रोकना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः न्यूनतम कर राजस्व प्राप्त होता है।
  - अपने दो-स्तंभीय समाधान के साथ इस समझौते का उद्देश्य कर चोरी, टैक्स हेवेन पर अंकुश लगाना और वैश्विक कर प्रतिस्पर्द्धा को स्थिर करना है।
    - **स्तंभ 1:** यह घटक **बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभांश को उन क्षेत्रों में पुनः आवंटित करने पर केंद्रित** है जहाँ से वे **राजस्व सृजित** करती हैं।
    - **स्तंभ 2:** इसमें **15% GMT दर** निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियाँ **करों का उचित भुगतान** करें, **चाहे वे कहीं भी परिचालन** करती हों।
- **अमेरिकी अस्वीकृति के कारण:** राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया कि 15% की GMT दर **अमेरिकी संप्रभुता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता का उल्लंघन** करती है, और दावा किया कि इससे **अमेरिकी प्रणाली की तुलना में अधिक करों** के कारण अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान होगा।
  - वर्ष 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के तहत, अमेरिका में 10% **वैश्विक न्यूनतम कर** था।
- **प्रभाव:**
  - **वैश्विक सहमति पर प्रभाव:** समझौते से अमेरिका के हटने से वैश्विक कर नियमों पर आम सहमति तक पहुँचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में बाधा आ सकती है।
  - **भारत पर प्रभाव:** विशेषज्ञों का सुझाव है कि **वैश्विक कर समझौते से अमेरिका के बाहर होने से भारत की कर नीतियों एवं कर संग्रहण प्रणालियों** पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
    - भारत ने **"प्रतीक्षा करो और देखो"** का दृष्टिकोण अपनाया है तथा GloBE नियमों से संबंधित विशिष्ट कानून बनाने से परहेज किया है।
    - परिणामस्वरूप, देश का **कर परिदृश्य फिलहाल अप्रभावित** बना हुआ है।

भारत किस प्रकार उभरती अमेरिकी नीतियों के आलोक में सामंजस्य स्थापित कर सकता है?

- **वकालत और कूटनीति:** भारत को अपने **आप्रवासी समुदाय** के अधिकारों की **रक्षा के लिये सक्रिय रूप से कूटनीतिक उपायों** को अपनाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भारतीयों को विकसित होती अमेरिकी नीतियों के तहत संरक्षित किया जाए।
  - अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने से ऐसी नीतियों की वकालत करने में मदद मिल सकती है जो **भारतीय प्रवासियों** के लिये अधिक समावेशी और सहायक हों जिससे अधिक निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित हो सके।
  - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन को मज़बूत करने से **क्षेत्रीय स्थिरता** को बढ़ाने के साथ-साथ चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है।
- **जलवायु कार्यवाही में तेज़ी लाना:** भारत को जलवायु नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 के तहत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में तेज़ी लानी चाहिये।
  - यूरोपियन यूनियन, जापान और पेरिस समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ सहयोग करने से नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिये हरित परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका:** भारत अपनी **फार्मास्युटिकल एवं स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञता का लाभ** (जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन **कूटनीति के दौरान प्रदर्शित किया गया है**) उठा सकता है, ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की कम भागीदारी से उत्पन्न अंतराल को भरा जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ❖ **विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख पदों** पर अधिक भारतीय पेशेवरों की नियुक्ति पर बल देकर, भारत **वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन** में अपना नेतृत्व बढ़ा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर कार्य करना:** अमेरिकी नीतिगत बदलावों से प्रभावित देशों (जैसे **यूरोपीय संघ और BRICS सदस्यों**) के साथ साझेदारी करके, सामूहिक कार्यवाही हेतु गठबंधन बनाया जा सकता है।

भारत-इंडोनेशिया संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत के **76वें गणतंत्र दिवस** समारोह में **इंडोनेशिया** के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, जो **भारत-इंडोनेशिया** राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ का प्रतिबिंब था।

- **दोनों देशों ने स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और रक्षा सहयोग** जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए कई **समझौता ज्ञापनों** पर हस्ताक्षर किये।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी:** दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसे वर्ष 2018 में **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** में उन्नत किया गया।
- **रक्षा सहयोग:** नेताओं ने समन्वित गश्त, **गरुड़ शक्ति (सेना)** **और समुद्र शक्ति (नौसेना) जैसी पहलों के माध्यम से रक्षा संबंधों को मज़बूत** करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - ❖ दोनों ने **द्विपक्षीय समुद्री वार्ता** और **साइबर सुरक्षा वार्ता** स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **व्यापार सहयोग:** दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, जो वर्ष **2022-2023** में 38.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, और व्यापार बाधाओं को हल करने तथा **AITIGA** समीक्षा में तेज़ी लाने पर सहमत हुए।
  - ❖ **स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणालियों** पर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन को सक्षम बनाकर व्यापार को बढ़ावा देना है।
- **ऊर्जा और स्वास्थ्य सुरक्षा:** दोनों देश **जैव ईंधन** और **निकल और बॉक्साइट** जैसे महत्त्वपूर्ण **खनिजों के संयुक्त अन्वेषण** पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  - ❖ **स्वास्थ्य सहयोग और पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन** पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **तकनीकी सहयोग:** भारत ने इंडोनेशिया के साथ **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्वांटम संचार** और **उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग** में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** भारत ने जी-20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में **"काशी सांस्कृतिक मार्ग"** की अवधारणा को दोहराया तथा इंडोनेशिया के **प्रमबानन मंदिर** के जीर्णोद्धार में मदद की आशा व्यक्त की।
  - ❖ **काशी सांस्कृतिक पथ** का उद्देश्य **विरासत संरचनाओं को पुनर्स्थापित** करना और सांस्कृतिक कलाकृतियों को उनके मूल देशों में वापस भेजना है।
- **बहुपक्षीय सहयोग: दोनों देशों ने आसियान की केंद्रीयता** और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के महत्त्व पर ज़ोर दिया, जैसे कि **इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक, भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय और इंडो-पैसिफिक ओसियन इनिशिएटिव (IPOI), ब्रिक्स** और **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)**।

भारत-इंडोनेशिया संबंध समय के साथ कैसे विकसित हुए?

- **स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक काल (1940-1950 का दशक): प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** के नेतृत्व में भारत ने **डच औपनिवेशिक शासन** से स्वतंत्रता के लिये इंडोनेशिया की लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया।
  - ❖ दोनों देशों ने **1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये और व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों** में सहयोग बढ़ा।
  - ❖ दोनों राष्ट्र **गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोध और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर एकमत थे, जिसके परिणामस्वरूप 1955 के बांडुंग सम्मेलन** में उनकी सक्रिय भागीदारी हुई **और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन** का गठन हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संबंधों में गिरावट (1960 का दशक): वर्ष 1950-60 के दशक** में संबंध तनावपूर्ण हो गए क्योंकि वर्ष 1959 के विद्रोह और 1962 के **भारत-चीन युद्ध** के बाद भारत के चीन के साथ संबंध खराब हो गए, जबकि **इंडोनेशिया चीन** के साथ सौहार्दपूर्ण रहा।
  - वर्ष 1960 के दशक में, इंडोनेशिया ने **वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष** के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, एकजुटता दिखाई और सैन्य सहायता प्रदान की।
- **शीत युद्ध काल (1966-1980): राष्ट्रपति सुहार्तो के** नेतृत्व में इंडोनेशिया ने चीन के साथ अपने पिछले संबंधों को तोड़ दिया तथा **भारत के साथ संबंधों** को पुन: बेहतर बनाने का प्रयास किया।
  - इंडोनेशिया और भारत ने **वर्ष 1977 के समुद्री सीमा समझौते** और सुहार्तो की वर्ष 1980 की भारत यात्रा जैसे प्रमुख समझौतों के साथ संबंधों में सुधार किया।
- **'पूर्व की ओर देखो' नीति 1991 (1990 का दशक):** भारत की **'पूर्व की ओर देखो' नीति 1991** के तहत व्यापार में वृद्धि हुई और दोनों देशों ने **आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक साझेदारी विकसित की।**
  - **वर्ष 1991 की "पूर्व की ओर देखो" नीति (1990 का दशक):** व्यापार में वृद्धि हुई और दोनों देशों ने वर्ष 1991 की भारत की **"पूर्व की ओर देखो"** रणनीति के तहत आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक गठबंधन विकसित किया।
  - भारत की वर्ष 2014 की **'एक्ट ईस्ट' नीति** ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मज़बूत किया, जिससे **इंडोनेशिया एक प्रमुख क्षेत्रीय** साझेदार बन गया।
- **हालिया घटनाक्रम (2000 के दशक से):** इंडोनेशिया अब आसियान क्षेत्र में भारत का **दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है (पहला-सिंगापुर), तथा व्यापार **वर्ष 2005-06 में 4.3 बिलियन अमेरिका डॉलर** से बढ़कर **वर्ष 2022-23 में 38.84 बिलियन अमेरिका डॉलर** हो गया है। इंडोनेशिया में **भारतीय निवेश 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
  - भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से समुद्री विवादों को सुलझाने और UNCLOS सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार **दक्षिण चीन सागर आचार संहिता** को अंतिम रूप देने का आह्वान किया।
  - इंडोनेशिया भारत के साथ **ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने** के लिये संवाद कर रहा है, जिसकी कीमत पर व्यापक सहमति बन गई है, जिसका अनुमान **450 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

इंडोनेशिया भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **सामरिक महत्त्व:** इंडोनेशिया का भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक **महत्त्वपूर्ण स्थान** है, जिसका **मलक्का, सुंडा और लोंबोक जलडमरूमध्य** जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है, जो इसे **संबद्ध क्षेत्र में** समुद्री सुरक्षा और **व्यापार के मुक्त प्रवाह** को सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाता है।
- **प्राकृतिक संसाधन: पाम ऑयल, टिन, रबर, कोको, कॉफी, निकल, ताँबा, लकड़ी, सोना और कोयला** जैसे संसाधनों से समृद्ध इंडोनेशिया वैश्विक बाज़ारों के लिये एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है और **ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढाँचे में भारत के लिये अवसर सर्जित करता है।**
- **रक्षा सहयोग:** संभावित **450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा** और बढ़ते रक्षा संबंध इंडोनेशिया और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को उजागर करते हैं।
  - दोनों देशों की रक्षा साझेदारी **उभरती चुनौतियों जैसे- साइबर खतरों, समुद्री सुरक्षा** और **आतंकवाद-रोध के निवारण में सहायक** हो सकती है।
- **राजनीति और शासन:** विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला इंडोनेशिया अपने **अद्वितीय पंचशिला संविधान** के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है।
  - इंडोनेशिया ने सैन्य बल का उपयोग न करते हुए सदैव पुलिस बल के माध्यम से आतंकवाद का निवारण किया है। दोनों देशों के सामने विद्यमान साझा चुनौतियों को देखते हुए भारत इस दृष्टिकोण से सीख ले सकता है।
- **वैश्विक प्रभाव:** ASEAN में इंडोनेशिया का नेतृत्व भारत के साथ उसके सहयोग को सुदृढ़ बनाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी हितों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

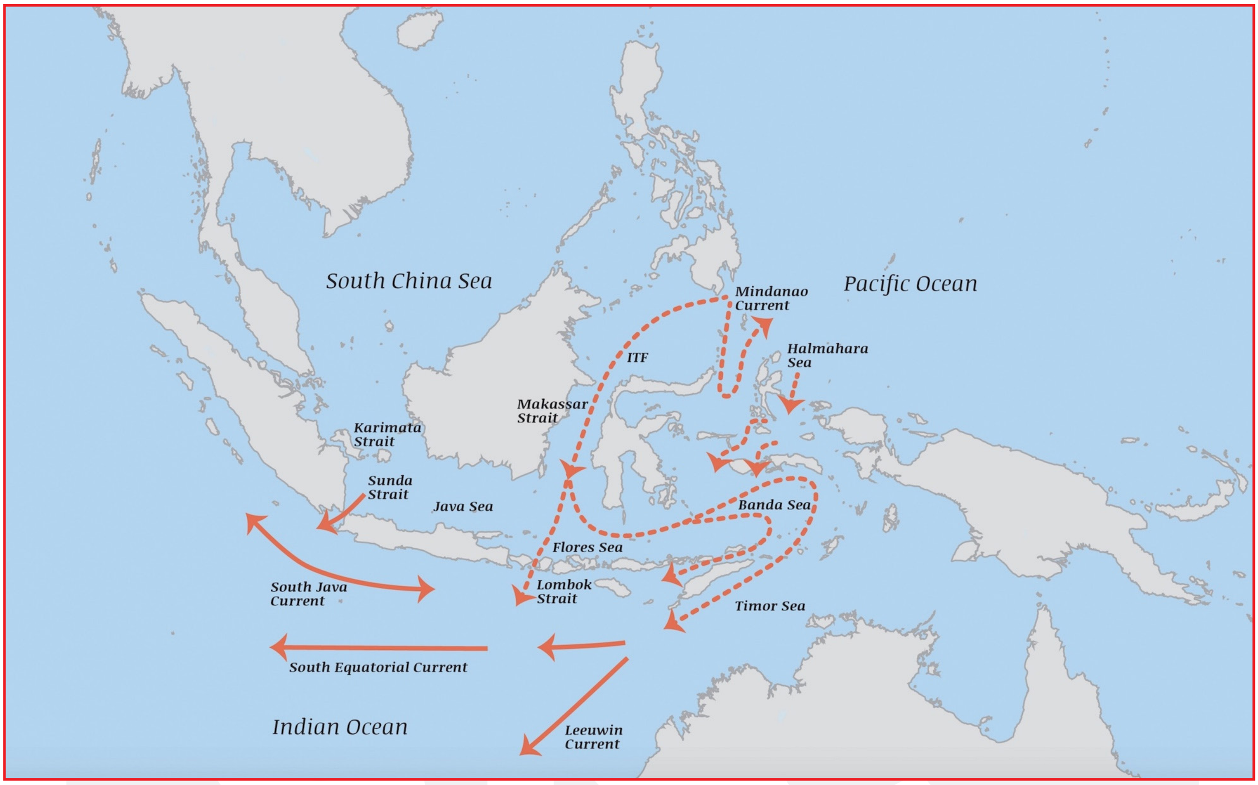

- इंडोनेशिया एक क्षेत्रीय धुरी और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में उभरती शक्ति है और भारत के लिये एक मूल्यवान भागीदार है।

निष्कर्ष

व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सुदृढ़ संबंधों के साथ **भारत की क्षेत्रीय रणनीति** में **इंडोनेशिया की** महत्त्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों का लक्ष्य **तकनीकी, सांस्कृतिक और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना**, अपनी **व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाना** और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को प्रतिबलित करना है।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैव विविधता और पर्यावरण

2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र 2025 को **ग्लेशियरों के संरक्षण** का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानेगा, तथा वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष **21 मार्च** को **विश्व ग्लेशियर दिवस** के रूप में मनाया जाएगा।

ग्लेशियर क्या हैं?

- **परिचय:** सदियों से जमी बर्फ से धीरे-धीरे विशाल **बर्फ के पिंडों का निर्माण** होता है, जिन्हें ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** अधिकांश ग्लेशियर विशाल बर्फ की चादरों के रूप में पाए जाते हैं, **जो हिमयुग (लगभग 10,000 वर्ष पूर्व) के दौरान पृथ्वी में पाई जाती थीं।**
    - पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसे **अन्तर-हिमनदी** काल रहे हैं जब **ग्लेशियर पिघले, तथा हिमयुग (जिन्हें हिमयुग भी कहा जाता है)** का निर्माण हुआ।
- **वैश्विक वितरण:** अधिकांश ग्लेशियर **ध्रुवीय क्षेत्रों** जैसे **ग्रीनलैंड, कनाडा आर्कटिक और अंटार्कटिका** में पाए जाते हैं, क्योंकि **उच्च अक्षांशों** पर **सौर विकिरण** कम होता है।
    - **उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा** के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं, जैसे **दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला बहुत ऊँचाई** पर स्थित है।
    - पृथ्वी का लगभग **2% जल ग्लेशियरों** में संग्रहित है।

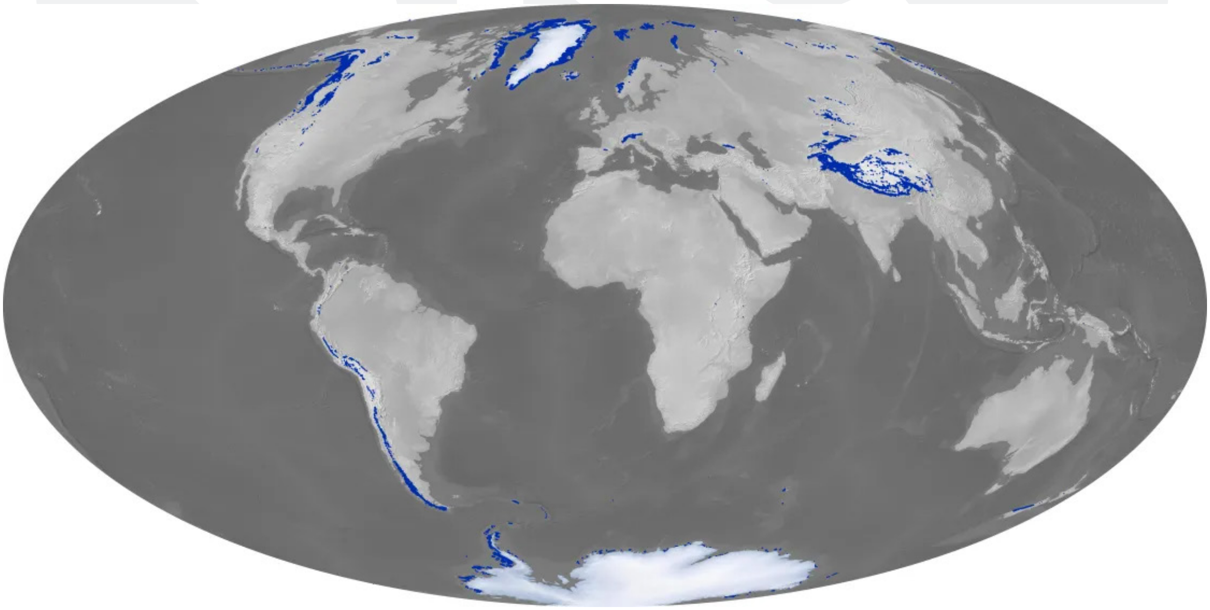

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ग्लेशियरों का पिघलना:** बढ़ते **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने विशेष रूप से ध्रुवों** पर तापमान बढ़ा दिया है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे **समुद्र के जल स्तर में वृद्धि** हो रही हैं।
  - उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद, **2100 तक** विश्व के **एक तिहाई से अधिक ग्लेशियर पिघल** जायेंगे।
- **महत्त्व:**
  - **जल आपूर्ति:** ग्लेशियर लाखों लोगों के लिये **पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत** हैं, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में।
    - **ग्रीष्म ऋतु के अंत में ग्लेशियर अमु दरिया की नदी के प्रवाह का 27%** तक प्रदान करते हैं , जबकि **ला पाज़ (बोलीविया की राजधानी) शुष्क अवधि** के दौरान ग्लेशियरों के पिघले पानी पर निर्भर रहती है ।
    - ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ग्लेशियर अमु दरिया के नदी प्रवाह का **27% तक आपूर्ति** करते हैं, जबकि शुष्क अवधि के दौरान, बोलीविया की राजधानी ला पाज़, ग्लेशियर के पिघलने पर निर्भर रहती है।
    - **भारत** स्थित **लद्दाख** के कृत्रिम हिमनदों में, जिन्हें **बर्फ स्तूप** कहते हैं, **शीत ऋतु में जल संग्रहीत होता है और वसंत ऋतु** के दौरान **शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों** की फसलों की सिंचाई की जलापूर्ति इससे की जाती है।
- **पोषक चक्रण:** हिमनदों से ऐसे **पोषक तत्त्व** निर्मुक्त होते हैं जो **फाइटोप्लांकटन** की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो **जलीय खाद्य श्रृंखलाओं** का आधार हैं तथा **समुद्री जैवविविधता** और मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं।
- **जलवायु नियंत्रण: ग्लेशियर** सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर (**अल्बेडो प्रभाव**) **पृथ्वी की जलवायु को** नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं, जिससे **ग्रह का शीतलन** करने में में मदद मिलती है।
- **ऊर्जा उत्पादन: नॉर्वे, कनाडा और न्यूज़ीलैंड** जैसे देशों में **जलविद्युत शक्ति** उत्पन्न करने के लिये हिमनदों के पिघले जल का उपयोग किया जाता है।
- **पर्यटन: क्रायो जैवविविधता को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान और शिक्षा** के अवसरों के साथ हिमनदों से **पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक आकर्षित होते हैं।**

हिमनदों की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **वैश्विक परिदृश्य: विश्व हिमनद अनुवीक्षण सर्विस (WGMS) जो 210,000 हिमनदों का अनुवीक्षण करती है,** के अनुसार **वर्ष 1976 से 2023 की अवधि** में हाल के वर्षों में वृहद स्तर पर विहिमनदन (ग्लेशियरों का पिघलना) **दर्ज किया गया है।**
  - **WGMS** समग्र विश्व में ग्लेशियरों की स्थिति की निगरानी और उनका आकलन करता है और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, UNESCO** और **WMO** के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- **क्षेत्रीय ग्लेशियर: हिंदू कुश हिमालयी क्रायोस्फीयर** का तापन वैश्विक औसत दर से दोगुनी गति से हो रहा है।
  - यह क्षेत्र **हिमनदीय झील बहिस्फोट बाढ़** जैसी हिम आपदाओं के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य है।
  - क्रायोस्फीयर का आशय पृथ्वी तंत्र के **हिमशीतित जल वाले भाग से है, जिसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जहाँ जल ठोस अवस्था में मौजूद है।**
- **ग्लेशियरों का निवर्तन:** विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक कई महत्त्वपूर्ण ग्लेशियर **लुप्त हो जाएंगे** तथा कई बड़े ग्लेशियर छोटे ग्लेशियरों में खंडित हो जाएंगे।
  - **उदाहरण के लिये, नेपाल की लांगटांग घाटी** में **याला ग्लेशियर** और **पश्चिमी कनाडा में पेयतो ग्लेशियर का निवर्तन** हुआ।
    - वेनेज़ुएला में **हम्बोल्ट ग्लेशियर की सघनता अत्यंत कम हो गई है** और अब इसे **हिम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
  - ग्लेशियरों के निवर्तन का अर्थ उनकी **सघनता में कमी आना और उनका लोपन हो जाना है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:** दिसंबर 2022 में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने ग्लेशियर के ह्रास की तात्कालिकता पर प्रकाश डालने और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये एक प्रस्ताव अपनाया।
  - **इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष** और **विश्व ग्लेशियर दिवस** जैसी पहल की गई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: संपूर्ण विश्व में 275,000 से अधिक ग्लेशियर हैं, जो लगभग 700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं।

- **हिम परतों** में विश्व के लगभग **70% अलवणीय जल का भंडारण** है, जो वैश्विक जल आपूर्ति हेतु ग्लेशियरों के महत्त्व को उजागर करती है।

हिंदू कुश हिमालय

- हिंदू कुश हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो **3500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है** और आठ देशों अर्थात् **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्याँमार और पाकिस्तान के अनुदिश है।**
  - इसमें विश्व के **7,000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले सभी शिखर मौजूद हैं।**

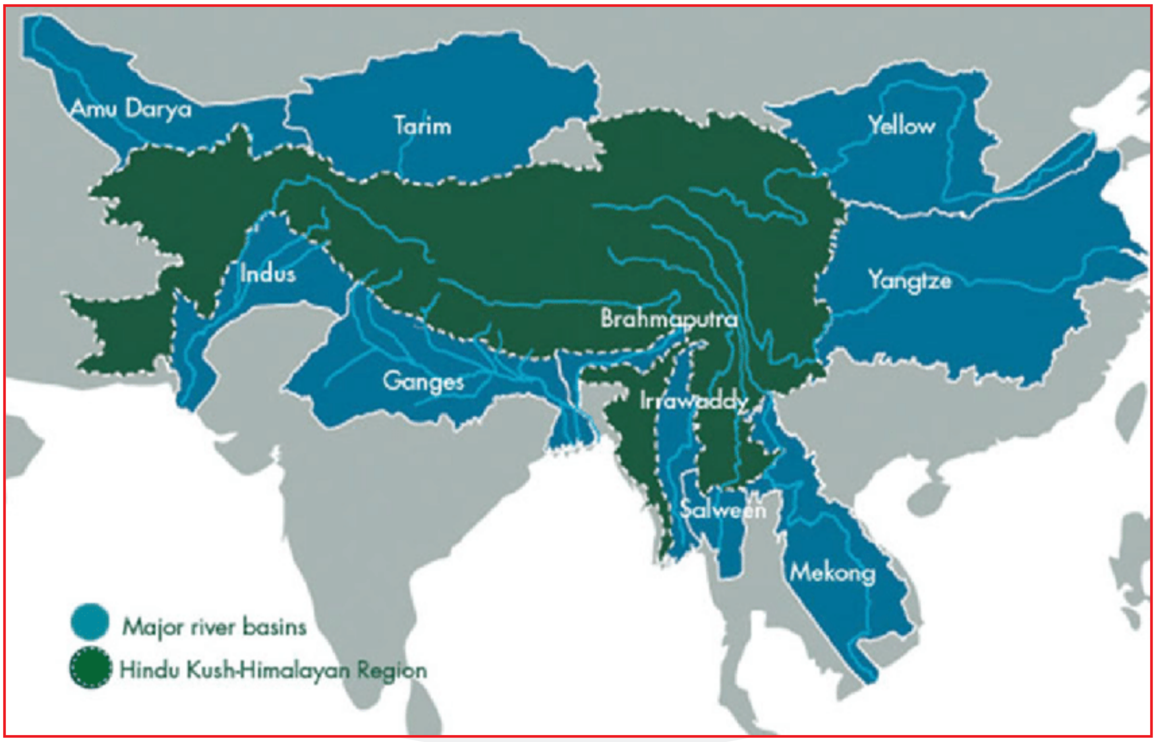

- **ग्लेशियर: आर्कटिक और अंटार्कटिका से इतर** HKH ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिमपात और हिम की मात्रा सर्वाधिक है, जिसके कारण इसे प्राय: **तीसरा ध्रुव** कहते हैं।
- **एशिया का जल टॉवर:** इसे **'एशिया का जल टॉवर' कहते हैं क्योंकि यह 10 प्रमुख (सीमापारिक) नदियों** सहित **12 नदी घाटियों** के लिये जल का महत्त्वपूर्ण स्रोत है:
  - अमु दरिया, **ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इरावदी, मेकांग,** साल्विन, तारिम, यांग्त्से, और पीला (हुआंग हे)।
  - ये **एशिया के 16 देशों से होकर बहती हैं तथा** HKH क्षेत्र में निवास कर रहे **240 मिलियन लोगों तथा निम्न क्षेत्रों में रहने वाले 1.65 बिलियन लोगों** के लिये स्वच्छ जल के स्रोत हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पारिस्थितिकी: यहाँ 330 पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र** पाए जाते हैं, जिसमें **चार वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट** शामिल हैं, अर्थात् **हिमालय, इंडो-बर्मा, दक्षिण-पश्चिम चीन पर्वत और मध्य एशिया पर्वत।**

पिघलते ग्लेशियरों के क्या प्रभाव हैं?

- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **समुद्र स्तर में वृद्धि:** पिघलते ग्लेशियर (विशेष रूप से **ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका) से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि** होने से **तटीय अपरदन** के साथ अधिक तीव्र **चक्रवात** आते हैं।
    - यदि **सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएँ** तो वैश्विक समुद्र का स्तर **195 फीट (60 मीटर) से अधिक** बढ़ जाएगा।
  - **मौसम पैटर्न में व्यवधान:** पिघलती बर्फ से **मौसम पैटर्न** के साथ सामान्य महासागरीय परिसंचरण बाधित होता है।
    - इससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होता है, जिसमें **ध्रुवीय भंवर** और **जेट स्ट्रीम** में परिवर्तन शामिल है जिसके परिणामस्वरूप अधिक **चरम मौसमी घटनाएँ** होती हैं।
  - **मनुष्यों पर प्रभाव:** महासागरों का उष्मण बढ़ने से **मछलियों के प्रजनन पैटर्न** में बदलाव आता है, जिससे स्वस्थ मत्स्य पालन पर निर्भर उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ **खाद्य सुरक्षा और आजीविका** बाधित होती है।
    - तटीय समुदाय **बाढ़ और खारे जल के प्रवेश के प्रति संवेदनशील** होते जा रहे हैं।
  - **वन्यजीव हानि:** आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ पिघलने से **वालरस और ध्रुवीय भालू जैसी प्रजातियाँ** भूमि पर जाने को मज़बूर हो रही हैं, जिससे **मानव-वन्यजीव संघर्ष** बढ़ रहा है।
    - **आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से वर्ष 2100** तक **ध्रुवीय भालू विलुप्त** हो सकते हैं।
    - क्रायोस्फीयर से विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को सहारा मिलता है, जैसे **आर्कटिक टुंड्रा** (ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी), **अंटार्कटिक बर्फ की चादरें** (पेंगुइन, सील) और **अल्पाइन क्षेत्र** (**हिम तेंदुए** और शंकुधारी वृक्ष)।
- **सकारात्मक प्रभाव (अल्पकालिक):**
  - **नवीन ऊर्जा स्रोत: ज्वालामुखीय गतिविधि** वाले क्षेत्रों जैसे, **कमचटका प्रायद्वीप** में अधिक **भूतापीय ऊर्जा** स्रोतों की खोज हो सकती है।
  - **नौवहन मार्ग का विस्तार: पिघलती बर्फ से उत्तरी समुद्री मार्ग** जैसे मार्ग खुलने से **यूरोप और एशिया** के बीच की यात्रा अवधि काफी कम हो सकती है।
  - **नवीन जल एवं भूमि संसाधन:** उन क्षेत्रों में **नये जल स्रोत** उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ पहले मीठे जल की आपूर्ति सीमित थी।
    - साइबेरिया जैसे **बर्फ से ढके क्षेत्र, खेती** के लिये उपयुक्त हो सकते हैं।
  - **जैवविविधता की संभावना: ग्लेशियर के पिघलने से अग्रणी प्रजातियों** के लिए नए आवास निर्मित हो सकते हैं जिससे समय के साथ अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकते हैं।

ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं?

- **ग्लोबल आउटरीच: यह** ग्लेशियरों के महत्त्व और उनके नुकसान के प्रभाव के बारे में जनता और हितधारकों को शिक्षित करने के लिए एक मीडिया अभियान है।
  - इसमें आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने के लिए **युवा राजदूतों** सहित वैश्विक हस्तियों के साथ कार्य करना शामिल है।
  - इसके तहत ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) में **कमी लाने के लिए** अन्य वैश्विक निकायों के साथ समन्वय करना शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: वर्ष 2025 का ताजिकिस्तान** का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) का अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन (IWC11)** 2025, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए नवीन दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
- **क्षमता निर्माण: स्थानीय समुदायों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों के लिए ग्लेशियर गतिशीलता एवं संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों** की समझ में सुधार करने के क्रम में लक्षित **क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हिमानी स्थलाकृतियाँ GLACIAL LANDFORMS

"क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है, को हिमनद/हिमानी कहते हैं।"

अपरदित स्थलरूप

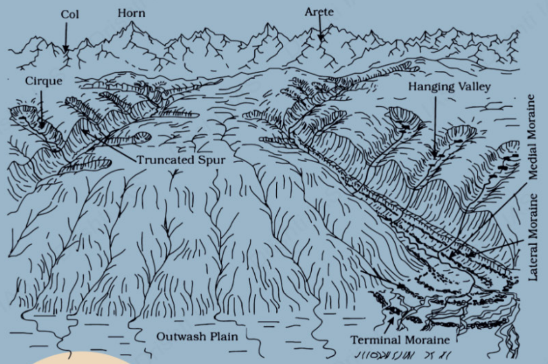

सर्क (Cirque/Cwm)
- छोटे हिमनद और विशिष्ट रूप से कटोरे के आकार क
- हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं

गिरिशृंग और सिरेटेड कटक (Horns and Serrated Ridges)
- सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से निर्मित होते हैं
- उन क्षेत्रों में विद्यमान जहाँ कई हिमनद विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होते हैं

हिमनद घाटी/ गर्त (Glacial Valleys/ Troughs)
- गर्त की भाँति होती हैं तथा आकार में अंग्रेज़ी के अक्षर U जैसी, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं।
- गहरी हिमनद गर्ते जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं।

हिम-विदर/हिम दरार (Bergschrund)
- एक हिमनद/दरार या दरारों की शृंखला जो प्राय: किसी पर्वतीय हिमनद के शीर्ष के निकट पाई जाती है

लटकती घाटी (Hanging Valley)
- तब बनती है जब हिमनद की बर्फ किसी मुख्य या ट्रंक घाटी को गहराई से आच्छादित कर लेती है, जिससे सहायक नदी घाटियाँ मुख्य घाटी के तल से बहुत ऊपर लटकती हुई दृश्यमान होती हैं।

शृंग पुच्छ (Crag and Tail)
- शृंग: खड़ी ढलान वाली कठोर चट्टान का समूह।
- पुच्छ: हिमनदों के मलबे के निक्षेपण या हिमनद के पीछे हटने के कारण निर्मित।

निक्षेपित स्थलरूप

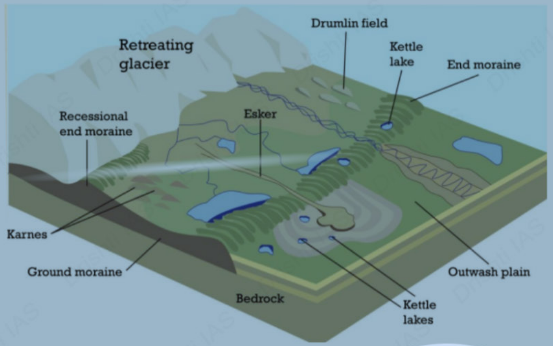

हिमोढ़ (Moraines)
- पार्श्विक हिमोढ़ (Lateral Moraines): हिमनदों के किनारों पर निर्मित
- तलस्थ हिमोढ़ (Ground Moraines): अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप
- मध्यस्थ हिमोढ़ (Medial Moraines): वहाँ निर्मित होते हैं जहाँ दो सहायक हिमोढ़ एक साथ मिलते हैं

एस्कर (Eskers)
- हिमनदों के भीतर या नीचे बहने वाली धाराओं द्वारा निर्मित रेत और बजरी के घुमावदार कटक

हिमानी धौत मैदान (Outwash Plains)
- हिमनदों के पिघलने पर उनके साथ बहकर आने वाली रेत व बजरी का निक्षेप

ड्रमलिन (Drumlins)
- तलछट की पहाड़ियाँ जिन्हें हिमनद प्रवाह द्वारा सुगठित किया गया है।
- लंबाई 1 किमी. तक और ऊँचाई 30 मीटर या उससे अधिक
- आमतौर पर अंडो की टोकरी के समान दिखने वाली (basket of eggs') स्थलाकृति की टोकरी के रूप में वर्णित किया जाता है

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अनुसंधान एवं निगरानी: ग्लेशियर के पिघलने,** वैश्विक क्रायोस्फीयर डेटा प्रणालियों के विकास और संवर्द्धन तथा निगरानी एवं निर्णय लेने में सुधार हेतु **स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों (LINKS)** को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **नीति एकीकरण:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जलवायु रणनीतियों, जल प्रबंधन नीतियों एवं **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** ढाँचे में ग्लेशियर संरक्षण को शामिल करने पर बल दिया गया है।
- **वित्तपोषण पहल:** ग्लेशियर निगरानी के साथ अनुसंधान और संरक्षण परियोजनाओं को समर्थन देने के क्रम में **सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्रों एवं परोपकारी संस्थाओं** से वित्तपोषण प्राप्त करने पर बल दिया गया है।

संबंधित शब्दावलियाँ

- **बर्फ की चादर (Ice Sheet):** बर्फ की चादर का आशय **भूमि पर स्थित** हिमनद बर्फ से है **जो 50,000 वर्ग किलोमीटर** से अधिक क्षेत्र में विस्तारित हो सकती है।
  - वर्तमान में पृथ्वी पर **केवल दो बर्फ की चादरें** हैं, जिसमें से एक के द्वारा विश्व के सबसे बड़े द्वीप (**ग्रीनलैंड) के अधिकांश हिस्से को कवर** किया गया है और **दूसरी अंटार्कटिक महाद्वीप** पर विस्तारित है।
- **आइस कैप:** इसका आशय एक ऐसे **गुंबदाकार ग्लेशियर** से है जिसका क्षेत्रफल **50,000 वर्ग किलोमीटर से कम** हो और **जिसका सभी दिशाओं** में प्रवाह हो।
  - आइस कैप **उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय और उपध्रुवीय पर्वतीय क्षेत्रों** में मिलती हैं।
- **बर्फ क्षेत्र:** यह कुछ हद तक आइस कैप के समान होता है लेकिन आमतौर पर **छोटा होता है और इसमें गुंबद जैसी आकृति नहीं** होती है।
- **हिमखंड:** हिमखंड **बर्फ के बड़े तैरते हुए टुकड़े** होते हैं, जो किसी ग्लेशियर से अलग होकर किसी **झील या महासागर में** प्रवाहित होते हैं।
  - छोटे हिमखंडों को **बर्गी, बिट्स और ग्रोलर्स** के नाम से जाना जाता है।

निष्कर्ष

वैश्विक जल संसाधनों को बनाए रखने, **जलवायु को विनियमित करने तथा जैवविविधता का समर्थन करने के लिए** ग्लेशियरों का संरक्षण **महत्वपूर्ण** है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनके तेज़ी से पिघलने से समुद्र के जल स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव आबादी के संबंध में जोखिम होता है, जिससे **संरक्षण एवं धारणीय प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों** की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. ग्लेशियर वैश्विक जल आपूर्ति और जलवायु विनियमन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने के क्या प्रभाव हैं?

सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन: FAO

चर्चा में क्यों?

खाद्य एवं कृषि संगठन ने **कृषि खाद्य प्रणालियों में सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें **नाइट्रोजन प्रदूषण** की स्थिति पर प्रकाश डाला गया।

- यह रिपोर्ट कृषि-खाद्य प्रणालियों में **नाइट्रोजन के उपयोग की भूमिका** और **उसके फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों** का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **वर्तमान नाइट्रोजन उत्सर्जन:** मनुष्य **कृषि और उद्योग** के माध्यम से प्रतिवर्ष पृथ्वी की भूमि की सतह पर लगभग **150 टेराग्राम (Tg) (1 Tg = 1 मिलियन टन)** प्रतिघातक नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण **वर्ष 2100 तक यह उत्सर्जन संभावित रूप से 600 Tg प्रति वर्ष** तक बढ़ सकता है।
  - यह **पूर्व-औद्योगिक नाइट्रोजन दर से दोगुने से भी अधिक** है, जो पर्यावरण में नाइट्रोजन प्रदूषण को बढ़ाता है।
- **नाइट्रोजन हानि के प्रमुख स्रोत: पशुधन** से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, जिसका मानवीय गतिविधियों से होने वाले कुल नाइट्रोजन उत्सर्जन में **लगभग एक-तिहाई का योगदान है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों में **सिंथेटिक उर्वरक, भूमि उपयोग परिवर्तन** और **खाद उत्सर्जन** शामिल हैं।
- **नाइट्रोजन सीमा का अतिक्रमण: वैश्विक नाइट्रोजन प्रवाह ग्रहीय परिसीमाओं** से बढ़ गया है (नाइट्रोजन का उपयोग उन **पर्यावरणीय सीमाओं से बढ़ गया है** जिसके भीतर मानव सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है)।
  - **वर्ष 2015** के बाद से नाइट्रोजन की अधिकता की मात्रा में **एकाएक वृद्धि** हुई है।
- **वैश्विक फसल उपज रुझान: वैश्विक फसल उपज** में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1961 में **प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 19 किलोग्राम नाइट्रोजन** से बढ़कर वर्ष 2022 में **65 किलोग्राम N//हेक्टेयर/वर्ष** हो गई है।
  - फसल की उपज में वृद्धि के बावजूद, NUE में **उतार-चढ़ाव रहा, जो 1961 में 56% से गिरकर 1980 के दशक में 40%** हो गया तथा **वर्ष 2022** में इसमें सुधार होकर यह 56% हो गया।
- **क्षेत्रीय अंतराल:**
  - **एशिया:** हरित क्रांति के दौरान प्रदत्त उर्वरक सब्सिडी से उपज में वृद्धि हुई लेकिन इससे नाइट्रोजन प्रदूषण काफी बढ़ गया।
    - **दक्षिण पूर्व एशिया** में NUE में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो **वर्ष 1961 में 65% थी और 1990 के दशक में 45%** हो गई तथा **वर्ष 2022** में यह पुन: बढ़कर 54% हो गई।
  - **अफ्रीका:** अपर्याप्त नीतियों और उर्वरकों तक सीमित पहुँच के कारण अफ्रीका **कम फसल उपज और पोषक तत्त्वों के अवक्षय** का सामना कर रहा है।
  - **यूरोप और उत्तरी अमेरिका:** यहाँ **पोषक तत्त्व प्रबंधन** दिशा-निर्देशों और विनियमों के माध्यम से उच्च NUE प्राप्त किया गया।
    - **उत्तरी अमेरिका में NUE में वर्ष 1961 में 65% से वर्ष 1980 के दशक में 50% से नीचे** की गिरावट देखी गई किंतु **वर्ष 2022 में इसमें 69%** की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **लैटिन अमेरिका: आयातित उर्वरकों पर निर्भरता** और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण **नाइट्रोजन प्रबंधन पर प्रभाव** पड़ने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **फसल स्तर पर NUE में भिन्नता:** फसल के प्रकार के अनुसार NUE में काफी भिन्न होती है:
  - **वर्ष 2010 में सोयाबीन** का **NUE 80%** था, जो उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को दर्शाता है।
  - **फलों और सब्जियों में NUE बहुत कम** था, वर्ष 2010 में लगभग **14%,** जो उत्पादन के दौरान नाइट्रोजन के व्यापक **ह्रास** को दर्शाता है।
- **विकासशील देशों में चुनौतियाँ: निम्न और मध्यम आय वाले देशों को नाइट्रोजन उर्वरकों तक सीमित पहुँच** और मृदा स्वास्थ्य क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - नाइट्रोजन के ह्रास को दूर किये बिना, फसल की उपज कम रहती है तथा खराब **खाद प्रबंधन से** नाइट्रोजन उत्सर्जन बढ़ जाता है।

नोट:
- **ग्रहीय परिसीमाएँ:** ग्रहीय परिसीमा **रूपरेखा, जोहान रॉकस्ट्रॉम** और 28 वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष **2009** में प्रस्तुत की गई थी जो मानवता के सुरक्षित अस्तित्व के लिये **स्थिरता और जैवविविधता को** संरक्षित रखने के लिये **पृथ्वी की पर्यावरणीय सीमाओं** को परिभाषित करती है।
  - **ग्रहों की सीमाओं का उल्लंघन करने से अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय परिवर्तनों** का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी की जीवन-क्षमता को खतरा हो सकता है।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) क्या है?

- **परिचय:** इसका उपयोग **बायोमास उत्पादन** के लिये **अनुप्रयुक्त या स्थिर नाइट्रोजन** का उपयोग करने में संयंत्र की **दक्षता का वर्णन करने के लिये किया जाता है।**
  - यह **फसल की उपज और** मृदा से **अवशोषित या बैक्टीरिया द्वारा स्थिर किये गये नाइट्रोजन** का अनुपात है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

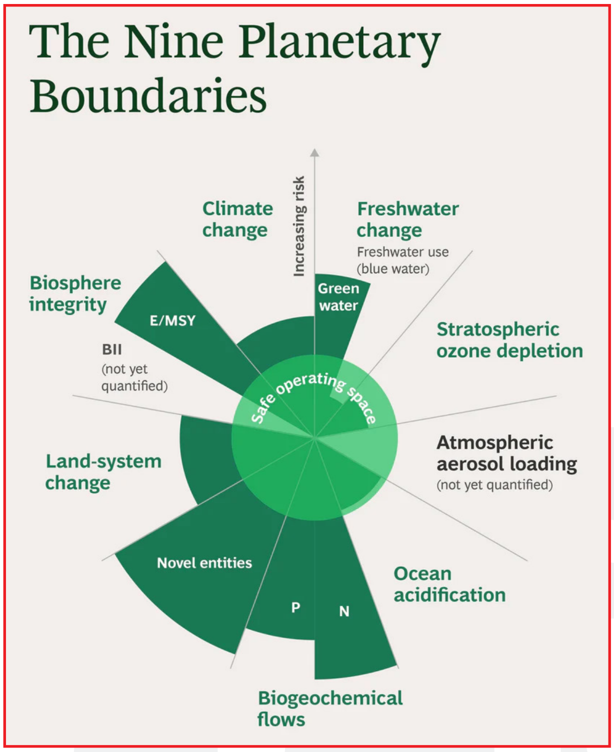

- **खराब NUE:** खराब NUE से तात्पर्य कृषि में **नाइट्रोजन के अकुशल उपयोग से है,** जहाँ इसका अधिकांश भाग **पर्यावरण में नष्ट हो जाता है,** जिससे **प्रदूषण** होता है और **उत्पादकता कम** हो जाती है।
- **खराब NUE से संबंधित चिंताएँ: खराब NUE के कारण भारत में प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन रुपए** तथा **विश्व स्तर पर प्रति वर्ष 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** मूल्य का नाइट्रोजन उर्वरक व्यर्थ जाता है।
  - भारत **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी** अधिक वायुमंडल को ऊष्मित करती है।
  - वर्ष 2020 में, **वैश्विक मानवजनित N_2O उत्सर्जन** में भारत का **लगभग 11% का योगदान था, जो चीन के** 16% के बाद दूसरे स्थान पर था।

नाइट्रोजन प्रदूषण क्या है?

- **परिचय: नाइट्रोजन (N) अमीनो एसिड और प्रोटीन** का मुख्य निर्माण खंड है, जो **पौधों की वृद्धि और कृषि खाद्य प्रणालियों के लिये आवश्यक है।**
  - **नाइट्रोजन फसल और पशुधन उत्पादन** के लिये आवश्यक है। जबकि **फलियाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं** किंतु अधिकांश **पौधे मृदा के नाइट्रोजन** पर निर्भर होते हैं।
  - **हैबर-बॉश प्रक्रम** से **निष्क्रिय नाइट्रोजन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन (जैसे अमोनियम) में** परिवर्तित होता है, जिससे **सिंथेटिक उर्वरकों** का उपयोग संभव हो जाता है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है।
- **नाइट्रोजन प्रदूषण: नाइट्रोजन प्रदूषण से तात्पर्य** पर्यावरण में नाइट्रोजन यौगिकों, विशेष रूप से **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) और नाइट्रेट्स (NO_3)** के रूप में अत्यधिक उपस्थिति से है।
  - **पर्यावरण में नाइट्रोजन की हानि (उत्सर्जन) वायु और जल की गुणवत्ता,** मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता को नुकसान पहुँचती है, तथा **स्थलीय और जलीय** दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रभाव डालती है।
- **नाइट्रोजन हानि के रूप:**
  - **वायु प्रदूषण: अमोनिया (NH_3) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) का उत्सर्जन वायु प्रदूषण** में योगदान देता है।
  - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)** एक शक्तिशाली **ग्रीनहाउस गैस (GHG)** है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है।
  - **जल प्रदूषण: नाइट्रेट निक्षालन** से जल निकायों में **सुपोषण और अम्लीकरण** होता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचता है।
- **नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित चिंताएँ: पिछले 150 वर्षों में,** मानव-चालित प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रवाह में **दस गुना वृद्धि** हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रत्येक वर्ष 200 **मिलियन टन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन** (80%) पर्यावरण में नष्ट हो जाती है, जिससे **मिट्टी, नदियाँ, झीलें और वायु प्रदूषित** हो जाती है।

- **प्रभाव:**
  - **ग्लोबल वार्मिंग और ओज़ोन परत:** नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस के रूप में **मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड** से 300 गुना अधिक शक्तिशाली है और **ओज़ोन परत** के लिये **सबसे बड़ा मानव निर्मित** खतरा है।
  - **जैव विविधता:** नाइट्रोजन प्रदूषण, कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा को **अम्लीय** बनाकर उसे **खराब** कर सकता है, जिससे **मृदा स्वास्थ्य** को नुकसान पहुँचता है तथा उत्पादकता में कमी आती है।
    - समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, **नाइट्रोजन प्रदूषण** के कारण **समुद्र में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन और मृत क्षेत्रों** का विकास हो सकता है।
  - **वायु:** कोयला संयंत्रों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड से **धुंध** और **जमीनी स्तर पर ओज़ोन परत** का निर्माण हो सकता है।
    - **कृषि से निकलने वाले अमोनिया और वाहनों से निकलने वाले धुएँ** से हानिकारक कण उत्पन्न होते हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन प्रदूषण से निपटने के लिये प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?

- **उर्वरक उद्योग हस्तक्षेप:** नाइट्रोजन उर्वरक **उत्पादन** में GHG **उत्सर्जन** को कम करना और **भंडारण, परिवहन और अनुप्रयोग** के दौरान नुकसान को न्यूनतम करना।
  - वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से स्थिर करने के लिये **सोयाबीन और अल्फाल्फा** जैसी **फलीदार फसलों** की खेती को बढ़ावा देना।
  - **नाइट्रोजन हॉटस्पॉट से बचने के लिये पशुधन को पुनर्वितरित** करने और विशिष्ट क्षेत्रों में पशुधन की सांद्रता को कम करने के लिये स्थानिक योजना को लागू करना।
- **जलवायु लक्ष्यों के साथ एकीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** में **सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन** को एकीकृत करना, **पेरिस समझौते** के **1.5 डिग्री सेल्सियस** लक्ष्य के अनुरूप कृषि खाद्य प्रणालियों से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिये लक्ष्य निर्धारित करना।
  - वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिये नाइट्रोजन प्रदूषण, विशेष रूप से **अमोनिया और नाइट्रेट्स** को कम करने के लिये राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ स्थापित करना।
- **परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था सिद्धांत: परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था खाद्य हानियों को कम करने, अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने और पशुधन का उपयोग करके बायोमास और अपशिष्ट धाराओं को उपयोगी संसाधनों** में परिवर्तित करके संसाधन उपयोग दक्षता और NUE में सुधार कर सकती है।
  - मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त खाद्य अपशिष्ट को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करने तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
- **सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन:** उच्च **दक्षता, कम उत्सर्जन वाले खनिज उर्वरकों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।**
  - प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और संसाधन की बर्बादी को कम करने के लिये **जैविक अवशेषों** के **पुनर्चक्रण** को बढ़ावा देना।
  - NUE में सुधार की तकनीकों में **बेहतर उर्वरक रणनीतियाँ, खाद प्रबंधन और फसल प्रणालियों** में पशुधन को एकीकृत करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नाइट्रोजन की दोहरी भूमिका में संतुलन:** प्रभावी नीतियों में **पोषक तत्व और प्रदूषक के रूप में नाइट्रोजन की भूमिका के बीच सामंजस्य** स्थापित करना होगा, ताकि **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करते हुए इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

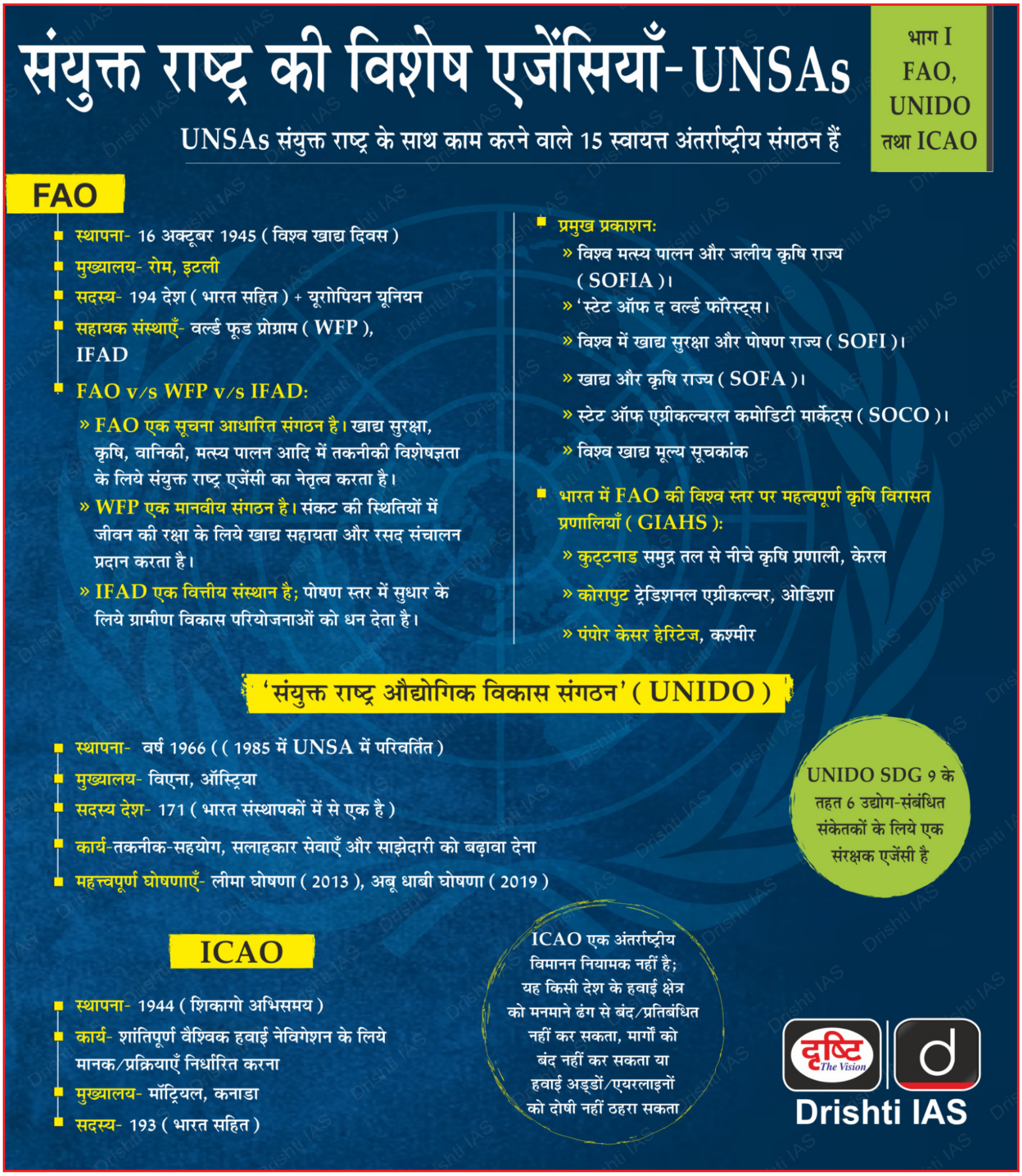

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष:

वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, भूख, सतत् उत्पादन और उपभोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने और भूमि तथा जल के नीचे जीवन की रक्षा से संबंधित- सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने और कृषि-खाद्य शृंखला में नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता बढ़ाने से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक **नाइट्रोजन संसाधनों** को उनके **इच्छित कार्य को पूरा करने, हानिकारक** उत्सर्जन को कम करके **स्वास्थ्य को बढ़ाने एवं जल निकायों** को प्रदूषण से बचाने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। कारणों का विश्लेषण कीजिये तथा भारत के स्थायी नाइट्रोजन नियंत्रण के लिये विधायी समाधान सुझाएँ।

रैट-होल माइनिंग

चर्चा में क्यों?

वर्तमान प्रतिबंधों के बावजूद, **असम के दीमा हसाओ ज़िले में हुई रैट-होल माइनिंग** की दुर्घटना, जिसमें बाढ़ के बाद नौ खनिक एक अवैध कोयला खदान में फंस गए थे, अनियमित खनन के लगातार जारी खतरों को उजागर करती है।

- इसके अलावा, केरल के **पलक्कड़** में **कुट्टुपथ ट्रेंचिंग ग्राउंड में बायोमाइनिंग** का कार्य किया जा रहा है।

रैट-होल माइनिंग क्या है?

- **परिचय:**
  - रैट-होल माइनिंग कोयला **खनन** की एक **आदिम, अपरिष्कृत, श्रम-प्रधान तथा खतरनाक** तकनीक है।
- इसमें ज़मीन में **बहुत छोटी सुरंगें खोदी** जाती हैं, जो आमतौर पर केवल **3-4 फीट गहरी और 2 से 3 फीट चौड़ी होती हैं,** जिसमें श्रमिक, अधिकतर बच्चों कि मदद कोयला निकाला जाता हैं।
  - यह प्रथा आमतौर पर **पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर मेघालय और असम में** प्रचलित है।
- **निष्कर्षण की विधियाँ:**
  - **साइड-कटिंग प्रक्रिया:** इसमें पतली कोयला परतों तक पहुँचने के लिये **पहाड़ी ढलानों** में संकरी सुरंगें खोदना शामिल है, जो आमतौर पर 2 मीटर से कम ऊँचाई की होती हैं तथा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं।
  - **बॉक्स-कटिंग:** इस विधि में, **पहले एक आयताकार होल बनाया जाता है,** उसके बाद **एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है।**
    - फिर कोयला निकालने के लिये चूहे के बिल जैसी क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं।
- **रैट-होल माइनिंग के कारण:**
  - **गरीबी: सीमित आजीविका विकल्पों** के कारण, स्थानीय जनजातीय समुदाय अक्सर जीवित रहने के साधन के रूप में रैट-होल माइनिंग की ओर रुख करते हैं।
    - उच्च जोखिम के बावजूद, निकाले गए कोयले को बेचने से होने वाला तत्काल वित्तीय लाभ, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों के लिये एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण है।
  - **भूमि स्वामित्व संबंधी मुद्दे: भूमि के स्वामित्व में अस्पष्टता और उचित विनियमन का अभाव,** अवैध खनन परिचालनों के लिये **शासन में खामियों का फायदा उठाने** तथा बिना किसी जवाबदेही के जारी रहने के अवसर उत्पन्न करता है।
  - **कोयले की मांग:** कोयले की कानूनी और अवैध दोनों तरह की **निरंतर मांग इस प्रथा को कायम** रखती है।
    - **बिचौलिये और अवैध व्यापारी** अवैध रूप से खनन किये गए कोयले के लिये बाज़ार बनाकर इस चक्र को और आगे बढ़ाते हैं।

रैट-होल खनन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सुरक्षा जोखिम:** संकरी सुरंगों के **ढहने का खतरा रहता है, जिससे प्राय: खनिक फंस जाते हैं,** जबकि **खराब वेंटिलेशन के कारण दम घुटने की समस्या होती है।** सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण अक्सर **दुर्घटनाएँ होती हैं, खनिकों को चोट लगती है और प्राण घातक रोग होते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- उदाहरण: **नगालैंड** में वर्ष 2024 के वोखा खदान विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि मेघालय में वर्ष 2018 के **कसन खदान में बाढ़ आने से** 17 खनिकों की मृत्यु हुई।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** रैट-होल खनन से **वनोन्मूलन, मृदा अपरदन** और **जल प्रदूषण में वृद्धि** होती है।
  - खनन कार्यों से **उत्पन्न अपशिष्ट का उचित निपटान न करने से अम्लीय अपवाह (एसिड माइन ड्रेनेज, या AMD)** होता है, जो **जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है** और समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र में **जैवविविधता को नुकसान पहुँचाता है।**
  - **उदाहरण: मेघालय में, AMD से लुखा** जैसी नदियाँ अम्लीय हो गई हैं, जबकि नगालैंड में, खनन से **वोखा** और **मोन ज़िलों की उपजाऊ भूमि का नाश हुआ तथा जल प्रदूषित हुआ।**
- **सामाजिक मुद्दे:** इससे **बाल श्रम और अल्प वेतन वाले श्रमिकों का शोषण होता है।** इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों का विस्थापन भी होता है।
  - **गैर सरकारी संगठन इम्पल्स** की रिपोर्ट के अनुसार 70,000 **बाल श्रमिक**, मुख्य रूप से **बांग्लादेश और नेपाल के**, खदानों के **छोटे आकार के कारण संकरी सुरंगों में से कोयले निकालने हेतु नियोजित किये गए थे।**

रैट होल खनन का विनियमन किस प्रकार किया जाता है?

- **भारत में विनियमन:**
  - **भारत में स्थिति:**
    - **रैट होल खनन अवैध** है और **विधि तथा व्यवस्था के विषय** के रूप में इसका समाधान किये जाने पर **राज्य/ज़िला प्रशासन** की अधिकारिता है।
  - **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा प्रतिबंध:**
    - वर्ष 2014 में **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने अनेक दुर्घटनाएँ होने के कारण, विशेषकर मानसून ऋतु में, **रैट-होल खनन पर प्रतिबंध** लगा दिया था।
    - **जुलाई 2019** में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने मेघालय में **रैट होल खनन** पर प्रतिबंध को मान्य ठहराया, जो मूल रूप से **NGT द्वारा** वर्ष 2014 में लगाया गया था।
  - **सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** के तहत इस प्रकार खनन **विधिविरुद्ध** था।
  - **नगालैंड में रैट-होल खनन का विनियमन: नगालैंड कोयला नीति, 2006 के अंतर्गत कठोर शर्तों के तहत व्यक्तिगत भू स्वामियों को लघु पॉकेट डिपॉज़िट लाइसेंस (SPDL)** प्रदान कर रैट-होल खनन का विनियमन किया जाता है।
    - **अनुच्छेद 371A के तहत नगालैंड को भूमि, संसाधनों और प्रथागत कानूनों की रक्षा के लिये स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिससे** खनन प्रथाओं को विनियमित करने में विधिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- **छठी अनुसूची:** छठी अनुसूची **स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC)** के माध्यम से मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम में **जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है,** जिससे खनन विनियमन जटिल हो जाता है।
  - स्थानीय **जनजातीय समुदायों के पास भूमि और खनिज दोनों का स्वामित्व है,** जिससे राष्ट्रीय खनन और पर्यावरण कानूनों पर **केंद्रीय निगरानी तथा प्रवर्तन सीमित हो जाता है।**
  - **भूमि और संसाधनों पर विधान निर्मित करने के ADC के अधिकार** का प्राय: **MMDR अधिनियम,** 1957 के तहत केंद्रीय विनियमनों के साथ संघर्ष होता है, जिससे विनियामक अस्पष्टताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ:** रैट-होल खनन से संबंधित **कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं** है।
  - हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय नियमों में **सतत् खनन विधियों** को बढ़ावा दिया गया है और **श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता** दी गई है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य देश समान प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रभावित होते हैं।

बायोमाइनिंग क्या है?

- **परिचय:**
  - बायोमाइनिंग का तात्पर्य **सूक्ष्मजीवों** जैसे **बैक्टीरिया, आर्किया, कवक** या पौधों का उपयोग करके अयस्कों और अन्य ठोस पदार्थों से **धातुओं के निष्कर्षण** से है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह एक **पर्यावरण-अनुकूल तकनीक** है जिसका प्रयोग धातु प्रदूषकों से प्रदूषित **स्थलों के उपचार** के लिये भी किया जा सकता है।
- इससे **धातुओं को ऑक्सीकरण** द्वारा निकाला जाता है जिससे ये **अधिक घुलनशील** हो जाती हैं **और उन्हें पुनः प्राप्त करना आसान हो जाता है**। इसकी दो मुख्य प्रक्रियाएँ हैं:
  - **बायोलीचिंग:** सूक्ष्मजीव **लक्षित धातु** को सीधे ही घोल देते हैं, जिससे निष्कर्षण आसान हो जाता है।
  - **जैवऑक्सीकरण:** सूक्ष्मजीव **आसपास के खनिजों** को तोड़ते हैं, जिससे लक्षित धातु का निष्कर्षण सुगम हो जाता है।

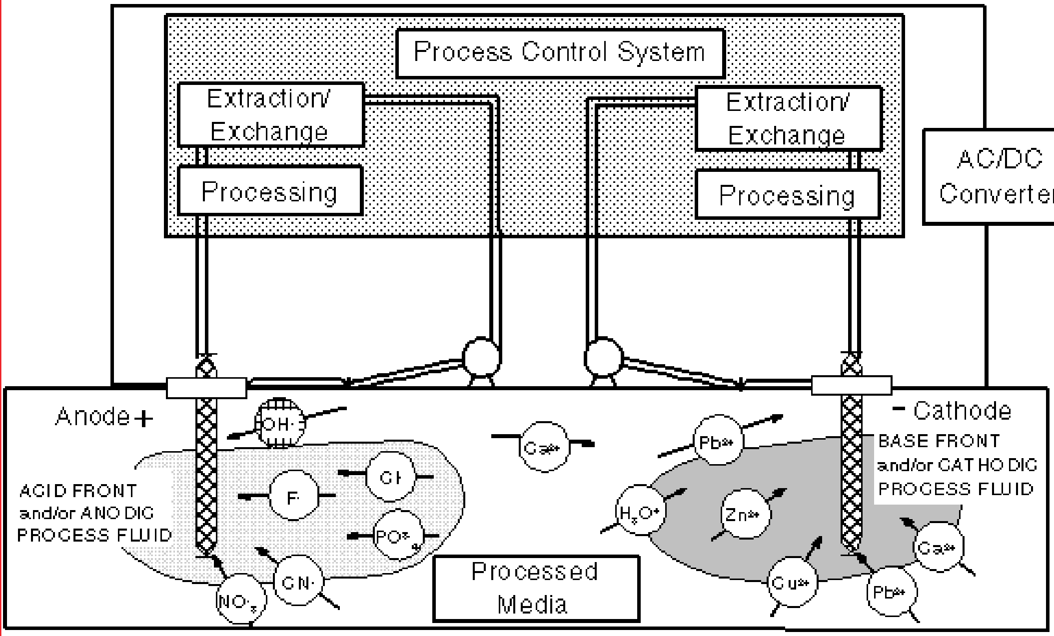

Electrokinetic Remediation Process

- **बायोमाइनिंग के माध्यम से निष्कर्षित धातुएँ**
  - **बायोमाइनिंग से मुख्य रूप से तांबा, यूरेनियम, निकल और सोना** जैसी धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, जो आमतौर पर **सल्फाइड खनिजों** में पाई जाती हैं।
- **बायोमाइनिंग के लाभ:**
  - **पर्यावरणीय स्थिरता:** पारंपरिक खनन की तुलना में इससे न्यूनतम खतरनाक अपशिष्ट के साथ **कार्बन का कम उत्सर्जन** होता है।
  - **ऊर्जा दक्षता:** इसमें **कम ऊर्जा की आवश्यकता** के साथ **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** कम होता है।
  - **जल का कम उपयोग:** इसमें जल का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होता है, जिससे यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिये लाभदायक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बायोमाइनिंग की चुनौतियाँ:**
  - **धीमी निष्कर्षण दर:** पारंपरिक खनन की तुलना में बायोमाइनिंग एक **धीमी प्रक्रिया** है, जिससे यह **बड़े पैमाने पर संचालन के लिये कम उपयुक्त** है।
  - **सीमित दायरा: सभी अयस्क जैवखनन के लिये उपयुक्त नहीं** होते हैं, विशेष रूप से वे जिनमें **ऐसी धातुएँ नहीं होती हैं** जिन्हें सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सके।
  - **तकनीकी चुनौतियाँ:** इस प्रक्रिया के लिये **सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित तकनीकी की आवश्यकता** होती है और इसमें जटिल परिचालन स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं, जिससे इसका संचालन जटिल हो जाता है।

इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रौद्योगिकी

- **परिचय:**
  - **इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग (EKM)** दुर्लभ मृदा तत्त्वों के निष्कर्षण के लिये एक **नवीन, पर्यावरण-अनुकूल तकनीक** है।
  - इसमें विद्युत का उपयोग करके **कुशलतापूर्वक माइनिंग** को सक्षम किया जाता है।
- **महत्त्व:**
  - इससे **निक्षालन एजेंट का उपयोग 80%** तथा **ऊर्जा खपत 60%** कम हो जाती है तथा इसमें **95% से अधिक की रिकवरी दर** प्राप्त होती है, जो धारणीय खनन में एक महत्त्वपूर्ण सफलता है।
  - यह नवाचार पर्यावरणीय अनुकूल होने के साथ **दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) की पुनःप्राप्ति** को सक्षम बनाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में रैट-होल खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय और सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन मुद्दों को कम करने एवं धारणीय खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के उपाय बताइये।

KMGBF 2022 लक्ष्य प्राप्त करने हेतु OECMs

चर्चा में क्यों?

IUCN, **विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग (WCPA)** और WWF द्वारा **"अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM) पर मार्गदर्शन"** शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है।

- इसमें शामिल दिशानिर्देश के तहत **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) 2022** के GBF लक्ष्य संख्या 3 को प्राप्त करने के लिये भूमि, जल एवं समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला गया है ताकि वर्ष 2030 तक इन क्षेत्रों के 30% का संरक्षण किया जा सके।

OECM क्या हैं?

- **परिचय:** OECM को **ऐसे भौगोलिक क्षेत्र** के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है लेकिन जिसे **जैवविविधता के संरक्षण** के क्रम में **सकारात्मक, निरंतर, दीर्घकालिक परिणाम** प्राप्त करने के लिये शासित और प्रबंधित किया जाता है।
  - ये क्षेत्र सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक-आर्थिक या अन्य स्थानीय मूल्यों सहित **पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं** के संरक्षण पर केंद्रित हैं।
  - उदाहरण **कृषि भूमि, लकड़ी के लिये वन** आदि।
- **OECM की पहचान हेतु मानदंड:**
- **मुख्य विशेषताएँ :**
  - **संरक्षित क्षेत्र में शामिल न होना:** OECM **औपचारिक संरक्षित क्षेत्र (PAs)** नहीं हैं लेकिन जैवविविधता संरक्षण में इनकी भूमिका रहती है।
  - **प्रबंधन में लचीलापन:** OECM का प्रबंधन **सरकारों, निजी समूहों, स्थानीय लोगों या स्थानीय समुदायों** द्वारा किया जा सकता है।
  - **बहुउद्देश्यीय उद्देश्य : OECM जल प्रबंधन या कृषि** जैसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तथा **जैवविविधता संरक्षण** को द्वितीयक लाभ के रूप में शामिल कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सतत् संरक्षण: OECM** को प्रभावी शासन और प्रबंधन के माध्यम से **स्व-स्थाने जैवविविधता संरक्षण** सुनिश्चित करना चाहिये।
- **स्वैच्छिक पहचान:** किसी साइट को OECM के रूप में पहचानना **स्वैच्छिक** है और इसके लिये **शासी प्राधिकरण की सहमति आवश्यक** है।

- **महत्त्व:** OECM **जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण स्थलों** को मान्यता देते हैं जो औपचारिक रूप से संरक्षित नहीं हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- OECM **वैश्विक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करते हैं,** तथा सख्त औपचारिकताओं के बिना जैवविविधता कवरेज़ को बढ़ावा देते हैं।
- **केस स्टडीज़:**
  - **लॉस एमिगोस कंजर्वेशन एरिया:** यह **पेरू के लॉस एमिगोस जलग्रहण क्षेत्र** में स्थित है और **विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 12 प्रजातियों, 12 प्राइमेट प्रजातियों और 550 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल** है।
  - **विट्स रूरल फैसिलिटी:** यह **दक्षिण अफ्रीका** में स्थित है और इसका प्रबंधन मुख्यत: **सवाना और नदी आवासों** को बरकरार रखते हुए किया जाता है।
  - **नार्थ टिंडल प्रोटेक्टेड वाटर एरिया:** यह **स्थानीय वनस्पति** को बनाए रखने और **हानिकारक भूमि उपयोगों** पर रोक लगाकर जैवविविधता संरक्षण के लिये **नोवा स्कोटिया, कनाडा** में स्थित है।
- **भारत में OECM:**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **OECM और PA के बीच अंतर:**

पहलू	संरक्षित क्षेत्र (PA)	अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM)
परिभाषा	**प्रकृति के दीर्घकालिक संरक्षण** हेतु समर्पित क्षेत्र।	साइट जैवविविधता का संरक्षण करती है, लेकिन **जरूरी नहीं कि यह प्राथमिक लक्ष्य हो।**
प्राथमिक उद्देश्य	**जैवविविधता,** पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना।	जैवविविधता एक **द्वितीयक** या आकस्मिक परिणाम के रूप में।
विधिक मान्यता	औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त और विधिक रूप से संरक्षित।	स्वैच्छिक, औपचारिक संरक्षण का अभाव हो सकता है।
संरक्षण नेटवर्क में भूमिका	**संरक्षण नेटवर्क का मूल,** दीर्घकालिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण।	**PA का पूरक,** पारिस्थितिकी संपर्क को बढ़ाता है।
संरक्षण परिणाम	जैवविविधता संरक्षण के लिये **सख्त नियम।**	**जैवविविधता का समर्थन कर सकते हैं,** लेकिन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करते।
पूरक भूमिका	**संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केंद्रीय** (जैसे, वर्ष 2030 तक 30%)।	**पारिस्थितिक प्रतिनिधित्व** और **संपर्क** को बढ़ाता है।

OECM के दिशा-निर्देश वाले आठ खंड कौन-से हैं?

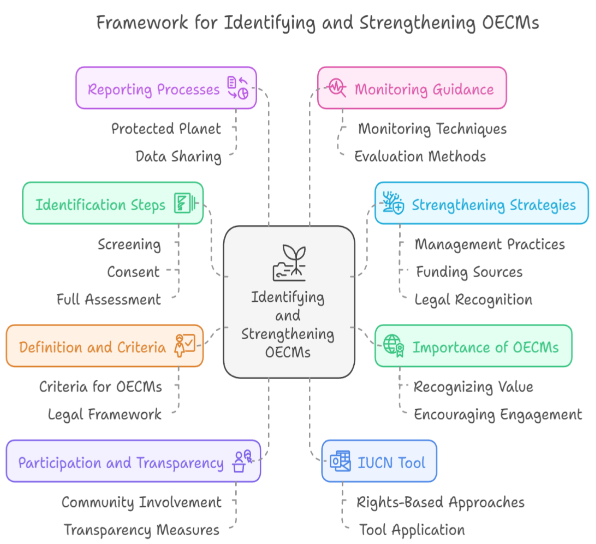

KMGBF 2022 क्या है?

- **परिचय:** दिसंबर 2022 में **CoP 15 (मॉन्ट्रियल, कनाडा)** में अपनाए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष **2030 तक वैश्विक जैवविविधता हानि रोकथाम करना और इसकी पुन: प्राप्ति करना है।**
  - यह **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के अनुरूप है और **जैवविविधता हेतु रणनीतिक योजना 2011-2020** से प्राप्त **उपलब्धियों और सीख पर आधारित है।**
- **उद्देश्य:** इसमें वर्ष 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिये **23 कार्य-उन्मुख** वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, जिनका लक्ष्य **कम-से-कम 30%** क्षीण स्थलीय, अंतर्देशीय जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुत्थान करना है।
  - इस लक्ष्य का तात्पर्य **वैश्विक प्रयासों से है, न कि प्रत्येक देश के लिये अपनी भूमि और जल का 30% आवंटित करने** की आवश्यकता से।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:** इस रूपरेखा में जैवविविधता संरक्षण और सतत् उपयोग पर वर्तमान कार्यों और नीतियों का मार्गदर्शन करते हुए वर्ष **2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने** के लिये **सामूहिक प्रतिबद्धता** की परिकल्पना की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैवविविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वाँ सम्मेलन (CBD COP 15)

- जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) 1993 – जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
- CBD के पक्षकारों का सम्मेलन अभिसमय का शासी निकाय है

पक्षकारों का सम्मेलन–COP

COP 1 (1994)
- नसाऊ, बहामास
- 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया

EXCOP 1
- UN CBD COP की पहली विशेष बैठक
- कार्टाजेना, कोलंबिया (फरवरी 1999) और मॉन्ट्रियल, कनाडा (जनवरी 2000)
- जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया

COP 8 (2006)
- कुर्तीबा, ब्राजील
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 2 (वर्ष 2001 में GBO 1)

COP 5 (2000)
- नैरोबी, केन्या
- UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में अपनाया

COP 10 (2010)
- नागोया, जापान
- नागोया प्रोटोकॉल (अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों का समुचित एवं समान साझाकरण) को अपनाया गया
- जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-20 और आइची जैवविविधता लक्ष्य
- ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 3

COP 6 (2002)
- हेग, नीदरलैंड्स
- ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव, ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को अपनाया गया

COP 11 (2012)
- हैदराबाद, भारत

COP 14
- शर्म अल शेख, मिस्र

COP 15

चरण–I
- कुनमिंग, चीन में आयोजित किया गया (अक्तूबर 2021)
- थीम- पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिये एक साझा भविष्य का निर्माण (Ecological Civilization% Building a Shared Future for All Life on Earth)
- कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड

चरण–II
- मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया
- 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Post 2020 Global Biodiversity Framework)- 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है
- 30 इस 30 लक्ष्य- 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना
- किसी भी देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों (जो 2020 में समाप्त हुए) को पूरा नहीं किया

नोट: CBD COP-16 का आयोजन वर्ष 2024 में **कोलंबिया के कैली में "पीस विद नेचर"** थीम के साथ किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत ने COP-16 में KMGBF के साथ संरेखित CBD के लिये **अद्यतन राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) का शुभारंभ किया।**
- **कैली फंड** की स्थापना आनुवंशिक संसाधनों पर **डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI)** के उपयोग से होने वाले **लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बँटवारा** सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।

KMGBF के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य क्या है?

- **संरक्षण क्षेत्र:** जैवविविधता को बढ़ाने के लिये **30%** क्षेत्र को संरक्षित किये जाने का लक्ष्य।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** **आक्रामक विदेशी प्रजातियों** में **50% की कमी लाने का लक्ष्य।**
- **अधिकार और भागीदारी:** संरक्षण में **मूल समुदाय के लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं** की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **सतत् उपभोग:** सतत् उपभोग को बढ़ावा देना और **खाद्यान्न की होने वाली कुल बर्बादी को 50% तक कम करना।**
- **लाभ साझाकरण:** आनुवंशिक संसाधनों और **पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त लाभ के उचित बँटवारे को प्रोत्साहित करना।**
- **प्रदूषण स्तर में कमी लाना: पोषक तत्त्वों की हानि** और कीटनाशक जोखिम को कम करते हुए प्रदूषण कम करना।
- **जैवविविधता नियोजन: उच्च जैवविविधता वाले क्षेत्रों की हानि की रोकथाम करने हेतु** क्षेत्रों का प्रबंधन करना।

IUCN:

- **वर्ष 1948 में स्थापित IUCN विश्व का सबसे बड़ा** और सर्वाधिक विविधता वाला पर्यावरण नेटवर्क है।
- IUCN एक सदस्यता संघ है जिसमें **1,400** से अधिक संगठन शामिल हैं, जिनमें **सरकारी और नागरिक समाज** समूह दोनों शामिल हैं।
- **IUCN संरक्षण डेटा, आकलन और विश्लेषण का अग्रणी प्रदाता है,** जो वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों को समर्थन देने के लिये उपकरण और ज्ञान प्रदान करता है।
- यह **IUCN रेड डाटा बुक** (जिसे अब **संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के रूप में जाना जाता है**) तैयार करता है, जिसमें प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के जोखिम के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकटग्रस्त आदि।

IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग (WPCA)

- यह संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्रों पर विशेषज्ञता का विश्व का अग्रणी नेटवर्क है, जिसके **140 देशों** में **2,500** से अधिक सदस्य हैं।
- **यह संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण** पर नीति निर्माताओं को रणनीतिक सलाह प्रदान करता है।

WWF:

- **वर्ष 1961** में स्थापित **WWF** एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जो पर्यावरण संरक्षण और कमज़ोर प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र** की सुरक्षा पर केंद्रित है।
- इसका लक्ष्य **पर्यावरणीय क्षरण** को रोकना तथा ऐसे भविष्य का निर्माण करना है, जिसमें लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर रह सकें।

निष्कर्ष:

IUCN और WWF द्वारा **OECM दिशा-निर्देशों** का जारी होना **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे** का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 30%** भूमि, जल और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना है। भारत के जैवविविधता लक्ष्य संरक्षण को बढ़ाने, आक्रामक प्रजातियों को कम करने और सतत् उपभोग को बढ़ावा देने के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM) क्या हैं? वे संरक्षित क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न हैं?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामाजिक न्याय

भारत में किशोर गर्भावस्था की रोकथाम

चर्चा में क्यों?

टीन एज प्रेगनेंसी एंड मदरहुड इन इंडिया: एक्सप्लोरिंग स्टेटस एंड आईडेंटिफायिंग प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज़ नामक अध्ययन में देश में किशोर गर्भावस्था से संबंधित मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में किशोर गर्भावस्था के संबंध में अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

- **किशोर गर्भावस्था और बाल विवाह:** भारत में किशोर गर्भावस्था, **बाल विवाह** और **लैंगिक असमानता** से संबंधित है।
  - **बाल विवाह की दर में गिरावट** आई है (वर्ष 2005 के 47% से वर्ष 2020 में 24%) लेकिन किशोर गर्भधारण उच्च (6%) बना हुआ है, विशेषकर **पश्चिम बंगाल, बिहार** और **राजस्थान** जैसे राज्यों में।
- **सामाजिक और आर्थिक कारक:** किशोरावस्था में गर्भधारण के प्रमुख कारणों में **गरीबी, सामाजिक मानदंड** तथा **प्रजनन शिक्षा का अभाव** शामिल है।
  - कम उम्र में विवाह को अक्सर **वित्तीय समाधान** के रूप में देखा जाता है और दुल्हनों पर **जल्दी माँ बनने का दबाव** रहता है।
- **क्षेत्रीय भिन्नता:** राष्ट्रीय **परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5** (वर्ष 2019-21) में पाया गया कि 15-19 वर्ष की आयु की 6.8% महिलाएँ गर्भवती थीं या उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें **पश्चिम बंगाल (16%)** और **बिहार (11%)** में इसकी दर सबसे अधिक थी।
- **सहायता का अभाव और कल्याण में कमी:** किशोर माताओं को **कलंक का सामना करना पड़ता है** और इन्हें **संस्थागत सहायता का अभाव** होता है, जिसके कारण इनके **स्कूल छोड़ने से कम शिक्षा के कारण गरीबी** बनी रहती है।
- **कल्याणकारी योजनाओं में प्राय: आयु आधारित पात्रता** के कारण इन्हें शामिल न किये जाने से इन्हें कम संसाधन मिल पाते हैं।
- **नीतिगत अंतराल:** प्रयासों के बावजूद, **नीतिगत बाधाएँ** किशोर माताओं के लिये प्रभावी सेवाओं में बाधक हैं।
  - किशोर गर्भधारण को कम करने के उद्देश्य से संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों से **वंचित किये जाने से उनकी सामाजिक-आर्थिक** स्थिति खराब हो जाती है।

किशोर गर्भावस्था के क्या प्रभाव हैं?

- **मातृ स्वास्थ्य जोखिम:** किशोर माताओं को **एनीमिया**, **समय से पहले प्रसव** और **मातृ मर्त्यता** का अधिक जोखिम रहता है।
  - **NFHS-5** के अनुसार, कई किशोर माताओं को आवश्यक **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त नहीं है,** जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
- **बाल स्वास्थ्य और वृद्धिरोध:** किशोर माताओं से जन्मे बच्चों में **साधारण से कम वज़न, वृद्धिरोध** और **उच्च शिशु मृत्यु** दर का खतरा अधिक होता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI)** द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार किशोर माताओं से जन्मे बच्चों में **वृद्धिरोध और साधारण से कम वज़न का प्रचलन 11% अधिक** है।
- **सामाजिक परिणाम:** किशोरावस्था में गर्भधारण से माता और बच्चे दोनों के लिये **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं,** जैसे **मातृ जटिलताएँ** और **बाल कुपोषण**, जबकि युवा माताओं के लिये **आर्थिक** और **शैक्षिक अवसर गंभीर रूप से सीमित हो जाते हैं।**
  - किशोर माताएँ प्राय: **स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनके आर्थिक अवसर सीमित हो जाते हैं** और **गरीबी का चक्र (अंतर-पीढ़ीगत गरीबी) जारी रहता है।**
  - **वर्ष 2019 के आँकड़ों** के अनुसार, किशोर कन्याओं में **55%** अनपेक्षित गर्भधारण के परिणामस्वरूप गर्भपात होता है, जिनमें से कई **निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC)** में असुरक्षित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लैंगिक असमानता और हिंसा:** लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक मानदंडों से किशोर माताओं का हाशियाकरण होता है तथा वे अपने जीवन में सुधार लाने के अवसरों से वंचित हो जाती हैं।
  - **बाल विवाह से घरेलू हिंसा** के मामले बढ़ते हैं और लैंगिक असमानता बढ़ती है। इसके साथ ही, इन प्रथाओं से युवा लड़कियों के अवसर सीमित हो गए हैं।

किशोर कालीन सगर्भता में कमी लाने, मातृत्व स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये क्या योजनाएँ हैं?

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** PMMVY **के अंतर्गत 19 वर्षीय अथवा उससे अधिक आयु** की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर **5,000 रुपए** प्रदान किये जाते हैं, जिससे बेहतर मातृ स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा मिलता है।
  - आयु संबंधी यह अनिवार्यता **किशोरावस्था में गर्भधारण** और **बाल विवाह उन्मूलन के प्रयासों को बल देती है**।
- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** JSY **के तहत 19 वर्षीय और उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं,** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की, और **आशा कार्यकर्त्ताओं** को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है।
  - किशोरावस्था में गर्भधारण और बाल विवाह को रोकने के लिये आयु मानदंड एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):** RKSK **के अंतर्गत** पोषण, **प्रजनन स्वास्थ्य** और **मानसिक कल्याण** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **10 से 19 वर्षीय किशोरों** को लक्षित किया जाता है, जिससे किशोर स्वास्थ्य और अल्प आयु में विवाह से संबंधित मुद्दों का प्रत्यक्ष समाधान होता है।
- **बालिका समृद्धि योजना:** BSY, **बीपीएल परिवारों को बालिका शिक्षा** के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई को लगातार बनाए रखना तथा जब तक शादी के लिये कानूनी रूप से बालिग नहीं हो जाती शादी न करने के लिये **प्रोत्साहन करना,** जिससे बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक और **शैक्षिक स्थिति में सुधार होता है**।
- **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS): ICDS छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच** तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।
- **स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम: आयुष्मान भारत** के तहत वर्ष 2020 में शुरू किया गया, यह **6-18 वर्ष की आयु** के छात्रों के लिये किशोर स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसमें यौन एवं **प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा,** मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और स्वच्छता जागरूकता शामिल है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इसका उद्देश्य लिंग आधारित चयन** को रोकना तथा 18 वर्ष तक की लड़कियों की **शिक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही शिशु लिंगानुपात** में सुधार एवं **समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है**।

आगे की राह:

- **शिक्षा की भूमिका:** वर्जनाओं को दूर करने और सुरक्षित प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये **व्यापक प्रजनन शिक्षा** को स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये।
  - **पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प** जैसे कार्यक्रम, जो **विवाह में देरी करने** पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, को देश भर में लागू किया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समितियाँ **बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम कर सकती हैं,** तथा किशोर गर्भावस्था के **प्रतिकूल प्रभावों** के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर सकती हैं।
  - **किशोरों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के बारे में शिक्षित करने में माता-पिता, शिक्षकों, सामाजिक** और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की सक्रिय भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।
  - **बाल विवाह से निपटने के लिये आशा, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं** और **पुलिस सखी** जैसे स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इस दृष्टिकोण का एक सफल उदाहरण **असम में देखा गया है,** जहाँ बाल विवाह से निपटने के लिये स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को प्रभावी ढंग से संगठित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीतिगत सिफारिशें:** बाल विवाह को रोकने के लिये **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006** जैसे कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत बनाना।
- **उन्नत डेटा संग्रहण:** किशोर गर्भधारण पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना और लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिये अनुदैर्ध्य अध्ययन आयोजित करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और किशोर गर्भधारण को रोकने के लिये शिक्षा में कैसे सुधार कर सकता है?

ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु सुधार

मध्य प्रदेश में झूठी शान के चलते एक लड़की को उसके परिवार वालों ने इसलिये **गोली मार** दी क्योंकि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी।

ऑनर किलिंग क्या है?

- **परिचय: ऑनर किलिंग का आशय परिवार के किसी सदस्य (आमतौर पर महिला)** की हत्या करना है, जिससे रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है।
  - **ये कृत्य अक्सर पारिवारिक सम्मान, नैतिकता** एवं **सामाजिक व्यवहार** के संबंध में सख्त **सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मानदंडों** में निहित होते हैं।
- **प्रमुख आँकड़े:** **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 और 2020 में ऑनर किलिंग की संख्या प्रत्येक वर्ष **25 और वर्ष 2021 में 33** रही। लेकिन इससे संबंधित आँकड़े बताए गए आँकड़ों से कहीं **अधिक** हो सकते हैं।
- **कारण:**
  - **जाति व्यवस्था: जाति का दर्ज़ा खोने के भय से** (विशेष रूप से **अंतर्जातीय या समान गोत्र विवाह के विरुद्ध**) हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
  - **पितृसत्तात्मक मानदंड:** महिलाओं को जीवनसाथी चुनने के अधिकार से अक्सर वंचित रखा जाता है तथा विवाह को **पारिवारिक सम्मान** का पर्याय माना जाता है।
  - **खाप पंचायतें:** ये अनौपचारिक निकाय (जो **प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती हैं) जातिगत मानदंडों का उल्लंघन करने** पर हत्या सहित दंड लगाते हैं।
  - **लैंगिक असंतुलन:** विषम **लैंगिक अनुपात** से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (विशेषकर तब जब विवाह का विकल्प पारंपरिक मानदंडों के विपरीत होता है) को बढ़ावा मिलता है।
  - **सामाजिक स्थिति:** निर्धारित **सामाजिक स्थिति** को व्यक्तिगत उपलब्धियों पर प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण पारिवारिक सम्मान व्यक्तिगत पसंद पर हावी हो जाता है।
- **परिणाम:**
  - **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** यह जीवन के मूल मानवाधिकार का उल्लंघन है। इससे **लैंगिक असमानता** के साथ पितृसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूती मिलती है।
  - **सामाजिक प्रभाव:** जीवित बचे परिवार और समुदाय **गंभीर मनोविज्ञान संबंधी अभिघात** और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं।
  - **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** अप्रभावी विधिक ढाँचे या सामाजिक स्वीकृति के कारण **अपराधकर्त्ता दंड से बच जाते हैं,** जिससे विधिसम्मत शासन प्रभावित होता है।
  - **सांस्कृतिक पिछड़ापन: प्रतिगामी परंपराओं को प्रतिबलित करते हुए** और प्रगति को बाधित करते हुए यह महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में बाधा डालता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय परिणाम:** मानहनन आधारित हिंसा से **वैश्विक मानवाधिकार जाँच की संभावना बढ़ जाती है** तथा राजनयिक संबंध प्रभावित होते हैं।

नोट: ऑनर किलिंग को **"हत्या"** माना जाता है क्योंकि विधि में उन्हें विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है। **इस प्रकार, वे भारतीय दंड संहिता, 1860** के प्रावधानों के अधीन हैं।

- **"विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक, 2011"** शीर्षक से प्रस्तुत यह विधेयक मुख्य रूप से स्व-निर्णयन को रोकने के उद्देश्य से **जाति पंचायतों द्वारा** बुलाई गई "विधिविरुद्ध सभा" से संबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्रारंभिक समर्थन के बावजूद, यह विधेयक **संसद में पारित नहीं हो सका** और **अधिनियम में प्रवर्तित नहीं हुआ।**

- **भारतीय विधि आयोग** की **242वीं रिपोर्ट (2012) में ऐसे ऑनर किलिंग-रोधी कानूनों** की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिनमें मामलों की **जाँच, अभियोजन और दंड** के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश हों।

ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु कौन-से विधिक प्रावधान हैं?

- **भारतीय दंड संहिता की धारा 299-304 (अब BNS):** इस धारा के तहत **हत्या** और **हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध** के दोषी किसी भी व्यक्ति के दंड का प्रावधान किया गया है।
  - **हत्या और मानव वध** के लिये **आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है।**
  - सदोष मानव वध वह है जब किसी की मृत्यु लापरवाही या आपराधिक आशय के कारण होती है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 307:** इसके तहत हत्या के प्रयास के लिये **10 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का प्रावधान है।
  - **भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत** गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिये तीन वर्ष तक के **कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।**
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 35:** इसके अंतर्गत सामान्य आशय से **व्यक्तियों द्वारा किये गए आपराधिक कृत्यों के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।**

ऑनर किलिंग से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- ***लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2006:*** **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने ऑनर किलिंग को **क्रूर कृत्य बताते हुए** और अपराधकर्त्ताओं के लिये **कठोर दंड पर बल देते हुए अंतरजातीय विवाह** में युवा युगलों के साथ होने वाले उत्पीड़न और हिंसा की निंदा।
- ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर केस, 2010:*** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग के अपराधियों को **दोषी ठहराया** और उन्हें **आजीवन कारावास का दंड दिया।**
  - **सर्वोच्च न्यायालय ने जघन्य अपराधों के लिये जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने के महत्त्व** पर बल दिया।
- ***अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामला, 2011:*** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता **संबंध तोड़ सकते हैं,** लेकिन बच्चों को अंतरजातीय विवाह के लिये **डरा-धमका या परेशान नहीं कर सकते।**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अंतरजातीय दम्पतियों को **कानूनी सुरक्षा प्रदान करने तथा उत्पीड़न या हिंसा को रोकने** के लिये कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
- ***शक्ति वाहिनी केस, 2018:*** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऑनर किलिंग **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन है तथा ऐसे अपराधों के खिलाफ **सख्त कार्रवाई** की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को **विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करके** तथा पारिवारिक खतरों का सामना कर रहे दम्पतियों को सुरक्षा प्रदान करके ऑनर किलिंग को रोकने का निर्देश दिया।

आगे की राह:

- **नया कानून:** लक्षित **सुरक्षा प्रदान करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने,** अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाने तथा **सामाजिक परिवर्तन** को बढ़ावा देने के लिये एक समर्पित ऑनर किलिंग विरोधी कानून की आवश्यकता है।
- **चुनावी अयोग्यता:** ऑनर किलिंग की **सामाजिक वैधता को कम किया** जाना चाहिये, इसके लिये दोषी ठहराए गए लोगों को कम-से-कम पाँच वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे लोगों को अधिकार वाले पदों पर नहीं होना चाहिये।
  - इससे ऐसे **ऑनर किलिंग आदेशों और गतिविधियों को उचित ठहराने से रोका** जा सकेगा तथा जाति और समुदाय के आधार पर पंचायतों पर अंकुश लगेगा।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट: त्वरित न्याय सुनिश्चित करने** तथा पीड़ितों के अधिकारों को कमज़ोर करने वाली देरी को रोकने के लिये **ऑनर किलिंग के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट** स्थापित किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन:** विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके **पंजीकरण** अवधि को **एक महीने से घटाकर एक सप्ताह कर** दिया गया, ताकि विवाहों को संभावित खतरों या हिंसा से बचाया जा सके।
    - **भारतीय दंड संहिता** में एक प्रावधान शामिल किया जाए जिसमें **ऑनर किलिंग** को परिभाषित कर **दंड का निर्धारण किया जाए,** ताकि कानूनी प्रणाली को ऐसे अपराधों से निपटने तथा उन्हें रोकने में मदद मिल सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ऑनर किलिंग पर कानूनी प्रावधान और न्यायिक स्थिति क्या है ? इनसे निपटने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है ?

वर्ष 2025 में बच्चों के लिये संभावनाएँ: यूनिसेफ रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) **की** रिपोर्ट ***"वर्ष 2025 में बच्चों के लिये संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य के लिये लचीली प्रणालियों का निर्माण"*** में बढ़ते **वैश्विक संकटों** एवं बच्चों पर उनके संभावित प्रभाव की चेतावनी दी गई है।

- इसमें बच्चों की सुरक्षा एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय प्रणालियों को मज़बूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

बच्चों की चुनौतियों पर यूनिसेफ रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **बच्चों पर संघर्ष का प्रभाव: वर्ष** 2023 में, **473 मिलियन से अधिक बच्चे, या वैश्विक स्तर पर छह में से एक से अधिक,** संघर्ष क्षेत्रों में रहते थे। संघर्ष से प्रभावित बच्चों का अनुपात वर्ष **1990 के दशक के 10% से लगभग दोगुना होकर 19% हो गया है।**
- **बच्चों को विस्थापन, भुखमरी, रोग और मनोवैज्ञानिक आघात** जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है ।
- ऋण संकट और बच्चों पर इसका प्रभाव: लगभग 400 मिलियन बच्चे ऋणग्रस्त देशों में रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं में निवेश सीमित हो जाता है।
    - **विश्व बैंक का** अनुमान है कि **निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों** के लिये बाह्य ऋण में 5% की वृद्धि से शिक्षा पर होने वाले खर्च में 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ सकती है। 15 अफ्रीकी देशों में, ऋण सेवा एवं शिक्षा पर होने वाले खर्च से अधिक है, जबकि 40 से अधिक निम्न आय वाले देश स्वास्थ्य की तुलना में ऋण पर अधिक खर्च करते हैं।
        - ऋण भुगतान अब **सामाजिक सुरक्षा** से 11 गुना अधिक हो गया है, जिससे 1.8 अरब बच्चे आर्थिक संकटों एवं बढ़ती गरीबी के प्रति असुरक्षित हो गए हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: वैश्विक जलवायु वित्त** का केवल **2.4% ही** बाल-संवेदनशील पहलों हेतु आवंटित किया जाता है, जिससे बच्चों के लिये महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवाएँ कमज़ोर हुई हैं।
- **डिजिटल असमानता: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** के तहत सरकारों द्वारा बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के तरीकों में परिवर्तन लाया जा रहा है।
- हालाँकि, डिजिटल डिवाइड की व्यापकता बनी हुई है, जहाँ उच्च आय वाले देशों में युवा (15-24 वर्ष) अधिक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं जबकि अफ्रीका में केवल 53% युवाओं के पास इंटरनेट की सुविधा (विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में) है।
- किशोर लड़कियाँ और विकलांग बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित हैं, निम्न आय वाले देशों में 10 में से 9 किशोर लड़कियों की इंटरनेट तक पहुँच नहीं है।
- कार्रवाई हेतु सिफारिशें: इस रिपोर्ट में जलवायु सुधार प्रयासों के लिये अतिरिक्त वित्तपोषण की मांग की गई है, जिसमें जलवायु आपदाओं के दौरान बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण हेतु सहायता शामिल है।
    - ऐसी समावेशी, निष्पक्ष और ज़िम्मेदार प्रणालियाँ सुनिश्चित हों जिससे बच्चों के अधिकारों एवं आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिले।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- असमानता के अंतराल को कम करने के लिये डिजिटल पहलों में **बाल अधिकारों का** बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

UNICEF के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: UNICEF एक अग्रणी वैश्विक संगठन है जो यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य करता है कि हर बच्चा जीवित रहे, फले-फूले और अपनी क्षमता को पूरा करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या वे कहीं भी रहते हों।**
  - **UNICEF का कार्य निष्पक्ष, गैर-राजनीतिक और तटस्थ है। यह 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है।**
- **स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन बच्चों की सहायता करने के लिये की गई थी, जिनका जीवन और भविष्य खतरे में था, चाहे उनके देश ने युद्ध में कोई भी भूमिका निभाई हो।**
  - **UNICEF वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गया।**
- **मुख्य गतिविधियाँ: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन तथा रोग।**
  - **UNICEF बाल अधिकार कन्वेंशन, 1989 द्वारा निर्देशित है।**
- **मान्यता: वर्ष 1965 में "राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने" के लिये शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।**
- **UNICEF और भारत:** UNICEF ने भारत में अपना कार्य **वर्ष 1949** में शुरू किया। वर्तमान में यूनिसेफ का 17 राज्यों तक विस्तार है जिससे भारत की 90% बाल आबादी कवर होती है।
- **यूनिसेफ-भारत की प्रमुख पहल:**
  - **ICDS (1975): यूनिसेफ ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)** में प्रमुख भूमिका निभाई है।
  - **पोलियो अभियान (2012):** इसने **पोलियो** उन्मूलन में भारत की सफलता में योगदान दिया।
  - **मातृ एवं बाल पोषण (2013):** इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से पोषण जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है।
    - यूनिसेफ ने **मातृ मृत्यु दर (MMR)** और **शिशु मृत्यु दर (IMR)** को कम करने में मदद की है।
  - **इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान (2014):** नवजात मृत्यु दर और मृत बच्चों के जन्म को कम करने के लिये इसने **इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान** में सहायता की है।
- **मार्गदर्शक रूपरेखा: यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार सम्मेलन, 1989 (भारत ने वर्ष 1992 में इस सम्मेलन की पुष्टि की) का अनुसरण** किया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं बच्चों के प्रति व्यवहार के वैश्विक मानकों के रूप में स्थापित करना है।

समकालीन भारत में बच्चों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- **जलवायु और पर्यावरणीय खतरे: जलवायु से बच्चों के जोखिम सूचकांक** में भारत **163 देशों में से 26 वें स्थान पर है,** जहाँ बच्चों को अत्यधिक उष्णता, बाढ़ और वायु प्रदूषण से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
  - 2000 के दशक की तुलना में **हीटवेव** के उद्भासन में आठ गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। इस जलवायु संकट से **बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर और अधिक दबाव बढ़ेगा,** विशेषकर ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का अभिगम पहले से ही सीमित है।
- **बाल तस्करी:** भारत में बृहद स्तर पर **बाल तस्करी** होती है, जहाँ बच्चों का **श्रम, भीख माँगने, लैंगिक प्रयोजनों और चाइल्ड पोर्नोग्राफी** के लिये शोषण किया जाता है।
- **बाल श्रम:** 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 259.6 मिलियन बच्चे (5-14 वर्ष) हैं, जिनमें से 10.1 मिलियन बच्चे अधिकतर कृषि, घरेलू काम और छोटे उद्योगों में कार्य करते हैं।
  - बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम (1986) जैसे कानूनों के बावजूद, जिसमें बालक श्रम को प्रतिबंधित करने के बजाय इसका विनियमन किया गया है, हाल के संशोधनों में बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे विशेषकर ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में उनके संभावित शोषण को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

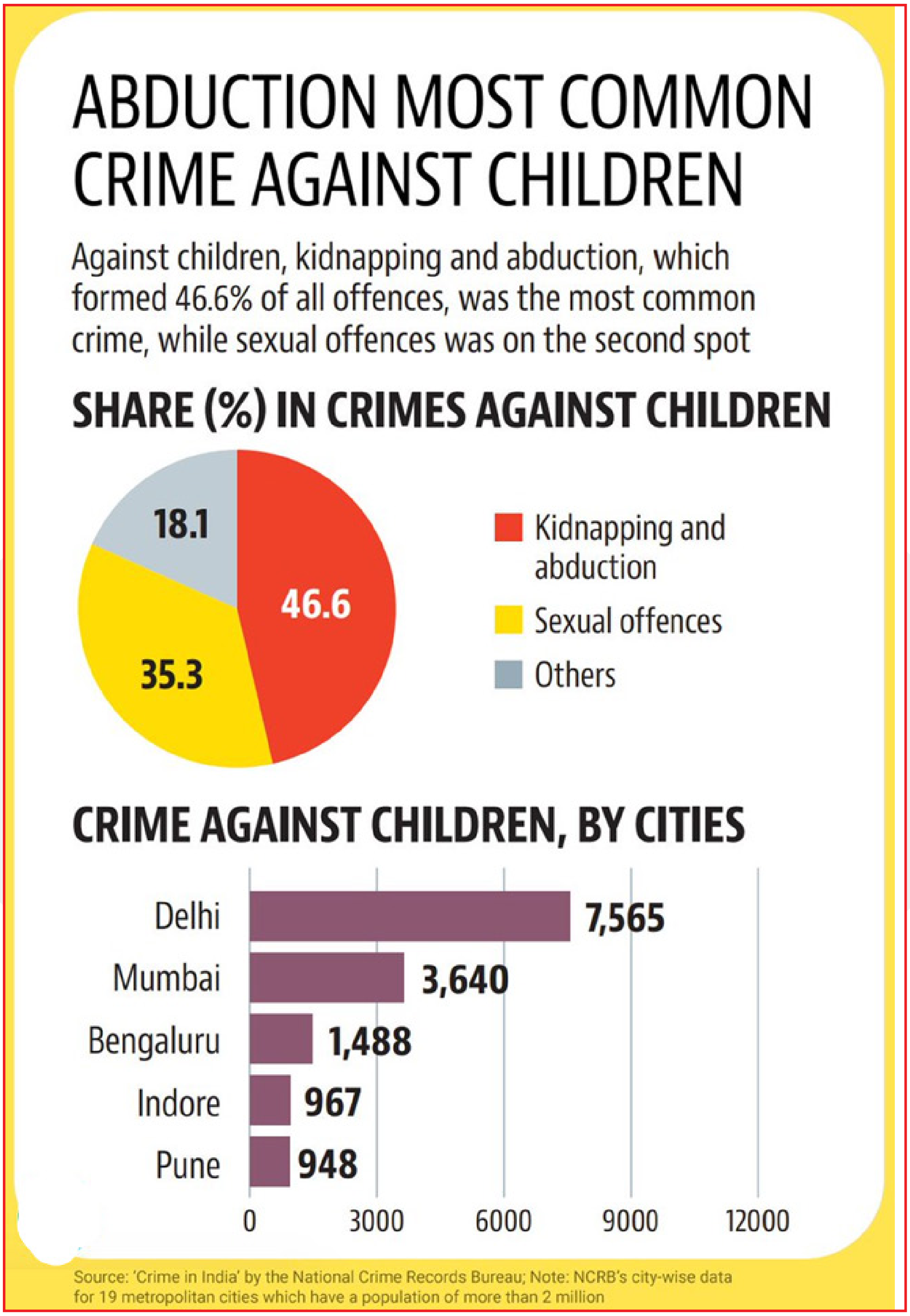

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **किशोर अपराध:** भारत में वर्ष 2022 में नाबालिगों द्वारा कुल 30,555 अपराध कारित किये गए। इनके मूल कारणों में गरीबी और शिक्षा का अभाव जैसे कारक शामिल हैं।
- **बाल विवाह:** बाल विवाह के मामले में भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के बाद चौथे स्थान पर है।
  - अल्प आयु में विवाह से न केवल कन्याओं के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर सीमित हो जाते हैं, बल्कि गरीबी और असमानता का चक्र भी बना रहता है।
- **लैंगिक असमानता:** भारत में कन्याओं, विशेष रूप से निम्न आय या ग्रामीण पृष्ठभूमि की कन्याओं को **स्कूल छोड़ने, अल्प आयु में विवाह होने और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अधिक जोखिम रहता है।**
- **सुविधावंचित बालक:** ग्रामीण क्षेत्रों, **मलिन बस्तियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों** तथा शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चे **गरीबी,** कुपोषण, स्कूल में कम उपस्थिति, अपर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुँच जैसे गंभीर अभाव का सामना करते हैं।
- **जनसंख्या वृद्धि: वर्ष 2050** तक अनुमानित रूप से भारत में बच्चों की संख्या **350 मिलियन होगी, जो वैश्विक बाल जनसंख्या का 15%** होगा। **शहरीकरण** के साथ, भारत की लगभग आधी जनसंख्या का निवास शहरों में होगा, जिसके लिये जलवायु-सहनीय, बाल-अनुकूल शहरी नियोजन की आवश्यकता होगी।

बाल कल्याण से संबंधित भारत की कौन-सी पहलें हैं?

- सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0
- मिशन वात्सल्य
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम केयर्स फंड
- ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढाँचा (DIKSHA)
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016
- पेंसिल पोर्टल
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना, 1988
- यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019
- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जांच इकाई
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023

आगे की राह:

- **बच्चों के लिये सतत् भविष्य: जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को संबोधित करने के लिये स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन सेवाओं** तक पहुँच सुनिश्चित करना। हाशिये पर पड़े बच्चों के लिये **समावेशी स्थानों और बुनियादी ढाँचे** के साथ बाल-अनुकूल शहरों का विकास करना।
  - जलवायु रणनीतियों में बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना तथा स्थानीय नियोजन में अनुकूलता को एकीकृत करना।
  - डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये अधिकार-आधारित शासन को लागू करना।
- **गरीबी उन्मूलन:** बाल कुपोषण को दूर करने और परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिये **पीएम पोषण** और **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाओं को मज़बूत करना।**
  - ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- **तस्करी के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन:** समुदाय-आधारित सतर्कता प्रणालियों के साथ **तस्करी विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन** को मज़बूत करना।
  - मानव तस्करी नेटवर्क को रोकने के लिये दंड में वृद्धि की जानी चाहिये तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- ❖ बच्चों को खतरनाक व्यवसायों से निकालने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने हेतु NCLP के प्रयासों का विस्तार करना।
- **शिक्षा सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** और **दीक्षा मंच** के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे और गुणवत्ता में सुधार करना।
  - ❖ **निजी स्कूलों की फीस संरचनाओं** को विनियमित और नियंत्रित करना, वहनीयता सुनिश्चित करना तथा शोषण को रोकना।
- **कानून से संघर्षरत किशोर: दंडात्मक उपायों के बजाय पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।** बाल संरक्षण और पुन: एकीकरण सेवाओं के लिये अधिक संसाधन आवंटित करना।
- **बाल विवाह उन्मूलन:** बाल विवाह के **खतरे से जूझ रही लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के अवसर** प्रदान करना तथा बाल विवाह के दबाव को कम करने के लिये परिवारों को लघु ऋण उपलब्ध कराना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कीजिये। भारत समेत अन्य देश इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं?

वैश्विक असमानता में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है "*टेकर्स नॉट मेकर्स: द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कोलोनियलिज्म*" **बढ़ती वैश्विक असमानता** पर प्रकाश डालती है, जहाँ **अरबपतियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, जबकि गरीबों को निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है,** ऐतिहासिक उपनिवेशवाद इस विभाजन को बढ़ावा दे रहा है।

नोट: वर्ष 1995 में गठित ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिये काम करने वाले **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)** का एक संघ है।

- यह भारत सहित 79 देशों में कार्यरत है, तथा आपातकालीन राहत, आजीविका पुनर्निर्माण, तथा महिलाओं के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए स्थायी परिवर्तन की वकालत पर ध्यान केंद्रित करता है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि:** वर्ष 2024 में कुल अरबपतियों की संपत्ति में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, साथ ही 204 नए अरबपति बने।
  - ❖ **वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अरबपतियों की संपत्ति तीन गुना तेज़ी से बढ़ी,** प्रत्येक अरबपति की संपत्ति में **प्रतिदिन 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की वृद्धि हुई।
- **बढ़ती असमानता:** अरबपतियों और शेष विश्व के बीच का अंतर नाटकीय रूप से बढ़ गया है, क्योंकि संकटों के कारण वर्ष 1990 से **गरीबी** स्थिर बनी हुई है।
  - ❖ **विश्व की 45% संपत्ति सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास है,** जबकि 3.6 बिलियन लोग अभी भी 6.85 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन [**क्रय शक्ति समता (PPP)**] से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं तथा **विश्व में 10 में से 1 महिला अत्यधिक गरीबी** में रहती है।
  - ❖ वर्ष 1820 में, **सबसे धनी 10% की संपत्ति सबसे गरीब 50% की तुलना में 18 गुना अधिक थी** और वर्ष 2020 तक यह **अंतर बढ़कर 38 गुना** हो गया है।
  - ❖ प्रगति के विभिन्न मापदंडों में असमानता स्पष्ट है, जैसे कि **अफ्रीकियों की औसत जीवन प्रत्याशा** यूरोपीय लोगों की तुलना में 15 वर्ष कम है।
- **औपनिवेशिक विरासत और शक्ति असंतुलन:** ऐतिहासिक **उपनिवेशवाद** वैश्विक असमानता को आकार दे रहा है, जिसमें **सबसे संपन्न राष्ट्र और व्यक्ति औपनिवेशिक शोषण से लाभान्वित** हो रहे हैं, और **ग्लोबल साउथ को शक्तिहीन राज्यों (weak states), स्वेच्छाचारी सीमाओं (Arbitrary Borders) और संघर्ष** जैसे परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।
  - ❖ वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से **प्रति घंटे 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ में स्थानांतरित किया जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 1765 और वर्ष 1900 के बीच,** औपनिवेशिक शासन के दौरान **ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले,** जिसमें से **33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे संपन्न 10% लोगों के पास गए।**
- ग्लोबल नॉर्थ के देश **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक** और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** जैसी वैश्विक संस्थाओं पर हावी हैं, जिससे **असमानता कायम** है।
  - आज की शिक्षा प्रणाली असमानता को प्रतिबिंबित करती है, **वर्ष 2017 में 39% वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष** ब्रिटेन, अमेरिका या फ्राँस में शिक्षित थे।
- **विरासत में मिली संपत्ति:** पहली बार, वर्ष 2023 में विरासत में मिली संपत्ति से उद्यमिता की तुलना में अधिक अरबपति देखने को मिले।
  - **अरबपतियों** की लगभग 60% संपत्ति विरासत, भाई-भतीजावाद या **एकाधिकार शक्ति** से आती है।
- **सिफारिशें:** चूँकि वर्ष **2025 में बांडुंग सम्मेलन** (गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)) के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिये सरकारों को **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को बढ़ावा देना चाहिये और एक **नई अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था** स्थापित करने के लिये औपनिवेशिक युग की प्रणालियों को खत्म करना चाहिये।
  - अत्यधिक धन असमानता को दूर करने के लिये प्रगतिशील कराधान को लागू करना।
  - असमानता को कम करने और वैश्विक गरीबों के कल्याण में सुधार लाने के लिये स्पष्ट **वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्य** निर्धारित करना।

वैश्विक असमानता क्या है?

- **परिचय:** यह वैश्विक स्तर पर **8 बिलियन** लोगों के बीच संसाधनों, अवसरों और शक्ति का असमान वितरण है। यह एक प्रमुख कारक है जो **गरीबी** में वृद्धि तथा **खुशहाली** में बाधा उत्पन्न करती है।
  - वर्ष 1800 के दशक के आरंभ में वैश्विक धन असमानताएँ कम थीं, लेकिन **औद्योगिक क्रांति** के साथ, पश्चिमी देशों में आय में असमान रूप से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक असमानता में वृद्धि हुई।
- **देशों के बीच आय असमानता: वर्ष 1990 के दशक से, देशों के बीच आय असमानता में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण चीन और एशिया में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं** वाले देशों में तीव्र आर्थिक विकास है।
  - इस प्रगति के बावजूद, अभी भी बहुत सारे अंतर हैं। उदाहरण के लिये, उत्तरी अमेरिका में औसत आय **उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में 16 गुना अधिक** है।
- **देशों के भीतर आय असमानता:** देशों के भीतर आय असमानता बदतर हो गई है, **वैश्विक जनसंख्या का 71% हिस्सा ऐसे देशों में रह रहा है जहाँ** असमानता में वृद्धि हुई है।

असमानता के कारक:

- **सामाजिक कारक:** लिंग, नस्ल, जातीयता और भौगोलिक असमानता के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों और हाशिये पर पड़े समूहों के खिलाफ भेदभाव विश्व में असमानता को बनाए रखता है।
  - महिलाओं और लड़कियों को आय में असमानता का सामना करना पड़ रहा है, हालाँकि कुछ क्षेत्रों में लैंगिक आय असमानता में कमी आई है। प्रगति के बावजूद, वे प्रतिदिन 12.5 बिलियन घंटे अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।
- **आर्थिक विकास:** हालाँकि कुछ देशों में आर्थिक विकास ने वैश्विक असमानता को कम करने में मदद की है, लेकिन यह अक्सर असमान रहा है, तथा सबसे विकसित देशों को विकास से सबसे अधिक लाभ हुआ है।
  - धन का संकेंद्रण और **क्रोनी पूंजीवाद** असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि **धनी लोग अपने उत्तराधिकारियों को लाभ पहुँचाते हैं,** कई लोग भूमिहीन रह जाते हैं, तथा भ्रष्टाचार से कुछ चुनिंदा लोग प्रभावित रहते हैं।
  - **प्रतिगामी कर नीतियाँ** और **कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र आय असमानता** को बढ़ाते हैं, जिससे कमज़ोर आबादी को सहायता नहीं मिलती तथा धनी लोगों को लाभ प्राप्त होता है।
- **उभरते कारक: जलवायु परिवर्तन** पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाता है तथा **सबसे गरीब समुदायों को असमान रूप** से प्रभावित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रौद्योगिकी में समानता लाने की क्षमता** है, लेकिन जिनके पास डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक पहुँच नहीं है, उन्हें **अधिक हाशिये पर रहने** का सामना करना पड़ सकता है।
- **प्रभाव:** असमानताएँ आय से आगे बढ़कर **जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं को भी प्रभावित करती हैं।**
- उच्च असमानता **मानव अधिकारों, न्याय और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सीमित करती है,** जिससे वर्ष वर्ष **2018 में 71 देशों में वैश्विक स्वतंत्रता** में गिरावट आई है।
- असमानता का उच्च स्तर सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास को हतोत्साहित करता है, जिससे सामाजिक संकट, हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक असमानता भी देशभक्ती और राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दे रही है।

भारत में असमानता की क्या स्थिति है?

- **भारत का गिनी गुणांक: वर्ष 2023 में भारत** का **गिनी गुणांक** 0.410 था। यह वर्ष 1955 के गिनी गुणांक 0.371 से अधिक है।
  - गिनी **इंडेक्स 0 (पूर्ण समानता) से लेकर 1 (पूर्ण असमानता)** तक होता है। इसकी अधिक संख्या देश के अंदर अधिक आय असमानता को दर्शाती है।
- **आय वितरण:** भारत में आय वितरण अत्यधिक असमान है (शीर्ष **10% लोगों के पास 77% संपत्ति है और सबसे धनी 1% लोगों के पास 53% संपत्ति है**)।
  - राष्ट्रीय आय में शीर्ष 10% और 1% लोगों की क्रमश: 57% एवं 22% हिस्सेदारी है जबकि निचले **50% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति** है, इससे आय असमानता पर प्रकाश पड़ता है।
- **भारत में असमानता को बढ़ाने वाले कारक: कोविड-महामारी** से धन असमानताओं को और बढ़ावा मिला है।
  - **भारत की प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली** से निचले 50% लोगों पर अधिक बोझ पड़ता है, जो कुल **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** का 64% भुगतान करते हैं जबकि शीर्ष 10% केवल 4% का योगदान करते हैं। कॉर्पोरेट कर में कटौती से इस असमानता को और बढ़ावा मिलता है।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** तक पहुँच के अभाव से आर्थिक गतिशीलता सीमित होती है, जिससे लोग **कम आय वाली नौकरियों में फँस** जाते हैं और **पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी** बनी रहती है।
  - **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों** के लाभ असमान रहे हैं और यह **दूरसंचार और विमानन** जैसे क्षेत्रों के पक्ष में रहे हैं।
    - **कृषि और लघु उद्योग** (जिनसे आबादी के एक प्रमुख हिस्से को रोज़गार मिलता है) उपेक्षित रहे हैं तथा उन्हें अक्सर कम मजदूरी मिलने के साथ सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **असमानता कम करने के लिये भारत की पहल:**
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (MGNREGA)
  - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
  - समग्र शिक्षा योजना 2.0
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
  - आयुष्मान मिशन
  - प्रधानमंत्री जनधन योजना
  - मिशन इंद्रधनुष
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
  - लखपति दीदी पहल
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

आगे की राह

- **समावेशी रूपरेखा:** इस दिशा में संविधान में शामिल समानता के प्रावधानों को लागू करना, **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (CSR) पहल को बढ़ावा देना तथा समावेशी विकास नीति उपायों के लिये **सतत् विकास लक्ष्य 10 संख्या को बढ़ावा देना और मूल अधिकारों** की सुरक्षा सुनिश्चित करना निर्णायक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रगतिशील कराधान:** अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को लक्षित करके संपत्ति कर लागू करना चाहिये। **गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे** के विकास के लिये इस धन का उपयोग करना चाहिये।
- **कर चोरी से निपटने के लिये** कॉर्पोरेट एवं व्यक्तिगत संपत्ति की सार्वजनिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
- **वित्तीय क्षतिपूर्ति:** औपनिवेशिक शोषण, गुलामी और संसाधन निष्कर्षण से प्रभावित राष्ट्रों एवं समुदायों को वित्तीय क्षतिपूर्ति या सहायता प्रदान करना चाहिये।
- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं के अवैतनिक श्रम को महत्त्व देने के लिये आर्थिक और नीतिगत उपाय प्रदान करने चाहिये। अवसरों में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि और ऋण तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करना चाहिये।
- **पर्यावरणीय न्याय:** ऐतिहासिक रूप से अधिकांश उत्सर्जनों के लिये ज़िम्मेदार धनी राष्ट्रों द्वारा जलवायु प्रयासों को वित्तपोषित करना चाहिये तथा ग्लोबल साउथ में हरित निवेश का समर्थन करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक असमानता के प्रभाव पर चर्चा कीजिये और बताइये कि इस मुद्दे के समाधान के लिये कौन से सुधार आवश्यक हैं?

वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने वृद्धजनों के लिये एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

- रिट याचिका में **वृद्धजनों (कालप्रभावित होती जनसंख्या)** को एक ऐसे **सुभेद्य वर्ग** के रूप में संदर्भित किया गया है जो संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत विशेष ध्यान देने योग्य है, जिससे **गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार** सुनिश्चित होता है।

नोट: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजन से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसकी **आयु 60 वर्ष या उससे अधिक** हो गई है।

भारत में वृद्धजनों की स्थिति क्या है?

- **वर्तमान रुझान:** भारत में वृद्धजन वर्ग (60+) वर्ष **2022 में 10.5%** था **जिसके वर्ष 2050 तक बढ़कर 20.8%** और **वर्ष 2100 तक 36% से अधिक** हो जाने का अनुमान है।

  - वर्ष **2046** तक भारत में वृद्धजनों की संख्या **बच्चों (0-14) से अधिक हो जाएगी** और वर्ष 2050 तक कार्यशील वर्ग (15 से 59 आयु वर्ग) की जनसंख्या में गिरावट आएगी।
- **कालप्रभावन की गति:** वर्ष 2010 से वर्ष 2020 की अवधि में, भारत की वृद्धजन संख्या **15 वर्षों** की दर से **दोगुनी हो गई,** जबकि **दक्षिण और पूर्वी एशिया** में वृद्धजनों की संख्या दोगुना होने की अवधि 16 वर्ष थी।
  - वृद्धजन वर्ग की दशकीय वृद्धि दर **31% (1981-1991) से बढ़कर 41 % (2021-2031)** हो गई, जो त्वरित उम्र बढ़ने का संकेत है।
- **कालप्रभावन सूचकांक:** दक्षिणी भारत के जिन राज्यों में **वृद्धजनों की संख्या अधिक है,** वहाँ **कालप्रभावन सूचकांक (Ageing Index) अधिक है,** जो **जननक्षमता में कमी** तथा बच्चों की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों की अधिकता को दर्शाता है।
  - **प्रति 100 बच्चों (15 वर्ष से कम) पर वृद्धजनों (60+ वर्ष)** की संख्या को मापने वाला कालप्रभावन सूचकांक 2021 में भारत में **39** था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात:** वर्ष 2021 में, भारत में **प्रति 100 कार्यशील आयु वाले व्यक्तियों पर वृद्धजनों की संख्या** 16 थी, जिनमें **दक्षिणी भारत में** यह अनुपात 20, पश्चिमी भारत में 17 और केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर भारत में लगभग 13 था।
  - वृद्धावस्था **निर्भरता अनुपात प्रति 100 कार्यशील आयु वाले व्यक्तियों (15 से 59 वर्ष) पर वृद्धजनों (60+ वर्ष)** की संख्या को दर्शाता है।
- **60 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा:** भारत में 60 वर्ष की आयु में **औसत जीवन प्रत्याशा 18.3 वर्ष है**, जिसमें **महिलाओं** की प्रत्याशा पुरुषों की अपेक्षा अधिक है (महिलाओं के लिये 19 वर्ष, पुरुषों के लिये 17.5 वर्ष)।
- **राज्य भिन्नताएँ:** दक्षिणी राज्यों और **हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों** में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय औसत **(10.5%) की तुलना में वृद्धजनों की आबादी अधिक थी।**
  - **बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च प्रजनन दर** वाले राज्यों में 2036 तक वृद्धजनों की आबादी में वृद्धि होने के अनुमान हैं।

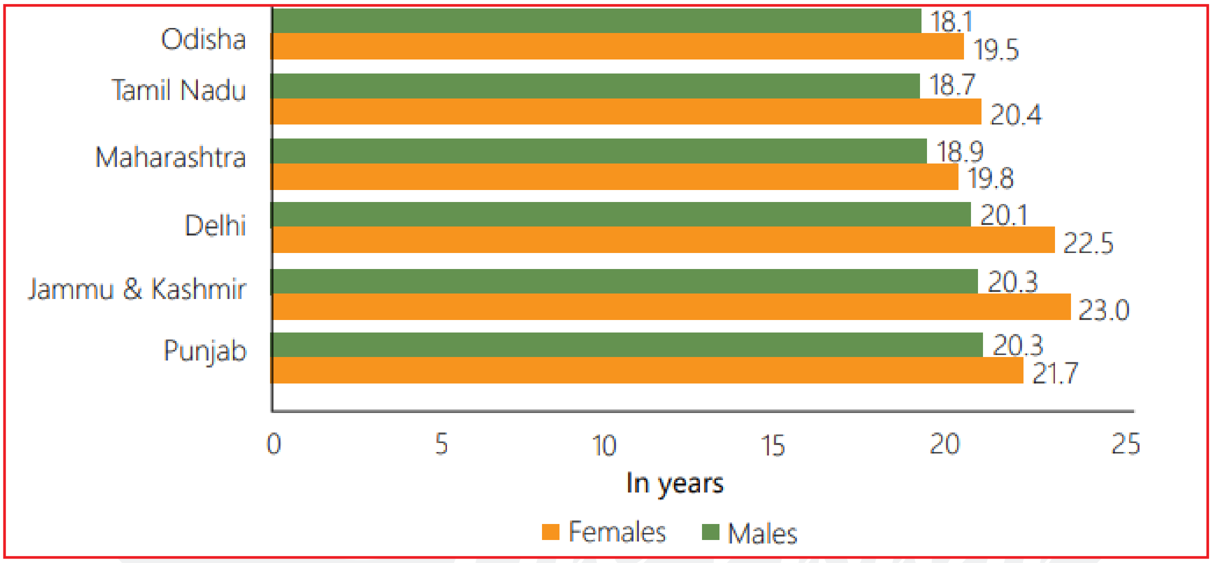

- **क्षेत्रीय तुलना: वर्ष** 2050 तक, **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** देशों की वृद्ध आबादी का औसत **19.8%** होगा।
  - सार्क में **मालदीव (34.1%) और श्रीलंका (27%)** में वृद्धों का अनुपात अधिक होगा, जबकि भारत का हिस्सा **लगभग 20%** रहेगा, हालाँकि संख्या महत्त्वपूर्ण **(लगभग 34.7 करोड़)** होगी।

वृद्ध होती जनसंख्या के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वृद्धावस्था का स्त्रीकरण:** महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, जिसके कारण **अधिक वृद्ध महिलाएँ, विशेष रूप से विधवाएँ**, अकेली रहती हैं और परिवार के सहयोग पर निर्भर रहती हैं, जिससे वे **अधिक असुरक्षित** हो जाती हैं।
- **वृद्धावस्था का ग्रामीणीकरण: भारत की 2011 की जनगणना** के अनुसार, लगभग **71% वृद्ध आबादी** ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों की दूरस्थता के कारण **स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच, आय की असुरक्षा** और **सामाजिक अलगाव की समस्या** और भी गंभीर हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वृद्धों की आयु बढ़ना:** वृद्धों की आयु बढ़ने का अर्थ है कि **बुजुर्गों की बढ़ती संख्या 75 वर्ष से अधिक** होगी, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, देखभाल और सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर **अतिरिक्त दबाव** पड़ेगा।
  - **अविकसित रजत अर्थव्यवस्था** सेवाओं की **मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन** को और बढ़ा देती है।
    - **रजत अर्थव्यवस्था में वृद्ध आबादी (60+)** के लिये **बाज़ार के अवसर** शामिल हैं, जो उनके **जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण** को बढ़ाने के लिये **वस्तुओं, सेवाओं और नवाचारों** पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **आर्थिक निर्भरता: केवल 11% वृद्ध पुरुषों को कार्य पेंशन** मिलती है, जबकि **16.3% को सामाजिक पेंशन** मिलती है। वृद्ध महिलाओं में से **27.4%** को केवल **सामाजिक पेंशन** मिलती है, तथा **केवल 1.7% को कार्य पेंशन** मिलती है।
  - लगभग **पाँचवे हिस्से** के वृद्धों के पास **कोई आय नहीं है,** जिसके परिणामस्वरूप वे **वित्तीय असुरक्षा** की स्थिति में हैं।
- **वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभाव: 30% वृद्ध महिलाएँ** और **28% वृद्ध पुरुष** कम से कम एक **दीर्घकालिक रुग्णता से पीड़ित हैं**, जैसे **उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया** आदि, जिसके कारण उनकी **दैनिक गतिविधियाँ** करने की क्षमता प्रभावित होती है।
  - उम्र बढ़ने से स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है, **स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती** है और देखभाल और चिकित्सा देखभाल के लिये परिवार या **अनौपचारिक सहायता** पर निर्भरता बढ़ती है।
- **रोज़गार संबंधी चुनौतियाँ:** वरिष्ठ नागरिकों को **रोज़गार संबंधी कई चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है, जैसे **आयु संबंधी भेदभाव** (कम तकनीक-कुशल या कम ऊर्जावान माना जाता है), **पुराने कौशल, कठोर कार्य घंटे, कम वेतन आदि।**
- **सामाजिक और पारिवारिक दुर्व्यवहार:** वरिष्ठ नागरिकों को **परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों से मौखिक दुर्व्यवहार, अलगाव और शारीरिक नुकसान** का सामना करना पड़ सकता है, जो प्राय: डर या सीमित गतिशीलता के कारण रिपोर्ट नहीं किया जाता है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या है?

- **परिचय: जनसांख्यिकीय संक्रमण** एक ऐसा मॉडल है जो **जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन** के साथ-साथ जनसंख्या की **आयु संरचना में बदलाव** को भी समझाता है, क्योंकि **समाज आर्थिक और तकनीकी रूप से प्रगति** करता है।
- **चरण:** इसमें आमतौर पर **अनेक चरण** शामिल होते हैं:
  - **चरण 1: उच्च जन्म और मृत्यु दर** के परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है।
  - **चरण 2:** स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और खाद्य उत्पादन में सुधार के कारण **मृत्यु दर में कमी** आती है, जबकि **जन्म दर उच्च** बनी रहती है। इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है।
  - **चरण 3: जन्म दर में गिरने लगती है,** जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। कारकों में शहरीकरण, कम बाल मृत्यु दर, गर्भनिरोधक तक पहुँच और छोटे परिवारों के पक्ष में सामाजिक बदलाव शामिल हैं।
  - **चरण 4: जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होती हैं,** जिससे **जनसंख्या स्थिर** या वृद्ध होती है। यह चरण उच्च जीवन स्तर, उन्नत प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को दर्शाता है।

भारत में प्रमुख वृद्ध देखभाल योजनाएँ क्या हैं?

- अटल वयो अभ्युदय योजना
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
- वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
- अटल पेंशन योजना (APY)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

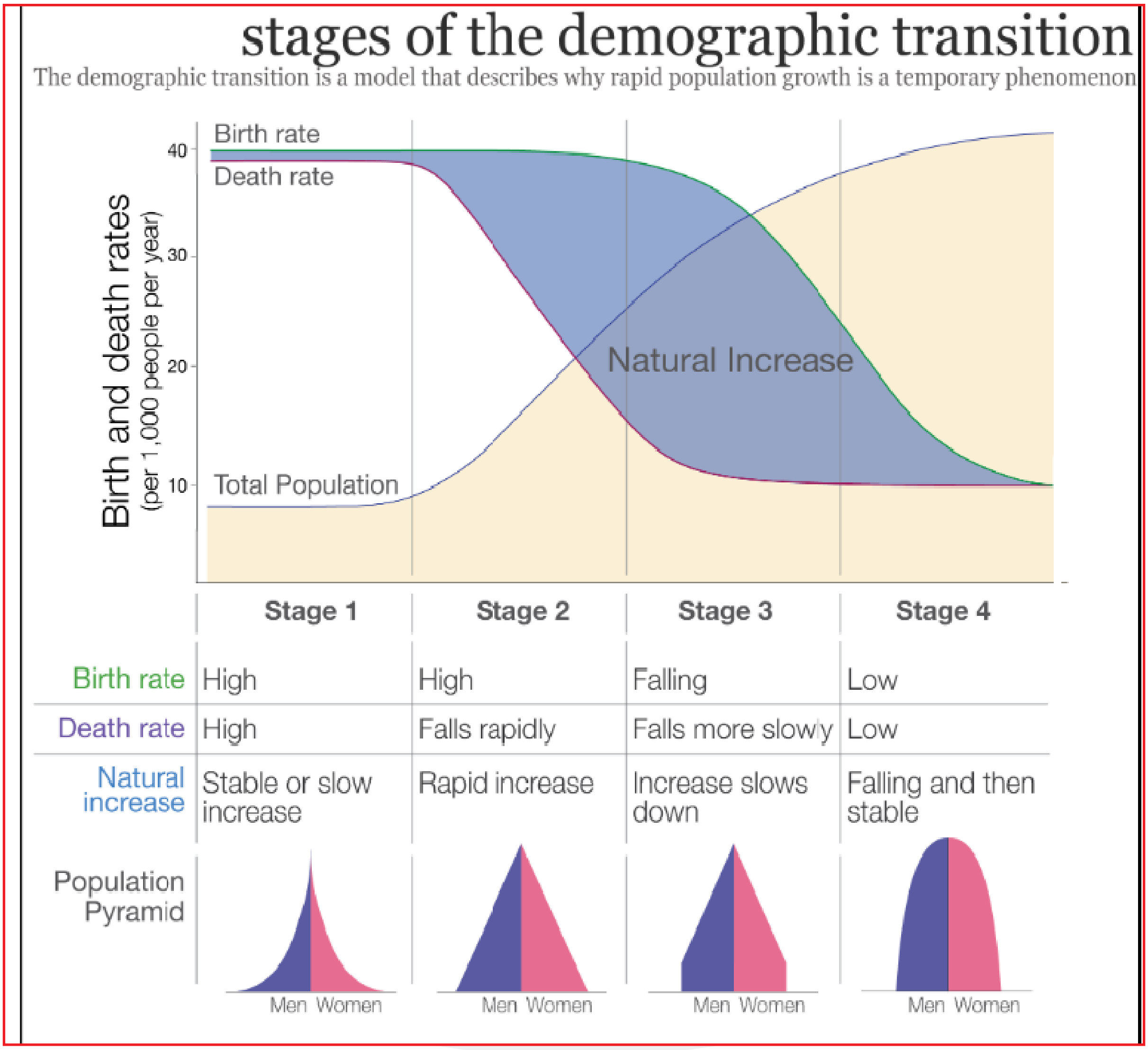

- **संयुक्त राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक** (2021-2030) अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर **SDG-3** के साथ संरेखित है।

आगे की राह:

- **वृद्धजन स्वयं सहायता समूह: सामुदायिक सहभागिता, संसाधन साझाकरण** और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये वृद्धजनों के लिये **स्वयं सहायता समूह** स्थापित करना।
  - उदाहरण के लिये, **वियतनाम** अपने देश में **वृद्धजनों के लिये राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम** के माध्यम से स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा दे रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बहु-पीढ़ीगत जीवन:** वृद्धजनों के लिये **बहु-पीढ़ीगत परिवारों (दादा-दादी, माता-पिता और बच्चों का एक साथ रहना)** को बढ़ावा देने वाली नीतियों को भावनात्मक समर्थन, पारिवारिक संबंध और स्वायत्तता प्रदान करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - डेकेयर सेंटर जैसी अल्पकालिक देखभाल सुविधाओं के माध्यम से वृद्धजन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करके, **भोजन, स्वास्थ्य निगरानी और साथ प्रदान करके घर में वृद्धावस्था** को बढ़ावा देना।
  - **बहु-पीढ़ीगत सेतुओं** का निर्माण **ज्ञान, कौशल और अनुभवों** के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर समाज को समृद्ध बना सकता है, जिससे युवा पीढ़ी को तेज़ी से सक्षम बनाया जा सके।
- **डिजिटल समावेशन:** वृद्धजन श्रमिकों के लिये **डिजिटल साक्षरता** और प्रौद्योगिकी दक्षता जैसे कौशल विकसित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, जिससे उन्हें **डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा** में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके।
- **स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना: वृद्धावस्था देखभाल में** वृद्धि करके और वृद्ध-अनुकूल सुविधाओं का निर्माण करके वृद्धजनों के लिये गुणवत्तापूर्ण, **सस्ती स्वास्थ्य देखभाल** प्रदान करना।
  - दूरस्थ परामर्श के लिये **टेलीमेडिसिन** का विस्तार करना।
- **पेंशन योजनाओं का विस्तार करना:** सभी वृद्धजनों को शामिल करने के लिये पेंशन योजनाओं का विस्तार और **सार्वभौमिक कवरेज** सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिये, **PM-JAY** अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करता है।
- **नीतिगत सुधार: आर्थिक गतिविधियों में देखभाल कार्य** को शामिल करने, **वृद्धजनों के लिये** एक अलग कार्यबल श्रेणी बनाने (सिल्वर डिविडेंड का दोहन करने के लिये), तथा इन प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - वृद्ध लोगों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करने के लिये जापानी मॉडल अपनाना, जैसे कि **स्मार्ट हेल्थकेयर गैजेट**, गतिशीलता के लिये सहायक उपकरण और साथी रोबोट प्रदान करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की तेज़ी से बढ़ती वृद्धजनों की आबादी के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

भारत में सुगम्यता उपायों को सुदृढ़ बनाना

चर्चा में क्यों?

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ, 2024 मामले में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने माना कि दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 का उपनियम 15, **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016** के साथ असंगत/उल्लंघनकारी है।

- न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम द्वारा सरकार को सुगम्यता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है लेकिन **उपनियम 15 द्वारा इसमें विवेकाधीन दृष्टिकोण** पर बल दिया गया है, जिससे **वैधानिक प्रावधानों के बीच टकराव** देखने को मिलता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने RPwD नियम, 2017 के उपनियम 15 को अमान्य क्यों माना?

- **RPWD नियम, 2017 का उपनियम 15: RPWD नियम, 2017** का उपनियम 15, **सरकारी विभागों** में सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देशों के लिये एक **रूपरेखा** प्रदान करता है, जिससे **मंत्रालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों** को **वैधानिक प्राधिकार** मिलता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:**
  - **विवेकाधीन प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय** ने माना कि **उपनियम 15 से RPWD अधिनियम** (धारा 40, 44, 45, 46 और 89) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है क्योंकि यह मंत्रालयों को **बाध्यकारी दायित्व के बिना सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देश** जारी करने की अनुमति देता है।
  - **अनुपालन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में **नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा** की आवश्यकता का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाएँ दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- हालाँकि, **RPWD नियमों के तहत मानकीकृत दिशा-निर्देशों की कमी** के कारण, इन ऑडिटों के संचालन में असंगतता रही है।

- **सुगम्यता बनाम उचित समायोजन:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में **सुगम्यता** (जिससे सार्वजनिक अवसंरचना सुनिश्चित होती है) और **उचित समायोजन** (जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है) के बीच अंतर किया गया है।
  - संवैधानिक सिद्धांतों के तहत मौलिक समानता प्राप्त करने के लिये दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं।
- **नए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय** ने सरकार को 3 महीने के भीतर नए अनिवार्य सुगम्यता दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया, जिसमें **4 सिद्धांतों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमे सभी के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन, विभिन्न दिव्यांगताओं का व्यापक समावेश, स्क्रीन रीडर और सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी **सहायक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ निरंतर परामर्श** शामिल हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD अधिनियम) क्या है?

- **परिचय:**
  - **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,** 2016 एक ऐसा कानून है जो दिव्यांगजनों को भेदभाव से बचाता है तथा उनके समान अधिकारों एवं अवसरों को बढ़ावा देता है।
  - यह अधिनियम **दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCDPD)** को प्रभावी बनाने के लिये बनाया गया था, जिसे वर्ष 2007 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  - **दिव्यांगजन अधिकार नियम, RPWD अधिनियम,** 2016 के कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये तैयार किये गए थे।
- **भारत में दिव्यांगजन: वर्ष** 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग **26.8 मिलियन व्यक्ति** (भारत की जनसंख्या का 2.21%) दिव्यांग हैं।
- **दिव्यांगजन:** अधिनियम में **दिव्यांगता** को एक **विकासशील और गतिशील** अवधारणा के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है तथा दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, जिससे केंद्र सरकार को इसमें और श्रेणियाँ शामिल करने की अनुमति मिल गई।
- **अधिकार:**
  - **सरकारी ज़िम्मेदारी:** उपयुक्त सरकारों का यह दायित्व है कि वे प्रभावी उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजन (PwD) अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग क्र सकें।
  - **विशेष लाभ:** बेंचमार्क दिव्यांगता और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिये प्रावधान किये गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **नि:शुल्क शिक्षा:** 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांगजन बच्चों को **नि:शुल्क शिक्षा** का अधिकार प्राप्त हैं।
- **आरक्षण: बेंचमार्क दिव्यांगजता** वाले व्यक्तियों को **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण** तथा **सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण** का अधिकार है।
  - "**बेंचमार्क दिव्यांगजता**" वाले व्यक्तियों की पहचान उन लोगों के रूप में की जाती है, जिन्हें **निर्दिष्ट दिव्यांगजता का कम-से-कम 40% प्रमाणित** किया गया है।
  - **अभिगम्यता:** सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुगम्यता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया जाता है।
  - **विनियामक और शिकायत निवारण तंत्र: मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन** और **राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों** के कार्यालयों को नियामक प्राधिकरणों और शिकायत निवारण अभिकरणों के रूप में कार्य करने के लिये सुदृढ़ बनाना।
    - इन निकायों को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

नोट:

- RPWD अधिनियम, 2016 में **21 दिव्यांगताओं** में दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि, **कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति**, श्रवण दोष (बधिर और अल्प श्रवण क्षमता), संचलन संबंधी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अक्षमता, वामनता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, **सेरेब्रल पाल्सी**, **मांसपेशीय दुर्विकास, तंत्रिका संबंधी चिरकालिक रोग, विशिष्ट अधिगम संबंधी विशिष्ट दिव्यांगताएँ (डिस्लेक्सिया), मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण और भाषा संबंधी** दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, **सिकल सेल रोग**, बधिर-दृष्टिहीनता सहित बहु दिव्यांगताएँ, **एसिड अटैक पीड़ित** और **पार्किंसंस रोग** शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहलें कौन-सी हैं?

- **अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पोर्टल (UDID)**
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना**
- **दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं सहायता उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता**
- **दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप**
- **दिव्य कला मेला 2023**
- **सुगम्य भारत अभियान**

दिव्यांगजनों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **दुर्गम अवसंरचना:** सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सेवाओं तक पहुँचने में अवसंरचना का अभाव।
  - **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत** में केवल **3%** भवन ही पूर्ण रूप से सुलभ थीं।
- **शैक्षिक बहिष्कार:** दिव्यांगजनों को समावेशी विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायक प्रौद्योगिकियों के अभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
  - वर्ष **2011 की जनगणना** के अनुसार, **कुल दिव्यांग जनसंख्या की साक्षरता दर लगभग 55% है** (पुरुष- 62%, महिला- 45%) तथा केवल 5% दिव्यांगजन स्नातक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त हैं।
- **रोजगार संबंधी चुनौतियाँ:** दिव्यांगजनों को कार्यस्थल पर भेदभाव, अपर्याप्त सुविधाओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके आगे बढ़ने के मार्ग बाधित होते हैं।
  - यद्यपि **1.3 करोड़ दिव्यांगजन रोज़गार योग्य हैं**, परन्तु केवल **34 लाख को ही रोज़गार मिल पाया है।**
- **अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** विधानमंडल के तीनों स्तरों - **लोकसभा, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों** में दिव्यांगजनों का **प्रतिनिधित्व कम** है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सीमित हो गया है।

आगे की राह

- **सुगम्य अवसंरचना:** रैंप, स्पर्शनीय पथ, सार्वजनिक परिवहन और अनुकूली प्रौद्योगिकियों सहित **दिव्यांगता-अनुकूल सार्वजनिक अवसंरचना** में सुधार करना।
  - **स्कूलों, अस्पतालों और डिजिटल सेवाओं** के लिये सुलभता मानकों को लागू करना।
- **कृत्रिम अंगों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: कृत्रिम अंगों के अनुसंधान के लिये वित्तपोषण बढ़ाना तथा कृत्रिम अंगों में नवाचार** के लिये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना, जिससे दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- **पहचान और सत्यापन प्रणाली:** सटीक दिव्यांग पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिये **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और नियमित ऑडिट** के साथ एक **केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस** को लागू करना।
- **गिग इकोनॉमी समावेशन:** दिव्यांगजनों के लिये लचीले, कौशल-समरूप नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिये **गिग इकॉनमी** ऐप्स के भीतर समर्पित प्लेटफॉर्म बनाना।
  - सुगम्यता बढ़ाने के लिये **सांकेतिक भाषा समर्थन और AI-सहायता प्राप्त कार्य मिलान** को शामिल करना।
- **राजनीतिक आरक्षण:** राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों **जैसे विधानमंडलों में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण प्रणाली का प्रावधान** होना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सुगम्यता सुनिश्चित करने में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की भूमिका और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सामाजिक न्याय

किशोरों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

सैपियन लैब्स द्वारा *"द यूथ माइंड: राइज़िंग अग्रेसन एंड एंगर"* शीर्षक से एक अध्ययन, भारत और अमेरिका में 13-17 वर्ष की आयु के **किशोरों में कम उम्र में स्मार्टफोन के उपयोग और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बीच चिंताजनक संबंध** पर प्रकाश डालता है।

__Left:__ MHQ scores declines and the percentage distressed/struggling increases with successively younger generations (age 75 to 13-17) in both US and India.
__Right:__ Females aged 13-17 have lower MHQ scores and higher percentage distressed/struggling compared to males, in both US and India.

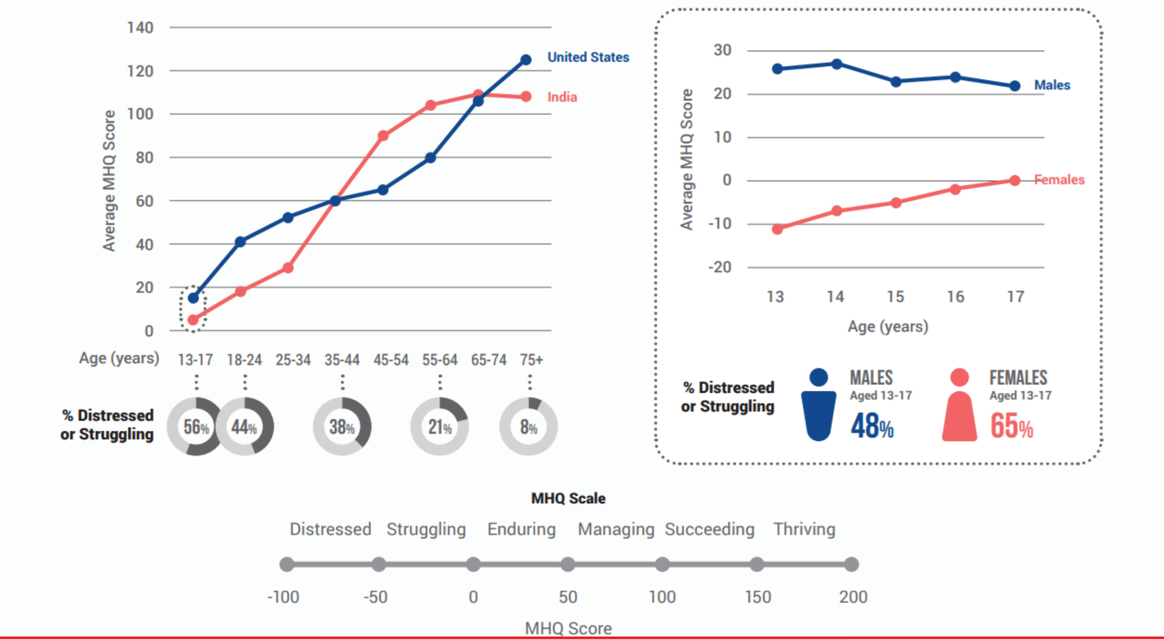

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **स्मार्टफोन का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य:** किशोरों के **माइंड हेल्थ कोशेंट (Mind Health Quotient- MHQ)** पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि **स्मार्टफोन के शुरुआती उपयोग** और **किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट** के बीच एक महत्त्वपूर्ण संबंध है, जिसमें आक्रामकता, क्रोध, चिड़चिड़ापन और **मतिभ्रम** जैसे लक्षणों में वृद्धि हो रही है।
  - जो किशोर छोटी उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग करना शुरू करते हैं, उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ अधिक गंभीर होती हैं।
  - अवसाद और **चिंता** के अलावा, **अंतर्वेधी विचार (Intrusive Thoughts) और वास्तविकता से अलगाव** जैसे नए लक्षण भी देखे गए, जो एक गंभीर **मानसिक स्वास्थ्य संकट** का संकेत देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऑनलाइन जोखिम:** स्मार्टफोन तक कम उम्र में पहुँच से युवा **अनुपयुक्त सामग्री** के संपर्क में आ जाते हैं, नींद में व्यवधान पड़ता है, तथा **वैयक्तिक संपर्क में कमी** आती है, जो सामाजिक कौशल विकसित करने और **संघर्षों से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
- **लैंगिक भेदभाव:** अध्ययन से पता चलता है कि **महिलाएँ विशेष रूप से असुरक्षित** हैं, तथा **लड़कियों में आक्रामकता और क्रोध** अधिक देखा जा रहा है।
  - उल्लेखनीय रूप से 65% किशोरियों ने संकट की बात कही, जो लड़कों की तुलना में काफी अधिक है।
- **सांस्कृतिक अंतर:** अमेरिका की तुलना में भारत में मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट मंद है।
  - अमेरिका में पुरुषों और महिलाओं दोनों में **मानसिक स्वास्थ्य** में गिरावट स्पष्ट है, लेकिन **भारत में केवल महिलाओं में ही गिरावट देखी गई है,** जबकि पुरुषों में कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है।
- **समाधान के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी:** अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के संभावित समाधान के रूप में **शैक्षिक प्रौद्योगिकी** और अभिभावकों के **नियंत्रण के साथ स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच** का सुझाव दिया गया है।

माइंड हेल्थ कोशेंट (Mind Health Quotient- MHQ)

- **परिचय:** MHQ **मानसिक कार्य के 47 पहलुओं का एक व्यापक मूल्यांकन है,** जिसे छह आयामों (मनोदशा और दृष्टिकोण, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, सामाजिक आत्म, ड्राइव और अभिप्रेरणा, अनुभूति और मन-शरीर संबंध) में मापा जाता है।
  - समग्र MHQ स्कोर **कार्यात्मक उत्पादकता** से संबंधित है, जिसमें **उच्च स्कोर अधिक उत्पादक दिनों** से जुड़ा हुआ है।
  - "मानसिक कल्याण" के विपरीत, जो भावनात्मक अवस्थाओं पर केंद्रित है, "मानसिक स्वास्थ्य" **भावनात्मक और कार्यात्मक दोनों पहलुओं** को शामिल करता है, तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उत्पादकता बनाए रखने की क्षमता पर ज़ोर देता है।
- **MHQ बनाम IQ और EQ:** माइंड हेल्थ कोशेंट (MHQ) **बुद्धि लब्धि (IQ)** (संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापता है) और **भावनात्मक लब्धि (EQ)** (**भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)** को मापता है) से भिन्न है।
  - MHQ मानसिक कार्यों की एक व्यापक शृंखला को समाहित करता है, जिसमें मनोदशा, लचीलापन और मन-शरीर संबंध शामिल हैं।

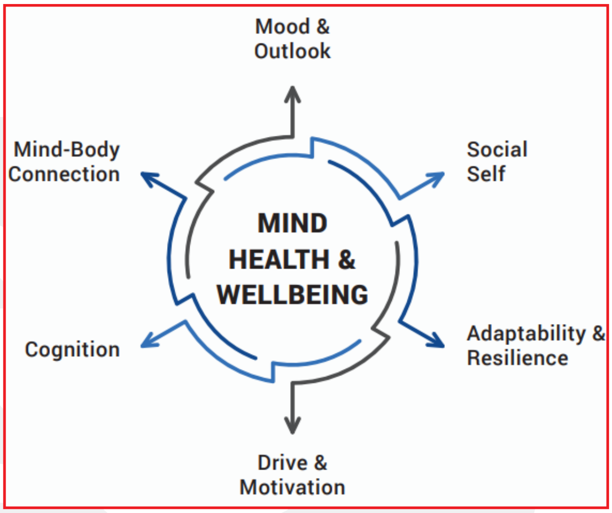

बच्चों तक शीघ्र डिजिटल पहुँच का क्या प्रभाव होगा?

- इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रसार **बच्चों के लिये दोधारी तलवार** की तरह है। एक तरफ इसने **लाखों लोगों के लिये शिक्षा को लोकतांत्रिक** बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने **बच्चों को हानिकारक और विषाक्त व्यवहारों** के संपर्क में ला दिया है।
- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - **उन्नत शिक्षण अवसर:** डिजिटल पहुँच से शैक्षिक संसाधनों विविध स्रोत उपलब्ध होते है तथा भारत की पहलें जैसे कि **शैक्षिक सामग्री से पूर्व-लोड किये गए टैबलेट सेट** और **PRAGYATA दिशा-निर्देश** यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्यार्थी विचलित करने वाली सामग्री को सीमित करते हुए अधिगम पर ध्यान केंद्रित करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- E-PG पाठशाला विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों के छात्रों के लिये ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सहयोगात्मक शिक्षण तक पहुँच प्रदान करती है।

- **व्यक्तिगत शिक्षण:** आवश्यकता तैयार की गई शैक्षिक सामग्री के साथ **मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता**-आधारित प्लेटफॉर्म छात्रों की **सीखने की शैली के अनुसार अनुकूलित होते हैं।**
  - **गेम, सिमुलेशन और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म** जैसे डिजिटल उपकरण अधिगम को अधिक **आकर्षक** बना सकते हैं, जिससे बच्चों को **गणित, भाषा तथा विज्ञान जैसे** विभिन्न विषयों में कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है।
- **कौशल विकास:** डिजिटल प्रौद्योगिकी के संपर्क से बच्चों को **समस्या-समाधान, कोडिंग और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो वर्तमान की प्रौद्योगिकी-संचालित विश्व में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।**
  - हाल के वर्षों में, "**किडफ्लूएंसर्स**" ने **सोशल मीडिया विज्ञापन उद्योग** को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रायोजित सामग्री के माध्यम से बच्चे अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर रहे हैं।
- **सामाजिक संपर्क:** बच्चों को परिवार और मित्रों से योजित रखते हुए **एकाकीपन को कम करने में** मदद करता है।
- **सहायता का अभिगम:** यह **मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और सामना करने की रणनीतियों** तक आसान पहुँच प्रदान करता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **शारीरिक निष्क्रियता:** किशोरावस्था **भावात्मक प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है,** जिसमें निंद्रा, शारीरिक गतिविधि, मुकाबला करने के कौशल और समर्थ संबंध जैसे कारक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
    - हालाँकि, डिजिटल माध्यमों तक बच्चों की समय से पहले पहुँच के कारण **निष्क्रिय व्यवहार** की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उनके **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य** दोनों पर प्रभाव पड़ता है।
    - **स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से चिंता, अवसाद, नींद की समस्याएँ और ब्रेन रॉट** हो सकता है, जिससे **मानसिक स्थिरता और संज्ञानात्मक प्रकार्य प्रभावित हो सकता है।**
- **निजता:** तकनीकी कंपनियों, हैकर्स या विज्ञापनदाताओं द्वारा किये गए उल्लंघन से **पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, हेरफेर** और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है।
  - **साइबर-धमकी:** अल्प आयु में ही स्मार्टफोन के उपयोग से बच्चों की **ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है,** जिससे उनके **आत्म-सम्मान** पर प्रभाव पड़ता है।
    - इस दशा में बच्चे उन दुर्जन द्वारा **जबरन वसूली या ऑनलाइन शोषण** का शिकार हो सकते हैं जो **व्यक्तिगत जानकारी या एक्सप्लिसिट सामग्री** का उपयोग कर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं या उन्हें धमकाते हैं।
    - चूँकि **बिना फिल्टर की गई सामग्री के कारण आकस्मिक संपर्क या लक्षित शोषण हो सकता है** इसलिये इंटरनेट के कारण बच्चों का **पोर्नोग्राफी के संपर्क में आने का जोखिम रहता है,** जिससे गंभीर विधिक, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
    - **मेटावर्स** और **वर्चुअल रियलिटी** के क्षेत्र में, वर्चुअल प्रिडेटर **धोखाधड़ी, उत्पीड़न और भेदभाव के माध्यम से बच्चों का शोषण करते हैं, जिससे साइबरबुलिंग** के लिये अनुकूल परिवेश तैयार होता है।
  - **FOMO:** सोशल मीडिया पर प्राय: एक **आदर्श जीवन दर्शाया जाता है,** जिसके कारण युवा वर्ग को ऐसा अनुभव होता है कि वे कुछ खो रहे हैं (**सुअवसर खो जाने का भय- FOMO**), जिसके कारण चिंता, तनाव और अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है।
  - **सामाजिक संपर्क में कमी:** फोन के अत्यधिक उपयोग से **प्रत्यक्ष संवाद में कमी आ सकती है,** जिससे सामाजिक कौशल में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हिंसा:** **हिंसक खेलों और ग्राफिक सामग्री** सहित ऑनलाइन हिंसा के संपर्क में आने से बच्चे असंवेदनशील हो सकते हैं जिससे उनके लिये **आक्रामकता सामान्य हो सकती है** तथा वह **भयभीत** हो सकते हैं और उनकी **संवेगात्मक व्यथा** बढ़ सकती है।
  - युवा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता **अतिवादी और आतंकवादी समूहों** द्वारा उन्हें अपने संगठन में **भर्ती किये जाने के प्रति सुभेद्य** होते हैं।

ऑनलाइन बाल सुरक्षा सांख्यिकी

- **मानसिक स्वास्थ्य:** **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **7 में से 1 किशोर मानसिक विकार का सामना करता है,** जो इस वर्ग में **वैश्विक रोग भार का 15%** है, जिसमें अवसाद, चिंता और व्यवहार संबंधी विकार प्रमुख कारण हैं और अल्प आयु में डिजिटल माध्यमों तक बच्चों की पहुँच इसका प्रमुख कारक है।
  - किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से स्थायी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संतुष्ट वयस्क जीवन के अवसर सीमित हो सकते हैं।
- **साइबर धमकी:** 30 देशों में एक तिहाई से अधिक युवा साइबर धमकी का शिकार होते हैं, जिनमें से **5 में से 1 इसके कारण स्कूल छोड़ देता है।**
- **ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार या शोषण:** 25 देशों में 80% बच्चे **ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार या शोषण** के खतरे को महसूस करते हैं।
  - इंटरनेट के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि और हानिकारक सामग्री की उपलब्धता के कारण भारत में बच्चों को **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)** के संपर्क में आने का उच्च जोखिम है।
  - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** के अनुसार, 2022 में वैश्विक स्तर पर **32 मिलियन CSAM** में से भारत में **5.6 मिलियन रिपोर्टें** दर्ज की गई है, जो एक महत्त्वपूर्ण समस्या को उजागर करता है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल पहुँच के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- **ऑनलाइन अपराधों से बच्चों का संरक्षण:**
  - **POSCO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम), 2012: POSCO अधिनियम** में बच्चों को ऑनलाइन यौन अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं, जिनमें अनिवार्य रिपोर्टिंग और बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
  - **चाइल्डलाइन 1098:** यह देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय, 24 घंटे की आपातकालीन **टोल फ्री फोन सेवा** है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
  - **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** : शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिये स्कूल पाठ्यक्रम **में साइबर सुरक्षा को शामिल किया है।**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000: IT अधिनियम** की धारा 67B, **CSAM को ऑनलाइन प्रकाशित करने या देखने** पर कठोर दंड का प्रावधान करती है।
- **महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC):** CCPWC एक **निर्भया फंड** पहल है, जो साइबर फोरेंसिक क्षमताओं में सुधार करती है, जागरूकता बढ़ाती है तथा कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मज़बूत करती है।
- **डिजिटल पहुँच:**
  - ज्ञान साझाकरण के लिये डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा)
  - **पीएम ई-विद्या.**
  - **स्वयं प्रभा टीवी चैनल**
  - **स्वयं पोर्टल**
  - **प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT 3.0)**
  - **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षा कार्यक्रम**

आगे की राह

- **बाल ऑनलाइन सुरक्षा टूलकिट:** बच्चों से संबंधित उपकरणों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

में **बाल ऑनलाइन सुरक्षा टूलकिट** स्थापित हो जिससे **युवा उपयोगकर्त्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान** करने के क्रम में एक व्यवहारिक तथा व्यापक दृष्टिकोण मिल सके।

- यह **संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के अनुरूप है **तथा साइबर-धमकी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं मानसिक स्वास्थ्य** जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है।

- **स्मार्टफोन के स्वामित्व को विलंबित करने** (कम से कम 8 वीं कक्षा तक) से किशोरों में आक्रामकता, चिंता और आत्महत्या की दर को कम करने में मदद मिल सकती है जिसके लिये माता-पिता, स्कूलों तथा सरकारों से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
- **कड़े नियमन: ऑस्ट्रेलिया** जैसे कुछ देशों ने पहले ही **16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाकर बच्चों की सुरक्षा के लिये कदम उठाए हैं।
  - **डेटा संरक्षण नियम, 2025** के मसौदे को लागू करना चाहिये जिसके माध्यम से भारत ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये सोशल मीडिया तक पहुँच के क्रम में **आयु सत्यापन एवं माता-पिता की सहमति की आवश्यकताएँ निर्धारित** की हैं।
- **जागरूकता:** डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिये, जिससे बच्चों को **ऑनलाइन स्थानों के संभावित खतरों** के बारे में जागरूक करने के साथ **उन्हें हानिकारक सामग्री एवं साइबर धमकी** की पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** बच्चों और किशोरों हेतु **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम**, **किरण हेल्पलाइन** और **मानस मोबाइल ऐप** जैसे सुलभ मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों में निवेश करना चाहिये, जो ऑनलाइन शोषण से प्रभावित लोगों के लिये परामर्श प्रदान करने की रणनीति पर केंद्रित हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. कम उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव डाल सकता है? इन प्रभावों को कम करने से संबंधित निहितार्थों और संभावित उपायों पर चर्चा कीजिये।

ASER 2024 और प्रारंभिक शिक्षा

चर्चा में क्यों?

गैर सरकारी संगठन प्रथम फाउंडेशन ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली छात्रों के अधिगम के परिणामों पर **वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER)** 2024 जारी की।

- **यह रिपोर्ट** वर्ष 2024 में **605 ग्रामीण ज़िलों के 17,997 गाँवों** में किये गये सर्वेक्षण पर आधारित है।
- इसमें **3 से 16 वर्षीय आयु वर्ग के 649,491 बच्चों का डेटा है** और **5 से 16 वर्षीय आयु वर्ग के 500,000** से अधिक बच्चों के **पढ़ने और अंकगणित कौशल का परीक्षण किया गया।**

ASER क्या है?

- **परिचय:** ASER एक **राष्ट्रव्यापी, नागरिक-नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है** जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके अधिगम की गहन जानकारी प्रदान करता है।
  - **वर्ष 2005** में शुरू किये गए ASER के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में **शैक्षिक प्रवृत्तियों और विद्यमान चुनौतियों** की निगरानी की जाती है तथा इस रिपोर्ट के **कवरेज, फोकस और आवृत्ति** को आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जाता है।
- **फोकस क्षेत्र:**
  - **नामांकन:** ASER के अंतर्गत **स्कूल और प्रीस्कूल नामांकन** प्रवृत्तियों को ट्रैक किया जाता है तथा राज्य तथा आयु वर्ग के अनुसार संबंधित सुधारों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाता है।
  - **अधिगम के परिणाम:** इसमें मूल रूप से **पढ़ने और अंकगणित कौशल** की क्षमता का आकलन किया जाता है तथा **प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर** पर बच्चों की प्रगति का विवरण दिया जाता है।
  - **डिजिटल साक्षरता:** ASER 2024 में अपेक्षाकृत अधिक आयु के बच्चों के **स्मार्टफोन कौशल का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें अलार्म सेट करना, ब्राउज़िंग और संदेश भेजने** जैसे कार्यों को शामिल किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **प्री-प्राइमरी (3 से 5 वर्षीय आयु वर्ग):**
  - **नामांकन:** पूर्व-प्राथमिक संस्थानों (**आँगनवाड़ी, सरकारी पूर्व-प्राथमिक कक्षा, या निजी एलकेजी/यूकेजी**) में होने वाले नामांकन में वर्ष 2018 से निरंतर वृद्धि हो रही है।
    - **उदाहरण के लिये, 3 वर्ष के बच्चों** का नामांकन वर्ष 2018 में 68.1% था जो वर्ष **2024** में बढ़कर **77.4% हो गया।**
  - **पूर्व-प्राथमिक संस्थान: आँगनवाड़ी केंद्र** पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के मुख्य प्रदाता हैं, जहाँ **3-4 वर्ष** की आयु के आधे से अधिक बच्चे दाखिला लेते हैं, जबकि **5 वर्ष की आयु** के एक तिहाई बच्चे निजी स्कूलों या प्रीस्कूलों में जाते हैं।
- **प्राथमिक (आयु समूह 6-14 वर्ष):**
  - **कुल नामांकन:** नामांकन वर्ष 2022 में **98.4%** से थोड़ा कम होकर **वर्ष 2024 में 98.1%** तथा **सरकारी स्कूल में नामांकन 7.9 % से घटकर 66.8% हो गए हैं।**
  - **पठन एवं अंकगणित कौशल:** वर्ष 2024 में, सरकारी स्कूलों में **कक्षा III के 23.4% बच्चे कक्षा II स्तर की पाठ्य सामग्री** पढ़ सकेंगे, जो वर्ष 2022 में **16.3%** से अधिक है।
    - वर्ष 2024 में, **कक्षा आठ के 45.8%** विद्यार्थी **बुनियादी अंकगणितीय समस्याओं** को हल कर सकेंगे, जो कि मामूली सुधार दर्शाता है।
    - **पढ़ने के कौशल की तुलना में अंकगणितीय क्षमताओं में अधिक सुधार हुआ** है तथा सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में **अधिक तेज़ी** से प्रगति हुई है।
- **बड़े बच्चे (आयु समूह 15-16 वर्ष):**
  - **नामांकन: 15-16 वर्ष के बच्चों** के लिये स्कूल छोड़ने की दर वर्ष 2018 में 13.1% से घटकर **वर्ष 2024 में 7.9% हो गई है,** जिसमें **लड़कियों** की दर **8.1% अधिक** है।
- **स्मार्टफोन तक पहुँच और उपयोग (डिजिटल साक्षरता):**
  - **पहुँच: 14-16 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 90% बच्चों** के पास स्मार्टफोन तक पहुँच है, तथा **लड़के (85.5%), लड़कियों (79.4%)** की तुलना में इसका अधिक उपयोग करते हैं।
  - **स्वामित्व:** 14 वर्ष के **27% बच्चों और 16 वर्ष के 37.8% बच्चों** के पास स्मार्टफोन हैं।
  - **उपयोग: 82.2% बच्चे स्मार्टफोन** का उपयोग करते हैं, जिनमें से **57% शिक्षा के लिये** और **76% सोशल मीडिया** के लिये उपयोग करते हैं।
  - **डिजिटल सुरक्षा:** 62% बच्चे जानते हैं कि **प्रोफाइल को कैसे ब्लॉक/रिपोर्ट करना है,** और **55.2% जानते हैं कि प्रोफाइल** को निजी उपयोग हेतु कैसे बनाना है।
- **स्कूल अवलोकन:**
  - **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN): 80%** से अधिक स्कूलों ने FLN गतिविधियों को **क्रियान्वित** किया, इनमें से **75% स्कूलों में कम-से-कम** एक शिक्षक को FLN प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
  - **उपस्थिति:** छात्र उपस्थिति **वर्ष 2018 में 72.4% से बढ़कर वर्ष 2024 में 75.9%** हो गई है और शिक्षकों की उपस्थिति **85.1% से बढ़कर 87.5%** हो गई।
  - **स्कूल सुविधाएँ: बुनियादी स्कूल सुविधाओं** की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ:
    - बालिकाओं के लिये उपयोग योग्य शौचालयों की संख्या **वर्ष 2018 में 66.4%** से बढ़कर वर्ष 2024 में 72% हो जाएगी।
    - पेयजल की उपलब्धता **74.8% से बढ़कर 77.7%** हो गई है।
    - **छात्रों द्वारा गैर-पाठ्यपुस्तक पुस्तकों** (जैसे, उपन्यास, लघु कथाएँ, लोक कथाएँ) का उपयोग **36.9% से बढ़कर 51.3%** हो गया है।
    - **खेल के मैदान** वाले स्कूलों का प्रतिशत लगभग **66%** पर स्थिर रहा।
- **परिणाम में अंतर: कोविड-19 महामारी** के बाद से **अधिगम के परिणामों और सुधार में राज्य-स्तरीय महत्त्वपूर्ण अंतर** हैं।
  - **कक्षा III** में, आधे से अधिक राज्यों में **पढ़ने की क्षमता वर्ष 2018 के स्तर से पीछे रही,** लेकिन छह को छोड़कर सभी में **अंकगणित में सुधार** हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- कक्षा V और VIII में, कई राज्य अंकगणित में भी **पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुँच पाए।**

प्रारंभिक शिक्षा क्या है?

- **परिचय:** प्रारंभिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली की **नींव** है, जो आमतौर पर **छह वर्ष की आयु** से शुरू होती है।
  - यह **औपचारिक शिक्षा** की शुरुआत का प्रतीक है, जो बच्चे के **शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **महत्त्व:**
  - **भविष्य की शिक्षा के लिये आधार:** यह उच्च शिक्षा और करियर के लिये आवश्यक **मूल कौशल (पढ़ना, लिखना, गणित, समस्या समाधान)** प्रदान करता है।
  - **सामाजिक कौशल का विकास:** बच्चे सहपाठियों और शिक्षकों के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से **टीम वर्क, संचार और सहानुभूति** सीखते हैं।
  - **व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास:** इससे **आत्मविश्वास और प्रेरणा** बढ़ती है, तथा बच्चों को अपनी क्षमता और रचनात्मकता का पता लगाने का अवसर मिलता है।
  - **मोटर कौशल का संवर्द्धन: खेल और रचनात्मक अभिव्यक्ति** जैसी गतिविधियाँ सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल का विकास करती हैं।
  - **सामाजिक जागरूकता का निर्माण:** बच्चे **स्वच्छता, सामाजिक ज़िम्मेदारियों और नागरिक कर्त्तव्यों** के बारे में सीखते हैं, जिससे वे भविष्य के जागरूक नागरिक बनते हैं।
  - **दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव:** प्रारंभिक शिक्षा में निवेश **आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता** को बढ़ाता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **निम्नस्तरीय स्कूल अवसंरचना:** भारत में **14.71 लाख से अधिक स्कूलों** में से **1.52 लाख में विद्युत् की सुविधा नहीं है,** जिससे शिक्षण में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग में बाधा आ रही है।
    - **67,000 स्कूलों में,** जिनमें 46,000 सरकारी स्कूल शामिल हैं, **कार्यात्मक शौचालयों का अभाव** है। केवल **3.37 लाख सरकारी स्कूलों (33.2%)** में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय हैं, जिनमें से एक **तिहाई से भी कम क्रियाशील** हैं।
  - **प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच:** केवल **43.5%** सरकारी स्कूलों में शिक्षण के लिये **कंप्यूटर** हैं, जबकि **निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में यह संख्या 70.9%** है।
  - **निम्नस्तरीय शिक्षक-छात्र अनुपात:** भारत में लगभग **एक लाख स्कूल** ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में केवल **एक शिक्षक** है।
  - **सामाजिक विभाजन: जाति-वर्ग, ग्रामीण-शहरी, धार्मिक और लैंगिक असमानताएँ** जैसी सामाजिक विभाजनकारी स्थितियाँ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
  - **भाषा संबंधी बाधाएँ: क्षेत्रीय भाषाओं** में पाठ्यपुस्तकों और सामग्री की कमी **के कारण हिंदी/अंग्रेज़ी** माध्यम में दक्षता न रखने वालों के लिये शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाती है।

शिक्षा से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम
- सर्व शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

आगे की राह

- **शीघ्र हस्तक्षेप: सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों** पर ध्यान केंद्रित करके **प्रतिधारण बढ़ाने** के लिये तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिये।
  - उन बच्चों के लिये **अनुकूल, अंशकालिक शिक्षा** शुरू करनी चाहिये जिन्हें **कार्य करना पड़ता है या घर पर सहायता** करनी पड़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गैर-नामांकित बच्चों के लिये साक्षरता:** उन बच्चों के लिये **पूरक साक्षरता कार्यक्रम** शुरू करना चाहिये जो **स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल नहीं** जा पाए हैं।
- **जवाबदेहिता में सुधार:** स्थानीय शैक्षिक योजना और विकास के लिये **ज़िला स्कूल बोर्ड की स्थापना** करनी चाहिये। निरीक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये **स्कूल निरीक्षकों** की संख्या बढ़ानी चाहिये।
- **स्कूलों का प्रावधान: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों** में अधिक स्कूल स्थापित करके **1 किमी (पैदल दूरी) के अंदर स्कूल की पहुँच** सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **अभिभावक शिक्षा: अभिभावकों** को शिक्षा के महत्त्व (विशेष रूप से **बालिकाओं के लिये**) तथा शिक्षा किस प्रकार उनके **बच्चों के भविष्य** को बेहतर बना सकती है, के बारे में शिक्षित करने के लिये अभियान चलाने चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर चर्चा कीजिये? भारत में प्राथमिक शिक्षा को मज़बूत करने हेतु किन संरचनात्मक एवं नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है?

भारत में सर्पदंश और प्रतिजीवविष

चर्चा में क्यों?

विश्व में सर्प के डसने (सर्पदंश) से प्रतिवर्ष लगभग **58,000 व्यक्तियों की मृत्यु** होती है जिसमें से **लगभग 50% मौतें** भारत में होती हैं।

- **प्रतिजीवविष अथवा प्रतिदंशविष (Antivenoms) का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता** होने के बावजूद, देरी से पहुँच, अनुपयुक्त ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे के अभाव जैसी चुनौतियाँ सर्पदंश के प्रभावी उपचार में बाधा उत्पन्न करती हैं।

सर्पदंश के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सर्प के डसने की घटनाएँ प्रतिवर्ष **5.4 मिलियन** हैं, जिनमें से 1.8 से 2.7 मिलियन मामले विष के संपर्क में आने के कारण होते हैं।
  - सर्प के डसने से प्रतिवर्ष लगभग **81,410 से 137,880 लोगों की मृत्यु होती है** तथा इससे भी अधिक लोग सर्प के डसने के कारण **अंग-विच्छेदन तथा स्थायी दिव्यांगता से पीड़ित होते हैं।**
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने **सर्पदंश** (सर्प के डसने से होने वाला ज़हर) को उच्च प्राथमिकता वाली **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग** के रूप में वर्गीकृत किया है।
- **भारत:**
  - **विषैले सर्पों की विविधता:** भारत में सर्प की **300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं**, जिनमें से **60 से अधिक विषैली हैं।**
    - **भारत में सर्पदंश से होने वाली अधिकांश मौतों** के लिये बिग **फोर (भारतीय कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर** और **सॉ-स्केल्ड वाइपर**) ज़िम्मेदार हैं।
  - **सर्पदंश से मृत्यु दर और विकलांगता:** एक अध्ययन का अनुमान है कि **वर्ष 2001 से वर्ष 2014 के बीच** भारत में **सर्पदंश** के कारण लगभग **1.2 मिलियन मौतें हुईं और 3.6 मिलियन लोग स्थायी विकलांगता के शिकार** हुए।
    - **250 भारतीयों में से एक को 70 वर्ष की आयु से पहले** सर्पदंश से **मरने का खतरा** रहता है।
  - **असुरक्षित आबादी: ग्रामीण समुदाय,** विशेषकर कृषि श्रमिक, विशेष रूप से **मानसून** के दौरान अधिक जोखिम में रहते हैं, क्योंकि **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल** के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है।
  - **शहरी जोखिम:** तेज़ी से हो रहे **शहरीकरण,** खराब अपशिष्ट प्रबंधन और **शहरी बाढ़** के कारण **साँप-मानव संपर्क में वृद्धि हुई है,** जिससे शहरों में भी जोखिम बढ़ गया है।

प्रतिजीवविष (Antivenoms) क्या हैं?

- **साँप का जहर:** यह **विषाक्त प्रोटीन का एक शक्तिशाली मिश्रण** है जो मानव शरीर को गंभीर क्षति पहुँचाता है।
  - **हेमोटॉक्सिन** रक्त कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और थक्के बनने में बाधा डालते हैं।
  - **न्यूरोटॉक्सिन** तंत्रिका संकेतों को अवरुद्ध कर देते हैं और पक्षाघात कर देते हैं।
  - **साइटोटॉक्सिन** दंश स्थल पर ऊतक को घोल देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रतिजीवविष (Antivenoms):** प्रतिजीवविष (Antivenoms) या **एंटीवेनिन जीवन रक्षक दवाएँ** हैं जिनका उपयोग **साँप के काटने के उपचार** के लिये किया जाता है।
    - प्रतिजीवविष (Antivenoms) **जहर के विषाक्त पदार्थों को बांधकर, उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं**, तथा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को समय के साथ उन्हें **सुरक्षित रूप से समाप्त करने में सहायता** करते हैं।
    - भारत में बहुसंयोजी प्रतिजीवविष (**पॉलीवेलेंट एंटीवेनम**) **"बिग फोर" के विष से बनाये जाते हैं,** लेकिन **किंग कोबरा और पिट वाइपर** जैसी **अन्य विषैली प्रजातियों को इसमें शामिल नहीं** किया जाता।
- **प्रतिजीवविष (Antivenoms) का उत्पादन:**
    - प्रतिजीवविष (Antivenoms) उत्पादन में **साँपों से जहर निकालना, एंटीबॉडी बनाने** के लिये घोड़ों या भेड़ों जैसे जानवरों को प्रतिरक्षित करना, और फिर **प्रतिजीवविष तैयार करने** के लिये जानवर के रक्त से **इन एंटीबॉडी को निकालना और शुद्ध करना** शामिल है।
- **भारत में उत्पादन:**
    - कई कंपनियाँ विष-निरोधक दवाओं का निर्माण करती हैं। **तमिलनाडु** की **इरुला जनजाति** विष-निरोधक दवाएँ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है **(लगभग 80% विष की आपूर्ति करती हैं)**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

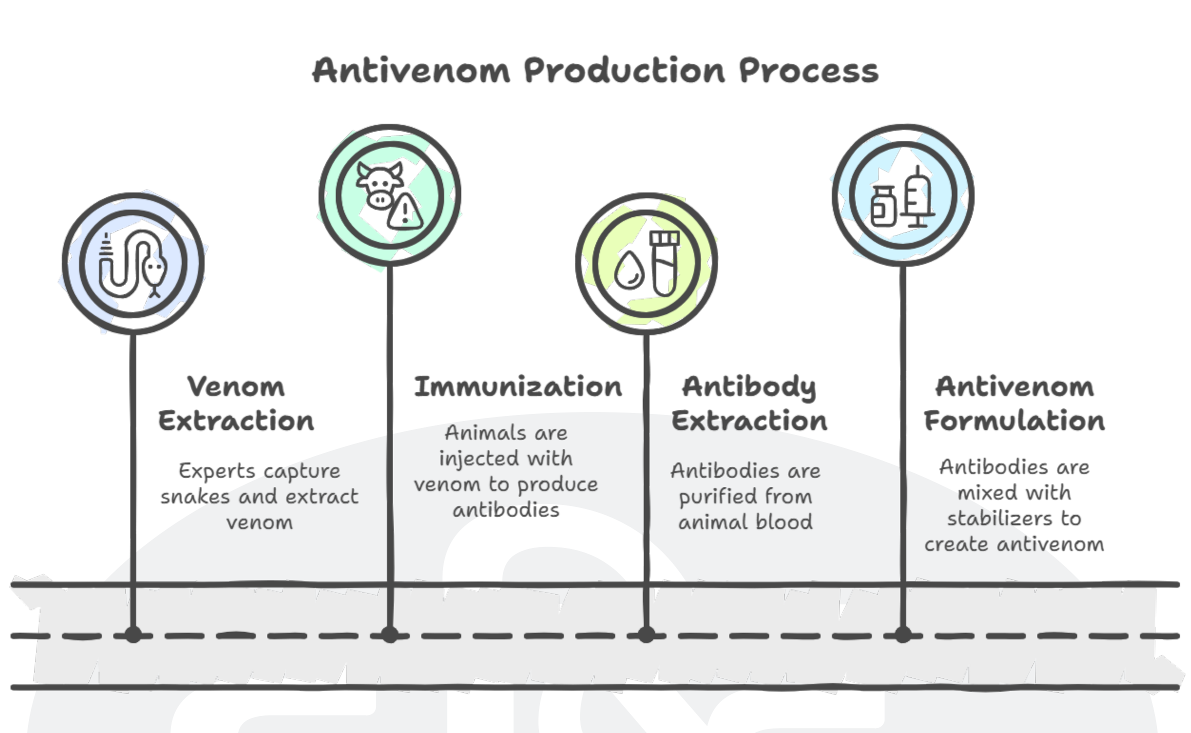

नोट:

- **भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** की विभिन्न **अनुसूचियों के अंतर्गत सांपों को संरक्षित** किया गया है, साथ ही भारत में **विषैली प्रजातियों को पकड़ना, मारना या उनका दूध का उपयोग करना** प्रतिबंधित है।
- **मुख्य वन्यजीव वार्डन** लिखित अनुमोदन के साथ, जीवन रक्षक दवाओं के लिये **सांप का विष निकालने** सहित जंगली जानवरों के शिकार के लिये परमिट दे सकते हैं।
  - हालाँकि, **अनुसूची I** के **पशुओं के लिये केंद्र सरकार** की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

भारत में प्रतिविष (Antivenom)तक पहुँच के समक्ष चुनौतियाँ:

- **भौगोलिक बाधाएँ:** दूरदराज के स्थानों पर प्रतिविष युक्त चिकित्सा संस्थानों तक पहुंच की कमी के कारण समय पर उपचार में बाधा आती है।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक कारक:** ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास और **पारंपरिक प्रथाओं** पर निर्भरता के कारण अक्सर चिकित्सा देखभाल में देरी होती है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- **आर्थिक बाधाएँ:** विषरोधी दवाओं की **उच्च उत्पादन लागत के कारण**, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिये, उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।
- **तार्किक मुद्दे:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अपर्याप्त शीत भण्डारण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के** परिणामस्वरूप एंटीवेनम की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे इसकी प्रभावकारिता कम हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रतिविष में उभरते समाधान और नवाचार क्या हैं?

- **सर्पदंश से होने वाले विष के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SE): NAP-SE** का लक्ष्य **वर्ष** 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और दिव्यांगजनों की संख्या को कम करना है ।
- **सिंथेटिक एंटीवेनमः पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी** और **AI**-डिज़ाइन किये गए प्रोटीन, जैसा कि वर्ष **2024 के नोबेल पुरस्कार** विजेता डेविड बेकर की टीम द्वारा प्रदर्शित किया गया है, पारंपरिक प्रतिविष के लिये अधिक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।
- **क्षेत्र-विशिष्ट एंटीवेनमः IISc बेंगलुरु के शोधकर्त्ता विशिष्ट साँप प्रजातियों एवं क्षेत्रीय विष विविधताओं** के अनुरूप एंटीवेनम विकसित कर रहे हैं।
- **त्वरित निदान उपकरणः** पोर्टेबल **विष-पहचान किट** के साथ विष-निरोधक दवाओं को समय पर देने से रोगी के परिणामों में सुधार हो सकता है।
- **सार्वजनिक शिक्षा अभियानः** सर्पदंश की रोकथाम एवं समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता बढ़ाने से मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्नः

प्रश्न. भारत में सर्पदंश से होने वाली उच्च मृत्यु दर में योगदान देने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा मृत्यु दर को कम करने के उपाय बताइये।

विमुक्त जनजातियों को SC, ST और OBC के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना

चर्चा में क्यों?

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) और **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI)** द्वारा किये गए एक नृजातीय अध्ययन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की **SC, ST और OBC** सूचियों में 179 **विमुक्त जनजातियों (DNT), घुमंतू जनजातियाँ (NT)** और **अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (SNT)** को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

- अगस्त 2022 का अध्ययन **नीति आयोग** पैनल की समीक्षा के अधीन है और अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI)

- **परिचयः** TRI **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के तहत अनुसंधान निकाय हैं, जो **राज्य स्तर** पर काम करते हैं। संपूर्ण भारत में **28 TRI हैं।**
- **प्राथमिक फोकसः**
  - **ज्ञान एवं अनुसंधानः** जनजातीय विकास के लिये **थिंक टैंक** के रूप में कार्य करना।
  - **सांस्कृतिक विरासतः जनजातीय संस्कृति** और परंपराओं का संरक्षण और संवर्द्धन करना।
  - **साक्ष्य-आधारित योजनाः जनजातीय विकास नीतियों** और **कानूनों** के लिये **राज्य सरकारों** को डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
  - **क्षमता निर्माणः जनजातीय** लोगों और जनजातीय समुदायों के साथ काम करने वाली **संस्थाओं** के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (AnSI)

- **AnSI वर्ष** 1945 **में स्थापित** एक सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संगठन है जो **भारत की सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई विविधता का अध्ययन करता है।**
- **कार्यः** अनुसंधान डेटा का संग्रहण, संरक्षण और उसका प्रकशन करना और इसके अतिरिक्त क्षेत्र सर्वेक्षण करना तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान निकायों के साथ सहयोग करना।
- **मुख्यालयः** यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

उपर्युक्त जनजातियों पर किये गए अध्ययन संबंधी प्रमुख बिंदु कौन-से हैं?

- **नये परिवर्द्धनः** कुल 179 अनुशंसित समुदायों में से 46 समुदायों को **OBC** में, 29 समुदायों को **SC** में और 10 समुदायों को **ST में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।**
  - त्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित हैं, तथा **सबसे अधिक नए परिवर्धन उत्तर प्रदेश** के लिये किये गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पता न लगा पाने की समस्या: 63 समुदायों का पता नहीं लगाया जा सका,** जिससे यह सुझाव मिलता है कि वे समुदाय **समीकृत** हो गए हैं अथवा **नाम में परिवर्तन** कर लिया है अथवा **पलायन** कर गए हैं।
  - यह वर्गीकरण प्रक्रिया के समक्ष चुनौती है तथा ऐसे समुदायों की पहचान करने में चिंता उत्पन्न होती है जिनमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक एकीकरण हुआ है।
- **मौजूदा समुदायों का वर्गीकरण:** अध्ययन में **9 मौजूदा समुदायों के वर्गीकरण को सही करने का भी सुझाव दिया गया है,** जिन्हें राज्य या केंद्रीय सूचियों में या तो गलत वर्गीकृत किया गया था या अपर्याप्त रूप से सूचीबद्ध किया गया था।

भारत में SC/ST/OBC सूची में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

- **समावेशन के मानदंड:**
  - **अनुसूचित जाति (SC):** ऐतिहासिक रीति-रिवाज़ या **अस्पृश्यता** से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।
  - **अनुसूचित जनजातियाँ (ST): आदिम लक्षणों** के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन।
  - **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):** सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, साथ ही **सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।**
- **प्रक्रिया:**
  - **प्रारंभ और जाँच:** किसी समुदाय को SC/ST/OBC **सूची में शामिल किये जाने अथवा बाहर करने** के लिये प्रस्ताव पर कार्य सबसे पहले **राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किया जाता है,** जिसे बाद में **भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)** और **NCSC** या **NCST द्वारा समर्थित किया जाता है।**
    - केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने के लिये **NCBC अधिनियम, 1993 की धारा 9 के** अनुसार **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** की सिफारिशों की आवश्यकता होती है।
    - **SC/ST श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया** संविधान के **अनुच्छेद 341 (SC के लिये)** और **अनुच्छेद 342 (ST के लिये)** द्वारा शासित होती है।
    - प्रस्ताव की **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है, जो RGI** के इनपुट के साथ सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन करता है।
    - सूचियों में संशोधन प्रस्ताव की समीक्षा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं।
- **संसदीय प्रक्रिया:** SC/ST/OBC सूची में प्रस्तावित परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के लिये संसद में एक **संवैधानिक संशोधन** विधेयक पेश किया जाता है।
  - विधेयक को **विशेष बहुमत**, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ **सदन की कुल संख्या के 50% से** अधिक सदस्यों का समर्थन, से पारित कराने की आवश्यकता होती है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित** होने के बाद, विधेयक को **राष्ट्रपति** की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। **राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बाद, SC/ST/OBC** में संशोधन आधिकारिक रूप से लागू हो जाते हैं।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI):

- **गृह मंत्रालय** के अधीन **वर्ष** 1961 में स्थापित, भारत के **महापंजीयक सर्वेक्षण, जिसमें जनगणना** और **भारतीय भाषाई सर्वेक्षण** शामिल हैं, की देखरेख करता है।

DNT, NT और SNT कौन हैं?

विमुक्त जनजातियाँ (DNT), खानाबदोश जनजातियाँ (NT), और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियाँ (SNT)

भारत में SC, ST और OBC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **मौलिक अधिकार:**
  - अनुच्छेद 17 और 23 **अस्पृश्यता और मानव तस्करी** पर रोक लगाते हैं तथा अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थाओं** में उन्नति के लिये विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद** 16(4) सार्वजनिक रोज़गार में **आरक्षण** का प्रावधान करता है ।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332**

- **अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342:**
  - **अनुच्छेद 340:** राष्ट्रपति को **पिछड़े वर्गों** की जाँच करने और कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने के लिये **एक आयोग नियुक्त करने** का अधिकार है।
  - **अनुच्छेद 341:** राष्ट्रपति को **किसी राज्य** या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 342:** इसके तहत राष्ट्रपति को **किसी राज्य** या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है।
- **अनुच्छेद 46: अनुच्छेद 46** के तहत राज्य को **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों** एवं समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के **शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा** देने का निर्देश दिया गया है।

- **अनुच्छेद 338 और 338A:** इसमें SC/ST के हितों की रक्षा के लिये NCSC और NCST की स्थापना का प्रावधान है।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC):** इसे **अनुच्छेद 338B** के तहत **102वें संविधान संशोधन अधिनियम** (2018) के माध्यम से स्थापित किया गया।
- **अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष प्रशासन: पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची**।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं योजनाएँ क्या हैं?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भूगोल

दक्कन ज्वालामुखी और भारतीय प्लेट का संचलन

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, दक्कन ज्वालामुखी का **उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों** पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर **जीव-जंतु विलुप्त** हो गए थे।

- सामूहिक विलुप्ति **विनाशकारी घटनाएँ हैं, जो तेज़ी से जैव विविधता को नुकसान** पहुँचती हैं, यह अक्सर जलवायु परिवर्तन, क्षुद्रग्रहों के प्रभाव या **बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों** के कारण होती हैं।

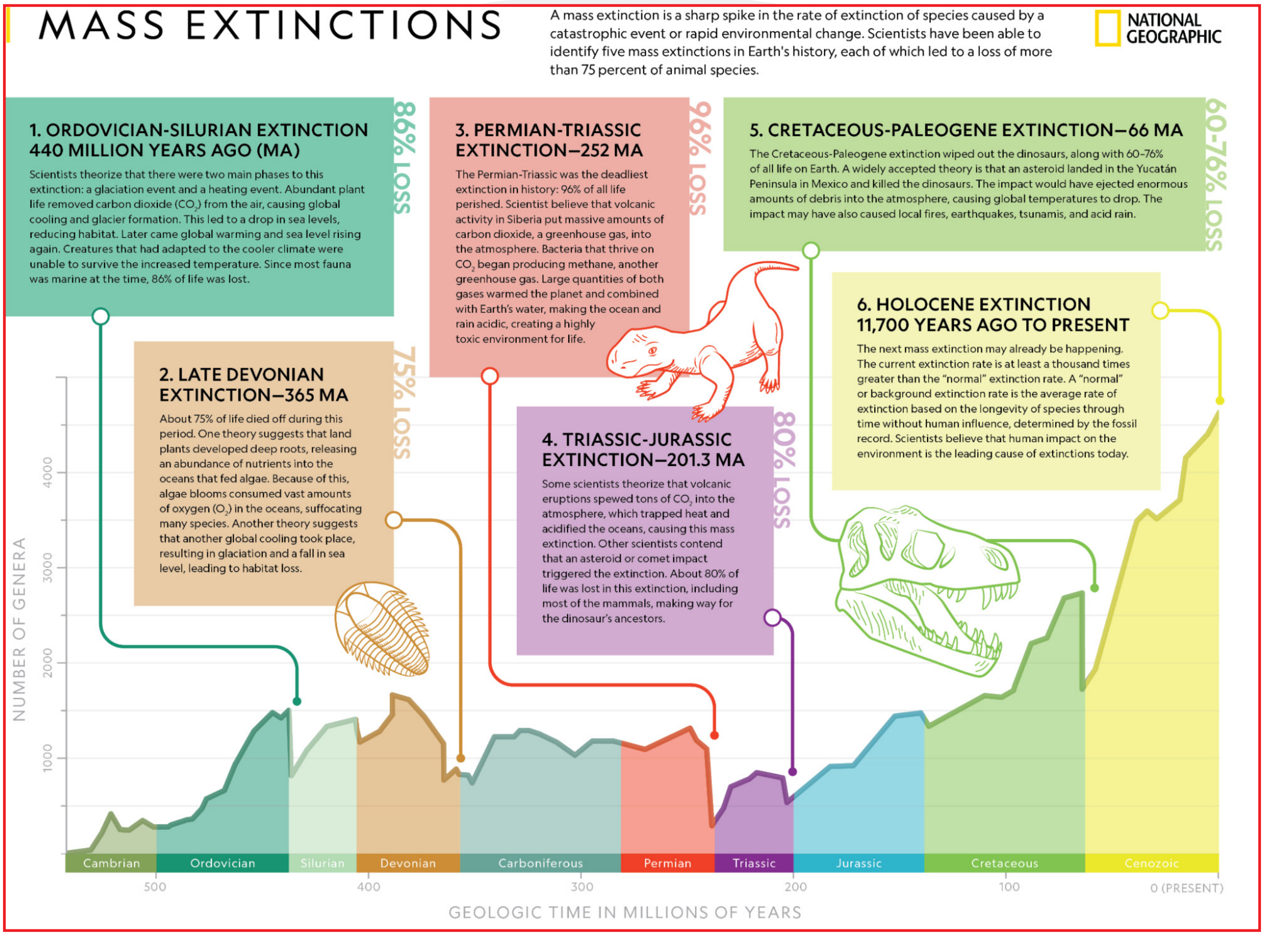

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **जीव-जंतुओं और वनस्पतियों पर प्रभाव:** दक्कन **ज्वालामुखी विस्फोट** के कारण **डायनासोर** और अन्य जीव-जंतुओं के साथ-साथ **जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी)** भी बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए।
  - हालाँकि, इसने वनस्पतियों के विलुप्त होने की बजाय, एंजियोस्पर्मों (आवृतबीजी) के लिये **उपजाऊ, अप्रभावित आवासों** का निर्माण करके **अति-विविध उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों** को बढ़ावा दिया।
  - ज्वालामुखी निष्क्रियता के दौरान गर्म**, आर्द्र जलवायु और भूमध्य रेखा** के माध्यम से **भारतीय प्लेट** की गति ने वनस्पति विविधता में मदद की।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय निहितार्थ:** दक्कन ज्वालामुखी **कोक्रेटेशियस-पेलियोजीन (के-पीजी) सामूहिक विलुप्ति (66 मिलियन वर्ष पूर्व) के लिये एक योगदान कारक के रूप में पहचाना गया था,** जिसने वैश्विक स्तर पर **अमोनॉइड (अकशेरुकी सेफेलोपोड्स) और डायनासोर प्रजातियों** को समाप्त कर दिया।
  - हालाँकि, भारतीय प्लेट क्षेत्र में **उष्णकटिबंधीय वर्षावनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पड़ा,** जो जलवायु संबंधी तनावों के प्रति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की अनुकूलता को दर्शाता है।
- **उष्णकटिबंधीय वनस्पति: उष्णकटिबंधीय वनस्पति** से तात्पर्य उन पौधों की प्रजातियों से है जो विश्व के **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (23.5° उत्तर और 23.5° दक्षिण अक्षांश के बीच) में विकसित होती हैं, इनकी आमतौर पर** वर्ष भर **उष्ण तापमान और उच्च आर्द्रता** होती हैं।
  - ये क्षेत्र **भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा और मकर रेखा के** बीच पाए जाते हैं।
  - उदाहरणार्थ, **महोगनी वृक्ष, ऑर्किड, नारियल के पेड़ आदि।**
- **जिम्नोस्पर्म:** जिम्नोस्पर्म ऐसे पादप वृक्ष होते हैं जिनके बीज **अंडाशय (अनावृत) के भीतर परिबद्ध नहीं होते हैं,** अपितु प्राय: छोटी टहनियों या शंकुओं में **खुली अवस्था में होते हैं।** इनकी गिनती **प्राचीनतम और आद्य पौधों में की जाती है।**
- **एंजियोस्पर्म:** ये ऐसे पादप समूह हैं जिनके **बीज फल के भीतर परिबद्ध होते हैं।** निषेचन के बाद, पुष्प का **अंडाशय एक फल में विकसित होता है जिसमें बीज होते हैं।**

दक्कन ज्वालामुखी सिद्धांत क्या है?

- **परिचय:** इसके अनुसार **ज्वालामुखीय उद्गारों,** जिनके कारण **दक्कन ट्रैप** का निर्माण हुआ, का **लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व हुए व्यापक विलोपन** की घटना में अहम भूमिका थी ।
  - दक्कन ट्रैप **प्रायद्वीपीय भारत में एक विशाल ज्वालामुखीय पठार** है, **जो ज्वालामुखीय उद्गारों के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ है।**
  - विदरयुक्त ज्वालामुखी उद्गार तब उत्पन्न है जब **मैग्मा** ज्वालामुखी के केंद्रीय द्वार के बजाय लंबे दरारों या विदरों से निकलता है।
- **निर्माण:** ऐसा माना जाता है कि **दक्कन ट्रैप का निर्माण डेक्कन मैंटल प्लम** के कारण ज्वालामुखी की अत्यधिक सक्रियता से हुआ है। यह ज्वालामुखीय सक्रियता **अनेक लाख वर्षों तक जारी रही।**
  - मैंटल प्लम पृथ्वी के मैंटल से निकलने वाला **मैग्मा का बेलनाकार उत्प्रवाह है, जिससे** प्लेट सीमाओं से असंबद्ध **ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट** का निर्माण होता है।
  - वर्तमान का **दक्कन ट्रैप** व्यापक ज्वालामुखी विस्फोटों से निर्मित **बेसाल्टिक लावा प्रवाह** की विशाल परतों से बना है।
- **भारतीय प्लेट में संचलन से संबंध: भारत ऑस्ट्रेलियाई तट** से सुदूर स्थित एक विशाल द्वीप था। ऐसा माना जाता है कि भारत का **उत्तर दिशा** की ओर संचलन **लगभग 200 मिलियन वर्ष** पहले शुरू हुआ।
  - **रियूनियन हॉटस्पॉट** पृथ्वी के केंद्र से निकला कोष्ण लावा का एक मेंटल प्लम है जो भारतीय प्लेट के नीचे स्थित है।
  - जैसे-जैसे भारतीय प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुज़री, **विदरयुक्त ज्वालामुखी उद्गारों** से **दक्कन ट्रैप** का निर्माण हुआ।
    - **रियूनियन हॉटस्पॉट** एक ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट है जो **हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप** (फ्राँसीसी समुद्रपार क्षेत्र) के समीप स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **दक्कन की ज्वालामुखीयता का आर्थिक महत्त्व**
- **प्रमुख चट्टानें: बेसाल्ट** दक्कन ट्रैप में पाया जाता है तथा **ग्रेनाइट और नीस की उपलब्धता दक्षिणी भारत, विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु** में साधारण है।
- **खनिज संसाधन: कर्नाटक** में **लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है** और **पूर्वी घाट** में **बॉक्साइट पाया जाता है।**
- **कृषि: काली मृदा** की उपस्थिति के कारण यह **कपास और तंबाकू के लिये लाभदायक है।**
  - **काली मृदा** का निर्माण **ज्वालामुखीय शैलों**, विशेष रूप से **बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ** है, जो लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिजों से समृद्ध है।

नोट: दक्कन ट्रैप **दक्षिण भारत के महत्त्वपूर्ण भागों में विस्तृत है, जिसमें महाराष्ट्र**, **कर्नाटक**, **गुजरात**, **मध्य प्रदेश**, **आंध्र प्रदेश** और **तमिलनाडु** के अधिकांश क्षेत्र शामिल हैं तथा **तेलंगाना** और **केरल** में इसका विस्तारण अपेक्षाकृत कम है।

भारतीय प्लेट की गति के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **गोंडवानालैंड का विखंडन:** भारतीय प्लेट, पेलियोज़ोइक युग के अंत में **दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका** के साथ **गोंडवानालैंड** का हिस्सा थी, जो ट्राइऐसिक काल के अंत (~215 Ma) में विखंडित होने लगी।
  - **लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले** तक **टेथिस सागर** भारत को यूरेशियन प्लेट से अलग करता था।

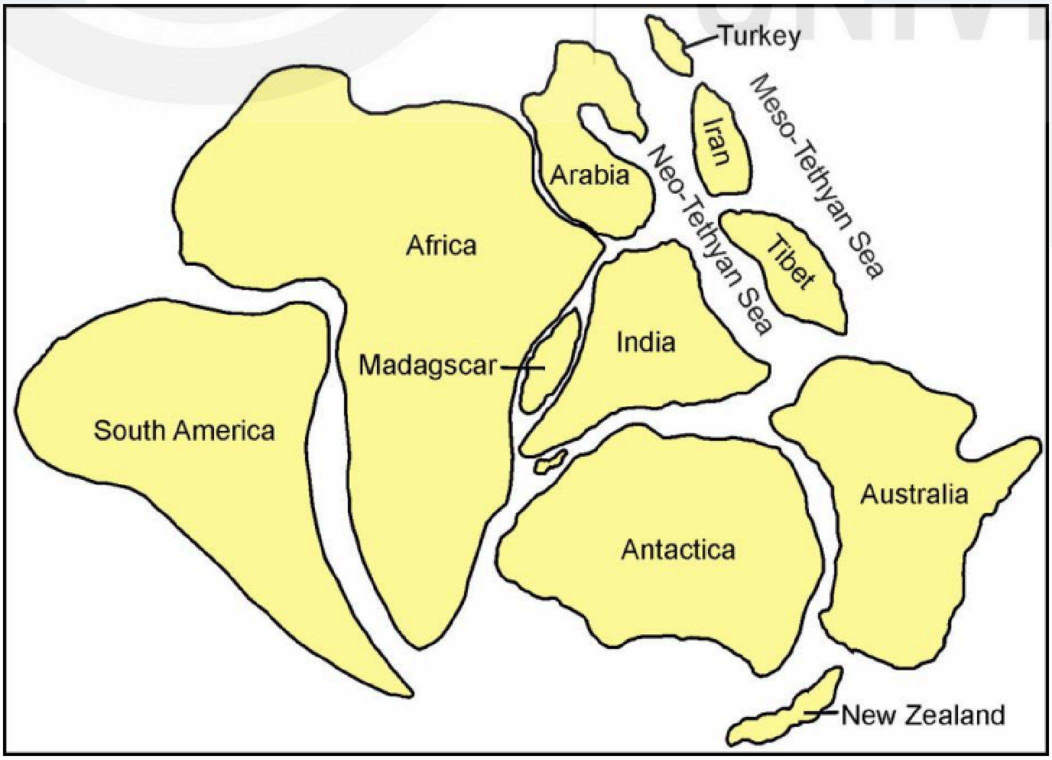

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पृथक्करण और विस्थापन:** भारत **मध्य जुरासिक (~165-150 Ma) में अफ्रीका से और प्रारंभिक क्रेटेशियस (~130-120 Ma) में अंटार्कटिका-ऑस्ट्रेलिया** से अलग हुआ।
  - ❖ **इंडो-मेडागास्कर ब्लॉक अंटार्कटिका-ऑस्ट्रेलिया** से लगभग 130-120 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हो गया तथा **सेशेल्स भारत से क्रेटेशियस-पैलियोसीन सीमा (~66 मिलियन वर्ष पूर्व)** के आसपास अलग हो गया।

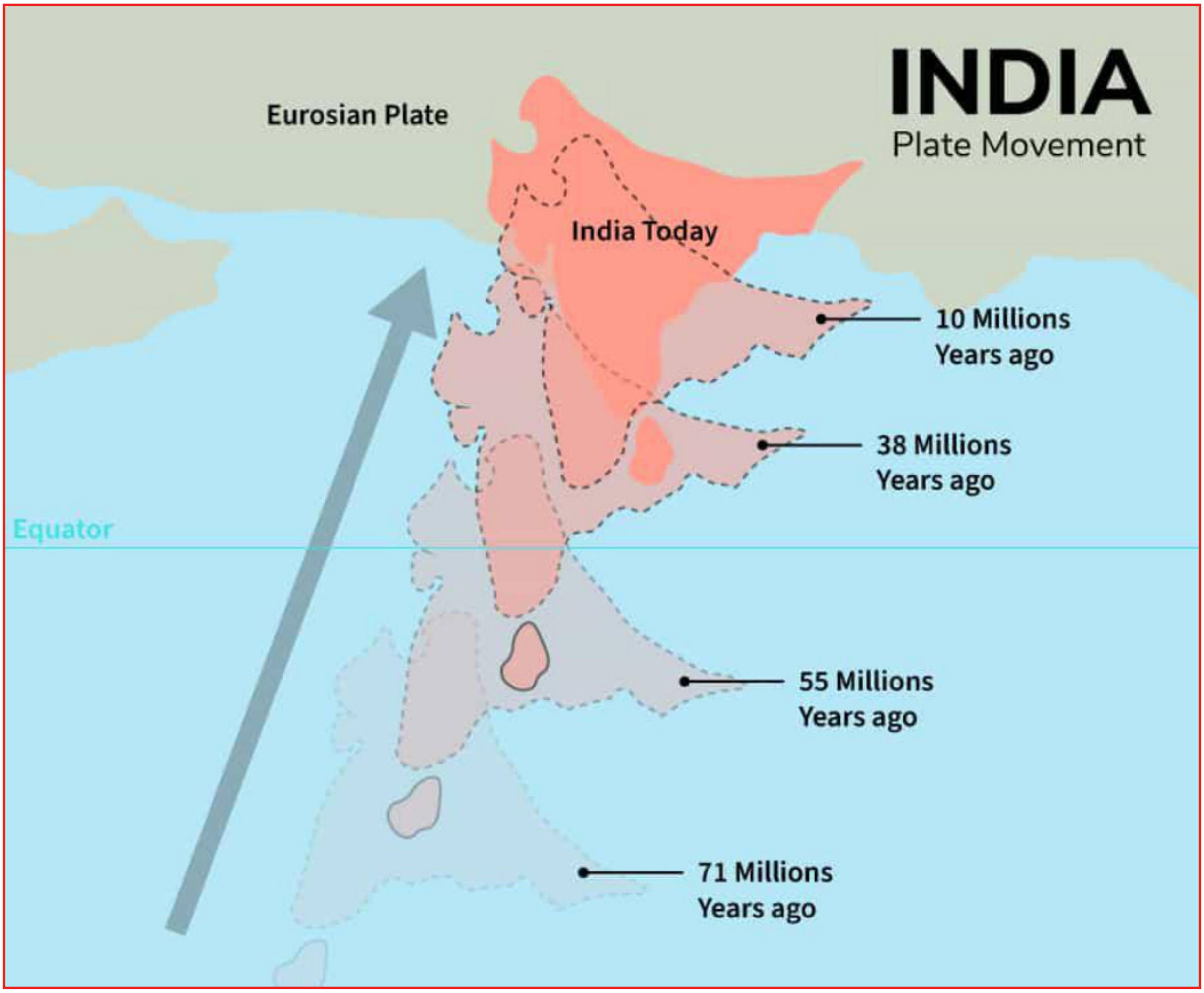

- **दरार और मैंटल प्लम्स: दरार और मैंटल प्लम्स:** मैंटल प्लम्स ने भारतीय प्लेट की दरार और विस्थापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें महत्त्वपूर्ण बेसाल्टिक ज्वालामुखी विस्फोट भी शामिल थे।
  - ❖ उदाहरण के लिये, **रीयूनियन मैंटल प्लम ने भारतीय प्लेट को सेशेल्स** से अलग कर दिया, जिससे डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
- **एशिया से संघट्ट: इओसीन** (लगभग 50-35 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई, जिससे **हिमालय पर्वत** श्रृंखला का निर्माण हुआ और **तिब्बती पठार** का उत्थान हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, **टेथियन सागर** बंद हो गया।
- **भूवैज्ञानिक प्रभाव:** भारत-एशिया संघट्ट एक कठोर **महाद्वीप संघट्ट** है जिसके परिणामस्वरूप विश्व की सबसे बड़ी और सबसे युवा वलित पर्वत पट्टी का निर्माण हुआ जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है।
  - इसने वैश्विक जलवायु को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप के लिये एक विशिष्ट **मानसून** प्रणाली स्थापित की।
  - महाद्वीप संघट्ट तब होता है जब दो **महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं,** जिससे विशाल पर्वत शृंखलाएँ बन जाती हैं, क्योंकि दोनों प्लेटें इतनी **अधिक उत्प्लावक होती हैं** कि वे मैंटल में नहीं डूब पातीं।

निष्कर्ष

अध्ययन में दक्कन ज्वालामुखी के दौरान **उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के अनुकूलन पर प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण जीवों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन विविध उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला।** ज्वालामुखी गतिविधि के साथ भारतीय प्लेट की गति ने वैश्विक जैव विविधता और पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक जैव विविधता और जलवायु पर भारतीय प्लेट की गति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कृषि

भारत में अनुबंध कृषि

चर्चा में क्यों?

भारत में **अनुबंध कृषि** का **सकारात्मक प्रभाव** विशेष रूप से प्रसंस्कृत आलू के लिये पड़ा है, और इस सफलता को **अन्य फसलों** और खाद्य उत्पादों **तक बढ़ाया** जा सकता है।

अनुबंध कृषि मॉडल क्या है?

- **परिचय:** **अनुबंध कृषि** एक ऐसी प्रणाली है जिसमें **किसान (उत्पादक)** और **खरीदार** कृषि उत्पादों के **उत्पादन और विपणन** के संबंध में एक समझौता करते हैं।
  - इस समझौते में **उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व** किसान की उपज के लिये **मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता मानक और डिलीवरी की तारीख निर्दिष्ट** की जाती है।
- **लाभ:**
  - **कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये **उचित मूल्य** सुनिश्चित करते हुए **शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं** की बर्बादी को कम करता है।
  - **ऋण और कृषि निवेश वस्तुओं तक पहुँच:** किसानों को **बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन** के लिये संविदाकारी फर्मों द्वारा प्रदान किये गए **ऋण, इनपुट और विस्तार सेवाओं से लाभ होता है।**
  - **उन्नत परिचालन दक्षता:** इससे कंपनियों को **लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने** तथा उच्च मूल्य वाली, गैर-परंपरागत फसलों की मांग की पूर्ति करने में सहायता मिलती है।
  - **किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर उपज, गारंटीकृत मूल्य और कुशल प्रथाओं** के कारण अनुबंधित किसान प्रायः गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में **अधिक आय अर्जित करते हैं।**
    - RBI के शोध के अनुसार किसानों को फलों और सब्जियों के लिये उपभोक्ता मूल्य का **केवल 31% से 43% ही प्राप्त होता है, जिसे संविदा कृषि के तहत बढ़ाया जा सकता है।**
  - **खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन:** कंपनियाँ प्रायः किसानों को **खाद्य सुरक्षा प्रथाओं**, जैसे **जैविक उर्वरकों** और कीटनाशक नियंत्रण का उपयोग करने, **अधिकतम अवशेष सीमा (MRL)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित करती हैं।
  - **उपभोक्ताओं के लिये बेहतर मूल्य: उपभोक्ताओं के लिये बेहतर मूल्य** और मध्यस्थों के बिना उत्पादों के लिये **प्रतिस्पर्द्धी दरों की** सुविधा के साथ इस मॉडल से **मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है।**
- **चिंताएँ:**
  - **शक्ति असंतुलन:** छोटे किसानों के पास अक्सर बड़े कृषि व्यवसायों के साथ **सौदेबाजी की शक्ति का अभाव** होता है, जिसके कारण उन्हें शोषणकारी शर्तों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से तब जब वे विशिष्ट फसलों अथवा परिसंपत्तियों में अनुबंधों और निवेशों पर निर्भर होते हैं।
  - **व्यतिक्रम का जोखिम:** यदि बाज़ार **मूल्य बढ़ता है तो किसान चूक कर सकते हैं,** जबकि **मूल्य में गिरावट के बाद कंपनियाँ** खरीद से इनकार कर सकती हैं, जिससे किसान बाज़ार से वंचित रह जाएंगे।
  - **भूमि के स्वामित्व पर प्रभाव:** कंपनियाँ प्रायः कृषि निवेश की सभी वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं, जिससे किसानों के **पास देने के लिये केवल भूमि और श्रम ही बचता है। इससे कंपनियों द्वारा ज़बरन कृषि कराने** और **अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का अधिग्रहण किये जाने** जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **पर्यावरण क्षरण: गहन अनुबंध कृषि अत्यधिक जल उपयोग, एकल फसल** से संबंधित संक्रमण, तथा कीटनाशक और उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है।
  - **खाद्य असुरक्षा: किसान खाद्य फसलों** की कीमत पर अनुबंध कृषि के लिये **उच्च मूल्य वाली नकदी** फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे स्थानीय **खाद्य सुरक्षा** प्रभावित हो सकती है ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विधिक स्थिति:**
  - **मॉडल APMR (कृषि उपज विपणन विनियमन) अधिनियम, 2003:** इसने अनुबंध फर्मों के लिये **अनिवार्य पंजीकरण, विवाद समाधान, बाज़ार शुल्क में छूट** और अनुबंधों के तहत किसानों के भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की शुरुआत की।
  - **मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018:** प्रमुख प्रावधानों में **अनुबंध कृषि के कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तरीय प्राधिकरण**, FPO को बढ़ावा देना, **अनुबंधित उपज** के लिये बीमा शामिल हैं।

भारत में आलू उत्पादन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **आलू:** आलू एक **स्टार्चयुक्त जड़** वाली सब्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के **पेरूवियन-बोलिवियन एंडीज क्षेत्र में हुई थी।**
  - आलू के लिये **भुरभुरी, छिद्रयुक्त, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी** की आवश्यकता होती है।
- **आलू उत्पादन:** भारत विश्व में **चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा** आलू उत्पादक है।
  - **शीर्ष उत्पादक: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार।**
  - **आलू की कुफरी किस्म** केंद्रीय **आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI), शिमला** द्वारा विकसित की गई थी ।
- **कानूनी विवाद (*पेप्सिको बनाम भारतीय किसान मामला*):** **वर्ष 2016** में, पेप्सिको ने गुजरात में किसानों के खिलाफ **मुकदमा दायर किया, उन पर FL 2027** (आलू की किस्म) की **अनधिकृत खेती** का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।
- **कानूनी विवाद (पेप्सिको बनाम भारतीय किसान मामला):** 2016 में, पेप्सिको ने गुजराती किसानों पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे बिना अनुमति के आलू की किस्म FL 2027 की खेती कर रहे थे तथा भुगतान की मांग कर रहे थे।
  - वर्ष 2024 में, **दिल्ली उच्च न्यायालय ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत पेप्सिको के FL 2027 पंजीकरण को बहाल कर दिया, जिससे विवाद फिर से शुरू हो गया।

आगे की राह

- **किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना:** सरकार को **छोटे भूमिधारकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने** और उनके शोषण को कम करने में मदद करने के लिये **FPO** तथा सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिये।
- **भूमि सुधार कार्यक्रम: भूमि पट्टे और अनुबंधों तक पहुँच को आसान बनाने**, स्वामित्व के मुद्दों का समाधान करने तथा छोटे किसानों को अनुबंध कृषि में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिये **भूमि समेकन** जैसे भूमि सुधार कार्यक्रमों को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **उत्पाद-विशिष्ट रणनीतियाँ: नीति निर्माताओं को विभिन्न फसलों, क्षेत्रों एवं बाज़ार की ज़रूरतों के लिये** विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में लाभ को अधिकतम करने के क्रम में **अनुबंध कृषि** रणनीतियाँ अपनानी चाहिए।
- **किसानों के हितों की सुरक्षा:** विधिक ढाँचे के तहत **विवाद समाधान तंत्र एवं स्पष्ट, निष्पक्ष और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों** को सुनिश्चित करके किसानों को शोषण से बचाना चाहिए।
- **फर्मों के साथ साझेदारी:** सरकार को किसानों के हितों को किसानों के कल्याण के साथ जोड़ने, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं जोखिम कम करने के क्रम में **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कृषि व्यवसायों** के साथ साझेदारी करनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित लाभों और चिंताओं का परीक्षण कीजिये। नीतिगत सुधार से इन चिंताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय समाज

भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी (GBD) 2021 से पता चला है कि पिछले दशकों में **भारत की कुल प्रजनन दर (TFR)** में काफी गिरावट आई है।

- इससे **सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों** को लेकर चिंताएँ (विशेषकर दक्षिणी राज्यों में) पैदा हुई हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **भारत की प्रजनन प्रवृत्तियाँ:** भारत की TFR, **1950 के दशक के 6.18 से घटकर वर्ष 2021 में 1.9 हो गई,** जो **2.1 के प्रतिस्थापन स्तर** से कम है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2100 तक भारत में कुल प्रजनन दर और भी गिरकर 1.04 **(प्रति महिला मात्र एक बच्चा)** हो जाएगी।
- **भारत में क्षेत्रीय विविधताएँ: केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों** ने उत्तरी राज्यों की तुलना में **प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता पहले** ही हासिल कर ली।
  - वर्ष 2036 तक केरल की वृद्ध आबादी **बच्चों (23%)** से अधिक हो जाने की उम्मीद है। **उच्च श्रम मज़दूरी, जीवन की गुणवत्ता और आंतरिक प्रवास** के कारण **वर्ष 2030 तक** प्रवासी मज़दूरों की संख्या 60 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है (राज्य की आबादी का लगभग छठा भाग)।
  - जनसांख्यिकीय बदलाव **उच्च साक्षरता, महिला सशक्तीकरण** तथा **सामाजिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रगति** से प्रेरित था।
- **प्रजनन क्षमता में कमी के कारण:**
  - **सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारक:** भारत में **जन्म नियंत्रण/परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पुराने कार्यक्रमों** में से एक है, लेकिन **महिला साक्षरता, कार्यबल में भागीदारी और महिला सशक्तिकरण** जैसे कारकों का प्रजनन दर में कमी पर अधिक प्रभाव पड़ा है।
    - **विवाह और प्रजनन के प्रति बदलते दृष्टिकोण,** जिसमें **विवाह और मातृत्व में देरी या परहेज** शामिल है, ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **स्वास्थ्य एवं प्रवासन मुद्दे: पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन** के बढ़ते मामले इस गिरावट में योगदान करते हैं।
    - **गर्भपात** की उपलब्धता और **सामाजिक स्वीकृति** ने संभवत: प्रजनन दर में गिरावट में योगदान दिया है।
    - अधिकाधिक युवा लोग **शिक्षा और नौकरी के लिये विदेश जा रहे हैं** और वहीं बस रहे हैं, जिससे भारत में प्रजनन दर कम हो रही है।

कुल प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर

- **कुल प्रजनन दर (TFR):** TFR **उन बच्चों की औसत संख्या है जो महिलाओं के एक समूह के प्रजनन वर्षों (15 से 49 वर्ष की आयु)** के अंत तक हो सकते हैं, यदि वे अपने पूरे जीवन में वर्तमान प्रजनन दरों का पालन करें, **यह मानते हुए कि कोई मृत्यु दर नहीं है। इसे प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है।**
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)** (2019-21) के अनुसार, TFR 2.2 बच्चों प्रति महिला (NFHS-4 (2015-16)) **से घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला** हो गई है।
- **प्रतिस्थापन स्तर:** 2.1 की कुल प्रजनन दर को **प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है,** जहाँ प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्त्वपूर्ण **जनसंख्या वृद्धि या गिरावट** के स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेती है।
- हालाँकि, **2.1 से कम कुल प्रजनन दर (TFR)** नकारात्मक **जनसंख्या वृद्धि का कारण** बन सकती है, जिससे संभावित रूप से **दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ** पैदा हो सकती हैं, जिसमें **वृद्ध होती जनसंख्या** भी शामिल है।

निम्न प्रजनन दर के परिणाम क्या हैं?

- **वृद्ध होती जनसंख्या:** निम्न जन्म दर और **दीर्घ जीवन प्रत्याशा** के कारण जनसंख्या **तेज़ी से वृद्ध हो रही है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत में वर्तमान में **60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% है।** वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर **347 मिलियन या जनसंख्या का 20.8%** हो जाने की उम्मीद है।
- **आर्थिक प्रभाव: युवा कार्यबल में कमी और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है तथा सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर** दबाव बढ़ रहा है।
  - **पेंशन और वृद्धजनों की देखभाल** की बढ़ती लागत से सरकार और परिवार दोनों पर बोझ पड़ेगा।
  - विकसित देशों के विपरीत, **जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धावस्था का अनुभव किया गया, भारत को समान आर्थिक सुख-सुविधा के बिना वृद्धावस्था** की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  - यदि भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र विकास को कायम नहीं रख पाती है तो उसके **मध्य आय के जाल** में फंसने का खतरा है।
- **श्रम बाज़ार पर प्रभाव:** प्रजनन क्षमता में गिरावट से **कार्यबल में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादकता** पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रजनन स्तर में गिरावट से निपटने के लिये वैश्विक दृष्टिकोण:

- **जर्मनी:** उदार श्रम कानून, पैतृक अवकाश और लाभों से जन्म दर बढ़ाने में सफलता मिली है।
- **डेनमार्क:** 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिये राज्य-वित्तपोषित **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार** प्रदान करता है।
- **रूस और पोलैंड:** रूस अधिक बच्चों वाले परिवारों को **एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन** तथा पोलैंड एक से अधिक बच्चों वाले परिवारों को नकद भुगतान प्रदान करता है।

आगे की राह

- **नीतिगत समायोजन:** भारत उपयुक्त **श्रम नीतियों** को अपनाकर जर्मनी और डेनमार्क का अनुकरण कर सकता है तथा **कार्य-जीवन संतुलन** में सुधार के लिये माता-पिता को लाभ प्रदान कर सकता है एवं **कार्यरत माता-पिता को सहयोग देकर** प्रजनन दर बढ़ाने में योगदान दे सकता है।
  - एक बालक के भरण-पोषण में **30 लाख से 1.2 करोड़ रुपए का व्यय होता है,** जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवार हतोत्साहित हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिये, **शिक्षा को संवहनीय बनाया जाना चाहिये, कौशल बेमेल की समस्या का निवारण करने हेतु डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा** के साथ सार्वजनिक संस्थानों को प्रगत किया जाना चाहिये और सब्सिडी एवं कर लाभ प्रदान किये जाने चाहिये।
  - नीति निर्माताओं को **वृद्ध होती जनसंख्या को सहायता प्रदान** करते हुए **आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होगा** अन्यथा **जनांकिकीय लाभांश** आपदा में परिणत हो सकता है।
- **स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना: सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0** योजनाओं के माध्यम से माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति करना और साथ ही कल्याण के लिये बाल देखभाल संस्थानों को बढ़ावा देना तथा **प्रसवपूर्व अभिघात** सहायता, अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - **मातृ स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करने हेतु तेलंगाना में गर्भावस्था किटों के वितरण** जैसी पहलों का विस्तार करने से समग्र भारत में प्रजनन दर में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।
- **प्रजनन सहायता:** कॅरियर की प्रगति को प्रभावित किये बिना बालकों के अनुपात को बढ़ाने के लिये संवहनीय IVF प्रदान करने और **सरोगेसी** को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर घटती प्रजनन दर के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। इस प्रवृत्ति में पूर्णतया परिवर्तन लाने हेतु कौन-से नीतिगत उपाय कार्यान्वित किये किये जा सकते हैं?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय इतिहास

सुभाष चंद्र बोस की विरासत

चर्चा में क्यों?

पराक्रम दिवस 2025 के अवसर पर, **संस्कृति मंत्रालय** नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली **कटक** में बाराबती किले में **23 जनवरी से 25 जनवरी 2025** तक एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहा है।

- **21 जनवरी** को **इंडियन नेशनल आर्मी** के संस्थापक नेता **रास बिहारी बोस की 80 वीं पुण्यतिथि** थी, जिनके साथ **सुभाष चंद्र बोस** जुड़े थे।

पराक्रम दिवस क्या है?

- **परिचय:** पराक्रम दिवस भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** की जयंती के उपलक्ष्य में **23 जनवरी** को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
  - पराक्रम दिवस 2025 **सुभाष चंद्र बोस (SC बोस) की 128 वीं जयंती** पर मनाया जा रहा है।
- **विगत समारोह:**
  - **वर्ष 2021:** पहला पराक्रम दिवस **कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल** में आयोजित किया गया।
  - **वर्ष 2022:** इंडिया गेट, नई दिल्ली पर नेताजी की **होलोग्राम प्रतिमा** का अनावरण किया गया।
  - **वर्ष 2023: अंडमान और निकोबार** के 21 द्वीपों का नाम **मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह** आदि **परमवीर चक्र** पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया।
  - **वर्ष 2024:** इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया, जो **INA का ट्रायल स्थल** था।
- **महत्त्व:** यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के **साहस, वीरता और देशभक्ति** का प्रतीक है, जिन्होंने **इंडियन नेशनल आर्मी (INA)** का नेतृत्व किया और पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।
  - यह नेताजी के प्रसिद्ध नारे, **"तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा"** की भी याद दिलाता है, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरित किया था।

SC बोस के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **प्रारंभिक जीवन:** वर्ष 1897 में **कटक (अब ओडिशा में,** तब बंगाल में) में जानकीनाथ और प्रभावती बोस के घर जन्मे नेताजी का पालन-पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ, जो **अंग्रेज़ी शिक्षा और हिंदू रीति-रिवाजों** को महत्त्व देता था।
  - उन्होंने **रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल** में शिक्षा प्राप्त की और बाद में **कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज** में अध्ययन किया, जहाँ वे **ब्रिटिश विरोधी सक्रियता** में शामिल हो गये।
- **वैचारिक आधार:** वह **रामकृष्ण परमहंस** और **स्वामी विवेकानंद** की शिक्षाओं के साथ-साथ **बंकिम चंद्र चटर्जी के** *आनंद मठ* के विषयों से भी प्रेरित थे।
  - उन्होंने **पश्चिमी और भारतीय संस्कृतियों** का एक अनूठा संश्लेषण विकसित किया, जो भारत की स्वतंत्रता और पुनरुत्थान पर केंद्रित था।
- **प्रारंभिक राजनीतिक भागीदारी:** एस.सी. बोस ने **वर्ष** 1920 **में भारतीय सिविल सेवा** परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में** शामिल होने के लिये उन्होंने **वर्ष 1921 में इस्तीफा** दे दिया।
  - **वर्ष** 1921 में नेताजी ने **बम्बई में महात्मा गांधी** से मुलाकात की लेकिन स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण (विशेषकर उनके **धैर्य एवं अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता**) से वह असहमत थे।
- **कॉन्ग्रेस से मतभेद: वर्ष** 1938 में नेताजी **हरिपुरा अधिवेशन में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष चुने गए** और उन्होंने **स्वराज की वकालत की** तथा **भारत सरकार अधिनियम,** 1935 के तहत **भारतीय संघ** का विरोध किया।
  - **वर्ष** 1939 में नेताजी **त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी समर्थित डॉ पट्टाभि सीतारमैया को** हराकर कॉन्ग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। गांधी ने इसे **व्यक्तिगत हार** के रूप में देखा जिसके कारण जेएल नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सहित **कार्यकारिणी समिति के 15 सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा** दे दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

जन्म

- 23 जनवरी, 1897 ('पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है)

आपदा प्रबंधन में भारत में व्यक्तियों/संगठनों द्वारा प्रदान की गई निस्वार्थ सेवा सम्मानित करने हेतु हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है।

आरंभिक जीवन

- इंडियन सिविल सर्विसेज़ (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की (1919) लेकिन बाद में त्याग-पत्र दे दिया
- स्वामी विवेकानन्द को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे
- समाचार पत्र- स्वराज

कॉन्ग्रेस (INC) में राजनीतिक जीवन

- बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्व-शासन का समर्थन किया
- वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते (वर्ष 1931) पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया
- हरिपुरा (1938) और त्रिपुरी (1939) में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता
- गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण कॉन्ग्रेस से इस्तीफा दिया (1939)
- राजनीतिक वामपंथ को मज़बूत बनाने हेतु एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना

आज़ाद हिन्द फौज़/इंडियन नेशनल आर्मी (INA)

- जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया

उन्होंने 'जय हिन्द' का नारा भी दिया

- अक्तूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार और INA के गठन की घोषणा की
- INA ने इंफाल (भारत) और बर्मा में मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया (1944)

इंडियन नेशनल आर्मी का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलय (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था।

मृत्यु

- ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1945 में उस समय उनका निधन हो गया जब उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

- **बोस ने एक नई कार्यसमिति** बनाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे , जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पर **राजेंद्र प्रसाद** को नियुक्त किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- बोस ने **29 अप्रैल 1939** को पार्टी के अध्यक्ष पद से **इस्तीफा दे दिया** और स्वतंत्रता के बाद साम्राज्यवाद-विरोध एवं समाजवाद पर आधारित **वैकल्पिक नेतृत्व की** पेशकश करते हुए **उग्र-वामपंथी कॉन्ग्रेस सदस्यों** को एकजुट करने के लिये **फॉरवर्ड ब्लॉक** का प्रस्ताव रखा।
- **मृत्यु: द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान **हिरोशिमा एवं नागासाकी** पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद, **16 अगस्त 1945** को जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बोस ने जापानी विमान से दक्षिण पूर्व एशिया छोड़कर चीन की ओर प्रस्थान किया। हालांकि, विमान कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एससी बोस **बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए**, लेकिन कुछ विवरणों के अनुसार वे अभी भी जीवित हैं।
- **विरासत:** बोस के नेतृत्व, विचारधारा और **पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान** ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एस.सी बोस की भूमिका क्या थी?

- **क्रांतिकारी भूमिका: बोस को वर्ष** 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले कि वे **कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी** को समर्पित स्मारक को हटाने के लिये अभियान चला पाते, जहाँ **20 जून 1756** (**प्लासी के युद्ध** से एक वर्ष पूर्व) को 123 **यूरोपीय** मारे गए थे।
  - **वर्ष 1941** में पहचान बदलकर भारत से भागना, स्वतंत्रता के लिये उनके अथक प्रयास को दर्शाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन: यूरोप** पहुँचने के बाद बोस ने **नाज़ी जर्मनी, सोवियत संघ** और बाद में एशिया में **इंपीरियल जापान** से समर्थन मांगा, यह देश **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान ब्रिटेन को हराने में रुचि रखते थे।
  - बोस को **आज़ाद हिंद रेडियो** शुरू करने की अनुमति दी गई और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों द्वारा पकड़े गए कुछ हज़ार भारतीय युद्ध बंदी भी दिये गए।
- **दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा: फरवरी** 1943 में बोस और उनके सहयोगी **आबिद हसन** एक पनडुब्बी में जर्मनी से चले और **अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप तथा हिंद महासागर को पार करते हुए टोक्यो** पहुँचे। इस दौरान उन्होंने **90 दिनों की दुर्गम यात्रा** पूरी की।
- **आजाद हिंद फौज (INA): INA** का गठन **वर्ष** 1942 में हुआ था। इसमें जापान द्वारा कैदी बनाए गए कई **भारतीय युद्ध बंदी** शामिल थे तथा उन्हें जापानी सैनिकों का समर्थन प्राप्त था।
  - **चलो दिल्ली अभियान** के तहत, बोस के नेतृत्व में INA ने **भारत-बर्मा सीमा** पार की और **मार्च 1944 में इम्फाल और कोहिमा** की ओर कूच किया। हालाँकि, जापान की हार के साथ यह **इम्फाल** में समाप्त हो गया।
  - प्रारंभ में, **कैप्टन मोहन सिंह** को आई.एन.ए. का कमांडर नियुक्त किया गया था।
- **आज़ाद हिंद सरकार:** अक्तूबर 1943 में बोस ने सिंगापुर में **आज़ाद हिंद की अंतः कालीन सरकार** की स्थापना की। जनवरी 1944 में इसका मुख्यालय रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया।
  - इसे **9 देशों** अर्थात् **जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया और चीन गणराज्य** (वांग जिंगवेई के अधीन) द्वारा मान्यता दी गई।
- **INA महिला रेजिमेंट:** बोस ने **झाँसी की रानी रेजिमेंट** का भी गठन किया, जिसमें महिलाएँ शामिल थी, जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में पुरुषों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।
- **आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग: शाह नवाज़ खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों** पर किये गए अभियोग के दौरान लोगों की राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर थी, जिससे यह **ब्रिटिश** राज के खिलाफ **हिंसक टकराव** में परिणत हुआ।
  - INA अभियोग, **1945 से 46** में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आयोजित **सैन्य अधिकरणों की एक शृंखला थी**, जिसमें आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों पर **राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गांधी जी और बोस के बीच क्या वैचारिक मतभेद थे?

पहलू	महात्मा गांधी	सुभाष चंद्र बोस
विचारधारा	गांधी के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन के रूप में **अहिंसा और सत्याग्रह** आवश्यक हैं।	**बोस उग्रवादी प्रतिरोध** के समर्थक थे तथा इनके अनुसार **हिंसक प्रतिरोध** से ही भारत स्वतंत्र हो सकता था।
साधन और साध्य	गांधी ने वांछनीय उद्देश्यों के लिये अनैतिक तरीकों का उपयोग करने के विचार को अस्वीकार करते हुए **नैतिक साधनों** पर ज़ोर दिया।	**कार्रवाई के परिणाम** पर ध्यान केंद्रित किया और इसके अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के लिये **धुरी शक्तियों** (जर्मनी और जापान) के साथ गठबंधन भी किया।
सरकार की संरचना	**आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों के साथ विकेंद्रीकरण** की मांग की और साथ ही राज्य के न्यूनतम नियंत्रण का समर्थन किया।	समाजवादी योजना के साथ एक **सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का समर्थन किया और इनके अनुसार प्रारंभ में एक सत्तावादी प्रणाली** आवश्यक थी।
आर्थिक दृष्टि	**औद्योगीकरण** और वृहद स्तर के मशीनीकरण का विरोध किया और एक आत्मनिर्भर, ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था की वकालत की।	आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिये **आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण और वैज्ञानिक विकास** का समर्थन किया।
जाति और अस्पृश्यता	उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, लेकिन सामाजिक समरसता के लिये **वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और जाति-आधारित कर्तव्यों** की वकालत की।	**जाति व्यवस्था का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और जातविहीन, समतावादी समाज** और अंतर्जातीय ववािह की वकालत की।
सैनिक शासन	**सैन्यवाद का विरोध किया और न्यूनतम रक्षात्मक बल** में विश्वास किया तथा शांति एवं अहिंसा पर ज़ोर दिया।	**सैन्य अनुशासन की** प्रशंसा की; ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिये इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की।
शिक्षा	बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) का समर्थन किया, जिसमें **नैतिकता, आत्मनिर्भरता** और स्थानीय शिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।	औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास के लिये **तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों** में उच्च शिक्षा पर ज़ोर दिया गया।
ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण	ब्रिटिशों के साथ सहयोग को अस्वीकार कर दिया, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और **फासीवादी शक्तियों के साथ गठबंधन** का विरोध किया।	**ब्रिटिश पाखंड की आलोचना** की और भारत की स्वतंत्रता के लिये उनकी कमज़ोरियों का फायदा उठाने के लिये **धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन** की मांग की।
स्वतंत्रता के लिये विजन	शासन के प्रति नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ **अहिंसक सविनय अवज्ञा** के माध्यम से स्वराज का समर्थन किया।	**क्रांतिकारी कार्रवाई के माध्यम से तत्काल स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण** के लिये समाजवादी मॉडल की मांग की।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

- **भारत में आपदा प्रबंधन** के क्षेत्र में **व्यक्तियों और संगठनों** द्वारा दिये गए **अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा** को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिये **वर्ष 2018** में वार्षिक **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार** की स्थापना की गई है।
- इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक **वर्ष 23 जनवरी** को की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- इसमें संस्थान के लिये **51 लाख रुपए** का नकद पुरस्कार और **प्रमाण पत्र** तथा व्यक्तिगत पुरस्कार के लिये **5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र** दिया जाता है।

रास बिहारी बोस के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **बंगाल में जन्मे रास बिहारी बोस** युवावस्था से ही **क्रांतिकारी आदर्शों** से प्रेरित थे और 16 **वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।**
- **क्रांतिकारी गतिविधियाँ: अलीपुर बम कांड (1908)** के दौरान उन्हें प्रसिद्धि मिली, तथा वर्ष 1912 में **वायसराय चार्ल्स हार्डिंग** की हत्या की साजिश में उन्होंने भाग लिया।
  - वर्ष 1913 में रास बिहारी बोस की मुलाकात **जतिन मुखर्जी (बाघा जतिन) से हुई,** जिनके मार्गदर्शन में बोस भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़ने के लिये और अधिक दृढ़ हो गए।
  - वह **गदर आंदोलन** में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप मे उभरकर सामने आए, जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था।
  - **वर्ष** 1924 में जापान में रास बिहारी बोस की मुलाकात **सुभाष चंद्र बोस से हुई,** जिसमें **वीर सावरकर** ने सहयोग किया।
- **जापान पलायन: ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से बचकर, उन्होंने वर्ष** 1915 में भारत छोड़ दिया और अंततः जापान में शरण ली।
  - **वर्ष 1924 में,** उन्होंने जापान में **भारतीय स्वतंत्रता लीग (आईआईएल)** की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिये भारतीयों को संगठित करना तथा लामबंद करना था।
- **आज़ाद हिंद फौज: वर्ष 1942** में रासबिहारी बोस ने भारत की आज़ादी के लिये लड़ने के लिये **आज़ाद हिंद फौज का गठन किया।**
  - उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को पहचानते हुए, आई.एन.ए. का नेतृत्व **सुभाष चंद्र बोस** को सौंप दिया।

निष्कर्ष:

सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस दोनों की विरासत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करती रही है। **सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, जबकि रास बिहारी बोस** ने इसकी नींव रखी तथा **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** के लिये क्रांतिकारियों को एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की स्वतंत्रता के लिये सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न था?

76वाँ गणतंत्र दिवस

चर्चा में क्यों?

भारत ने अपना 76वाँ **गणतंत्र दिवस** (26 जनवरी 2025) ***'स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास'*** थीम के साथ मनाया, जिसमें सैन्य शक्ति, विकास और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि **इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो** थे।

- भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है जो **26 जनवरी** 1950 को **भारतीय संविधान** के अंगीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिससे भारत एक गणराज्य बना, जो इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विरासत को दर्शाता है।

2025 गणतंत्र दिवस की झाँकी के मुख्य आकर्षण क्या हैं?

- **तीनों सेनाओं की संयुक्त झाँकी:** पहली बार **तीनों सेनाओं की संयुक्त झाँकी प्रदर्शित की गई, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना** के बीच तालमेल को रेखांकित किया गया।
  - ***'सशक्त और सुरक्षित भारत'*** थीम पर आधारित इस झाँकी में थल, जल और वायु में तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाया गया।
  - झाँकी में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे **अर्जुन मेन बैटल टैंक, तेजस MKII लड़ाकू विमान, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर** और **INS विशाखापत्तनम विध्वंसक** को प्रदर्शित किया गया।
- **DRDO की झाँकी:** ***'रक्षा कवच-बहु-क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहु-स्तरीय सुरक्षा'*** थीम पर आधारित, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस झाँकी में **सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल**, मीडियम पावर रडार- अरुधरा, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, **एडवांस्ड लाइट टारपीडो**, **धर्मशक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली** और स्वदेशी **मानव रहित वायवीय प्रणाली** जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये देशज रूप से विकसित रक्षा प्रौद्योगिकियों पर भारत के फोकस को उजागर करता है।

राज्यों की झाँकी:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विषय
आंध्र प्रदेश	"**एटिकोप्पका बोम्मलु**- पर्यावरण-अनुकूल लकड़ी के खिलौने"
बिहार	"**स्वर्णिम भारत:** विरासत और विकास (नालंदा विश्वविद्यालय)" ● इसमें क्षेत्र की समृद्ध **बौद्ध विरासत** को दर्शाया गया।
चंडीगढ़	"चंडीगढ़: विरासत, नवाचार और स्थिरता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण" ● फिल्म निर्माण में शहर की भूमिका को दर्शाया गया।
दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	" **कुकरी मेमोरियल** के साथ दमन **एवियरी बर्ड पार्क**- भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों को श्रद्धांजलि"
दिल्ली	"गुणवत्ता की शिक्षा"
गोवा	"गोवा की सांस्कृतिक विरासत" ● स्थानीय विरासत के साथ पर्यटन को जोड़ते हुए **दिविजा उत्सव और कावी कला रूपों का प्रदर्शन किया गया** ● '**पर्ल ऑफ द ओरिएंट**' के नाम से प्रसिद्ध गोवा अपनी सुंदरता, संस्कृति, समुद्र तटों और आतिथ्य के लिये प्रसिद्ध है।
गुजरात	" **स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास**" ● वडनगर से 12वीं शताब्दी के **कीर्ति तोरण (मेहराब)** और **C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट** का प्रदर्शन किया गया।
हरियाणा	**भगवत गीता** और कृष्ण के उपदेशों का प्रदर्शन किया गया
कर्नाटक	लक्कुंडी: पत्थर शिल्प का उद्गम स्थल। ● कर्नाटक के गडग ज़िले में स्थित लक्कुंडी एक महत्त्वपूर्ण **जैन केंद्र** है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ **सोमेश्वर और जैन बसदी** जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो **चालुक्य वंश** के समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ● यह राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है तथा इसे **UNESCO विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची** में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
मध्यप्रदेश	"मध्यप्रदेश का गौरव: **कुनो राष्ट्रीय उद्यान- चीतों का स्थल**"
पंजाब	"पंजाब ज्ञान और बुद्धि की भूमि है"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

त्रिपुरा	"शाश्वत श्रद्धा: त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा - खर्ची पूजा"
उत्तर प्रदेश	"महाकुंभ 2025 - स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास" ● इसमें प्रयागराज में महाकुंभ और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम (**त्रिवेणी संगम**) के उत्सव को दर्शाया गया है।
उत्तराखंड	"उत्तराखंड: सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल"
पश्चिम बंगाल	" 'लक्ष्मी भंडार' और 'लोक प्रसार प्रकल्प' - बंगाल में जीवन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना"

76 वें गणतंत्र दिवस की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **पद्म पुरस्कार: 76वें** गणतंत्र दिवस पर 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किये गए। इसमें **पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं**।
  - 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
  - उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिये पद्म भूषण तथा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है।
  - **पद्म पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस** के अवसर पर की जाती है।
- **वीरता पुरस्कार और रक्षा अलंकरण:** राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के** 93 कार्मिकों को वीरता पुरस्कार प्रदान किये।
  - इसमें **कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बार टू सेना पदक, सेना पदक, नौसेना पदक और वायु सेना पदक शामिल हैं।**
  - वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार, **गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है।**
- **वीरता पुरस्कार:**
  - **युद्धकालीन पुरस्कार:** ये पुरस्कार मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिये दुश्मन के सामने बहादुरी के लिये दिये जाते हैं।
    - उल्लेखनीय पुरस्कारों में **परमवीर चक्र, महावीर चक्र** और **वीर चक्र शामिल हैं**।
  - **शांतिकालीन पुरस्कार:** ये पुरस्कार गैर-युद्धकालीन स्थितियों में बहादुरी को मान्यता देते हैं और इसमें **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र** और **शौर्य चक्र शामिल हैं**।
    - ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और नागरिकों को प्रदान किये जा सकते हैं।
  - **अन्य वीरता पुरस्कार:** सेना **पदक (वीरता)** भारतीय सेना में विशिष्ट सेवा के लिये दिया जाता है, तथा इसके बाद बहादुरी के कार्यों के लिये **सेना पदक (वीरता) भी दिया जाता है।**
    - नौसेना **पदक (वीरता) नौसेना** में साहस या कर्त्तव्य के लिये प्रदान किया जाता है , जबकि **वायु सेना पदक (वीरता) वायु सेना** में बहादुरी या असाधारण सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **रक्षा अलंकरण:** राष्ट्रपति ने **परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, बार टू सेना पदक, सेना पदक (कर्तव्य के प्रति समर्पण) नौ सेना पदक, वायु सेना पदक, बार टू विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक समेत 305 रक्षा अलंकरण प्रदान किये जाते हैं।**
  - **परम विशिष्ट सेवा पदक:** असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं।
  - **उत्तम युद्ध सेवा पदक:** युद्ध या संघर्ष के दौरान विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
  - **अति विशिष्ट सेवा पदक:** असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं।
  - **युद्ध सेवा पदक:** युद्ध या शत्रुता के दौरान विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
  - **सेना पदक (कर्त्तव्य के प्रति समर्पण):** यह सम्मान सेना पदक प्राप्तकर्त्ताओं को कर्त्तव्य के अतिरिक्त और अधिक कार्यों के लिये दिया जाता है।
  - **विशिष्ट सेवा पदक:** उच्च कोटि की सेवा, जिसे एक से अधिक बार सम्मान प्राप्त करने पर रिबन पर एक 'बार' द्वारा अंकित किया जाता हैं।
- **PTM और TM पदक:** राष्ट्रपति ने 76 वें गणतंत्र दिवस पर **भारतीय तटरक्षक कर्मियों** को **राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (PTM)** और **तटरक्षक पदक (TM) प्रदान किये।**
  - ये पुरस्कार उनकी विशिष्ट वीरता, कर्त्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट/मेधावी सेवा को मान्यता देते हैं।
- **सेवा कार्मिक:** पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा (HG&CD), और सुधार सेवाओं के कुल 942 कार्मिकों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
- **पुलिस वीरता पदक:** वर्ष में दो बार घोषित किये जाने वाले ये पदक **पुलिस कर्मियों की बहादुरी और अनुकरणीय आचरण के प्रदान किये जाते हैं।**
- वीरता के लिये राष्ट्रपति पदक जीवन बचाने या अपराध रोकने में असाधारण साहस के लिये प्रदान किया जाता है, जबकि वीरता के लिये पुलिस पदक कर्त्तव्य के दौरान बहादुरी के कार्यों पर प्रदान किया जाता है।
  - **विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम):** यह विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है।
  - **सराहनीय सेवा पदक (MSM):** यह **पदक** कर्त्तव्य के प्रति समर्पण और निष्ठा से युक्त बहुमूल्य सेवा के लिए दिया जाता है।
- **जीवन रक्षा पदक पुरस्कार:** 76वें गणतंत्र दिवस पर, जीवन बचाने में नागरिकों की बहादुरी को मान्यता देते हुए 49 **जीवन रक्षा पदक पुरस्कार** प्रदान किए गए।
  - यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: **सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षा पदक।**
  - **सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक:** अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए विशिष्ट साहस हेतु।
  - **उत्तम जीवन रक्षा पदक:** किसी बड़े खतरे में जीवन बचाने के लिए साहस और त्वरित कार्रवाई हेतु।
  - **जीवन रक्षा पदक:** गंभीर शारीरिक चोट की स्थिति में जीवन बचाने के लिए साहस और त्वरित कार्रवाई हेतु।

नोट: केरल के मन्नान समुदाय के आदिवासी राजा, रमन राजमन्नन ने कर्त्तव्य पथ पर आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया, यह पहला अवसर था जब किसी **मन्नान राजा** ने इसमें भाग लिया।

- मन्नान समुदाय में लगभग 3,000 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से केरल के इडुक्की ज़िले के 46 बस्तियों में बँटे हुए हैं।
  - इस समुदाय की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई, जहाँ उनके पूर्वज **चोल-पांड्य युद्ध** के दौरान भाग गए थे और इडुक्की के जंगलों में शरण ली थी और वहाँ एक छोटा सा राज्य बनाया था।
  - मन्नान समुदाय एक पारंपरिक प्रणाली द्वारा शासित होता है, जिसमें **मन्नान राजा शीर्ष** पर होता है, जिसे **मंत्रिपरिषद (कानी)** एवं **प्रतिनिधियों (उप राजा)** का समर्थन प्राप्त होता है।
  - मन्नान **जनजाति में मातृवंशीय प्रणाली का पालन** किया जाता है, जिसमें वंश और उत्तराधिकार माँ से प्रेरित होता है। इसमें **36 उप-जातियाँ** हैं और **सदस्य अक्सर समुदाय के बाहर विवाह करते हैं (बहिर्विवाह)।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

गणतंत्र दिवस का क्या महत्त्व है?

- **गणतंत्र दिवस:** 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे **देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य** में परिवर्तित हुआ।
  - संविधान को **संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949** को अपनाया गया था।
  - यह **दिन, संविधान** में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने तथा **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा** के उपलक्ष्य में चुना गया था।
- **पूर्ण स्वराज की घोषणा (1930): 19 दिसंबर 1929** को कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में **'पूर्ण स्वराज' (पूर्ण स्वतंत्रता) प्रस्ताव** पारित किया।
- 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें कॉन्ग्रेस ने भारतीयों से इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया।
  - वर्ष 1930 से **1947 तक 26 जनवरी** को पूर्ण संप्रभुता की प्राप्ति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया।
- **ध्वजारोहण:** गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति **राष्ट्रीय ध्वज** फहराते हैं, जो देश के ब्रिटिश उपनिवेश से संप्रभु गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है।
  - झंडे को लपेटकर खंभे के शीर्ष पर लगा दिया जाता है और राष्ट्रपति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में इसे फहराते हैं।
  - इसके विपरीत, **स्वतंत्रता दिवस पर** प्रधानमंत्री **ध्वज को बॉटम से टॉप की ओर फहराते** हैं जो औपनिवेशिक शासन के बाद एक नए राष्ट्र, स्वतंत्रता और देशभक्ति के उदय का प्रतीक है।
    - यद्यपि ये कार्य समान हैं, फिर भी ये भिन्न ऐतिहासिक एवं प्रतीकात्मक संदर्भों के परिचायक हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. विश्लेषण कीजिये कि प्रस्तावना में शामिल शब्द 'गणराज्य' भारत की शासन संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है और इसका राष्ट्रीय नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

लौह युग और नगरीकरण

चर्चा में क्यों?

'एंटिक्विटी ऑफ आयरन: रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु ("Antiquity of Iron: Recent Radiometric Dates from Tamil Nadu") शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि **तमिलनाडु में लोहे का उपयोग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही** से शुरू हो गया था।

- **ऐसा माना जाता है कि भारत में लौह युग का उदय 1500 और 2000 ईसा पूर्व** के मध्य हुआ, **जो सिंधु घाटी सभ्यता (कांस्य युग)** के ठीक बाद का समय है।

लौह युग क्या है?

- **लौह युग: कांस्य युग** के बाद का **लौह युग** एक प्रागैतिहासिक काल है, जिसकी विशेषता औज़ारों, हथियारों और अन्य उपकरणों के लिये लोहे के व्यापक उपयोग थी।
  - लौह धातुकर्म में अयस्क प्राप्ति और उपकरण निर्माण सहित कई चरण शामिल हैं।
- **भारत में लोहे की प्राचीनता:**
  - **ऋग्वैदिक काल:** इस काल में लोहे का ज्ञान नहीं था।
  - **प्रारंभिक ऐतिहासिक काल: लौह शिल्पकला** का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध साहित्य और कौटिल्य के ***अर्थशास्त्र*** में मिलता है।
- **महत्त्वपूर्ण उत्खनन स्थल:**
  - **राजा नल का टीला (उत्तर-मध्य भारत):** पूर्व-NBP (उत्तरी काली पॉलिश) उत्खनन **(1400-800 ईसा पूर्व) में पाए गए लौह उपकरण** और धातु के तलछट।
  - **मल्हार (चंदौली, उत्तर प्रदेश): लौह औज़ारों, भट्टियों और धातु के तलछट के साक्ष्य** से पता चलता है कि यह एक महत्त्वपूर्ण लौह धातुकर्म केंद्र था।
- **सांस्कृतिक संघ:**
  - **काले और लाल मृदभांड (BRW):** इस प्रकार के मृदभांडों की विशेषता यह है कि इनके **अन्दरूनी भाग काले तथा बाहरी भाग लाल होते हैं,** जो इनवर्टिंग फायरिंग तकनीक से पकाए जाने के कारण होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह हड़प्पा संस्कृति (गुजरात), प्री-PGW संस्कृति (उत्तरी भारत) और मेगालिथिक संस्कृति (दक्षिणी भारत) में पाए जाते है।

- **चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) संस्कृति:** काले ज्यामितीय पैटर्न के साथ धूसर (ग्रे) मृदभांड इनकी विशेषता है।
  - **गंगा घाटी और दक्षिण भारतीय मेगालिथ (प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व)** के कई स्थलों पर लोहे की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए।
- **उत्तरी कलि पॉलिश वाले मृदभांड (NBPW) संस्कृति:** पहिये से बने मृदभांड जो **बारीक, काले और अत्यधिक पॉलिश वाले होते हैं**, जो उत्तर भारत में महत्त्वपूर्ण **मृदभांड** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- 700 ईसा पूर्व-100 ईसा पूर्व (NBPW संस्कृति) **के दौरान**, गंगा घाटी में राज्यों का गठन तथा **नगरीकरण का उदय हुआ।**
- **NBPW संस्कृति गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण (6ठी शताब्दी ईसा पूर्व)** से संबंधित थी, जिसके दौरान **बौद्ध धर्म** का विस्तार हुआ।

- **अहार ताम्रपाषाण संस्कृति:**
  - **मध्य चरण (2500-2000 ईसा पूर्व): लौह** कलाकृतियों के साक्ष्य।
  - **अंतिम चरण (2000-1700 ई.पू.): अधिक मात्र में** लोहे का उपयोग।
- **मेगालिथिक संस्कृति:** लोहे से जुड़े **मेगालिथ (प्रागैतिहासिक संरचना** के निर्माण के लिये **बड़े पत्थर का** उपयोग **), विंध्य** (दक्षिणी उत्तर प्रदेश), **विदिशा क्षेत्र** तथा **दक्षिण भारत** के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं।

मेगालिथिक संस्कृति का लोहे से संबंध

- **मेगालिथिक संस्कृति:** यह एक **प्रागैतिहासिक** चरण है, **जो दफनाने, पवित्र स्थानों और अनुष्ठानों** के लिये उपयोग किये जाने वाले **बड़े पत्थर की संरचनाओं** द्वारा चिह्नित है।
  - दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का लोहे के उपयोग की शुरुआत से गहरा संबंध है।
- **लोहे का उपयोग:** मेगालिथिक काल की कब्रों से लगभग **33 प्रकार** के लोहे के औजारों की पहचान की गई है। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जाता था:
  - **कृषि** : कुदालें, दरांती और कुल्हाड़ी।
  - **घरेलू उपयोग:** बर्तन/मृद भाड़ और तिपाई स्टैंड।
  - **कारीगरी गतिविधियाँ** : छेनी और कीलें।
  - **युद्ध और शिकार:** तलवारें, खंजर, भाले और तीर।
- **लोहे के उपयोग के उल्लेखनीय साक्ष्य:**
  - **नाइकुंड (विदर्भ): लोहा गलाने वाली भट्टी** की खोज।
  - **माहुरझारी (नागपुर):** तांबे की चादरों और लोहे की घुंडियों से बने घोड़े के सिर के आभूषणों को माहुरझरी (नागपुर) के नाम से जाना जाता है।
  - **पैयमपल्ली (तमिलनाडु):** भारी मात्रा में **लौह धातुमल,** जो स्थानीय लौह प्रगलन के साक्ष्य को दर्शाता है।
- **लौह प्रौद्योगिकी में उन्नति: लोगों द्वारा आग पर नियंत्रण तथा अयस्क से लोहा निकालने जैसी** प्रमुख तकनीकी का प्रयोग।

गंगा घाटी में नगरीकरण में लौह प्रौद्योगिकी ने कैसे मदद की?

- **नगरीकरण :** इतिहासकार और पुरातत्वविद् **गॉर्डन वी. चाइल्ड के अनुसार, शहरीकरण अधिशेष उत्पादन** पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप **शासक वर्ग, सामाजिक स्तरीकरण और स्मारकीय वास्तुकला** का विकास होता है।
  - इसका तात्पर्य **कृषि** -आधारित अर्थव्यवस्थाओं से **उद्योगों, सेवाओं और व्यापार** को आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में अपनाने से है।
- **लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका: गंगा घाटी** में **द्वितीय शहरीकरण (6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व) बस्तियों** के प्रसार द्वारा चिह्नित था तथा लौह प्रौद्योगिकी ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई:
  - **वनों की कटाई:** लोहे के औज़ारों के कारण **वनों की कटाई संभव हुई, जिससे कृषि योग्य** भूमि का निर्माण हुआ।
  - **कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** लौह के हल से **दक्षता और उत्पादकता** में वृद्धि हुई।
  - **कृषि अधिशेष: उत्पादकता** में वृद्धि ने **बड़ी आबादी** और समाजों को सहारा प्रदान किया।
  - भारत में पहला **नगरीकरण (2500 और 1900 ईसा पूर्व)** सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था।
- **नगरीकरण पर प्रभाव:** इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में **16 महाजनपदों** का विकास हुआ।
- **जनसंख्या वृद्धि:** कृषि अधिशेष ने **जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया,** जो शहरी केंद्रों के विकास के लिये आवश्यक था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बस्तियों का विकास:** बस्तियों की **संख्या और जटिलता में वृद्धि हुई,** जिससे एक स्पष्ट पदानुक्रम देखने को मिला।
- **सामाजिक स्तरीकरण और राज्य गठन:** अधिशेष उत्पादन ने **शासक वर्गों, सामाजिक पदानुक्रम (जैसे, *वर्ण* व्यवस्था)** और केंद्रीकृत शक्ति संरचनाओं के उद्भव को सक्षम किया।
- **व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता: अधिशेष ने लोगों को व्यापार और शिल्प** जैसी गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति दी, जिससे आर्थिक विविधीकरण तथा शहरी विकास को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष:

प्राचीन भारत में **शहरी केंद्रों के विकास** में लौह प्रौद्योगिकी ने, खासकर **गंगा घाटी में** महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया, **जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया, और सामाजिक पदानुक्रम तथा राज्य गठन को बढ़ावा दिया**, जो दूसरे नगरीकरण चरण के दौरान शहरीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. गंगा घाटी के नगरीयकरण में लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ सहभागिता

चर्चा में क्यों?

अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान, **सिंगापुर के राष्ट्रपति** ने **उन्नत पीढ़ी के तकनीकी समाधानों** के निर्माण में सहभागिता किये जाने के अतिरिक्त भारत में **सेमीकंडक्टर विनिर्माण** और **सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम** के विकास जैसी पहलों की संभावनाओं के अन्वेषण संबंधी योजनाओं की घोषणा की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

सिंगापुर का सेमीकंडक्टर परिदृश्य कैसा है?

- **आर्थिक योगदान:** सिंगापुर का सेमीकंडक्टर क्षेत्र का इसके **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान है।**
  - इसका विश्व के **अर्द्धचालक उत्पादन में** लगभग 10%, **वैश्विक वेफर निर्माण में 5%** और **अर्द्धचालक उपकरण उत्पादन** में **20% का योगदान है।**
- **वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति:** सेमीकंडक्टर क्षेत्र की प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने सिंगापुर में महत्त्वपूर्ण परिचालन स्थापित किया है, जिसमें **एकीकृत सर्किट (IC)** के डिज़ाइन से लेकर असेंबली, पैकेजिंग, परीक्षण और वेफर फैब्रिकेशन तक **संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला** शामिल है।
  - सिंगापुर के चार प्रमुख **वेफर फैब्रिकेशन पार्क** 374 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत हैं और **अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।**
- **चुनौतियाँ:** सिंगापुर का सेमीकंडक्टर उद्योग ऑटोमोटिव और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये **पूर्ण विकसित-नोड चिप्स** (28 एनएम और उससे अधिक) में विशेषज्ञता रखता है लेकिन **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत कंप्यूटिंग (7 एनएम और उससे कम)** के लिए उच्च-स्तरीय लॉजिक चिप्स अभी भी सिंगापुर के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं।

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **बाजार मूल्य:** वर्ष 2022 में, भारत के सेमीकंडक्टर बाज़ार का मूल्य **26.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसके** 2032 तक **271.9 बिलियन अमरीकी डॉलर** होने का अनुमान है।

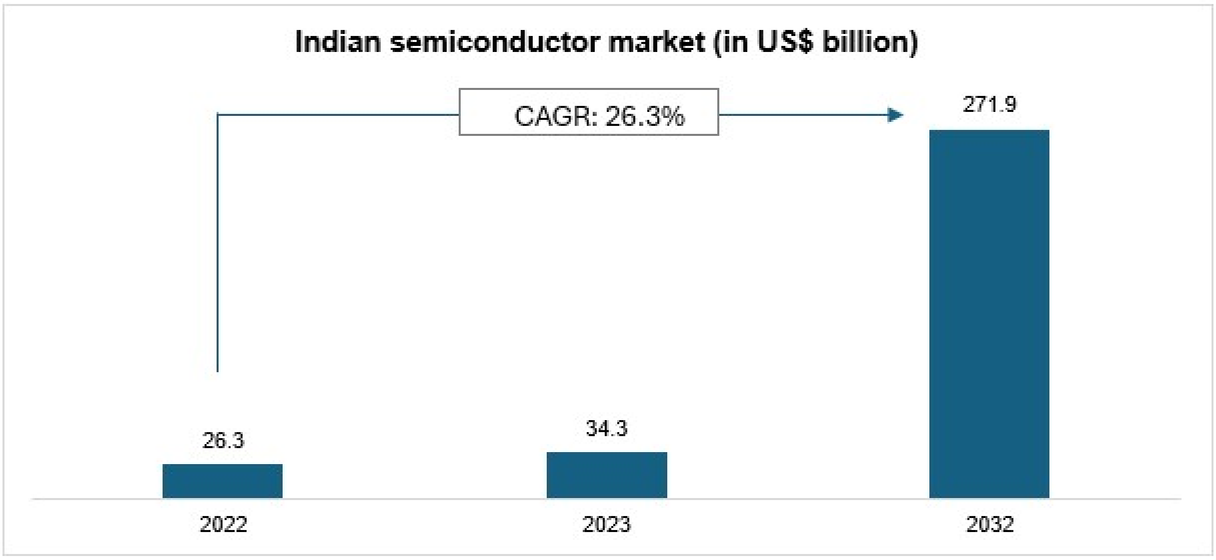

- **आयात निर्भरता:** सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिये भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। वर्ष 2022 में भारत का आयात **5.36 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा**, जबकि निर्यात केवल **0.52 बिलियन अमरीकी डॉलर था।**
- **सकारात्मक कारक:**
  - **कुशल कार्यबल:** भारत में बड़ी संख्या में **STEM स्नातक है, जिससे अर्द्धचालक विनिर्माण, डिज़ाइन और अनुसंधान एवं विकास** के लिये तैयार कार्यबल प्राप्त होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लागत सुलाभ: भारत** कम श्रम और परिचालन लागत के कारण सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण **लागत लाभ** प्रदान करता है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण: भू-राजनीतिक तनावों** से प्रभावित होकर कंपनियों द्वारा चीन से बाहर जाने से **भारत के लिये** सेमीकंडक्टर विनिर्माण का एक **उपयुक्त गंतव्य** बनने की संभावना है।

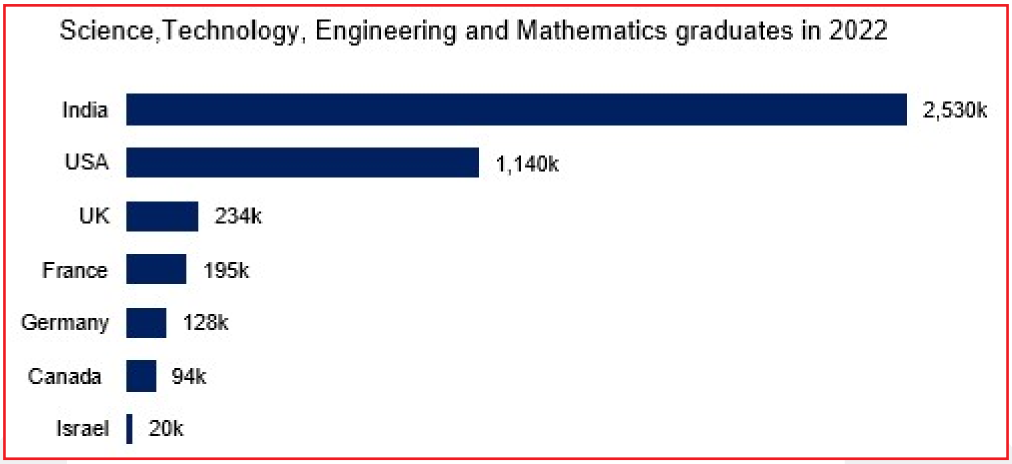

- **विदेशी भागीदारी:** भारत अपने सेमीकंडक्टर स्खेत्र में निरंतर विकास के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सक्रिय रूप से शामिल है। उदाहरणार्थ,
  - अमेरिका के साथ **सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार भागीदारी** पर समझौता ज्ञापन।
  - जापान के साथ **जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी** पर सहयोग ज्ञापन (MoC)।
  - **भारत और यूरोपीय आयोग** के बीच समझौता ज्ञापन।
  - **गुजरात के धोलेरा** में सेमीकंडक्टर केंद्र के निर्माण हेतु **पावरचिप सेमीकंडक्टर (ताइवान) और टाटा समूह** की सहभागिता।
- **सरकारी पहल:**
  - **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)**
  - **सेमीकंडक्टर फैब योजना** और **डिस्प्ले फैब योजना**
  - **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम**
  - **इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना (SPECS)**

सिंगापुर भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में किस मदद कर सकता है?

- **विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार:** भारतीय कंपनियाँ **असेंबली और परीक्षण को आउटसोर्स करने के लिये सिंगापुर की फर्मों के साथ साझेदारी कर सकती हैं, जिससे सिंगापुर के लिये लागत कम होगी और भारत उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को** अपनाने में सक्षम होगा।
- **प्रतिभा विकास:** सिंगापुर के विश्वविद्यालय **माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग** में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और भारतीय संस्थान भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों के लिये **कुशल कार्यबल** का निर्माण करने हेतु अनुसंधान, **छात्र आदान-प्रदान और पीएच.डी के लिये सहयोग कर सकते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **औद्योगिक पार्क विकास:** सिंगापुर के **वेफर फैब पार्क** (विशेष रूप से सेमीकंडक्टर विनिर्माण हेतु डिजाइन किये गए औद्योगिक क्षेत्र) के अनुरूप, भारत **वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने** के लिये इसी प्रकार के औद्योगिक पार्क स्थापित कर सकता है ।
  - सिंगापुर की फर्मों के साथ साझेदारी से भारतीय कंपनियों को **उन्नत अर्द्धचालक प्रौद्योगिकियों और चिप उत्पादन** के लिये आवश्यक सामग्रियों तक पहुँच प्राप्त हो सकती है।

भारत-सिंगापुर संबंध

- **पृष्ठभूमि: भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले** पहले देशों में से एक था।
  - दोनों देशों में सहभागिता का आधार **स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा** 1819 में सिंगापुर में स्थापित एक **व्यापारिक केंद्र था,** जो 1867 **तक कोलकाता** से शासित एक **ब्रिटिश उपनिवेश बन गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किये गए थे।
  - सिंगापुर भारत का **छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है (वित्त वर्ष 2024)**, जिसका भारत के कुल व्यापार में 3.2% का योगदान है।
  - भारत सिंगापुर का **12वाँ सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है** और सिंगापुर के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2.3% है।
  - **सिंगापुर ASEAN क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार** है।
- **सुरक्षा सहयोग:** भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित सैन्य अभ्यासों में **सिम्बेक्स (नौसेना), सिनडेक्स (वायु सेना) और बोल्ड कुरुक्षेत्र (थल सेना) शामिल हैं।**
- **संस्कृति:** सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाएँ **मलय, मंदारिन, तमिल और अंग्रेज़ी हैं।** सिंगापुर की 3.9 मिलियन की निवासी आबादी में **लगभग 9.1% या 3.5 लाख** जनसंख्या भारतीय मूल की है।

भारत के लिये सेमीकंडक्टर का क्या महत्त्व है?

- **औद्योगिक विकास:** वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग एक दशकीय विकास की ओर अग्रसर है और अनुमान है कि वर्ष **2030 तक इसका मूल्य एक ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा** तथा भारत का लक्ष्य इसमें महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना है।
  - भारत के सेमीकंडक्टर बाज़ार का वर्ष **2020 में मूल्य 15 बिलियन अमरीकी डॉलर था** और **वर्ष 2026 तक इसके 63 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।**
- **तकनीकी संप्रभुता:** घरेलू अर्द्धचालक क्षमताओं को विकसित कर, भारत **महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों** और सुरक्षित संचार नेटवर्क के लिये स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला:** सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की भागीदारी से **वैश्विक आपूर्ति शृंखला** में इसकी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, निवेश प्राप्त हो सकता है और इसकी **रणनीतिक भू-राजनीतिक भूमिका भी बढ़ सकती है।**
- **डिजिटल परिवर्तन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G की दृष्टि से सेमीकंडक्टर की महत्ता अत्यधिक है, जिससे भारत की डिजिटल और तकनीकी प्रगति हेतु घरेलू विकास महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - **यह** राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करते हुए **डेटा सेंटरों, संचार नेटवर्कों और स्मार्ट शहरों** को सहायता प्रदान करेगा।
- **कौशल विकास:** सेमीकंडक्टर उद्योग में **विशेष कौशल की मांग** से भारतीय संस्थानों में **STEM शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा** मिलेगा।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पूंजी और निवेश:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण **अत्यंत पूंजी-प्रधान** है, **जिसमें अनुसंधान एवं विकास तथा बुनियादी ढाँचे** दोनों में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।
  - वर्ष 2021 में आयात अर्द्धचालक विनिर्माण **मूल्य सूचकांक में 4.9% की वृद्धि** हुई और वर्ष 2022 में इसमें **अतिरिक्त 2.4% की वृद्धि** हुई।
- **प्रतिभा का अभाव:** वर्ष **2025 तक 1 मिलियन से अधिक कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी** जिसकी दृष्टि से वर्तमान में इस क्षेत्र में प्रतिभा का व्यापक अभाव है।
  - **भारत में विनिर्माण संयंत्रों को संचालित करने में** सक्षम कुशल श्रमिकों की कमी है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच:** सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में **ताइवान और दक्षिण कोरिया** जैसे देशों के प्रभुत्व से, जिनके पास महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का अभिगम है, भारत की अपनी क्षमताओं का वर्द्धन करने की क्षमता सीमित होती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** सेमीकंडक्टर उद्योग **ऊर्जा-गहन है** और **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसका योगदान 31% है।**
- **अन्य उभरते बाज़ारों से प्रतिस्पर्द्धा: भारत को वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया** जैसे उभरते बाज़ारों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसमें **मलेशिया** ने सेमीकंडक्टर निवेश के प्रथम चरण में **इंफिनिऑन** जैसी कंपनियों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आगे की राह

- **शिक्षा और प्रशिक्षण: उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण** के लिये वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी करते हुए **विश्वविद्यालयों** में सेमीकंडक्टर कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये। **उदाहरण: IISc बंगलुरु** ने TSMC (ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी) के साथ सहयोग किया है।
- **स्वदेशी चिप डिज़ाइन: बंगलुरु और हैदराबाद** जैसे प्रौद्योगिकी केंद्रों में चिप डिज़ाइन केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये। उदाहरण के लिये, **IIT मद्रास का शक्ति प्रोसेसर।**
- **आपूर्ति शृंखला: कच्चे माल से लेकर उन्नत पैकेजिंग तक में निवेश आकर्षित करते हुए** भारत के भीतर एक व्यापक **आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना करने की आवश्यकता है।**
  - सेमीकंडक्टर विकास के लिये **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** की स्थापना करना ।
- **सॉवरेन सेमीकंडक्टर फंड: 3nm और 2nm** फैब्रिकेशन जैसी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देते हुए सेमीकंडक्टर निवेश के लिये एक सॉवरेन फंड निर्मित किये जाने की आवश्यकता है।
- **चिप कूटनीति: जापान** जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को** सुरक्षित करने के लिये भारत की भू-राजनीतिक स्थिति का पूर्णतम रूप से उपयोग किया जाना चाहिये।
- **ग्रीन सेमीकंडक्टर पहल:** जल उपयोग, ऊर्जा खपत और रासायनिक अपशिष्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को **संधारणीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण** में अग्रणी देश के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के विकास में अर्द्धचालक के महत्त्व की विवेचना कीजिये? आगामी दशकों में भारत इस अवसर का पूर्णतम उपयोग किस प्रकार कर सकता है?

स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स का विकास

चर्चा में क्यों?

भारत ने देश की **पहली स्वदेशी 'सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम', SSI मंत्रा का उपयोग करके** 286 किलोमीटर **286 किलोमीटर की दूरी से दो 'रोबोटिक कार्डियक सर्जरी'** करके एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

- ये प्रक्रियाएँ **रोबोट-सहायता प्राप्त सर्जरी में एक बड़ी सफलता को दर्शाती हैं, जो उन्नत स्वास्थ्य देखभाल** के लिये भौगोलिक बाधाओं को कम करती हैं।

SSI मंत्र क्या है?

- **परिचय: SSI मंत्रा** भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है, जिसे टेलीसर्जरी के लिये विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसे **SS इनोवेशन द्वारा विकसित** किया गया है।
  - इसे **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा अनुमोदित** किया गया, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत केंद्रीय नियामक प्राधिकरण है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **निम्न विलंबता: 35-40 मिलीसेकंड** की विलंबता पर संचालित होता है, जिससे बिना किसी देरी के निर्बाध दूरस्थ संचालन संभव होता है।
  - **उच्च परिशुद्धता सर्जरी: टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास (TECAB)** जैसी प्रक्रियाओं के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो सबसे जटिल हृदय सर्जरी में से एक है।
  - **विनियामक अनुमोदन:** टेलीसर्जरी और दूरस्थ शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण (Tele-Proctoring) दोनों के लिये प्रमाणित पहली रोबोटिक प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **कार्य प्रणाली:** यह **मास्टर-स्लेव कंसोल मॉडल** पर संचालित होता है, जहाँ:
  - मास्टर **सर्जन** कंसोल सर्जरी को दूर से नियंत्रित करता है, जिससे प्रमुख सर्जन को सटीक गतिविधियाँ करने में मदद मिलती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जबकि रोगी के पास स्थित **स्लेव कंसोल रोबोटिक उपकरणों के माध्यम से आदेशों का निष्पादन करता है, जिससे भौगोलिक दूरी के बावजूद प्रभावी सर्जिकल देखभाल** संभव हो पाती है।
- **महत्त्व:** सीमित चिकित्सा सुविधाओं वाले वंचित या दूरदराज के क्षेत्रों में **विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा देखभाल तक पहुँच** को सुगम बनाता है ।
  - **भौगोलिक बाधाओं** को दूर करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूरस्थ स्थानों पर भी विश्व स्तरीय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता उपलब्ध हो।
  - न्यूनतम आक्रामक तकनीकों के परिणामस्वरूप रिकवरी के समय में तेज़ी आती है, जटिलताएँ और आघात कम होता है तथा समग्र रोगी अनुभव में सुधार होता है।

रोबोट क्या हैं?

- **परिभाषा: रोबोट स्वचालित, स्व-नियंत्रित** मशीनें हैं जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने को सक्षम बनती हैं।
  - यह एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें पदार्थ विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी आदि सम्मिलित हैं।
- **रोबोट के भाग: इसमें अंत-प्रभावक/एंड इफेक्टोर्स** (मानव हाथों के समान), **मैनिपुलेटर्स** (बाहों के समान), **एक्चुएटर्स , कंट्रोलर (नियंत्रक) और सेंसर्स** शामिल हैं ।
- **रोबोट के प्रकार:**
  - **गतिशीलता पर आधारित:**
    - **स्थिर:** उदाहरणार्थ, असेंबली रोबोट।
    - **मोबाइल/चलित:** पहिए या पैर वाले रोबोट (व्हिल्ड एंड लेग्ड रोबोट)।
  - **क्षमता-आधारित:**
    - **प्रकार I:** मनुष्यों से बेहतर कार्य करना (जैसे, काटना)।
    - **प्रकार II:** मानव की सुरक्षा के लिये खतरनाक कार्य करना (जैसे, अंतरिक्ष अन्वेषण)।
- **आकार-आधारित:**
  - **मैकेनिकल रोबोट:** औद्योगिक रोबोट।
  - **एनिमल रोबोट्स: रोबो डॉग:** AIBO, सोनी द्वारा विकसित।
  - **मानव सदृश रोबोट:**
    - **गाइनोइड रोबोट:** महिला जैसी दिखने वाली रोबोट, जैसे सोफिया।
    - **एंड्रॉइड रोबोट:** पुरुष जैसे दिखने वाले रोबोट।
- **रोबोटिक्स के नियम : आइज़ैक असिमोव के रोबोटिक्स के तीन नियम** रोबोट-मानव अंत:क्रियाओं के लिये एक नैतिक ढाँचा तैयार करते हैं।
  - रोबोट द्वारा किसी मनुष्य को **नुकसान नहीं** पहुँचना चाहिये।
  - रोबोट **मानव आदेशों** द्वारा संचालित होना चाहिये जब तक कि इसका प्रथम नियम के साथ संघर्ष न होता हो।
  - रोबोट द्वारा **अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं** करनी चाहिये जब तक कि वह पहले दो नियमों के साथ संघर्षरत न हो।
- **नोट: असिमोव के ज़िरोथ नियम** में कहा गया है कि **रोबोट व्यक्तिगत हितों से ऊपर मानवता के कल्याण पर केंद्रित** होना चाहिये तथा मानवता को नुकसान पहुँचाने से इसे रोकना चाहिए।
  - ये **नैतिक, गैर-बाध्यकारी कानून** मानव को नुकसान पहुँचाने वाले **सैन्य उद्देश्यों के लिये रोबोटों** के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं।

रोबोट के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं?

- **स्वास्थ्य क्षेत्र: रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स** (जिसमें उन्नत रोबोटिक अंग और बाह्यकंकाल, अपंग व्यक्तियों की गतिशीलता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं) से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- **रोबोटिक सर्जरी:** इससे तीव्र रिकवरी और उच्च परिशुद्धता मिलती है।
- **चिकित्सा सेवा रोबोट:** स्वच्छता, रोगी की निगरानी और टेलीमेडिसिन जैसे कार्यों में रोबोट सहायक होता है।
- वातावरण को कीटाणुरहित करने के लिये UV-C प्रकाश या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प का उपयोग करने से स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उद्योग: रोबोट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और धातु उद्योगों** में व्यापक रूप से किया जाता है तथा चीन इसके उपयोग में अग्रणी है।
- भारत में वर्ष 2023 में लगभग **8,500 रोबोट शामिल** किये गए जो विगत वर्ष की तुलना में **59% की वृद्धि** दर्शाते हैं।
- **रक्षा क्षेत्र:** युद्ध में रोबोट या तो स्वायत्त हत्या मशीनों के रूप में कार्य कर सकते हैं (**उदाहरण के लिये, इज़रायल का REX मार्क II**) या रसद, बारूदी सुरंग का पता लगाने और निगरानी में सैनिकों की सहायता कर सकते हैं।
- **कृषि: कृषि संबंधी रोबोट फसल प्रबंधन तथा परिशुद्ध कृषि जैसे कार्यों** में मदद करते हैं। **भारत में एग्रीबोट जैसे** रोबोट का विकास चल रहा है।
- आपदा प्रबंधन: रोबोट का उपयोग जटिल कार्यों में किया जा सकता है (उदाहरण के लिये, सीवर की सफाई के लिये बैंडिकूट रोबोट)।
- अंतरिक्ष क्षेत्र: रोबोटिक प्रणालियाँ अंतरिक्ष मिशनों हेतु अभिन्न अंग हैं, जैसे चंद्रयान-3 पर प्रज्ञान रोवर और नासा का मार्स रोवर।

भारत में रोबोटिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **वर्तमान स्थिति:** वर्ष 2016 और 2021 के बीच **भारत में औद्योगिक रोबोटों का परिचालन स्टॉक दोगुना** हो गया है। **विश्व रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024** के अनुसार, वार्षिक औद्योगिक रोबोट प्रतिस्थापन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर **7वें स्थान** पर है।
  - हालाँकि, कुछ विकसित देशों की तुलना में भारत का रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र धीमी गति से विकसित हुआ है।
- **भारत में निर्मित रोबोट:** भारत ने कई उल्लेखनीय रोबोट विकसित किये हैं जैसे
  - **दक्ष (रक्षा क्षेत्र):** यह स्टेयर क्लिमबिंग और IED से निपटने की क्षमताओं वाला स्वचालित मोबाइल प्लेटफॉर्म है।
  - **व्योममित्र (अंतरिक्ष):** यह गगनयान मिशन के लिये इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट है।
  - **मानव (तकनीकी):** यह ध्वनि प्रसंस्करण और इंटरैक्टिव क्षमताओं वाला भारत का पहला 3डी-मुद्रित मानव रोबोट है।
- **सरकारी पहल:**
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को मान्यता देने के साथ रोबोटिक्स और अन्य उन्नत समाधानों पर बल दिया गया है।
  - **रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा (2023):** इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में रोबोटिक्स के विकास को बढ़ावा देने के लिये **रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट (RIU)** की स्थापना करना है। भारत सरकार ने रोबोटिक्स विकास को बढ़ावा देने के लिये कई शोध केंद्र स्थापित किये हैं:
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (ARTPARK)** और **राष्ट्रीय अंत:विषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (NM-ICPS)** के तहत AI और रोबोटिक्स का लाभ उठाने पर बल दिया गया है।
  - **रोबोटिक्स एवं स्वायत्त प्रणालियों के लिये उन्नत विनिर्माण केंद्र (CAMRAS)** का उद्देश्य आयातित रोबोटिक्स प्रणालियों पर भारत की निर्भरता को कम करना है।
  - **IIT दिल्ली में I-HUB फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स (IHFC)** के तहत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल सिमुलेटर और ड्रोन अनुप्रयोगों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।
- **इसरो और रोबोटिक्स:** भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भविष्य के मानव मिशनों के लिये मानव जैसे रोबोट विकसित कर रही है। व्योममित्र नामक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को वर्ष 2024 के भारत के गगनयान प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया।

स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स को अपनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** कई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, विशेषकर सीमित संसाधनों वाली सुविधाएँ, **SSI मंत्रा** जैसे रोबोटिक प्रणालियों की खरीद और रखरखाव की उच्च लागत के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उच्च आरंभिक लागत,** साथ ही **निरंतर रखरखाव और उपभोग्य सामग्रियों** के कारण छोटे या ग्रामीण अस्पतालों के लिये इसे अपनाना कठिन हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल में असमानताएँ बढ़ जाती हैं।
- **प्रशिक्षण और कौशल अंतराल:** रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को संचालित करने के लिये सर्जनों और मेडिकल स्टाफ के लिये विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। **रोबोटिक सिस्टम के लिये सेटअप समय** दुर्घटनाओं जैसे आपातकालीन मामलों में चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - **तीव्र सीखने की प्रक्रिया** तथा प्रशिक्षित पेशेवरों की **वैश्विक कमी के कारण,** विशेष रूप से विकासशील देशों में, इसे अपनाने में देरी हो रही है।
- **नैतिक चिंताएँ:** टेलीसर्जरी से **जवाबदेही और रोगी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं, क्योंकि त्रुटियों के कारण सर्जन, संस्थान या सिस्टम प्रदाता के बीच **ज़िम्मेदारी धुंधली** हो सकती है, जबकि कनेक्टिविटी विफलता जैसे तकनीकी मुद्दे परिणामों और विश्वास से समझौता कर सकते हैं।
- रोगी विश्वास: रोगी दूरस्थ सर्जरी पर भरोसा करने में झिझक सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कमरे में सर्जन की अनुपस्थिति से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- **रोज़गार हानि:** स्वचालन के कारण रोज़गार की हानि होती है, विश्ेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, अनुमान है कि स्वचालन के कारण 300 मिलियन रोज़गार खत्म हो सकते हैं।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रोबोट साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जैसा कि वर्ष 2017 के **वानाक्राई (WannaCry)** रैनसमवेयर हमले में देखा गया था।

आगे की राह

- **लागत प्रभावी रोबोटिक्स:** सरकारी सहायता, सब्सिडी और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग तथा लागत प्रभावी रोबोटिक्स समाधानों में नवाचार इन प्रणालियों को अधिक किफायती बना सकते हैं।
  - अस्पताल **समय के साथ लागत वितरित करने के लिये पट्टे के विकल्प या वित्तपोषण योजनाओं** पर विचार कर सकते हैं।
- **अंतराल को कम करना:** मेडिकल स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों को **रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिये** और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वर्चुअल प्रशिक्षण का उपयोग करके विशेष शिक्षा तक वैश्विक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
- **नैतिक चिंताओं का प्रबंधन: टेलीसर्जरी में जवाबदेही को परिभाषित करने** के लिये स्पष्ट रूपरेखा और विनियमन स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हितधारक (सर्जन, अस्पताल, सिस्टम प्रदाता) **ज़िम्मेदारियों को साझा करें।**
  - **तकनीकी विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने** तथा दूरस्थ सर्जरी के दौरान निरंतर रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये बैकअप सिस्टम और फेल-सेफ विकसित करना।
- **नौकरी के नुकसान को कम करना:** कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल कार्यक्रम तथा **मानव-रोबोट सहयोग मॉडल को बढ़ावा देना,** जहाँ रोबोट दोहराए जाने वाले कार्यों को संभालते हैं, जबकि मनुष्य निर्णय लेने और रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **साइबर सुरक्षा जोखिमों का समाधान:** एन्क्रिप्शन, **बहु-कारक प्रमाणीकरण, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट** और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग से **रोबोट और चिकित्सा डेटा** को संभावित साइबर खतरों से **सुरक्षित रखने में मदद** मिलेगी।
  - स्वास्थ्य सेवा में **रोबोटिक प्रणालियों के लिये मानकीकृत साइबर सुरक्षा ढाँचे** का विकास करने से जोखिमों को कम करने और प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत ने अत्याधुनिक रोबोटिक्स तकनीक विकसित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रोबोटिक्स क्षेत्र में इस अंतर के मुख्य कारण क्या हैं, उपाय सुझाइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी आउटलुक 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने **ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट** जारी की।

- इस रिपोर्ट में **भू-राजनीतिक तनाव, अप्रचलित प्रणालियों और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव** के कारण **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे** के लिये बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है और सुरक्षा बढ़ाए जाने और लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- **परिचय: विश्व आर्थिक मंच (WEF)** सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस फोरम/मंच में वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिये समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्त्ता शामिल होते हैं।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **वर्ष 1971** में जर्मन प्रोफेसर **क्लॉस श्वाब** द्वारा की गई थी। इसका मूल नाम **यूरोपीय प्रबंधन मंच** था।

टिप्पणी:

- **ग्लोबल साइबरसिक्यूरिटी इंडेक्स (GCI)** नामक यह सूचकांक **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** द्वारा जारी किया जाता है तथा इसके अंतर्गत **साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता** के आधार पर उनका मूल्यांकन और श्रेणीकरण किया जाता है।
- भारत ने **GCI 2024 के 5वें संस्करण में टियर 1 का दर्जा** प्राप्त कर साइबर सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

रिपोर्ट में उजागर किये गए प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुभेद्यता:** जल, **जैव सुरक्षा, संचार, ऊर्जा** और **जलवायु** जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे क्षेत्र **पुरानी प्रौद्योगिकियों और परपस्पर संबद्ध प्रणालियों** के कारण **साइबर हमलों** के प्रति सुभेद्य हैं।
  - साइबर अपराधी और राज्य अभिकर्त्ता **अधोसमुद्री केबलों** सहित **परिचालन प्रौद्योगिकी को लक्षित करते हैं**, जिससे वैश्विक डेटा प्रवाह के लिये खतरे उत्पन्न होते हैं।
  - वर्ष 2024 में **फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों** में एकाएक बढ़ोतरी हुई, जिसमें 42% संगठनों ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की।
  - **उदाहरण: वर्ष 2024** में एक **अमेरिकी जल यूटिलिटी कंपनी पर हुए साइबर हमले** से परिचालन बाधित हुआ, जिससे जल उपचार सुविधाओं की सुभेद्यता उजागर हुई।

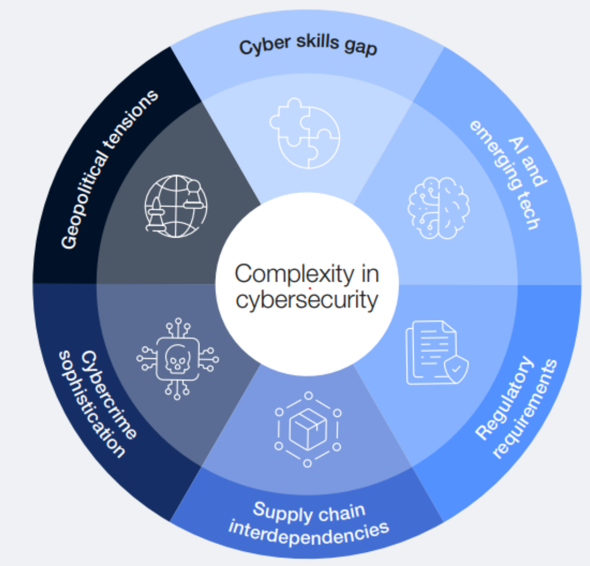

- **भू-राजनीतिक तनाव: रूस-यूक्रेन युद्ध** जैसे भू-राजनीतिक संघर्षों ने ऊर्जा, दूरसंचार और जल जैसे **महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर साइबर और भौतिक हमलों** को बढ़ा दिया है।
  - लगभग **60% संगठनों** का कहना है कि **भू-राजनीतिक तनावों ने उनकी साइबर** सुरक्षा रणनीति को प्रभावित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

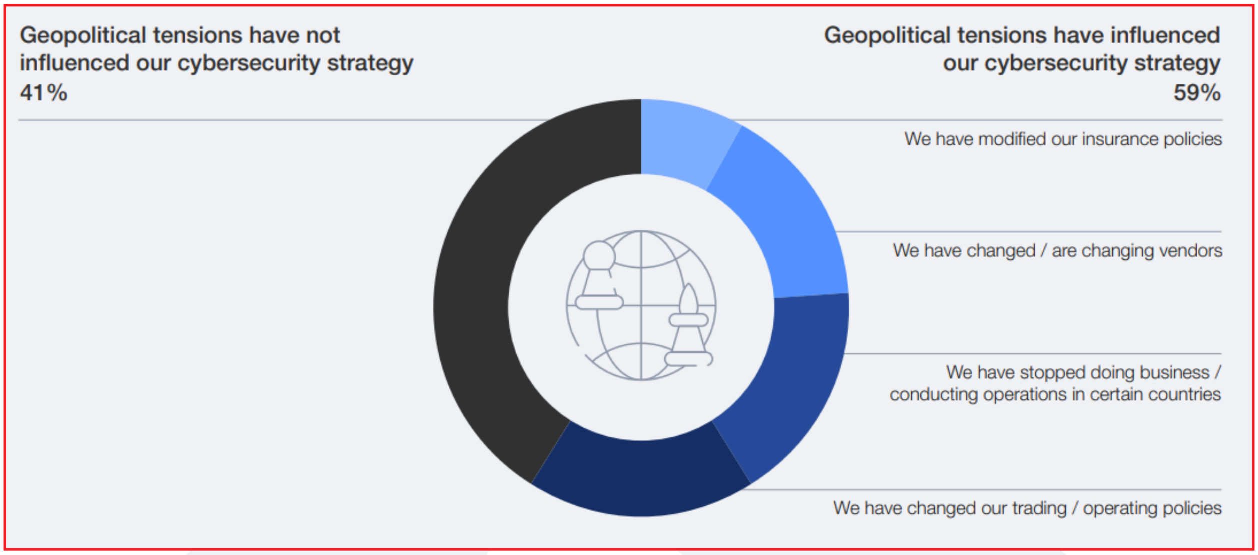

- **जैव सुरक्षा संबंधी खतरे:** **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, **आनुवंशिक इंजीनियरिंग** और **जैव प्रौद्योगिकी** में प्रगति ने **जैव सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया** है, जैव प्रयोगशालाओं पर साइबर हमलों से **अनुसंधान और सुरक्षा प्रोटोकॉल** को खतरा हो रहा है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने इन जोखिमों के बारे में चेतावनी जारी की है। जैसा कि **वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में प्रयोगशालाओं** पर होने वाले हमलों से स्पष्ट है।
- **साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल (Cybersecurity Skills Gap):** रिपोर्ट में एक **महत्त्वपूर्ण साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल पर प्रकाश डाला गया है।** विश्व में 4.8 मिलियन पेशेवरों में आवश्यक योग्यताओं का अभाव है।
  - दो-तिहाई संगठनों को उल्लेखनीय कौशल अंतराल का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से केवल 14% के पास वर्तमान साइबर परिदृश्य के लिये **आवश्यक कुशल कार्मिक** हैं।
- **साइबर के अनुकूल: 35% छोटे संगठनों का** मानना है कि उनकी **साइबर अनुकूलता** अपर्याप्त है।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को** अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से **38% ने कम लचीलेपन की रिपोर्ट दी है** और 49% में साइबर सुरक्षा प्रतिभा की कमी है, जो 2024 की तुलना में 33% की वृद्धि है।
- **क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा असमानताएँ:**
  - रिपोर्ट में वैश्विक साइबर सुरक्षा असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें **घटना प्रतिक्रिया में विश्वसनीय यूरोप/उत्तरी अमेरिका में 15% से बढ़कर अफ्रीका में 36% और लैटिन अमेरिका** में 42% हो गया है।
  - **साइबर अपराध के कारण नुकसान:** साइबर अपराध के कारण नुकसान: कम परिचालन व्यय और उच्च रिटर्न की संभावना के साथ, साइबर अपराध एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय बन गया है।
  - अमेरिकी **संघीय जांच ब्यूरो (FBI)** का अनुमान है कि वर्ष 2023 में साइबर अपराध से होने वाला नुकसान **12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिये किसी भी तकनीक, उपाय या अभ्यास को संदर्भित करती है।

CYBER SECURITY ATTACKS

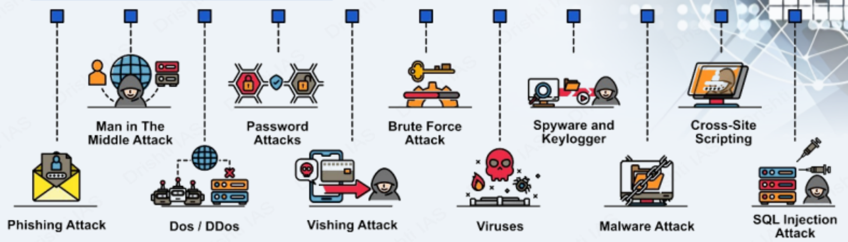

NCRB की "भारत में अपराध" रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से भारत में साइबर अपराध 24.4% बढ़ गए हैं।

सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक

- केवल मज़बूत पासवर्ड ही पर्याप्त सुरक्षा है
- प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित हैं
- सभी साइबर हमले वैक्टर (vector) निहित होते हैं
- साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते हैं

साइबर वॉर

- किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुँचाने या नष्ट करने के लिये किये गए डिजिटल हमले।

CYBER THREAT ACTORS

CYBER THREAT ACTOR	MOTIVATION
NATION-STATES	GEOPOLITICAL
CYBERCRIMINALS	PROFIT
HACKTIVISTS	IDEOLOGICAL
TERRORIST GROUPS	IDEOLOGICAL VIOLENCE
THRILL-SEEKERS	SATISFACTION
INSIDER THREATS	DISCONTENT

साइबर सुरक्षा के प्रकार

- महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा सुरक्षा (रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल)
- नेटवर्क सुरक्षा (डिप्लॉयिंग फायरवॉल)
- एप्लिकेशन सुरक्षा (कोड रिव्यु)
- क्लाउड सुरक्षा (टोकनाइज़ेशन)
- सूचना सुरक्षा (डेटा मास्किंग)

हाल ही में हुए प्रमुख साइबर हमले

- वान्नाक्राई रैनसमवेयर अटैक (वर्ष 2017)
- कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच (वर्ष 2018)
- 9M+ कार्डधारकों का वित्तीय डेटा लीक, जिसमें SBI भी शामिल है (वर्ष 2022)

विनियम एवं पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह (GGE)।
  - नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCDCOE)
  - साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, 2001 (भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है)
- **भारतीय स्तर पर:**
  - IT अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66B, 66C, 66D)
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
  - नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, 2020
  - साइबर सुरक्षित भारत पहल
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)

साइबर सुरक्षा के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- नेटवर्क सुरक्षा
- मैलवेयर सुरक्षा
- इंसिडेंट मैनेजमेंट
- उपयोगकर्ता को शिक्षित और जागरुक करना
- सुरक्षित विन्यास
- उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों का प्रबंधन करना
- सूचना जोखिम प्रबंधन व्यवस्था

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

आगे की राह:

- **साइबर सुरक्षा में रणनीतिक निवेश:** वैश्विक **साइबर सुरक्षा परिदृश्य 2025 में साइबर सुरक्षा में रणनीतिक निवेश** का आह्वान किया गया है, **तथा** सरकारों से **पुरानी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने, परिचालन प्रौद्योगिकियों** को उन्नत करने तथा जल, ऊर्जा और जैव **सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों** को बढ़ते खतरों से बचाने का आग्रह किया गया है।
- **कोस्टा रिका पर वर्ष 2022 के साइबर हमलों** ने साइबर सुरक्षा को भविष्य के लिये **एक महत्त्वपूर्ण निवेश के रूप में देखने** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, न कि केवल एक व्यय के रूप में।
- **प्रतिस्पर्द्धी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ साइबर सुरक्षा में निवेश को संतुलित करना** महत्त्वपूर्ण है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग: खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने** तथा साइबर सुरक्षा अनुकूलता बढ़ाने के लिये सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को मज़बूत सरकारी प्रोत्साहन के बिना साइबर सुरक्षा में निवेश करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।
- **साइबर सुरक्षा कौशल में निवेश:** उभरते साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिये कुशल प्रतिभा पूल बनाने हेतु **विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों** का विस्तार करने, प्रमाणपत्र प्रदान करने और **कार्यबल विकास को प्रोत्साहित करने की** आवश्यकता है।
- **रोकथाम की बजाय लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना:** उभरते साइबर खतरों के मद्देनजर, राष्ट्रों को त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाकर, संकट प्रबंधन ढाँचे की स्थापना करके, तथा हमलों के दौरान आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करके लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सीमाहीन साइबर खतरों से निपटने के लिये, राष्ट्रों को साइबर सुरक्षा मानकों को स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) और G-20 जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग करना चाहिये, जबकि **विकसित देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उनके साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने** और साइबर हमलों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने में **सहायता** करनी चाहिये।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिये वर्तमान रूपरेखा क्या है?

- **विधायी उपाय:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम)
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- **संस्थागत ढाँचा:**
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)
  - राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - साइबर स्वच्छता केंद्र
- **रणनीतिक पहल:**
  - भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013:** साइबरस्पेस को सुरक्षित करने और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा के लिये दृष्टिकोण और रणनीति प्रदान करती है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट विनियम:**
  - **सेबी विनियमित संस्थाओं के लिये साइबर सुरक्षा ढाँचा:** प्रतिभूति बाज़ारों के लिये साइबर सुरक्षा नीतियों को अनिवार्य बनाता है।
  - दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024

निष्कर्ष

ग्लोबल साइबरसिक्यूरिटी आउटलुक 2025 में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिये बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है, तथा रणनीतिक निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मज़बूत साइबर सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जैसे-जैसे साइबर खतरे विकसित होते हैं, राष्ट्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल युग में भारत के सामने आने वाली प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे को बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय विरासत और संस्कृति

बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने **ओडिशा के रत्नागिरी में एक बड़ा बुद्ध सिर, एक विशाल ताड़ का वृक्ष,** एक प्राचीन दीवार और उत्कीर्ण बौद्ध अवशेष खोजे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सभी **8वीं और 9वीं शताब्दी ई.** के हैं।

- इसने ओडिशा के माध्यम से **दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार** पर भी प्रकाश डाला गया।

ओडिशा ने बौद्ध धर्म प्रचार में कैसे मदद की?

- **बुद्ध की भूमिका:** यद्यपि बुद्ध के ओडिशा आने का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी विशेषज्ञ बुद्ध के शिष्यों **तपस्सु और भल्लिका** (उत्कल के व्यापारी भाई) को **बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में** महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं।
- **मौर्य प्रभाव: सम्राट अशोक के 261 ईसा पूर्व में कलिंग (प्राचीन ओडिशा) पर आक्रमण** के कारण उन्हें **बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा,** जिसे उन्होंने **दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया** में फैलाया।
- **ह्वेन त्सांग की यात्रा:** अध्ययनों से पता चलता है कि चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री **ह्वेन त्सांग,** जिन्होंने **638-639 ई. में ओडिशा** का दौरा किया था, उन्होंने **रत्नागिरी** का भी दौरा किया होगा, जिससे उन्हें इस क्षेत्र की **जीवनशैली, संस्कृति, धर्म, कला और वास्तुकला** के बारे में जानकारी मिली होगी।
- **ऐतिहासिक स्थल:**ओडिशा में 100 से अधिक प्राचीन बौद्ध स्थल हैं, जिनमें **रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी के साथ हीरक त्रिभुज का हिस्सा** भी शामिल है।
  - **रत्नागिरी,** जो 7वीं-10वीं शताब्दी का **नालंदा से प्रतिस्पर्द्धी** करने वाला एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र था, में **ईंटों से बने स्तूप, मठ परिसर और मन्नत स्तूप जैसे अवशेष** मिले हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि रत्नागिरी **महायान और वज्रयान संप्रदाय** का केंद्र था, और इस स्थल पर **तिब्बती ग्रंथ** भी पाए गए थे।
  - रत्नागिरी की बुद्ध मूर्तियाँ अपनी **जटिल, विशिष्ट केशविन्यास के लिये अद्वितीय** हैं जिन्हें भारत में अन्यत्र नहीं देखा जा सकता है।
- **समुद्री और व्यावसायिक संबंध: बाली, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका** जैसे क्षेत्रों के साथ ओडिशा के व्यापार ने विशेष रूप से **दक्षिण पूर्व एशिया** में बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की।
  - **बालीयात्रा महोत्सव** दक्षिण पूर्व एशिया के साथ **ओडिशा के 2,000 वर्ष पुराने समुद्री संबंधों** और बौद्ध धर्म के प्रसार में इसकी भूमिका का सम्मान करता है।
- **भौमकारा राजवंश:** ओडिशा में **भौमकारा राजवंश** (8वीं-10वीं शताब्दी) के शासन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसने इस क्षेत्र की **समृद्ध बौद्ध विरासत** में योगदान दिया।

नोट:

- **महायान:** महायान, जिसका संस्कृत में अर्थ "**ग्रेट व्हीकल**" है, बौद्ध धर्म के संप्रदायों में से एक है।
  - इसमें **बुद्ध की दिव्यता** तथा बुद्ध के मूर्ति रूप एवं **बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास** किया गया है।
  - इसकी उत्पत्ति 72 ई. में **कनिष्क** के शासनकाल के दौरान **कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत** में हुई और फिर इसका पूर्व में **मध्य एशिया, पूर्वी एशिया** और **दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों** में विस्तार हुआ।
  - **चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान** में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से संबंधित हैं।
- **वज्रयान:** वज्रयान का अर्थ "**वज्र का वाहन**" है **जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म** के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसमें तांत्रिक प्रथाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आध्यात्मिक बोध प्राप्त करने के लिये जटिल अनुष्ठान, कल्पना, मंत्र और ध्यान तकनीक शामिल हैं।
  - वज्रयान का संबंध मुख्यत: हिमालयी क्षेत्रों से है जिनमें तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हीनयान:** इसे अक्सर **"लेसर व्हीकल"** के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसके तहत मुख्य रूप से **आत्म-अनुशासन** तथा **ध्यान के माध्यम से निर्वाण** पर बल दिया जाता है।
    - **यह मठवासी नियमों, ध्यान प्रथाओं और नैतिक आचरण** के सख्त पालन पर केंद्रित है।
    - हीनयान बौद्ध धर्म में **अर्हत** एक **आदर्श स्थिति** है जिसके तहत **ज्ञान प्राप्त करना** शामिल है, जबकि **महायान** में **बोधिसत्व** द्वारा दूसरों के ज्ञान मार्ग में सहायता के लिये निर्वाण को विलंबित किया जाता है।

नालंदा विश्वविद्यालय

- **स्थापना:** नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना **गुप्त साम्राज्य** के **सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ई.** में, लगभग **450 ई.** में की थी।
    - यह विश्वविद्यालय **8वीं और 9वीं शताब्दी** के दौरान **पाल वंश** के संरक्षण में विकसित हुआ।
    - यह प्राचीन **मगध राज्य (आधुनिक बिहार) में स्थित** था।
- **अंतर्राष्ट्रीय ख्याति:** विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा ने **कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया** के विद्वानों को आकर्षित किया।
- **प्रवेश प्रक्रिया:** नालंदा में प्रवेश **प्रतिस्पर्द्धी प्रणाली** पर आधारित था, **जिसमें कठोर साक्षात्कार** होते थे और **छात्रों को धर्मपाल और शीलभद्र** जैसे विद्वानों एवं बौद्ध आचार्यों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था।
- **पाठ्यक्रम और विषय:** इस **विश्वविद्यालय में चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान तथा भारतीय दर्शन** सहित कई विषयों की पढ़ाई होती थी।
    - भारतीय गणितज्ञ और **शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट छठी शताब्दी ई** .में नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रमुख **शिक्षक** थे।
- **पुस्तकालय और पांडुलिपियाँ:** इस पुस्तकालय में नौ मिलियन से अधिक **हस्तलिखित ताड़-पत्ता पांडुलिपियाँ** रखी गई थीं, जो इसे बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार बनाती हैं।
- **विनाश: वर्ष** 1193 में इस्लामी आक्रमणकारी **बख्तियार खिलजी** ने विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को मार डाला और **मूल्यवान पुस्तकालय** को जला दिया।

बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्रकार विस्तारित हुआ?

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारतीय **व्यापारियों, नाविकों और भिक्षुओं** ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की, जहाँ **श्रीविजय (सुमात्रा, इंडोनेशिया) और चंपा (वियतनाम) जैसे बंदरगाह 7वीं से 13वीं शताब्दी** तक शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते रहे ।
- **शासकों की वैधता:** दक्षिण-पूर्व एशियाई शासकों ने अपनी सत्ता को मज़बूत करने के लिये बौद्ध धर्म को अपनाया तथा **अपने शासन को वैध बनाने के लिये बुद्ध या हिंदू देवी-देवताओं** की पूजा की।
    - सुमात्रा में केंद्रित **श्रीविजय साम्राज्य** ने बौद्ध धर्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई।
- **हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का सम्मिश्रण:** दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म अक्सर **स्थानीय मान्यताओं और हिंदू धर्म के साथ मिश्रित** हो गया।
    - दक्षिण-पूर्व एशिया के बौद्ध और हिंदू मंदिर, जैसे **अंकोरवाट (कंबोडिया) और बोरोबुदुर (इंडोनेशिया),** इस सम्मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं।
- **सांस्कृतिक प्रसार: बौद्ध धर्म ने बाली और जावा** जैसे स्थानों की स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित किया, जिसे उनके **नृत्य, अनुष्ठानों और मंदिर वास्तुकला** में देखा जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बौद्ध धर्म

Drishti IAS

उत्पत्ति

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित

मुख्य विशेषताएँ

- सार - आत्मज्ञान की प्राप्ति (निर्वाण)
- सर्वोच्च देवता - कोई नहीं

सिद्धांत

- अति से बचें; मध्यम मार्ग (मध्य मार्ग) का पालन करें
- व्यक्तिवादी घटक (हर कोई अपनी खुशी के लिये स्वयं ज़िम्मेदार है)
- चार महान सत्य:
  - दुख (दु:ख)- संसार दुखों से भरा हुआ है
  - समुदय- प्रत्येक दुख का एक कारण है
  - निरोध- दुखों का निवारण किया जा सकता है
  - यह अथांग मग्गा (आष्टांगिक मार्ग) का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
- आष्टांगिक मार्ग:
  - सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि

बौद्ध धर्म अस्वीकार करता है

- वेदों की प्रामाणिकता
- आत्मा की अवधारणा (जैन धर्म के विपरीत)

प्रमुख बौद्ध ग्रंथ

- सुत्त पिटक (बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ - धम्म)
- विनयपिटक (भिक्षुओं/ननियों के लिये आचरण के नियम)
- अभिधम्म पिटक (दार्शनिक विश्लेषण)
- अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ- दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो

पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था

इन शिक्षाओं को 25वीं शताब्दी ई.पू में पाली भाषा में लिखा गया था।

बौद्ध परिषद

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन (कश्मीर)	वसुमित्र	72 ई.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बौद्ध धर्म विश्व स्तर पर कैसे फैला?

- **दक्षिण-पूर्व एशिया:** 5वीं शताब्दी ई. तक बौद्ध धर्म **म्याँमार और थाईलैंड** तक फैल गया और 13वीं शताब्दी तक **थेरवाद संप्रदाय** (जिसका अर्थ है "बुजुर्गों का मार्ग") दक्षिण और **दक्षिण-पूर्व एशिया** में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप बन गया।
- **चीन:** 7वीं शताब्दी ई. तक, बौद्ध धर्म ने **कन्फ्यूशियस और ताओवादी परंपराओं** के साथ अंतर्क्रिया करते हुए **चीनी संस्कृति को महत्त्वपूर्ण** रूप से प्रभावित किया था।
- **कोरिया और जापान:** 7वीं शताब्दी ई. तक बौद्ध धर्म का कोरिया में विस्तार हो गया।
    - छठी शताब्दी ई. में बौद्ध धर्म जापान में आया, जहाँ यह **शिंटो और अन्य स्वदेशी** परंपराओं के साथ मिश्रित हो गया।
- **तिब्बत** : 8वीं शताब्दी ई. में, पूर्वोत्तर भारत की **तांत्रिक परंपराओं से प्रभावित बौद्ध धर्म** का तिब्बत में विस्तार हुआ।
    - वहाँ, यह स्वदेशी **बॉन धर्म** के साथ विलीन हो गया तथा **वज्रयान ("Diamond Vehicle") के रूप में विकसित हुआ,** जो महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी।

भारत में प्रमुख बौद्ध स्थल कौन से हैं?

- **बिहार: बोधगया** वह स्थान है जहाँ **सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष** के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
    - **महाबोधि मंदिर**, जिसे वर्ष 2002 में **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया**, यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
    - **वैशाली (बिहार)** में बुद्ध ने अपने **आसन्न परिनिर्वाण** की घोषणा की तथा अपना अंतिम उपदेश दिया।
    - **नालंदा विश्वविद्यालय** एक प्रसिद्ध **प्राचीन शिक्षा केंद्र** था, जहाँ विश्व से बौद्ध विद्वान एकत्रित होते थे।
- **उत्तर प्रदेश: सारनाथ** में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना **पहला उपदेश** दिया था, जिसमें उन्होंने **चार आर्य सत्य** और **अष्टांगिक मार्ग** की रूपरेखा बताई।
    - **सारनाथ में धमेक स्तूप** बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल है।
    - **कुशीनगर** वह स्थान है जहाँ **बुद्ध की मृत्यु हुई** तथा उन्हें **परिनिर्वाण (अंतिम निर्वाण)** प्राप्त हुआ।
        - ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर स्थित **रामाभार स्तूप वह स्थान है जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार** किया गया था।
- **हिमाचल प्रदेश:** धर्मशाला, खासतौर पर **मैकलॉडगंज, तिब्बती निर्वासित सरकार** और **दलाई लामा** का घर है। यह तिब्बती बौद्धों का केंद्र है।
- **महाराष्ट्र: एलोरा की गुफाएँ** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन परपराओं के चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर और मूर्तियाँ शामिल हैं।
    - **अजंता की गुफाएँ** प्राचीन बौद्ध मठों और बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले सुंदर भित्तिचित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं।
- **मध्य प्रदेश: साँची स्तूप** एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने **बौद्ध स्तूपों**, मठों और स्तंभों के लिये जाना जाता है।

निष्कर्ष:

ओडिशा की समृद्ध बौद्ध विरासत, **रत्नागिरी जैसे प्रमुख स्थलों** द्वारा उजागर, और एशिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार में भारत की भूमिका इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। **नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों और विविध बौद्ध परंपराओं** के साथ, वैश्विक संस्कृति और धर्म में भारत का योगदान गहरा और स्थायी है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में भारतीय समुद्री व्यापार की भूमिका का आकलन कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

चर्चा में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया,** जिसका मुख्यालय **निज़ामाबाद, तेलंगाना में होगा।**

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **हल्दी:** इसकी स्थापना भारत में हल्दी की **खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने** और हल्दी किसानों की आय में वृद्धि के लिये की गई है।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू** के बाद अपने **उत्पाद-समर्पित** बोर्डों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी है।
- **बोर्ड में प्रतिनिधित्व:** बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त **एक अध्यक्ष के अलावा, आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों** को भी नामित किया गया है।
- **मुख्य उद्देश्य: महाराष्ट्र, तमिलनाडु** और अन्य सहित **20 राज्यों में** किसान कल्याण।
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिये अनुसंधान, नये उत्पादों और **मूल्य संवर्द्धन** को बढ़ावा देना।
  - **हल्दी के चिकित्सीय** लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

हल्दी के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **हल्दी:** हल्दी ***करकुमा लोंगा*** (*Curcuma longa*) पौधे का एक **भूमिगत तना है,** जो ***जिंजर परिवार*** (***ज़िंगिबरेसी***) की एक प्रजाति है।
  - **हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन,** इसे **पीला रंग प्रदान करता है** तथा यह अपने **एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी लाभों** के लिये जाना जाता है।
- **खेती:** भारत में **20 से अधिक राज्यों** में हल्दी की **30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं,** जिनमें से प्रमुख उत्पादन **महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु** में होता है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व स्तर पर हल्दी का **सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** है।
  - वर्ष 2022-23 में, **भारत ने विश्व की 75% से अधिक हल्दी** का उत्पादन किया। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की **हिस्सेदारी 62 प्रतिशत** से अधिक है।
- **निर्यात प्रदर्शन:** वर्ष 2022-23 में, भारत ने **207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 1,53,400 टन** हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया।
  - प्रमुख निर्यात बाज़ारों में **बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया** शामिल हैं।
- **GI टैग: लाकाडोंग हल्दी (मेघालय), कंधमाल हल्दी (ओडिशा), इरोड हल्दी (तमिलनाडु), अरमूर हल्दी (निज़ामाबाद, तेलंगाना)** सहित अन्य को **GI टैग** मिला है।
  - **GI टैग** एक संकेत है जो किसी **विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को दिया जाता है,** जो उस क्षेत्र के विशिष्ट गुण या विशेषताओं को दर्शाता है।
- **चिकित्सीय लाभ:** हल्दी, अपने सक्रिय यौगिक **कर्क्यूमिन के साथ, सूजन को कम करने, मुक्त कणों** को बेअसर करने और पित्त उत्पादन को बढ़ावा देकर पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करती है।

> **नोट: वित्त वर्ष 2023 में निर्यात में 51.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष 2024 में 48.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की गिरावट के बावजूद भारत 2023 में विश्व का **8वाँ सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है।**

- **भारत अपने जैविक उत्पाद निर्यात** में उल्लेखनीय वृद्धि की है, तथा **अगले तीन वर्षों में इसका मूल्य तीन गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

IMD और मिशन मौसम का 150वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

15 जनवरी, 2025 को **भारत के प्रधानमंत्री (पीएम)** नई दिल्ली में **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 150वें स्थापना दिवस** समारोह में शामिल हुए।

- उन्होंने **मिशन मौसम पहल** का शुभारंभ कर **IMD विज़न-2047 दस्तावेज़ जारी किया।**
- इस **कार्यक्रम में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** के **महासचिव** ने भी भाग लिया।

मिशन मौसम पहल क्या है?

- **परिचय:** मिशन मौसम एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की **क्षमताओं** को बढ़ाना है।
- **बजट:** मिशन के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के लिये 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - **मौसम पूर्वानुमान में सुधार:** 10 से 15 दिनों की अवधि के साथ, इस मिशन का उद्देश्य लघु से मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता को **5 से 10%** तक बढ़ाना, बड़े महानगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के **पूर्वानुमान में 10%** तक सुधार करना, तथा पूर्वानुमानों को पंचायत स्तर तक विस्तारित करना है।
    - वर्तमान में, उष्ण लहरों जैसी चरम घटनाओं के लिये IMD के पूर्वानुमान की सटीकता लगभग 98%, जबकि भारी वर्षा के लिये लगभग 80% है।
  - **प्रौद्योगिकी में निवेश:** यह मौसम मॉडल और अवलोकन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिये **AI, मशीन लर्निंग** और **उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा, जिसमें अतिरिक्त डॉपलर रडार** और **उपग्रहों** की तैनाती भी शामिल है।
  - **मौसम प्रबंधन:** मिशन वर्षा प्रबंधन और **बाढ़** और **सूखे** जैसी चरम घटनाओं को कम करने के लिये **क्लाउड सीडिंग** जैसी **मौसम संशोधन तकनीकों का पता लगाएगा।**
  - **क्लाउड चैंबर अनुसंधान: क्लाउड गतिशीलता** का अध्ययन करने और **क्लाउड सीडिंग** प्रयोगों के माध्यम से **मौसम प्रबंधन में सुधार करने के लिये** पुणे में **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** में एक क्लाउड चैंबर स्थापित किया जाएगा ।
- **चरण:** यह मिशन **5 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।**
  - इस चरण में लगभग **70 डॉप्लर रडार, उच्च निष्पादन वाले कंप्यूटर, पवन प्रोफाइलर और रेडियोमीटर** की सहायता से **प्रेक्षण नेटवर्क** का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **द्वितीय चरण (2026 से आगे): उपग्रहों और विमानों** के माध्यम से प्रेक्षण क्षमताओं में और वृद्धि।

IMD विज़न-2047 दस्तावेज़ क्या है?

- **परिचय:**
  - यह एक युक्तिपूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें वर्ष **2047 तक भारत** में **मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और आपदा प्रबंधन में सुधार करने** के उद्देश्य से **महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।**
  - इसमें आगामी **दो वर्षों, दस वर्षों** (2035) और **बाईस वर्षों (2047) के लिये महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।**
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **उग्र मौसम की पूर्ण पूर्वानुमेयता: उपग्रहों और रडारों** जैसी उन्नत प्रेक्षण प्रणालियों का उपयोग करके, वर्ष 2047 तक **गाँव और घरेलू स्तर** पर उग्र मौसम की घटनाओं की पूर्ण रूप से पूर्वानुमेयता करने का लक्ष्य।
  - **पूर्वानुमान सटीकता:** लक्षित:
    - 3 दिनों के सभी पूर्वानुमानों के लिये **100% सटीकता**
    - 5 दिनों तक **90% सटीकता**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- 7 दिनों तक 80% **सटीकता**
- 10 दिनों तक 70% **सटीकता**

- **मौसम संबंधी घटनाओं से मृत्यु:** चरम मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाली मृत्यु की पूर्ण रूप से रोकथाम करने का लक्ष्य तथा आपदा प्रबंधन के लिये पूर्व चेतावनी सुनिश्चित करना।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD भारत में मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है जिसकी **स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।**
- यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**
- यह **कृषि, विमानन एवं शिपिंग** जैसे क्षेत्रों के लिये मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय विकास के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
- **यह मौसम विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिये अनुसंधान भी करता है।**

भारत में मौसम विज्ञान से संबंधित प्रमुख पहल

- राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM)
- मौसम ऐप
- डॉप्लर मौसम रडार

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने **पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिये परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल** का विवरण दिया गया है।

- **ये दिशा-निर्देश योजना के राष्ट्रीय पोर्टल** के माध्यम से **छतों पर सौर ऊर्जा** पैनल संस्थापित करने के मौजूदा उपभोक्ता-संचालित कार्यान्वयन के पूरक होंगे।

योजना के दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **सोलर पैनल संस्थापना के दो मॉडल:**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल:** इसके अंतर्गत तीसरे पक्ष की संस्थाएँ छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित करने में निवेश करती हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत दिये केवल उपभोग की गई बिजली के लिये भुगतान करना पड़ता है। अतिरिक्त बिजली का विक्रय DISCOM को किया जा सकता है।
  - **उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण (ULA) मॉडल:** इसमें विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOM) या राज्य द्वारा नामित संस्थाएँ आवासीय घरों के छत पर सौर प्रणाली संस्थापित करती हैं।
- **भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM):** RESCO-आधारित रूफटॉप सोलर मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिये 100 करोड़ रुपए का PSM कोष स्थापित किया गया है। अतिरिक्त अनुदान के साथ इसका वर्द्धन किया जा सकता है जो कि मंत्रालय की स्वीकृति के अध्यधीन है।

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य **छतों पर सौर पैनल संस्थापित कर** एक **करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।**
  - इस योजना का परिव्यय **75,021 करोड़ रुपए** है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।
    - इसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक **मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है** तथा **संस्थापना लागत के लिये 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है,** जिससे संपूर्ण देश में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है।
- **पात्रता:** भारतीय नागरिक, मकान मालिक, वैध बिजली कनेक्शन, परिवार द्वारा सौर पैनल से संबंधित किसी अन्य सब्सिडी का लाभ न उठाया गया हो।
  - **कार्यान्वयन:** पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA)** और राज्य स्तर पर **राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा** किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA):** राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिये आवासीय उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - **आदर्श सौर ग्राम:** इसके तहत **प्रति ज़िले एक आदर्श सौर ग्राम** का निर्माण करना एवं सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है।
    - 5,000 (या विशेष राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाले गाँव चयन के पात्र हैं और **ज़िला स्तरीय समिति (DLC)** द्वारा पहचान किये जाने के छह महीने बाद **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है।
  - **प्रत्येक ज़िले में** सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले गाँव को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - इस योजना से रूफटॉप प्रणालियों की पूर्ण अवधि में **कार्बन उत्सर्जन में 720 मिलियन टन** की कमी आने का अनुमान है।
  - विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन जैसे क्षेत्रों में **17 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार** सृजित होने का अनुमान है।
  - यह योजना आवासीय रूफटॉप प्रणालियों के माध्यम से भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गीगावाट का योगदान देने पर केंद्रित है।
  - इसके तहत परिवार अधिशेष बिजली को DISCOM को बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं, जिसमें **3 किलोवाट की रूफटॉप प्रणाली से प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली** उत्पादित की जा सकती है।

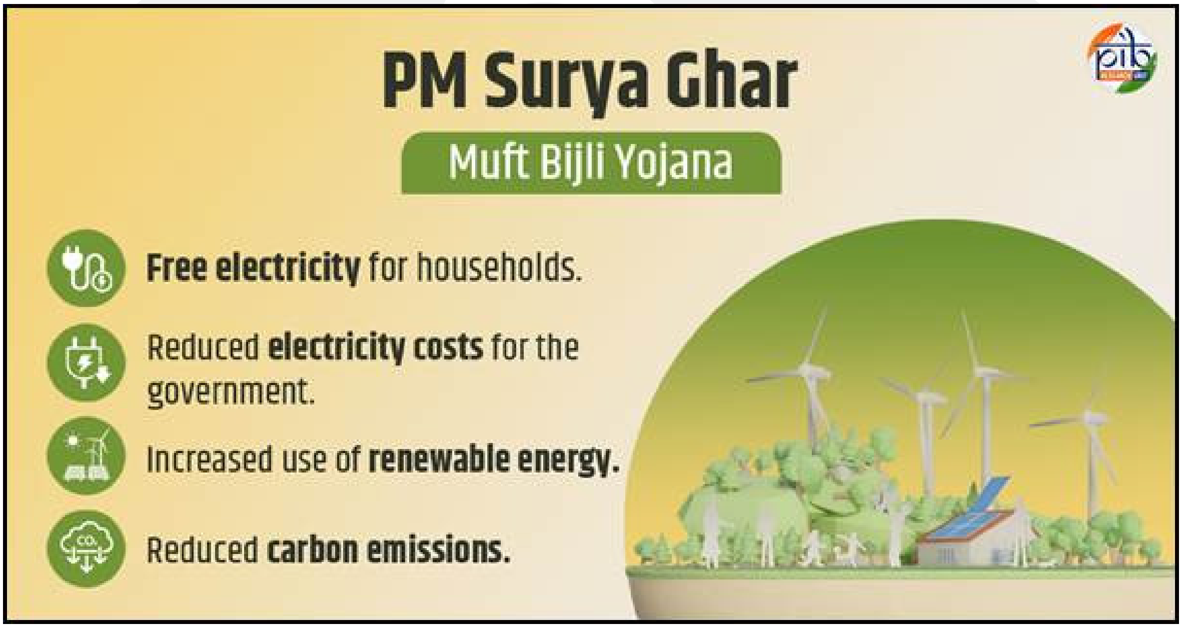

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट: वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF द्वारा प्रकाशित एक **वार्षिक रिपोर्ट** है। यह **अल्पकालिक (2 वर्ष) और दीर्घकालिक (10 वर्ष)** अवधि में प्रत्याशित **सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिमों** का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- वैश्विक जोखिम किसी घटना द्वारा **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों को महत्त्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुँचाने** की संभावना है।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **भारत के लिये शीर्ष जोखिम:** रिपोर्ट में भारत के लिये शीर्ष पाँच जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें **जल आपूर्ति की कमी, झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों** तथा **नागरिक स्वतंत्रता** का हनन, **प्रदूषण** (वायु, जल और मिट्टी), और श्रम एवं प्रतिभा की कमी शामिल हैं।
- **शीर्ष वैश्विक जोखिम:**
  - **तात्कालिक जोखिम (अगले 2 वर्ष): झूठी और भ्रामक जानकारी, चरम मौसम की घटनाएँ** और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष।
  - **दीर्घकालिक जोखिम (अगले 10 वर्ष): चरम मौसम की घटनाएँ,** जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन तथा पृथ्वी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।

Risk categories		2 years		10 years
Economic	1st	Misinformation and disinformation	1st	Extreme weather events
Environmental	2nd	Extreme weather events	2nd	Biodiversity loss and ecosystem collapse
Geopolitical	3rd	State-based armed conflict	3rd	Critical change to Earth systems
Societal	4th	Societal polarization	4th	Natural resource shortages
Technological	5th	Cyber espionage and warfare	5th	Misinformation and disinformation

- **भू-राजनीतिक सहयोग:** बढ़ती अमेरिकी-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत और खाड़ी देश **प्रमुख बहुपक्षीय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं,** जो तनाव कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये **पश्चिम और पूर्व के बीच एक मार्ग** का कार्य कर रहे हैं।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** अमेरिका का **मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम, 2022 और भारत में मेक इन इंडिया भू-आर्थिक टकराव** तथा **व्यापार संरक्षणवाद** की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है।
  - **सब्सिडी और औद्योगिक नीति** जैसी **गैर-टैरिफ बाधाएँ संरक्षणवाद** के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही हैं।
- **बहुपक्षीय समाधान: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक विश्वास में कमी** और **जलवायु संकट** के लिये सीमाओं के पार सहयोग प्राप्त करने हेतु **बहुपक्षीय समाधान** की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- **परिचय: WEF सार्वजनिक-निजी सहयोग** पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है।
  - इसमें अनेक वैश्विक नेता शामिल होते हैं जो **उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर** की कार्यसूची तैयार करते हैं।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **वर्ष 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम** के रूप में की गई थी और WEF शेयरधारकों के लिये **न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि** सभी हितधारकों के लिये दीर्घकालिक लाभ पर ज़ोर देता है।
- **विकास:** 1973 में, WEF ने **आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया।** इसने वर्ष 1975 में विश्व की **अग्रणी 1,000 कंपनियों के लिये सदस्यता शुरू की।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ वर्ष 1987 में इसे **विश्व आर्थिक मंच का नाम दिया गया,** जिससे संवाद को लिये एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। वर्ष 2015 में इसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई।
- **प्रमुख रिपोर्टें:** WEF द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट हैं- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक**, **वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक**, **ऊर्जा संक्रमण सूचकांक**, **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट** और **वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक**।

राज्य संप्रतीक

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से अनुमोदन के बाद त्रिपुरा द्वारा अपने पहले आधिकारिक राज्य संप्रतीक का अनावरण किया गया, जिससे इस मुद्दे पर विमर्श को बढ़ावा मिला है।

- **त्रिपुरा सरकार के संप्रतीक/प्रतीक** के प्रस्ताव को **भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 के नियम 4(2) के** अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

राज्य के ध्वज, प्रतीक और गीत से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- **राज्य ध्वज:** भारत में राज्यों का अपना राज्य ध्वज हो सकता है, जब तक कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950, **भारतीय ध्वज संहिता, 2002** और **राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971** के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का स्थान न ले ले या उसका विरोधाभाषी न हो।
  - ❖ भारत के **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने ***S. R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994*** में फैसला दिया था कि राज्य अपने स्वयं के झंडे रख सकते हैं, जब तक उससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **भारत के संविधान द्वारा राज्यों को अपने स्वयं के ध्वज** अपनाने पर रोक नहीं लगाई गई है।
    - इसने कहा कि **राज्य ध्वज को हमेशा राष्ट्रीय ध्वज के नीचे फहराया जाना चाहिये और यह** उसके साथ नहीं फहराया जा सकता है तथा इसका **उपयोग आधिकारिक या वैधानिक उद्देश्यों के लिए नहीं** किया जा सकता है।
- **राज्य प्रतीक: भारत का राज्य प्रतीक, भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत** विनियमित होता है।
  - ❖ भारत में राज्य अपना प्रतीक चिह्न अपना सकते हैं, लेकिन **राज्य प्रतीकों के लिये उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय** की मंज़ूरी लेनी पड़ती है।
  - ❖ **राज्य के प्रतीकों के** अधिकृत उपयोगों में आधिकारिक मुहरें, स्टेशनरी, वाहन और प्रमुख सार्वजनिक भवन शामिल हैं। व्यक्तिगत, संगठनात्मक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये अनधिकृत उपयोग सख्त वर्जित है।
- **राज्य गीत:** भारत में **राज्य गीतों** पर एक समान कानून का अभाव है, जिन्हें आमतौर पर **राज्य विधानसभाओं या कार्यपालिकाओं** द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये गीत राज्य की विरासत को दर्शाते हैं तथा **आधिकारिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता** और राष्ट्रगान **का सम्मान** सुनिश्चित होता है।
- **उदाहरण:** पश्चिम बंगाल ने ***पोइला बैसाख*** (बैसाख के बंगाली महीने का पहला दिन) को **राज्य दिवस** (या बांग्ला दिवस) के रूप में घोषित किया, और **रवींद्रनाथ टैगोर** द्वारा रचित ***बांग्लार माटी बांग्लार जल*** को राज्य गीत के रूप में घोषित किया।

नोट: संविधान का **अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्त्तव्य)** नागरिकों पर उनके मौलिक कर्त्तव्यों के हिस्से के रूप में **राष्ट्रीय और राज्य प्रतीकों** का सम्मान करने का **नैतिक कर्त्तव्य** डालता है।

- **अनुच्छेद 51A (a):** संविधान का पालन करना तथा **उसके आदर्शों**, संस्थाओं, **राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान** का आदर करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 क्या है?

- **परिचय:**
  - **संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950** उचित अनुमति के बिना निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये **राष्ट्रीय प्रतीकों, नामों और चिह्नों के अनधिकृत** उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - यह अधिनियम **राज्य प्रतीकों** पर भी लागू होता है, जिसका अर्थ है कि राज्य के प्रतीकों और नामों को भी **इस कानून के तहत संरक्षित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य प्रतीकों का** उचित प्राधिकरण के बिना **वाणिज्यिक उद्देश्यों** के लिये दुरुपयोग न किया जाए।
- **अनुचित उपयोग का निषेध:**
  - अधिनियम की **धारा 3** के अंतर्गत **अनुसूची में सूचीबद्ध नामों या प्रतीकों अथवा उनकी प्रतिकृति का, व्यापार, कारोबार, पेशे, या ट्रेडमार्क/पेटेंट के रूप में, केंद्र सरकार अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है।**

भारतीय झंडा संहिता, 2002

- **परिचय:**
  - **भारतीय झंडा संहिता, 2002 में** भारतीय **राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के नियमों का** उल्लेख किया गया है ।
  - यह **राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा अधिनियमित है।**
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **सामग्री और निर्माण:**
    - राष्ट्रीय ध्वज **हाथ से काते गए, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने** सामग्रियों जैसे कपास, पॉलिएस्टर, ऊन या रेशम से बना होना चाहिये। दिसंबर 2021 के संशोधन के पश्चात् **पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडों को अनुमति दी गई है।**
  - **आरोहण एवं प्रदर्शन:**
    - **व्यक्ति, संगठन या संस्थाएँ किसी भी दिन सम्मान के साथ** ध्वज फहरा सकते हैं। जुलाई 2022 में संशोधन के तहत इसे खुले में या निजी संपत्तियों पर **दिन-रात फहराने की अनुमति दी गई है।**
  - **डिज़ाइन और आयाम:**
    - झंडा **आयताकार** होना चाहिये, जिसकी **लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिये।**
  - **प्रतिबंध:**
    - ध्वज को अन्य झंडों के साथ एक ही ध्वजारोहण केंद्र से नहीं फहराया जा सकता।
    - **इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल** आदि जैसे गणमान्य व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी के वाहन पर नहीं फहराया जा सकता।
    - किसी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या बगल में नहीं रखा जाना चाहिये।

सेमी-डिराक फर्मियन और मूलभूत कण

चर्चा में क्यों?

कोलंबिया विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने एक विशेष कण की खोज की है जिसे **सेमी-डिराक फर्मियन** के नाम से जाना जाता है।

- **इस खोज से न केवल मूलभूत कणों** के गुणों के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलेगी बल्कि **क्वांटम भौतिकी** के लिए भी इसके संभावित निहितार्थ हैं।

सेमी-डिराक फर्मियन क्या है?

- **परिचय: सेमी-डिराक फर्मियन** एक ऐसा कण है जिसमें एक **दिशा में चलते समय द्रव्यमान** होता है **लेकिन लंबवत दिशा** में नहीं (जो एक विशेष व्यवहार है) होता है। इसकी खोज क्रिस्टलीय पदार्थ **ज़िरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड** (ZrSiS) में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डिराक फर्मियन बनाम सेमी-डिराक फर्मियन:**
  - **डिराक फर्मियन:** इनमें द्रव्यमान होता है और ये अपने प्रतिकणों से भिन्न होते हैं।
  - **सेमी-डिराक फर्मियन:** इनमें निश्चित दिशात्मक अक्षों पर द्रव्यमान होता है और ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग व्यवहार कर सकते हैं। यह विशेष द्रव्यमान व्यवहार **विशिष्ट सामग्रियों में विद्युत तथा चुंबकीय बलों के साथ उनकी अंत:क्रिया** के कारण होता है।
- **क्वासिपार्टिकल्स:** सेमी-डिराक फर्मियन एक **क्वासिपार्टिकल** है, जिसका अर्थ है कि यह विशिष्ट परिस्थितियों में एकल कण की तरह व्यवहार करता है लेकिन यह कई ऊर्जा पैकेटों या कणों (प्रोटॉन के समान) से बना होता है।

मूल कण क्या हैं?

- **मूलभूत** कण या प्राथमिक कण से परमाणुओं का निर्माण होता है तथा इनमें आंतरिक संरचना का अभाव होता है।
- कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा 17 **मूल कणों** की व्याख्या होती है, जिन्हें **फर्मियन और बोसॉन में विभाजित** किया गया है, जो गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पदार्थ और ऊर्जा के निर्माण खंड हैं।

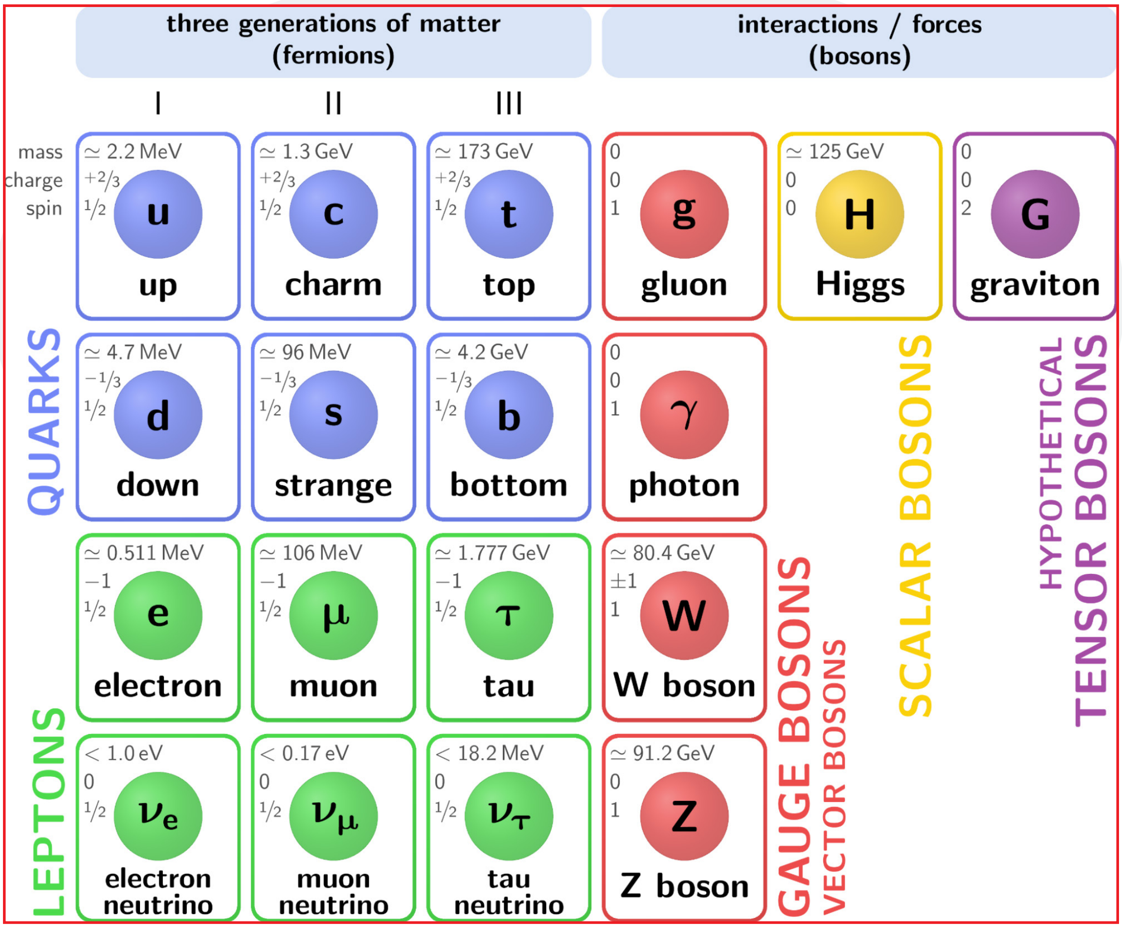

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

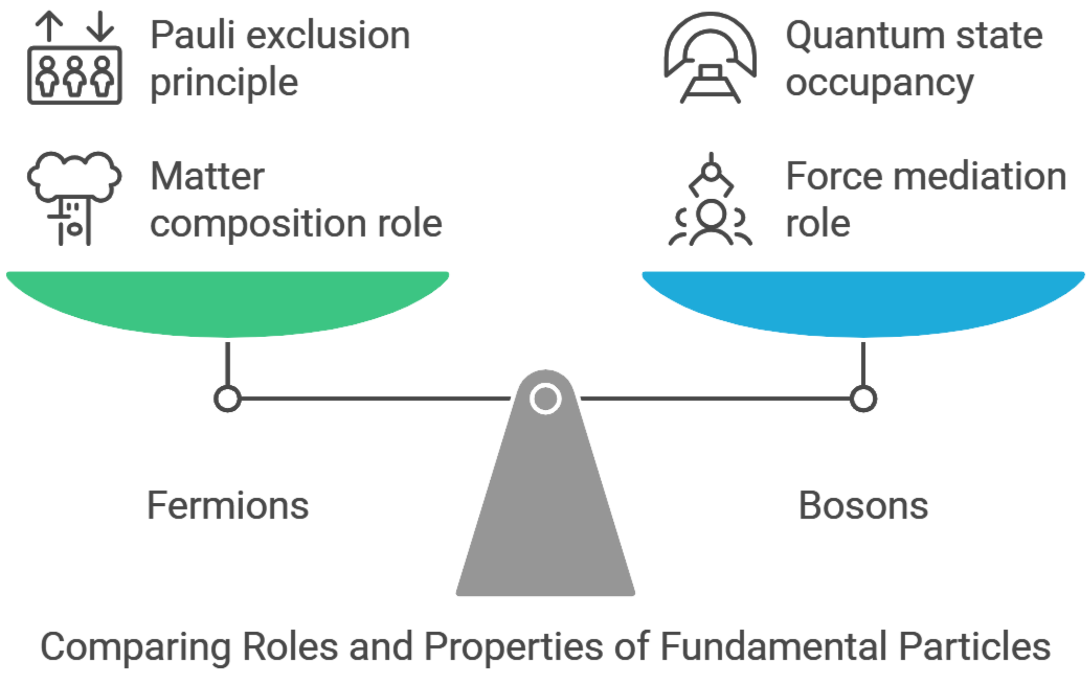

- **फर्मियन और बोसॉन:**
  - **फर्मियन:** ये कण द्रव्य का निर्माण करते हैं और **पाउली अपवर्जन सिद्धांत** का पालन करते हैं (कोई भी दो फर्मियन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते), जो उन्हें अपना रूप बनाए रखने और नष्ट न होने में मदद करता है।
    - इनमें विषम अर्द्ध-पूर्णांक स्पिन (कोणीय गति) (1/2, 3/2, और 5/2) होते हैं।
    - इनमें **प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और क्वार्क शामिल हैं।** ये हमारे आस-पास विद्यमान हर चीज़ के मूल रचक खंड हैं।
    - फर्मियन को इसके अतिरिक्त **डिराक या मेजराना फर्मियन** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - **डिराक फर्मियन** वे फर्मियन होते हैं जिनमें **द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी , लेकिन वे हमेशा अपने प्रतिकणों (विपरीत आवेश और गुण वाले कण)** से भिन्न होते हैं ।
  - **मेजराना फर्मियन** ऐसे फर्मियन हैं जो स्वयं भी प्रतिकण हैं।
- **बोसोन: बोसोन कणों के बीच बलों को संचारित करने** के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ़र्मियन के विपरीत, बोसोन **पॉली अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, एक ही क्वांटम अवस्था में बड़ी संख्या में मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि सुपरफ्लुइडिटी** जैसी घटनाओं में देखा जाता है और **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (बोसोनिक परमाणुओं को पूर्ण शून्य के करीब ठंडा किया जाता है)** के गठन की ओर ले जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बोसॉन में **फोटॉन, ग्लूऑन और हिग्स बोसोन शामिल हैं**, जो सभी बल वाहक के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास पूर्णांक संख्या (0, 1, 2, आदि) होती हैं।
- बोसॉन को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: गेज बोसॉन और स्केलर बोसॉन।
  - विद्युतचुंबकीय, प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बलों सहित मूलभूत बलों को **गेज बोसॉन (स्पिन 1)** जैसे कि फोटॉन और ग्लूऑन द्वारा वहन किया जाता है।
  - शून्य स्पिन वाले **स्केलर बोसॉन में हिग्स बोसॉन** शामिल है, जो कणों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **अनुप्रयोग:** मूल कणों के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जिनमें **मेडिकल इमेजिंग, परमाणु ऊर्जा (विखंडन में न्यूट्रॉन)** शामिल हैं।
- **वे क्वांटम कंप्यूटिंग, कैंसर उपचार** के लिये कण चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन **ट्रांज़िस्टर और अर्द्ध-चालक जैसे उपकरणों** को शक्ति प्रदान करते हैं।
- ये कण व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों और मौलिक भौतिकी अनुसंधान दोनों को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण

चर्चा में क्यों?

ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज (गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण) नवीकरणीय ऊर्जा की एक प्रमुख चुनौती के समाधान हेतु एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है। यह पारंपरिक **बैटरी ऊर्जा भंडारण** के लिये एक आशाजनक विकल्प के रूप में भी कार्य कर रहा है।

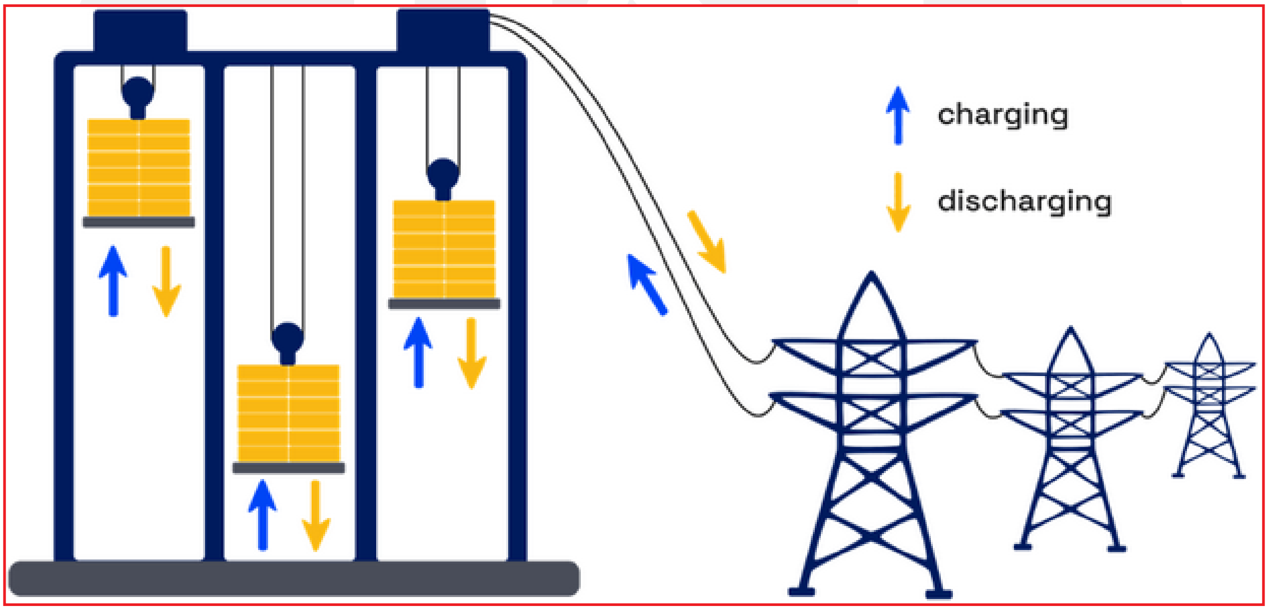

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण क्या है?

- **परिभाषा:** यह एक **नवीन प्रौद्योगिकी** है, जिसमे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर ऊर्जा संग्रहीत की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संचालन का सिद्धांत: गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण** का मूल सिद्धांत **स्थितिज ऊर्जा** में निहित है।
- इसमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के दौरान **भारी पिंडों को उठाना और आवश्यकता** पड़ने पर उन्हें विद्युत् उत्पादन के लिये छोड़ना शामिल है।
- **ऊर्जा रूपांतरण:** एक टरबाइन या जनरेटर पिस्टन की अवरोही गति को विद्युत् में परिवर्तित करता है।
  - एक सामान्य डिज़ाइन में एक भारी पिस्टन के साथ एक **तरल पदार्थ से भरा सिलेंडर शामिल** होता है।
- अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन के दौरान, **पिस्टन को ऊपर उठा दिया जाता है**, जिससे ऊर्जा संग्रहित होती है।
- जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पिस्टन को नीचे की ओर कर दिया जाता है, जिससे पानी के माध्यम से टरबाइन को घुमाकर विद्युत् उत्पन्न की जाती है।

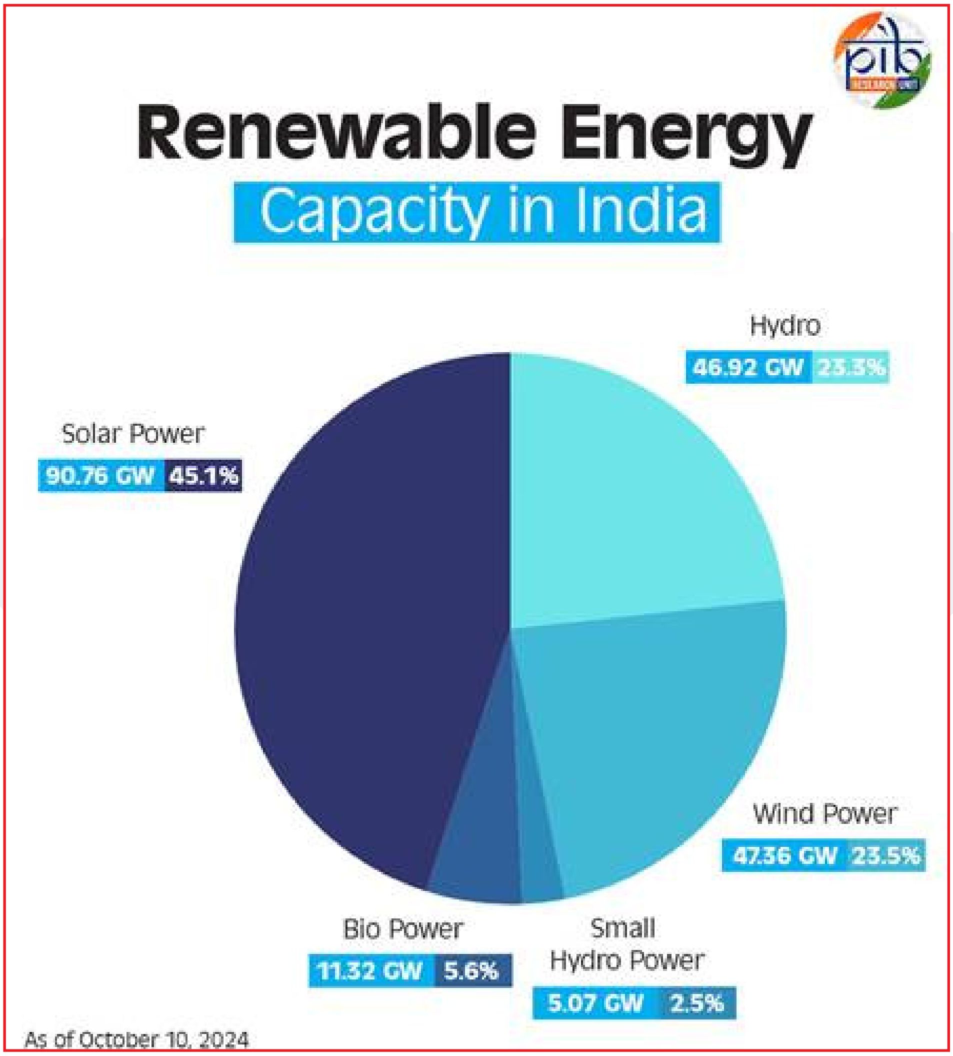

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- **पर्यावरणीय स्थिरता:** गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रणालियाँ दीर्घकालिक और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, क्योंकि वे पारंपरिक बैटरी भंडारण की तरह रासायनिक ऊर्जा भंडारण पर निर्भर नहीं करती हैं।
- **लाभ:**
  - **विविध स्थानों पर क्रियान्वित: पंप-हाइड्रो प्रणालियों के विपरीत**, जिनके लिये विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रणालियों को विविध स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
  - **मापनीयता:** प्रणालियों को विभिन्न ऊर्जा क्षमताओं के लिये अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे वे **ग्रिड-स्केल भंडारण** के लिये आदर्श बन जाते हैं ।
  - **दीर्घायु: न्यूनतम यांत्रिक गिरावट, कम रखरखाव** के साथ दशकों तक संचालन सुनिश्चित करता है।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है?

- **अंतराल की समस्या: सौर और पवन ऊर्जा** स्थिर नहीं हैं, वे मौसम और दिन के समय पर निर्भर करती हैं।
  - **राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा क्षमता** के विस्तार जैसी योजनाओं के साथ, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण, रुकावट की समस्या को दूर करके **ग्रिड को स्थिर** करने में मदद कर सकता है।
- आपूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखने के लिये, **विशेष रूप से** अधिकतम उपयोग या कम उत्पादन अवधि के दौरान, **विश्वसनीय ऊर्जा भंडारण** आवश्यक है।
- **उच्च ऊर्जा क्षमता:** बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है, जिससे कम नवीकरणीय उत्पादन के अंतर को कम किया जा सकता है।
- **कम पर्यावरणीय प्रभाव:** यह हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कम करता है, प्रभाव और निपटान संबंधी समस्याओं को न्यूनतम करता है, तथा हरित ग्रह की ओर संक्रमण में सहायता करता है।
- **भारत का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा:** भारत का लक्ष्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहल के तहत **वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन** क्षमता हासिल करना है।
  - गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण, देश भर में स्थापित की जा रही बड़े पैमाने की सौर और पवन परियोजनाओं के लिये **विश्वसनीय और लागत प्रभावी भंडारण प्रदान** करके इन प्रयासों को पूरा कर सकता है।

ट्विगस्टेट्स

चर्चा में क्यों?

नए **आनुवंशिक विश्लेषण उपकरण, ट्विगस्टेट्स (Twigstats)** ने उत्तरी और मध्य यूरोप से **500 ईसा पूर्व** से **1000 ईस्वी तक के प्राचीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)** नमूनों का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर की वंशावली का पता लगाने की सटीकता में काफी सुधार किया है ।

ट्विगस्टेट्स क्या है?

- **परिचय: ट्विगस्टेट्स आनुवंशिक अध्ययन** के लिये विकसित एक **उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण है, जो विशेष रूप** से उच्च परिशुद्धता के साथ **वंशावली विश्लेषण** पर केंद्रित है।
  - इसे **आनुवंशिक डेटा, पुरातात्विक निष्कर्षों और ऐतिहासिक संदर्भ** का उपयोग करके **जनसंख्या गतिशीलता** की समझ को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **कार्य:** ट्विगस्टेट्स **व्यक्तियों के बीच साझा आनुवंशिक उत्परिवर्तनों** का विश्लेषण करके आनुवंशिक के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है।
  - यह **वंशावली का पता लगाने** और विभिन्न समय अवधि के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिये **हाल के उत्परिवर्तनों** का उपयोग करता है, तथा आधुनिक DNA को प्राचीन आबादी के साथ जोड़ता है।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - **समय-स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण:** ट्विगस्टेट्स आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने के लिये **समय-स्तरीकृत दृष्टिकोण** का उपयोग करता है, ऐतिहासिक अवधियों में वंशावली और आबादी कैसे विकसित हुई, इसका अध्ययन करके सटीकता को बढ़ाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **आनुवंशिक तकनीकों का एकीकरण:** यह उपकरण **हैप्लोटाइप्स (साझा DNA खंड)**, **दुर्लभ वेरिएंट** और **सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म** (SNP) को जोड़ता है ताकि वंशावली और जनसंख्या संरचना की व्यापक समझ प्रदान की जा सके जो समय के साथ **जनसांख्यिकीय परिवर्तनों** में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे आनुवंशिक विश्लेषण की सटीकता बढ़ जाती है।
- **R के साथ संगतता:** यह शोधकर्त्ताओं को अधिक परिशुद्धता के साथ आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने में सहायता करने हेतु **सांख्यिकीय भाषाओं R और C++** का उपयोग करता है।

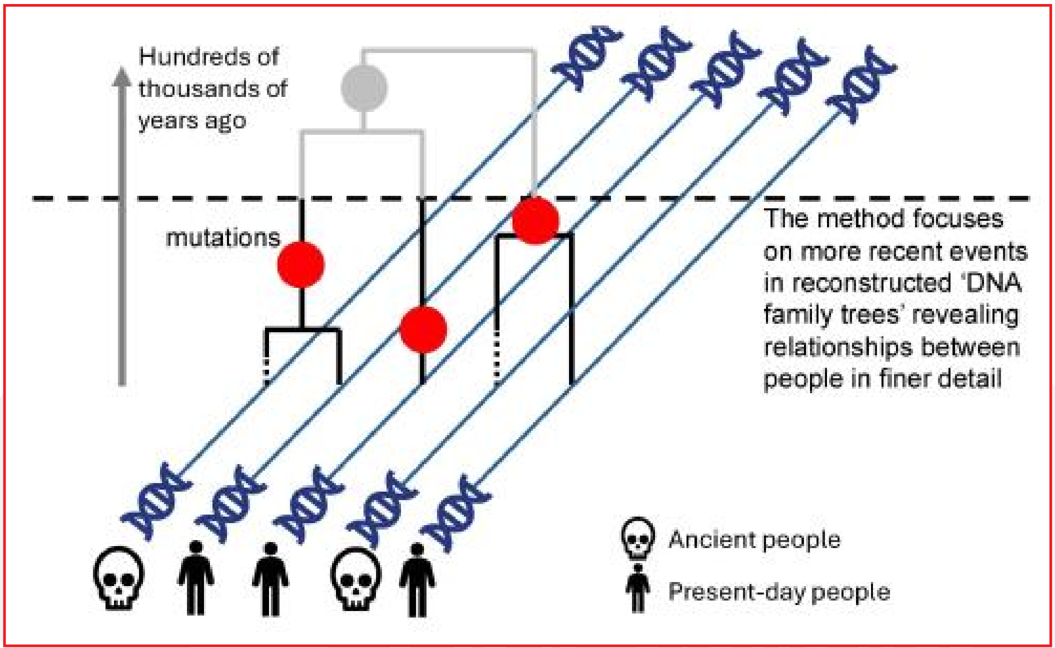

आनुवंशिक विश्लेषण के लिये प्रयुक्त तकनीकें क्या हैं?

- **सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNP):** SNP एक प्रयोगशाला विधि है, जिसका उपयोग **DNA अनुक्रम में अंतर खोजने के लिये किया जाता है** जहाँ **एक न्यूक्लियोटाइड** (A, C, G, or T) कुछ बिंदुओं पर **व्यक्तियों** के बीच भिन्न होता है।
  - इसका उपयोग प्राचीन आनुवंशिक सामग्री (aDNA) से आनुवंशिक इतिहास और वंशावली मॉडल के पुनर्निर्माण के लिये व्यापक रूप से किया जाता है।
  - NSP विश्लेषण के लिये **उच्च गुणवत्ता वाले DNA नमूनों की आवश्यकता** होती है और निकट से संबंधित पैतृक समूहों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **हैप्लोटाइप्स विधि:** इस अध्ययन में **आनुवंशिक मार्करों के संयोजन** शामिल होते हैं जो एक ही **गुणसूत्र पर एक साथ** विरासत में मिलते हैं।
  - यह तकनीक शोधकर्त्ताओं को **रोग प्रारूप और जनसंख्या आनुवंशिकी** को समझने में मदद करती है, तथा ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो अकेले व्यक्तिगत मार्करों का विश्लेषण करने से छूट सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ यह **हैप्लोटाइप्स** पर केंद्रित है, जो एक साथ विरासत में मिले एलील्स के समूह हैं।
- **आनुवंशिक विश्लेषण का अनुमान:** इस पद्धति का उपयोग **वंशावली का निर्माण** कर व्यक्तियों के **वंश और आनुवंशिक संबंधों** का पता लगाने के लिये किया जाता है।
  - ❖ यह जनसंख्या संरचना और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझने के लिये **आधुनिक और प्राचीन दोनों जीनोम का** विश्लेषण करता है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

समावेशी विकास और **सतत् विकास** में उनके असाधारण योगदान के लिये **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा पूरे भारत की 45 पंचायतों को **राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार** 2024 प्रदान किये गए।

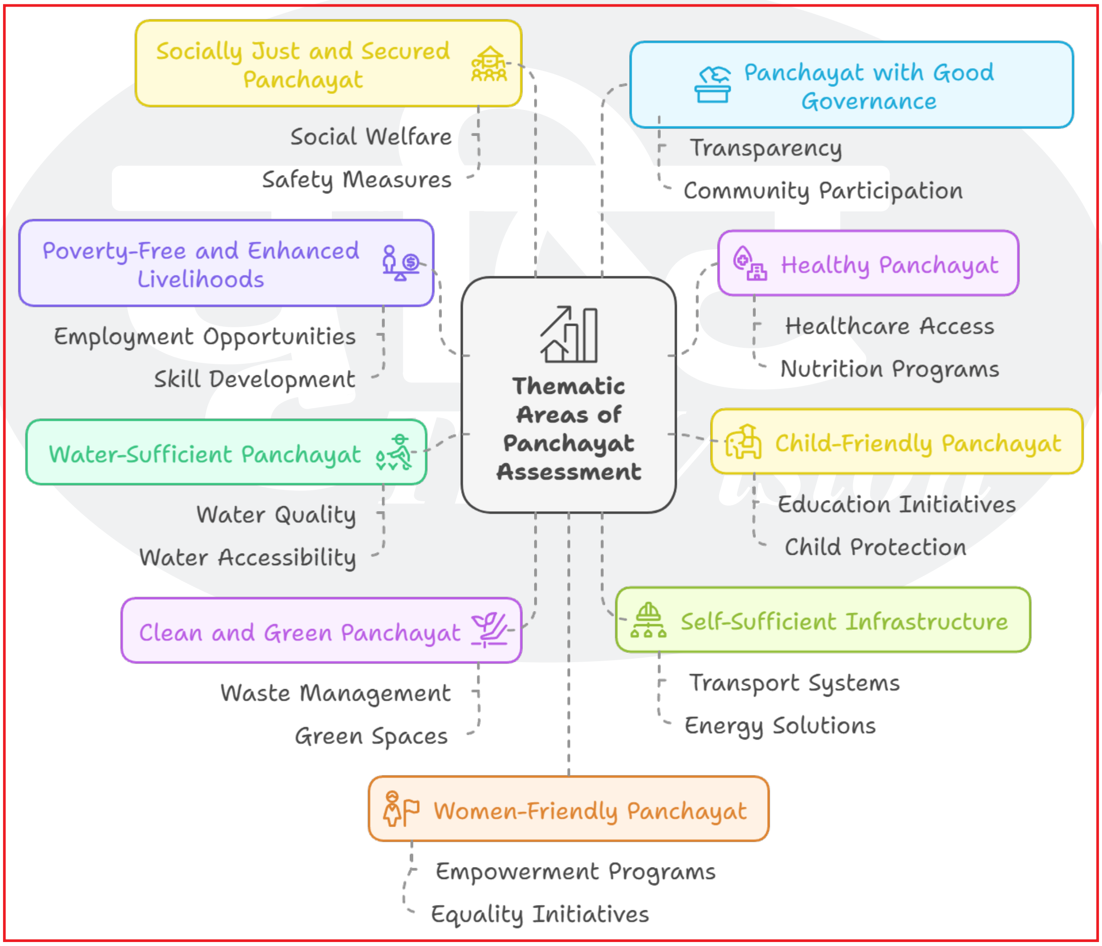

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार **73 वें संविधान संशोधन अधिनियम,** 1992 के अधिनियमन की याद में दिये जाते हैं, जिसने **पंचायतों** को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया।
  - ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल **(राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)** को प्रदान किये जाते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - इन पुरस्कारों का उद्देश्य **सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना** तथा पंचायतों को ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शासन और सेवाएँ प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिये प्रेरित करना है।
  - इन पुरस्कारों को वर्ष **2022 में सतत् विकास लक्ष्यों** (SDG) के साथ संरेखित करने के लिये **ब्लॉक, ज़िला, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर** पर **बहु-स्तरीय मूल्यांकन** का उपयोग करके नया रूप दिया गया।
  - पंचायतों का मूल्यांकन 9 विषयगत क्षेत्रों पर किया जाता है:
- **महत्त्व:**
  - ये पुरस्कार **सामाजिक-आर्थिक विकास, ज़मीनी स्तर पर शासन** और LSDG के माध्यम से **सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका** पर प्रकाश डालते हैं।
- **पुरस्कार की श्रेणियाँ:**
  - **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (DDUPSVP):** SDG (LSDG) के 9 **स्थानीयकरण** विषयों में से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 **ग्राम पंचायत** (GP)।
  - **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार:** सभी विषयों में समग्र उत्कृष्टता के लिये शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ज़िला पंचायतें।
  - **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है।
  - **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** **शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन** प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत को पुरस्कार।
  - **पंचायत क्षमाता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** LSDG को लागू करने में पंचायतों का समर्थन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वर्ष 2024 के पुरस्कार विजेता:**

Category	Key Achievements in 2024
Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar	Panchayats from Maharashtra, Odisha, and Uttar Pradesh recognized for achieving carbon neutrality.
Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar	Panchayats from Maharashtra, Odisha, and Tripura awarded for adopting sustainable energy practices.
DDUPSVP	27 GPs from states like Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Tripura, and Ladakh recognized across 9 LSDG themes.
Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan	Institutions from Kerala, Maharashtra, and Odisha honored for supporting PRIs in implementing LSDGs.
Nanaji Deshmukh Award	Nine Panchayats conferred for excellence in all nine thematic areas.

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- **स्वामित्व योजना:**
  - स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना का उद्देश्य **प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक के लिये "अधिकारों का रिकॉर्ड"** प्रदान करके **ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है,** जिससे **संपत्ति और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच** आसान हो सके।
    - **इसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस** पर लॉन्च किया गया था।
- **ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:**
  - **ई-ग्राम स्वराज** एक सरलीकृत अनुप्रयोग है जिसे पंचायती राज संस्थाओं के लिये **कार्य-आधारित लेखांकन का प्रबंधन** करने, वित्तीय प्रबंधन में **पारदर्शिता और जवाबदेही** बढ़ाने के लिये विकसित किया गया है।
- **परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग:**
  - एम-एक्शनसॉफ्ट (mActionSoft) एक मोबाइल-आधारित समाधान है जिसे पंचायत कार्यों से उत्पन्न परिसंपत्तियों के लिये **जियो-टैग (GPS निर्देशांक) के साथ तस्वीरें लेने के लिये डिज़ाइन** किया गया है।
- **नागरिक चार्टर:** पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने **नागरिकों को कुशल और समय पर सेवा वितरण** सुनिश्चित करने के लिये, **"मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार"** नारे के तहत, नागरिक चार्टर अपलोड करने के लिये पंचायतों के लिये एक मंच पेश किया है।

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक **25वीं** रही, जिससे इसे **"फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर" का स्थान प्राप्त हुआ।** इस इंडेक्स के अंतर्गत वैश्विक रोज़गार बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संबद्ध देश की तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स क्या है?

- **परिचय:** क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा विकसित, **इस सूचकांक के अंतर्गत, नवाचार, संधारणीयता और प्रतिभा विकास** पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उभरते वैश्विक रोज़गार बाज़ार की मांगों को पूरा करने में देशों की तत्परता के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जाता है।
- **संकेतक:** सूचकांक के अंतर्गत चार संकेतकों का उपयोग कर किसी देश की कौशल-संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने की तत्परता को मापा जाता है।
    - **कौशल अनुरूपता:** इसके अंतर्गत यह मापा जाता है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली **नियोक्ता की मांग** के साथ कितने व्यवस्थित प्रकार से संरेखित है।
    - **शैक्षणिक तत्परता:** यह विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्रौद्योगिकियों और हरित उद्योगों में छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिये प्रासंगिक कौशल प्रदान करनें में संबद्ध देश की उच्च शिक्षा प्रणालियों की क्षमता को दर्शाता है।
    - **आर्थिक परिवर्तन:** इसके अंतर्गत उत्पादकता, नवाचार और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, कार्यबल कौशल और औद्योगिक विकास के बीच अन्योन्यक्रिया की जाँच कर आर्थिक परिवर्तनों के प्रति देश की अनुकूलन क्षमता का आकलन किया जाता है।
    - **रोज़गार का भविष्य:** इसमें भविष्य के रोज़गार के लिये देश की तत्परता का आकलन किया जाता है तथा तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तनों के लिये अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

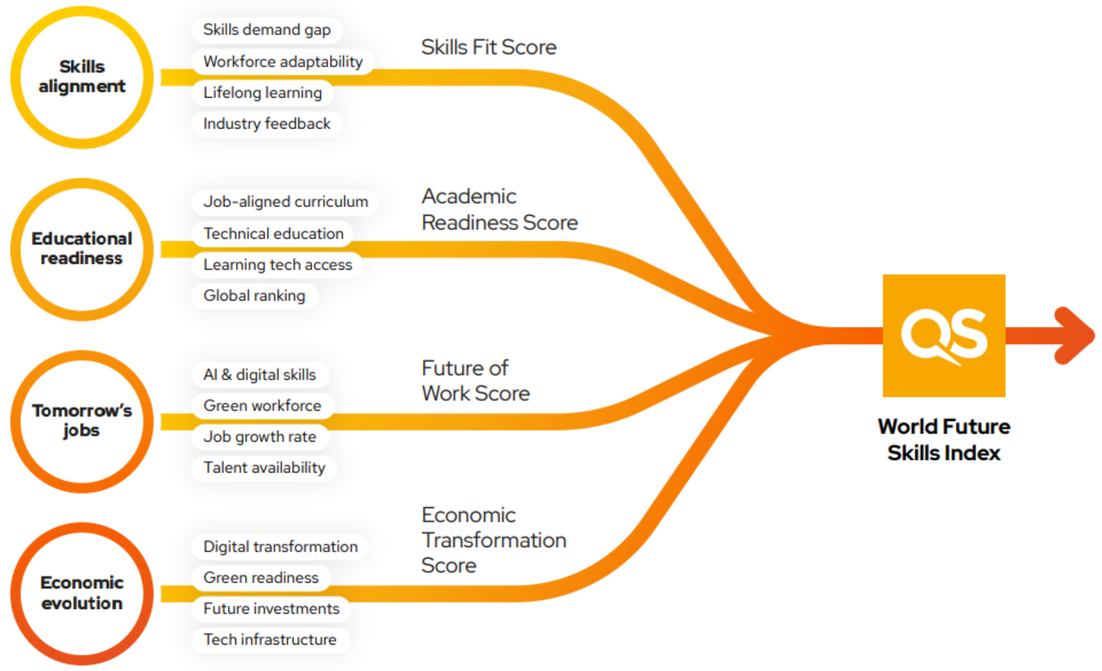

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- **रोज़गार का भविष्य:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और हरित उद्योगों जैसे **भविष्य-केंद्रित कौशल में तत्परता में** भारत का, अमेरिका के बाद, **विश्व स्तर पर दूसरा स्थान रहा।**
  - यह उभरती हुई रोज़गार भूमिकाओं के लिये **भारत की मांग-आधारित तत्परता को दर्शाता है।**
- **शैक्षणिक तत्परता:** इसमें भारत का स्थान **26वाँ** है, जो उच्च शिक्षा और भविष्य के रोज़गार बाज़ार की मांगों के बीच मध्यम संरेखण को दर्शाता है। नवाचार और अनुकूलनशीलता पर ज़ोर दिया गया किंतु इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।
- **कौशल अनुरूपता:** इसमें भारत का स्थान 37वाँ रहा, जो शीर्ष 30 देशों में सबसे निम्न स्थान है। यह कार्यबल के कौशल और नियोक्ता की मांगों के बीच गंभीर अंतराल को दर्शाता है, जो रोज़गार बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं के अनुकूल होने में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर चुनौतियों को उजागर करता है।
- **आर्थिक परिवर्तन:** इसमें भारत को 40वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो नवाचार और आर्थिक रणनीतियों को कार्यबल अनुकूलनशीलता के साथ संरेखित करने में चुनौतियों को उजागर करता है।

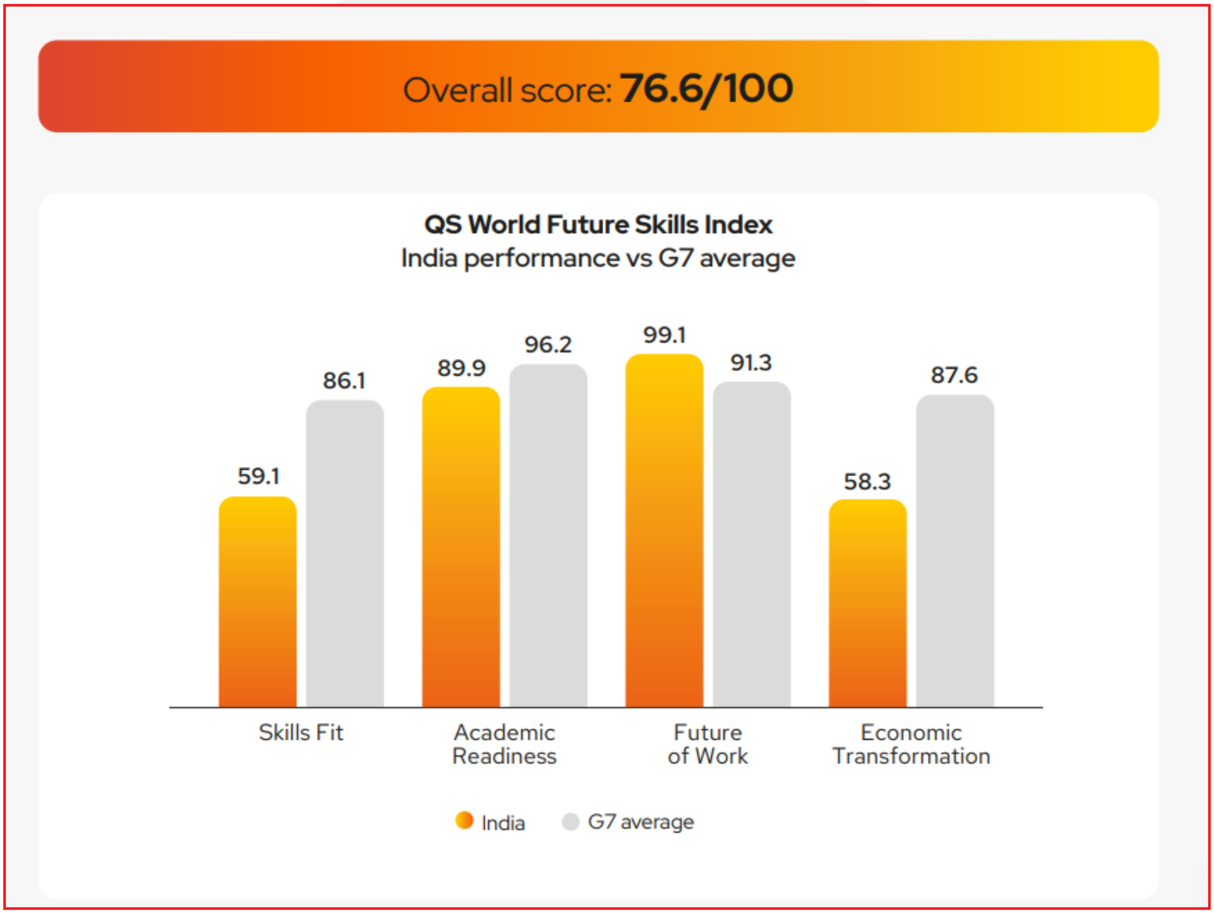

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

भविष्य के कौशल विकास से संबंधित भारत की पहल

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- हरित कौशल विकास कार्यक्रम
- विषयगत हब (टी-हब)
- स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (SCGJ)
- कौशल भारत मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- संकल्प योजना
- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (STRIVE)

कैलिफोर्निया में वनाग्नि

चर्चा में क्यों?

कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में विनाशकारी वनाग्नि से कई लोगों की मृत्यु हो गई है एवं संरचनात्मक क्षति हुई है, **तथा अधिकारी आग पर नियंत्रण पाने के लिये पिंक फायर रिटार्डेंट** का प्रयोग कर रहे हैं।

- वनाग्नि की **बढ़ती आवृत्ति के साथ** यह **सामान्य वनाग्नि के मौसम से इतर भी घटित हो रही हैं, जिससे इनके कारणों,** जलवायु परिवर्तन की भूमिका तथा संभावित समाधानों के बारे में प्रश्न उठ रहे हैं।
- अधिकारी वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिये **पिंक फायर रिटार्डेंट** का उपयोग कर रहे हैं।

नोट: भारत में, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) 2021 **के अनुसार, 35.47% वन क्षेत्र में आग लगने का खतरा है।**

कैलिफोर्निया में बार-बार होने वाली वनाग्नि के कारण और प्रभाव क्या हैं?

- **प्राकृतिक कारण:**
  - **वज्रपात:** वज्रपात से खासकर जब तेज़ हवाएँ चलती हैं तब वृक्ष और घास जैसी **शुष्क वनस्पतियाँ जल जाती हैं,** जिससे आग अनियंत्रित हो जाती है। **शुष्क मौसम में ऐसा होना सामान्य है।**
  - **जलवायु परिवर्तन:** कैलिफोर्निया में पिछली **दो सर्दियों (वर्ष 2022 और वर्ष 2023) में अत्यधिक वर्षा** हुई, जिससे वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा मिला।
    - **वर्ष 2024-2025 की असामान्य रूप से शुष्क सर्दियों** के कारण लॉस एंजिल्स की **वनस्पतियाँ सूख गई,** जिसने इसे **वनाग्नि के लिये ज्वलनशील** बना दिया।
    - ग्लोबल वार्मिंग ने शुष्क और आर्द्र मौसमों को भी बढ़ा दिया है, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा है और **वनस्पति में नमी कम हो गई है,** जिसके कारण वनाग्नि **की आवृत्ति और गंभीरता** में वृद्धि हुई है।
  - **सांता एना पवनें:** कैलिफोर्निया में सांता एना पवनें, आमतौर पर **अक्तूबर और जनवरी** के बीच तीव्र होती हैं, **वर्ष 2025 में असाधारण रूप से शक्तिशाली** रही हैं।
    - ये पवनें **ग्रेट बेसिन** में **उच्च दबाव प्रणालियों** से उत्पन्न होती हैं और **पूर्व से पश्चिम** की ओर गर्म, **शुष्क वायु** प्रवाहित करते हुए **प्रशांत तट की ओर** बहती हैं।
    - जैसे ही पवनें **सिएरा नेवादा और सांता एना पर्वतों से नीचे उतरती है** और घाटियों से गुज़रती है, **वह संपीड़ित** हो जाती है, जिससे इसका **तापमान बढ़** जाता है और **आर्द्रता कम** हो जाती है।
    - दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ये पवनें शुष्क वनस्पतियों, विद्युत् लाइनों और इमारतों में **तेज़ी से फैलकर वनाग्नि को और बढ़ा देती हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

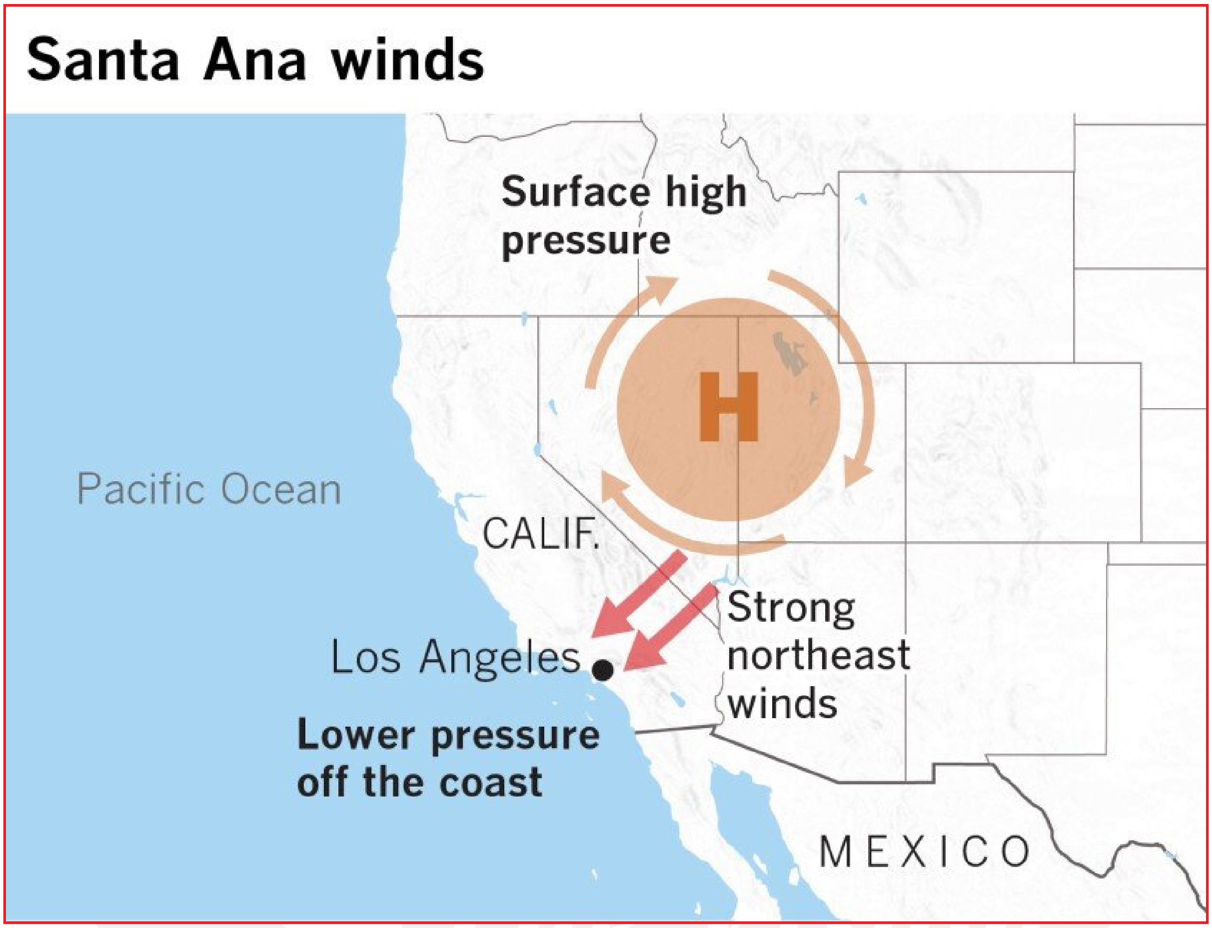

- **मानवीय हस्तक्षेप:** अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार, अमेरिका में होने वाली लगभग 85% **वनाग्नि** के लिये मानवीय गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं।
  - **कैंप फायर:** बिना देखरेख के या **अनुचित तरीके से बुझाए गए कैंप फायर,** वनाग्नि के मानव-प्रेरित प्रमुख कारण हैं।
  - **सड़क किनारे आग लगना:** वाहनों से निकलने वाली चिंगारी, जैसे चेन खींचने या **कैटेलिटिक कन्वर्टर्स** के दोषपूर्ण होने से राजमार्गों पर आग लग सकती है।
  - **विद्युत् लाइनें:** दोषपूर्ण या वायु-विक्षुब्ध विद्युत् लाइनें प्रायः वनाग्नि का कारण बनती हैं।
  - **अन्य मानवीय गतिविधियाँ:** उपकरणों की खराबी, आगजनी, तथा छोड़ी गई सिगरेटें भी वनाग्नि का कारण बनती हैं।
    - कभी-कभी **तस्कर और वन्यजीव तस्कर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने** या **अपराध के सबूत नष्ट करने** के लिये **वन में आग** लगाते हैं।
- **वनाग्नि का प्रभाव:**
  - जीवन और संपत्ति के विनाश से **आर्थिक हानि।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वायु प्रदूषण** सूक्ष्म कणों, अम्लों, कार्बनिक रसायनों, धातुओं, धूल और एलर्जी के कारण होता है।
- उच्च तापमान के कारण **भूमि का क्षरण** होता है, जिससे भूमि से सभी पोषक तत्त्व और वनस्पति नष्ट हो जाती है, तथा भूमि बंजर और अनुपजाऊ हो जाती है।
- **जैवविविधता की हानि**

पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है?

- **परिचय:**
  - यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसका उपयोग **वनाग्नि को मंद करने अथवा उसका शमन करने** हेतु किया जाता है।
  - इसमें मुख्य रूप से **अमोनियम फॉस्फेट आधारित घोल होता है जिसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट** जैसे लवण और **क्रोमियम** और **कैडमियम** जैसी विषाक्त धातुएँ होती हैं।
  - अमेरिका में प्राय: उपयोग में लाया जाने वाला अग्निरोधी **फॉस-चेक** है।
    - **फॉस-चेक जल, अमोनियम फॉस्फेट-आधारित उर्वरकों** (डायमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट) का मिश्रण है और इसकी प्रत्यक्ष दृश्यता के लिये इसमें **लाल रंजक (लौह ऑक्साइड)** मिश्रित किया जता है।
    - इसमें चिपचिपाहट बढ़ाने और वायवीय रूप से इसके छिड़काव के दौरान इसे बहने से रोकने हेतु **प्रगाढ़क कर्मक** भी मिश्रित किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्य:** आग लगने से पहले इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे **वनस्पतियों पर एक परत बन जाती है, जिससे दहन की दशा में ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता।**
  - इसका वर्ण **पिंक** इसलिये चुना गया क्योंकि इसकी **दृश्यता अत्यधिक** होती है, जिससे अग्निशमन कर्मियों को फायर लाइन पर अधिक प्रभावी रूप से निशाना साधने में मदद मिलती है।
- **संबंधित चिंताएँ:** क्रोमियम और कैडमियम जैसी विषाक्त धातुओं से **कैंसर और अंग क्षति** होती है तथा जलमार्गों को दूषित करने पर **जलीय जीवन के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।**

38वें राष्ट्रीय खेल और कलारीपयट्टू

भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ ने **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)** पर कलारीपयट्टू को **प्रतियोगी खेल** वर्ग में शामिल किये जाने के स्थान पर **प्रदर्शनात्मक खेल** का दर्जा दिये जाने का आरोप लगाया है।

- प्रदर्शन कार्यक्रम खेलों को **बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शित किये जाते हैं** और इन्हें आधिकारिक पदक तालिका से बाहर रखा जाता है।

कलारीपयट्टू से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- यह विश्व की **प्राचीनतम और वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट** मार्शल आर्ट्स में से एक है, जिसकी उत्पत्ति **केरल में हुई।**
  - योद्धा ऋषि **परशुराम** को कलारीपयट्टू की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसका प्रसारण बाद में **बोधिधर्म** (दक्षिण भारत के एक बौद्ध भिक्षु) ने **5वीं शताब्दी ईस्वी में शाओलिन मंदिर में चीन में किया था।**
- **दर्शनशास्त्र: मलयालम में "कलारी"** शब्द का तात्पर्य एक **परंपरागत व्यायामशाला** से है जहाँ **"पयट्टू" (लड़ाई या व्यायाम)** का शिक्षण होता है।
  - इसमें आठ जंतुओं अर्थात **हाथी, शेर, सूअर, घोड़ा, साँप, मुर्गा, बिल्ली और मछली** की आक्रमण और रक्षा प्रणालियों से प्रेरित तकनीकों के साथ **मन-शरीर समन्वय पर ज़ोर दिया जाता है।**
- **प्रकार:** कलारीपयट्टू के दो प्रकार हैं,
  - **उत्तरी:** यह **हथियारों और शरीर के रैखिक संचलन पर केंद्रित है,** और
  - **दक्षिणी:** इसमें **कम हथियारों के साथ बहु-दिशात्मक** संचलन पर ज़ोर दिया जाता है।
- **प्रशिक्षण के चरण:**
  - **मैप्पयाट्टू:** युद्ध के लिये **शरीर को अनुकूलित करना।**
  - **कोलथारी:** छोटी और लंबी छड़ियों जैसे **लकड़ी के शस्त्रों** से प्रशिक्षण/अभ्यास।
  - **अंगथारी:** भय पर विजय प्राप्त करने के बाद **धातु के तेज़ हथियारों** से अभ्यास।
  - **वेरुमकाई:** रणनीतिक हमलों के लिए शरीर रचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए **खाली हाथों से युद्धाभ्यास।**
- **वर्तमान संदर्भ: इसे 37वें राष्ट्रीय खेलों, गोवा** में एक प्रतिस्पर्द्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन **38वें राष्ट्रीय खेलों, उत्तराखंड में इसे एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल कर दिया गया।**
  - कलारीपयट्टू एथलीटों ने वर्ष 2023 राष्ट्रीय खेलों में 19 स्वर्ण सहित **22 पदक** जीते।

राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- भारत के राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का बहु-खेल आयोजन है, **जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** के एथलीट पदक के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - राष्ट्रीय खेलों का **38वाँ संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक उत्तराखंड** में होगा।
- **प्रतियोगिता संरचना:** राष्ट्रीय खेलों में 32 **प्रतिस्पर्द्धी खेल** स्पर्द्धाएँ होंगी।
  - इसके अलावा, **चार प्रदर्शन खेल अर्थात् कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंभ और राफ्टिंग,** भी शामिल किये जाएंगे।
- **थीम और टैगलाइन:** खेलों का शुभंकर **मौली** है, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी **मोनाल** से प्रेरित है, यह क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।
  - खेलों की टैगलाइन है **"संकल्प से शिखर तक"**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

मार्शल आर्ट

मार्शल आर्ट पारंपरिक युद्ध प्रणाली है, जिसका अभ्यास शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास और आत्मरक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जाता है।

ह्यूएन लैंगलॉन (मणिपुर)

- **अर्थ:** ह्यूएन (युद्ध) लैंगलॉन (ज्ञान)
- **घटक:** थांग-टा (सशस्त्र युद्ध) और सरित सरक (निहत्थे युद्ध)
- **शस्त्र:** थांग (तलवार) और ता (भाला)

लाठी खेला (पश्चिम बंगाल)

- **लाठियाल:** लाठी खेला का अभ्यासकर्त्ता
- **शस्त्र: लाठी** (विश्व के सबसे पुराने शस्त्रों में से एक)

गतका (पंजाब)

- घातक **शस्त्र विद्या** का टोंड-डाउन संस्करण।
  - तेज़ तलवारों (शास्त्र विद्या) का स्थान लकड़ी की छड़ियों और ढाल (गतका) ने ले लिया
- **सिख गुरुओं की भूमिका:** छठे सिख गुरु हरगोबिंद ने आत्मरक्षा के लिये 'कृपाण' को अपनाया था।
  - हालाँकि 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने इसे सभी के लिये अनिवार्य कर दिया।
- **शस्त्र:** तलवार और लाठियाँ
- **गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना:** वर्ष 2018

कलारीपयट्टू (केरल)

- यह सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक है
- **विशेषताएँ:** इस कला रूप में मॉक ड्यूल्स (सशस्त्र व निहत्थे युद्ध) और शारीरिक व्यायाम शामिल हैं।
  - फुटवर्क पर ध्यान दिया जाता है
- **कलारी (युद्धक्षेत्र):** वह स्थान, जहाँ इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है
- **शस्त्र:** प्रहार करना, किक मारना

मल्लखंब (मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र):

- **विशेषताएँ:** एक जिमनास्ट एक ऊर्ध्वाधर काष्ठ स्तंभ पर **हवाई योग (Aerial Yoga)** करता है
- **अर्थ:** मल्ल (पहलवान) खंब (पोल)
- **उत्पत्ति:** भारतीय उपमहाद्वीप

सिलंबम (तमिलनाडु)

- शस्त्रों की एक विस्तृत शृंखला के उपयोग की अनुमति देता है
  - **विशेषताएँ:** जानवरों की गतिविधियों (साँप, बाघ और चील) की रणनीति को शामिल करता है
  - **के द्वारा निर्मित:** भगवान मुरुग [भगवान शिव (कार्तिकेय) और ऋषि अगस्त्य के पुत्र]
  - **विस्तार:** तमिलनाडु से मलेशिया तक

काठी सामू (आंध्रप्रदेश)

- **शस्त्र:** विभिन्न प्रकार की तलवारें
- **गरदी:** वह स्थान, जहाँ काठी सामू का प्रदर्शन किया जाता है
- **स्टिक फाइट (वैरी):** तलवार की लड़ाई के अग्रगामी के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पाइक अखाड़ा (ओडिशा)

- **अर्थ:** योद्धा विद्वान
- **शारीरिक गतिविधि:** ढोल की थाप के साथ तालमेल बिठाने वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है।

परी खंडा (बिहार)

- यह मार्शल आर्ट **छऊ नृत्य** (यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत) का आधार है।
  - **अर्थ:** परी (ढाल) खंडा (तलवार)
  - **के द्वारा निर्मित:** राजपूत
  - **शस्त्र:** तलवार और ढाल

ठोडा (हिमाचल प्रदेश)

- मार्शल आर्ट, खेल और संस्कृति का मिश्रण
  - **फोकस:** तीरंदाजी का कौशल
  - **प्रदर्शन:** बैसाखी (13 और 14 अप्रैल)
  - **शस्त्र:** धनुष और तीर
  - **शामिल समूह:** पाशिस (पांडव) साथी (कौरव)

नोट

- विभिन्न **भारतीय मार्शल आर्ट**, वर्तमान में सेना की रेजिमेंटों के नियमित प्रशिक्षण का भाग हैं।
- **युवा मामले और खेल मंत्रालय** ने 4 स्वदेशी मार्शल आर्ट रूपों- **कलारीपयट्टू, मल्लखंब, गतका तथा थांग-ता** को **खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG)** में शामिल किया है।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

RBI ने सीमा पार लेनदेन के लिये FEMA नियमों को उदार बनाया

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार लेनदेन में **भारतीय रुपए (INR)** के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999** के तहत मानदंडों को उदार बनाया है।

- इस पहल का उद्देश्य **भारतीय रुपए को स्थिर करना तथा इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना है,** विशेषकर ऐसे समय में जब मुद्रा मूल्यह्रास दबावों का सामना कर रही है।

RBI द्वारा FEMA विनियमों में क्या परिवर्तन किये गए हैं?

- **अनिवासियों के लिये INR खाते खोलना: अधिकृत डीलर बैंकों** की विदेशी शाखाएँ अब अनिवासियों के लिये INR खाते खोल सकती हैं। यह अनिवासियों को भारत के निवासियों के साथ सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन को भारतीय रुपए में निपटाने की अनुमति देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रत्यावर्तनीय INR खाते:** RBI ने अनिवासियों को अपने प्रत्यावर्तनीय INR खातों, जैसे **विशेष अनिवासी रुपया खाते (SNRR)** और **विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA)** में शेष राशि का उपयोग करके अन्य **अनिवासियों के साथ लेनदेन का निपटान करने में सक्षम** बनाया है।
- **विदेशी निवेश:** **अनिवासी भारतीय (NRI)** अब अपने INR खाते में शेष राशि का उपयोग **गैर-ऋण साधनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** सहित विदेशी निवेश करने के लिये कर सकते हैं। इससे वैश्विक निवेश प्रवाह में INR की भूमिका मज़बूत होती है।
- **निर्यातकों के लिये विदेशी मुद्रा खाते:** भारतीय निर्यातक अब व्यापार लेनदेन निपटाने के लिये विदेश में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकते हैं। इसमें निर्यात आय प्राप्त करना और आयात के भुगतान के लिये उस धन का उपयोग करना शामिल है।

NRI खाते

- **NRI खाता:** NRI **(अनिवासी बाह्य) खाता** NRI द्वारा अपने निवास देश से आय के आधार पर खोला जा सकता है, लेकिन धनराशि भारतीय रुपए में रखी जाती है।
  - NRI खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त है, तथा मूलधन एवं ब्याज दोनों ही कर-मुक्त हैं।
- **NRO खाता: NRO (अनिवासी साधारण) खाता** NRI द्वारा भारत में अर्जित आय (जैसे, किराये की आय, व्यावसयिक आय, लाभांश, आदि) का प्रबंधन करने के लिये खोला जाता है, तथा इसे भारतीय रुपए में रखा जाता है। NRO खाते पर अर्जित ब्याज कर योग्य है।
- **FCNR (B) खाता:** FCNR **(विदेशी मुद्रा अनिवासी) खाता NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों (POI)** को RBI द्वारा निर्धारित किसी भी विदेशी मुद्रा में अपने निवास के देश में आय जमा करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - FCNR खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999

- **परिचय:** वर्ष 1973 के **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)** को वर्ष 1999 में FEMA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के उदारीकरण के बाद के आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप भारत के **विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास** को सुनिश्चित करते हुए बाह्य व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना है।
  - FEMA विदेशी मुद्रा लेनदेन को **चालू खाता लेनदेन और पूंजी खाता** लेनदेन में वर्गीकृत करता है।
- **पूंजी खाता लेनदेन:** यह उन लेनदेन को संदर्भित करता है जो भारत के निवासियों की भारत से बाहर **की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करते हैं**, या इसके विपरीत।
  - **इस श्रेणी के अंतर्गत जाने वाले प्रमुख लेन-देन में विदेशी प्रतिभूतियों** का अंतरण अथवा निर्गमन, निवासियों और अनिवासियों के बीच **विदेशी मुद्रा अथवा रुपए** में उधार लेना या देना, **मुद्रा नोटों का निर्यात/आयात** एवं भारत अथवा विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण या अंतरण शामिल हैं।
- **चालू खाता लेनदेन:** इसमें वे लेनदेन शामिल हैं जो पूंजी खाता लेनदेन से संबंधित नहीं हैं। इसमें विदेशी व्यापार, सेवाओं और निवेश से होने वाली आय के लिये भुगतान और साथ ही विप्रेषण और विदेशी सहायता जैसे अंतरण शामिल हैं।
- **मुख्य उद्देश्य और प्रावधान:**
  - **सिविल अपराध:** FEMA के अंतर्गत किया गया उल्लंघन सिविल अपराध माना जाता है, जबकि FERA की प्रकृति आपराधिक थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **RBI की भूमिका:** RBI के पास नियम जारी करने और FEMA के कार्यान्वयन की देखरेख करने का अधिकार है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

- **परिचय:** इस प्रक्रिया में सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूंजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - जुलाई 2022 में, भारत ने व्यापार में INR के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA)** पेश किया।
  - इसके अतिरिक्त, RBI ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
    - दिसंबर 2023 में, **विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों** को संशोधित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय रुपए सहित सभी विदेशी मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन की अनुमति प्रदान करना था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अदन की खाड़ी और लाल सागर

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री ने **अदन की खाड़ी**, **लाल सागर** और पूर्वी अफ्रीकी देशों से सटे समुद्री क्षेत्रों में **समुद्री डकैती**, **आतंकवाद** और क्षेत्रीय संघर्ष जैसे खतरों के बढ़ने की संभावना का संकेत दिया।

- इसके अतिरिक्त, **वर्ष 2024 को 'नौसेना नागरिक वर्ष'** के रूप में मनाया गया, जो नौसेना के कार्यबल का एक तिहाई हिस्सा हैं।

नोट: नौसेना के असैन्य कर्मियों में **बिना वर्दी वाले सैनिक** शामिल हैं, जो सैनिकों को महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिये **तकनीकी सहायता, प्रशासनिक प्रबंधन और लॉजिस्टिक सहायता** जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अदन की खाड़ी और लाल सागर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

अदन की खाड़ी:

- **परिचय:** यह **हिंद महासागर का एक विस्तार है,** जो उत्तर में **अरब प्रायद्वीप** और दक्षिण में **अफ्रीकी महाद्वीप** के बीच स्थित है।
- **अवस्थिति:** यह दक्षिण में **सोमालिया** और सोकोत्रा द्वीप समूह, उत्तर में **यमन,** पूर्व में **अरब सागर** और पश्चिम में **जिबूती** से घिरा हुआ है।
  - यह **गार्डाफुई चैनल** के माध्यम से **सोमाली सागर** से और **बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य** के माध्यम से **लाल सागर** से जुड़ता है।
- **आर्थिक महत्त्व: वैश्विक समुद्री पेट्रोलियम का लगभग 10% और भारत का 110 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का व्यापार** अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है।

लाल सागर:

- **परिचय:** यह विश्व का **सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सागर** है और **रेड सी रिफ्ट** के नीचे स्थित है, जो इसे **ग्रेट रिफ्ट वैली** का हिस्सा बनाता है।
  - **लाल सागर** नाम की उत्पत्ति संभवत: **लाल रंग के साइनोबैक्टीरिया (*ट्राइकोडेसमियम एरिथ्रियम*)** जो ऋतुवार खिलता है से हुई है।
  - **रेड सी रिफ्ट, अफ्रीकी और अरब प्लेटों** के बीच एक **अपसारी सीमा**, पूर्वी अफ्रीका से मध्य पूर्व तक फैली **ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली** का हिस्सा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अवस्थिति:** लाल सागर **अफ्रीका और एशिया** के बीच स्थित है और यह हिंद महासागर का एक **अर्द्ध-संलग्न विस्तार** है।
    - यह दक्षिण में **बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य** और **अदन की खाड़ी** के माध्यम से **हिंद महासागर और अरब सागर** से जुड़ता है।
    - उत्तर में, यह **सिनाई प्रायद्वीप** पर **अकाबा की खाड़ी और स्वेज़ की खाड़ी में विभाजित हो जाता है,** तथा **स्वेज़ नहर के माध्यम से भूमध्य सागर** से जुड़ जाता है।

- **सीमावर्ती देश:** लाल सागर की सीमा **छह देशों** से लगती है, अर्थात् पूर्व में **यमन और सऊदी अरब, तथा** पश्चिम में **मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती** ।
    - अकाबा की खाड़ी की सीमा **मिस्र, इज़रायल, जॉर्डन और सऊदी अरब** से लगती है।
- **द्वीप:** प्रमुख द्वीपों में अकाबा की खाड़ी के पास **तिरान,** स्वेज़ की खाड़ी में **शादवान और यमन-नियंत्रित कामरान, पेरिम, हनीश और सोकोत्रा** शामिल हैं।
    - द्वीपों का सबसे बड़ा समूह पूर्व में **फरासन द्वीप समूह** और पश्चिम में **दहलाक द्वीपसमूह** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

संत नरहरि तीर्थ

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में **सिंहचलम मंदिर** में 13वीं **शताब्दी** के **संत नरहरि तीर्थ** की तीन फुट ऊँची प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें उन्हें ताड़ के पत्तों पर लिपि में दर्शाया गया है जिनके दोनों ओर श्रद्धालु खड़े हैं।

संत नरहरि तीर्थ से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **संत नरहरि तीर्थ (1243-1333 ई.) माधव परंपरा** के एक **द्वैत दार्शनिक, बुद्धिजीवी, विद्वान, राजनेता** व संत थे।
  - वे **आंध्र प्रदेश के चिकाकोलू (आधुनिक श्रीकाकुलम) के निवासी थे तथा उनका जन्म ओडिशा के गजपति साम्राज्य** में एक कुलीन परिवार में हुआ था।
- **पूर्वी गंग राजवंश में भूमिका: 30 से अधिक वर्षों तक, नरहरि तीर्थ ने पूर्वी गंग राजवंश** के राजाओं की सहायता की।
  - उन्होंने शासकों को **सनातन धर्म** का पालन करने में सहायता तथा मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिये एक संरचित कार्यकारी प्रणाली की स्थापना की।
  - उनके प्रयासों का विवरण **सिंहचलम** और **श्रीकुरमम मंदिरों में पाए गए** शिलालेखों में मिलता है।
- **धार्मिक योगदान:** वे **द्वैत दर्शन** के प्रवर्तक **माधवाचार्य** के अनुयायी थे और उन्होंने इस क्षेत्र में **माधवाचार्य के वैष्णववाद** का प्रचार किया, तथा **अहस्तक्षेपकारी, धर्मनिरपेक्ष** तरीके से इसकी दृढ़ स्थापना सुनिश्चित की।
  - उनके प्रभाव से क्षेत्र में **धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं** को बनाए रखने में मदद मिली।
  - उनके योगदान को मान्यता देने के लिये **"लोक सुरक्षा अति निपुण:"** और **"यो अवति कलिंग भू संभवन्"** जैसी सम्मान उपाधियाँ दी गई हैं।
- **बौद्धिक विरासत:** वह एक विपुल लेखक थे, उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, हालाँकि उनकी केवल 2 रचनाएँ - **गीता भाष्य** और **भावप्रकाशिका** ही बची हैं।
  - कन्नड़ में प्रथम **देववर्णम** की रचना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।
- **सांस्कृतिक योगदान:** उन्होंने **क्षेत्रीय कला रूपों** के विकास में भी योगदान दिया और **यक्षगान बयालता** (तटीय कर्नाटक का एक नृत्य-नाट्य रूप) और शास्त्रीय नृत्य शैली, जो आंध्र प्रदेश में **कुचिपुड़ी** के रूप में विकसित हुई, के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
- **विरासत:** उनकी मृत्यु के बाद, नरहरि तीर्थ को **तुंगभद्रा नदी** के तट पर **हम्पी में चक्रतीर्थ** के पास प्रतिष्ठित किया गया।
  - उनका योगदान **पुरी जगन्नाथ** की मंदिर परंपराओं को प्रभावित करता रहा है तथा **ओडिशा में माधव परंपरा** को मज़बूत करता रहा है।

पूर्वी गंग राजवंश

- उन्होंने **5 वीं से 15 वीं शताब्दी तक कलिंग** (आधुनिक पूर्वी तटीय भारत) पर शासन किया तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश सहित कई क्षेत्रों पर नियंत्रण किया।
- उनकी प्रारंभिक राजधानी **कलिंगनगर** थी, और द्वितीयक राजधानी **दंतपुरा (पालुर)** थी।
- उल्लेखनीय शासकों में **अनंतवर्मन चोडगंग** (1078-1147 ई.) शामिल हैं, जो कला और साहित्य के संरक्षक थे और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिये प्रसिद्ध हैं। उनके उत्तराधिकारी **नरसिंह देव प्रथम** ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और **कोणार्क सूर्य मंदिर** का निर्माण कराया।

- राजवंश की संपत्ति से **मंदिर का निर्माण किया गया** तथा राजनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा मिला, जिनमें **चोल** और **चालुक्य** राजवंशों के साथ **विवाह भी शामिल थे**।

सिंहाचलम मंदिर

- यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है और **भगवान नरसिंह** को समर्पित **है**, जो **भगवान विष्णु के अवतार हैं** ।
- इसका निर्माण **11वीं शताब्दी में ओडिशा के गजपति शासकों** द्वारा किया गया था और बाद में इसे **वेंगी चालुक्यों** और **पूर्वी गंग राजवंश** के **नरसिंह प्रथम द्वारा पुनर्निर्मित** किया गया था।
- इस मंदिर में जटिल नक्काशी और प्रतिमाओं के साथ **कलिंग और द्रविड़** स्थापत्य शैली का संयोजन देखने को मिलता है, जिनमें एक पाषाण से निर्मित रथ और कल्याण मंडप में 16 नक्काशीदार स्तंभ शामिल हैं।
- मंदिर का इतिहास 1516 ई. में **कृष्णदेव राय** जैसे प्रमुख शासकों के आगमन से संबंधित है।

माधवाचार्य

- मध्वाचार्य (1238 ई.) एक **हिन्दू दार्शनिक और वेदांत के द्वैतवाद** के प्रवर्तक थे।
- उन्होंने **आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा)** और **ब्रह्म (परम वास्तविकता, विष्णु)** के बीच **मूल प्रथकता का दर्शन दिया** और उनके अनुसार **ये दोनों पृथक और अपरिवर्तनीय वास्तविकताएँ हैं।**
- उनके प्रमुख कार्यों में **गीता भाष्य** और **विष्णुतत्त्वविनिर्णयः** शामिल हैं।

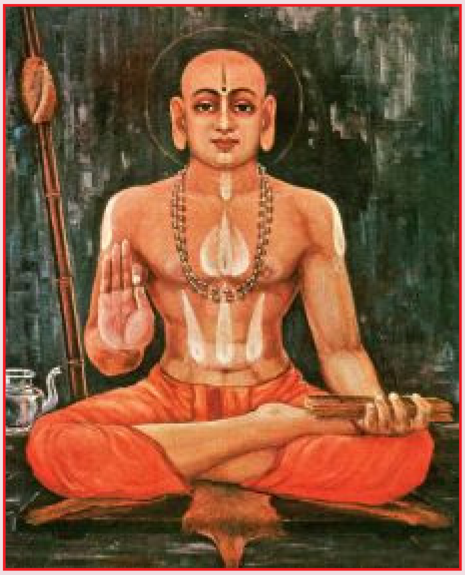

न्यूरोनल विकास में व्यायाम की भूमिका

चर्चा में क्यों?

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक अध्ययन से पता चला है कि व्यायाम **न केवल मांसपेशियों को मज़बूत** करता है, बल्कि जैव रासायनिक और भौतिक तंत्र के माध्यम से **न्यूरॉन वृद्धि को भी बढ़ावा** देता है।

नोट: मांसपेशियाँ विशिष्टीकृत ऊतक है जो **बल उत्पन्न करती है और गति को सक्षम** बनाती है। **एक्टिन और मायोसिन** जैसे संकुचनशील प्रोटीनों से बनी यह प्रोटीन संकुचन और विश्राम को सुगम बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- मानव शरीर में तीन प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं: **कंकाल** (स्वैच्छिक, धारीदार, गति और मुद्रा को नियंत्रित करती है), **हृदय संबंधी** (अनैच्छिक, धारीदार, रक्त पंप करती है) और **लचीली** (अनैच्छिक, गैर-धारीदार, अंग कार्यों को बनाए रखती है)।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **तंत्रिका-मांसपेशी क्रॉसटॉक:** यह अध्ययन उस पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है कि तंत्रिकाएँ केवल मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं, तथा इससे **द्विदिशीय संबंध** का पता चलता है:
  - इसमें मांसपेशियाँ **रासायनिक संकेतों को जारी करके तंत्रिका वृद्धि को बढ़ावा देती हैं,** जबकि मांसपेशियों के संकुचन से उत्पन्न **यांत्रिक बल** तंत्रिका संरचना को बेहतर बनाने और पुनर्जनन में सहायता करते हैं।
- **मायोकाइन्स की भूमिका: व्यायाम से मायोकाइन्स** के स्राव में वृद्धि होती है, जो मांसपेशियों द्वारा स्रावित होने वाला **एक जैव रासायनिक यौगिक** है। जो **न्यूरोनल विकास** (4 गुना तेज़) में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि करता है तथा **तंत्रिका परिपक्वता** एवं कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार करता है।
- **शारीरिक तनाव और तंत्रिका वृद्धि:** मांसपेशी संकुचन के दौरान उत्पन्न शारीरिक बल तंत्रिकाओं को यांत्रिक रूप से उत्तेजित करते हैं, जिससे मायोकाइन एक्सपोजर के बराबर तंत्रिका वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन्स के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **तंत्रिका तंत्र:** तंत्रिका तंत्र **विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करके शरीर के अंगों के बीच संचार की सुविधा** प्रदान करता है जिससे आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया सक्षम होती है।
- **प्रकार और कार्य:** इसके दो मुख्य घटक हैं: **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS)** और **परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS)**।
  - CNS में **मस्तिष्क (यह शरीर के कार्यों और चेतना को** नियंत्रित करता है) और **रीढ़ की हड्डी** (इससे शरीर में **संकेत प्रेषित होते हैं**) शामिल हैं।
  - PNS में CNS के बाहर की सभी तंत्रिकाएँ शामिल होती हैं और इसे **स्वायत्त तंत्रिका तंत्र** (जो हृदय गति एवं पाचन जैसे **अनैच्छिक कार्यों** को नियंत्रित करता है) और **दैहिक तंत्रिका तंत्र** (जो **स्वैच्छिक गतिविधियों** और संवेदी इनपुट को नियंत्रित करता है) में विभाजित किया जाता है।

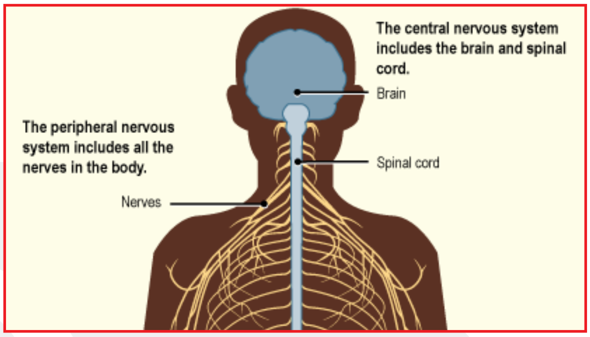

- **न्यूरॉन्स:** न्यूरॉन्स (जिन्हें न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएँ भी कहा जाता है) **मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र** की मूलभूत इकाइयाँ हैं।
  - **बाहरी वातावरण से संवेदी इनपुट प्राप्त करने,** हमारी मांसपेशियों को मोटर कमांड भेजने तथा बीच में हर कदम पर विद्युत संकेतों को बदलने और रिले करने के लिये ज़िम्मेदार कोशिकाएँ हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के तीन मुख्य भाग होते हैं:
    - **डेन्ड्राइट्स:** यह अन्य न्यूरॉन्स या संवेदी रिसेप्टर्स से आने वाले संकेतों को प्राप्त करते हैं।
    - **एक्सॉन:** यह विद्युत आवेगों को कोशिका से अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक ले जाता है।
    - **एक्सॉन टर्मिनल:** इससे न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा अन्य कोशिका तक संकेत भेजने में भूमिका निभाई जाती है।
  - **न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ सिनेप्स के माध्यम** से समन्वय करते हैं जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर कोशिकाओं के बीच की दूरी को कम करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

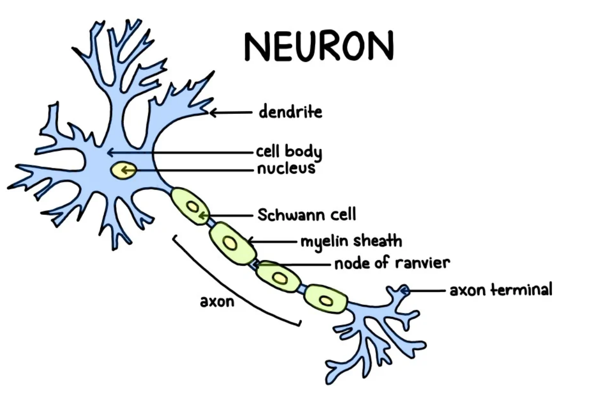

सीप (ऑयस्टर) के रोगाणुरोधी गुण

चर्चा में क्यों?

नए शोध के अनुसार, ऑयस्टर हेमोलिम्फ (रक्त के समतुल्य) से पृथक किये गए रोगाणुरोधी (Antimicrobial) प्रोटीन द्वारा कुछ दवा प्रतिरोधी जीवाणु (ड्रग रज़िस्टेंस बैक्टीरिया) को नष्ट किया जा सकता है।

- ये प्रोटीन प्रतिरोधी बैक्टीरिया प्रजातियों के विरुद्ध **पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं** की प्रभावकारिता में भी सुधार कर सकते हैं।

सीप (ऑयस्टर) के रोगाणुरोधी (Antimicrobial) गुणों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **सीप (ऑयस्टर) की भूमिका:** सीप के हेमोलिम्फ से रोगाणुरोधी **प्रोटीन और पेप्टाइड्स:**
  - **निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और आमवात या रूमेटीज्म (Rheumatism) बुखार** के लिये ज़िम्मेदार ***स्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी*** *जैसे* बैक्टीरिया को नष्ट करना।
  - एंटीबायोटिक्स और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बैक्टीरिया की रक्षा करने वाली बायोफिल्म्स को बाधित और भेदन करना।
  - पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को 2 से 32 गुना तक बढ़ाना।
- **सीपों की प्रतिरक्षा सुरक्षा:** सीपों को अपने समुद्री वातावरण में कई **सूक्ष्मजीवों का सामना करना पड़ता है, इसलिये उनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा** मज़बूत होती है।
  - ऑयस्टर हेमोलिम्फ में **एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स होते** हैं जो विभिन्न मानव और समुद्री रोगजनकों के विरूद्ध प्रभावी होते हैं।
- **नए रोगाणुरोधी एजेंट:** आजकल लोग जिन **90% से ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं** का इस्तेमाल करते हैं, वे प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। यह बात 65% से ज़्यादा नए विकसित एंटीबायोटिक दवाओं पर भी लागू होती है।
- **पारंपरिक प्रासंगिकता:** इसका उपयोग **पारंपरिक चीनी चिकित्सा में** श्वसन और सूजन संबंधी स्थितियों के इलाज के लिये किया जाता है।
  - यह स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों की स्वास्थ्य प्रथाओं के लिये आवश्यक है।

नोट: विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग **5 मिलियन व्यक्तियों की रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों** से मृत्यु होती है।

- रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों की वार्षिक संख्या में **70% की बढ़ोतरी** होने की संभावना है तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 से 2050 के बीच **40 मिलियन लोगों की इससे मृत्यु हो जाएगी।**
- **बायोफिल्म्स जीवाण्विक समुदाय** हैं जो **स्वयं-उत्पादित पदार्थ** में अंत:स्थापित होते हैं, जो **सतहों पर चिपक जाते हैं** तथा जीवाणुओं को **प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीबायोटिक औषधियों से बचाते हैं।**
  - वे लगभग सभी **जीवाणु संक्रमणों** में पाए जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

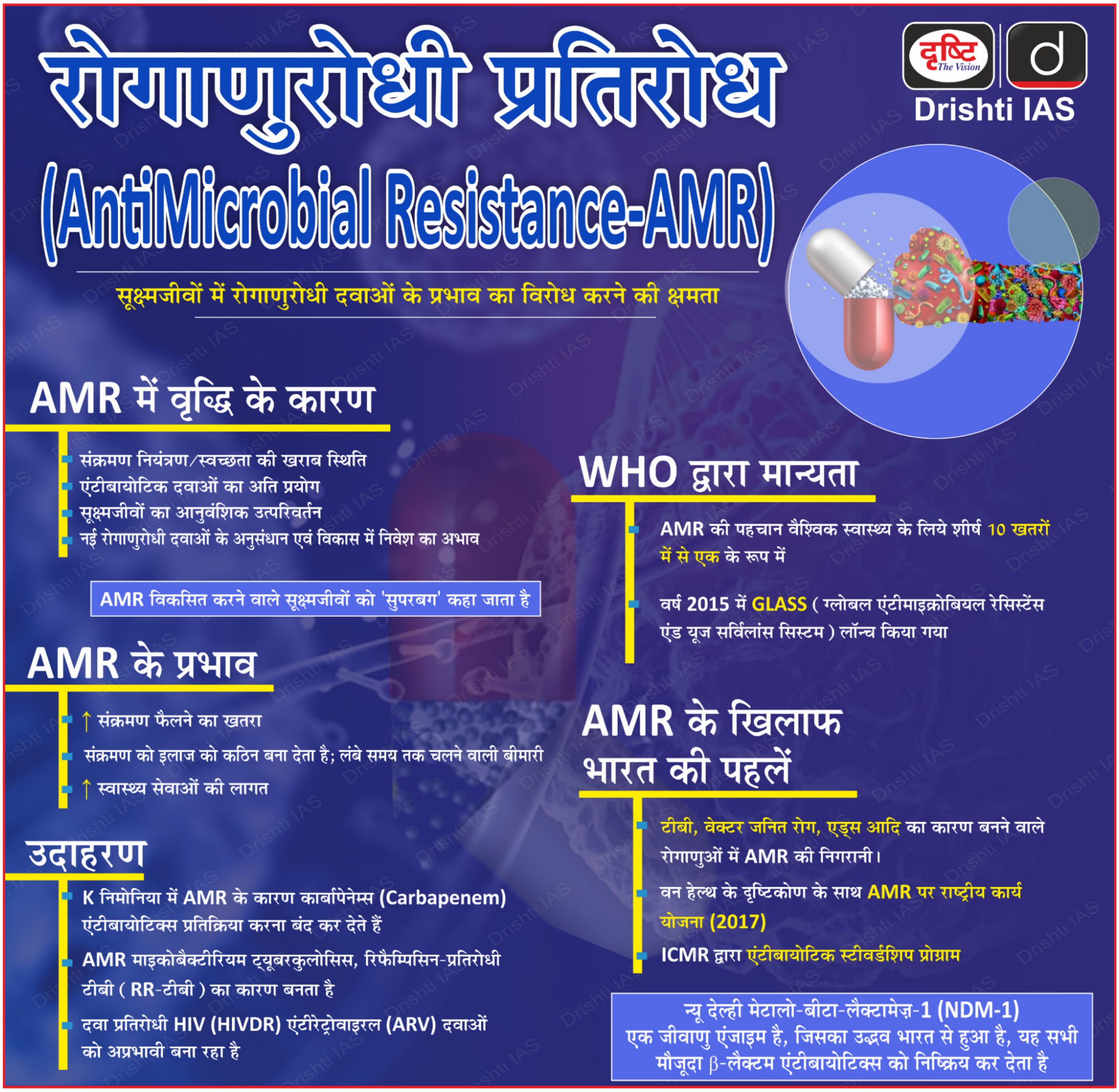

सीप क्या हैं?

- **परिचय:** कस्तूरा ***Ostreidae* कुल से संबंधित हैं** और **अकशेरुकी** के रूप में वर्गीकृत हैं।
  - ये **सर्वाहारी** होते हैं और समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें **निवह, बेड या रीफ** कहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वे खुरदुरे, शैल जैसे कठोर तथा प्राय: अंडाकार या नाशपाती के आकार के खोल से आवृत होते हैं।
- **पर्यावास:** सीप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में **उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं** और समुद्र तल अथवा भित्तियों में निवह निर्मित करते हैं।
  - खाद्य सीप से यदा कदा मोती प्राप्त हो सकता है, हालाँकि वे **मोती सीपों** के समान **नहीं** होते हैं, जो एक अलग **द्विकपाटी कुल** से संबंधित होते हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:**
  - **कीस्टोन प्रजातियाँ** वे जीव हैं जिनका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर उनकी **संख्या के सापेक्ष व्यापक प्रभाव** पड़ता है। उदाहरण के लिये, **बाघ, समुद्री ऊदबिलाव** आदि।
  - सीप **नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, बैक्टीरिया और कार्बनिक पदार्थ** जैसे प्रदूषकों को हटाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और स्पष्टता में काफी सुधार होता है।
  - **प्रमुख प्रजातियाँ:** सीपों को **कीस्टोन प्रजाति** माना जाता है, क्योंकि सीपों की तलहटी और चट्टानें **समुद्री एनीमोन, बार्नाकल और मसल्स** सहित विभिन्न समुद्री जीवों के लिये **महत्त्वपूर्ण आवास और सुरक्षा** प्रदान करती हैं।
  - **जल निस्यंदन:** एक सीप **प्रति घंटे दो गैलन से अधिक जल** को निस्यंदित कर सकता है, जो कि प्रतिदिन 50 गैलन तक हो सकता है।
- **आहार और व्यवहार:** सीप अपने गलफड़ों से **भरे जल से शैवाल** और **खाद्य कणों** को निस्यंदित कर भोजन प्राप्त करते हैं।
  - सभी सीपें **जीवन की शुरुआत नर के रूप में** करती हैं, लेकिन आमतौर पर लगभग एक वर्ष के बाद **स्थायी रूप से मादा में बदल** जाती हैं। इसके अलावा, सीप अपने जीवनकाल में **कई बार लिंग बदल सकते हैं।**
- **भोजन के रूप में भूमिका:** इनमें **कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है** और हज़ारों वर्षों से मनुष्य इन्हें उपभोग करते आ रहे हैं।

RBI ने ARC के लिये संशोधित 'मास्टर अनुदेश' जारी किया

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने '**मास्टर अनुदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ-ARC) निर्देश, 2024**' को संशोधित किया है।

- ARC के लिये संशोधित मानदंडों का उद्देश्य **परिचालन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना** और निपटान प्रक्रियाओं में उचित परिश्रम पर ज़ोर देना है।

ARC पर RBI के संशोधित मास्टर अनुदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **बोर्ड-अनुमोदित नीति:** प्रत्येक **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC)** को उधारकर्त्ताओं के बकाये के निपटान के लिये **बोर्ड-अनुमोदित नीति** स्थापित करनी चाहिये, जिसमें विभिन्न प्रमुख तत्त्व शामिल होंगे जैसे:
  - **एकमुश्त निपटान** की पात्रता हेतु **अंतिम तिथि।**
  - निपटान राशि तय करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिये **अनुमेय त्याग।**
  - प्रतिभूति के **प्राप्ति योग्य मूल्य** के मूल्यांकन की **पद्धति।**
- **निपटान प्रक्रिया: पुनर्प्राप्ति के सभी विकल्पों** का पता लगाने के बाद ही निपटान पर विचार किया जाना चाहिये।
  - अधिमानत:, निपटान राशि का **भुगतान एकमुश्त** (एकमुश्त भुगतान) किया जाना चाहिये।
  - **गैर-एकमुश्त** भुगतान योजनाओं को **व्यवसाय मॉडल, उधारकर्त्ता नकदी प्रवाह और अनुमानित आय** के साथ संरेखित होना चाहिये।
- **स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC):** तकनीकी, वित्तीय या कानूनी विशेषज्ञों वाली एक IAC को निपटान प्रस्तावों की समीक्षा करनी चाहिये तथा ARC की बोर्ड समिति को सलाह देनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ARC क्या हैं?

- **ARC:** ARC एक विशेष प्रकार का **वित्तीय संस्थान** है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) खरीदता है तथा ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली** का प्रयास करता है।
- **ARC की पृष्ठभूमि:** ARC की अवधारणा **नरसिम्हम समिति-II (1998) द्वारा पेश की गई थी,** जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम, 2002) के तहत ARC की स्थापना हुई।
- **ARC का पंजीकरण और विनियमन: ARC कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत है तथा इसे **SARFAESI अधिनियम, 2002** की **धारा 3** के तहत **RBI** के साथ भी पंजीकृत होना चाहिये।
  - यह SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत कार्य करता है तथा **RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों** का पालन करता है।
- **ARC की कार्यप्रणाली:**
  - **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण:** इसमें वसूली के लिये बैंक या वित्तीय संस्थान के **ऋण, अग्रिम, बॉण्ड, गारंटी या अन्य ऋण** सुविधाओं के अधिकार प्राप्त करना शामिल है, जिसे **'वित्तीय सहायता'** के रूप में जाना जाता है।
- **प्रतिभूतिकरण:** इसमें **योग्य खरीदारों (QB)** को **प्रतिभूति रसीदें** जारी करके वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना शामिल है।
  - QB में **बीमा कंपनियाँ, बैंक, राज्य वित्तीय निगम,** SARFAESI के तहत ARC और सेबी-पंजीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ शामिल हैं।
- **प्रतिभूति रसीद:** ARC **ऋणदाताओं** को प्रतिभूति रसीदें जारी करते हैं, जो ऋण वसूली पर मोचनीय (Redeemable) होती हैं, प्रबंधन शुल्क लेते हैं, तथा **वसूली लाभ** को विक्रय करने वाले वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

- **NPA:** NPA वह ऋण है जिसे **NPA के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है** जब ऋण भुगतान **90 दिन के अधिक अवधि के लिये अतिदेय हो गया हो।**
  - **कृषि** के लिये, यदि **दो फसल मौसमों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है** तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **प्रकार: बैंक** गैर-निष्पादन की अवधि और वसूली की संभावनाओं के आधार पर NPA को **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत करते हैं ।
  - **अवमानक परिसंपत्तियाँ: 12 माह या उससे कम** अवधि की NPA।
  - **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ: 12 माह से अधिक** अवधि की NPA।
  - **हानि परिसंपत्तियां:** ऐसी अप्राप्य परिसंपत्तियाँ जिनकी **वसूली की संभावना बहुत कम या असंभव है**, तथा जिन्हें पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ और लोधा जनजाति

चर्चा में क्यों?

ओडिशा वन विभाग ने ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व (STR) में एक **दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार** के लिये **लोधा जनजाति** के 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है।

- उप-वयस्क मेलेनिस्टिक बाघ एक **दुर्लभ समूह** का हिस्सा था, अनुमानतः विश्व में ऐसे केवल 20 बाघ ही बचे हैं।

मेलानिस्टिक बाघ के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **मेलानिज़्म और मेलानिस्टिक टाइगर: मेलानिज़्म** एक आनुवंशिक स्थिति है, जिसमें **पशु अधिक मेलानिन का उत्पादन** करते हैं, जिसके कारण **उनकी त्वचा, फर या पंख गहरे या काले** हो जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- मेलेनिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है।
- STR के **रॉयल बंगाल टाइगर** में एक अनोखी आनुवंशिक विशेषता होती है, जिसमें **मेलेनिन का स्तर अधिक** होता है, जिसके परिणामस्वरूप **काली और पीली धारियों का पैटर्न बनता है,** जो उन्हें **छद्म-मेलेनिस्टिक** बनाता है।
  - **अखिल ओडिशा बाघ अनुमान (AOTE)** 2023-24 रिपोर्ट का अनुमान है कि **STR में 27 बाघ** हैं, जिनमें **13 वयस्क छद्म-मेलेनिस्टिक बाघ** शामिल हैं, जो एक अद्वितीय लक्षण है जो किसी अन्य **वन्य आवास** में नहीं पाया जाता है।

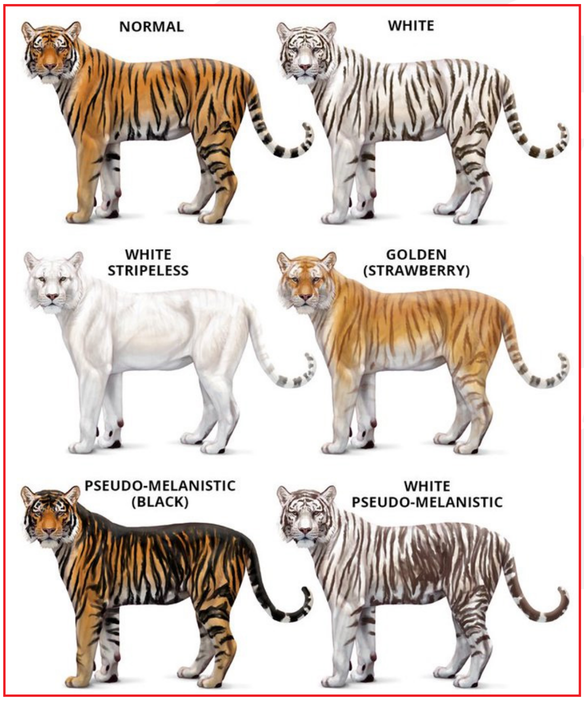

बाघों में अन्य रंग भिन्नताएँ क्या हैं?

- **काली अथवा भूरी धारियों वाला ऑरेंज टाइगर:** यह बाघ का **सबसे सामान्य तथा व्यापक** रूप से मान्यता प्राप्त प्रकार है। उदाहरणार्थ **रॉयल बंगाल टाइगर।**
  - प्रत्येक बाघ का **धारी पैटर्न अद्वितीय** होता है जो प्राकृतिक आवास में छद्मावरण (Camouflage) के रूप में कार्य करता है।
- **व्हाइट टाइगर:** उन्हें एक **अलग उप-प्रजाति नहीं** माना जाता है। **व्हाइट टाइगर के फर का रंग ल्यूसिज़्म नामक आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम** है।
- **गोल्डन टाइगर:** इन्हें भी **एक अलग उप-प्रजाति नहीं माना जाता** है। इनका सुनहरा रंग **"वाइडबैंड"** नामक एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो बालों के विकास के दौरान **मेलेनिन उत्पादन को कम** करता है।
  - यह भिन्नता **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में देखी गई है।

सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व

- **अवस्थिति:** सिमलीपाल **दक्कन प्रायद्वीप जैव-भौगोलिक क्षेत्र** में स्थित है।
- **वनस्पति:** इसमें **उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास** के मैदान मौजूद हैं।
- **फ्लोरा:** भारत के 7% पुष्प वाले पादप और 8% ऑर्किड प्रजातियाँ यहीं हैं।
- **जैवविविधता:** बाघों के अलावा अन्य प्रमुख प्रजातियों में **सांभर, चीतल, बार्किंग डियर, गौर, चूहा हिरण, तेंदुए, फिशिंग कैट** आदि शामिल हैं।
  - प्रबंधन प्रयासों ने **खैरी** और **देव** नदियों के किनारे **मगरमच्छों** की आबादी को पुनर्जीवित कर दिया है।
- इसे वर्ष 2009 से **ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर** साइट के रूप में भी नामित किया गया है।

लोधा जनजाति

- यह **लगभग 3000** की आबादी के साथ **मयूरभंज और कटक,** ओडिशा में रहने वाला एक विशेष रूप से **कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)** है।
  - PVTG **अनुसूचित जनजातियों (ST)** के अंतर्गत एक उप-श्रेणी है, जिसे सामान्य **ST आबादी की तुलना में अधिक असुरक्षित** माना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ST समूह को PVTG सूची में वर्गीकृत करने से **उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाने और लक्षित सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद** मिलती है।
  - **भारत में 75 PVTG** हैं, जिनमें से **सबसे अधिक 13 ओडिशा** में हैं, तथा उसके बाद 12 आंध्र प्रदेश में हैं।
- **भाषा:** कुडुमाली, ओडिया
- **उत्पत्ति:** ब्रिटिश द्वारा **आपराधिक जनजाति अधिनियम** के तहत वर्गीकृत, इनका नाम ***लुब्धक*** **(जालसाज)** से लिया गया है।
- **व्यवसाय:** पारंपरिक रूप से **शिकारी-संग्राहक और टसर कोकून संग्राहक**; अब **कृषि, मजदूरी, रस्सी बनाने और छोटे व्यवसायों में संलग्न।**
- **आहार: मछली और कछुआ**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने **खाद्य सुरक्षा** बढ़ाने तथा **इथेनॉल उत्पादन** को समर्थन देने के क्रम में वर्ष 2024-25 के लिये **खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू)** नीति में संशोधन की घोषणा की।

खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) नीति क्या है?

- **परिचय: इसमें भारतीय खाद्य निगम (FCI)** द्वारा प्रबंधित केंद्रीय पूल से **अधिशेष खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) की आवधिक बिक्री** शामिल है।
  - इसके तहत अनाज को **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा निर्धारित कीमतों पर **ई-नीलामी के माध्यम से डीलरों, थोक उपभोक्ताओं एवं खुदरा ग्राहकों** को बेचा जाना शामिल है।
  - यह योजना **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** और **अन्य कल्याणकारी योजनाओं** की ज़रूरतों को पूरा करते हुए **मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने एवं खाद्यान्न कीमतों** को स्थिर करने पर केंद्रित है।
  - **पात्र क्रेता:** गेहूँ को प्रसंस्करणकर्त्ताओं, आटा चक्की वालों एवं आटा मिलों को जबकि चावल को व्यापारियों को बेचा जाना शामिल है।
    - राज्य (नीलामी में भाग लिये बिना) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के तहत अपने आवंटन के अतिरिक्त, OMSS के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद भी कर सकते हैं।
  - **नीलामी प्रक्रिया:** इसमें **बोलीदाता ई-नीलामी** के माध्यम से भाग ले सकते हैं, जिसमें गेहूँ के लिये न्यूनतम 10 मीट्रिक टन (एमटी) और अधिकतम 100 मीट्रिक टन तथा चावल के लिये न्यूनतम 10 मीट्रिक टन और अधिकतम 1000 मीट्रिक टन की बोली लगाई जा सकती है।
- **OMSS में संशोधन:** केंद्र ने राज्यों और इथेनॉल उत्पादकों के लिये **OMSS के तहत FCI के चावल का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,250 रुपए** प्रति क्विंटल कर दिया **ताकि बिक्री को बढ़ावा** दिया जा सके, **इथेनॉल उत्पादन का समर्थन** किया जा सके **जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा** मिल सके।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- **स्थापना:** यह **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के तहत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **प्रमुख भूमिकाएँ:**
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): NFSA, 2013 की आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिये FCI द्वारा अनाज की खरीद की जाती है और उन्हें **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में केंद्रीय निर्गम मूल्य** पर वितरित किया जाता है।
  - **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** इसके तहत **उचित मूल्य की दुकानों** के माध्यम से वितरण के लिये राज्य सरकारों एवं एजेंसियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
    - इसके द्वारा **फोर्टिफाइड चावल के वितरण** के माध्यम से पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **बाज़ार हस्तक्षेप:** इसके द्वारा खरीद और **OMSS (खुला बाज़ार बिक्री योजना) के माध्यम से खाद्य कीमतों को स्थिर** करने के साथ **मुद्रास्फीति** को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
    - यह **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** सुनिश्चित करके किसानों के लिये सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
  - **मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली** में है और क्षेत्रीय एवं ज़िला कार्यालयों के साथ इसका एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है।
- **FCI द्वारा सुधार:**
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** पारदर्शी किसान भुगतान के लिये **"एक राष्ट्र, एक MSP" नीति** लागू की गई।
  - **डिजिटल खरीद:** तीव्र एवं पारदर्शी संचालन के लिये देश भर में कंप्यूटरीकृत खाद्यान्न खरीद को बढ़ावा दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ **आधुनिक भंडारण:** पारंपरिक भंडारण की जगह वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित भंडारण में रूपांतरण किया गया।
- ❖ **एकीकृत आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:** अन्न दर्पण पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया।
- ❖ **AI-आधारित अनाज विश्लेषण:** पारदर्शी खरीद के लिये **स्वचालित अनाज विश्लेषक** की शुरुआत की गई।
- ❖ **डिजिटल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ:** वास्तविक समय डेटा के लिये केंद्रीकृत डैशबोर्ड के साथ संबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं।

- **भंडारण एवं पारगमन हानि में कमी:** भंडारण तथा पारगमन हानि को कम करने की दिशा में कार्य किया गया।
  - ❖ **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP):** चावल एवं गेहूँ दोनों के ही संदर्भ में विकेंद्रीकृत खरीद में राज्य की भागीदारी में वृद्धि की गई।

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप गणना

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (BNP) में **सरीसृप की वार्षिक गणना** की गई जिसके अनुसार वर्ष 2025 में BNP में **लवणीय जल मगरमच्छों** की **संख्या 1,826** है, जिनमें **18 एल्बिनो मगरमच्छ (दुर्लभ सफेद मगरमच्छ)** शामिल हैं।

नोट: यह गणना **टाइमस्टैम्प कैमरा ऐप** की सहायता से **समय वॉटरमार्क** और GPS के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर की गई थी, जिससे सटीकता में सुधार हुआ और मानवीय त्रुटि की संभावना न्यूनतम हुई।

मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्या है?

- **परिचय:** इस परियोजना का शुभारंभ **वर्ष 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान** में मगरमच्छों की तीन लुप्तप्राय प्रजातियों, **मगर, घड़ियाल और लवणीय जल मगरमच्छ** की समष्टि की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।
- **लक्ष्य:** इसकी शुरुआत इनकी संख्या में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से की गई थी जिसका लक्ष्य **प्रति किलोमीटर जल क्षेत्र में 5 से 6 मगरमच्छ की उपस्थिति** सुनिश्चित करना था।
- **उद्देश्य:**
  - ❖ **संरक्षण: अभयारण्यों** का निर्माण कर मगरमच्छों की शेष समष्टि को उनके **प्राकृतिक पर्यवासों में संरक्षित करना**।
  - ❖ **संख्या में पुन: वृद्धि: अंड एकत्रण, ऊष्मायन, पालन, अवमुक्त** किये जाने और **निगरानी के माध्यम से 'ग्रो एंड रिलीज़'** अथवा **'रियर एंड रिलीज़'** दृष्टिकोण पर कार्य किया गया।
  - ❖ **कार्मिक प्रशिक्षण:** परियोजना स्थलों और **केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना**।
- **कार्यान्वयन:** यह परियोजना **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** की सहायता से शुरू की गई थी।
  - ❖ लवणीय जल मगरमच्छों के लिये **भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा)।**
  - ❖ घड़ियालों के लिये **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य** (मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तृत)।
  - ❖ महत्त्वपूर्ण मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य निम्नवत हैं:
- **उपलब्धि: वर्ष** 1975 में **मगरमच्छ संरक्षण परियोजना** के शुभारंभ के बाद से, लवणीय जल मगरमच्छों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।
  - ❖ पार्क में मगरमच्छ संप्रजनन कार्यक्रम को **समष्टि संतृप्ति** के कारण **वर्ष 2024 में रोक दिया गया था**, लेकिन अभी भी वार्षिक रूप से अंड एकत्र किये जाते हैं और **पर्यटन संबंधी प्रयोजनों हेतु इनका जनन किया जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ

भारत में मगरमच्छ की तीन विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं - मगर, खारे पानी का मगरमच्छ, और घड़ियाल- देश भर में अलग-अलग आवासों में पाए जाते हैं।

दृष्टिकोण	घड़ियाल	मगर /भारतीय मगरमच्छ	खारे पानी का मगरमच्छ
वैज्ञानिक नाम	गेवियलिस गैंगेटिकस 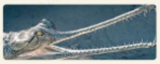	क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस	क्रोकोडायलस पोरोसस
वितरण: भारत	**बहुल आबादी:** राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश) **आबादी:** सोन, गंडक, हुगली, घाघरा और सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य (ओडिशा)	संपूर्ण भारत में	पूर्वी तट (ओडिशा का भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट और सुंदरवन)
वितरण: पड़ोस	भूटान और बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदी	भूटान और म्यांमार में विलुप्त	पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में
विशेष सुविधा	सभी मगरमच्छों में सबसे लंबा, लंबा और पतले मुँह वाला	अंडे देने वाले, घोंसला बनाने वाले, चौड़े और यू-आकार का मुँह	सबसे अधिक जीवित सरीसृप, नुकीला और V-आकार का मुँह
प्राकृतिक वास	ताज़े जल	ताज़े जल	खारा पानी, खारा और आर्द्रभूमि
IUCN स्थिति	CR	VU	LC
CITES स्थिति	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I
CMS स्थिति	परिशिष्ट I	-	परिशिष्ट II
WPA,1972 स्थिति	अनुसूची I	अनुसूची I	अनुसूची I
संकट	बाँध, प्रदूषण, रेत खनन	आवास नष्ट हो गए हैं	इसका खाल और पर्यावास हानि के लिये शिकार हुआ
सरकारी पहल	▪ ओडिशा: महानदी नदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण के लिये 1000 रुपए का पुरस्कार ▪ भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975	▪ भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975 ▪ मगर संरक्षण कार्यक्रम ▪ मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट	भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975

विविध तथ्य

- **17 जून:** विश्व मगरमच्छ दिवस
- **वार्षिक सरीसृप जनगणना, 2023:** खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में मामूली वृद्धि **(भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आस-पास के क्षेत्र)**
- **ओडिशा का केंद्रपाड़ा ज़िला:** भारत का एकमात्र ज़िला जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

BNP से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- ओडिशा में स्थित BNP **सुंदरबन** के बाद **भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र** है।
  - **रामसर साइट** के रूप में मान्यता प्राप्त यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक महत्त्वपूर्ण **आर्द्रभूमि** है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र: BNP में खाड़ियों और नहरों** की एक शृंखला विद्यमान है, जहाँ **ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा** और **पटसाला** जैसी नदियों कल जल पहुँचता है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
  - **बंगाल की खाड़ी** से इसकी **निकटता के कारण** मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतराज्वारीय वनस्पति** पोषित होता है।
- **प्राणी जात:** यहाँ भारत में **सबसे अधिक लवणीय जल मगरमच्छ** पाए जाते हैं। **अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में जलीय मॉनिटर छिपकली, अजगर** और **लकड़बग्घा शामिल हैं**।
- **प्रमुख विशेषताएंँ:**
- **गहिरमाथा बीच:** BNP में स्थित यह बीच **ओलिव रिडले समुद्री कछुओं** का सबसे बड़ा नीडन स्थल है।
- **बागागहाना (बकाशय):** यह **सूरजपुर खाड़ी** के समीप स्थित है और यह असंख्य **पक्षियों का नीडन स्थल** और संगम से पूर्व ये पक्षियाँ **आकाशीय कलाबाजियाँ** करते हैं, जिससे एक मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है।

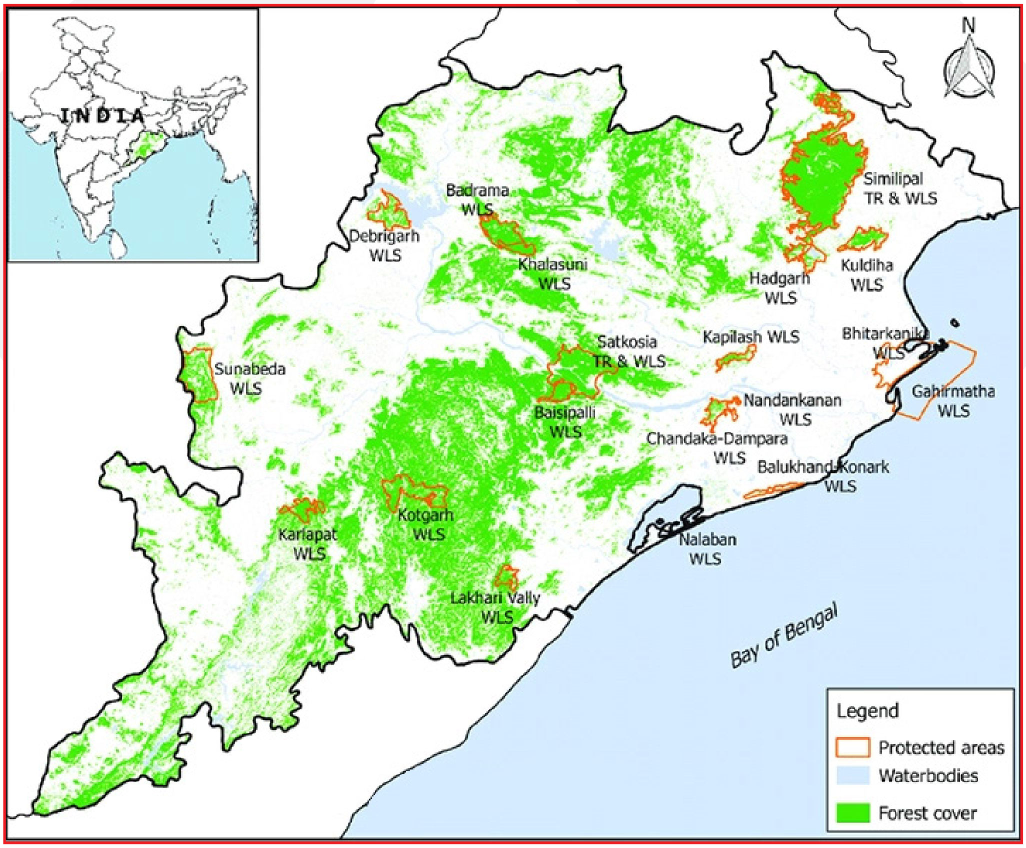

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **मणिपुर**, **त्रिपुरा** और **मेघालय** को उनके **स्थापना दिवस (21 जनवरी)** पर शुभकामनाएँ दीं।

स्थापना दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- **मणिपुर का विलय:** वर्ष 1947 से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। **महाराजा बोधचंद्र सिंह** ने भारत सरकार के साथ '**परिग्रहण के साधन (Instrument of Accession)**' पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए **भारत में विलय** पर सहमति व्यक्त की गई।
  - मणिपुर में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव वर्ष 1948** में हुआ और यह एक **संवैधानिक राजतंत्र** बन गया।
  - वर्ष 1949 में भारत सरकार के दबाव में **महाराजा ने** मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किये बिना **विलय समझौते पर हस्ताक्षर** कर दिये।
    - विलय के बाद, मणिपुर की राज्य विधानसभा भंग कर दी गई, और यह **भाग C राज्य** बन गया, जिसका **प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल** के माध्यम से किया जाता था।
  - 1 नवंबर 1956 को मणिपुर **संघ राज्यक्षेत्र परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश** बन गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को **पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (NEA-(R) अधिनियम)** के माध्यम से मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया गया।
- **त्रिपुरा का विलय:** त्रिपुरा एक रियासत थी, जिसका वर्ष 1949 में भारत में विलय हुआ, जिसकी अनुमति **रानी कंचन प्रभा देवी** ने दी, जिन्होंने **राजा बीर बिक्रम** की मृत्यु के बाद शासन संभाला था।
  - भारत में विलय के बाद **त्रिपुरा भाग 'C' राज्य** बन गया। वर्ष 1956 में यह **केंद्र शासित प्रदेश** बन गया और बाद में 21 जनवरी 1972 को **NEA-(R) अधिनियम, 1971** के तहत त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य बन गया।
- **मेघालय:** मेघालय की राज्य की यात्रा **असम**, विशेष रूप से **खासी, जैंतिया और गारो हिल्स** की ओर से **अधिक स्वायत्तता की मांग** के साथ शुरू हुई, जो स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यह मेघालय के राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत थी।
  - वर्ष 1969 में **असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम द्वारा मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य** की स्थापना की गयी।
  - तत्पश्चात, NEA (R) अधिनियम, 1971 ने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया, जिससे यह भारत का 21वाँ राज्य बन गया, जिसकी राजधानी शिलांग थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

- **मणिपुर और त्रिपुरा:** केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्यों के रूप में उन्नयन किया गया।
- **मेघालय:** असम के स्वायत्त क्षेत्रों से एक राज्य के रूप में गठित।
- **मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश:** केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित।
- **विधानमंडल में प्रतिनिधित्व:** नए पूर्वोत्तर राज्यों के लिये **राज्य परिषद** (राज्यसभा) और **लोकसभा** (लोकसभा) में सीटें आवंटित की गईं।
  - विधान सभाओं में **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- **न्यायिक पुनर्गठन:** असम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिये सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में **गुवाहटी उच्च न्यायालय** की स्थापना की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950

राज्यों को **4 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया - **भाग A, B, C और D** (प्रथम अनुसूची)

- **भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल**, जो **राज्यपाल** द्वारा शासित होंगे
  - **आंध्रप्रदेश** (भाषायी आधार पर गठित पहला राज्य)- **1953**
- **भाग B-** पूर्व **रियासतें**
- **भाग C-** पूर्व **मुख्य आयुक्तों** के प्रांत, कुछ **रियासतें**
- **भाग D-** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बॉम्बे से **गुजरात** और **महाराष्ट्र** (बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से **नगालैंड** (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से **हरियाणा** (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से **मेघालय** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से **छत्तीसगढ़** (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से **उत्तराखंड** (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से **झारखण्ड** (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से **तेलंगाना** (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)

राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- **हिमाचल प्रदेश** (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- **मणिपुर** और **त्रिपुरा** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- **सिक्किम** (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- **मिज़ोरम** (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- **अरुणाचल प्रदेश** (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- **गोवा** (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

CBDT ने DTAA के तहत PPT के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से **दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA)** के तहत **मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT)** लागू करने के लिये नए दिशानिर्देश प्रस्तुत किये हैं।

- ये दिशानिर्देश भावी रूप से लागू होंगे, तथा ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के कारण **साइप्रस**, **मॉरीशस** और **सिंगापुर** के साथ संधियों के लिये विशिष्ट छूट दी गई है।

मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) क्या है?

- **मुख्य उद्देश्य परीक्षण:** PPT अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य **कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना** है।
  - **आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS)** ढाँचे के अंतर्गत, PPT यह जाँच करता है कि क्या कोई **व्यावसायिक व्यवस्था वास्तव में वाणिज्यिक है या मुख्य रूप से करों से बचने के लिये बनाई गई है।**
    - यदि प्राथमिक उद्देश्य **कर-बचत है, तो संधि लाभ से इनकार** किया जा सकता है।
- **नये दिशानिर्देश:**
  - **PPT की प्रयोज्यता:** PPT प्रावधान भावी प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात पिछले निवेश, विशेष रूप से 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश, अप्रभावित रहेंगे तथा उन पर पूर्वव्यापी जाँच नहीं की जाएगी।
  - ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ संधियों को विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के कारण PPT से बाहर रखा गया है।
    - इन संधियों के अंतर्गत विशिष्ट तिथियों से पहले किये गए निवेश मूल संधि प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
  - **वैश्विक मानकों का संदर्भ:** नए दिशानिर्देश कर अधिकारियों को PPT प्रावधानों को लागू करते समय **BEPS एक्शन प्लान 6** और **UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन** सहित अंतर्राष्ट्रीय कर ढाँचे का संदर्भ लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) क्या हैं?

- **परिचय:** DTAA दो देशों के बीच एक संधि है जो करदाताओं को **दोहरे कराधान से बचने** में मदद करती है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में निवेश से लाभांश अर्जित करने वाले NRI को आम तौर पर भारत और अमेरिका दोनों में करों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, DTAA के साथ, उन्हें समझौते की शर्तों के आधार पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है।
    - इससे **अनिवासी भारतीयों को दो देशों में अतिरेक करों से बचने** में मदद मिलती है तथा **कर चोरी** कम होती है।
  - DTAA के तहत विभिन्न प्रकार की आय को कवर किया जाता है जिसमें व्यावसायिक लाभ, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और पूंजीगत लाभ शामिल हैं।
  - प्रत्येक समझौते में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन सा **देश किस निश्चित आय पर कर** लगा सकता है। आमतौर पर इस संदर्भ में ओरिजिन वाले देश को प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है जबकि रेजिडेंस देश को कम दर पर कर लगाने की अनुमति दी जाती है।
- **भारत और DTAA:** भारत ने ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, जापान, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ **94 DTAA पर हस्ताक्षर** किये हैं।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क

- BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे **G20** द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान करना है।
- BEPS का तात्पर्य उन कर रणनीतियों से है, जो **समग्र कॉर्पोरेट कर भुगतान को कम करने** के लिये विभिन्न देशों में कर नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं।
- वर्ष 2016 में स्थापित **BEPS फ्रेमवर्क के तहत कर चोरी से निपटने के लिये** 147 देशों (भारत सहित) को एकजुट किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्तंभ एक:** उपभोक्ता संबंधी देशों में मुनाफे का पुनर्आबंटन।
- **स्तंभ दो:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये **15% का वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स (GMCT)।**

- **BEPS एक्शन 6** ट्रीटी शॉपिंग से संबंधित है और इसके तहत BEPS इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क मेंबर्स के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित होते हैं।
  - इसके तहत संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिये नियमों के साथ कर समझौते करने से पहले कर नीति पर विचार करने के लिये अधिकार क्षेत्रों को मार्गदर्शन मिलता है।

UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन

- **इससे द्विपक्षीय कर संधियों के संदर्भ** में रूपरेखा मिलती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **दोहरे कराधान** से बचना एवं **कर चोरी** को रोकना है।
- इसके तहत देशों के बीच कर लगाने के अधिकारों पर दिशा-निर्देश प्रदान करने के साथ आयकर संबंधी नियमों को मानकीकृत करना शामिल है, जिससे देशों को सीमा-पार कर संबंधी मुद्दों के समाधान में मदद मिलती है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये ऐतिहासिक फैसले

चर्चा में क्यों?

रोमेश *थापर बनाम मद्रास राज्य* (1950) मामले ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने,** राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में **प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को आकार देने के लिये एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की।**

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने पुलिस हिंसा की रिपोर्टिंग करने के कारण साप्ताहिक पत्रिका ***क्रॉसरोड्स* पर मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम** के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण 22 कम्युनिस्ट मारे गए, इस प्रतिबंध को बाद में **उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।**
- **उच्चतम न्यायालय का फैसला:**
  - मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने **मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया,** जिसमें कहा गया कि **स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और इसे "राज्य की सुरक्षा" से जोड़ा जाना चाहिये।**
    - न्यायालय ने राज्य की मनमाना रूप से सेंसर करने की शक्ति को सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि **"लोक व्यवस्था" को "राज्य सुरक्षा" के बराबर नहीं माना जा सकता।**

नोट: *रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950* मामले के प्रत्युत्तर में, सरकार ने वर्ष **1951 में पहला सांविधानिक संशोधन अधिनियम** पेश किया, जिसमें मुक्त भाषण पर **अनुच्छेद 19(1)(a) में "युक्तियुक्त प्रतिबंध" जोड़े गए, जिसमें लोक व्यवस्था, अपराध-उद्दीपन** और विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे आधार शामिल थे।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण मामले कौन-से हैं?

- *बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य, 1950:* *बृज भूषण मामले* में, सर्वोच्च न्यायालय ने *ऑर्गनाइज़र* पत्रिका पर लगाए गए **समाचार पत्र की पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया** और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेंसरशिप वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
  - सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि **मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिये जब लोक व्यवस्था को स्पष्ट खतरा** हो या **हिंसा को उकसाया जा रहा हो।**
  - इस निर्णय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रकाशन पर कोई भी पूर्व रोक असंवैधानिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***सकाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1961:* सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को रद्द कर दिया,** जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारण, विज्ञापन स्थान और सपलिमेंट संबंधी **प्रतिबंध लगाए गए थे।**
  - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ये प्रतिबंध **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन हैं,** क्योंकि इनका **अनुचित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।**
- ***बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, 1973:*** *इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस* ***न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश को अमान्य कर दिया,*** *जिसके तहत एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले* ***पृष्ठों की संख्या पर प्रतिबंध*** *लगाया गया था।*
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित** होने के साथ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन** हैं।
- ***इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ, 1985:*** *वर्ष 1981 में भारत सरकार ने* ***न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क में भारी वृद्धि की,*** *जिससे छोटे समाचार पत्र और क्षेत्रीय प्रकाशन प्रभावित हुए।*
  - इसे समाचार पत्रों के संचालन को आर्थिक रूप से कठिन बनाकर **प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के** एक अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा गया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **प्रेस की स्वतंत्रता,** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर **अत्यधिक कराधान को अनुचित ठहराया** तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।
- ***श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015: श्रेया सिंघल* मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने **IT अधिनियम की धारा 66A** को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह **अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थी,** जिससे **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन** हुआ।

पार्टी व्हिप

भारत के उपराष्ट्रपति ने **संसद में पार्टी सचेतक अथवा व्हिप के प्रयोग** के संबंध में चिंता व्यक्त की है तथा निर्वाचित **प्रतिनिधियों के स्वतंत्र निर्णयन को सीमित करने** पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाया है।

पार्टी व्हिप क्या है?

- **परिचय:**
  - संसद में व्हिप एक राजनीतिक दल द्वारा विधानमंडल में **अपने सदस्यों** को जारी किया गया निर्देश है, जिसमें उन्हें विशिष्ट विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर **चर्चा और निर्णय के दौरान होने वाले मतदान की विधि के संबंध में जानकारी** दी गई होती है।
  - इसके अतिरिक्त, **सचेतक, पार्टी का नामित सदस्य** भी होता है **जो सदस्यों की उपस्थिति तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायी** होता है।
- **उद्देश्य:**
  - व्हिप का प्राथमिक उद्देश्य **पार्टी अनुशासन बनाए रखना, निर्णय लेने में एकरूपता सुनिश्चित करना,** तथा पार्टी में **दलबदल या असंतोष को रोकना है।**
  - "व्हिप" शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के शिकार के मैदानों से हुई है, जहाँ व्हिपर-इन के द्वारा आवारा कुत्तों को झुंड में रखा जाता था।
- **संवैधानिक स्थिति:**
  - इसका उल्लेख **संविधान, सदन के नियमों** या किसी **संसदीय विधि** में **नहीं है** और यह **संसदीय परंपराओं पर आधारित है।**
- **व्हिप के प्रकार:**
  - **वन-लाइन व्हिप:** यह सदस्यों को वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी सदस्य को पार्टी लाइन का पालन न करने का **निर्णय लेने की स्थिति में दूर रहने में सक्षम** बनाता है।
  - **टू-लाइन व्हिप:** यह सदस्यों को मतदान होने पर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देने के लिये जारी किया जाता है। इसमें **मतदान के पैटर्न पर कोई विशेष निर्देश नहीं** दिये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **थ्री-लाइन व्हिप:** यह उक्त दोनों में से सबसे कठोर प्रारूप है, जिसमें सदस्यों को **मतदान में उपस्थित रहना होता है तथा अपने मत को पार्टी के निर्देशानुसार रखना होता है।**

- **कार्य:**
  - **उपस्थिति सुनिश्चित करना: पार्टी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने** और सदन में कोरम बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।
  - **समर्थन प्राप्त करना:** विशिष्ट मुद्दों के **पक्ष में या विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिये कार्य करता है।**
  - **अनुशासन बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सदस्य **पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करें** तथा स्थिर लोकतांत्रिक संस्था बनाए रखें।
  - **असंतोष की पहचान करना: सांसदों के बीच असंतोष के संकेतों पर नज़र रखना** और **पार्टी नेताओं को इसकी रिपोर्ट करना।**
  - **आंतरिक पार्टी समन्वय:** संसद के भीतर पार्टी सामंजस्य बनाए रखते हुए एक **एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है।**
- **व्हिप का उल्लंघन:**
  - यदि कोई संसद सदस्य (MP)/विधानसभा सदस्य (MLA) पार्टी व्हिप की अवहेलना करता है, तो उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है, जब तक कि **दो-तिहाई से अधिक** सदस्य असहमति न जताएं, जिससे पार्टी के भीतर विभाजन की संभावना होती है।

कोरम:

- **संसद** में कोरम, किसी **सत्र को वैध माने जाने के लिये उपस्थित रहने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या** है।
- यह **भारतीय संविधान** के **अनुच्छेद 100 में विनिर्दिष्ट है।**
- यह संसद के एक सदन में **कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है। (लोकसभा: 55 और राज्यसभा: 25)।**

इंदौर और उदयपुर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों में शामिल

चर्चा में क्यों?

इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि **शहरों** के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं।

- वर्तमान में **85 भारतीय आद्रभूमियाँ, रामसर कन्वेंशन** के तहत संरक्षित हैं जिसमें विश्व भर के **172 सदस्य देश** शामिल हैं।

आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहर कौन से हैं?

- **परिचय:** यह उन शहरों के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता** है जो अपने आर्द्रभूमि के **संरक्षण और स्थायी प्रबंधन** के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - इसके तहत **उन शहरी क्षेत्रों को मान्यता** दी जाती है जो आर्द्रभूमि की रक्षा करने के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि वे पर्यावरण एवं समुदायों को **आवश्यक सेवाएँ** प्रदान करते हैं।
- **मान्यता मानदंड:** यह उन शहरों को प्रदान किया जाता है जो **छह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं, जो मुख्य रूप से आर्द्रभूमि** पारिस्थितिकी प्रणालियों और उनकी सेवाओं के संरक्षण पर केंद्रित हैं।
  - **मान्यता प्राप्त शहरों को शहरी विकास** तथा पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जाती है।

6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंड:

- **वैश्विक मान्यता:** इसके तहत मान्यता प्राप्त शहरों की सबसे अधिक संख्या **चीन** (22 शहर) में है, जिसके बाद **फ्राँस (9 शहर)** का स्थान है जिससे शहरी नियोजन में **आर्द्रभूमि संरक्षण को** एकीकृत करने के शहर के प्रयासो पर प्रकाश पड़ता है।
- **वैश्विक रामसर स्थल: वर्तमान में** दुनिया भर में 2,400 से अधिक **रामसर स्थल हैं, जो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

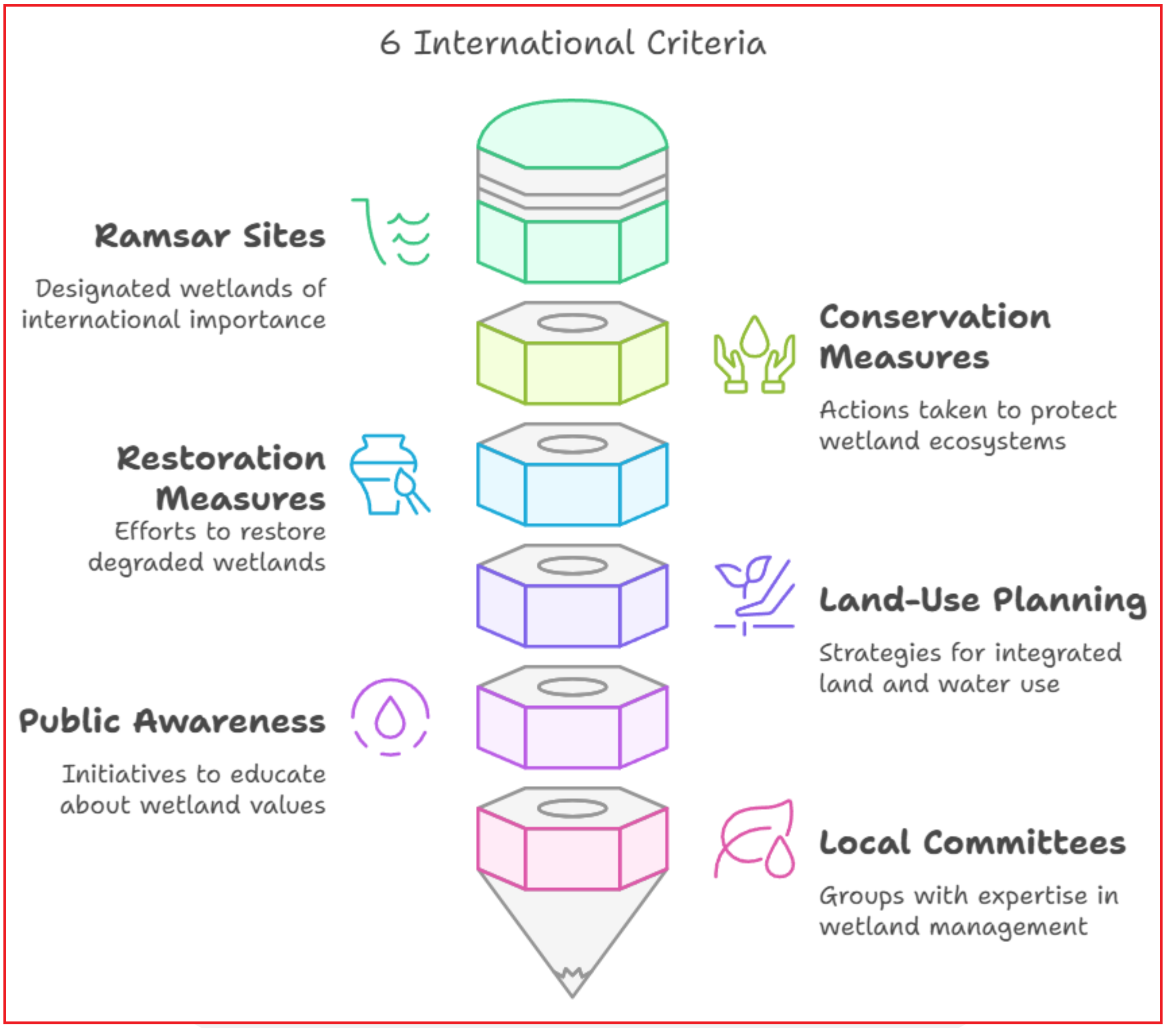

नोट: भारत से नामित एक अन्य शहर **भोपाल** को **भोज आर्द्रभूमि** को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित सड़क परियोजना से संभावित पारिस्थितिक क्षति से संबंधित चिंताओं के कारण **मान्यता प्राप्त नहीं हुई।**

- **राजस्थान** के उदयपुर को **झीलों का शहर** कहा जाता है क्योंकि यहाँ की **खूबसूरत झीलें** संपूर्ण शहर में विस्तृत हैं। उदयपुर की प्रमुख झीलों में पिछोला झील, फतेहसागर झील, स्वरूप सागर झील आदि शामिल हैं।
- **इंदौर** की प्रसिद्ध झीलों में **लोटस झील, चोरल डैम, पिपलियापाला झील, सिरपुर झील आदि** शामिल हैं।

भोज आर्द्रभूमि से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:** यह वर्ष 2002 में नामित एक **रामसर साइट है** जिसमें दो परस्पर जुड़े मानव निर्मित जलाशय अर्थात् **ऊपरी झील** (11वीं शताब्दी में **कोलांस नदी** पर **राजा भोज** द्वारा निर्मित) और **निचली झील** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ऊपरी झील **वन विहार राष्ट्रीय उद्यान** की सीमा पर स्थित है।
- **जैव विविधता:**
  - **पक्षिजात:** यहाँ पाई जाने वाली उल्लेखनीय प्रजातियों में कूट (फुलिका अत्रा), **लाल कलगीदार पोचार्ड**, **सारस क्रेन**, **काली गर्दन वाला सारस** और **पल्लास फिश ईगल** शामिल हैं।
  - **अन्य प्राणिजात:** **वन विहार राष्ट्रीय उद्यान** में **चीतल**, **जंगली सूअर**, **नीलगाय** और **सांभर** जैसे बड़े स्तनधारियों पाए जाते हैं।

रामसर अभिसमय (RAMSAR CONVENTION)

Drishti IAS

परिचय:

- इसे आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में रामसर, ईरान में अपनाया गया।
- वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया।
- ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व रखती हों।
- **विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल:** पैंटानल, दक्षिण अमेरिका।

मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:

- वर्ष 1990 में मोंट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में इसे अपनाया गया।
- यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्द्रभूमियाँ:

- आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल (खारा या मीठा/ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति) से ढकी होती है।
- यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग (नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो), लैगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकती है।
- **विश्व आर्द्रभूमि दिवस:** 2 फरवरी

भारत और रामसर अभिसमय:

- भारत में रामसर अभिसमय वर्ष 1982 में लागू हुआ।
- **रामसर स्थलों की कुल संख्या:** 75
- चिल्का झील (ओडिशा), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), हरिके झील (पंजाब), लोकटक झील (मणिपुर), वुलर झील (जम्मू और कश्मीर) आदि।
- **भारत में संबंधित फ्रेमवर्क**
  - आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 'आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, 2017' को अधिसूचित किया है।
  - ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।

प्रमुख तथ्य

- **भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल:** **सुंदरबन, पश्चिम बंगाल**
- **भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल:** **वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु**
- **सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य:** **तमिलनाडु (14)**
- **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियाँ:**
  - **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान**
  - **लोकटक झील, मणिपुर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ऑलिव रिडले कछुओं की मास नेस्टिंग

चर्चा में क्यों?

ओलिव **रिडले कछुए *(लेपिडोचेलिस ओलिवेस) मास नेस्टिंग (सामूहिक रूप से* घोसला बनाने**) के लिये **ओडिशा में रुशिकुल्या नदी के तट** पर बढ़ी संख्या में लौटने की उम्मीद है, जो इस प्रजाति के संरक्‌्षण के लिये एक आवश्यक है।

ओलिव रिडले कछुओं के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **वैज्ञानिक नाम:** *लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया (Lepidochelys olivacea)*
  - **वैज्ञानिक वर्गीकरण**
  - *वर्ग: सरीसृप*
  - **परिवार:** चेलोनीडी (*Cheloniidae*)
- **उपस्थिति:** ऑलिव रिडले कछुए **जैतून या भूरे-हरे रंग के होते हैं,** जिनका **ऊपरी भाग** हृदय के आकार का होता है।
  - ये केम्प्स रिडले (**Kemp's ridleys**) (मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी में पाए जाने वाले) से काफी मिलते-जुलते हैं और सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं। उनका आकार और आकृति क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है, सबसे बड़ा कछुआ **पश्चिमी अफ्रीका** में पाया जाता है।
- **आवास और वितरण: प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय** क्षेत्रों में पाया जाता है। **पेलाजिक (खुले महासागर) और तटीय** जल दोनों में निवास करता है।
  - **भारत में प्रमुख नेस्टिंग स्थल: रुशिकुल्या, गहिरमाथा,** ओडिशा में देवी नदी तट तथा **अंडमान द्वीप समूह**।
    - **गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य** को विश्व में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिये **सबसे बड़े मास नेस्टिंग** के रूप में जाना जाता है।

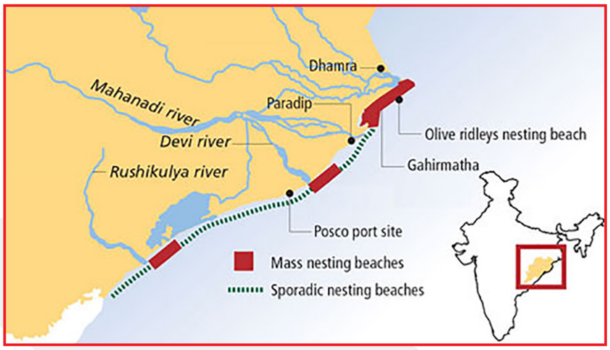

- **प्रजनन:** ऑलिव रिडले कछुए **अरिबाडा** (स्पेनिश में "Arrival" (आगमन)) एक अद्वितीय मास नेस्टिंग (**सामूहिक घोंसला**) के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें **हज़ारों मादाएँ** एक साथ नेस्टिंग करती हैं।
  - सितंबर से वे प्रशांत महासागर से भारतीय समुद्र तक 9,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। प्रजनन के बाद, नर पीछे हट जाते हैं, और मादाएँ दिसंबर से मार्च तक नेस्टिंग करती हैं।
    - मादाएँ प्रत्येक मौसम में 1-3 बार घोंसला बनाती हैं तथा प्रति समूह लगभग 100 अंडे देती हैं।
    - नवजात शिशुओं का लिंग **नेस्टिंग के तापमान के आधार पर निर्धारित** होता है।
- **आहार और व्यवहार: शाकाहारी हरे कछुए** को छोड़कर **सभी समुद्री कछुओं की प्रजातियों** की तरह, **ओलिव रिडले** सर्वाहारी है, जो जेलीफ़िश, घोंघे, केकड़े, झींगे, शैवाल और छोटी मछलियाँ खाते है।
  - भोजन और घोंसले के निर्माण स्थलों के बीच लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची 1
  - **IUCN रेड लिस्ट:** सुभेद्य

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोटः भारतीय जीव विज्ञानी **शैलेंद्र सिंह को कछुओं की तीन गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों (नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल)** को विलुप्त होने से बचाने के लिये **बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार** (कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में "**नोबेल पुरस्कार**" माना जाता है) से सम्मानित किया गया है।

ऋषिकुल्या नदी

- ऋषिकुल्या नदी ओडिशा के कंधमाल ज़िले के पूर्वी घाट में ऋषिमाल पर्वत से निकलती है और दक्षिण-पूर्व में **बंगाल की खाड़ी में गिरती है।**
- इसकी प्रमुख सहायक नदियों में **पद्मा, बोरिंगनल्ला, जोरो, बदनदी, बघुआ, धानेई और घोधादो शामिल हैं।** नदी **के मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- CITES: परिशिष्ट I

- **खतरे:** मत्स्य संग्रहण के साज सामान (ट्रॉल्स, गिलनेट, लॉंगलाइन) में बायकैच।
  - मानव उपभोग के लिये कछुओं का अवैध शिकार और उनके अंडों का संग्रहण।
  - **तटीय विकास, प्लास्टिक के उपयोग और समुद्री प्रदूषण के** कारण आवास की क्षति, साथ ही **ताप और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण** नीडन स्थलों और आहार के स्रोतों में बाधा उत्पन्न होने से ओलिव रिडले कछुओं के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।
- **संरक्षण पहल:**
  - **ऑपरेशन ओलिविया:** **भारतीय तटरक्षक बल** की इस पहल (1980 के दशक से क्रियान्वित) का उद्देश्य कछुओं के नीडन की रक्षा करना और अवैध मत्स्यन की रोकथाम करना है।
  - **टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs):** ओडिशा ने कछुओं की आकस्मिक मृत्यु की रोकथाम करने हेतु ट्रॉल्स (शंकु के आकार का जाल) में TED का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
  - **टैगिंग:** ओलिव रिडले कछुओं पर असंक्षारक धातु के बने टैग लगाया जाता है जिसका उद्देश्य उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना और उनके प्रयावासों की सुरक्षा करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** पर **वर्ष 2021-24 की मूल्यांकन रिपोर्ट** प्रस्तुत की, जिसमें स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार और **कोविड-19** सहित प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

NHM (2021-24) की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **मानव संसाधन विस्तार:**
  - वित्त वर्ष 2021-24 के बीच, NHM ने चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों, विशेषज्ञों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) और **आयुष** डॉक्टरों सहित **12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों** को शामिल किया।
  - 1.56 लाख **निक्षय मित्र स्वयंसेवकों** ने **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान** के तहत **9.4 लाख से अधिक टीबी रोगियों** को सहायता प्रदान की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ।
- **मृत्यु दर में कमी:**
  - वर्ष 1990 के बाद से **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में 83% की गिरावट** आई है (जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है)।
  - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में 75% की कमी** आई (जो वैश्विक स्तर पर 60% की कमी से बेहतर है)।
  - **शिशु मृत्यु दर (IMR)** 39 (वर्ष 2014) से घटकर **28 (वर्ष 2020)** हो गई।
  - **कुल प्रजनन दर (TFR)** 2.3 (वर्ष 2015) से घटकर **2.0 (वर्ष 2020)** हो गई।

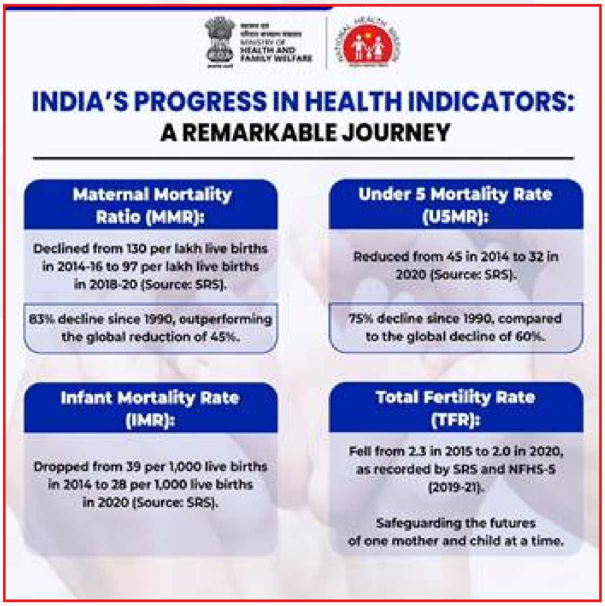

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन**
  - **क्षय रोग: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)** के अंतर्गत टीबी की घटनाओं में **17.7%** (**2015-2023**) की कमी आई तथा मृत्यु दर में **21.4%** की कमी आई।
  - **मलेरिया: वर्ष 2021** में **मलेरिया** के मामलों में शुरूआत में **13.28% की गिरावट** आई, लेकिन वर्ष 2022 में 9.13% और **वर्ष 2023 में 28.91% की वृद्धि** हुई।
    - **मामलों में वृद्धि के बावजूद** वर्ष 2021 में मृत्यु दर में 3.22% की गिरावट आई, **वर्ष 2022 में 7.77% की गिरावट** आई।
  - **कालाज़ार: कालाज़ार** उन्मूलन सफल रहा, वर्ष 2023 तक 100% प्रभावित ब्लॉकों में **प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से भी कम मामले** का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

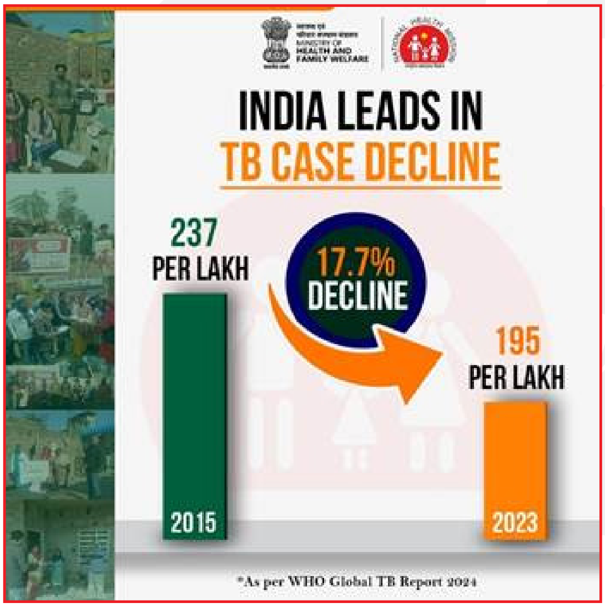

- **टीकाकरण और प्रतिरक्षण अभियान:**
  - **सघन मिशन इन्द्रधनुष (IMI) 5.0** के अंतर्गत **खसरा -रूबेला उन्मूलन अभियान** के तहत **34.77 करोड़ से अधिक बच्चों** का टीकाकरण किया गया , जिससे **97.98% कवरेज** प्राप्त हुआ।
  - **कोविड-19** महामारी के दौरान 220 करोड़ से अधिक टीके (जनवरी 2021-मार्च 2024) लगाए गए।
    - भारत में कोविड-19 के दौरान **आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ECRP)** लाया गया।
  - जनवरी 2023 में शुरू किया गया यू-विन प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में टीकाकरण की घटनाओं पर निगरानी रखने पर केंद्रित है।
- **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का विस्तार:**
  - मार्च 2024 तक 7,998 सार्वजनिक स्वास्थ्य **सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS)** के तहत प्रमाणित किया गया, जिनमें से **4,200** को राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुआ।
  - **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** परिचालन केंद्रों की **संख्या बढ़कर 1.72 लाख** होने से लाखों लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित हुईं।
- **विशिष्ट स्वास्थ्य पहल:**
  - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP): PMNDP** के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 4.53 लाख मरीज लाभान्वित हुए।
  - **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM): NSCAEM** के तहत जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2.61 करोड़ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक इस रोग का उन्मूलन करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है?

- **परिचय:**
  - **वर्ष 2013** में शुरू किये गए NHM का उद्देश्य **कमज़ोर** एवं वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा** प्रदान करना है।
  - इसके तहत **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)** और **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)** को एकीकृत किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पहल:**
  - **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)** सहित **प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A)** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **संचारी रोग नियंत्रण: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** एवं **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम** जैसी पहलों के तहत **क्षय रोग (टीबी), मलेरिया, कुष्ठ रोग और एचआईवी/एड्स** के निराकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **गैर-संचारी रोग:** राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत **कैंसर,** मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम करना।
  - **अन्य पहल:**
    - **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)**
    - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम**
    - **आयुष्मान भारत**
    - **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**

अपराध में फिंगरप्रिंट साक्ष्य का उपयोग

चर्चा में क्यों?

बॉलीवुड अभिनेता पर हमले की जाँच ने अपराधों को सुलझाने में फिंगरप्रिंट्स के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।

साक्ष्य सामग्री के रूप में फिंगरप्रिंट्स का कानूनी पक्ष क्या है?

- **फिंगरप्रिंट का उपयोग: फिंगरप्रिंट** का उपयोग अपराध स्थल से लिये गए प्रिंटों का मिलान करने तथा यह पता लगाने के लिये किया जाता है कि क्या अभियुक्त का कोई **पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड** है नही।
  - **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 एक वर्ष से अधिक कारावास** वाले अपराधों के लिये गिरफ्तार व्यक्तियों के **फिंगरप्रिंट के भंडारण** की अनुमति प्रदान करता है।
  - **हेनरी वर्गीकरण प्रणाली (HCS)** के अनुसार, पहचान निर्धारित करने के लिये उंगली के शीर्ष एक तिहाई भाग को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग **पैटर्न (घुमाव और मेहराब)** होते हैं।
- **संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 20(3)** के तहत किसी भी अपराध के आरोपी **व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिये मज़बूर** नहीं किया जाएगा।
  - **आत्म-दोष के विरुद्ध संरक्षण** का **मौखिक और लिखित साक्ष्य** दोनों रूपों में प्रावधान है।
  - हालाँकि इसमें **भौतिक वस्तुओं** की अनिवार्य प्रस्तुति, **अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त के नमूने देने की बाध्यता अथवा शारीरिक अंगों के प्रदर्शन** की बाध्यता **निहित नहीं** है।
    - इसके अलावा यह केवल **आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित** है, न कि दीवानी कार्यवाही या गैर-आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही तक।
- **न्यायिक निर्णय:** ***काठी कालू ओघद, 1961*** मामले में, **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने माना कि किसी अभियुक्त को जाँच के लिये **नमूना लिखावट, हस्ताक्षर, या उंगलियों के निशान या पैरों के निशान** प्रदान करने के लिये विवश किया जाना भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 20 (3)** के तहत आत्म-दोष के विरुद्ध संरक्षण के उनके अधिकार का **उल्लंघन नहीं** है।
  - ***रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019*** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने **हस्तलेखन नमूनों** के मापदंडों को **व्यापक बनाते हुए इसमें आवाज़ के नमूने** भी शामिल कर लिये, और अभिनिर्धारित किया, इससे आत्म-दोषी सिद्ध किये जाने के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।
  - ***सेल्वी बनाम कर्नाटक, 2010*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आरोपी की सहमति के बिना **नार्को एनालिसिस टेस्ट** देना आत्म-अभिशंसन के खिलाफ उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।

> **नोट: आधार अधिनियम, 2016** की धारा 29 के तहत **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** द्वारा **मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या इसी प्रकार की कोई जैविक लक्षण का** किसी भी एजेंसी के साथ **"किसी भी कारणवाश"** साझा किया जाना प्रतिबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025

राजकोषीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से, **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग)** ने अपना **पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) 2025 लॉन्च किया।**

- **इस सूचकांक में वर्ष 2022 से वर्ष 23 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति** का व्यापक मूल्यांकन किया गया है, तथा डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है जो राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेगा।

फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) क्या है?

- **परिचय: फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI)** भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु एक **मूल्यांकन साधन** है और इसके अंतर्गत **उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है जिनमें सुधार किया जा सकता है।**
- **पैरामीटर:** FHI पाँच प्रमुख उप-सूचकांकों के आधार पर राज्यों का श्रेणीकरण करता है।
  - **व्यय की गुणवत्ता:** इसमें दीर्घकालिक विकास (विकासात्मक) बनाम नियमित परिचालन (गैर-विकासात्मक) पर किये गए व्यय के अनुपात को मापा जाता है।
    - इसमें आर्थिक उत्पादन के हिस्से के रूप में पूंजी निवेश का आकलन किया जाता है।
  - **राजस्व जुटाना:** यह राज्य की **स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने** तथा अपने व्यय को स्वतंत्र रूप से पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है।
  - **राजकोषीय विवेक:** इसमें आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष **घाटे (राजकोषीय और राजस्व)** तथा उधारी का आकलन किया जाता है, तथा संबद्ध राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान किया जाता है।
  - **ऋण सूचकांक:** इसके अंतर्गत आर्थिक आकार के सापेक्ष ब्याज भुगतान और देनदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **राज्य के ऋण बोझ** का आकलन किया जाता है।
  - **ऋण स्थिरता:** इसके अंतर्गत **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** वृद्धि की तुलना **ब्याज भुगतान** से की जाती है, जिसमें सकारात्मक अंतर **राजकोषीय स्थिरता** को दर्शाता है।

MAJOR SUB-INDICES	MINOR SUB-INDICES
1. Quality of Expenditure	1.1 Total Developmental Expenditure/Total Expenditure
	1.2 Total Capital Outlay/ GSDP*
2. Revenue Mobilization	2.1 State Own Revenue/ GSDP*
	2.2 State Own Revenue/ Total Expenditure
3. Fiscal Prudence	3.1 Gross Fiscal Deficit/ GSDP*
	3.2 Revenue Deficit/ GSDP*
4. Debt Index	4.1 Interest Payments/Revenue Receipts
	4.2 Outstanding Liabilities/ GSDP*
5. Debt Sustainability	5.1 Growth Rate of GSDP* – Growth Rate of Interest Payments

GSDP at current prices for the year 2022-23

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

State-wise Composite FHI Score Heatmap

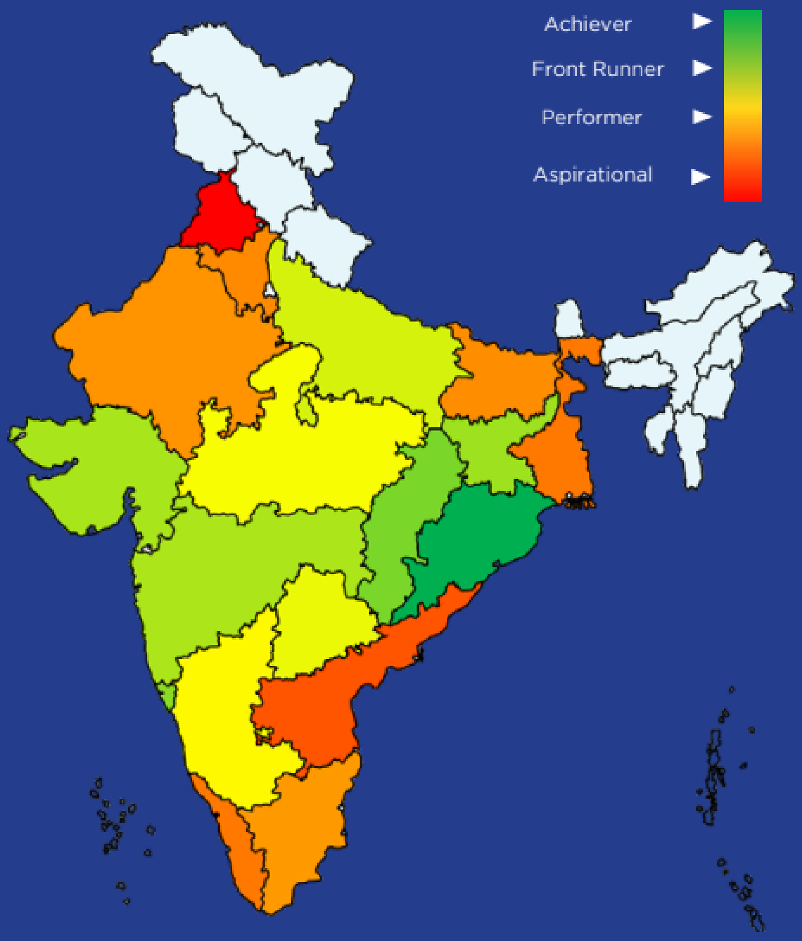

Achiever	Front Runner	Performer	Aspirational
Odisha (1)	Maharashtra (6)	Tamil Nadu (11)	Kerala (15)
Chhattisgarh (2)	Uttar Pradesh (7)	Rajasthan (12)	West Bengal (16)
Goa (3)	Telangana (8)	Bihar (13)	Andhra Pradesh (17)
Jharkhand (4)	Madhya Pradesh (9)	Haryana (14)	Punjab (18)
Gujarat (5)	Karnataka (10)		

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **उद्देश्य:** राज्य स्तर पर सतत् आर्थिक विकास, राजकोषीय समेकन और बेहतर **संसाधन प्रबंधन के लिये लक्षित सुधार** तैयार करने में नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करना।

नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष **1950** में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष**
  प्रधानमंत्री
- **शासी मंत्रिपरिषद्**
  CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)
- **क्षेत्रीय परिषदें**
  आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं
- **सदस्य**
  पूर्णकालिक
- **अंशकालिक सदस्य**
  अधिकतम 2, क्रमिक, महत्त्वपूर्ण संस्थानों से
- **पदेन सदस्य**
  अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- **विशेष आमंत्रितकर्त्ता**
  अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्त्ता
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
  निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)
- **सचिवालय**
  आवश्यकतानुसार

उद्देश्य

- **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना
- **विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण** हेतु तंत्र विकसित करना **(ग्रामीण स्तर पर)**
- आर्थिक रणनीति और नीति में **राष्ट्रीय सुरक्षा** संबंधी हितों को बढ़ावा
- **सुभेद्य वर्गों** पर विशेष **ध्यान**
- **प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों** के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- **ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली** का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय **मुद्दों के समाधान हेतु मंच** प्रदान करना
- **अत्याधुनिक संसाधन केंद्र** (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

प्रमुख पहलें

- राज्यों को **विवेकाधीन निधि** प्रदान करने का **अधिकार नहीं**
- केवल एक **सलाहकार निकाय**
- **निज़ी या सार्वजनिक** निवेश को **प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं**
- **संगठन का राजनीतिकरण**
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये **अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव**

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राज्यों की राजकोषीय रणनीतियों को राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।

- **FHI 2025 से संबंधित प्रमुख बिंदु:**
  - **शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता: ओडिशा 67.8** के सर्वोच्च समग्र FHI स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2), गोवा (53.6), झारखंड (51.6) और गुजरात (50.5) का स्थान है, जिनकी **ऋण सूचकांक, राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता** की स्थिति सुदृढ़ है।
  - **राजस्व संग्रहण: गोवा, तेलंगाना और ओडिशा** राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता में अग्रणी हैं।
    - ओडिशा, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़ गैर-कर राजस्व के मामले में बेहतर हैं, जहाँ ओडिशा मुख्य रूप से **खनन संबद्ध प्रीमियम** पर निर्भर है, जबकि **छत्तीसगढ़** को **कोयला ब्लॉक नीलामी** से लाभ प्राप्त होता है।
    - पंजाब और पश्चिम बंगाल राजस्व जुटाने में पिछड़ रहे हैं, जिससे राजकोषीय प्रबंधन एवं आर्थिक लचीलेपन में असमानता पर प्रकाश पड़ता है।
    - **पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल** जैसे आकांक्षी राज्यों को गंभीर राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - पंजाब और केरल **ऋण स्थिरता** और **व्यय की गुणवत्ता** के मामले में संघर्ष कर रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश, **उच्च राजकोषीय घाटे** से ग्रसित है।
  - **पूंजीगत व्यय:** मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने **पूंजीगत व्यय** के लिये **27% का आवंटन** किया है, जो दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
    - पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने इस क्षेत्र में केवल 10% ही आवंटित किये हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है।
  - **ऋण प्रबंधन:** ओडिशा और गोवा जैसे शीर्ष राज्य प्रभावी रूप से ऋण का प्रबंधन करते हैं तथा चूक का जोखिम कम होता है, जबकि पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे निचले स्तर के राज्यों में ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे **ऋण स्थिरता के बारे में चिंताएँ** बढ़ रही हैं।

निकोबारी जनजाति

चर्चा में क्यों?

निकोबार द्वीप समूह में **निकोबारी प्रवास के कालक्रम को एक अध्ययन द्वारा अद्यतन** किया गया है, जो यूरोपीय **जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स** में प्रकाशित हुआ है।

निकोबारी जनजाति पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **संशोधित प्रवास समयरेखा:** पिछले अध्ययनों से अनुमान लगाया गया था कि निकोबारी लोगों के ऑस्ट्रोएशियाटिक पूर्वज **11,000 साल पहले निकोबार** द्वीप समूह में आये थे ।
  - उन्नत **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)** विश्लेषण का उपयोग करते हुए नवीनतम अध्ययन द्वारा इस अनुमान को संशोधित कर लगभग 5,000 वर्ष पूर्व कर दिया गया।
- **आनुवंशिक संबंध:** अध्ययन में पाया गया कि निकोबारी लोग **हतिन माल समुदाय (लाओस-थाईलैंड क्षेत्र** के मूल निवासी जातीय समूह) के साथ पैतृक संबंध साझा करते हैं।
  - इससे यह पुष्टि होती है कि उनके पूर्वज **दक्षिण एशिया** की बजाय दक्षिण-पूर्व एशिया से आये थे।
- **आनुवंशिक पहचान का संरक्षण:** अपने **भौगोलिक अलगाव के कारण**, निकोबारी लोगों ने न्यूनतम बाहरी प्रभाव के साथ अपनी **आनुवंशिक पहचान** बनाए रखी है।
  - इससे शोधकर्त्ताओं को उनके पूर्वजों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद मिली है।
- **भाषाई निरंतरता:** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने आनुवंशिक संबंधों के बावजूद, निकोबारी लोगों ने अपनी **ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषाई जड़ों** (ख्मुइक शाखा) को बनाए रखा है, जो उन्हें अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई आबादी से जोड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

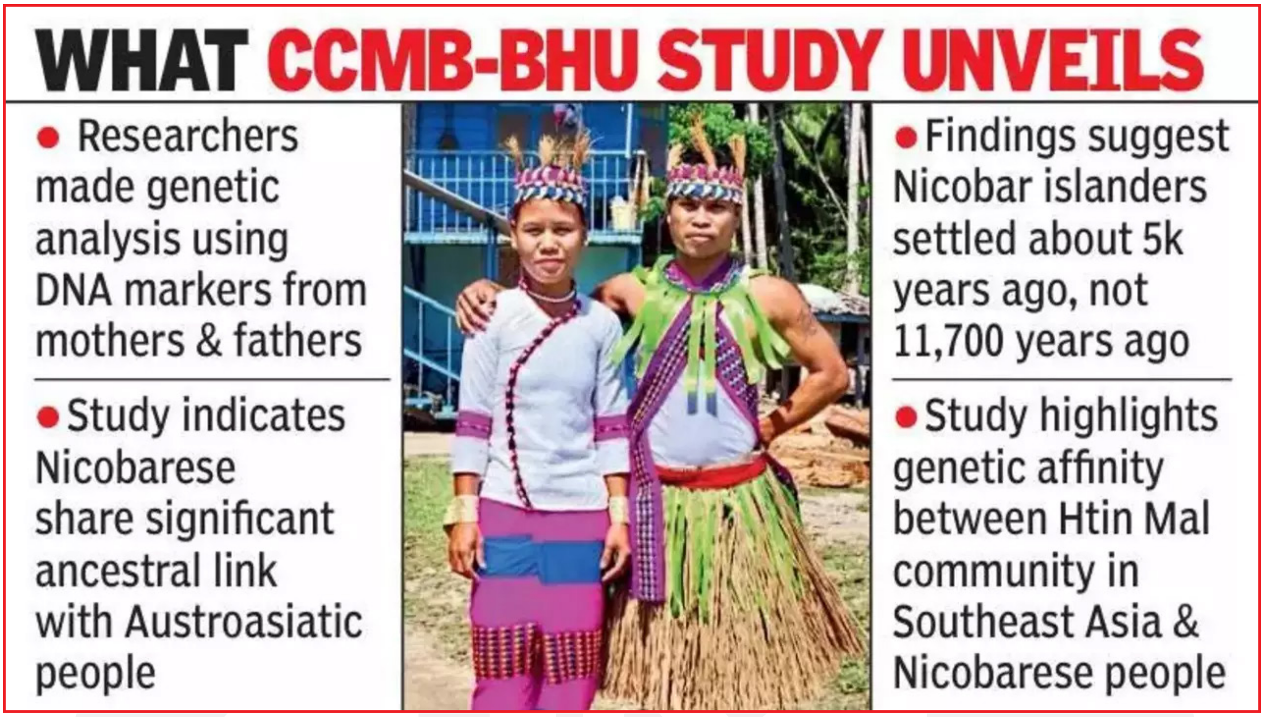

निकोबारी जनजाति के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **भूगोल: निकोबारी लोग बंगाल की खाड़ी** में निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, जो भारत के **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा है।
  - निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप शामिल हैं, जिनमें प्रमुख द्वीप **कार निकोबार, कामोर्टा, नानकोरी और ग्रेट निकोबार** हैं, जिनमें पहाड़ी और समतल दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
- **ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीपसमूहों** में सबसे दक्षिणी तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
- **जातीय समूह:** निकोबारी लोग **मंगोलॉयड जातीय समूह से संबंधित हैं** तथा उनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक है।
  - हालाँकि वे जनजातियों में विभाजित नहीं हैं, फिर भी उन्हें छह प्रादेशिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है: **कार निकोबार, चौरा, टेरेसा विद बोम्पोका (Teressa with Bompoka), केंद्रीय समूह, दक्षिणी समूह और शोम्पेन** (ग्रेट निकोबार की अंतर्देशीय जनजाति)।
- **सामाजिक संरचना: पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली जिसे तुहेट (Tuhet)** के नाम से जाना जाता है।
  - तुहेट (Tuhet) लोगों के पास भूमि, नारियल के पेड़ और सूअर व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पौधों पर कोल डस्ट का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय और NIT राउरकेला (अक्टूबर 2024) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कोयला खनन से निकलने वाली धूल **पौधों के रंध्रों को अवरुद्ध** करके और कार्बन अवशोषण को कम करके पौधों एवं वनस्पति को नुकसान पहुँचाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

- इस धूल से **खदान से 30 किमी** तक की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है तथा इसका सर्वाधिक संकेंद्रण परिवहन मार्गों पर होता है।

कोयला खनन की धूल पादपों को किस प्रकार प्रभाव करती है?

- **कार्बन अवशोषण की क्षमता पर प्रभाव:** जिन पौधों की पत्तियों पर खनन की धूल होती है, वे धूल रहित पौधों की तुलना में **प्रति वर्ग मीटर 2-3 ग्राम कम कार्बन अवशोषित करते हैं,** जिससे **वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर** में उनकी भूमिका बढ़ सकती है, जिससे समय के साथ **ग्लोबल वार्मिंग** बढ़ सकती है।
- **पादपों के स्वास्थ्य पर प्रभाव:** पत्तियों पर धूल का जमाव **रंध्रों को अवरुद्ध करता है,** जिससे **प्रकाश संश्लेषण और जल वाष्प उत्सर्जन प्रभावित होता है।**
  - **वाष्पोत्सर्जन** में इस कमी से **पादप का अतितापन** हो सकता है, जिससे **विकास अवरुद्ध हो सकता है, पौधे मर सकते हैं** और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है।
- **श्वसन संबंधी जोखिम: विवृत खान का खनन करने से गंभीर वायु प्रदूषण** होता है, क्योंकि विस्फोट, ड्रिलिंग और परिवहन से निकलने वाली धूल का परिक्षेपण होता है, जिससे **श्वसन संबंधी गंभीर जोखिम** उत्पन्न होते हैं।

मनुष्यों पर कोयले की धूल का प्रभाव

- **श्वसन विकार: न्यूमोकोनियोसिस (ब्लैक लंग डिज़ीज़),** जिसके कारण **फेफड़ों में घाव** हो जाता है और **साँस लेने में कठिनाई** होती है।
  - इससे **COPD (क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति (Emphysema)), फेफड़ों के कैंसर** का खतरा भी बढ़ जाता है।
- **हृदय संबंधी रोग:** कोयले की धूल सूजन और उच्च रक्तचाप पैदा करके **हृदय रोग, स्ट्रोक और धमनी अवरोध** का खतरा बढ़ाती है।
- **तंत्रिका संबंधी एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:** कोयले की धूल में मौजूद भारी धातुएँ **तंत्रिका विषाक्तता, त्वचा और आँखों में जलन, प्रजनन संबंधी समस्याएँ** पैदा कर सकती हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य और समग्र स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

कोयला

- **परिचय:**
  - कोयला एक **अवसादी चट्टान** है जिसका **रंग काला या भूरा-काला** होता है।
  - यह एक **जीवाश्म ईंधन** है जो **लाखों वर्ष पूर्व मौजूद पौधों के अवशेषों से निर्मित** हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रकार:**

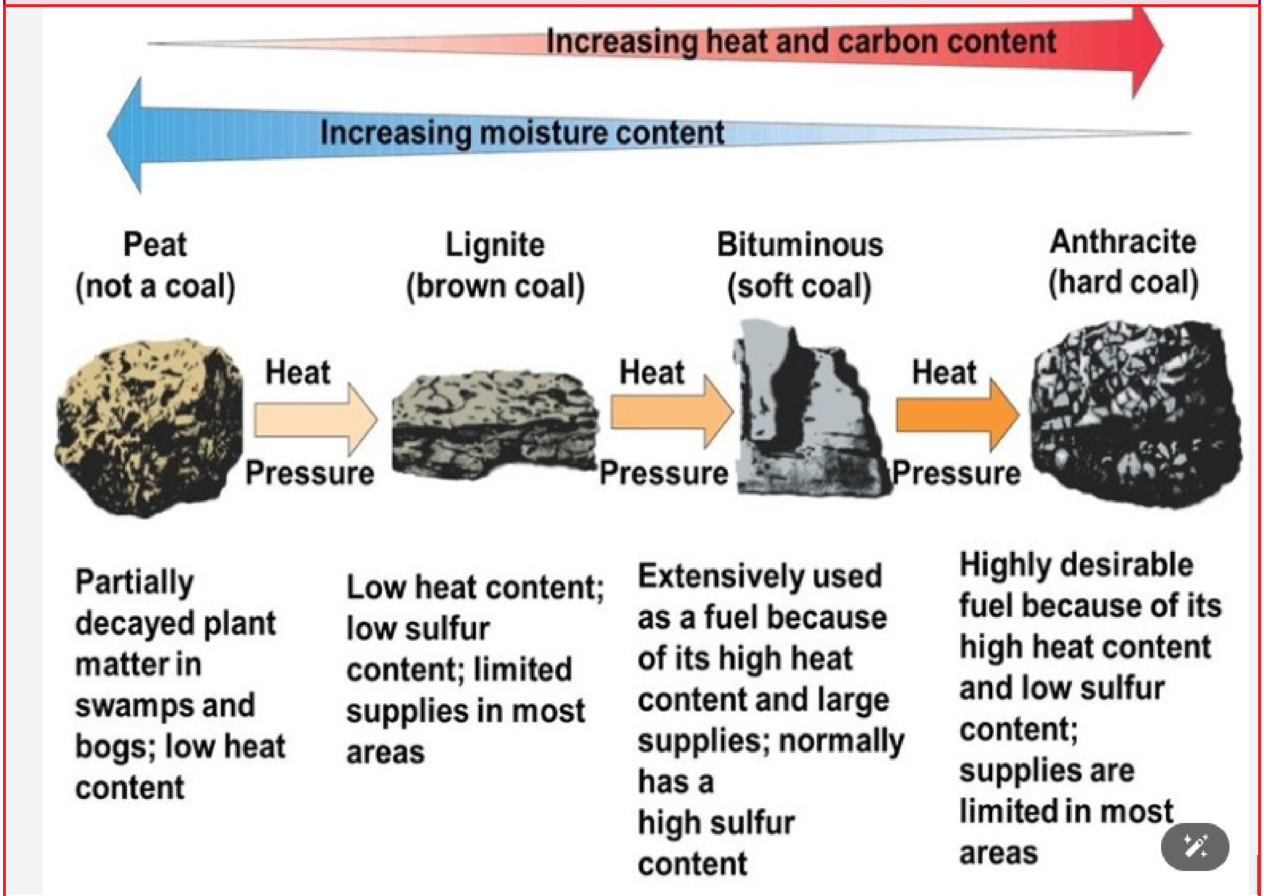

- **उत्पादन:**
  - **रैंकिंग के अनुसार कोयला उत्पादक देश (वर्ष 2022):** चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका और रूस।
    - अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार है।
  - **भारत में:** प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य **ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं,** जिसमे मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा भी शामिल हैं, तथा भारत में घरेलू कच्चे कोयले के प्रेषण में इनका योगदान 75% है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

रैपिड फायर

न्यूरालिंक द्वारा मानव मस्तिष्क का प्रत्यारोपण

एलन मस्क ने कहा कि उनकी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी, न्यूरालिंक द्वारा **एक तीसरे व्यक्ति** में मानव मस्तिष्क का प्रत्यारोपण किया गया, जो तंत्रिका तंत्र को मशीनों से जोड़ेगा।

- न्यूरालिंक ने **वर्ष 2025 तक 20 से 30** और लोगों में प्रायोगिक उपकरण प्रत्यारोपित करने के **लक्ष्य** के साथ अपने परीक्षणों का विस्तार करने की योजना बनाई है।
- **ब्रेन-कम्प्यूटर इंटरफेस (BSI):** तंत्रिकाओं और मांसपेशियों जैसे पारंपरिक न्यूरोमस्क्युलर चैनलों को दरकिनार करते हुए, **ब्रेन-कम्प्यूटर इंटरफेस (BSI)** प्रौद्योगिकी मस्तिष्क और कंप्यूटर या कृत्रिम अंगों जैसे बाह्य उपकरणों के बीच संचार को सक्षम बनाती है।
    - BSI **मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिये सेंसर** का उपयोग करते हैं, तथा इसे कमांड में परिवर्तित करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने विचारों का उपयोग करके **उपकरणों को नियंत्रित** कर सकता है या विश्व के साथ वार्तालाप कर सकता है।
- **संभावित अनुप्रयोग:** **एपिलेप्सी**, **पार्किंसंस** और **न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों** जैसी स्थितियों के लिये मस्तिष्क इंटरफेसिंग।
    - विचार के माध्यम से **कृत्रिम अंगों और व्हीलचेयर** पर नियंत्रण को सक्षम बनाना।
    - **लकवाग्रस्त व्यक्तियों** के लिये संचार बहाल करना।
    - विचारों का उपयोग करके **VR/AR अनुभवों** को बढ़ाना।
- यह **ब्रेनोवेयर** से भिन्न है, जो **मस्तिष्क के ऑर्गेनोइड्स और माइक्रोइलेक्ट्रोड का उपयोग करके "ऑर्गेनोइड न्यूरल नेटवर्क (ONN)"** का निर्माण करता है, जो **जीवित मस्तिष्क के ऊतकों को कंप्यूटिंग** में एकीकृत करता है।
    - मस्तिष्क ऑर्गेनोइड्स **3D स्टेम-सेल-व्युत्पन्न ऊतक** हैं, जो **मानव मस्तिष्क संरचना** की नकल करते हैं।

डेटा एंबेसी

भारत में **संयुक्त अरब अमीरात के पहले डेटा एंबेसी (Data Embassies)** की स्थापना पर भारत द्वारा अग्रिम रूप से चर्चा की जा रही है, तथा अनुमान है कि **भारत में पहला संभावित डेटा एंबेसी आंध्र प्रदेश** में स्थापित किया जाएगा।

- इससे राष्ट्रों को **अपने संप्रभु डेटा की एक प्रति संग्रहीत करने** तथा उस पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
    - यह **प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक अशांति** के मामलों में **डेटा निरंतरता** सुनिश्चित करेगा।
- भारत डेटा केंद्रों के लिये **विशेष रणनीतिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जहाँ कई देशों के लिये संप्रभु डेटा** भंडारण की व्यवस्था होगी।
- वे वाणिज्य दूतावास प्रभागों की तरह ही कार्य करेंगे, जिसमें भारत **बुनियादी ढाँचे का निर्माण** करेगा तथा दूतावास डेटा प्रबंधन, पहुँच और गोपनीयता को नियंत्रित करेगा।
- **वर्ष 2007** में **साइबर हमले** के बाद **एस्टोनिया लक्ज़मबर्ग** में अपने नागरिकों के डेटा की डिजिटल प्रति संग्रहीत करने वाला पहला देश था।
- **देश विदेशी डेटा विनियमों** का पालन किये **बिना डेटा को स्थानीयकृत करने** के लिये इन दूतावासों का उपयोग कर सकते हैं।
- डेटा एंबेसी की स्थापना से वैश्विक अस्थिरता के बीच डेटा भंडारण हेतु एक स्थिर क्षेत्र के रूप में भारत की **भू-राजनीतिक** विश्वसनीयता बढ़ेगी।

नाग मार्क-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

भारत द्वारा राजस्थान के **पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज** में स्वदेशी रूप से विकसित **नाग एमके 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM)** का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नाग एमके 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम)

विकास	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
प्रकार और कार्यक्षमता	यह **तीसरी पीढ़ी की, सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम, दागो और भूल जाओ वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है,** जिसमें **प्रक्षेपण के बाद लॉक-ऑन करने की क्षमता है,** जिससे यह **स्वायत्त रूप से लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है तथा उन पर हमला कर सकती है।**
प्रभावशीलता	इसे **आधुनिक सशस्त्र वाहनों को बेअसर करने के लिये डिज़ाइन** किया गया है, जिसमें **विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ERA) वाले वाहन भी शामिल हैं,** तथा यह बढ़ी हुई विनाशकारी शक्ति के लिये **उच्च विस्फोटक एंटी-टैंक (HEAT) वारहेड का उपयोग** करता है।
श्रेणी	**7 से 10 किलोमीटर** सेकेण्ड। इससे पूर्व के संस्करण **नाग एमके-1 की रेंज केवल 4 किलोमीटर** थी।
आक्रमण क्षमता	इसमें **उच्च-आक्रमण क्षमता है,** जो सशस्त्र वाहनों की कमज़ोर ऊपरी सतह को निशाना बनाती है।
लॉन्च प्लेटफॉर्म	नाग एमके-2 को **NAMICA (नाग मिसाइल कैरियर) वर्जन 2** द्वारा लॉन्च किया गया है । NAMICA एक **टैंक रोधी सशस्त्र वाहन** या टैंक रोधी वाहन है जिसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा टैंक रोधी मिसाइलों को दागने के लिये किया जाता है।

गंगासागर मेला

पश्चिम बंगाल में वार्षिक **गंगासागर मेला** आयोजित किया जा रहा है, तथा राज्य सरकार ने इस आयोजन के अनुभव को बढ़ाने के लिये कई पहल शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बंधन पहल:** तीर्थयात्रियों को **तीन भाषाओं** में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- **ई-अनुसंधान: मेला सुविधाओं तक पहुँच** की प्रणाली।
- **ई-परिचय:** लोगों को लापता होने से रोकने के लिये **QR कोड वाले पहचान बैंड।**

इसके अतिरिक्त, राज्य कई वर्षों से गंगासागर मेले को **"राष्ट्रीय मेला"** का दर्जा प्रदान करने पर ज़ोर दे रहा है।

गंगासागर:

- **गंगासागर मेला** पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आयोजित एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है।
- गंगोत्री से निकलकर **गंगा नदी बंगाल की खाड़ी** में मिल जाती है ।
- **मकर संक्रांति** के साथ मनाए जाने वाले इस त्यौहार में मोक्ष और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति के लिये गंगा में पवित्र स्नान करना, सूर्य देव को **अर्घ्य देना तथा दीपदान** करना जैसे अनुष्ठान शामिल हैं।
- इसे **कुंभ मेले के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक** आयोजन माना जाता है।
- इस मेले का ऐतिहासिक उल्लेख **महाभारत के वन पर्व** और **रघुवंश (कालिदास द्वारा)** में मिलता है, जिसमें तीर्थयात्रा के **1500-2000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिलते** हैं, तथा यह ऋषि **कपिलमुनि** एवं **पाल वंश के राजा देवपाल** से संबंधित है।

मधुमक्खियों को खतरा

साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, **मिट्टी में मौजूद कीटनाशक अवशेष 70% से अधिक मधुमक्खी प्रजातियाँ**, जो परागण के लिये आवश्यक है, के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- **अध्ययन का निष्कर्ष:** वर्तमान **कीटनाशक जोखिम आकलन** मुख्य रूप से शहद निर्मित करने वाली मधुमक्खियों पर केंद्रित है, जिसमे मिट्टी में छत्ता (Nest) बनाने वाली मधुमक्खियों पर पड़ने वाले प्रभाव को शामिल नही किया गया है।
    - **सायन्ट्रानिलिप्रोले** जैसे कीटनाशक मधुमक्खियों के अस्तित्व और प्रजनन की सफलता को कम करके उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे भावी पीढ़ियों के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- **मधुमक्खियों का महत्त्व: मधुमक्खियाँ कई खाद्य फसलों के परागण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार विश्व के खाद्य उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उन पर निर्भर करता है।
- विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली मधुमक्खियाँ कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिये सामाजिक विषहरण विधियों का उपयोग करती हैं, जो विष को नियंत्रित करने के लिये सामूहिक व्यवहार हैं। मधुमक्खियों कीटनाशकों के संपर्क में आने के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।
- **परागण:** किसी पौधे के परागकोष से परागकणों का उस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है. यह प्रक्रिया, निषेचन और बीजों के निर्माण में मदद करती है।
- **परागणकर्त्ताओं में कमी का प्रभाव:** आवास की क्षति, कीटनाशकों और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की आबादी में कमी से उन पौधों को खतरा है जो परागण के लिये मधुमक्खियों पर निर्भर हैं, जिससे वैश्विक **खाद्य सुरक्षा, मधुमक्खी पालन (या मधुमक्खी पालन)** और जैवविविधता प्रभावित हो रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

गद्दी कुत्ता

भारतीय **कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBAGR)** ने हिमालयी क्षेत्र की मूल नस्ल **गद्दी कुत्ते** को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- गद्दी कुत्ता पंजीकृत प्रजाति में शामिल होने वाला **चौथा मूल नस्ल का कुत्ता** है, **इससे पहले** तमिलनाडु की **राजपलायम और चिप्पीपराई नस्लें और** कर्नाटक की **मुधोल हाउंड नस्लों का पंजीकरण किया जा चुका है।**
- **हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति** के नाम पर इस नस्ल का नाम रखा गया है, जिसका उपयोग भेड़ों और बकरियों को शिकारियों से बचाने के लिये किया जाता है और **हिम तेंदुए** जैसे माँसाहारी जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता के कारण इसे **'भारतीय पैंथर हाउंड' अथवा 'भारतीय तेंदुआ हाउंड' उपनाम दिया गया है।**
  - हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति एक **अर्द्ध-घुमंतू समुदाय** है जो परंपरागत रूप से चरवाही और ऊन प्रसंस्करण में संलग्न है।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** गद्दी कुत्ता अपनी विशाल, धनुषाकार गर्दन और पुष्ट माँसल शरीर के लिये जाना जाता है, जिसकी खाल का वर्ण काला होता है और कुछ कुत्तों पर सफेद धारियाँ होती हैं।
- **संख्या में गिरावट:** 1000 से कम समष्टि वाले गद्दी कुत्ते को **जीन पूल के कमज़ोर होने** और प्रजनन कार्यक्रमों के अभाव के कारण विलुप्त होने का खतरा है।
- **संरक्षण प्रयास:** इस मान्यता का उद्देश्य गद्दी नस्ल के संरक्षण में मदद करना है, जिसे अभी तक प्रमुख केनेल क्लबों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

मोटापे के मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन

मोटापे के निदान के क्रम में **बॉडी मास इंडेक्स (BMI)** पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता पर इसकी सीमाओं के कारण सवाल उठ रहे हैं।

- BMI द्वारा एथलीटों जैसे **मस्कुलर व्यक्तियों** में मोटापे को **अधिक करके आँका** जा सकता है तथा अत्यधिक वसा लेकिन **कम मांसपेशी द्रव्यमान वाले व्यक्तियों में मोटापे को कम आँका** जा सकता है।
- **लैंसेट** ने **कमर का आयाम, कमर-कूल्हे का अनुपात** और **कमर-लंबाई अनुपात** जैसे वैकल्पिक मापदंडों का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिससे **लिंग, आयु और नृजातीयता** के अंतर पर विचार हो सके।
  - मोटापे को **प्री-क्लीनिकल (कोई अंग विकार नहीं)** एवं **क्लीनिकल (अंग विकार** और क्रियाशीलता हानि के साथ) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
- BMI का उपयोग **यह आकलन करने के लिये** किया जाता है कि किसी व्यक्ति के **शरीर का वजन** किसी निश्चित **लंबाई हेतु उचित है या नहीं।** इसकी गणना व्यक्ति के वजन और लंबाई का उपयोग करके की जाती है।
- **भारत में मोटापा: द लैंसेट** के अनुसार, भारत की 70% **शहरी आबादी मोटापे या अधिक वजन** की श्रेणी में शामिल है ।
  - **भारत,** मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों की **सर्वाधिक संख्या** वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में **अमेरिका तथा चीन** के बाद **तीसरे स्थान** पर है।
  - मोटापा एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जब **शरीर में अत्यधिक वसा** का संचय हो जाता है।

इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस'

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि नया **इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस'** सीमा पार अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिये **पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) की तुलना** में अधिक प्रभावी उपकरण है।

'सिल्वर नोटिस'

- इंटरपोल ने **'सिल्वर नोटिस' को 2023** में लॉन्च किया, जो **वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के परामर्श** के बाद शुरू हुआ था। यह **वर्ष 2025 तक चलने वाले पायलट चरण** का हिस्सा है।
  - इस पहल में **भारत सहित 52 देश** शामिल हैं।
- इस पहल का उद्देश्य **अवैध गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक संपत्तियों** की पहचान कर बरामद करना, साथ ही लूटी गई संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खातों और व्यापारों का पता लगाना है।
- यह सदस्य देशों को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण** संबंधी अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

इंटरपोल

परिचय

- **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- **स्थापना:** वर्ष 1923
- **सदस्य राज्य:** 195
  - भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **मुख्यालय:** लियॉन, फ्राँस
- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **विशेष निदेशालय - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।**
- **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
  - भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

'इंटरपोल नोटिस':

- **इंटरपोल नोटिस अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट** हैं, जो सदस्य देशों की **पुलिस को अपराध-संबंधी जानकारी** साझा करने में सक्षम बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इंटरपोल- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) विशेष **नोटिस** के अलावा **8 प्रकार के नोटिस** हैं।
- **नोटिस का अनुरोध निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:**
  - किसी **सदस्य देश** का इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (भारत में **भारतपोल**)।
  - **संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण** और **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय**।
- भारत ने **भारतीय अन्वेषण अभिकरण** की दक्षता बढ़ाने के लिये '**भारतपोल' पोर्टल** लॉन्च किया है।

इंटरपोल:

- **इंटरपोल** एक **वैश्विक पुलिस संगठन है** जो अपराध नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाता है।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1923 में वियना में हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यों, फ्राँस** में है।
- भारत **वर्ष 1949 में इंटरपोल** का सदस्य बना।

कोकबोरोक भाषा

त्रिपुरा विधानसभा के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने पर **त्विप्रा छात्र संघ (TSF)** के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। वे पाठ्यपुस्तकों और सरकारी कार्यों में **कोकबोरोक (एक चीनी-तिब्बती भाषा) के लिये रोमन लिपि** को शामिल करने की मांग कर रहे थे।

- **भाषा और समुदाय: कोकबोरोक, त्रिपुरा में बोरोक लोगों (त्रिपुरी)** और आदिवासी समुदायों की मातृभाषा है, जिनमें **देबबर्मा, रियांग, जमातिया** और अन्य शामिल हैं।
  - **व्युत्पत्ति:** "कोक-बोरोक" शब्द कोक (भाषा) और बोरोक (मनुष्य) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है "मनुष्य की भाषा" या "बोरोक लोगों की भाषा।"
- **लिपि और लेखन:** कोकबोरोक में मूलत: **कोलोमा लिपि** का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसकी कोई स्थानीय लिपि नहीं है और इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है।
- **इतिहास:** कम-से-कम पहली शताब्दी ई. से अस्तित्व में है। राजरत्नाकर, त्रिपुरी राजाओं का एक इतिहास, शुरू में **दुर्लोबेंद्र चोंटई द्वारा कोकबोरोक और कोलोमा लिपि** में लिखा गया था।
- **मान्यता:** कोकबोरोक को **वर्ष 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई** (त्रिपुरा की 23.97% आबादी द्वारा बोली जाती है (2011 की जनगणना)), जो **बंगाली** के बाद दूसरे स्थान पर है।
- **रोमन लिपि का प्रयोग:** आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाने वाली कोकबोरोक को **दशकों से रोमन लिपि** में लिखा जाता रहा है। **श्यामा चरण त्रिपुरा और पवित्र सरकार** के नेतृत्व में दो आयोगों ने रोमन का समर्थन किया, जबकि सरकार ने बंगाली को प्राथमिकता दी।
  - जनजातीय समूह बंगाली या देवनागरी लिपि के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी पहचान खत्म हो जाएगी और उनकी संस्कृति उन पर थोपी जाएगी।

ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी

भारत और 13 अन्य देशों के त्वचा विशेषज्ञों ने नवीन **कवक** प्रजाति, ***Trichophyton (T.) Indotineae*** के **क्षेत्र-विशिष्ट नामकरण** की आलोचना की है।

- ***Trichophyton (T.) indotineae:*** यह एक नवीन कवक प्रजाति है, जिसके कारण त्वचा संबंधी ऐसे संक्रमण होते हैं जिनका **उपचार करना कठिन होता है** तथा यह प्रजाति सामान्यत: अधिकांश **एंटीफंगल उपचारों** के प्रति प्रतिरोधी होती है।
  - ***T. indotineae*** की पहचान सबसे पहले **वर्ष 2020 में जापानी त्वचा विशेषज्ञों** द्वारा भारत और नेपाल के रोगियों में की गई थी और तभी से **40 से अधिक देशों में इसका पता लगाया गया है।**
    - इसकी उत्पत्ति को लेकर अभि भी अस्पष्टता है, **क्योंकि 2010 के दशक में बहु-औषध प्रतिरोधी टिनिया संक्रमण की महामारी से पहले यह ऑस्ट्रेलिया, ओमान और ईरान में पाया गया था।**
  - भारत (और "Indotineae") के साथ संबद्धता दर्शाते हुए इस प्रजाति का क्षेत्र-विशिष्ट नामकरण करने के कारण इसकी आलोचना की गई है, जिससे नाम के साथ **कलंक** लगने की संभावना हो जाती है **और गलत सूचना को बढ़ावा मिल सकता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

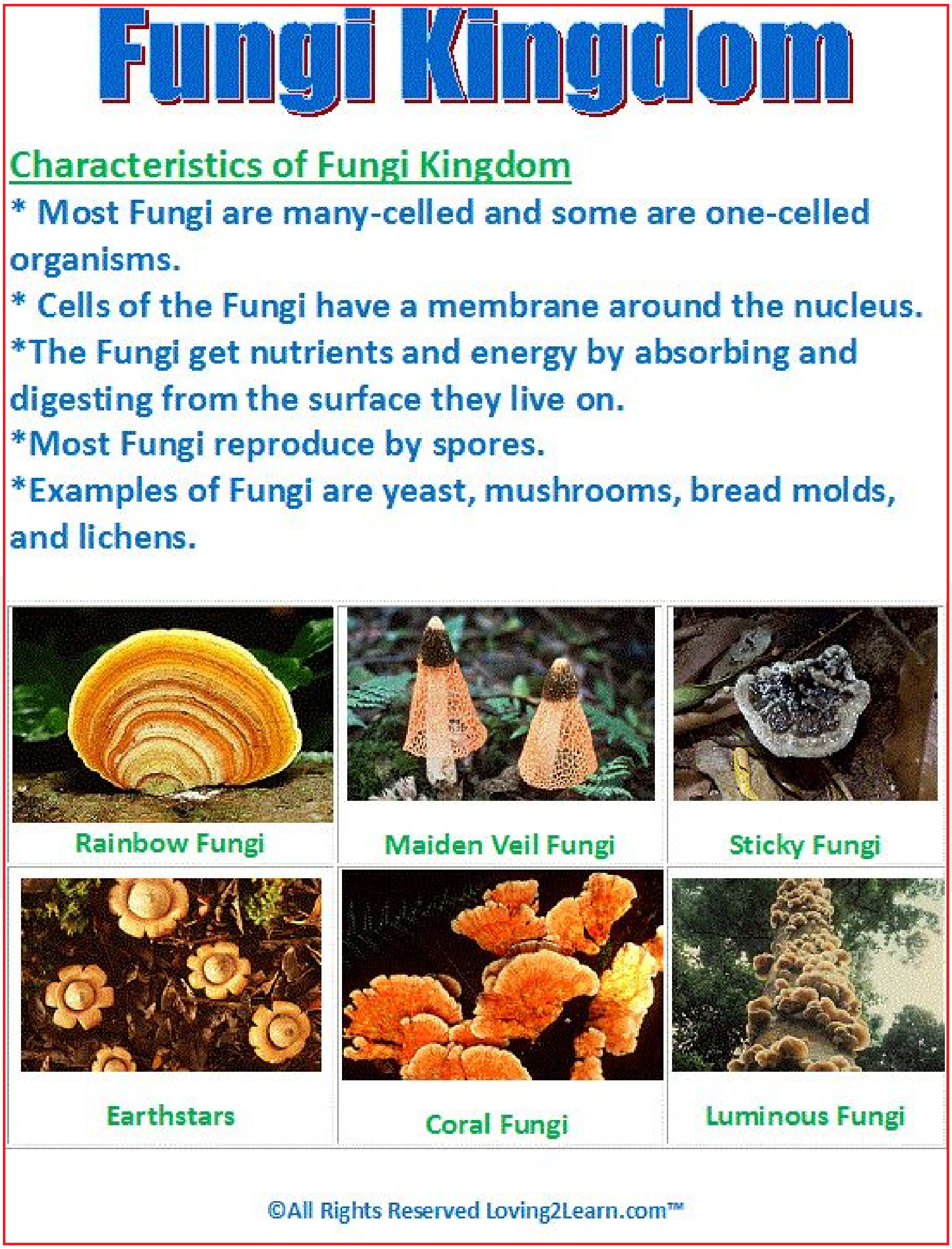

- इस प्रजाति का यह नामकरण **हानिकर है और** विश्व स्वास्थ्य संगठन **तथा अमेरिकन सोसायटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी** जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत है ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नामकरण के आलोचक:** रोगों के नामकरण के लिये सर्वोत्तम पद्धतियाँ लक्षणों और गंभीरता या मौसम जैसी विशिष्ट विशेषताओं **के आधार पर वर्णनात्मक शब्दों के उपयोग पर केंद्रित होती हैं।**
  - ये दिशा-निर्देश **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा OIE** और **FAO** तथा **अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD)** के सहयोग से तैयार किये गए थे।
  - विशिष्ट स्थानों के नाम पर कवकों का नामकरण भ्रामक और हानिकारक हो सकता है, उदाहरण के लिये "**स्पेनिश फ्लू**" अथवा "**दिल्ली बॉयल**"।

PPI धारकों को UPI लेनदेन की सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नियमों में **संशोधन करके पूर्ण केवाईसी प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को थर्ड पार्टी UPI ऐप के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** लेनदेन की अनुमति दी है।

- **उद्देश्य: डिजिटल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड** के उपयोगकर्त्ताओं जैसे **PPI धारकों को फोनपे, गूगल पे और पेटीएम** जैसे **थर्ड पार्टी ऐप** के माध्यम से UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति देना, जो केवल जारीकर्त्ता के ऐप तक ही सीमित थे।
- इसका उद्देश्य **अनुकूलन, ग्राहक संतुष्टि तथा उपयोग में आसानी बढ़ाना तथा डिजिटल भुगतान** पारिस्थितिकी तंत्र में **अधिक भागीदारी** को बढ़ावा देना है।
- PPI: PPI, डिजिटल वॉलेट और भुगतान उपकरण हैं जो उपयोगकर्त्ताओं को उन पर लोड किये गए पैसों का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा धन हस्तांतरण करने के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने प्रदान करते हैं।
- भारत में बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा 1.14 बिलियन से अधिक PPI जारी किये गए हैं।
- UPI: यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए NPCI द्वारा विकसित एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है।
- वर्ष 2023-24 में भारत के डिजिटल लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी 70% रही।
- अक्तूबर 2024 में UPI द्वारा **16.58 बिलियन लेनदेन** के माध्यम से **23.49 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन किया** गया, जो वर्ष 2023 **से 45% की वृद्धि दर्शाता** है।
- भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **यूपीआई** और **रुपे कार्ड** को बढ़ावा दे रही है ।

ब्लड मनी और प्ली बार्गेनिंग

यमन में एक भारतीय नर्स को उसके व्यापारिक साझेदार की कथित हत्या के लिये मृत्युदंड **की सजा**, तथा उसे बरी कराने के लिये **ब्लड मनी (शरिया कानून के तहत *दीया*) का इस्तेमाल किये जाने से,** इसके निहितार्थों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

- **ब्लड मनी** से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, तो मुआवजे के रूप में भुगतान की **जाने वाली राशि** *से* है।
- **ब्लड मनी** से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, के लिये मुआवजे के रूप में दी जाने वाली धनराशि से है।
  - सुलह के बाद भी **राज्य के पास दंड देने** का अधिकार बना रहता है ।
- **भारत की स्थिति:** भारत औपचारिक रूप से **ब्लड मनी को** मान्यता नहीं देता है।
  - कानूनी प्रणाली बातचीत के साधन के रूप में '**प्ली बार्गेनिंग**' की सुविधा उपलब्ध कराती है, **लेकिन महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध, हत्या या बलात्कार** जैसे जघन्य अपराधों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
    - इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें **अभियुक्त अभियोजक से रियायत पाने** के बदले में **अपना दोष स्वीकार करता है, जिसमें संभावित रूप से** पीड़ित को मुआवजा भी शामिल होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (BNSS) में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था।
- इसे केवल उन अपराधों के लिये लिया जा सकता है जिनमें 7 वर्ष से कम कारावास का दंड है।

- **प्राचीन भारत:** कौटिल्य के **अर्थशास्त्र** और **मनुस्मृति में अपराधों के लिये कानूनी उपचार** के भाग के रूप में जुर्माने और क्षतिपूर्ति की चर्चा की गई है।

कक्षीय पादप अध्ययन हेतु कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल (CROPS)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने **कक्षीय पादप अध्ययन (CROPS) हेतु** अपने कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल के भाग के रूप में अंतरिक्ष में **लोबिया (ब्लैक आइड पी) के बीजों** को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है।

- **क्रॉप्स मॉड्यूल: क्रॉप्स** एक **प्रायोगिक मॉड्यूल है जिसे** ISRO द्वारा **सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण** की सहायता से **अंतरिक्ष में पादप वृद्धि का अध्ययन करने** के लिये विकसित किया गया है।
  - यह एक **मिनी ग्रीनहाउस** के रूप में कार्य करता है जिसमें **नियंत्रित वायु, तापमान, कृत्रिम सूर्य प्रकाश (एल.ई.डी.)** और **पृथ्वी द्वारा संचालित जल वितरण प्रणाली** है।
- **शामिल विधियाँ:**
  - **हाइड्रोपोनिक्स:** पादप की वृद्धि मृदा के बजाय पोषक तत्त्वों से भरपूर जल के उपयोग से होती है।
  - **एरोपोनिक्स:** इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती और पादप की वृद्धि वायु में विद्यमान पोषक तत्त्वों के माध्यम से होती है, जिससे जल और उर्वरक का उपयोग कम हो जाता है।
  - **मृदा-सदृश माध्यम:** ISRO ने नियंत्रित पोषक वितरण के लिये धीमी गति से निष्कर्षित होने वाले उर्वरक के साथ **सरंध्र मृदा का उपयोग किया।**
- **अंतरिक्ष हेतु अनुकूल पादप: अंतरिक्ष के आदर्श पादपों में पत्तेदार सब्जियाँ** (सलाद, पालक, केल), **सेम और मटर** (प्रोटीन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु) **तथा मूली, गाजर, गेहूँ, चावल, टमाटर और स्ट्रॉबेरी** जैसी फसलें शामिल हैं।
- **महत्त्व:** इससे **दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिये** एक स्थायी खाद्य स्रोत प्राप्त होगा।
  - पादप **कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं,** तथा एक **संवृत पाश (Closed-Loop) जीवन सहायक प्रणाली के सर्जन में सहायता करते हैं।**

मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप

तंज़ानिया के कागेरा क्षेत्र में मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के संदिग्ध प्रकोप से **8 लोगों की मृत्यु** हुई जिससे यह चिंता का विषय बन गया है।

- **मारबर्ग वायरस रोग:** MVD **प्राणघातक रक्तस्रावी (Hemorrhagic) ज्वर है,** जो मारबर्ग वायरस के कारण होता है, जिसकी **मृत्यु दर 89% है** तथा इसके लिये अनुमोदित उपचार का अभाव है।
  - **लक्षण:** इस वायरस के कारण गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनमें **ज्वर, सिरदर्द, खून की उल्टी और रक्तस्राव शामिल हैं,** जो इबोला वायरस के लक्षणों के समान हैं।
  - **संचरण:** मनुष्यों में इसका संचरण फ्रूट बैट (*Rousettus aegyptiacus*) **से होता है** और संक्रमित व्यक्तियों के **शारीरिक तरल पदार्थ** का अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क होने पर **यह संचरित होता है।**
  - **निदान:** व्यक्ति में इस **रोग की पुष्टि** रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) जैसे परीक्षणों का उपयोग करके की जाती है।
- **तंज़ानिया:** तंज़ानिया (पूर्व में **तंगानिका**) **पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसमें ज़ांज़ीबार, पेम्बा और माफ़िया** द्वीप शामिल हैं।
  - इसकी सीमा **हिंद महासागर सहित आठ देशों से लगती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह अफ्रीका की तीन सबसे बड़ी झीलों से परिवेशित है, जिनमें **विक्टोरिया झील (अलवणीय जल की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील), तांगानिका झील और न्यासा झील शामिल हैं।**

फोनियो मिलेट

फोनियो, **पश्चिम अफ्रीका (जैसे, घाना) का प्राचीन मिलेट अथवा कदन्न** है जो, **जलवायु परिवर्तनों के प्रति आघात सहनीयता, सुकर जुताई और जल की न्यूनतम आवश्यकता** के साथ **अल्प उपजाऊ भूमि में वृद्धि की क्षमता** के लिये जाना जाता है।

- इसकी **अनुकूलनशीलता और पोषण मान के कारण** इसे प्रायः **चमत्कारिक अनाज की संज्ञा दी जाती है।**
- **परंपरागत रूप से फोनियो की खेती फुलानी जनजाति** द्वारा की जाती है, जो अफ्रीका की **सबसे बड़ी घुमंतू जनजाति है।**
    - यह अत्यधिक **बहु उपयोगी है और इसका उपयोग सलाद, दलिया, पास्ता, ब्रेड** में किया जा सकता है या साइड डिश के रूप में परोसा जा सकता है।
    - **इसकी खेती शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों** में की जा सकती है और इसकी **जल खपत बहुत अधिक नहीं** होती है।
- **यह भारतीय कदन्न जैसे सिकिया और रायशान** के समान है। सिकिया, **बैगा जनजाति** का प्रमुख कदन्न है और इसकी खेती **मध्य प्रदेश** के कुछ भागों में की जाती है।
- **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा वर्ष 2023 को **अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष** घोषित किया गया है।
    - किसानों द्वारा **अल्प लाभ अर्जन के कारण कदन्न** उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिये, **ओडिशा की नियमगिरि पर्वतों में, लाभ अर्जन के कारण** कदन्न के स्थान पर **अनानास की खेती** की जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नगालैंड के सीमांत क्षेत्र की मांग

गृह मंत्रालय (MHA) ने **ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO)** द्वारा प्रस्तावित **फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र (Frontier Nagaland Territory- FNT) में स्वायत्तता की** मांग पर सहमति व्यक्त की है।

नगालैंड का सीमांत क्षेत्र (FNT)

- **परिचय:**
  - FNT एक **प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी मांग ENPO** द्वारा **नगालैंड के 6 पूर्वी ज़िलों**- किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामटोर और तुएनसांग में **विकासात्मक असंतुलन** का समाधान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **बेहतर प्रशासन** और **"विकास असंतुलन" का समाधान करने** हेतु **केंद्रित संसाधन आवंटन को संभव बनाते हुए** उक्त ज़िलों को **कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है।**
- **महत्त्व:**
  - इन ज़िलों में **7 नगा जनजातियाँ (कोन्याक, खियामनियुंगन, चांग, संगतम, तिखिर, फोम और यिमखिउंग) पाई जाती हैं** जो **नगालैंड की कुल जनसंख्या का 30% हैं** और कुल **60 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें यहाँ से हैं।**
- **पृष्ठभूमि:**
  - पूर्वी नगालैंड के लिये एक अलग राज्य की मांग वर्ष **2010 से शुरू हुई थी,** जिसका नेतृत्व ENPO ने संबद्ध क्षेत्र में विकास संबंधी गंभीर अभाव का हवाला देते हुए किया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नगालैंड:

- 1947 में स्वतंत्रता पश्चात् भी **नगा क्षेत्र असम का हिस्सा बना रहा।** इसे **1 दिसंबर 1963 को नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962** के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

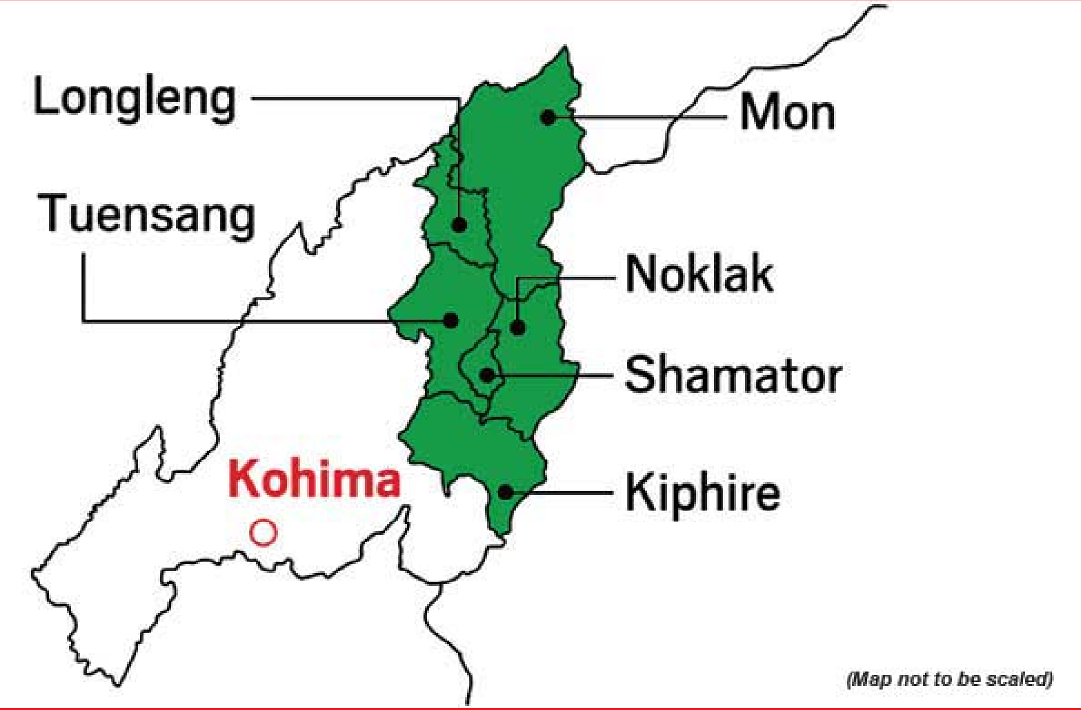

ISRO का तीसरा लॉन्च पैड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा** में **भारत के पहले लॉन्चपोर्ट (दूसरा लॉन्चपोर्ट- कुलशेखरपट्टिनम) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में तीसरे लॉन्च पैड (TLP) की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।**

- तीसरे लॉन्च पैड में **निम्न भू कक्षा** में **30,000 टन** भार वाले अंतरिक्ष यान का वहन करने की क्षमता होगी।
  - इसे **NGLV**, **अर्द्ध क्रायोजेनिक चरणों** वाले **LVM3 यानों और स्केल-अप NGLV** विन्यास में सहायता के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- वर्तमान में, ISRO दो लॉन्च पैडों का उपयोग करता है, अर्थात् **प्रथम लॉन्च पैड (FLP) और द्वितीय लॉन्च पैड (SLP)।**
  - FLP को **PSLV** के लिये क्रियान्वित किया गया था तथा यह **PSLV और SSLV** दोनों के प्रक्षेपणों में सहायता प्रदान करता है।
  - SLP को मुख्य रूप से **GSLV और LVM3** के लिये स्थापित किया गया किंतु इसको **PSLV के लिये पूर्तिकर/अतिरिक्त विकल्प के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।**
    - इसकी सहायता से **चंद्रयान-3 मिशन** सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया था और आगामी **गगनयान मिशन** की तैयारी की जा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भविष्य की कार्यनीति:** भारत की कार्यनीति में वर्ष **2040 तक मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग** और वर्ष **2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)** स्थापित करना शामिल है, जिसके लिये ऐसे भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी, जिन्हें मौजूदा पैडों में समायोजित नहीं किया जा सकता।
- **वर्ष 2024 में , वाणिज्यिक, ऑन-डिमांड और लघु उपग्रह (SSLV) प्रक्षेपणों** और **श्रीलंका के** ऊपर **डॉगलेग पैंतरेबाज़ी** से **बचने के लिये कुलसेकरपट्टिनम,** तमिलनाडु में **ISRO के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट** की आधारशिला रखी गई।

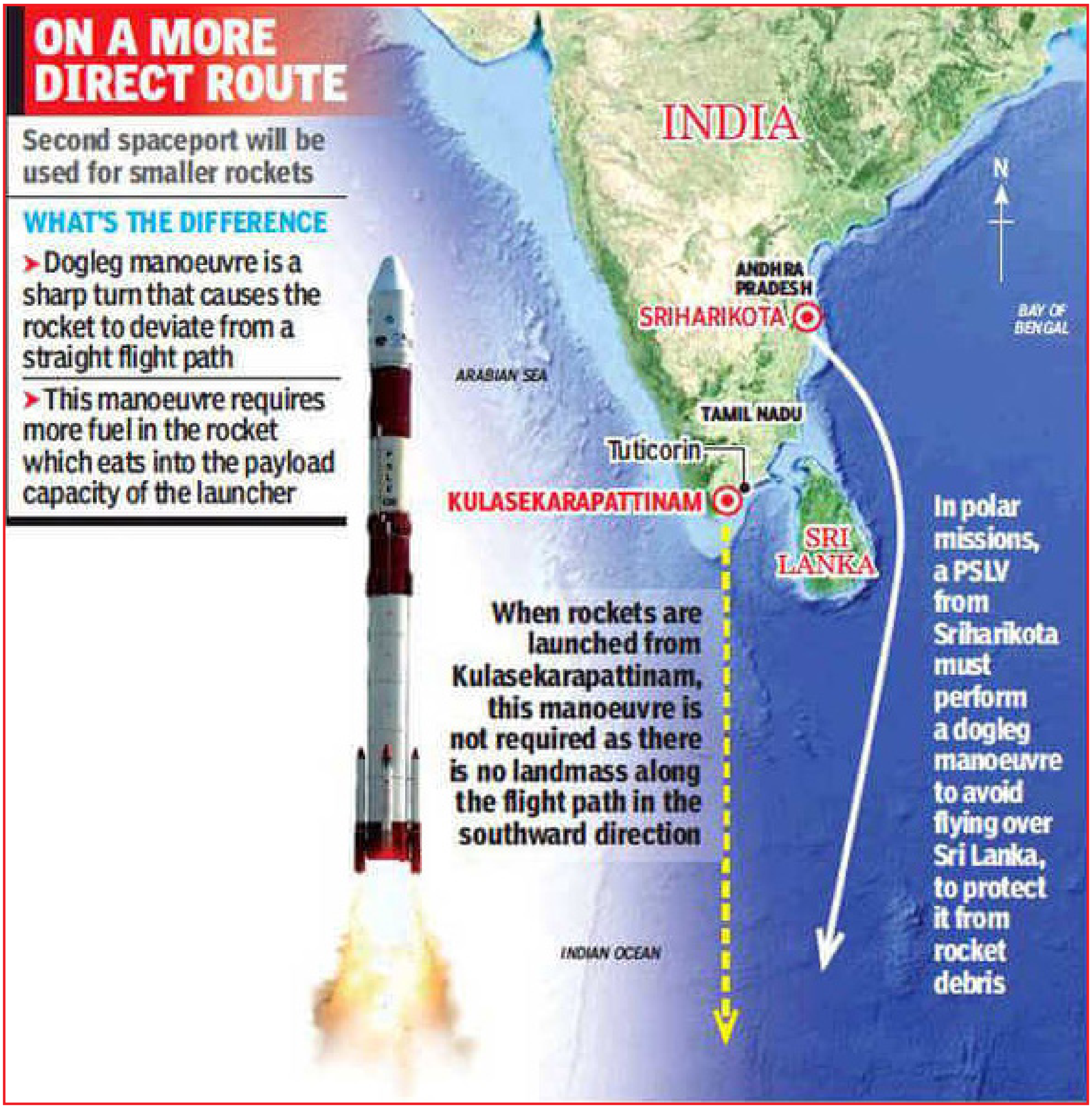

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

BRICS के 9वें भागीदार देश के रूप में नाइजीरिया

वर्ष 2025 में **BRICS** की अध्यक्षता करने वाले **ब्राज़ील ने नाइजीरिया** को BRICS समूह के "**भागीदार देश**" के रूप में शामिल किये जाने की घोषणा की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- **नाइजीरिया बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान** के साथ मिलकर **9वाँ BRICS भागीदार देश** बन गया है।
  - BRICS में, "भागीदार देश" से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से है जिन्हें **सदस्यता के बिना** अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना **शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों** में भाग लेने अथवा अन्य **संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने** के लिये आमंत्रित किया जाता है।
- नाइजीरिया विश्व का **छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश** है और **अफ्रीका में सबसे बड़ा देश** है, इसके अतिरिक्त यह **अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** भी है।
  - **नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट** पर स्थित है, जिसे प्राय: **"जायंट ऑफ अफ्रीका"** कहते हैं।
- **BRICS: BRICS का गठन वर्ष** 2009 में **ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन** द्वारा किया गया था, जिसमें **वर्ष** 2010 में **G7 देशों** के प्रति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से **दक्षिण अफ्रीका** को शामिल किया गया था।
  - **वर्ष** 2023 में BRICS में **ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE को शामिल किया गया**, जबकि **सऊदी अरब** को भी इसमें शामिल होने के लिये **आमंत्रित** किया गया था।
  - **इंडोनेशिया** आधिकारिक तौर पर **10वें सदस्य** के रूप में **BRICS समूह में शामिल हो गया है, जो जनवरी 2025** से प्रभावी हुआ।
  - **तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप** से BRICS सदस्य बनने के लिये **आवेदन किया** है।

माउंट इबू में ज्वालामुखी विस्फोट

जनवरी, 2025 में इंडोनेशिया के माउंट इबू में 1,079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसमें **राख के बड़े-बड़े स्तंभ 0.3 किमी से 4 किमी की ऊँचाई** तक ऊपर उठे।

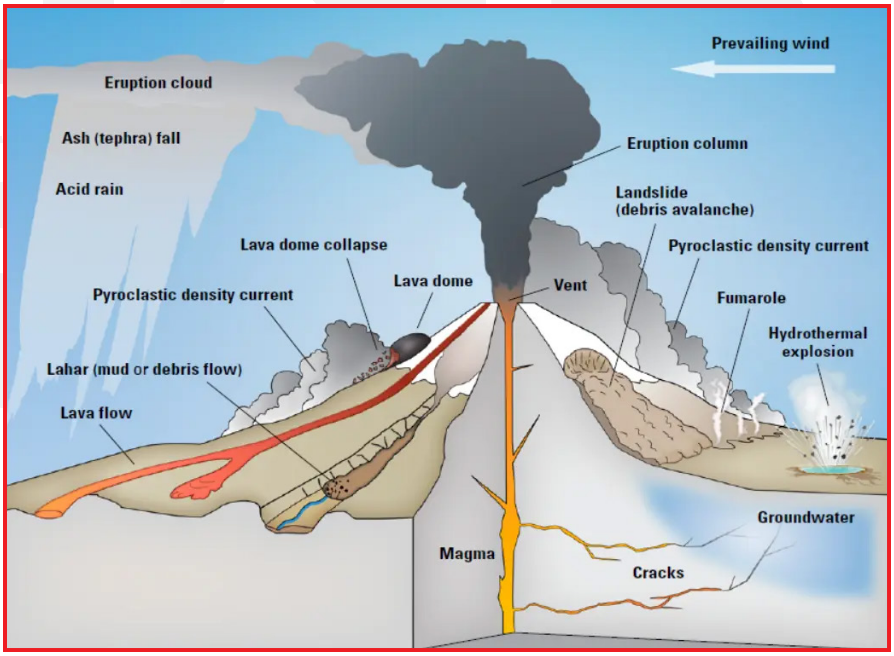

- माउंट इबू इंडोनेशिया के **उत्तरी मालुकु प्रांत के हलमाहेरा द्वीप** पर स्थित एक **स्ट्रेटोवोलकैनो है।**
  - एक **स्ट्रेटोवोलकैनो, या मिश्रित ज्वालामुखी, लावा, राख और ज्वालामुखी मलबे की परतों** से निर्मित एक **खड़ी, शंक्वाकार** रूपरेखा है।
  - यह आमतौर पर **अभिसारी प्लेट सीमाओं और सबडक्शन क्षेत्रों** में पाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- माउंट वेसुवियस (इटली), माउंट फूजी (जापान), माउंट क्राकाटोआ (इंडोनेशिया) स्ट्रेटोवोलकैनो के उदाहरण हैं।

- **माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी,** एक दो शिखर वाला ज्वालामुखी, और इंडोनेशिया में **माउंट रुआंग में कई बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ,** जिससे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी कणों की निकासी हुई।
- इंडोनेशिया **प्रशांत महासागरीय अग्नि वलय** पर स्थित है, जो लगातार **ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियों** के लिये जाना जाता है, जिससे यह विस्फोटों के प्रति संवेदनशील है।

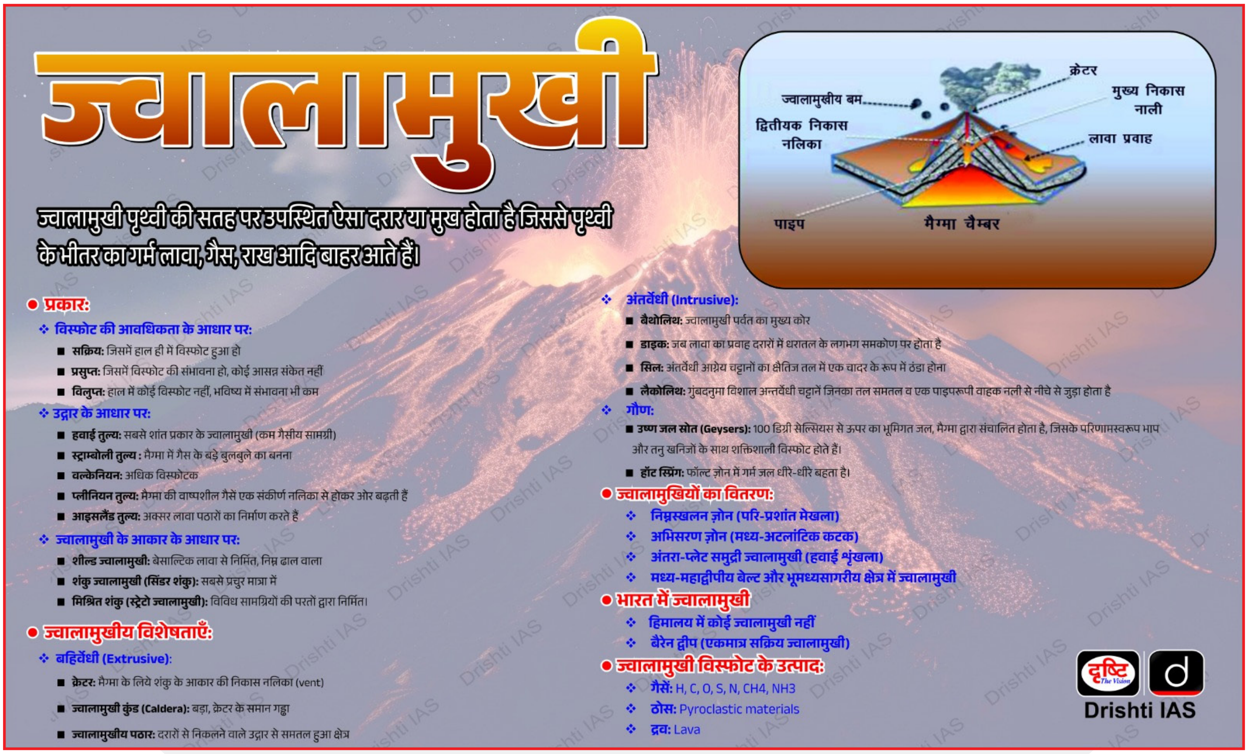

मिशन एससीओटी

भारत के प्रधानमंत्री ने **मिशन एससीओटी (स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग)** की सफलता के लिये **भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा** की सराहना की।

- **मिशन एससीओटी:** यह **विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) उपग्रह है,** जिसे **स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के** माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है ।
  - SSA अंतरिक्ष पिंडों एवं उनकी कक्षाओं की ट्रैकिंग और लक्षण-निर्धारण का कार्य करता है।
  - मिशन एससीओटी **पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO)** में 5 सेंटीमीटर जितने छोटे **रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स (RSO)** पर नज़र रखता है।
  - यह आदित्य बिड़ला वेंचर्स और **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा समर्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ट्रांसपोर्टर-12 मिशन:** यह स्पेसएक्स के राइडशेयर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण में कई ग्राहकों को **अंतरिक्ष तक लागत प्रभावी पहुँच** प्रदान करना है।
- **SSA में भारत के प्रयास:** **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** उपग्रह टकराव को रोकने के लिये निकटता विश्लेषण और **टकराव परिहार युद्धाभ्यास (CAM)** का आयोजन करता है।
- **भारत के श्रीहरिकोटा रेंज** में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, लेकिन इसकी सीमा सीमित है।
- सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM), अंतरिक्ष पर्यावरण संबंधी जानकारी के लिये वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट (ISSAR) उपलब्ध कराती है।
- **NETRA परियोजना:** **नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (NETRA)** के तहत, इसरो खतरे के विश्लेषण को बढ़ाने और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिये उन्नत रडार एवं ऑप्टिकल दूरबीनों के साथ एक **अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग (SST) नेटवर्क** स्थापित कर रहा है।

भारत ने 2025 का पहला खो-खो विश्व कप जीता

भारत ने **पहली बार आयोजित खो-खो विश्व कप 2025** के फाइनल में नेपाल को हराकर **पुरुष और महिला दोनों खो-खो विश्व चैंपियन खिताब जीता।**

- **खो-खो विश्व कप 2025:** इस टूर्नामेंट को **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)** का समर्थन प्राप्त था, इसमें दोनों डिवीजनों (पुरुष और महिला) के लिये ग्रुप चरण और नॉकआउट शामिल थे।
- **खो-खो का ऐतिहासिक महत्व:** यह भारत के सबसे पुराने **पारंपरिक टैग खेलों** में से एक है, ऐसा माना जाता है कि इसका विकास **महाभारत के युद्ध प्रारूप चक्रव्यूह** से हुआ है, जो खो-खो के रिंग खेल के समान एक रक्षात्मक रणनीति है।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि खो-खो की शुरुआत **महाराष्ट्र** में हुई थी और इसे शुरू में रथों पर खेला जाता था। आधुनिक फुट संस्करण **प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914** में सामने आया, जब **पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब** ने अपने नियमों और संरचना को औपचारिक रूप दिया।
  - खो-खो टीम में **9 सक्रिय खिलाड़ी** होते हैं, जिसमें 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। खिलाड़ी बारी-बारी से **विरोधियों का पीछा करते हैं, बचाव करते हैं और टैग करते हैं।**
  - खो-खो का प्रदर्शन **वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक** में **कबड्डी और मल्लखंब** जैसे अन्य स्वदेशी भारतीय खेलों के साथ किया गया था।
- **बढ़ती लोकप्रियता:** खो-खो की वैश्विक पहुँच **वर्ष 2020 में 6 देशों से बढ़कर वर्ष 2025 में 55 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खो-खो महासंघ (IKKF)** का लक्ष्य **वर्ष 2036 तक 90 देशों तक विस्तार कर ओलंपिक** में शामिल करना है।

कोलंबिया में बढ़ता संघर्ष

कोलंबिया में प्रतिद्वंदी मिलिशिया के बीच संघर्ष के कारण **हिंसा बढ़ रही है,** जिससे इसकी **शांति प्रक्रिया** खतरे में है और **सैन्य तैनाती** के साथ **आपातकाल** की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- इस हिंसा में वे गुरिल्ला समूह शामिल हैं जिन्होंने **पूर्व के शांति समझौतों पर असहमति** व्यक्त की थी।
  - इस समझौते से **कोलंबियाई सरकार** और मार्क्सवादी-लेनिनवादी **गुरिल्लाओं (वामपंथी बल)** (1964-2016) के बीच संघर्ष **समाप्त हुआ।**
  - ये समूह **कोका पत्ती के बागानों** वाले एक रणनीतिक सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिये संघर्ष कर रहे हैं, जो **कोकीन उत्पादन** के लिये कच्चा माल है।
- सैकड़ों शरणार्थियों ने कोलंबिया के शहर **टिबू में सुरक्षा की मांग की,** जहाँ उनके रहने के लिये कई **आश्रय स्थल स्थापित किये गए।**
- **कोलंबिया: दक्षिण अमेरिका को मध्य और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने** के कारण इसे **"दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार"** कहते हैं।
  - इसके विशाल **घास स्थलों लॉस लानोस** कहा जाता है और **ये प्रशांत महासागर और साथ ही अटलांटिक महासागर** में भी विस्तृत हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- विश्व की लगभग 10% पशु प्रजातियाँ कोलंबिया में पाई जाती हैं, जबकि यह **पृथ्वी के 1% से भी कम भू-क्षेत्र में विस्तृत है।**
- यह विश्व का सबसे बड़ा **कोकीन उत्पादक देश** है।

मेक्सिको की खाड़ी और डेनाली के नाम में परिवर्तन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महानता के सम्मान में **मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी (Gulf of America)** करने तथा उत्तर अमेरिका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी **डेनाली** का नाम बदलकर **माउंट मैकिन्ले करने** के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये।

- **नामकरण:** नाम बदलने की कोई आधिकारिक नीति न होने के कारण, **इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइज़ेशन (IHO)**, जिसके अमेरिका और मैक्सिको सदस्य हैं, घरेलू भिन्न नामों की अनुमति देते हुए एकरूपता बनाए रखता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अभी भी मेक्सिको की खाड़ी का नाम प्रयोग किया जाता है, तथा **मेक्सिको और क्यूबा** को नया नाम प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
- **मेक्सिको की खाड़ी:** यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो **क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है,** यह **फ्लोरिडा जलडमरूमध्य** के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और **युकाटन चैनल** के माध्यम से **कैरिबियन सागर** को जोड़ती है।
    - मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका के **कच्चे तेल** का 14%, **प्राकृतिक गैस** का 5% आपूर्ति करती है, तथा **अमेरिका की पेट्रोलियम शोधन क्षमता का 48% तथा प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण क्षमता का 51%** प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **माउंट मैकिन्ले: उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी माउंट मैकिन्ले अलास्का** में स्थित है तथा वर्ष 2015 में स्वदेशी **कोयुकोन लोगों के सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली** कर दिया गया था।
  - माउंट मैकिन्ले पर वापसी से **स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध और अमेरिकी आर्थिक विकास** में उनके नेतृत्व के लिये **राष्ट्रपति विलियम मैकिन्ले (1897-1901) को** सम्मानित किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **समान वैश्विक विवाद:** इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच **"जापान सागर" बनाम "पूर्वी सागर"**, ईरान और सऊदी अरब के बीच **"फारस की खाड़ी" बनाम "अरब की खाड़ी", तथा दक्षिण चीन सागर** में क्षेत्रीय नामकरण विवाद शामिल हैं।

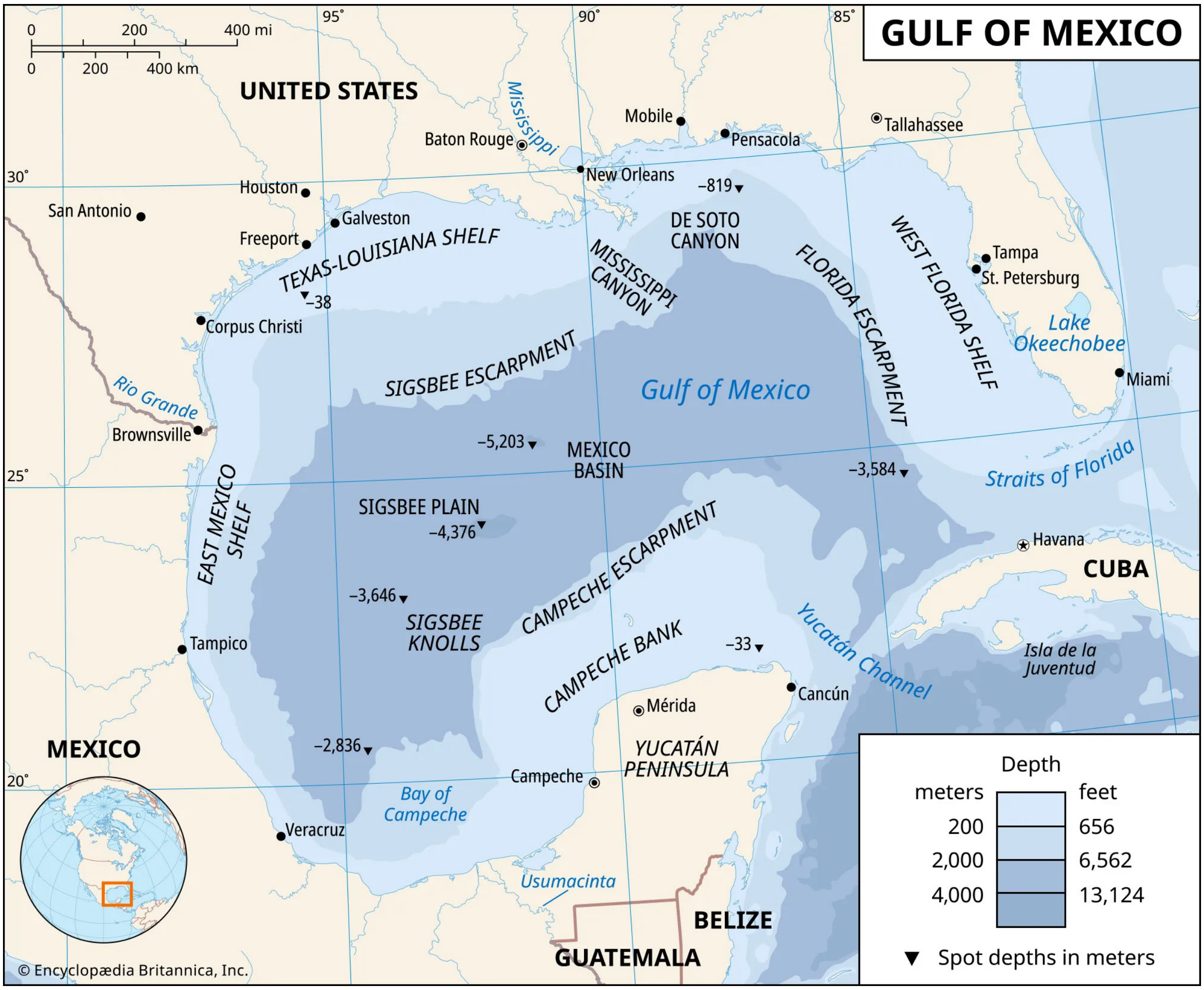

रेल की पटरियों के किनारे विंड टर्बाइन

भारतीय रेल (IR) वर्ष 2030 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य योजना के भाग के रूप में **रेल की पटरियों के साथ वातचलित अथवा विंड टर्बाइनों** के उपयोग की संभावना तलाश रहा है।

- पश्चिमी रेलवे द्वारा एक प्रायोगिक (Pilot) परियोजना के तहत **मिनी वर्टिकल-एक्सिस टर्बाइन** संस्थापित किये गए, जो जाने वाली ट्रेनों से उत्पन्न पवन के उपयोग से 1 से 10 **किलोवाट बिजली** उत्पन्न करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

संभावित चुनौतियाँ:

- **रसद:** संस्थापना संबंधी जटिल प्रक्रिया और विशेष रूप से सीमित स्थान वाले शहरी क्षेत्रों में रखरखाव समन्वय।
- **सुरक्षा:** टरबाइन की खराबी से रेलगाड़ियों और यात्रियों को खतरा हो सकता है।
- **पवन की स्थिति: पवन की इष्टतम स्थिति** रेलवे कॉरिडोर के स्थानों के अनुरूप नहीं हो सकती है।
- **स्थान का अभाव:** ट्रैक पर टर्बाइनों के लिये पर्याप्त स्थान प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** स्थापना और रखरखाव की उच्च लागत।

भारतीय रेल (IR) की नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति:

- नवंबर 2024 तक, भारतीय रेल ने **487 मेगावाट सौर ऊर्जा, 103 मेगावाट पवन ऊर्जा,** और **100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संस्थापित की।**
- कुल 2,014 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता की योजना बनाई गई है, जो **वर्ष 2030 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन** प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

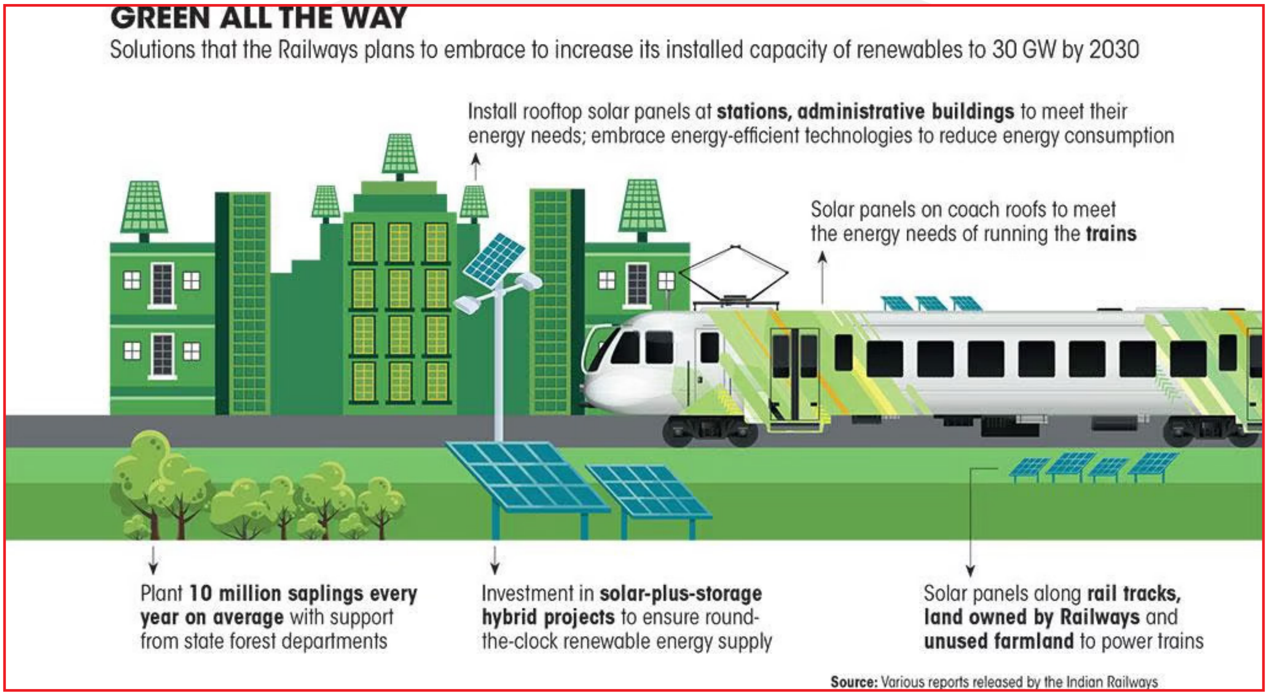

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) का **नया अध्यक्ष** चुना गया है।

- **बहादुर सिंह सागू** एक बार के **एशियाई पदक विजेता** और **दो बार** के राष्ट्रीय चैंपियन हैं, उन्होंने **वर्ष 2002 बुसान एशियाई खेलों** में **शॉट पुट** में **स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2000 और 2004 के ओलंपिक** में भी भाग लिया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

- **परिचय: AFI की स्थापना,** 1946 में भारत में एथलेटिक्स के लिये एक **गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, स्वायत्त** शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी।
  - यह **विश्व एथलेटिक्स, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA)** और भारतीय **ओलंपिक संघ से संबद्ध** है।
- **उद्देश्य: एथलेटिक्स को लोकप्रिय** बनाना, एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार लाना और खेल को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना।
- **संरचना:** AFI में 32 संबद्ध राज्य और संस्थागत इकाइयाँ शामिल हैं।
- **कार्य:** यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिये टीमों का चयन करता है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी करता है, तथा एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिये प्रतियोगिताओं का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, यह कोचिंग कार्यक्रमों, प्रतिभा-विकास शिविरों और जमीनी स्तर पर विकास पर ज़ोर देता है।

विश्व एथलेटिक्स दिवस:

- **यह प्रतिवर्ष 7 मई** को मनाया जाता है (पहला दिवस 15 मई 1996 को मनाया गया था)।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (IAAF)** द्वारा की गई थी, जिसे अब **विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है,** जिसका उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की **भागीदारी** को बढ़ावा देना है।

प्लूटो और चारोन की ब्रह्मांडीय कहानी

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, प्लूटो और एक अन्य खगोलीय पिंड के बीच हुई नाटकीय टक्कर से **प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा, चारोन** का निर्माण हुआ। इसके बाद एक **"किस-एंड-कैप्चर (Kiss-and-Capture)"** घटना हुई, जहाँ दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करने लगे।

- **असामान्य कक्षा:** पृथ्वी के विपरीत, जिसका चंद्रमा ग्रह की परिक्रमा करता है, **प्लूटो और चारोन** को एक **"द्विआधारी प्रणाली"** माना जाता है, जहाँ **वे द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं,** अनिवार्य रूप से **कुइपर बेल्ट** के भीतर **एक दूसरे की परिक्रमा** करते हैं, जिससे सौर मंडल में उनका संबंध अद्वितीय हो जाता है।
  - नेप्च्यून की कक्षा से परे **कुइपर बेल्ट** एक ठंडा क्षेत्र है जिसमें **बर्फीले पिंड** हैं, यह **क्षुद्रग्रह बेल्ट** के समान है लेकिन सूर्य से अधिक दूर है।
- **प्लूटो की ग्रहीय स्थिति:** प्लूटो, जो कभी नौवां ग्रह था, को वर्ष 2006 में **अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ** द्वारा **"बौने ग्रह"** के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।
  - **बर्फीले पर्वत, नाइट्रोजन ग्लेशियर** और हृदय के आकार के **टॉमबाग रेजियो** जैसी अप्रत्याशित विशेषताओं को उजागर करके, **नासा के न्यू होराइजन्स मिशन** ने प्लूटो की छवि को एक निर्जीव चट्टान से एक **गतिशील, बहुमुखी ग्रह** में बदल दिया।
- **प्लूटो के चंद्रमा: चारोन (आकार में सबसे बड़ा), निक्स, हाइड्रा, केर्बेरोस** और **स्टाइक्स।**

प्लूटो:

- वर्ष 1930 में क्लाइड टॉमबाग द्वारा खोजा गया।
- **व्यास:** 1,400 मील, पृथ्वी के चंद्रमा से छोटा।
- प्लूटो पर एक वर्ष **पृथ्वी के 248 वर्षों** के बराबर होता है; तथा एक दिन **153 घंटे** (लगभग 6 पृथ्वी दिन) का होता है।
- वायुमंडल में **नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड** शामिल हैं, तथा **नीले रंग और धुंध की परतें** हैं।
- सतह का तापमान **-228°C से -238°C** तक है, जो जीवन के लिये बहुत ठंडा है।

साइपरमेथ्रिन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी

हाल ही में **चीन** ने अपने घरेलू उद्योग को हुए अत्यधिक नुकसान का हवाला देते हुए भारत से **साइपरमेथ्रिन कीटनाशी** के आयात पर **प्रतिपाटन-रोधी अथवा एंटी-डंपिंग शुल्क** लगा दिया है।

साइपरमेथ्रिन:

- यह एक **सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड कीटनाशी** है जिसका उपयोग प्रायः कृषि और घरेलू कीट नियंत्रण के लिये किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- पाइरेथ्रोइड्स, *Chrysanthemum cinerariaefolium* पुष्पों में पाए जाने वाले **पाइरेथ्रिन्स** (एक प्राकृतिक यौगिक) से प्राप्त होते हैं।
- **यह चींटियों, कॉकरोच** और **कृषि कीटों** सहित कई प्रकार के कीटों का नाश करता है।
- यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कीटों पर तेज़ी से कार्य करता है तथा उनके **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** को प्रभावित करके उन्हें मार देता है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी:

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी **उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर** है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका निर्यातक देश में **उनके उचित बाज़ार मूल्य से कम कीमत पर विक्रय जा रहा है।**
  - भारत में, इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत कार्यरत **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की अनुशंसाओं** के आधार पर **वित्त मंत्रालय** द्वारा लगाया जाता है।
- इसकी गणना उत्पाद के **सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच के अंतर** के रूप में की जाती है।
  - डंपिंग तब होती है जब कोई **देश अपने घरेलू बाज़ार की तुलना में कम कीमत पर माल का निर्यात करता है, जो** विश्व व्यापार संगठन के अनुसार **अनुचित व्यापार व्यवहार** है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।

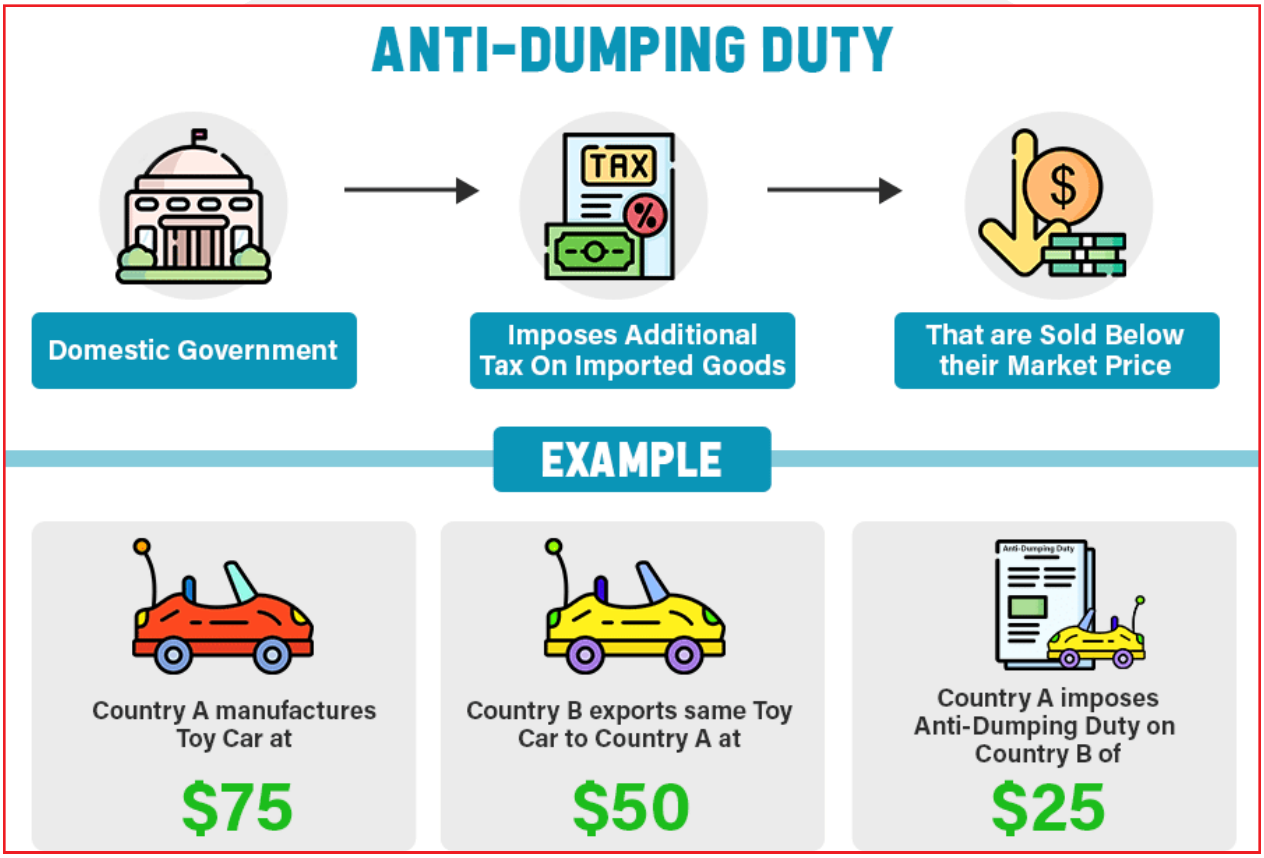

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

H5N1 बर्ड फ्लू और डेमोइसेल क्रेन

राजस्थान के जैसलमेर में प्रवासी डेमोइसेल क्रेनों को **H5N1 बर्ड फ्लू** के फैलने का खतरा है, जो **असामान्य रूप से अधिक वर्षा** के कारण विषाक्त जलाशयों और चने के खेतों में **कीटनाशक के छिड़काव के कारण** और भी अधिक बढ़ गया है।

- **H5N1:** **एवियन इन्फ्लूएंजा A (H5N1) या H5N1 बर्ड फ्लू** एक प्रकार का **फ्लू वायरस** है जो **मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन यह मानवों में भी संक्रमण का कारण** बन सकता है।
  - इसकी उत्पत्ति **वर्ष 1996 में चीन में हुई थी,** इसके बाद H5N1 वायरस का प्रसार अन्य देशों में भी देखने को मिला।
  - वर्ष 2020 से यह वैश्विक स्तर पर महाद्वीपों में फैल गया। **भारत में पहली बार H5N1 का प्रकोप वर्ष 2015 में देखा गया था,** जिससे **महाराष्ट्र और गुजरात** गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।

- **मनुष्यों में फैलना: संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण के साथ निकट संपर्क एवियन इन्फ्लूएंजा A वायरस** के मानव संक्रमण का प्राथमिक मार्ग है। व्यक्ति-से-व्यक्ति संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन संभव है।
- **डेमोइसेल क्रेन:** डेमोइसेल क्रेन (भारत में **कूंज या कुरजाँ के नाम से जाना जाता है), जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में मूल रूप से पाया जाता है,** अत्यधिक ठंड से बचने के लिये सर्दियों के दौरान भारत, विशेष रूप से राजस्थान में प्रवास करता है।
  - **संरक्षण:** **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** का दर्जा (कम चिंताजनक) तथा **खीचन (राजस्थान में) भारत का पहला डेमोइसेल क्रेन रिज़र्व** है, जहाँ प्रत्येक वर्ष शीतकाल के दौरान 20,000-30,000 क्रेन आते हैं।

बोरियल वन

एक अध्ययन के अनुसार **विश्व के लगभग आधे बोरियल वनों** में जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे **वनाग्नि** का खतरा बढ़ रहा है और उनकी **कार्बन सिंक** भूमिका प्रभावित रही है।

- **अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:** बोरियल वनों में **वैश्विक औसत से चार गुना अधिक तेज़ी से तापन** हो रहा है।
  - दक्षिण से उत्तर की ओर वृक्षों का घनत्व घटने के कारण बोरियल वनों स्थिति **विवृत (विरल वृक्ष आवरण) होती जा रही है,** जिससे उनकी **कार्बन भंडारण क्षमता कम** हो रही है और **दावानल का खतरा बढ़ रहा है**।
  - **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से मृदा के कार्बन** की महत्त्वपूर्ण मात्रा अवमुक्त हो सकती है, जिससे कार्बन भंडारण और भी जटिल हो जाएगा।
- **बोरियल वन:** बोरियल वन (**या "टैगा") विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम** है, जो **वैश्विक वन क्षेत्र के 30%** और **पृथ्वी की भूमि सतह के 10% हिस्से** पर विस्तृत है।
  - बोरियल पारिस्थितिकी क्षेत्र मुख्यत: **उत्तरी गोलार्द्ध के आठ देशों** (कनाडा, चीन, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका) में विस्तृत है।
  - **बोरियल वनों** में मुख्य रूप से **पाइन, स्प्रूस और फर जैसे** शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियाँ जैसे कि **चिनार और बर्च वृक्ष** भी पाए जाते हैं। इनकी वेइद्धि **उच्च अक्षांशीय** परिवेश में होती है।
    - **किसी भी अन्य बायोम की तुलना में इसमें अधिक सतही अलवणीय जल** होता है, जो उत्तरी महासागरों और वैश्विक जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
  - जलवायु विनियमन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए और उष्णकटिबंधीय वनों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में कार्य करते हुए बोरियल क्षेत्र 33% से अधिक काष्ठ और 25% कागज़ निर्यात का स्रोत हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

Taiga and Boreal Forest Global Distribution

The taiga or boreal forest covers much of Canada, Alaska, Sweden, Finland, Norway, Estonia, and Siberia and parts of Scotland, Iceland, Mongolia, Japan, and Kazakhstan.

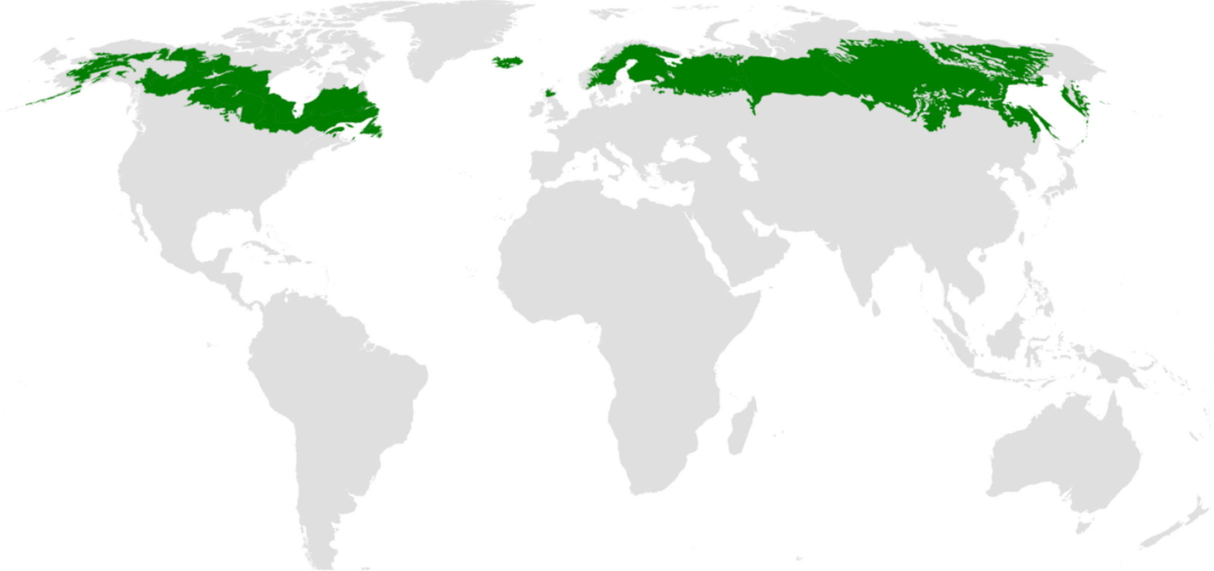

This biome does not occur in the Southern Hemisphere.

8वाँ वेतन आयोग

केंद्र सरकार ने **8वें** **वेतन आयोग** के गठन को मंज़ूरी दे दी है, जिससे **4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों सहित 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों** को लाभ होगा।

- **वेतन आयोग (PC):** यह **मुद्रास्फीति** तथा **पारिश्रमिक और जीवन-यापन की लागत** पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के **वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन** करता है।
    - सरकारी कर्मचारियों के लिये उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिये वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिये **व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)** के तहत **प्रत्येक 10 वर्ष** में एक नया PC स्थापित किया जाता है। आमतौर पर, PC का नेतृत्व **सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश** करते हैं।
    - इसकी सिफारिशों को प्राय: राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा भी अपनाया जाता है।
- **वेतन आयोग के निहितार्थ का ऐतिहासिक संदर्भ:** वर्ष 1947 से अब तक भारत सरकार ने 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है, जिसमें 7वाँ वेतन आयोग (2016-2026) न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया है।
    - 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण **वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि** हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **8वाँ वेतन आयोग:** यह मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये **महंगाई भत्ते (DA)** और **महंगाई राहत (DR)** को संशोधित करने के लिये फार्मूले का प्रस्ताव कर सकता है।
  - महंगाई भत्ते का समायोजन **औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)** पर आधारित है, जिसे जीवन-यापन लागत में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिये **श्रम ब्यूरो** द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है।
  - 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी वेतन को जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप बनाना, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।

एंटिटी लॉकर

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय **ई-गवर्नेंस प्रभाग** ने **एंटिटी लॉकर** विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसे प्रबंधन में सुधार करने और व्यवसाय/संगठन के दस्तावेजों के सत्यापन के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- **एंटिटी लॉकर:** यह एक सुरक्षित, **क्लाउड-आधारित समाधान** है। यह बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ट्रस्टों, स्टार्टअप सहित कई प्रकार की संस्थाओं के लिये दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है।
  - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, **वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN), विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** और अन्य विनियामक संस्थानों जैसी प्रणालियों के साथ एंटिटी लॉकर का सहज एकीकरण व्यवसायों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक तत्काल पहुँच प्रदान करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिये 10 जीबी एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण और आधार-प्रमाणित भूमिका-आधारित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- **लाभ: प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिये भंडारण** और सुरक्षा को समेकित करता है, दस्तावेज की प्रक्रिया में लगने वाले समय और परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करता है
  - एंटिटी लॉकर भारत के **डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करता है तथा बेहतर डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता** लिये केंद्रीय बजट 2024-25 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।

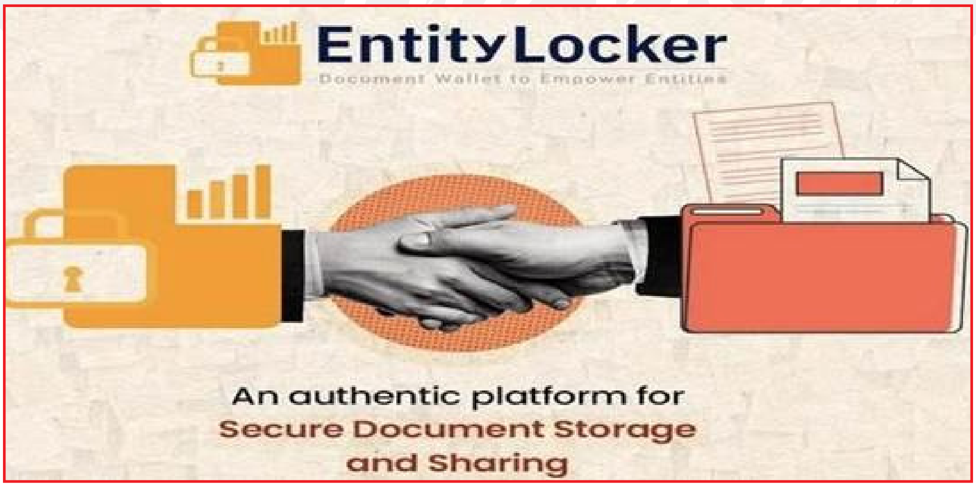

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

इंडियन ग्रे वुल्फ

कर्नाटक के पहले भेड़िया अभयारण्य, बांकापुर भेड़िया अभयारण्य में एक **इंडियन ग्रे वुल्फ** के आठ शावकों का जन्म हुआ।

- **परिचय:** भारतीय ग्रे वुल्फ (*Canis lupus pallipes*) ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है जो दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है।
  - यह **छोटे झुंड में रहता है** और अन्य भेड़िया उप-प्रजातियों की तुलना में **कम मुखर** होता है।
  - यह **मुख्यत: रात्रिचर** है, जो शाम से सुबह तक शिकार करता है।
- **प्राकृतिक वास:** यह भारत की **झाड़ियों, घास के मैदानों** और **अर्द्ध-शुष्क कृषि-पारिस्थितिक तंत्र** में एक शीर्ष शिकारी है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN:** **लुप्तप्राय** (भारत में संख्या: 2,000 - 3,000)।
  - **CITES:** परिशिष्ट I
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
- **बांकापुर भेड़िया अभयारण्य:** यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें भेड़ियों के निवास के लिये उपयुक्त झाड़ीदार वन, पहाड़ियाँ और प्राकृतिक गुफाएँ हैं।
  - यह महुआदानर भेड़िया अभयारण्य (वर्ष 1976 में स्थापित, अब झारखंड में) के बाद भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों के लिये समर्पित है।
  - यह विभिन्न प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जिनमें तेंदुए, मोर, काले हिरण, लोमड़ी और खरगोश शामिल हैं।

नॉन मीट प्रोडेक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में **सॉलिसिटर जनरल ने सीमेंट, लोहे की छड़, गेंहूँ का आटा और बेसन** जैसे **मांस-रहित (नॉन मीट प्रोडेक्ट्स) उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण)** का विरोध किया।

- हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद है कि यह **हलाल मानकों का पालन** न करने वाले व्यवसायों को **नुकसान पहुँचाता है तथा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ावा देता है।
  - जिन व्यवसायों पर **जाली हलाल सर्टिफिकेशन** जारी करने का आरोप है, उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाया, सामाजिक असंतोष तथा जनता के विश्वास का उल्लंघन किया है।
- **हलाल:** हलाल एक **अरबी शब्द** है जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ Permissible (अनुमेय) होता है
  - FAO हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी **इस्लामी कानून** के तहत अनुमति है।
  - हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी है कि **भोजन इस्लामी कानून** के अनुसार तैयार किया गया है तथा उसमें कोई मिलावट नहीं है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत में **राष्ट्रीय हलाल प्रमाणन प्रणाली का अभाव है, हालाँकि i-CAS (भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना)** के माध्यम से मांस उत्पादों के लिये प्रमाणन को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
  - i-CAS मांस और मांस उत्पादों के लिये **हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण)** को **सुव्यवस्थित करता है।**
- DGFT दिशा-निर्देशों के अनुसार, **मांस और उसके उत्पादों को 'हलाल सर्टिफिकेशन' के रूप में तभी** निर्यात किया जा सकता है, जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किसी मान्यता प्राप्त निकाय से **वैध प्रमाण-पत्र** के साथ की गई हो।

- **सॉलिसिटर जनरल:** सॉलिसिटर जनरल **अटॉर्नी जनरल** के बाद सरकार के **दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि** अधिकारी हैं।

डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह पता लगाया गया है कि **जलवायु परिवर्तन डेंगू** के प्रकोप को किस प्रकार प्रभावित करता है और इस क्रम में संभावित प्रकोप की भविष्यवाणी करने के लिये एक **पूर्व चेतावनी प्रणाली** का प्रस्ताव दिया गया है।

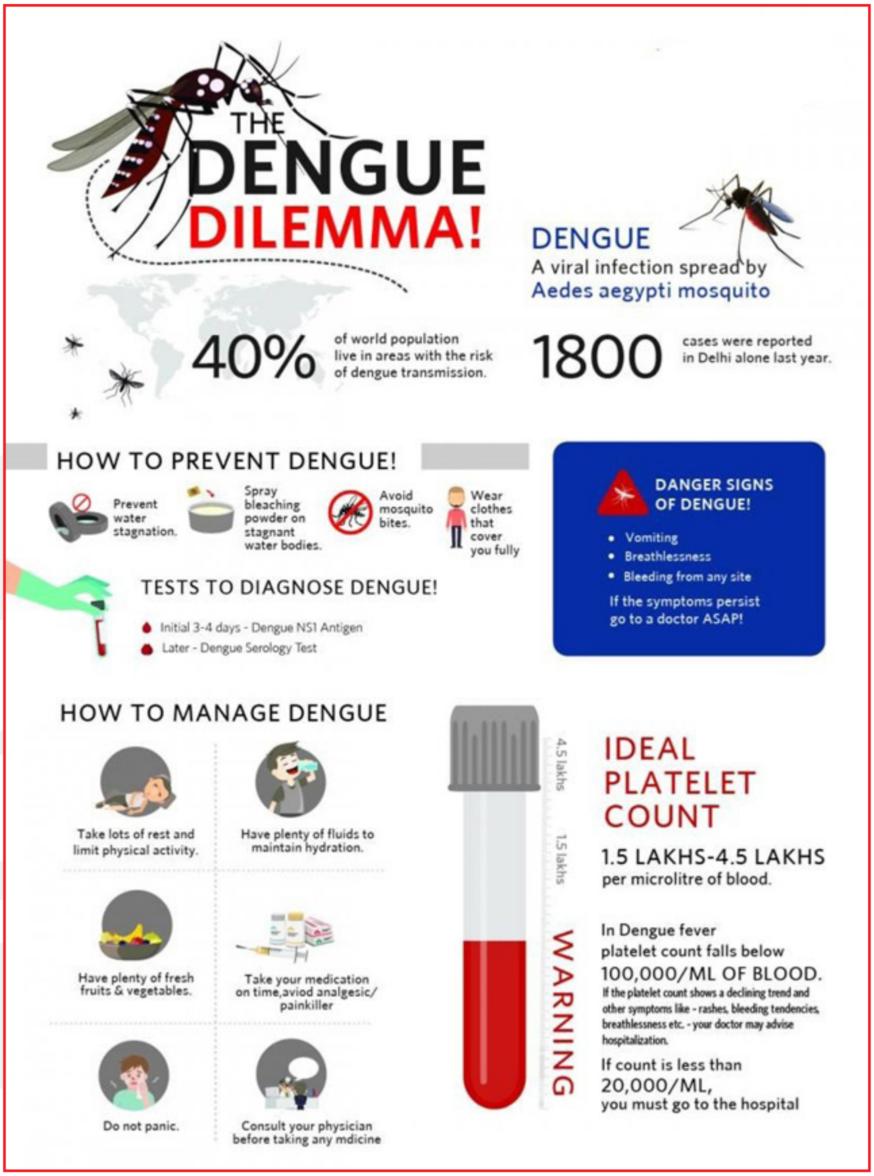

- **डेंगू पर जलवायु का प्रभाव:** अध्ययन से पता चलता है कि मानसून के दौरान **उतार-चढ़ाव वाली वर्षा और 60-78% के बीच आर्द्रता के स्तर से डेंगू** के मामले बढ़ जाते हैं जबकि **150 मिमी** से अधिक वर्षा से **मच्छरों का प्रसार कम** हो जाता है।
  - **बढ़ते तापमान के कारण वर्ष 2050 तक भारत में डेंगू से संबंधित मौतों में 40% तक** की वृद्धि हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली:** यह प्रणाली तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे जलवायु कारकों का विश्लेषण करके दो महीने पहले ही डेंगू के प्रकोप की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है।
    - **मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** मॉडल से पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ावा मिलने से अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है।
- **डेंगू:** यह एक मच्छर जनित रोग है जो **डेंगू वायरस** (***जीनस फ्लेविवायरस***) के कारण होता है, **जो मुख्य रूप से एडीज़ एजिप्टी मच्छरों** द्वारा फैलता है।
    - इसके चार सीरोटाइप हैं (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4)। इसके **लक्षणों में** तेज़ बुखार, तेज़ सिरदर्द, आँखों और जोड़ों तथा मांसपेशियों में तेज़ दर्द शामिल हैं।
    - इसका पता **रक्त परीक्षण** के माध्यम से लगाया जाता है लेकिन डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।

खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता

डोनाल्ड ट्रम्प के **शपथ ग्रहण** के बाद, **क्वाड विदेश मंत्रियों** ने **खुले और मुक्त हिंद-प्रशांत** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा **बल या दबाव** के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की **एकपक्षीय कार्रवाई** का विरोध किया।

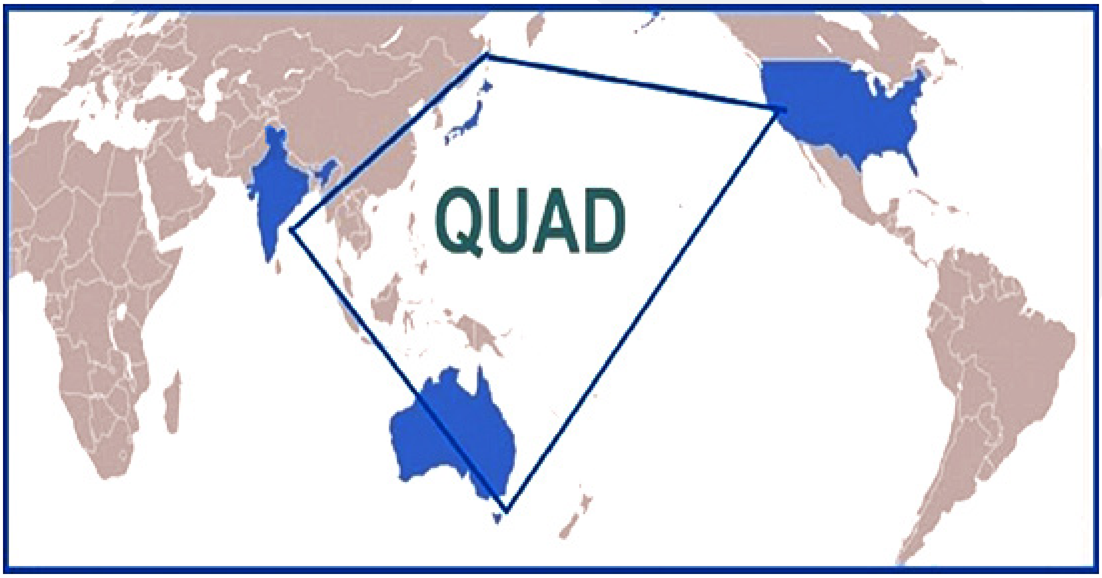

- मंत्रियों ने **अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतांत्रिक मूल्यों** और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा **दक्षिण चीन सागर** और **पूर्वी चीन सागर** में **चीन के क्षेत्रीय दावों का विरोध किया।**
- भारत 2025 में सातवें क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिससे **रणनीतिक समूह** में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका और सुदृढ़ होगी।
- **क्वाड: क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका** के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **स्थिरता, समृद्धि और खुलेपन** पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- क्वाड की स्थापना वर्ष 2004 में **हिंद महासागर में आई सुनामी** के बाद हुई थी, जब चारों देशों ने **मानवीय सहायता** प्रदान की थी।
- **वर्ष 2007 में अधिकारी स्तर की बैठक** के बाद, **वर्ष** 2017 में आधिकारिक स्तर की बैठकें फिर से शुरू हुईं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 **में विदेश मंत्री स्तर** पर पहली क्वाड बैठक हुई।
- **क्वाड-प्लस बैठकों में दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड और वियतनाम** जैसे देश शामिल हुए हैं, जिससे क्वाड की और अधिक स्वीकृति का संकेत मिलता है।

DRDO के स्क्रैमजेट परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास को बढ़ावा

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक** को आगे बढ़ाते हुए **सुपरसोनिक दहन रैमजेट (स्क्रैमजेट) इंजन** का सफलतापूर्वक **ग्राउंड टेस्ट** किया है।

- **स्क्रैमजेट इंजन: स्क्रैमजेट इंजन (एयर-ब्रीदिंग इंजन)** एक उन्नत **रैमजेट** है जो **दहन** के लिये **सुपरसोनिक एयरफ्लो** का उपयोग करता है, जिससे तेज़ गति प्राप्त होती है। यह थ्रस्ट के लिये **तरल हाइड्रोजन** और **तरल ऑक्सीजन** का उपयोग करता है, जिससे **बेहतर ईंधन दक्षता** प्राप्त होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- टर्बोजेट इंजन के विपरीत, **रैमजेट** और **स्क्रैमजेट** में कोई **गतिशील भाग नहीं होता है,** इनमें केवल एक **इनलेट, कम्बस्टर** (ईंधन इंजेक्टर और फ्लेम होल्डर के साथ) और एक **नोजल** होता है।
- स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक वाहनों के लिये **ध्वनि की गति से भी अधिक गति पर एयरफ्लो को संभालने,** गतिशीलता प्रदान करने और रणनीतिक लाभ प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- **DRDO की उपलब्धियाँ:** ग्राउंड टेस्ट से स्क्रैमजेट इंजन में **स्थिर दहन** प्राप्त हुआ, तथा बेहतर शीतलन और प्रज्वलन के लिये **स्वदेशी एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन** विकसित किया गया।
  - अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिये एक **थर्मल बैरियर कोटिंग** भी विकसित की गई थी।
- **हाइपरसोनिक मिसाइल: मैक 5 (5,400 किमी/घंटा से अधिक)** से अधिक गति से यात्रा करते हुए, उच्च गति, उच्च प्रभाव वाले हमलों से हवाई सुरक्षा को भेद देती हैं।
- **हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिये वैश्विक स्पर्द्धा:** अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं।
  - वर्ष 2021 में, चीन ने एक **परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया,** जिसने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होने से बढ़ने से पहले ग्लोब का चक्कर लगाया।

INCOIS को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 2025

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये संस्थागत श्रेणी में **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2025** से सम्मानित किया गया है।

- इस पुरस्कार की घोषणा **प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी** को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के तहत संस्था के लिये 51 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिये 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।
- **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS):** इसकी **स्थापना वर्ष 1999 में हैदराबाद, तेलंगाना** में की गई थी। INCOIS भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का अभिन्न अंग है, जो समुद्र से संबंधित खतरों के लिये शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है।
  - यह **भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (ITEWC)** का संचालन करता है, जो **भारत और 28 हिंद महासागर के तटीय देशों** को **10 मिनट** के भीतर चेतावनी प्रदान करता है।
  - इसे **यूनेस्को** द्वारा **शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - यह **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES)** और **पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO), नई दिल्ली** की एक इकाई के अधीन कार्य करता है।
  - INCOIS ने समुद्र में खोए व्यक्तियों या वस्तुओं का पता लगाने के लिये **सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल (SARAT)** विकसित किया है, तथा वास्तविक समय डेटा एकीकरण के लिये **SynOPS विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म** भी विकसित किया है।
  - SynOPS यूनेस्को के **अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC)** में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक स्थायी सदस्य है।

15वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025

15वाँ **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्त्व: 25 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले ECI की स्थापना** की स्मृति में वर्ष 2011 से यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
  - इसका उद्देश्य **मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना, भागीदारी को प्रेरित करना एवं नवीन मतदाताओं** को सम्मानित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

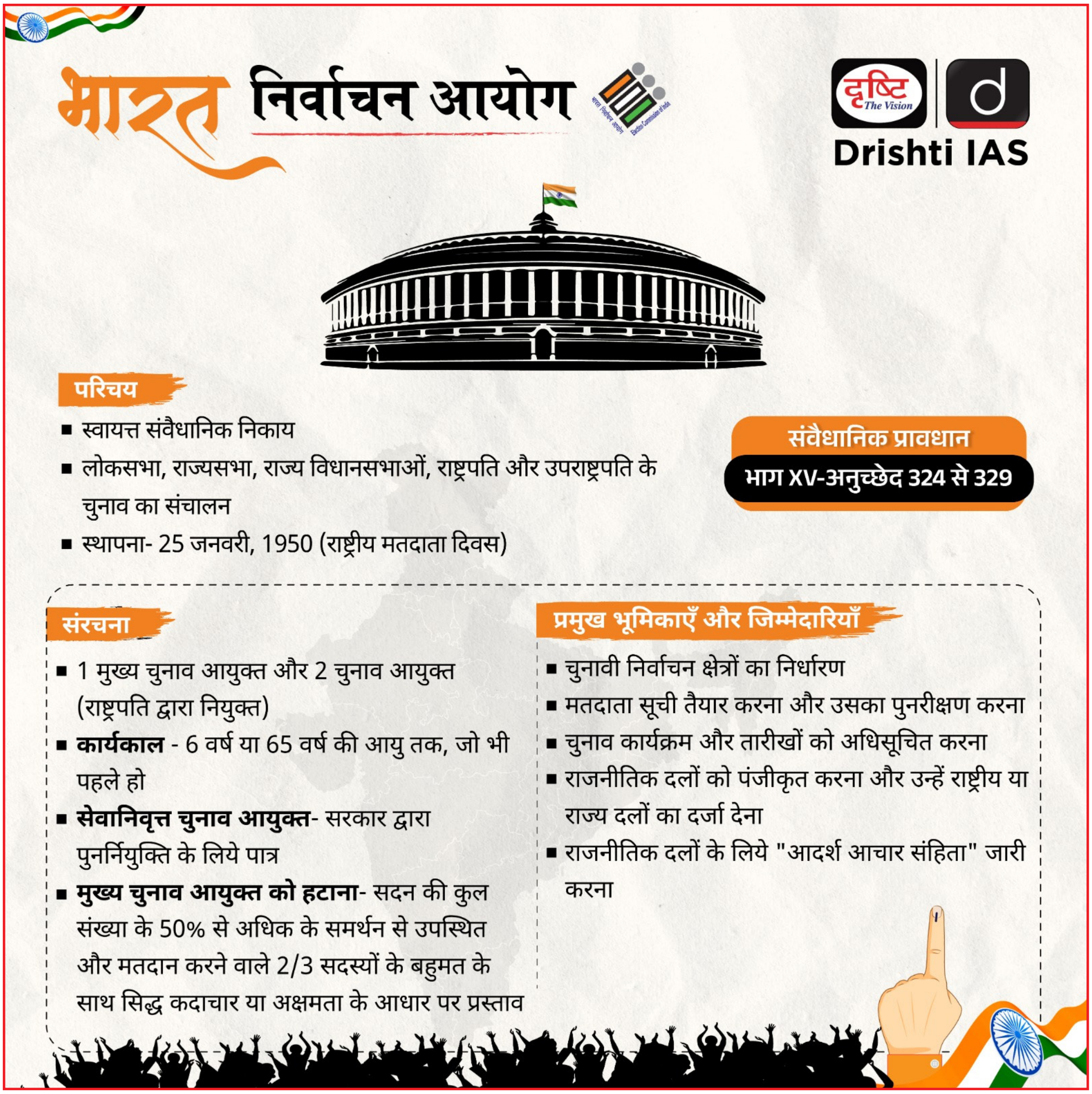

- **2025 की थीम:** इस वर्ष की थीम ***"वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम"***, चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्त्व पर बल देने के साथ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में गर्व महसूस करने हेतु प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- **मतदाता आधार:** भारत का मतदाता आधार **100 करोड़ के आँकड़े** के करीब पहुँच गया है, जिसमें **99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता** हैं, जिनमें **21.7 करोड़ युवा मतदाता (18-29 आयु वर्ग)** शामिल हैं और बेहतर **चुनावी लिंगानुपात (वर्ष 2024 में 948 से वर्ष 2025 में 954 तक)** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **15 वें NVD के मुख्य आकर्षण:** भारत के राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्यप्रणाली पुरस्कार प्रदान करेंगे।
  - सर्वोत्तम निर्वाचन कार्य पद्धति पुरस्कार **चुनाव प्रबंधन** में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, जिसमें **ज़िला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों** और **असाधारण प्रदर्शन करने वाले राज्यों** को पुरस्कार दिया जाता है।
  - ECI कॉफी टेबल बुक ***"इंडिया वोट्स 2024: ए सागा ऑफ डेमोक्रेसी"*** और प्रकाशन ***"बिलीफ इन द बैलट: ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडियाज 2024 इलेक्शन्स"*** राष्ट्रपति को भेंट किया जाएगा।

मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

भारतीय नौसेना ने मॉरीशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

- **हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण: INS सर्वेक्षक** द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण (समुद्र तल और उप-सतही विशेषताओं का मानचित्रण) पूरा कर लिया गया है जिससे मॉरीशस को समुद्री अवसंरचना, संसाधन प्रबंधन तथा तटीय योजना को उन्नत बनाने के लिये **आँकड़े उपलब्ध** हुए हैं।

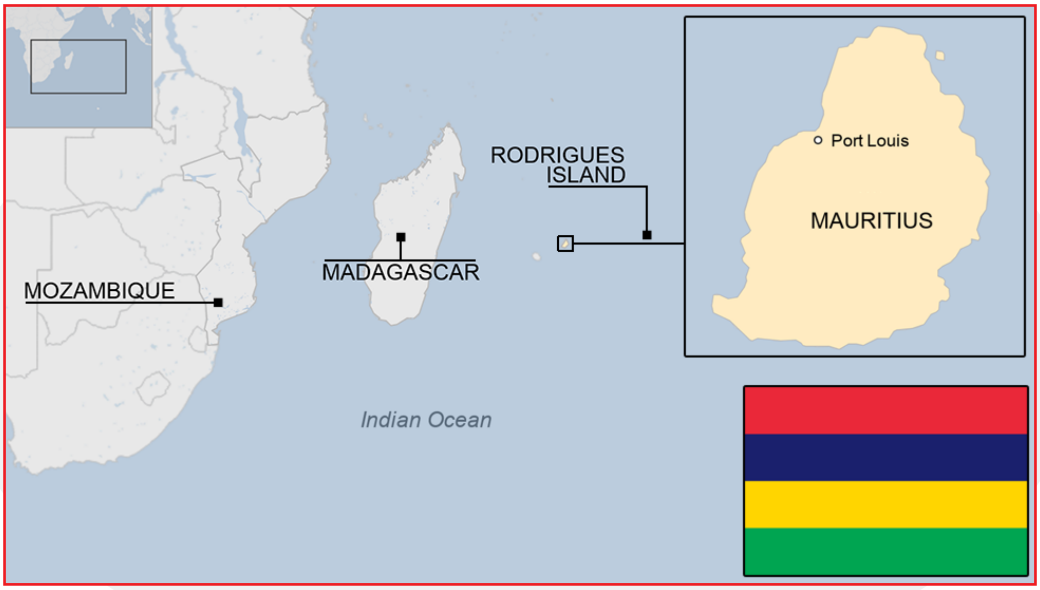

  - यह आयोजन समुद्री विकास एवं क्षेत्रीय सहयोग को **बढ़ावा देने में भारत तथा मॉरीशस** के बीच स्थायी साझेदारी को रेखांकित करता है।
  - भारतीय नौसेना क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल के भाग के रूप में नियमित रूप से देशों को उनके **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) के हाइड्रोग्राफिक** सर्वेक्षण में सहायता करती है।
  - भारत ने हिंद महासागर में तटीय देशों को दी जाने वाली क्षमता निर्माण सहायता में वृद्धि कर दी है। **विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस (प्रतिवर्ष 21 जून)** पर भारतीय नौसेना ने मित्र देशों के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने पर ज़ोर दिया, **जिसमें पाँच वर्षों में 89,000 वर्ग किलोमीटर को कवर** किया गया और **96 चार्ट तैयार** किये गए।
- **भारत-मॉरीशस रक्षा सहयोग:** इसमें संयुक्त **तटीय रडार निगरानी** शामिल है और मॉरीशस **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** द्वारा निर्मित दो **उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH)-Mk III** और एक डोर्नियर Do-228 विमान संचालित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मॉरीशस के पास भारत के गुरुग्राम स्थित भारतीय नौसेना के **हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र** में एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी है।

- **INS सर्वेक्षक:** यह **कोच्चि** स्थित एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़ है, जो उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है और **इसने श्रीलंका, सेशेल्स और तंज़ानिया** में सर्वेक्षण किया है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025

राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष **24 जनवरी** को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तीकरण और क्षमता को बढ़ावा देना है।

- **विषय: "उज्ज्वल भविष्य हेतु बालिकाओं को सशक्त बनाना"।** इसके तहत **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल** और **व्यक्तिगत विकास** में बालिकाओं के लिये **समान अवसरों** पर बल दिया गया है।
- **BBBP के 10 वर्ष पूर्ण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना** की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2025 का समारोह 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसका समापन **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** पर होगा।
  - **बाल विवाह** और **कन्या भ्रूण हत्या** जैसे **गंभीर मुद्दों** से निपटने के लिये **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा **वर्ष 2008** में BBBP की शुरुआत की गई थी।
- **बालिकाओं के विकास हेतु पहल:**

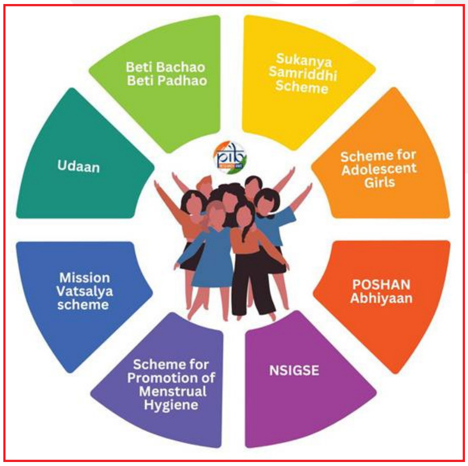

- **बालिकाओं को सशक्त बनाने के उपाय: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, पोक्सो अधिनियम, 2012, मिशन वात्सल्य** आदि।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) या न्हावा शेवा बंदरगाह वर्ष 2027 तक प्रतिवर्ष **10 मिलियन TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स)** का प्रबंधन करके वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की ओर अग्रसर है।

- वर्ष 2024 में JNPA द्वारा रिकॉर्ड **7.05 मिलियन TEU का प्रबंधन** किया गया और यह **11% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि** के साथ **90% से अधिक क्षमता** पर संचालित हुआ।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNPA):

- यह नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **भारत का पहला लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट:** इसमें पूरी तरह से **लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल** को अपनाया जाता है।
  - **कंटेनर टर्मिनल:** इसके तहत **भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT), न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (NSICT)** और **गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट (GTIPL)** सहित 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन किया जाता है।
- **कनेक्टिविटी और व्यापार दक्षता बढ़ाने के क्रम में वधावन बंदरगाह** पर **सैटेलाइट बंदरगाह** के साथ जालना और वर्धा में **शुष्क बंदरगाहों की योजना** बनाई गई है।

भारत में बंदरगाह:

- भारत में **12 प्रमुख बंदरगाह** (निर्माणाधीन **13वाँ प्रमुख बंदरगाह वधावन बंदरगाह, मुंबई है**) और 200 से अधिक छोटे एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं।
- भारत के समुद्री क्षेत्र से मात्रा के दृष्टिकोण से 95% तथा **मूल्य के दृष्टिकोण से 70% व्यापार** होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत में पत्तनों/बंदरगाहों को **महापत्तन**/बड़े बंदरगाह (Major Ports) और **गैर-महापत्तन**/छोटे पत्तन/छोटे बंदरगाह (Minor Ports) के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है जबकि गैर-महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास होता है।
- **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021** भारत में महापत्तनों के नियमन, संचालन एवं नियोजन का प्रावधान करता है और इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इसने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया है।
- **कार्यात्मक महापत्तनों की वर्तमान संख्या 12 है। 13वाँ महापत्तन वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र** (निर्माणाधीन) है।

Drishti IAS

भारत और केपटाउन कन्वेंशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत के विमानन ढाँचे को मज़बूत करने** और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के क्रम में **विमानन वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक** को मंज़ूरी दे दी है।

- इसका उद्देश्य **कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट (केप टाउन कन्वेंशन), प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट (केप टाउन प्रोटोकॉल)** के प्रावधानों को अनुमोदित एवं लागू करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

केप टाउन कन्वेंशन (CTC):

- **परिचय:**
  - CTC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत **ऋणदाताओं** (जैसे पट्टादाता, उधारदाता और वित्तपोषक) को विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी **उच्च मूल्य वाली मोबाइल परिसंपत्तियों** के अधिग्रहण की अनुमति (यदि **एयरलाइन द्वारा पट्टा भुगतान में चूक की जाती है**) दी गई है।
  - इसे **वर्ष 2001 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका** में अपनाया गया था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री: मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिये** एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ **पारदर्शिता सुनिश्चित करना** एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों को प्राथमिकता देना।
  - **डिफॉल्ट उपचार: ऋणदाताओं के लिये स्पष्ट उपचार** प्रदान करना, जिसमें जटिल स्थानीय विधिक प्रक्रियाओं के बिना विमान का पंजीकरण रद्द करना तथा निर्यात करना शामिल है।
- **केप टाउन प्रोटोकॉल:** CTC के पूरक के रूप में इसके तहत **विमान वित्तपोषण और पट्टे के लिये विशिष्ट नियम** निर्धारित किये गए हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत **ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर** किये थे लेकिन **अभी तक इसकी पुष्टि नहीं** की है, इसलिये इस कन्वेंशन के प्रावधान **भारत पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं** हैं।
- अमेरिका और चीन के बाद **भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार** है।

LID 568 ब्लैक होल

NASA के **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)** और **चंद्रा एक्स-रे वेधशाला** का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने **कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल** LID 568 की खोज की है।

LID-568 ब्लैक होल:

- **परिचय:**
  - LID-568 एक **कम द्रव्यमान वाला विशालकाय ब्लैक होल है** जो **बिग बैंग के 1.5 अरब वर्ष बाद** अस्तित्व में आया था।
  - इसकी खोज **एक्स-रे और अवरक्त प्रेक्षणों के माध्यम से की गई थी** और यह एक ऐसी आकाशगंगा में स्थित है, जहाँ तारों का निर्माण अल्पतम होता है, जो संभवत: ब्लैक होल के शक्तिशाली बहिर्वाह के कारण है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि: यह एडिंगटन सीमा से 40 गुना अधिक** दर पर अभिवृद्धि करती है, जो कि वह **अधिकतम दर है जिस पर एक ब्लैक होल या तारा,** विकिरण दबाव के बिना पदार्थ को दूर धकेले बिना पदार्थ को अभिवर्द्धित कर सकता है।
    - **एडिंगटन सीमा गुरुत्वीय कर्षण और बाहरी विकिरण दबाव के बीच संतुलन** को दर्शाती है, जो सीमा पार होने पर आगे अभिवृद्धि को रोकती है।
  - **आकाशगंगा प्रभाव:** ब्लैक होल के **बहिर्वाह** से उसकी आकाशगंगा में तारा निर्माण के लिये आवश्यक पदार्थ का संचयन रुक जाता है।
- **महत्त्व:**
  - **वर्तमान मॉडल की चुनौतियाँ:** LID-568 की तीव्र वृद्धि, सुपरमैसिव ब्लैक होल निर्माण हेतु **निरंतर अभिवृद्धि की आवश्यकता वाले सिद्धांतों के विपरीत है।**
  - **प्रारंभिक ब्रह्मांड के संबंध में अंतर्दृष्टि:** यह सुझाव देता है कि **तीव्र निवेशन के छोटे विस्फोट** प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़े ब्लैक होल के निर्माण की व्याख्या किये जाने में सहायक हो सकते हैं।
  - **आगामी अनुसंधान:** यह **ब्लैक होल अभिवृद्धि प्रक्रियाओं** और **आकाशगंगा विकास पर उनके प्रभाव के अध्ययन** के मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ब्लैक होल

ब्लैक होल

- अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण को आकर्षित करने वाला अंतरिक्ष में एक स्थान; जहाँ प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता (इसलिए, अदृश्य)
- सशक्त गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक छोटे से स्थान में इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण यह घटना देखी जाती है

> 'ब्लैक होल' शब्द 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था

आविष्कार

- यह देखकर कि कैसे ब्लैक होल के बहुत समीप के तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं
- अप्रैल 2019 में, इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल (छाया, अधिक सटीक) की पहली छवि जारी की

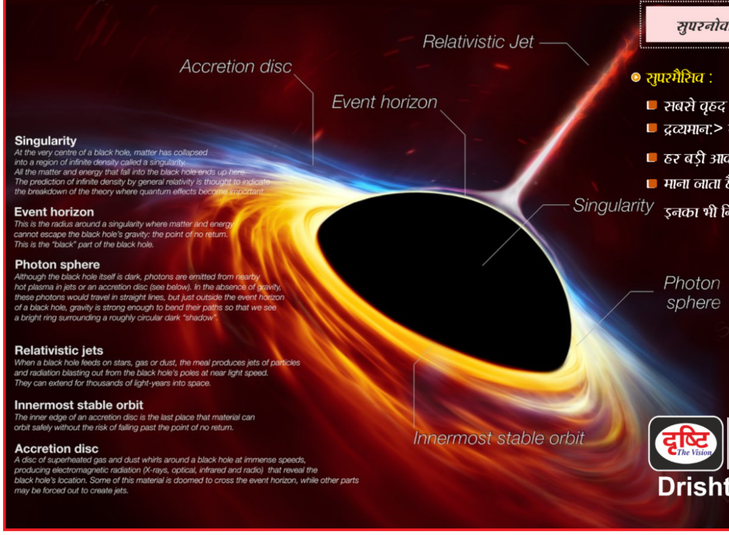

अल्बर्ट आइंस्टीन और ब्लैक होल

- सबसे पहले सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई
- इसने दिखाया कि जब एक विशाल तारा नष्ट होता है, तो वह अपने पीछे एक छोटा, सघन अवशेष छोड़ जाता है

> भारत के पहले समर्पित उपग्रह, एस्ट्रोसैट ने पहली बार एक ब्लैक होल प्रणाली से उच्च ऊर्जा एक्स-रे उत्सर्जन की तीव्र परिवर्तनशीलता का अवलोकन किया

प्रकार

- लघु (काल्पनिक):
  - सबसे छोटा; सिर्फ 1 परमाणु के आकार के बराबर
  - द्रव्यमान: एक मिलीग्राम के 1/100वें भाग से लेकर एक बड़े पर्वत के द्रव्यमान तक भिन्न होता है
  - माना जाता है कि ब्रह्मांड के शुरू होने पर बना था
- स्टेलर :
  - द्रव्यमान : सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना
  - सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनने का अनुमान है

> सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है जो अपने जीवन के अंत तक पहुँच चुका होता है

- सुपरमैसिव :
  - सबसे वृहद
  - द्रव्यमान:> सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक
  - हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है
  - माना जाता है कि जिस आकाशगंगा के यह भाग हैं उसी आकाशगंगा के निर्माण के समय इनका भी निर्माण हो जाता है

> मिल्की वे के केंद्र में सैजेटेरियस A* सुपरमैसिव ब्लैक होल है (द्रव्यमान: ~ सूर्य का लगभग 4 मिलियन गुना)

> सूर्य कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि वह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो सके

Drishti IAS

कुलीनतंत्र

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विदाई संबोधन में अमेरिका में **कुलीनतंत्र** के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया, जहाँ **अरबपतियों का एक छोटा समूह तीव्रता से सार्वजनिक नीति को आकार दे रहा** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कुलीनतंत्र**: एक **छोटे, प्रभावशाली समूह द्वारा संचालित सरकारी** सत्ता समान रूप से वितरित हो भी सकती है और नहीं भी।
  - यह लोकतंत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें **केवल कुछ ही व्यक्ति निर्णय लेते हैं।**

सरकार के अन्य विभिन्न प्रकार:

साम्राज्य	**यह एक वंशानुगत नेता द्वारा शासित** सरकार है, जैसे राजा या रानी द्वारा शासन। यह हो सकता है: ● **पूर्ण:** राजा का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उदाहरण: ब्रुनेई, एस्वातीनी और ओमान। ● **संवैधानिक:** राजा की शक्तियाँ संविधान या कानून द्वारा सीमित होती हैं। उदाहरण: बेल्जियम, कंबोडिया और थाईलैंड। ● **औपचारिक:** राजा के पास प्रतीकात्मक या औपचारिक कर्त्तव्य होते हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति बहुत कम होती है। उदाहरण: ब्रिटेन
थेअक्रसी	यह एक ऐसी प्रणाली है, **जिसमें सरकार ईश्वरीय मार्गदर्शन या अधिकारियों (पुजारियों) द्वारा चलाई जाती है जिन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त माना जाता है।** उदाहरण: वेटिकन सिटी
लोकतंत्र और गणतंत्र	● **लोकतंत्र** एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोग या उनके चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे: भारत, अमेरिका। ● **गणतंत्र देश** एक प्रकार का लोकतंत्र है, जहाँ **राज्य का मुखिया** राजा या वंशानुगत शासक होने के बजाय निर्वाचित होता है। उदाहरण: भारत, फ्राँस और अमेरिका।
अराजकता	इसका अर्थ है **"कोई शासन नहीं"**, या अराजकता की स्थिति, जहाँ कोई शासन प्राधिकारी मौजूद नहीं होता है। **उदाहरण: वर्ष** 2025 तक, किसी भी देश को वास्तविक अराजकतावादी राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐतिहासिक रूप से, **सोमालिया ने** वर्ष 1991 से 2006 तक इस अवधि का अनुभव किया।
अधिनायकवाद	एक शासक द्वारा संचालित सरकार जिसका पूर्ण नियंत्रण होता है, प्राय: कानून या संविधान की परवाह नहीं की जाती। **उदाहरण:** उत्तर कोरिया।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** की स्थापना **26 जनवरी 1950 को** अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी, जिसका उद्घाटन **28 जनवरी 1950 को हुआ** और इसने **पुराने संसद भवन** से कार्य करना प्रारंभ किया। **वर्ष 1958** में यह अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया था।

- **सर्वोच्च न्यायालय** में शुरू में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 7 अवर न्यायाधीशों की परिकल्पना की गई थी, लेकिन **वर्ष 2024** तक इसकी संख्या को बढ़ाकर एक **मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश** कर दिया गया है, जिन्हें **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किया जाएगा तथा वे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।
  - पात्रता में भारतीय नागरिक होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तथा, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना शामिल है।
- वर्ष 2024 में **सर्वोच्च न्यायालय** में मूल प्रतिमा की जगह एक नई **"'लेडी ऑफ जस्टिस" की प्रतिमा का अनावरण किया गया।** साड़ी पहने और बिना आँखों पर पट्टी बांधे, यह प्रतिमा तराजू और भारतीय संविधान पकड़े हुए है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मूल प्रतिमा के विपरीत, **जो आँखों पर पट्टी, तराजू और तलवार के साथ *जस्टीशिया*** (रोमन देवी) पर आधारित थी, नई प्रतिमा की खुली आँखें दर्शाती हैं कि कानून अंधा नहीं है और कानून की नज़र में सभी समान है।
- भारतीय संविधान तलवार की जगह लेता है, जो न्याय में इसकी सर्वोच्चता पर बल प्रदान करता है।

- वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया जाएगा, जो इसके 75वें वर्ष को चिह्नित करेगा। ध्वज में **अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और संविधान की पुस्तक को दर्शाया गया** है, जिसके प्रतीक चिन्ह पर ***"यतो धर्मस्ततो जयः"* लिखा है,** जिसका अर्थ है **"जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है।"**

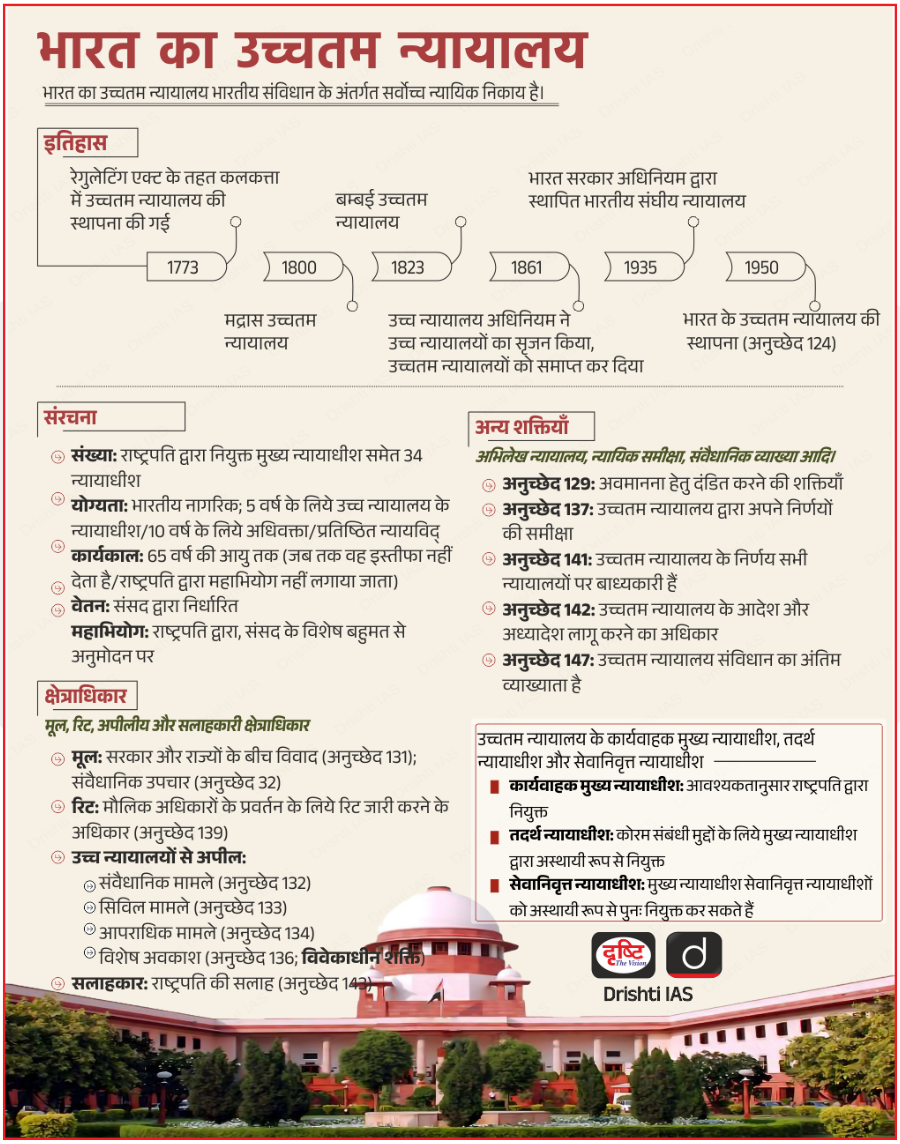

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

पीएम यशस्वी योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने गणतंत्र **दिवस** 2025 पर **वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)** के छात्र लाभार्थियों को संबोधित किया।

पीएम-यशस्वी योजना:

- **परिचय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत **हाशिए पर स्थित छात्रों** को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से **वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**
- **पात्रता:** इस योजना के अंतर्गत **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC)** और **विमुक्त जनजातियों** के वे छात्र पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक आय **2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष** तक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उप-योजनाएँ:** यह एक **व्यापक** योजना है जिसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
  - **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को **4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता।**
  - **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** पाठ्यक्रम श्रेणी के आधार पर **5,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की सहायता।**
  - **कॉलेज शिक्षा:** शीर्ष कॉलेज के छात्रों को ट्यूशन, निर्वाह खर्च और शिक्षा सामग्री सहित **पूर्ण वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **छात्रावास:** सरकारी स्कूलों और संस्थानों के पास **आवास की सुविधा** प्रदान की जाती है।
- **अन्य समान योजनाएँ: दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ, इंस्पायर छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप**

आवश्यक धार्मिक आचरण

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **लाउडस्पीकर** का उपयोग करना संविधान के **अनुच्छेद 25** या **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत किसी **आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा नही** है।

- **आवश्यक धार्मिक आचरण (ERP): ERP** से तात्पर्य **किसी धर्म के सिद्धांत के अभिन्न अंग** से है, जो **अनुच्छेद 25** के तहत संरक्षित है। न्यायपालिका धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ERP निर्धारित करती है।
  - **संथारा (सल्लेखना):** सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के **वर्ष 2015 के उस फैसले** पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि संथारा धर्म के लिये **आवश्यक नहीं** है, तथा इस प्रथा को जारी रखने की अनुमति दे दी गई।
  - **तीन तलाक मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने **तत्काल तीन तलाक** को अमान्य करार दिया और कहा कि यह **आवश्यक इस्लामी आचरण नहीं** है तथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है।
- **लाउडस्पीकर से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला:** *डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र मामले, 2016* में बॉम्बे हाईकोर्ट ने **ध्वनि प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करने** का फैसला सुनाया।
  - इसमें यह स्पष्ट किया गया कि धार्मिक उद्देश्यों के लिये लाउडस्पीकर आवश्यक नहीं हैं तथा कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों (वर्ष में 15 दिन) को छोड़कर, शांत क्षेत्रों में तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **शोर को "वायु प्रदूषक" माना जाता है** और इसे **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत विनियमित किया जाता है ।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 शोर को नियंत्रित करता है, जिसे "वायु प्रदूषक" माना जाता है।
  - इसमें आवासीय क्षेत्रों में **दिन** के समय अधिकतम ध्वनि स्तर **55 डेसिबल** तथा **रात में 45 डेसिबल** रखने का आदेश दिया गया है।

एक्सोप्लैनेट WASP-127b

खगोलविदों ने **एक्सोप्लैनेट WASP-127b** (जो पृथ्वी से लगभग 520 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक गैसीय विशाल ग्रह है) पर 33,000 किमी/घंटा तक की वायु की तीव्र गति का पता लगाया है।

- ये पवनें **ग्रह के घूर्णन की गति से लगभग 6 गुना तीव्र गति** से चलती हैं जो **किसी भी ग्रह पर देखी गई सबसे तीव्र गति** है।

WASP-127b

- **परिचय:**
  - WASP-127b एक **एक्सोप्लैनेट (सौरमंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाला)** है जिसे **"हॉट जुपिटर"** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह **बृहस्पति** से लगभग 30% बड़ा है लेकिन **इसका द्रव्यमान बृहस्पति का** केवल 16% है जिससे यह **कम घनत्व,** लेकिन **चरम परिस्थितियों** वाले **ग्रहों** में से एक बन जाता है।
- **कक्षा:**
  - यह **ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करीब से करता है, तथा प्रत्येक 4 दिन** में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसके

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

परिणामस्वरूप **इसके दिन** (जो लगातार तारकीय विकिरण के संपर्क में रहता है) और रात (हमेशा अंधेरे में) के बीच अत्यधिक तापांतर होता है।

- **वायुमंडल:**
  - वायुमंडल में **हाइड्रोजन, हीलियम , तथा कार्बन मोनोऑक्साइड** और **जल का मिश्रण** होता है। दिन के **समय** तापमान **1,127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है**, तथा **रात के समय भी तारकीय विकिरण** (तारों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण) द्वारा वायुमंडल गर्म होता है।

अरोमा मिशन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि **पूर्वोत्तर क्षेत्र** के साथ-साथ **जम्मू एवं कश्मीर (J&K)** भी अरोमा मिशन की प्राथमिकता सूची में रहा है।

- **परिचय:** इसे जम्मू-कश्मीर में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य **सुगंधित फसलों** की खेती और आवश्यक तेलों के उत्पादन को बढ़ाकर भारत के **अरोमा उद्योग** को बढ़ावा देना है। इसे **लैवेंडर क्रांति** के नाम से जाना जाता है।
  - सुगंधित फसलें (जैसे **गुलाब, पुदीना**), **सुगंधित तेलों** के लिये उगाए जाने वाले पौधे हैं, जिनका **उपयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं अरोमाथेरेपी** जैसे उद्योगों में किया जाता है।
- **लक्ष्य:** यह उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों जैसे **लेमनग्रास, लैवेंडर, वेटिवर, पामारोसा** और अन्य की खेती पर केंद्रित है।
- **संबंधित पहल: किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और सुविधाएँ प्रदान करने के क्रम में CSIR-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-NEIST), जोरहाट** में इनक्यूबेशन **एवं इनोवेशन कॉम्प्लेक्स (आईआईआईसीओएन)** का उद्घाटन किया गया।
  - CSIR-NEIST द्वारा पूर्वोत्तर में **5,000 से अधिक हेक्टेयर** में सुगंधित फसलें उगाने में भूमिका निभाने के साथ **39 आवश्यक तेल आसवन इकाइयाँ** स्थापित की गई हैं।
- **संभावित प्रभाव:** इसके तहत **प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए** से अधिक मूल्य के **2000 टन से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले आवश्यक तेलों** का उत्पादन लक्षित है।
  - **इससे ग्रामीण क्षेत्र में 60 लाख मानव दिवस रोज़गार** सृजित होने तथा किसानों की आय में प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **नोडल एजेंसी:** इसकी नोडल एजेंसी **CSIR-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (CSIR-CIMAP), लखनऊ** है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

भारत और चीन ने वार्षिक **कैलाश मानसरोवर यात्रा (KMY)** की पुन: शुरुआत करने पर सहमति व्यक्त की है।

- कैलाश पर्वत **काले रंग की चट्टानों** से निर्मित **हीरे के आकार का शिखर** है, जो **तिब्बत** में अवस्थित है।
- भारत प्रतिवर्ष **जून से सितंबर माह** में उत्तराखंड में **लिपुलेख दर्रा (1981 से)** और सिक्किम में **नाथू ला दर्रा (2015 से)** के माध्यम से KMY का आयोजन करता है।
- **कैलाश पर्वत** की ऊँचाई **6,638 मीटर है** और यह **हिंदू, बौद्ध, जैन** और **बॉन** (तिब्बत का मूल धर्म) धर्मों के लिये एक पवित्र शिखर है।
  - **तिब्बती बौद्ध अनुयायियों** के लिये, कैलाश ब्रह्मांडीय अक्ष या **मेरु पर्वत** है, जो **स्वर्ग और पृथ्वी** को जोड़ता है।
  - **हिंदू धर्म** में, यह **भगवान शिव और देवी पार्वती** का वास स्थल है ।
  - जैन धर्म में, कैलाश **अष्टपद है**, जहाँ **ऋषभनाथ** को ज्ञान प्राप्त हुआ था ।
- कैलाश पर्वत को **पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र** कहते हैं, जहाँ से **सतलुज, ब्रह्मपुत्र, करनाली और सिंधु** नदियाँ निकलती हैं।
- **मानसरोवर झील पर्वत की तलहटी** में स्थित है ।
- **कैलाश पर्वत** की **ऊँचाई** हालाँकि **माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर)** से **कम है**, किंतु **इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती** क्योंकि इसके **पवित्र महत्त्व** के कारण इस पर **चढ़ाई करना प्रतिबंधित है**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

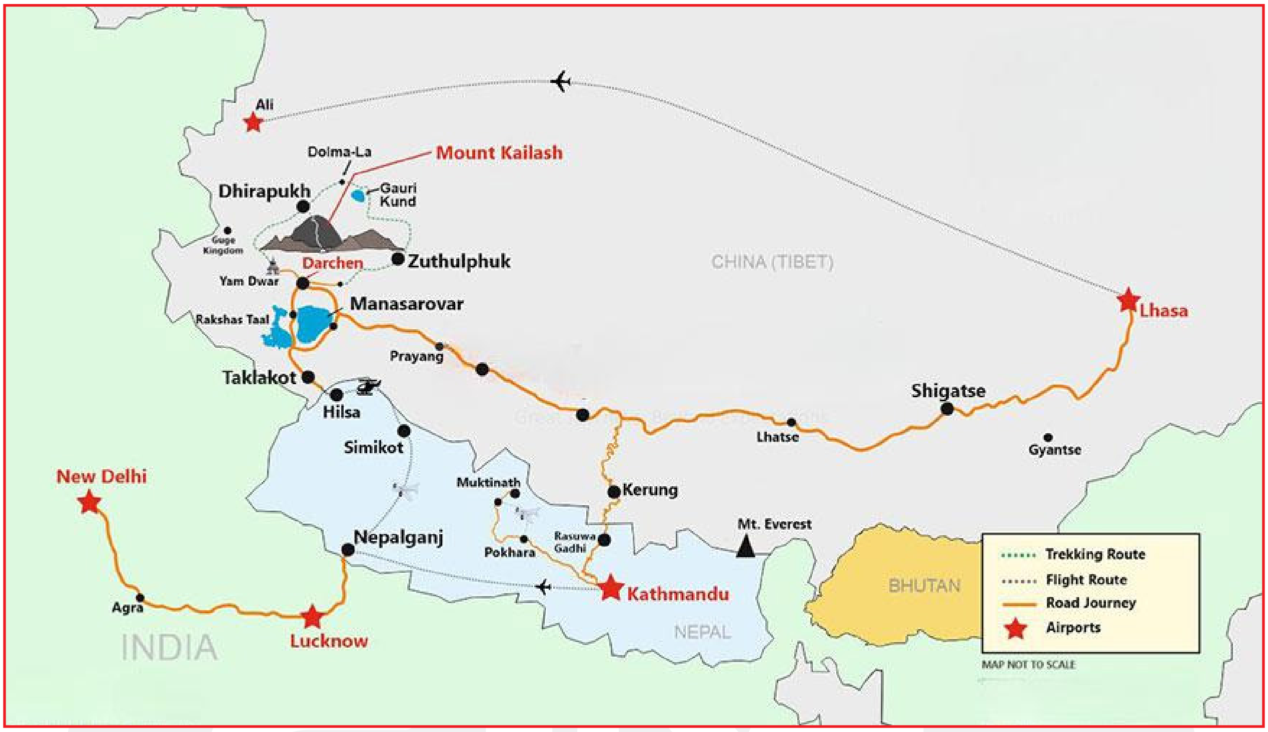

चिनार के पेड़ों के लिये आधार

जम्मू और कश्मीर (J&K) सरकार ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित **चिनार के पेड़ों (*प्लैटैनस ओरिएंटलिस वेर. कैशमेरियाना*) को संरक्षित करने के लिये "ट्री आधार" मिशन की शुरुआत की है,** जिसके तहत पेड़ों की **जियो-टैगिंग** और **मैपिंग की जाएगी, जिससे विस्तृत जनगणना** के माध्यम से प्रत्येक पेड़ को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी।

चिनार का वृक्ष:

- **प्रकार:** *प्लैटेनेसी प्रजाति का* पर्णपाती वृक्ष।
- **विशेषताएँ:** यह पूर्वी हिमालय के **ठंडे, जल-समृद्ध क्षेत्रों में मूल रूप से पाया जाता है, जिसकी लंबाई 10-15 मीटर की परिधि** के साथ **30 मीटर** तक हो सकती है।
  - इसे **परिपक्व होने में 30-50 वर्ष तथा पूर्ण आकार तक पहुँचने में 150 वर्ष** तक का समय लगता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **आईयूसीएन: अपर्याप्त आँकड़े**
  - महत्त्व: मुगल काल (जहाँगीर) के दौरान नामित यह वृक्ष, जम्मू-कश्मीर का राज्य वृक्ष है, तथा विशेष रूप से शरद ऋतु में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।
    - यह स्थानीय कला, साहित्य और शिल्प जैसे **पेपर-मैचे और कालीनों या (कारपेट) में सांस्कृतिक महत्त्व** रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वृक्ष आधार मिशन:

- **वर्ष 2021** में शुरू किया गया यह मिशन **अनाधिकृत कटाई को रोकने** के लिये चिनार के पेड़ों पर निगरानी रखता है ।
- 28,560 से अधिक पेड़ों को अद्वितीय वृक्ष आधार संख्या के साथ **जियो-टैग** किया गया है।
- **प्रत्येक पेड़ पर GIS तकनीक** का उपयोग करते हुए एक **QR कोड** लगाया गया है, जो उसके स्थान, ऊँचाई, परिधि, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक खतरों के बारे में विवरण प्रदान करता है।

नामदफा टाइगर रिज़र्व

अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिज़र्व (NTR) में 12 वर्षों में पहली बार एक वयस्क नर हाथी देखा गया है।

- हाथी पारंपरिक रूप से **NTR के माध्यम से नामसाई (अरुणाचल प्रदेश) और म्यांमार के बीच प्रवास करते थे** हालांकि वर्ष 1996 **के बाद से अतिक्रमण के कारण प्रवास गलियारे अवरुद्ध** हो गए, जिससे वे उत्तरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

- विश्व के कुल **एशियाई हाथी में 60%** भारत में हैं, जिसमें अनुमानित **27,312 हाथी** (वर्ष 2017 की गणना) और 138 **हाथी गलियारे** हैं।
- एशियाई हाथियों की **गर्भावधि 22 माह** की होती है और इन्हें **IUCN रेड लिस्ट** में **संकटग्रस्त श्रेणी** में वर्गीकृत किया गया है।

प्रजातियाँ	जहाँ पाई जाती हैं	IUCN रेड लिस्ट में दर्ज स्थिति	अधिवास
भारतीय	एशिया	संकटग्रस्त (CITES - परिशिष्ट I, WPA - अनुसूची I)	उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण शुष्क एवं नम पृथुपर्णी (चौड़े पत्तेदार) वन, घास के मैदान
सुमात्राई	एशिया	गंभीर संकटग्रस्त	उष्णकटिबंधीय नम पृथुपर्णी (चौड़े पत्तेदार) वन
सवाना (बुश)	अफ्रीका	संकटग्रस्त	मध्य अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय वनों को छोड़कर पूरे उप-सहारा अफ्रीका में
अफ्रीकी वन्य हाथी	अफ्रीका	गंभीर संकटग्रस्त	घने उष्णकटिबंधीय वन

नामदफा टाइगर रिज़र्व

- **स्थान: चांगलांग ज़िला** (अरुणाचल प्रदेश)
- **मान्यता: वर्ष 1972 में वन्यजीव अभयारण्य, वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व** घोषित किया गया।
- **वनस्पति:** उत्तरी **उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन** और **अल्पाइन झाड़ी वन।**
- **नदी: नामदफा नदी**

अरुणाचल प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र

- **पक्के वन्यजीव अभयारण्य**
- मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान
- कामलांग वन्यजीव अभयारण्य
- इटानगर वन्यजीव अभयारण्य
- ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

SDSC से ISRO का 100 वाँ प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने **श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC)** से **NVS-02 उपग्रह** को स्थापित करने के लिये **GSLV -F 15** का उपयोग करते हुए अपना ऐतिहासिक **100 वाँ प्रक्षेपण** किया।

नाविक (NavIC)

भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन, जिसे NavIC भी कहा जाता है, एक स्टैंड-अलोन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जो GPS के समान है।

निर्माण

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**इसरो**) द्वारा

उपग्रहों की संख्या और स्थिति

- 8 (केवल 7 सक्रिय): 3 भूस्थिर कक्षाओं में और 4 भू-समकालिक कक्षाओं में

जाना जाता था

- यह पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) नाम से जाना जाता था

NavIC को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन **(IMO)** द्वारा **2020** में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिये वर्ल्ड-वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम **(WWRNS)** के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी।

संभावित उपयोग

- **नेविगेशन:** स्थलीय, हवाई और समुद्री
- वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन
- सटीक समय (ए.टी.एम. और पावर ग्रिड के लिये);
- **संसाधन निगरानी:** सर्वेक्षण और भूगणित, वैज्ञानिक अनुसंधान
- जीवन की सुरक्षा संबंधी चेतावनी का प्रसार
- **मोबाइल फोन के साथ एकीकरण**

महत्त्व

- नागरिक और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिये **वास्तविक समय की जानकारी**
- **भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता** कम हुई
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी **उन्नति**
- **क्षेत्रीय एकीकरण** और भारत का कूटनीतिक सद्भावना संकेत

मुद्दे

- तारामंडल उपग्रहों की **परिचालन जीवन अवधि बढ़ रही है**
- मोबाइल फोन में NavIC के साथ **अनुकूलता का अभाव है**
- **NavIC का सीमित कवरेज** (भारत से परे केवल 1,500 किमी. तक फैला हुआ)

अन्य नेविगेशन सिस्टम

वैश्विक सिस्टम:

- अमेरिका का GPS, रूस का **ग्लोनास**, यूरोपीय संघ का **गैलीलियो**, चीन का **बाइडू**

क्षेत्रीय प्रणालियाँ:

- जापान से QZSS-ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम (QZSS)।

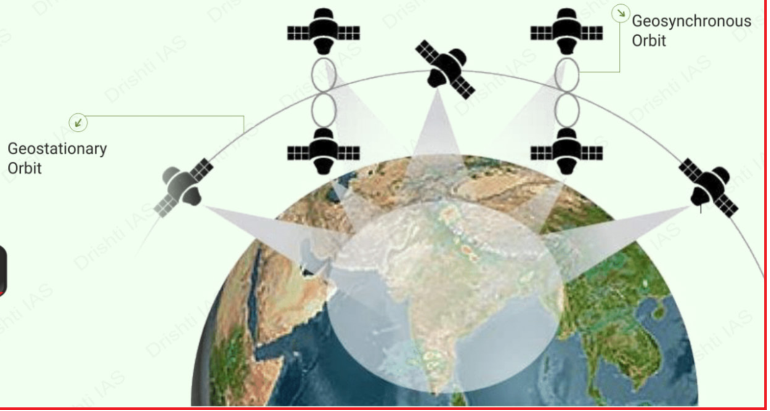

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- NVS-02 **भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन (NavIC)** की **दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की श्रृंखला** में **दूसरा उपग्रह** है।
  - NavIC प्रणाली कक्षा में **7 परिचालन उपग्रहों (भूस्थिर कक्षा में 3 और भू-समकालिक कक्षा में 4)** से बनी है ।
  - NavIC **भारतीय उपमहाद्वीप और उससे 1,500 किमी दूर** तक के क्षेत्रों में उपयोगकर्त्ताओं को सटीक **स्थिति, वेग और समय** की जानकारी प्रदान करता है।
- GSLV-F15 **GSLV की 17वीं उड़ान है, तथा स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाली 11वीं उड़ान** है।
- SDSC से पहला प्रक्षेपण **अगस्त 1979 में रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड** (आंशिक रूप से सफल) के साथ किया गया।
- ISRO के प्रमुख प्रक्षेपणों में **चंद्रयान-1** (2008), **मार्स ऑर्बिटर मिशन** (2013), **PSLV-C37** (2017, विश्व रिकॉर्ड: **104 उपग्रह प्रक्षेपित**), **चंद्रयान-2** (2019), और **चंद्रयान-3** (2023), **आदित्य-L1** (2023) शामिल हैं।

मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन

मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तंज़ानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य **संपूर्ण अफ्रीका में ऊर्जा पहुँच में तेज़ी** लाना है।

- अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन **तंज़ानिया सरकार, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी विकास बैंक** और **विश्व बैंक** द्वारा आयोजित किया गया।
  - शिखर सम्मेलन **मिशन 300** पहल पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य **वर्ष 2030 तक उप-सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत् उपलब्ध** कराना है।
  - **600 मिलियन से अधिक अफ्रीकियों के पास निर्बाध विद्युत् की सुविधा नहीं है,** नाइजीरिया और उप-सहारा अफ्रीका में 80% वैश्विक आबादी विद्युत् विहीन है।
- शिखर सम्मेलन में **12 अफ्रीकी देशों द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा समझौते** प्रस्तुत किये गये, जिनमें **चाड, कोटे डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, तंज़ानिया और ज़ाम्बिया** शामिल हैं।
- सरकार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय ऊर्जा संधियाँ **वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक विद्युत् पहुँच और स्वच्छ भोजन पकाने के लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिये रोडमैप के रूप में काम करेंगी, जो वर्ष 2030 तक सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, सतत् ऊर्जा पहुँच के लिये **संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 7 (SDG7)** के साथ संरेखित होंगी।

लाला लाजपत राय की जयंती

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी **लाला लाजपत राय** को उनकी 160 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

लाला लाजपत राय

- **परिचय:** उनका जन्म **28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर** ज़िले में हुआ था।
  - **पंजाब केसरी के** नाम से प्रसिद्ध , वे एक प्रेरक **नेता एवं समाज सुधारक** थे।
- **स्वतंत्रता योगदान:** वह **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC)** के एक प्रमुख नेता थे, उन्होंने **बंगाल विभाजन (1905)** का विरोध किया और **असहयोग आंदोलन (1920)** का समर्थन किया।
- उन्होंने वर्ष 1916 में **बाल गंगाधर तिलक** और **एनी बेसेंट** द्वारा शुरू किये गए **भारत के होमरूल आंदोलन** का समर्थन करने के लिये **होम रूल लीग ऑफ अमेरिका (1917)** की स्थापना की और **रॉलेट एक्ट** तथा **जलियाँवाला बाग हत्याकांड** का विरोध किया।
- उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन **(1928)** का नेतृत्व किया , जहाँ **लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु** हो गई।

कम सोडियम युक्त नमक का उपयोग: WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोगों (CVD)** और अत्यधिक नमक के सेवन से होने वाले स्ट्रोक के निवारण हेतु **कम सोडियम युक्त नमक विकल्पों (LSSS)** को बढ़ावा देने वाले नए आहार संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड** युक्त ये विकल्प स्वाद को बनाए रखते हुए **सोडियम उपभोग को कम करने में** मदद करते हैं।
- विश्व स्तर पर, अनुपयुक्त आहार के कारण **प्रतिवर्ष 8 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है,** जिनमें से 1.9 **मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण उच्च सोडियम सेवन है।**

सोडियम युक्त नमक के सेवन से संबंधित मुख्य तथ्य:

- **WHO का सुझाव:** WHO ने वयस्कों के लिये **प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक (2 ग्राम सोडियम) का सेवन किये जाने का सुझा दिया है।**
  - यह सरकारों को **LSSS को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करने,** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा **लेबलिंग विनियमों में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।**
- **भारत:** भारत में **नमक का सेवन अधिक (10.4 ग्राम/दिन)** तथा **पोटेशियम का स्तर कम** होने के कारण उच्च रक्तचाप होता है।
  - **FSSAI** खाद्य नमक में 97% **सोडियम क्लोराइड के उपयोग को अनिवार्य** करने, एंटीकेकिंग एजेंटों की मात्रा 2.2% तक सीमित करने और "**कम सोडियम**" **और** "**सोडियम-मुक्त**" दावों के लिये सटीक सोडियम लेबलिंग किये जाने पर बल देने के साथ सोडियम के उपयोग में कमी लाने की नीतियों का कार्यान्वन कर रहा है।

आयुध वस्त्र का पहला रक्षा निर्यात

रक्षा मंत्रालय के अधीन **आयुध वस्त्र निर्माणी (Ordnance Clothing Factory- OCF),** अवाडी ने **सूरीनाम गणराज्य** को भारत का **पहला रक्षा क्षेत्र का ऑर्डर** निर्यात किया।

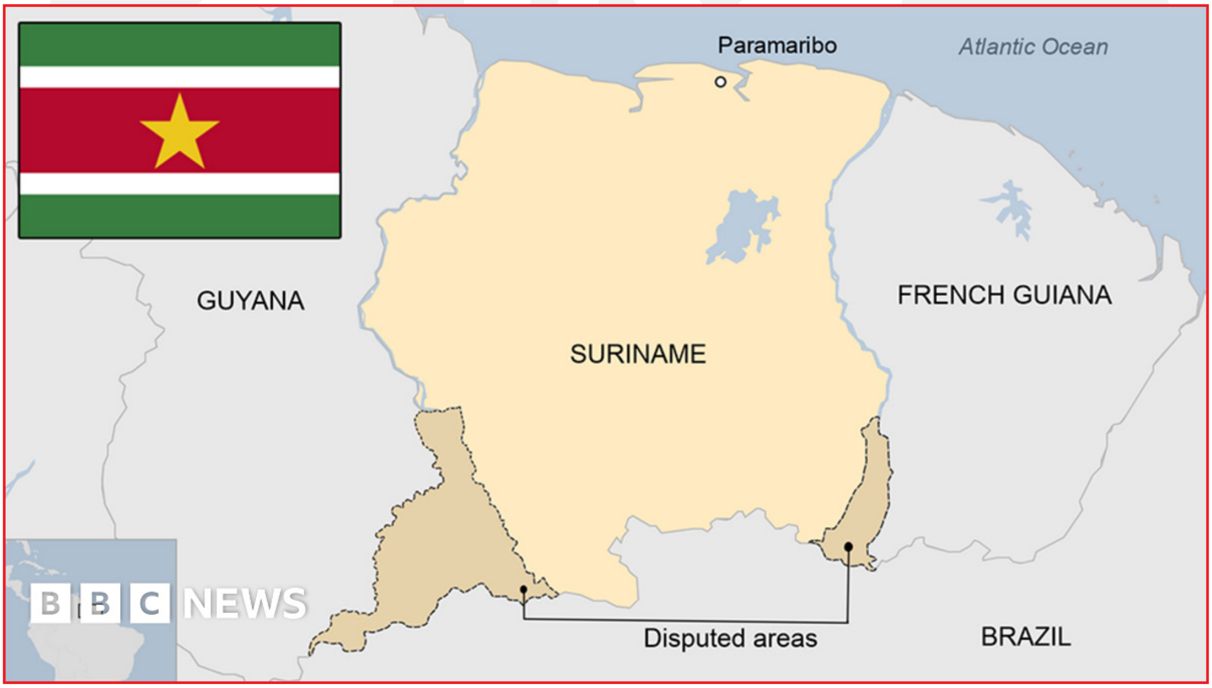

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- OCF एक "**फ्यूचर सोल्जर सिस्टम" विकसित कर रहा है** जिसमें सैनिकों की गतिशीलता बढ़ाने के लिये **हल्के, डिजिटल रूप से मुद्रित, जीवाणुरोधी छद्मावरण वर्दी** और **बैलिस्टिक हेलमेट (0.9 किलोग्राम) शामिल हैं।**
- OCF अवाडी में **बुलेट-प्रतिरोधी जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, वेस्ट और बम-रोधी कंबलों** का विनिर्माण होता है।
- **भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2023-24** में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो वर्ष **2014 में 2,000 करोड़ रुपए था** तथा **वर्ष 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।**
- **सूरीनाम:** यह **दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है** और इसकी सीमा **गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील से लगती है।**
  - औपनिवेशिक काल के दौरान, भारतीयों को **चीनी बागानों** में काम करने के लिये **अनुबंधित श्रमिकों** के रूप में के जाया गया था।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

भारत में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के स्मरण में **शहीद दिवस** मनाया जाता है।

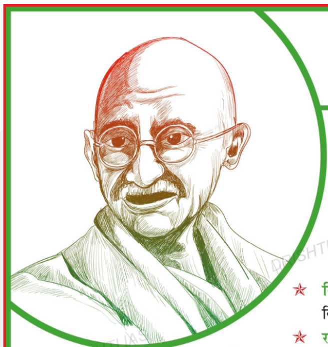

मोहनदास करमचंद गांधी

संक्षिप्त परिचय

- **जन्म:** 2 अक्तूबर, 1869; पोरबंदर (गुजरात)।
  - 2 अक्तूबर को **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- **प्रोफाइल:** वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखक तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्वकर्त्ता।
  - राष्ट्रपिता (सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नाम से संबोधित किया)।
- **विचारधारा:** अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे।
- **राजनीतिक गुरु:** गोपाल कृष्ण गोखले

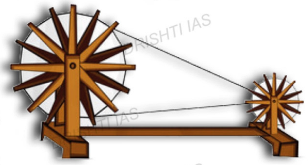

- **मृत्यु:** नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या (30 जनवरी, 1948)।
  - 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- नोबेल शांति पुरस्कार के लिये पाँच बार नामित किया गया।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी (1893–1915)

- नस्लवादी शासन (मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव) के खिलाफ सत्याग्रह।
  - दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)** मनाया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलन जैसे- चंपारण सत्याग्रह (1917), प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)- पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह (1918)- पहला असहयोग।
- **राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन:** रॉलेट एक्ट के खिलाफ (1919), असहयोग आंदोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930&34), भारत छोड़ो आंदोलन (1942)।
- **गांधी-इरविन समझौता (1931):** गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिह्नित किया।
- **पूना पैक्ट (1932):** गांधी और **बी.आर. अंबेडकर** के बीच; इसने वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ दिया (सांप्रदायिक पंचाट)।

पुस्तकें

हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ (आत्मकथा)

साप्ताहिक पत्रिकाएँ

हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन

गांधी शांति पुरस्कार

भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिये दिया जाता है।

उद्धरण

- **"खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हों।"**
- **"कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है।"**
- **"आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिये। मानवता सागर के समान है; यदि सागर की कुछ बूँदें गंदी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता।"**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के **बिड़ला हाउस** में शाम की प्रार्थना के दौरान **नाथूराम गोडसे** ने गांधी की हत्या कर दी थी।
- **शहीद दिवस श्रद्धांजलि:** इस दौरान लोग प्रार्थना सभाओं के लिये **राजघाट** (दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल) पर एकत्रित होते हैं।
- **नोट: भारत के तीन असाधारण क्रांतिकारियों- भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर** के बलिदान को याद करने के लिये **23 मार्च** को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है।

पोस्ट-क्वांटम एन्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कंपनियाँ **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC)** के कार्यान्वयन के माध्यम से **क्वांटम कंप्यूटिंग** द्वारा उत्पन्न **संभावित खतरों** के अनुकूल बन रही हैं।

- **क्वांटम कंप्यूटिंग** अत्यंत तीव्र गति से गणना करने की अपनी क्षमता के कारण **वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों के लिये कई खतरे** उत्पन्न करती है।
    - **असममित एन्क्रिप्शन का सरलीकरण:** क्वांटम कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याओं जैसे **बड़ी संख्याओं का गुणनखंडन** और असतत लघुगणक को हल कर सकते हैं।
        - इससे **रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन (RSA)** और **एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी (ECC)** जैसी एन्क्रिप्शन विधियों पर असर पड़ सकता है , जिनका व्यापक रूप से सुरक्षित संचार के लिये उपयोग किया जाता है।
    - **स्टोर नाउ, डिक्रिप्ट लेटर (SNDL) अटैक:** साइबर अपराधी **एन्क्रिप्टेड डेटा को तुरंत संग्रहीत कर सकते हैं** और बाद में जब क्वांटम कंप्यूटर पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं, तो **उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं,** जिससे संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है।
    - **उद्योग-व्यापी डेटा सुरक्षा जोखिम:** यदि क्वांटम कंप्यूटर एन्क्रिप्शन मानकों का उल्लंघन करते हैं, तो **वित्त, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी संचार** जैसे क्षेत्रों को डेटा उल्लंघन और वित्तीय नुकसान का खतरा हो सकता है।

पोस्ट-क्वांटम एन्क्रिप्शन/क्रिप्टोग्राफी (PQC):

- **PQC** उन **क्रिप्टोग्राफिक विधियों** को संदर्भित करता है जो **क्वांटम कंप्यूटरों** द्वारा आसानी से हल किये जा सकने वाले **गणितीय समस्याओं पर निर्भर नहीं** होते हैं।
- इसे **क्वांटम-रेजिस्टेंस, क्वांटम-सेफ** या **क्वांटम-प्रूफ क्रिप्टोग्राफी** के रूप में भी जाना जाता है।
- इन विधियों को **क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम** दोनों के **हमलों के खिलाफ सुरक्षित रहने** के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **VPN** तकनीक **डेटा को एन्क्रिप्ट** करती है और **उपयोगकर्त्ता के IP एड्रेस को गुप्त** रखती है, ताकि **डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा** के लिये **उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित** किया जा सके।

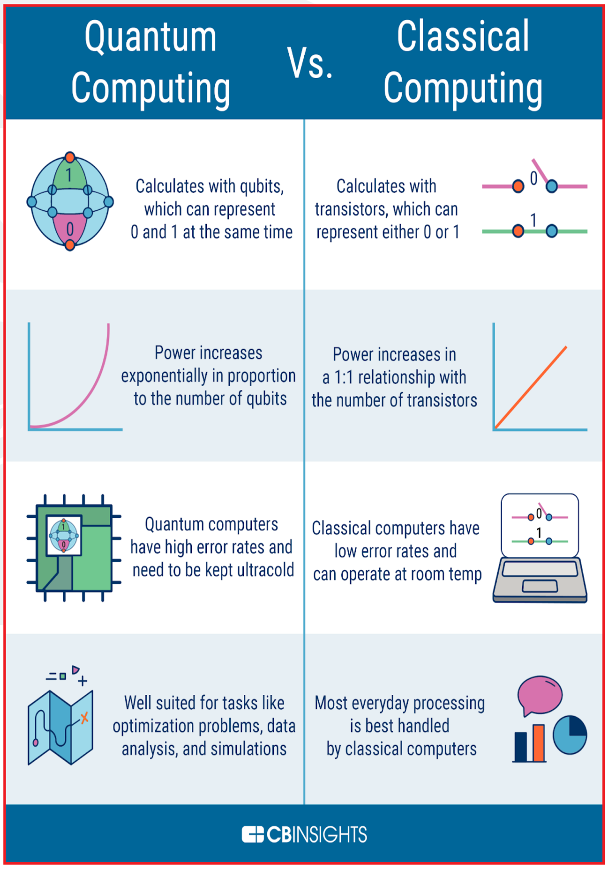

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :